11 वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना गुरूवार, दिनांक 26 जून 2014

Notice for 11th Annual General Meeting

Thursday, June 26, 2014



एक परिवार एक बैंक

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005) (Head Office: 1501, 'Lokmangal', Shivajinagar, Pune - 411 005)

विषय-सूची

INDEX

नोटिस	3	Notice	24
टिप्पणियाँ	4	Notes	26
व्याख्यात्मक विवरण ; मद क्र. 3 अधिमान निर्गम	12	Explanatory Statement ; Item No. 3 Preferential Issue	34
मद क्र. 4 : शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन	14	Item No. 4: Election of shareholder director	36
संबंधित अधिनियमों और योजनाओं का सार	16	Extracts of relevant Acts and Schemes	38
नामांकन फॉर्म	47	Nomination Form	48
उम्मीदवार द्वारा घोषणा और वचनपत्र49	- 51	Declaration and undertaking by the candidate 50 8	k 54
उपस्थिति पर्ची/प्रवेश पर्ची	57	Attendance slip / Entry Pass	58
प्रॉक्सी फॉर्म	59	Proxy form	60
कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हरित पहल	61	Green Initiative in Corporate Governance	62
ईसीएस प्रारूप	63	ECS Form	63

वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 संलग्न है ANNUAL REPORT 2013-14 ENCLOSED

कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तारीखें

IMPORTANT DATES OF PROGRAMME

कार्यक्रम Event	तारीख Date		
वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित रहने तथा निर्वाचन में	30 मई 2014		
भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण हेतु			
निर्धारित तारीख			
Specified date for ascertaining shareholders	30 May 2014		
eligibility to attend AGM and participate in election			
नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख	12 = 7 2014		
Last date for receipt of nomination	12 জুন 2014 12 June 2014		
नामांकनों की संवीक्षा	13 जून 2014		
Scrutiny of nominations	13 June 2014		
ई-वोटिंग अवधि	20 जून 2014 को सुबह 10.00 बजे से 22 जून 2014 को सायं 5.00 बजे तक		
e-voting period	From 10 am on 20 June 2014 to 5 pm on 22 June 2014		
प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने संबंधी प्रॉक्सी फॉर्म	21 जून 2014 को दोपहर 2.00 बजे तक		
और संकल्प प्राप्त करने की अंतिम तारीख			
Last Date for receipt of Proxy Forms and	21 June 2014 by 2 pm		
resolutions for appointing authorised			
representatives			
वार्षिक साधारण बैठक की तारीख, समय और स्थान	26 जून 2014 सुबह 10.30 बजे		
	अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल'		
	1501, शिवाजीनगर, पुणे-411005		
Date Time and venue of Annual General	26 June 2014 at 10.30 am,		
Meeting	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal' 1501, Shivajinagar, Pune - 411005		



बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

नोटिस

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की ग्यारहवीं वार्षिक साधारण बैठक गुरूवार दिनांक 26 जून 2014 को सुबह 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 में निम्नलिखित कारोबार करने हेतु होगी :

सामान्य व्यवसाय

- 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते और 31 मार्च 2014 के तुलनपत्र, बैंक के लेखों और तुलनपत्र व लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की अविध के दौरान बैंक की गितविधियों तथा कार्यीनष्पादन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा करना, उसे अनुमोदित व स्वीकार करना।
- 2. 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश, यदि कोई हो, की घोषणा करना और अंतरिम लाभांश के भुगतान की पृष्टि करना।

विशेष व्यवसाय :

- 3. निम्नलिखित प्रस्ताव(वों) को यदि उचित समझा गया तो आशोधनों के साथ या आशोधन रहित विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:
 - "प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनयम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) और/या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमित, मंजूरी यदि कोई हो के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और निबंधनों की शर्त पर जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है तथा जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2009 (सेबी (आईसीडीआर) विनियम) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियम और स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार के अधीन बैंक के शेयरधारकों की सहमित एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे "बोर्ड" कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या गठित की जाने वाली कोई सिमिति जो इसके अधिकारों तथा संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी) को प्रदान की जाती है।"
 - क) सेबी (आईसीडीआर) विनियमों 2009 के विनियम 76(1) के अनुसरण में यथानिर्धारित भारत सरकार को अधिमान आधार पर भारत सरकार द्वारा धारित ₹ 588 करोड़ समग्र हेतु ₹ 10,00,000/- प्रत्येक अंकित मूल्य वाले 5880 पीएनसीपीएस के परिवर्तन द्वारा कुल ₹ 587,99,99,977.66 (रु. पांच सौ सतासी करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ सतहत्तर और छियासठ पैसे मात्र) के अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक नकद के 13,33,63,574 ईक्विटी शेयरों को रु.34.09 प्रति शेयर के प्रीमियम सिहत रु.44.09 के परिवर्तन मूल्य पर सृजित, प्रस्तावित, जारी तथा आबंटित करना।
 - ख) सेबी (आईसीडीआर) विनियमों 2009 के विनियम 76(4) के अनुसरण में यथानिर्धारित एलआईसी और/या भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न योजनाओं को अधिमान आधार पर ₹ 10/- प्रति अंकित मूल्य (रुपए दस मात्र) के कुल ₹400 करोड़ (चार सौ करोड़ मात्र) के 9,07,23,520 ईक्विटी शेयरों को ₹ 34.09 प्रति शेयर के प्रीमियम सहित ₹44.09 प्रति शेयर नकद मूल्य पर सृजित, प्रस्तावित, जारी तथा आबंटित करना।

"प्रस्ताव किया जाता है कि निर्गम मुल्य के निर्धारण हेतु संबद्घ दिनांक 27 मई 2014 है ।"

"प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार/भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज जहां, बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा बोर्ड द्वारा निर्गम, आबंटन तथा सूचीकरण हेतु अपना अनुमोदन, सहमित, अनुमित तथा मंजूरी प्रदान करते समय प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किन्हीं आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा।"

"यह भी प्रस्ताव है कि उक्त ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के अनुरूप होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित किसी प्रकार के लाभांश हेतु पात्र होंगे।"

"यह भी प्रस्ताव है कि उपर्युक्तानुसार जारी किए जाने वाले नए इक्विटी शेयरों को उन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा जहां



नए इक्विटी शेयरों के आबंटन के दिनांक पर बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।"

"यह भी प्रस्ताव है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतदद्वारा बोर्ड को ऐसे सभी कृत्य, कर्म, कार्य, मामले करने हेत् शेयरधारकों का अनुमोदन या सहमति लेने या प्राधिकृत करने की इच्छा जो इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा व्यक्त हो, हेतु अधिकृत किया जाता है जो उसके पूर्ण विवेक में कृत्य, कर्म, कार्य, मामले, आवश्यकतानुसार प्रलेखों तथा लिखतों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतू आवश्यक, उचित तथा वांछित हों।"

"यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को एतद्द्वारा उसे यहां प्रदत्त किन्हीं या सभी अधिकारों को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक या बैंक का कोई अन्य अधिकारी या समिति जिसे यह उक्त संकल्प को प्रभाव देने हेतु उचित समझे प्रत्यायोजन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।"

केन्द्र सरकार के अलावा बैंक शेयरधारकों में से **एक** निदेशक का निर्वाचन करना जोकि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) (भविष्य में "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (भविष्य में "विनियम अधिनियम" के रूप में संदर्भित), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 (भविष्य में "योजना"के रूप में संदर्भित) बैंक ऑफ महाराष्ट्र के (शेयर तथा बैठकें) विनियम 2004 (भविष्य में "विनियम" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित और अधिसूचनाएं क्र. डीबीओडी.क्र.बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर 2007, भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 23 मई 2011 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11 (भविष्य में "भारिबैं अधिसूचना" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित और निम्नलिखित संकल्प पारित करने के द्वारा जिनके संबंध में निर्धारित अनुसार वैध नामांकन प्राप्त हए हैं -

"प्रस्ताव किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) और इसके अंतर्गत बनाए गए संगत योजना, विनियमावली और अधिसूचना तथा भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अलावा बैंक शेयरधारकों में से निर्वाचित एक निदेशक एतदद्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए, ताकि वह निर्वाचन के दिनांक से/ निर्वाचित माने गए दिनांक से कार्यभार ग्रहण करे और वह तीन वर्षों की अवधि तक कार्यभार संभालेंगे।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक : 26 मई 2014

स्थान : पुणे

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

टिप्पणियां

बैठक में किए जाने वाले कामकाज संबंधी वास्तविक तथ्यों के व्याख्यात्मक विवरण यहां संलग्न हैं। 1.

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा समकक्ष नए बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने धारित शेयरों के आधार पर बैंक के शेयरधारकों हेतु कुल 10 प्रतिशत के मतदान अधिकार से अधिक मतदान अधिकार का पात्र नहीं

उपर्युक्तानुसार, केन्द्र सरकार के अलावा प्रत्येक शेयरधारक का, जो शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, हाथ उठाकर एक मत होगा और मतदान के मामले में कुल मतदान अधिकारों के अधिकतम 10 प्रतिशत के अनुसार उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतू एक मत होगा।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर व बैठकें) विनियमावली 2004 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा उससे अधिक व्यक्तियों के नाम हो, तो मतदान के मामले में रजिस्टर में दर्ज पहले व्यक्ति को उस शेयर का एकल धारक माना जाएगा।

प्रॉक्सी की नियुक्ति

शेयरधारक जो वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने तथा वोट देने हेतु पात्र है वह अपने स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु प्रॉक्सी की नियुक्ति कर सकते हैं तथा ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

प्रॉक्सी फार्म प्रभावी होने के लिए बैंक के पुणे स्थित मुख्यालय में असाधारण सामान्य बैठक के दिनांक से न्यूनतम चार दिन पहले अर्थात शनिवार दिनांक 21 जून 2014 को बैंक के कार्य समापन समय या उससे पहले प्राप्त हो जाना चाहिए।



4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी या किसी निगम निकाय जो बैंक के शेयरधारक हैं, उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता, जब तक कि वह उस बैठक के संकल्प की प्रति प्रस्तुत नहीं करता जिसमें उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प पारित किया गया हो। संकल्प की प्रति उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा ही सत्यापित की जानी चाहिए तथा वह बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक साधारण बैठक की नियत तिथि से चार दिन पूर्व अर्थात शनिवार दिनांक 21 जून 2014 को या उससे पहले बैंक के कार्य समापन समय तक या उससे पूर्व जमा की जानी चाहिए।

उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र में दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर यह पर्ची साधारण सभा के स्थान पर देने की कृपा करें। प्रॉक्सी/शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र पर "प्रॉक्सी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जो भी स्थिति हो, उसका उल्लेख करें।

6. बहियों का बंद होना

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर शनिवार 31 मई 2014 से सोमवार 02 जून 2014 (दोनों दिन मिलाकर) ग्यारहवीं वार्षिक साधारण बैठक और ई-वोटिंग द्वारा या वार्षिक साधारण बैठक में वोटिंग तथा निदेशक के निर्वाचन में सहभागिता के लिए शेयरधारकों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए बंद रहेंगे।

7. अप्रदत्त / अदावी लाभांश, यदि कुछ हो

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अधिग्रहण) अधिनियम, 1970 की धारा 10(बी) और वित्तीय संस्थान विधि (संशोधित) अधिनियम 2006 (जो दिनांक 16.10.2006 से लागू हुआ) के अनुसार लाभांश की कोई भी रकम जो कि अप्रदत्त लाभांश खाते को अंतरित की जाती है और उस अंतरण के दिनांक से 7 वर्ष की अविध तक अप्रदत्त/अदावी रहती है तो इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी(1) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जाएगी और तत्पश्चात बैंक के प्रति इस संबंध में लाभांश के भुगतान हेतु कोई बही दावा नहीं रहेगा।

तदनुसार उक्त प्रावधानों के अनुसरण में वर्ष 2003-04 और इसके बाद के वित्तीय वर्ष से अप्रदत्त / अदावी रही लाभांश की ऐसी सभी राशियां अप्रदत्त लाभांश खाते को अंतरित किए जाने के दिनांक से सात वर्ष के पश्चात निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जाएगी।

जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2012-13 तक उनका लाभांश प्राप्त नहीं किया है / भुनाया नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने वैध दावे पंजीयक और अंतरण एजेंट - एमसीएस लि. को प्रस्तुत करें।

8. शेयर अंतरण फार्म्स का प्रस्तुतीकरण

अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र को अंतरण के लिए नीचे पैरा क्र.9 में दिए गए पते पर रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को भेजा जाएगा ताकि 30 मई 2014 को या उससे पूर्व उनके कार्यालय में प्राप्त हो जाये।

9. पते में बदलाव

भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध हैं कि वे अपने पते में परिवर्तन की सूचना, यदि कोई है, तो निम्नलिखित पते पर शेयर अंतरण एजेंट और रजिस्ट्रार को भेजें:

एमसीएस लिमिटेड.

(इकाई: बैंक ऑफ महाराष्ट्र),

ऑफिस क्रमांक 21/22 ग्राउण्ड फ्लोर

काशीराम जमनादास बिल्डिंग,

5, पी.डिमेलो रोड(घडियाल गोदी),

मस्जिद (पूर्व) मुंबई - 400 009

फोन: (022) 2372 6253 -56

फैक्स : (022) 2372 6252

ई-मेल: uday_mcs@yahoo.in

डिमैट रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध हैं कि वे अपने पते में परिवर्तन की सूचना, यदि कोई है, तो सीधे अपने डिपॉजिटरी पार्टीसिपेन्टस को दें.



10. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सेवा - एन-ईसीएस/इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सेवाएं (ईसीएस) और बैंक के ब्योरों में परिवर्तन

बैंक सभी शेयरधारकों को, जहां उपलब्ध हो, वहां एन-ईसीएस/ईसीएस सुविधा के माध्यम से लाभांश का भुगतान करने की व्यवस्था करेगा। किसी केंद्र पर एन-ईसीएस/ईसीएस सुविधा न होने पर बैंक लाभांश वारंट प्रिंट कर शेयरधारकों को भेजेगा।

भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले और इलेक्ट्रानिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक शेयरधारक इस रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रारूप में बैंक को अपने ईसीएस अधिदेश के साथ अपना प्राधिकार दे सकते हैं।

बैंक में खाता रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे लाभांश का भुगतान जमा करने हेतु बैंक को अपने सीबीएस बैंक खातों के विवरण उपलब्ध कराएं।

- 11. शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध हैं कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति वार्षिक साधारण सभा में अपने साथ लाएं।
- 12. लेखों के संबंध में अधिक जानकारी के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक के प्रधान कार्यालय में स्थित निवेशक सेवाएं विभाग को इस आशय का लिखित अनुरोध इस प्रकार भेजें कि वह वार्षिक साधारण बैठक की दिनांक से एक सप्ताह पूर्व उन्हें मिल जाएं तािक प्रबंधन सूचनाएं तैयार रख सके। शेयरधारक नोट करें कि सूचनाएं/स्पष्टीकरण केवल वार्षिक साधारण बैठक में ही उपलब्ध कराए जाएंगे।

13. ई-वोटिंग

बैंक ने सहर्ष अपने सभी सदस्यों को एक वैकल्पिक रूप में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है, तािक दिनांक 26 मई 2014 के वार्षिक साधारण बैठक नोटिस (एजीएम नोटिस) में वर्णित अनुसार प्रस्तावों के बारे में इलेक्ट्रानिक रूप से मतदान कर सकें। ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से पूरा करने के लिए बैंक ने प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सिचव श्री राघवेंद्र जोशी (आपटे जोशी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज़, पुणे के भागीदार) को संवीक्षक नियुक्त किया है। ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों/लाभार्थी स्वामियों के ई-वोटिंग अधिकारों का निर्धारण दिनांक 30 मई, 2014 को उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के आधार पर होगा ।

सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं :

क. ई-मेल प्राप्तकर्ता सदस्यों के मामले में :

- i. यदि आपके पास डीमैट रूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग-इन किया है और किसी भी कंपनी के लिए ईवीएसएन हेतु मतदान किया है तो आपका वर्तमान लॉग-इन आईडी और पासवर्ड प्रयोग किया जाए ।
- ii. ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करें।
- iii. मतदान करने हेतु 'शेयरधारक' बटन पर क्लिक करें ।
- iv. ड्राप डाउन मेन्यु से कंपनी के नाम के साथ 'इलेक्ट्रानिक वोटिंग क्रमांक' (ईवीएसएन) का चयन करके 'सबिमट' बटन क्लिक करें ।
- v. अब दिए गए बॉक्स में निम्नलिखित विवरण भरें :

	डी-मैट रूप में शेयरधारक सदस्यों हेतु भौतिक रूप में शेयरधारक सदस्यों हेतु		
यूजर-आईडी	एनएसडीएल हेतु - 8 वर्णीय डीपीआईडी और 8 अंकीय क्लाइंट आईडी		
	सीडीएसएल हेतु - 16 अंकीय लाभार्थी आईडी		
स्थाई खाता (पैन) क्रमांक*	ई-वोटिंग करते समय प्रणाली द्वारा मांगने पर आयकर विभाग द्वारा जारी 10 एल्फा-न्यूमेरिक पैन क्रमांक डालें (डी-मैट शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों, दोनों के लिए लागू		
जन्मदिनांक [#]	उक्त डी-मैट खाते अथवा फोलियो हेतु दिन/माह/वर्ष प्रारूप में अपना जन्मदिनांक डालें, जो आपके डीमैट खाते अथवा कंपनी अभिलेख में दर्ज हो ।		
लाभांश बैंक विवरण [#]	उक्त डी-मैट खाते अथवा फोलियो हेतु लाभांश बैंक का विवरण डालें, जो आपके डी-मैट खाते अथवा कंपनी अभिलेख में दर्ज हो ।		

* ऐसे सदस्यों, जिन्होंने बैंक/निक्षेपक भागीदार के पास अपना स्थायी खाता क्रमांक (पैन) नोट नहीं कराया है, से अनुरोध है कि वे पैन क्रमांक के स्थान पर "BOMEV1234Z" डालें ।



- # लॉग-इन हेतु कृपया कोई एक ब्यौरा डालें । यदि किसी मामले में कोई भी ब्यौरा डिपॉजिटरी के पास दर्ज न हो तो कृपया जन्मदिनांक कॉ लम में '01/01/1990' अथवा लाभांश बैंक के विवरण कॉलम में 'धारित शेयरों की संख्या' डालें । उदाहरणार्थ, यदि आपके पास 100 शेयर हैं तो 'धारित शेयरों की संख्या' कॉलम में 100 डालें ।
- vi. यह विवरण समुचित रूप से भरने के बाद "सबिमट''बटन पर क्लिक करें ।
- vii. इसके बाद, शेयरधारक, जिनके पास भौतिक रूप के शेयर हैं, सीधे ईवीएसएन चयन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। जबिक डी-मैट स्वरूप के शेयरधारक अब 'पासवर्ड क्रीएशन' मेन्यू में पहुंच जाएंगे। इस नये पासवर्ड फील्ड में उन्हें अनिवार्यत: अपना लॉग-इन पासवर्ड डालना होगा। नया पासवर्ड न्यूनतम आठ वर्णीय होना चाहिए, जिसमें न्यूनतम एक कैपिटल (A-Z) लेटर, एक नॉर्मल (a-z) लेटर, एक (0-9) संख्या और एक विशेष चिन्ह (स्पेशल कैरेक्टर -@#\$%&★) होना आवश्यक है। कृपया नोट करें कि यही पासवर्ड डी-मैट शेयरधारकों द्वारा किसी अन्य कंपनी के प्रस्ताव(वों), जिसके मतदान के वे पात्र हों, हेतु भी प्रयोग किया जाना है, बशर्ते कि उस कंपनी ने सीडीएसएल प्लैटफार्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प लिया हो। हमारी पुरजोर सिफारिश है कि अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति को न बताएं और पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखने का विशेष ध्यान रखें। कृपया नोट करें कि यह बदला हुआ पासवर्ड डी-मैट शेयरधारकों द्वारा कंपनी या किसी अन्य कंपनी के प्रस्ताव(वों), जिसके मतदान के वे पात्र हों, हेतु भी प्रयोग किया जाना है, बशर्ते कि उस कंपनी ने सीडीएसएल प्लैटफार्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प लिया हो
- viii. मतदान हेतु चयनित ईवीएसएन पर क्लिक करें ।
- ix. वोटिंग पृष्ठ पर आपको प्रस्ताव का ब्यौरा मिलेगा और उसके सामने मतदान हेतु 'हां'/'नहीं' का विकल्प दिया गया होगा । आपकी इच्छानुसार विकल्प 'हां'/'नहीं' का चुनाव करें। 'हां' विकल्प का अर्थ है कि आप प्रस्ताव से सहमत हैं और 'नहीं' विकल्प का अर्थ है कि आप इससे असहमत हैं ।
- x. हां/नहीं विकल्प में अपने शेयरों (जो आपके मतों (वोट) की संख्या दर्शाते हैं) की संख्या डालें अथवा आप 'हां' और 'नहीं' में कोई भी संख्या डाल सकते हैं, लेकिन 'हां' और 'नहीं' में डाली गई कुल संख्या आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- xi. यदि आप सभी प्रस्ताव देखना चाहते हों तो कृपया 'प्रस्ताव (रिजॉल्यूशन) फाईल लिंक' पर क्लिक करें ।
- xii. उस प्रस्ताव, जिस पर मतदान का आपने निर्णय लिया हो, का चयन करने के बाद 'सबिमट' बटन पर क्लिक करें। मत की पुष्टि के लिए एक बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप मत की पुष्टि करना चाहते हैं तो 'ठीक है' (ओके) पर क्लिक करें, अन्यथा 'निरस्त' (कॅन्सल) पर क्लिक करें और उसके बाद संशोधित मत डालें।
- xiii. प्रस्ताव पर मत की पृष्टि करने के बाद मत में संशोधन की अनुमित नहीं होगी।
- ख. वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस की भौतिक प्रति प्राप्त करने वाले सदस्यों के मामले में (उन सदस्यों के लिए जिनका ई-मेल आईडी कंपनी/निक्षेपक भागीदार(रों) के पास पंजीकृत नहीं हैं या उन्होंने भौतिक प्रति का अनुरोध किया हो।
 - क. मतदान हेतु कृपया ऊपर दिए गए क्रमांक (ii) से (xiii) तक के सभी चरणों का अनुपालन करें।
 - ख. संस्थागत शेयरधारक (वैयक्तिक, हिंदू अविभाजित परिवार, अनिवासी भारतीय इत्यादि को छोड़कर) के लिए आवश्यक है कि वे https://www.evotingindia.co.in पर लॉगऑन करके स्वयं को पंजीकृत करें, उस खाते को लिंक करें जहां वे मतदान के इच्छुक हों और उसके बाद अपना मतदान करें । मत का सत्यापन करने हेतु संवीक्षक हेतु निदेशक मंडल प्रस्ताव की पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन की गई प्रति सिस्टम में अपलोड करें ।
 - ग. वोटिंग अविध शुक्रवार दिनांक 20 जून 2014 प्रात: 10.00 बजे से आरंभ होकर रिववार दिनांक 22 जून 2014 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी । इस अविध के दौरान कंपनी के शेयरधारक चाहे उनके पास भौतिक फॉर्म या डीमटेरियलाज्ड फॉर्म के शेयर हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से कट-ऑफ (अभिलेख दिनांक) 30 मई 2014 को अपना मतदान कर सकते हैं । यह अविध बीत जाने पर सीडीएसएल द्वारा वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय (डिसेबल) कर दिया जाएगा। किसी प्रस्ताव पर शेयरधारक द्वारा मतदान करने के बाद उसमें संशोधन की अनुमित नहीं होगी।
 - घ. ई-वोटिंग के बारे में यदि आपकी कोई शंका या मुद्दे हैं तो आप बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न और ई-वोटिंग मैन्युअल, जो www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन में उपलब्ध है, की सहायता लें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें।



ग. सामान्य अनुदेश :

- क. इस फोलियो के उपयोगकर्ता (यूजर) प्रोफाईल में आप अपना मोबाईल नंबर और ई-मेल आईडी दे सकते हैं। भविष्य में सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग की सूचना भेजने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकेगा। यदि सदस्य पासवर्ड भूल जाएं और इसे रिसेट करना पड़े. तब भी यह जानकारी उपयोगी रहेगी ।
- ख. आपको सूचित किया जाता है कि आप केवल एक माध्यम (ई-वोटिंग अथवा वार्षिक साधारण बैठक के समय मतदान) से ही मतदान करें । यदि आप दोनों माध्यमों से मतदान करते हैं तो केवल ई-वोटिंग के माध्यम से किए गए मतों पर ही विचार किया जाएगा और बैठक के दौरान दिए गए आपके मत खारिज हो जाएंगे।
- क. ऐसे सदस्य जिनका ई-मेल पता बैंक अथवा उनके भागीदार निक्षेपक के पास पंजीकृत है, को वार्षिक रिपोर्ट, उपस्थिति पर्ची एवं प्रॉक्सी फॉर्म सहित वार्षिक साधारण सभा का नोटिस ई-मेल द्वारा और अन्य को डाक/कोरियर द्वारा भेजा जा रहा है ।
- घ. संवीक्षक का ईमेल पता : bomevoting@aptejoshi.com है।
- 14. शेयरधारक निदेशक के पद हेतु चुनाव में भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से विनिर्दिष्ट दिनांक।

दिनांक 20 मई 2014 के नोटिस द्वारा दी गई घोषणा, जो दिनांक 21 मई 2014 के समाचारपत्र में प्रकाशित हुई, वार्षिक साधारण बैठक और चुनाव में अर्थात नोटिस में दिए अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों के एक प्रतिनिधि निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन, चुनाव लड़ने और मतदान करने के पात्र शेयरधारकों के नामों के निर्धारण हेतु 30 मई 2014 को विनिर्दिष्ट दिनांक ठहराया गया है।

15. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु अपेक्षित अर्हता

- अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार जो निदेशक बनने का इच्छुक है, उससे निम्नानुसार अपेक्षित है -
 - (क) उसे निम्नलिखित विषयों में से एक या अधिक के संबंध में विशिष्ट ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :
 - कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - बैंकिंग
 - सहकारिता
 - अर्थशास्त्र
 - वित्त
 - विधि
 - लघु उद्योग
 - अन्य किसी भी विषय के संबंध में विशिष्ट ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के मतानुसार बैंक के लिए उपयोगी होगा
 - (ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो. या
 - (ग) किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हो
- अधिनियम की धारा 9(3एए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार जो कि बैंक का निदेशक बनने का इच्छुक हो उसे "उपयुक्त और उचित" (फिट एंड प्रॉपर) स्थिति में होना चाहिए। साथ ही, चुने गए निदेशक द्वारा प्रसंविदा का विलेख निष्पादित करना चाहिए और उनसे यह अपेक्षित है कि इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करें।

16. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने से अयोग्यता

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 10 के अनुसार कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने तथा निदेशक बनने से अयोग्य ठहराया जाएगा -

- (क) यदि वह किसी समय दिवालिया करार कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोक रखा हो या इससे संबद्ध हो, या
- (ख) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने इस बात की घोषणा की हो, या



- (ग) यदि किसी नैतिक भ्रष्टता से जुड़े अपराध में किसी न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया हो, या
- (घ) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा 1 के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता है, किंतु अपवाद स्वरूप वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) व (एफ) के अंतर्गत बैंक के नामित बैंक के कर्मचारियों में से प्रबंध निदेशक और निदेशकों को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद छोड़कर धारित करता है तथा
- (ङ) यदि उसे भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 1 नवंबर 2007 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.क्र.बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08, व दिनांक 23 मई 2011 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11 के अनुसार उचित और उपयुक्त व्यक्ति नहीं पाया गया।

17. निदेशक का कार्यकाल

बैंक के बोर्ड में उत्पन्न शेयरधारक निदेशक की रिक्ति को भरने के लिए चुने गए निदेशक को 14 जून 2014 से कार्यग्रहण करना माना जाएगा (यदि 13.06.2014) को नामांकनों की संवीक्षा के उपरांत यदि केवल एक वैध उम्मीदवार पाया गया)। यदि संवीक्षा के उपरांत एक से अधिक उम्मीदवार वैध पाए गए, तो एक निदेशक की रिक्ति को बैठक के दिनांक को भरा जाएगा और नए निदेशक 27 जून 2014 को कार्यभार संभालेंगे।

योजना की धारा 11-बी (2) के अनुसार इस प्रकार चुना गया व्यक्ति 27 जून 2014 से 3(तीन) वर्ष की अवधि अर्थात 26 जून 2017 तक कार्यभार संभालेगा। शेयरधारकों का ध्यान अधिनियम की धारा 9(3बी) की ओर आकर्षित किया जाता है जो कि अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत इस प्रकार चुने गए निदेशक जो कि उक्त अधिनियम धारा 9(3ए) के अनुसार आवश्यकताएं पूरी नहीं करता, को हटाने के भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार से संबंधित है।

18. प्रतियोगी शेयरधारकों की सूची

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियमावली 2004 के विनियम 64 में दी गई व्यवस्था के अनुसार शेयरधारकों को चुनाव लडने में मदद करने की दृष्टि से शेयरधारकों की निर्दिष्ट दिनांक अर्थात, **शुक्रवार 30 मई 2014** तक अद्यतन सूची बैंक के प्रधान कार्यालय, निवेशक सेवाएं विभाग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 से उपलब्ध होगी। इसकी एक प्रतिलिपि, सोमवार, 02 जून 2014 से, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे पर संदेय किसी भी अनुसूचित बैंक का रु.1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) का मांग ड्राफ्ट/ पे आर्डर जमा कर और सॉफ्ट प्रति के लिए रु.25,000/- (रुपए पच्चीस हजार मात्र) के पूर्व भुगतान पर प्राप्त कर सकते हैं।

19. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर भी बैंक के प्रधान कार्यालय में निरीक्षण के लिए सभी कार्यीदवसों पर (रिववार और बैंक अवकाश छोड़कर) अर्थात सोमवार से शुक्रवार को दोपहर 3.00 से सायं 5.00 बजे तक तथा शनिवार को प्रात: 11.00 से दोपहर 1.00 बजे तक उपलब्ध होगा। यदि कोई शेयरधारक रजिस्टर की अथवा इसके किसी भाग की प्रतियों की अथवा कंप्यूटर मुद्रित प्रतियों की मांग करता है, तो प्रतियां लिए जाने वाले प्रति हजार शब्दों या उसके अंश के लिए रु.5.00 के पूर्व भुगतान पर उसे इसकी आपूर्ति की जाएगी।

20. चुनाव में सहभागिता

ऐसे शेयरधारक जिनके नाम शुक्रवार 30 मई 2014 को एनएसडीएल/सीडीएसएल/आरडीए द्वारा प्रस्तुत अनुसार सदस्यों/लाभार्थी मालिकों के रिजस्टर में उपलब्ध हैं, वे केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच निदेशक के चुनाव में भाग लेने अर्थात, नामांकन, चुनाव लडने और मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

विनियम 68 के अनुसार बैठक के दिनांक से पूर्व विनिर्दिष्ट दिनांक (अर्थात शुक्रवार 30 मई 2014) को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को हाथ उठाकर एक वोट देने का अधिकार होगा और मतदान की स्थिति में अधिनियम की धारा 3 (2ई) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार मतदान के समग्र सीमा के अधीन उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट का अधिकार होगा।

21. चुनाव हेतु अभ्यर्थियों का नामांकन

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियमावली 2004 के विनियम 65 के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना क्र. डीबीओडी क्र. बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा क्र. डीबीओडी.बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 तथा विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु उम्मीदवार का नामांकन निम्न के अधीन वैध होगा:



- (क) उसकी शेयरधारक के रूप में धारिता शुक्रवार 30 मई 2014 को चुनाव में सहभागिता हेतु निर्दिष्ट दिनांक के रूप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में न्यूनतम 100 शेयर भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक/ बेकागजीकृत रूप में होनी चाहिए और गुरूवार 26 जून 2014 तक यदि वह चुना जाता है तो उसके पश्चात न्यूनतम 100 शेयर उसके पास होने चाहिए।
- (ख) नामांकन प्राप्ति हेतु अंतिम दिनांक अर्थात गुरूवार 12 जून 2014 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियमावली 2004 के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना क्र.डीबीओडी क्र.बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा क्र.डीबीओडी.बीसी. क्र.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 या बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 व राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुसार उसे निदेशक बनने से अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए।
- (ग) उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंधों में कोई बकाया मांग नहीं होनी चाहिए।
- (घ) अधिनियम के अंतर्गत निदेशक का चयन करने के लिए पात्र कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा विधिवत गठित अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन, बशर्ते कि एक कंपनी के रूप में शेयरधारकों द्वारा नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए संकल्प से किया जा सकता है, और इस संकल्प की सत्य प्रति के रूप में बैठक, जिसमें कि यह पारित हुआ हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रति महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 को प्रेषित की जाएगी और ऐसी प्रति को इस प्रकार की कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा।
- (ङ) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा नामांकन, उम्मीदवार के वैयक्तिक ब्यौरे सिंहत घोषणा के साथ होना चाहिए जो कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या रिजर्व बैंक के अधिकारी या अन्य राजपत्रित अधिकारी या एश्योरेन्स के पंजीयक या उप पंजीयक, मैजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, के समक्ष उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, इस सूचना में प्रस्तुत घोषणा और नामांकन के नमूने फॉर्म के अनुसार होना चाहिए और यह कि वह नामांकन स्वीकार करता है तथा चुनाव में खडे रहने के लिए इच्छुक है और यह कि वह बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 व राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 या बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियमावली 2004 के अंतर्गत निदेशक बनने के अयोग्य नहीं किया गया है और यह कि उसने अपने वैयक्तिक ब्यौरे जो कि उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है संलग्न किए हैं और यह कि वह घोषणा के अनुवर्तन में जानकारी से संगत कोई भी बात यथासंभव यथाशीघ्र बैंक को पूर्णतः अवगत करने की वचनबद्धता करता है।
- (च) नामांकन फॉर्म और घोषणा फॉर्म विनियम द्वारा निर्धारित अनुसार तथा संलग्न प्रपत्र के अनुसार हैं (प्रपत्र बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर भी उपलब्ध है)।

22. नामांकन फॉर्मों का प्रस्तुतीकरण

शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक के चुनाव में भाग लेने के इच्छुक शेयरधारक केन्द्र सरकार के अलावा तथा इसके अंतर्गत उल्लेख की गई शर्तों के अनुसार अर्हता प्राप्त शेयरधारक कृपया सूचना में संलग्न किए गए प्रपत्र में सीलबंद लिफाफे में जिस पर यह विशेष रूप से लिखा गया हो "शेयरधारक निदेशक हेतु नामांकन - एजीएम 2014" महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 को हर तरह से पूर्ण संबंधित/ संगत प्रलेख सिहत वार्षिक साधारण बैठक हेतु निर्धारित दिनांक से कम से कम 14 दिन पूर्व अर्थात गुरुवार 12 जून 2014 को बैंक के कार्यसमय के समापन अर्थात सायं. 5.00 बजे से पूर्व निम्निलिखित प्रस्तुत करें और ऐसा न करने पर नामांकनों को अस्वीकार किया जा सकता है।

- (क) विधिवत भरे हुए घोषणा फॉर्म
- (ख) चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र न्यूनतम एक सौ शेयरधारकों से नामांकन
- (ग) वैयक्तिक जानकारी, घोषणा और वचनपत्र (पीडीयू फॉर्म) और इसके साथ संबंधित दस्तावेज, विवरण पत्र यथा बायोडेटा, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव आदि के प्रमाण पत्र

23. नामांकनों की संवीक्षा

(i) नामांकनों की संवीक्षा नामांकनों के प्राप्त होने के लिए निर्धारित अंतिम दिनांक के आगामी पहले कार्यदिवस अर्थात शुक्रवार 13 जून 2014 को की जाएगी और कोई नामांकन वैध न पाए जाने की स्थिति में इसके कारणों को अभिलेखित करते हुए इसे अस्वीकृत किया जाएगा।



- (ii) वैयक्तिक जानकारी, घोषणा और वचनपत्र (पीडीयू फॉर्म) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 1 नवंबर 2007 तथा 23.05.2011 के "उपयुक्त और उचित" दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा समुचित सावधानी जांच के अधीन रहेगी।
- (iii) चुनाव के द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति के लिए यदि केवल एक नामांकन प्राप्त होता है तो इस प्रकार नामांकित उम्मीदवार को तत्काल प्रभाव से निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम और पता निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में इस प्रयोजन हेतु आयोजित बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और उम्मीदवार शनिवार 14 जून 2014 को कार्यभार ग्रहण करेगा।
- (iv) यदि वैध नामांकन, चयन किए जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक है, तो उम्मीदवारों के नाम समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा घोषित किया जाएगा तथा समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा और उम्मीदवार 27 जून 2014 को कार्यभार ग्रहण करेगा।
- (v) यदि इस संबंध में कोई विवाद है तो इसका बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियमावली 2004 के विनियम 67 के अनुसार निपटान किया जाएगा।

24. नामांकनों को वापस लेना

यदि कोई उम्मीदवार अपने नामांकन को वापस लेना चाहता है, तो बैंक के समापन समय से पूर्व अर्थात बुधवार 25 जून 2014 को सायं 5.00 बजे से पहले किसी भी समय पत्र या फैक्स भेज कर उसे ऐसा करने का अधिकार होगा।

25. मतदान का अधिकार

अधिनियम की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा समनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक उसके द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के एक प्रतिशत से अधिक से मतदान अधिकारों का इस्तेमाल करने का हकदार नहीं होगा।

उक्त के अधीन विनियम 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक जो कि बैठक के दिनांक से पूर्व निर्दिष्ट दिनांक (अर्थात शुक्रवार 30 मई 2014) को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हुआ है, उसे हाथ उठाकर एक वोट देने का अधिकार होगा और मतदान की स्थिति में अधिनियम की धारा 3 (2ई) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार मतदान की समग्र सीमा के अधीन उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट का अधिकार होगा।

विनियमों के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के संदर्भ में रिजस्टर में पहले नाम वाले व्यक्ति को एकल धारक माना जाएगा। अत: यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है तो केवल पहले नाम वाले व्यक्ति को ही बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा और बैठक में केवल उसी को मतदान करने का (मतदान या हाथ उठाने के द्वारा) अधिकार होगा।

26. शेयर धारकों से अनुरोध है कि बैठक में सूचना की उनकी प्रतियां साथ लाएं।



व्याख्यात्मक विवरण

मद क्र. 3

सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 की शर्तों के अधीन प्रस्तुत किया जानेवाला आवश्यक

व्याख्यात्मक विवरण और प्रकटन

क) वरीयता निर्गम के उद्देश्य -

पूंजी पर्याप्तता से संबद्ध बासल II और III के अनुपालन की दृष्टि से पूंजी उगाहने की बढ़ती हुई आवश्यकता सदैव रहती है। बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त बासल II और बासल III पूंजी आवश्यकताओं के अनुसार पूंजी पर्याप्तता बनाए रखता है।

बासल-II के अंतर्गत, भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार बैंक को जोखिम भारित आस्तियों (सीआरएआर) से पूंजी का अनुपात न्यूनतम 9 प्रतिशत रखना अनिवार्य है इसमें से कम से कम 6 प्रतिशत टियर - I पूंजी होनी चाहिए। 31 मार्च 2014 के बैंक के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बासल-II के अनुसार बैंक का कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.11 प्रतिशत था, जिसमें से टियर- I पूंजी पर्याप्तता अनुपात 7.75 प्रतिशत था। 31.03.2014 को बासल III के अंतर्गत कुल सीआरएआर 9.00 प्रतिशत अपेक्षित था जिसमें से सामान्य इक्विटी टियर - I 5.00% था और कुल टियर - I पूंजी अपेक्षा 6.50% थी। 31 मार्च 2014 को बैंक के लेखापरीक्षित विवरणों के अनुसार बासल- III के अनुसार बैंक का कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.79% था जिसमें से टियर- I पूंजी पर्याप्तता अनुपात 7.44% था (सामान्य इक्विटी टियर - I 6.69% रहा और अतिरिक्त टियर - I पूंजी 0.75% रही)।

बासल III के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकों से अपेक्षा है कि 31.03.2015 तक पूँजी का कम से कम 9% जोखिम-भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) के अंतर्गत रखें एवं 31.03.2019 तक इसमें धीरे-धीरे 11.50% तक की बढोतरी होगी, जिसके लिए 31.03.2015 से सामान्य इक्विटी टीयर I पूँजी की आवश्यकता 5.50% एवं कुल टीयर I पूँजी की आवश्यकता 7% होगी. 31.03.2016 से पूँजी संरक्षण भंडार के लागू होने से इक्विटी पूँजी के रूप में पूँजी की आवश्यकता बढ़ी है क्योंकि भंडार की आवश्यकता में वर्ष दर वर्ष, 31.03.2016 में 0.625% से 31.03.2019 में 2.50% की दर से बढोतरी हुई है, इसलिए कुल पूँजी आवश्यकता में 9% से 11.50% की वृद्धि हुई है।

बासल III कैप के हानि अवशोषित शर्त, आईपीडीआई एवं टीयर II बांड की बढोतरी के सीमित गुंजाइश एवं बासल III के अंतर्गत इक्विटी पूँजी के रूप में बढती पूँजी की आवश्यकता एवं व्यवसाय विकास की निरंतरता बनाए रखने के लिए, बैंक को पूँजी की अतिरिक्त आवश्यकता होने का अनुमान है और इसलिए जुटाई गई पूँजी का इस्तेमाल व्यापार विकास हेतु पूँजी पर्याप्तता की पूर्ति हेतु किया जाएगा।

- क) भारत सरकार ने अपने सतत गैर-संचयी अधिमान शेयर पूँजी (पीएनसीपीएस) के इक्विटी शेयरों में रूपांतरित करने का प्रस्ताव रखा है. पीएनसीपीएस के रूपांतरित होने के पश्चात् प्रस्तावित इक्विटी शेयर अधिमान निर्गम के माध्यम से बैंक के प्रवर्तक, भारत सरकार को आबंटित की जाएगी।
- ख) बैंक ने निकट भविष्य में अधिमान निर्गम द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम और/ भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न योजनाओं को इक्विटी शेयरों का आवंटन कर अपनी निधि को मजबूती प्रदान करने के लिए अतिरिक्त इक्विटी पूँजी प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है।

पीएनसीपीएस के रूपांतरण के लिए कुल रू. 588 करोड़ का प्रस्ताव

भारत सरकार ने बैंक के सतत गैर-संचयी अधिमान शेयर हेतु बैंक को कुल रू.588 करोड़ की निधि प्रदान की है। बैंक ने प्रत्येक रू.10,00,000 अंकित मूल्य के 5880 अधिमान शेयर रेपो दर के न्यूनतम मानदंड पर एक कूपन के साथ जारी किया है जिसे संबंधित तारीख को 100 आधार अंकों के प्रसार के साथ लागू रेपो दर पर वार्षिक रूप से पुन: समायोजित किया जाएगा।

बासल III मानदंड के अनुसार टीयर I पूँजी के अंतर्गत भारत सरकार के सतत गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीनएनसीपीएस) के कुल अंकित मूल्य रू. 588 करोड़ को 100% मान्यता नहीं दी जाएगी। तदनुसार, बासल III की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बैंक ने भारत सरकार से अपने संपूर्ण पीनएनसीपीएस को इक्विटी में रूपांतरित करने के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया था। इसके अतिरिक्त पीनएनसीपीएस के इक्विटी में रूपांतरण से टीयर I/ टीयर II पूँजी के तहत बासल III के अन्तर्गत शिकायत बांडों को ऊपर उठाने हेतु शीर्ष का निर्माण किया जाएगा और पात्र संस्थागत क्रमस्थानों (क्यूआईपी)/सार्वजनिक प्रस्तावों के जिए इक्विटी जारी करने के लिए गुंजाइश रहेगा। भारत सरकार ने अपने दिनांक 16 अप्रैल 2014 के पत्र क्रमांक एफ.क्र.11/17/2013-बीओए द्वारा शेयरधारकों, सेबी एवं अन्य प्राधिकारियों के अनुमोदन के अधीन पीएनसीपीएस के इक्विटी में रूपांतरण की स्वीकृति दे दी है।

पीएनसीपीएस के इक्विटी में रूपांतरण से भारत सरकार के बहिर्गमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।



31 मार्च 2014 को जोखिम भारित आस्तियों के लिए पूंजी निधि निम्नानुसार है-

विवरण	राशि करोड (रुपए) में	जोखिम भारित आस्ति हेतु पूंजी निधि का % (बासल — III)
जोखिम भारित आस्तियां	84,384.15	
सामान्य इक्विटी पूंजी	5,640.70	6.69
अतिरिक्त टियर I	635.85	0.75
टियर- I पूंजी	6,277.54	7.44
टियर -II पूंजी	2,826.87	3.35
टियर-III पूंजी	9,104.41	10.79

- क. सेबी (आईसीडीआर) विनियमावली, 2009 के पाठ VII के अनुसार निर्गम मूल्य का निर्धारण किया गया है।
- ख. ईक्विटी शेयरों के अधिमान निर्गम से पूर्व एवं पश्चात बैंक की शेयरधारिता पद्धति:

क्र.सं.	श्रेणी	निर्गम से पूर्व 31 मार्च 2014 की स्थिति		निर्गम उपरांत 30 जून 2014 की स्थिति		
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का $^{9\!\!/_{\!$	
क	प्रवर्तक की धारिता					
1	प्रवर्तक					
	भारत सरकार	715010200	85.21	848373774	79.80	
	विदेशी प्रवर्तक	-	-	-	-	
2	संगठित रूप से कार्यरत व्यक्ति	-	-	-	-	
	उप जोड़	715010200	85.21	848373774	79.80	
ख	गैर प्रवर्तक धारिता					
3	संस्थागत निवेशक					
क	म्युच्युअल फंड और यूटीआई	961271	0.11	961271	0.09	
ख	बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां (केंद्र/ राज्य सरकारी संस्थाएं/ गैर-सरकारी संस्थाएं)	58333449	6.95	149056969	14.02	
ग	वित्तीय संस्थागत निवेशक (एफआईआई)	4014024	0.48	4014024	0.38	
	उप जोड़	63308744	7.54	154032264	14.49	
4	अन्य					
क	निजी कारपोरेट निकाय	6843222	0.82	6843222	0.64	
ख	भारतीय जनता	52322411	6.23	52322411	4.92	
ग	एनआरआई/ओसीबी	1484150	0.18	1484150	0.14	
घ	अन्य कोई	127100	0.02	127100	0.01	
	उप जोड़	60776883	7.25	60776883	5.71	
	कुल जोड़	839095827	100.00	1063182921	100.00	



- ग. सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 में दी गई निर्धारित समय सीमा में निर्गम की प्रक्रिया को पूरा करने हेतु बैंक प्रयासरत है।
- घ. चूंकि भारतीय जीवन बीमा निगम और बैंक के प्रवर्तक और प्रमुख शेयरधारक, भारत सरकार, को निर्गम प्रस्तावित है, अतः नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। निर्गम से पूर्व एवं पश्चात भारत सरकार की शेयरधारिता निम्नानुसार होगी:

	शेयरों की संख्या	पूंजी से %
निर्गम से पूर्व (यथा 31.03.2014 को)	715010200	85.21
निर्गम के पश्चात	848373774	79.80

निर्गम से पूर्व एवं पश्चात भारतीय जीवन बीमा निगम की शेयरधारिता निम्नानुसार होगी:

	शेयरों की संख्या	पूंजी से %
निर्गम से पूर्व (यथा 31.03.2014 को)	56063963	6.68
निर्गम के पश्चात	146787483	13.81

- ड. बैंक का ईक्विटी शेयर छ: महीने से अधिक समय से सूचीबद्ध है और तदनुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियमावली, 2009 के विनियम 76 (3) और 78 (5) के प्रावधान लागू नहीं हैं।
- च. अधिमानी निर्गम के अंतर्गत भारत सरकार को जारी और आबंटित किए जाने वाले सभी प्रस्तावित शेयर, इक्विटी शेयरों के "क्रय-विक्रय अनुमोदन" की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अवरुद्ध रहेंगे और भारतीय जीवन बीमा निगम को आबंटित शेयर नए इक्विटी शेयरों के क्रय-विक्रय अनुमोदन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए अवरुद्ध रहेंगे।
- छ. भारत सरकार की संपूर्ण पूर्व-अधिमानी शेयर धारिता ईक्विटी शेयरों के आबंटन की तारीख से छह माह की अवधि, जो संबंधित तारीख से प्रारंभ होगी, के लिए अवरूद्ध रहेगी।
- ज. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र असाधारण सामान्य बैठक में रखा जाएगा कि निर्गम इन विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार जारी किया जा रहा है।
- झ. बैंक स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीकरण करार में विनिर्दिष्ट किए अनुसार ईक्विटी शेयरों की निरंतर सूचीकरण शर्तों का अनुपालन कर रहा है।
- त्र. भारत सरकार ने संबद्ध तारीख से पूर्व छह माह के दौरान बैंक के किसी ईक्विटी शेयर की बिक्री नहीं की है। साथ ही, जारीकर्ता बैंक मे भारत सरकार द्वारा धारित सभी ईक्विटी शेयर बेकागजीकृत स्वरूप में हैं ।
- ट. सार्वजनिक हित के साथ बीमा कंपनी के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को सेबी आईसीडीआर विनियम 2009 के विनियम 72(2), जो संबंधित दिनांक के पूर्ववर्ती छ: माहों के दौरान इक्विटी शेयरों का विक्रय न किए जाने से संबंधित है, के प्रावधानों से छूट दी गई है।
- निदेशक मंडल नोटिस में उल्लेख किए गए विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करता है।
- ड. संकल्प में निहित प्रस्ताव से बैंक के किसी भी निदेशक का कोई संबंध नहीं है या उनका कोई हित नहीं जुड़ा है।

मद क्रमांक 4 : एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन

निदेशक के निर्वाचन के हेतु शेयरधारकों के अधिकार

भारत सरकार के अलावा शेयरधारक बैंक की 14.79% शेयर पूंजी धारित करते हैं। बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम एक शेयरधारक के लिए पात्र है।

शेयरधारकों (केन्द्र सरकार के अलावा) द्वारा निर्वाचित दो निदेशकों डॉ. दिनेश शांतिलाल पटेल और डॉ. आर.के. अग्रवाल का कार्यकाल 31.01.2014 को समाप्त हो गया।

तदनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक के निर्वाचन के लिए आवश्यक संकल्प पारित करने हेतु वार्षिक सामान्य बैठक के लिए नोटिस में एजेंडा की एक मद शामिल की गई।



अतः शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अलावा) विभिन्न और संबंधित अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना में दी गई प्रक्रिया के अनुसार उनके नामांकन भेजने के लिए पात्र हैं, जिनके संगत अंश नीचे दिए गए हैं।

अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 16 (1)	• सामान्य निदेशकों का निषेध
	धारा 20	• इसके किसी भी निदेशकों को या उनकी ओर से किसी
		को ऋण या अग्रिम प्रदान करने पर प्रतिबंध
	धारा 51	• समनुरूपी नए बैंक को अधिनियमों की कतिपय धाराओं
		की प्रयोज्यता।
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और	धारा 3 (2ई)	• मतदान करने के अधिकार पर प्रतिबंध
अंतरण) अधिनियम 1970	धारा 9(3)(i)	• शेयरधारकों द्वारा चयन किए जाने वाले निदेशकों की संख्या
	धारा ९(३ए) (ए) से (सी)	• कतिपय क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान
	धारा ९(३एए)	• कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए
	धारा 9(3 एबी)	तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि पूर्व अभिलेख,
	धारा 9 (3बी)	सत्यनिष्ठा और ऐसे अन्य मानदंडों के अधीन, जो कि
	धारा 13 (2)	भारतीय रिज़र्व बैंक निर्धारित करे, उसे उपयुक्त तथा
		उचित स्थिति का व्यक्ति न माना जाए।
		• इस प्रकार चयनित निदेशक, जो कि उक्त अधिनियम की
		धारा 9(3) और 9(3 एए) की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं
		करता, उसे हटाने का भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार।
		• निष्ठा और गोपनीयता की बाध्यता
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना		• चयनित निदेशकों की कार्यालय अवधि
1970	खंड 10	• बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने की अयोग्यता
	खंड 11	• निदेशक के कार्यालय की रिक्ति
	खंड ११ए	• चयनित निदेशक के कार्यालय से हटाया जाना
	खंड 11बी	• चयनित निदेशक के कार्यालय की रिक्तियों को भरना
	खंड 12(8)	• कतिपय व्यवस्थाओं में निदेशकों द्वारा, जिनके लिए वे
4:		इच्छुक हैं, हितों का विगोपन
बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियम,	विनियम 10	• संयुक्त धारकों के अधिकारों का निष्पादन
2004	विनियम 61	• मतदान पर आम बैठक
	विनियम 61ए	• मतदान के संवीक्षक
	विनियम 61बी	• मतदान आयोजित करने की पद्धति और इसके परिणाम
	विनियम 63	 निदेशक आम बैठकों में चुने जाएंगे शेयरधारकों की सूची
	विनियम 64	• निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों का नामांकन
	विनियम 65	• नामांकनों की संवीक्षा
	विनियम 66	• निर्वाचन से संबंधित विवाद
	विनियम 67	• मतदान अधिकारों का निर्धारण
	विनियम 68	• विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान
	विनियम 69	• प्रॉक्सियां
	विनियम 70	



भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना क्र. डीबीओडी क्र.बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा क्र. डीबीओडी. बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनयम 1970 बैंकिंग की धारा 9(3एए) व धारा 9(3एबी) के अनुसरण में

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड पर चयनित निदेशकों हेतु उपयुक्त और अंतरण) अधिनयम 1970 बैंकिंग तथा उचित मानदंड

शेयरधारकों की सुविधा के लिए विनियम अधिनियम, अधिनियम, योजना और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना क्र.डीबीओडी.क्र.बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा क्र. डीबीओडी. बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 इसके साथ संलग्न हैं।

नामांकनों की संवीक्षा के उपरांत एक निदेशक को निर्वाचित किया जाएगा या निर्वाचित माना जाएगा, (यदि वैध नामांकनों की संख्या रिक्तियों के समान है) तथा उनके द्वारा शनिवार 14 जून 2014 से अथवा यदि अम्मीदवार अधिक हैं, तो 26 जून 2014 के अनुवर्ती चुनाव से कार्यभार संभाला जाएगा । ऐसे निर्वाचन के उपरांत उनके द्वारा 27 जून 2014 से 3 (तीन) वर्षों के लिए कार्यभार संभाला जाएगा।

निदेशकों का हित

बैंक का कोई भी निदेशक और बैंक के ऐसे पात्र निदेशक जो निर्वाचन में हिस्सा ले सकते हैं, उनकी शेयरधारिता की सीमा के अतिरिक्त, कार्य-व्यवहार के उपर उल्लेख किए गए मद के प्रति रूचि या संबंध नहीं रखते हैं।

निदेशकों का निर्वाचन संबंधित अधिनियमों, योजना और विनियमों आदि का सार

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

सामान्य निदेशकों का निषेध- धारा 16 (1)

भारत में कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने निदेशक मंडल में ऐसे किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नहीं ले सकती जो किसी अन्य बैंक में निदेशक हो।

ऋण और अग्रिमों पर प्रतिबंध - धारा 20

- 1. कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी कोई बैंकिंग कंपनी
 - क. अपने ही शेयरों की प्रतिभृति पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं करेगी अथवा
 - ख. निम्नलिखित को या उसकी ओर से न तो किसी प्रकार का ऋण या अग्निम प्रदान करेगी और न ही वचनबद्धता करेगी
 - i. अपने किसी निदेशक
 - ii. कोई भी फर्म जिसमें उसका कोई निदेशक किसी साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीदाता के रूप में हित रखता हो या
 - iiii. कोई ऐसी कंपनी, जो बैंक की अनुषंगी न हो या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत हो या सरकारी कंपनी हो (या जिसकी अनुषंगी या जिसकी धारक कंपनी), जिसमें बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक प्रबंधक, कर्मचारी या निदेशक अथवा गारंटीदाता हो या जिसमें यह पर्याप्त रूप से हितबद्ध हो अथवा
 - iv. ऐसा कोई व्यक्ति जिससे उसका कोई निदेशक साझेदार या गारंटीदाता के रूप में हितबद्ध हो
- 2. अगर िकसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर ऋण या अग्रिम इस प्रकृति का है िक जिस दिन ऋण या अग्रिम प्रदान िकया गया था उस ितिथ को उपधारा (1) के खंड (ख) के लागू होने की स्थिति में उसे मंजूर करने का वचन नहीं दिया जा सकता था अथवा वह िकसी बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनयम 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के आरंभ के पूर्व हुई वचनबद्धता के अनुसरण में मंजूर िकया गया हो तो बैंकिंग कंपनी को मूल रकम पर देय ब्याज, यदि कोई हो, सिहत ऋण या अग्रिम देते समय निर्धारित अविध के भीतर या जहाँ ऐसी कोई अविधि निर्धारित नहीं की गई हो वहाँ उक्त धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष पूरा होने के पूर्व वसुली हेतु उपाय िकए जाने चाहिए।



बशर्ते कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संदर्भ में उसके पास किए गए लिखित आवेदन पर किसी मामले में ऋण या अग्रिम की वसूली अवधि को ऐसी तिथि तक बढ़ा सकता है जो उपर्युक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से तीन वर्ष से अधिक की अवधि की तिथि न हो। यह विस्तार ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन होगा जिन्हे भारतीय रिज़र्व बैंक उचित समझे।

यह भी शर्त है कि यह उपधारा संबंधित निदेशक की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से बैंकिंग कंपनी के निदेशक का पद रिक्त करने पर लागू नहीं होती है।

- उपधारा (2) या उसके किसी भी भाग में उल्लिखित कोई भी ऋण या अग्रिम भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना भेजा नहीं जाएगा तथा ऐसे अनुमोदन के बिना किया गया कोई भी प्रेषण अमान्य व अप्रभावी होगा।
- 4. जहाँ उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी भी व्यक्ति द्वारा देय हो तो उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट अविध के भीतर बैिंकंग कंपनी को चुकौती न किए जाने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को उक्त अविध की समाप्ति की तिथि को बैंकिंग कंपनी का निदेशक होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि जैसे उसने अपना पद रिक्त कर दिया हो।

इस धारा में व्याख्या

- क. **"ऋण या अग्रिम**" में कोई भी ऐसा संव्यवहार शामिल नहीं होगा जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक संव्यवहार के स्वरूप, उक्त संव्यवहार के कारण देय होने वाली किसी भी रकम की वसूली के संभावित समय व उसकी विधि तथा परिस्थितियों, जमाकर्ताओं के हितों और प्रासंगिक प्रतिफलों पर विचार करते हुए इस धारा के प्रयोजन हेतु ऋण या अग्रिम न होने का सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा उल्लेख कर सकें।
- ख. "निदेशक" से तात्पर्य प्रबंध करने के उद्देश्य से अथवा प्रबंधन को उसके सभी या किसी कार्य के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से भारत में बैंकिंग कंपनी द्वारा गठित किसी मण्डल या समिति का सदस्य।
- 5. अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि इस धारा के उद्देश्य के लिए कोई संव्यवहार ऋण है अथवा अग्रिम तो मामला भारतीय रिजंव बैंक को प्रेषित किया जाएगा और इस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 51 समनुरूपी नए बैंक हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम की कतिपय धाराओं की प्रयोज्यता का उल्लेख करती है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970

मताधिकार पर प्रतिबंध - धारा 3 (2 ई)

केंद्र सरकार को छोड़कर समनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक उक्त समनुरूपी नए बैंक के सभी शेयरधरकों के कुल मताधिकार के लिए दस प्रतिशत से अधिक उनके द्वारा धारित किसी शेयर के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

निदेशक मंडल का गठन - धारा 9 (3) (i)

जहाँ धारा 3 की उपधारा (2ख) के खंड (ग) के अंतर्गत पूँजी जारी की गई है-

- i. कुल प्रदत्त पूँजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं, एक निदेशक से अधिक नहीं।
- ii. कुल प्रदत्त पूँजी के सोलह प्रतिशत से अधिक किंतु बत्तीस प्रतिशत से अधिक नहीं, दो निदेशकों से अधिक नहीं।
- iiii. कुल प्रदत्त पूँजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक, तीन निदेशकों से अधिक नहीं।

केंद्र सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारकों द्वारा अपने बीच से ही निर्वाचन करना होगा।

बशर्ते कि इस खण्ड के अंतर्गत ऐसे किसी निदेशक के निर्वाचन के बाद कार्यभार ग्रहण करने पर इस योजना में विशिष्ट रूप से दिए गए अनुसार खंड (एच) के अंतर्गत नामित निदेशकों को समसंख्या में निवृत्त होना चाहिए।

बशर्ते यह भी कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनयम 2006 के प्रारंभ पर या उससे पूर्व, एक समनुरूपी नए बैंक में, निर्वीचित निदेशकों की संख्या उप-खंड (I) या उप-खंड (II) या उप-खंड (III), में निर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से अधिक होने की स्थिति में, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे प्रारंभ से पूर्व निर्वाचित ऐसी अधिक संख्या वाले निदेशक, योजना में निर्दिष्ट की गई प्रक्रिया के अनुसार सेवानिवृत्त होंगे और ऐसे निदेशक अपने कार्यकाल से पूर्व निवृत्त होने के लिए किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने हेतु पात्र नहीं होंगे।



कतिपय क्षेत्रों में विशेष योग्यता - धारा 9(3 ए)

खंड (आई) के अंतर्गत निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक -

- क. निम्नलिखित विषयों में से एक या एक से अधिक विषयों के संबंध में विशेष योग्यता या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हों
 - i. कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - ii. बैंकिंग
 - iiii. सहकारिता
 - iv. अर्थशास्त्र
 - v. वित्त
 - vi. विधि
 - vii. लघु उद्योग
 - viii. किसी अन्य विषय में विशेष ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में समनुरूपी नए बैंक के लिए उपयोगी हो
- ख. जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधत्व करें या
- ग. किसानों, कामगारों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधत्व करे

उपयुक्त और उचित स्थिति

धारा - 9(3 एए)

उपधारा (3ए) के प्रावधानों पर किसी पूर्वाग्रह के बिना और इस अधिनियम व फिलहाल प्रचलित किसी अन्य कानून में विपरीत समाहित किसी बात पर विचार किए बिना, कोई भी व्यक्ति उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु पात्र नहीं होगा जब तक कि वह पूर्व-वृत्त, ईमानदारी और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर सूचित किए ऐसे अन्य मापदंड के आधार पर उपयुक्त और उचित स्थिति न रखता हो।

धारा - 9(3एबी)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उपधारा (3एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में, उपयुक्त और उचित स्थिति के निर्धारण हेतु प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण का प्रकार, ऐसे निर्धारण हेतु अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे अन्य मामले, जो उसमें आवश्यक या प्रासंगिक माने गए हों, निर्दिष्ट कर सकता है।

किसी निदेशक को हटाने का भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार - धारा 9(3बी)

जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में समनुरूपी नए बैंक में उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निर्वाचित कोई निदेशक उपधारा 3(ए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो वह, ऐसे निदेशक तथा बैंक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकता है और इस प्रकार हटाए जाने पर, अगली वार्षिक सामान्य बैठक में समनुरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा एक निदेशक को समुचित रूप से निर्वाचित किए जाने तक निदेशक मंडल उपधारा (3ए) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक की तरह सह-विकल्प के रूप में लेगा और यह माना जाएगा कि ऐसा सह-विकल्प के रूप में लिया गया व्यक्ति समनुरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में समुचित रूप से निर्वाचित किया गया है।

निष्ठा एवं गोपनीयता का दायित्व - धारा 13(2)

प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या किसी समिति का सदस्य, समनुरूपी नए बैंक के लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्म में निष्ठा व गोपनीयता की घोषणा करेंगे।



राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970

निर्वाचित निदेशक का सेवाकाल — खंड 9(4)

निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों के लिए पद पर रहेगा और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा बशर्ते कि ऐसा कोई निदेशक लगातार छ: वर्षों के लिए पद धारित नहीं करेगा

निदेशकों हेतु अयोग्यता - खंड 10

किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने और निदेशक बनने से अयोग्य ठहराया जाएगा

- क. यदि वह व्यक्ति किसी समय दिवालिया करार दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोक रखा हो या इससे संबद्ध हो
- ख. वह अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने इस बात की घोषणा की हो या
- ग. यदि किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े अपराध में किसी न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया हो
- घ. यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता हो किंतु अपवादस्वरूप वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के (ई) व (एफ) खंडों के अंतर्गत नामित निदेशकों और प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक का पद छोड़कर कोई अन्य पद धारित करता हो।

निदेशक का पद रिक्त होना - खंड 11

- यदि कोई निदेशक खंड 10 में विनिर्दिष्ट किन्ही अनर्हताओं के अधीन आता है या बोर्ड से अनुमित लिए बिना लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता हो तो उसके संबंध में यह माना जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है और तदुपरांत वह पद रिक्त हो गया है।
- 2. अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (बी) या खण्ड (सी) में संदर्भित अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक निदेशक सिंहत प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक, केंद्र सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर यह माना जाएगा कि वह पद रिक्त हो गया है और अन्य कोई निदेशक लिखित रूप से केंद्र सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र केंद्र सरकार द्वारा त्यागपत्र के संप्रेषण की प्राप्ति से प्रभावी होगा।
- 3. उपरोक्त उपखण्डों के प्रावधानों के प्रति कोई पूर्वाग्रह के बिना अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (ई) और (एफ) में संदर्भित निदेशक का पद उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसका वह निदेशक है, के कर्मचारी के अलावा कामगार या कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त होते ही रिक्त हो जाएगा।
- 4. जहाँ निर्वाचित निदेशक के अलावा, निदेशक के पद की कोई रिक्ति हो जाती है तो वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसार भरी जाएगी।

निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना - खंड 11 क

केंद्र सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारक, ऐसे सभी शेयरधारकों द्वारा धारित कुल शेयर पूँजी का कम से कम आधा भाग धारित करने वाले शेयरधारकों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (आई) के तहत निर्वाचित किसी निदेशक को हटा सकते हैं और उसके स्थान पर रिक्ति को भरने हेतु दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं।

निर्वाचित निदेशक के पद की रिक्ति भरना — खंड 11 ख

- जहाँ किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अविध की समाप्ति से पहले कोई रिक्ति होती है तो रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी।
 बशर्ते कि जहाँ रिक्ति की अविध छ: मिहनों से कम रहने की संभावना है वहाँ शेष निदेशकों द्वारा उक्त रिक्ति भरी जा सकती है
- 2. उपखंड (1) के अंतर्गत, मामले के अनुसार, निर्वाचित या सह-नियुक्त व्यक्ति अपने पूर्वीधिकारी के कार्यकाल की शेष अविध के लिए पदग्रहण करेगा।



निदेशकों द्वारा हितों की घोषणा - खंड 12(8)

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से की गई या प्रस्तावित किसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध या हित रखनेवाला कोई निदेशक संबंधित परिस्थितियों का ज्ञान होने के बाद यथाशीघ्र मंडल को अपने हित का स्वरूप घोषित करेगा और जब तक कोई सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जाएगी तब तक वह ऐसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर चर्चा करते समय मंडल की बैठक में उपस्थित नहीं होगा और इस तरह ऐसा कोई निदेशक उपस्थित रहने पर ऐसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

बशर्ते कि इस उपखंड में दी गई कोई भी बात ऐसे निदेशकों पर मात्र इसलिए लागू नहीं होगी कि वह-

- i. कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) में पिरभाषित किसी सार्वजिनिक कंपनी या भारत में तत्समय लागू किसी विधि द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित िकसी निगम या किसी सरकारी सिमिति में जिसके साथ या जिसमें उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक की कोई संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव िकया हो या करने का प्रस्ताव रखता हो, प्रदत्त पूँजी का दो प्रतिशत धारित करने वाला शेयरधारक (निदेशक के अलावा) है, या
- ii. राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी या अन्य कर्मचारी यदि इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) या (एफ) के अधीन नियुक्त निदेशक है

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियमावली 2004

संयुक्त धारकों के अधिकारों का निष्पादन

विनियम 10

यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम से हैं, तो शेयरों के अंतरण को छोड़कर मतदान, लाभांश की प्राप्ति, सूचनाएं भेजना और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से संबंधित ऐसे सभी या किसी भी मामले के संबंध में रजिस्टर में लिखे गए पहले नाम वाले व्यक्ति को उसका एकल धारक माना जाएगा।

आम बैठक में चुने जाने वाले निदेशक

विनियम 63

- अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (आई) के अधीन बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सामान्य बैठक में केंद्र सरकार को छोड़कर रिजस्टर में दर्ज शेयरधारकों द्वारा अपने में से ही निदेशक चुन लिया जाएगा।
- 2. जहाँ किसी सामान्य बैठक में निदेशक का चुनाव होने वाला हो, जिसका नोटिस बैठक के आयोजन संबंधी नोटिस में ही जोड़ दिया जाएगा, इस प्रकार के हर नोटिस में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या और रिक्तियों के विवरण, जिसके लिए चुनाव होने वाला हो, भी दिए जाएंगे।

शेयरधारकों की सूची

विनियम 64

- i. इन विनियमों के विनियम 63 के उप विनियम (i) के अधीन निदेशक के चुनाव हेतु रजिस्टर से उन शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी, जिनके द्वारा निदेशक का चुनाव किया जाना है।
- ii. इस सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और विनिर्दिष्ट संख्या, शेयरों को पंजीकृत करने की तारीख और उस बैठक के लिए निर्धारित तारीख जिसमें यह चुनाव होगा, उस बैठक में जितने मतों के लिए वे हकदार होंगे उन मतों की संख्या आदि शामिल होंगे और इस सूची की प्रतियाँ खरीदे जाने हेतु, बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले से निदेशक मंडल या प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर, प्रधान कार्यालय से आवेदन करने पर, उपलब्ध कराई जाएगी।

चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

विनियम 65

- 1. निदेशक के रूप में चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन तभी वैध होगा जब,
 - (क) वह बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कम से कम 100 (एक सौ) शेयर रखनेवाला शेयरधारक हो।



- (ख) उसे नामांकन प्राप्त करने की अंतिम दिनांक को अधिनियम के अधीन या योजना के अधीन निदेशक बनने के लिए अयोग्य न ठहराया गया हो।
- (ग) उसने अपने द्वारा, चाहे अकेले या अन्यों के साथ संयुक्त रूप से, धारित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरों के संबंध में मांग राशि अदा करने के लिए निश्चित अंतिम दिनांक को या उससे पूर्व मांग राशि अदा कर दी हो।
- (घ) नामांकन, इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को चुनने का अधिकार रखने वाले कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा विधिवत संगठित अधिवक्ता (अटॉर्नी) द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में हों बशर्ते कि कोई शेयरधारक, जो एक कंपनी हो, कथित कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकेगा और जहाँ ऐसा किया जाता हो वहाँ जिस बैठक में उक्त संकल्प पारित किया गया हो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सत्य प्रति के रूप में सत्यापित कर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा और उक्त प्रति को संबंधित कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा।
- (इ) नामांकन में या उसके साथ उम्मीदवार द्वारा किसी न्यायाधीश, एश्योरेंसेज के पंजीयक या उपपंजीयक या किसी अन्य राजपित्रत अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित इस आशय का एक घोषणापत्र हो कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़े होने का इच्छुक है और यह कि उसे अधिनियम के तहत या योजना या इन विनियमों के तहत निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
- (च) कोई नामांकन तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि वह हर तरह से पूर्ण सभी संबंधित दस्तावेज सहित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए निश्चित दिनांक से पहले चौदह दिनों के भीतर किसी कार्य दिवस को प्राप्त नहीं होता।

नामांकनों की संवीक्षा

विनियम 66

- i. नामांकनों के प्राप्ति के निश्चित दिनांक के पश्चात प्रथम कार्य दिवस को उनकी संवीक्षा की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसका कारण दर्ज करने के बाद उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि चुनाव द्वारा भरे जाने वाले किसी विशेष रिक्त स्थान के लिए एक ही वैध नामांकन प्राप्त हो तो इस तरह से नामांकित उम्मीदवार को तत्काल प्रभाव से निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम व पता निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में इस प्रयोजन हेतु आयोजित बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक उपर्युक्त चुनाव के प्रयोजन से ही बुलाई गई हो तो वह रद्द हो जाएगी।
- ii. चुनाव होने की स्थिति में, यदि वैध नामांकन चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक हों तो जिस उम्मीदवार को अधिकतम मत मिलेंगे उसे निर्वाचित माना जाएगा।
- iii. वर्तमान रिक्त स्थान भरने के लिए निर्वाचित निदेशक के लिए यह मान लिया जाएगा कि उसने निर्वाचित होने या निर्वाचित माने जाने के दिन से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है।

चुनाव संबंधी विवाद

विनियम 67

- i. निर्वाचित माने गए या घोषित व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता अथवा िकसी निर्देशक के चुनाव की वैधता के संबंध में यदि कोई संदेह या विवाद उठाया गया है तो कोई इच्छुक व्यक्ति, जो ऐसे चुनाव में उम्मीदवार या मतदान का अधिकार रखने वाला शेयरधारक हो, ऐसे चुनाव के पिरणाम की घोषणा के दिनांक से 7 दिनों के भीतर इसकी लिखित सूचना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को भेज सकता है और ऐसी सूचना में उन सभी आधारों का संपूर्ण ब्योरा दे जिनकी वजह से उस चुनाव की वैधता पर संदेह या विवाद उठाया गया हो।
- ii. उप विनियम (i) के तहत सूचना की प्राप्ति पर इसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे निर्णय पर संदेह या विवाद को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक व अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ख) और (ग) के तहत नामित दो निदेशकों से बनी समिति को संदर्भित करेंगे।
- iii. उप विनियम (ii) में संदर्भित समिति आवश्यकतानुसार जाँच करेगी और यदि वह पाती है कि चुनाव वैध चुनाव था तो वह घोषित परिणाम की पृष्टि करेगी या यदि वह पाती है कि चुनाव वैध चुनाव नहीं था तो वह जाँच आरंभ करने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर पुन:



चुनाव कराने का आदेश बनाएगी और नए चुनाव कराने सिहत ऐसे अनुदेश देगी जो सिमिति को उस परिस्थिति में न्यायसंगत प्रतीत हों। iv. इस विनियम के अनुसरण में ऐसी सिमिति के आदेश और निर्देश अंतिम होंगे।

शेयरधारकों के मतदान अधिकार

मतदान अधिकारों का निर्धारण

विनियम 68

- i. अधिनियम की धारा 3 (2ई) में निहित उपबंधों में प्रत्येक शेयरधारक, जिसका आम बैठक के दिनांक से पूर्व रिजस्टर बंद होने के दिनांक तक शेयरधारक के रूप में पंजीकरण हुआ हो वह ऐसी बैठक में हाथ उठाकर एक मत और मतदान होने की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत दे सकेगा।
- ii. अधिनियम की धारा 3 (2ई) में निहित उपबंधों में प्रत्येक शेयरधारक जो उपर्युक्त कथन के अनुसार व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हक रखता है और जो कि एक कंपनी न हो व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी के जिरए उपस्थित हो या जो एक कंपनी हो तो विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित हो तो प्रत्येक शेयरधारक हाथ उठाकर एक मत दे सकेगा और मतदान होने की स्थिति में उपर विनियम (i) में दर्शाए अनुसार उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत दे सकेगा।

व्याख्या - इस अध्याय के लिए कंपनी से आशय कोई निगमित निकाय है।

iii. आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार रखने वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारक उनके बदले में बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपने प्रॉक्सी के रूप में किसी और व्यक्ति को (चाहे शेयरधारक हो या नहीं) नियुक्त करने का अधिकार रखते हैं, परंतु इस तरह नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का हक नहीं होगा।

विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

विनियम 69

- i. ऐसा शेयरधारक, जो केंद्र सरकार या एक कंपनी हो, मामले के अनुसार, संकल्प द्वारा किसी आम बैठक में प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपने किसी पदाधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस तरह प्राधिकृत व्यक्ति को (इन विनियमों में "विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में संदर्भित) केंद्र सरकार या कंपनी, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो, की तरफ से उन सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा जैसे कि वह बैंक ऑफ महाराष्ट्र का व्यक्तिगत शेयरधारक हो। इस तरह दिया गया प्राधिकार वैकिल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसे मामले में इनमें से कोई व्यक्ति केंद्र सरकार/ कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।
- ii. कोई भी व्यक्ति तब तक कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की किसी बैठक में भाग नहीं ले सकेगा और मतदान नहीं कर सकेगा, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए जिस बैठक में संकल्प पारित किया गया है, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सत्य प्रति के रूप में सत्यापित कर उसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय को बैठक के लिए निश्चित तिथि से चार दिन पहले जमा नहीं कर दिया जाता।

प्रॉक्सियाँ

विनियम 70

(i) प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि एकल शेयरधारक की स्थिति में उसके द्वारा स्वयं या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अधिवक्ता (अटॉर्नी) द्वारा हस्ताक्षरित न हो, या संयुक्त धारकों की स्थिति में, यह रजिस्टर में लिखे गए पहले नाम वाले शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अधिवक्ता (अटॉर्नी) द्वारा हस्ताक्षरित न हो या निगमित निकाय की स्थिति में इसके अधिकारी द्वारा या उसके लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अधिवक्ता (अटॉर्नी) द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

प्रॉक्सी का एक लिखत, ऐसे शेयरधारक द्वारा जो किसी कारणवश, अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माना



जाएगा यदि उसका चिन्ह वहाँ अंकित हो और उसे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एश्योरेंसेज के पंजीयक या उप पंजीयक या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो।

- (ii) कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह यथोचित रूप से स्टाम्प न लगे हो और मुख्तारनामा या किसी अन्य प्राधिकार की प्रति के साथ, जिसके अंतर्गत उस पर हस्ताक्षर किए गए है, की एक प्रति या उस मुख्तारनामे या किसी अन्य प्राधिकार की नोटरी पब्लिक या मिजस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित एक प्रति, जो पूर्व में ही बैंक के पास जमा और पंजीकृत हो, बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम 4 दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा न करा दी जाए ।
- (iii) प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह फॉर्म "बी" में न हो।
- (iv) बैंक के पास जमा प्रॉक्सी का कोई भी लिखत अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा।
- (v) वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों को प्रदत्त प्रॉक्सी की स्थिति में, एक से अधिक फॉर्म निष्पादित न किए जाएं।
- (vi) इस विनियम के अंतर्गत प्रॉक्सी प्रदान करने वाले व्यक्ति को उस बैठक में व्यक्तिश: वोट करने का अधिकार नहीं होगा, जिस बैठक के लिए वह प्रॉक्सी प्रदान किया हो।

कोई भी व्यक्ति जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कर्मचारी या अधिकारी हो वह विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या एक प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 1 नवंबर 2007 की अधिसूचना डीबीओडी.क्र.बीसी.क्र.46/ 29.39.001/2007-08 और डीबीओडी.क्र 47/29.39.001 व दिनांक 23 मई 2011 की अधिसूचना डीबीओडी.क्र. बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नानुसार अधिसूचित किया है-

कोई भी नामांकन तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि उसे इस उद्देश्य के लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त नामांकन समिति द्वारा "उपयुक्त और उचित" स्थिति में न माना जाए। नामांकन में उम्मीदवार की शैक्षणिक अर्हता, अनुभव और क्षेत्र विशेषज्ञता, पूर्व-वृत्त और ईमानदारी के संबंध में अतिरिक्त जानकारी होना चाहिए, जिससे कि नामांकन समिति उम्मीदवार की "उपयुक्त और उचित" स्थिति पर निर्णय ले सके। किसी प्राधिकारी/ विनियामक एजेंसी से प्राप्त प्रतिकूल सूचना या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से दिवालियापन या किसी ऋण में चूक की सूचना संबंधित उम्मीदवार को बैंक के निदेशक के रूप में चयनित होने हेतु "अनुपयुक्त व अनुचित" बना देगी। (अधिसूचना की संपूर्ण विषयवस्तु बैंक की वेबसाईट पर निवेशक संबंध शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध है)



Bank of Maharashtra

Head Office: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune-411005

Notice

Notice is hereby given that the Eleventh Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Maharashtra will be held on Thursday the 26th June 2014 at 10.30 A.M at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005 to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- 1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2014 and the Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2014, the Report of Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."
- 2. To confirm payment of Interim Dividend and declare final dividend, if any, for the year ended 31st March 2014.

SPECIAL BUSINESS:

- 3. TO CONSIDER AND IF THOUGHT FIT, TO PASS, WITH OR WITHOUT MODIFICATION/S, THE FOLLOWING RESOLUTION AS A SPECIAL RESOLUTION:
 - "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme,1970 and Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 as amended from time to time, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modification/s thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of Bank of Maharashtra(the "Bank") and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) as amended from time to time and Regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board") which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to
 - a) Create, offer, issue and allot upto 13,33,63,574 equity shares of the face value of Rs. 10/- each for cash at a conversion price of Rs. 44.09 including premium of Rs. 34.09 per share as determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations 2009, aggregating to Rs. 587,99,99,977.66 (Rs. Five Hundred Eighty Seven Crore Ninety Nine Lakhs Ninety Nine Thousand Nine Hundred Seventy Seven and Sixty Six paise Only) by conversion of 5,880 PNCPS having face value of Rs. 10,00,000/- each aggregating to Rs. 588 Crore held by Govt. Of India, on preferential basis to Govt. of India.
 - b) Create, offer, issue and allot upto 9,07,23,520 equity shares of the face value of Rs. 10/- each(Rs. Ten only) for cash at a price of Rs 44.09 per shareincluding premium of Rs. 34.09 per share as determined in accordance with Regulation 76(4) of SEBI ICDR Regulations 2009 aggregating Rs 400 Crore(Rs Four Hundred Crore only in Preferential basis to LIC and/or various schemes or LIC of India

RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the issue Price is May 27, 2014.



RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the said Equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing Equity Shares of the Bank and shall be entitled to dividend, declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

RESOLVED FURTHER THAT the new equity shares to be issued as aforesaid will be listed on the Stock Exchanges where equity shares of the Bank are listed on the date of allotment of new equity shares.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the Equity Shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorised to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or any Executive Directors or such other officer of the Bank or a Committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution".

4. To elect ONE Director from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations as prescribed have been received in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "the Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the Regulation Act") the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "the Scheme") and the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 (hereinafter referred to as "the Regulations") and Notification No. DBOD. No. BC. No. 46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") by passing the following resolution:

"RESOLVED THAT one Director elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with relevant Scheme, Regulations and Notification made there under and Notification of Reserve Bank of India, be and is hereby appointed as the Director of the Bank to assume office from the date following the date on which he/she is elected/deemed to be elected and shall hold the office for a term of three years."

By order of the Board of Directors

(S. Muhnot)

Chairman & Managing Director

Date: 26th May, 2014

Place: Pune



Notes:

- 1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business to be transacted at the meeting is annexed hereto.
- 2. In terms of Sub section (2E) of section 3 of the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1970, no shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to above, each shareholder, other than the Central Government, who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of poll shall have one vote for each share held by him subject to maximum of 10% of the total voting rights

As per Regulation 10 of Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004, if any shares stand in the name of the two or more persons, the person first named in the Register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

3. **Appointment of Proxy:**

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The Proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at its Head Office at Pune not less than Four Days before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closure of working hours of the Bank on Saturday, 21st June 2014.

4. Appointment of an Authorised Representative:

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorised representative of a Company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him / her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head office of the Bank at Pune, not less than Four Days before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closure of working hours of the Bank on Saturday, 21st June 2014.

5. Attendance Slip-cum-Entry pass

For the convenience of the shareholders, attendance Slip-cum-Entry pass is annexed to this Notice. Shareholders / Proxy Holders / Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy / Authorised Representative of a shareholder should state on the Attendance-slip-cum Entry Pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.

6. Book Closure

The Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Saturday the 31st May 2014 to Monday 2nd June 2014 (both days inclusive) for the Purpose of the Eleventh Annual General Meeting and for ascertaining the shareholders entitled for participation in the election of Director and voting at the Annual General meeting or by e-voting..

7. Unpaid / Unclaimed dividend, if any

In terms of Section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undetakings) Act, 1970, and Financial Institutions Laws (Amedment) Act 2006, (which has come into force from 16.10.2006), any amount of dividend which is



transferred to unpaid dividend account and remains unpaid / unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" (EPF) established under section 205C(1) of the Companies Act, 1956 and thereafter, no claim for payment of dividend shall lie in respect thereof either to the Bank or to EPF.

Accordingly, in line with the above provisions, all such amounts of dividend remaining unpaid / unclaimed from the financial year 2003-2004 and onwards will be transferred to "Investor Education and Protection Fund" after seven years from the date on which it has been transferred to 'unpaid dividend account'.

Shareholders who have not received / encashed their dividend upto the financial year 2012-13, are requested to lodge their valid claim(s) with Registrar and Transfer Agent-MCS Ltd.

8. Lodgment of Share Transfer Form/s

Duly executed Share transfer form/s along with the relevant Share Certificates, for transfer of shares, should be forwarded to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at the address given under para no:9. so as to reach their office on or before the closure of business hours on May 30, 2014.

9. Change of address

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank at the following address:

MCS Limited.

Unit: Bank of Maharashtra,

Office No.21/22, Ground Floor,

Kashiram Jamnadas Bldg., 5, P.D' Mello Road, (Ghadiyal Godi),

Masjid (E) Mumbai-400 009. Tel No: 022-2372 6253-56

Fax: 022-2372 6252

Email-uday_mcs@yahoo.in

Shareholders holding shares in Dematerialized Form are requested to intimate changes, if any, in their address directly to the respective Depository Participants.

10. National Electronic Clearing Services-N-ECS/ Electronic Clearing Services (ECS) and Change in Bank Details

The Bank arranges payment of dividend through N-ECS / ECS facility, wherever available, to all shareholders of the Bank. In the absence of NECS / ECS facility at certain centers, the Bank shall print and send the physical dividend warrants to the shareholders.

Shareholders holding their shares in physical form, who wish to avail ECS facility, may authorize the Bank with their ECS Mandate in the prescribed form annexed to this Report.

Shareholders maintaining account with the Bank are requested to provide to the Bank, CBS Bank account details to credit their accounts towards payment of dividend.

- 11. Shareholders/Proxy holders/representatives are requested to bring their copies of the Annual Report/Notice to the Annual General Meeting.
- 12. Shareholders who wish to seek any information on the accounts are requested to write to the **Investor Services Department of the Bank at its Head Office**, so as to reach the Bank at least one week before the date of the Annual General Meeting so as to enable the Management to keep the information ready. Shareholders may note that information / clarification shall be provided only at the Annual General Meeting.



13. **E-Voting:**

The Bank is pleased to provide E-voting facility through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as an alternative, for all members of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the resolutions mentioned in the notice of Annual General Meeting of the Bank dated May 26, 2014 (the AGM Notice). The Bank has appointed Mr. Raghavendra Joshi, Practicing Company Secretary (Partner of Apte Joshi & Associates, Company Secretaries, Pune) as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting is optional. The E-voting rights of the share-holders/beneficial owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on May 30, 2014.

The instructions for members for voting electronically are as under:-

A. In case of members receiving e-mail:

- i. If you are holding shares in Demat form and had logged on to www.evotingindia.com and casted your vote earlier for EVSN of any Company, then your existing login id and password are to be used.
- ii. Log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- iii. Click on "Shareholders" tab to cast your votes.
- iv. Now, select the Electronic Voting Sequence Number "EVSN" along with "COMPANY NAME" from the drop down menu and click on "SUBMIT"
- v. Now, fill up the following details in the appropriate boxes:

	For Members holding shares in Demat	For Members holding shares in Physical		
	Form	Form		
User ID	For NSDL: 8 Character DP ID	Folio Number registered		
	followed by 8 Digits Client ID	with the Company		
	For CDSL: 16 digits beneficiary ID	For CDSL: 16 digits beneficiary ID		
PAN*	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department when prompted			
	by the system while e-voting (applicable for both demat shareholders as well as physical			
	shareholders)			
DOB#	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the company records for the			
	said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.			
Dividend Bank	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the company re-			
Details#	cords for the said demat account or folio.			

- * Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the default number: "BOMEV1234Z" in the PAN field.
- # Please enter any one of the details in order to login. In case either of the details are not recorded with the depository please enter the value "01/01/1990" in the DOB column or the <No of Shares Held> in the Dividend Bank details field. For example, if your are holding 100 shares enter default value as 100 in <No of Shares held>.
- vi. After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- vii. Members holding shares in physical form will then reach directly the EVSN selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. The new password has to be minimum eight characters consisting of at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character(@ # \$ %& *). Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting



for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Kindly note that this changed password is to be also used by the Demat holders for voting for resolutions for the Company or any other Company on which they are eligible to vote, provided that Company opts for e-voting through CDSL platform.

- viii. Click on the relevant EVSN on which you choose to vote.
- ix. On the voting page, you will see Resolution Description and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- x. Enter the number of shares (which represents number of votes) under YES/NO or alternatively you may partially enter any number in YES and partially in NO, but the total number in YES and NO taken together should not exceed your total shareholding.
- xi. Click on the "Resolutions File Link" if you wish to view the entire Resolutions.
- xii. After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- xiii. Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- B. In case of members receiving the physical copy of Notice of AGM [for members whose e-mail IDs are not registered with the company/ depository participant(s) or requesting physical copy]:
 - a. Please follow all steps from sl. no. (ii) to sl. no. (xiii) above, to cast vote.
 - b. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to log on to https://www.evot-ingindia.co.in and register themselves, link their account which they wish to vote on and then cast their vote. They should upload a scanned copy of the Board Resolution in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the vote.
 - c. The voting period starts from 10. A.M. on Friday, June 20, 2014 and ends at 05.00 P.M. on Sunday June 22, 2014. During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of May 30, 2014, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
 - d. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to help-desk.evoting@cdslindia.com.

C. General Instruction:

- a. You can also update your mobile number and e-mail ID in the user profile details of the folio which may be used for sending communication(s) regarding CDSL e-voting system in future. The same may be used in case the member forgets the password and the same needs to be reset.
- b. You are advised to cast your vote only through one mode (E-voting or through Poll at the AGM). In case you cast your votes through both the modes, votes cast through E-voting shall only be considered and votes cast at the meeting through Poll would be rejected.



- c. Members, who have registered their e-mail addresses with the Bank or their Depository Participant, are being sent the AGM Notice along with the Annual Report, Attendance Slip & Proxy Form by e-mail and others are being sent by post/courier.
- d. Scrutinizer's email is: bomevoting@aptejoshi.com.

14. Specified Date for the purpose of Ascertainment of Shareholders entitled to Participate in the Election to the office of Shareholder Director.

As announced vide notice dated 20th May 2014, published in the newspaper on 21st May 2014, 30th May 2014 has been fixed as Specified Date in connection with the Annual General Meeting and for the purpose of ascertaining the names of shareholders entitled to participate in the election i.e. to nominate, contest and vote for the election of ONE director representing the shareholders of the Bank other than the Central Government as mentioned in the Notice.

15. Qualifications required for being Elected as A Director of the Bank

- In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank shall
 - (A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely: -
 - agriculture and rural economy,
 - banking,
 - co-operation,
 - economics,
 - finance,
 - law,
 - small scale industry,

any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the Bank.

- (B) represent the interest of depositors; or
- (C) represent the interest of farmers, workers and artisans.
- In terms of Section 9(3AA) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status. Further, the elected director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

16. Disqualifications from being Elected as A Director of the Bank

In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed as, and for being a Director:

- if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors;
 or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude or
- d) if he holds any office of profit under any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1)



of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and

e) If he is not found to be a fit and proper person in terms of Notification of Reserve Bank of India – No.DBOD.BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 date 01st November, 2007and No.DBOD.BC.No.95 /29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011.

17. Tenure of Director

Director elected to fill in the vacancy of shareholder director arisen on the Board of the Bank shall be deemed to have assumed office from 14th June 2014 (if only one valid candidate found on scrutiny of nominations on 13/06/2014) If more than one candidate were found valid after scrutiny, then the vacancy for one Director will be filled up on the date of the meeting and the new director will assume office from 27th June 2014.

As per section 11-B (2) of the Scheme, such elected person shall hold the office for period of 3 (three) years from 27th June 2014 i.e. upto 26th June 2017.

Attention of shareholders is invited to Section 9(3B) of the Act, on the right of Reserve Bank of India to remove a Director so elected under Section 9(3) (i) of the said Act, who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) of the said Act.

18. List of Shareholders to Contestants

To enable the Shareholders to contest the election, a copy of the complete List of Shareholders as mentioned in Regulation 64 of the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 as of the Specified date i.e., **Friday, 30**th **May 2014** will be available at Investor Services Department, Head Office, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411 005 from **Monday 2**nd **June 2014** onwards for purchase by shareholders on a pre-payment of Rs.25,000/-(Rupees twenty five thousand only) for soft copy and Rs1,00,000 (RsOne Lakh only) for hard copy, by way of demand draft /pay order on a Scheduled Bank in favour of 'Bank of Maharashtra' payable at Pune.

19. Inspection of the Register of Shareholders

The Register of Shareholders is also open for inspection at the Head Office of the Bank on all working days (other than Sundays and Bank holidays) i.e. from Monday to Friday between 3.00 p.m. and 5.00 p.m. and on Saturday between 11.00 a.m. and 1.00 p.m. If any shareholder requires a copy or computer prints of the register or of any part thereof, the same shall be supplied to him/her on pre-payment at the rate of Rs.5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

20. Participation in Election

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Members/Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL/RTA as on Friday, 30th May 2014 shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of director from amongst Shareholders other than the Central Government.

As per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the specified date (i.e. Friday, 30th May 2014) prior to the date of a meeting shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him/her subject to overall cap of voting as prescribed under section 3(2E) of the Act.

21. Nomination of Candidates for Election

In terms of Regulation 65 of the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004, and in terms of Notification



of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director will be valid provided:

- a) he is a shareholder holding, as on Friday, 30th May 2014, being the Specified date for participating in the election, a minimum of 100 shares in Bank of Maharashtra either in physical mode or in electronic/dematerialised mode, and continues to hold a minimum of 100 shares till Thursday 26th June 2014 and thereafter if he is elected.
- b) as on the last date for receipt of nomination i.eThursday the 12th June 2014 he/she is not disqualified from being a Director under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 and Notification No. -DBOD. No. BC. No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 of Reserve Bank of India.
- c) there are no calls in arrears in respect of the shares held by him.
- d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Director under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the General Manager, FMA Department ,Head Office, Bank of Maharashtra , 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune-411005 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- e) The nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration along with his/her personal details by the candidate, as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or any nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified from being a director, either under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004 and that he has enclosed his personal details which are true to the best of his knowledge and belief and that he undertakes to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- f) The Nomination Forms and the Declaration Form are as prescribed by the Regulations and as per the Proforma annexed (the Proforma is also available on the Bank's Website (www.bankofmaharashtra.in).

22. Submission of nomination forms.

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government and being qualified as per the conditions mentioned herein may please submit the following in the formats annexed to the Notice, in a sealed envelope and superscribed "Nomination for Shareholder Director - AGM 2014" to the General Manager, FMA Department, Head Office, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411 005 together with connected/relevant documents complete in all respects, on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 pm on Thursday the 12th June 2014 failing which, the nominations are liable to be rejected.

a) Duly filled in Declaration Form



- b) Nominations from minimum of one hundred shareholders entitled to participate in the election;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU Form) together with the connected documents, testimonials viz Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc

23. Scrutiny of Nominations

- Nominations shall be scrutinized on Friday, 13th June 2014, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.
- II. Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU Form) shall be subjected to a Due Diligence Check by the Nomination Committee of the Board in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated 1st November, 2007 and 23.05.2011 issued by the Reserve Bank of India.
- III. If there is only one valid nomination for the vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and the candidate shall assume office on Saturday 14th June, 2014.-
- IV. If the valid nominations are more than the number of Director to be elected, the names of the candidates shall be published in the newspapers and the candidate polling the majority of the votes at the election shall be deemed to have been elected and his name will be announced by the Chairman & Managing Director and also published in newspapers and the candidate shall assume office on 27th June 2014.
- V. If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004.

24. Withdrawal of Nominations

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so by sending a letter or fax at any time prior to closing hours of the Bank i.e. 5.00 pm on Wednesday, 25th June 2014.

25. Voting Rights

In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Specified date (i.e. Friday, 30th May 2014) prior to the date of the meeting shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him/her subject to overall cap of voting as prescribed under section 3(2E) of the

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote (by poll or by show of hands) in the meeting

26. Shareholders are requested to bring their copies of the Notice to the meeting.



EXPLANATORY STATEMENT

Item No. 3.

EXPLANATORY STATEMENT AND DISCLOSURE AS REQUIRED TO BE MADE IN TERMS OF SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2009.

I) Objects of the Preferential issue:

In order to comply with Basel II and III requirements relating to capital adequacy, there is an ever increasing need to raise Capital. Bank is maintaining Capital Adequacy as per Basel II and Basel III capital requirements laid down by RBI.

Under Basel II, the Reserve Bank of India requires, Banks to maintain a minimum Capital to Risk- weighted Assets Ratio (CRAR) of 9 %, of which Tier I capital should be at least 6%. As per the Audited Statement of the Bank as of March 31, 2014, the total capital adequacy ratio of the Bank as per Basel II was 12.11% of which Tier I capital adequacy ratio was 7.75%. Under Basel III, for 31.03.2014, requirement of total CRAR was 9% of which Common Equity Tier 1 requirement was 5.00% and Total Tier 1 capital requirement was 6.50%. As per the Audited Statement of the Bank as of March 31, 2014, the total capital adequacy ratio of the Bank as per Basel III was 10.79% of which Tier I capital adequacy ratio was 7.44% (Common Equity Tier I stood at 6.69% and Additional Tier 1 Capital stood at 0.75%).

Under Basel III, the Reserve Bank of India requires Banks to maintain a minimum Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) of 9% for 31.03.2015 and it will increase gradually to 11.50% upto 31.03.2019, of which Common Equity Tier I capital requirement will be 5.50% and Total Tier I capital requirement will be 7.00% from 31.03.2015. With the introduction of Capital Conservation Buffer from 31.03.2016, requirement of capital in the form of Equity Capital increases as buffer requirement increases year on year from 0.625% in 31.03.2016 to 2.50% in 31.03.2019 so the total capital requirement rises from 9% to 11.50%.

Taking into account increasing capital requirements under Basel III in equity capital form, with limited scope in raising IPDI and Tier II Bonds with loss absorption clause, with Basel III caps and to maintain on-going growth in the business, Bank foresees additional requirement of capital and the capital raised will be utilized to strengthen the Capital Adequacy requirement for the business growth.

- a) Government of India now proposes conversion of Perpetual Non-Cumulative Preference Share Capital (PNCPS) held by them into Equity Shares. The proposed Equity Shares after conversion of PNCPS will be allotted to Government of India, the Promoter of the Bank, through preferential issue of Equity Shares.
- b) Bank also proposes to infuse additional equity capital into Bank, to strengthen owned funds of the bank by allotting equity shares through preferential issue to LIC of India and/or various schemes of LIC of India.
 - Proposal for conversion of PNCPS aggregating to Rs. 588 crores.

Govt. of India infused capital funds aggregating to Rs.588 crores in the Bank towards Perpetual Non- Cumulative Preference Shares (PNCPS) of the Bank. Bank had issued 5880 Preference shares having face value of Rs. 10,00,000 each with a coupon benchmarked to Repo Rate with spread of 100 basis points to be re-adjusted annually based on prevailing Repo Rate on the relevant date.

Perpetual Non- Cumulative Preference Shares (PNCPS) aggregating to Rs. 588 crore held by Government of India will not be reckoned for 100% weightage under Tier I capital as per Basel III norms. Accordingly, Bank had requested Government of India to consider the proposal for conversion of PNCPS entirely held by it into equity to enable the Bank to meet the Basel III requirements. Further, conversion of PNCPS into equity will also create headroom for raising Basel-III compliant bonds under Tier-I / Tier-II capital and also issuing of equity



through Qualified institutional Placement (QIP) / follow on public offers. The Government of India vide letter F No 11/17/2013-BOA dated April 16, 2014 conveyed approval for conversion of PNCPS into equity shares subject to approval of shareholders, SEBI and other authorities.

The conversion of PNCPS into equity will not result any outflow to the Government of India.

The Capital fund to Risk Weighted Assets as on March 31, 2014 is as under:

Particulars	Amount (Rs.) in Crores	% of capital funds to risk weighted
		asset (Basel – III)
Risk Weighted Assets	84,384.15	
Common Equity Capital	5,640.70	6.69
Additional Tier I	635.85	0.75
Tier-I Capital	6,277.54	7.44
Tier-II Capital	2,826.87	3.35
Tier-III Capital	9,104.41	10.79

- a) The issue price is determined in accordance with the provisions of Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009.
- b) Shareholding Pattern of the Bank before and after the Preferential Issue of Equity Shares:

Sr.No	Category	Before the Is	ssue as on	After the Issu	ie as on
		March 31, 2014		June 30, 2	2014
		No of Shares	% share	No of shares	% share
		held	holding	held	holding
Α	Promoter Holding				
1.	Promoters				
	Govt. of India	715010200	85.21	848373774	79.80
	Foreign Promoters	-	-	-	-
2 .	Persons acting in concert	-	-	-	-
	Sub total	715010200	85.21	848373774	79.80
В	Non Promoter Holding				
3.	Institutional Investors				
Α	Mutual funds & UTI	961271	0.11	961271	0.09
В	Banks, Financial Institutions, In-	58333449	6.95	149056969	14.02
	surance Companies, (Central/				
	State Govt. Institutions/ Non-				
	government Institutions)				
С	FII	4014024	0.48	4014024	0.38
	Sub Total	63308744	7.54	154032264	14.49
4	Others				
Α	Private Corporate Bodies	6843222	0.82	6843222	0.64
В	Indian Public	52322411	6.23	52322411	4.92
С	NRI/OCBs	1484150	0.18	1484150	0.14
D	Any Other	127100	0.02	127100	0.01
	Sub Total	60776883	7.25	60776883	5.71
	Grand Total	839095827	100.00	1063182921	100.00

c) The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations, 2009.



d) As the issue is proposed to be made to the Government of India (GOI) the major shareholder and Promoter of the Bank and LIC of India, there would not be any change in control. The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage of Capital
Pre Issue (as on 31.03.2014)	715010200	85.21
Post Issue	848373774	79.80

The pre and post issue shareholding of LIC of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage of Capital
Pre Issue (as on 31.03.2014)	56063963	6.68
Post Issue	146787483	13.81

- e) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76(3) and 78(5) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, are not applicable.
- f) All the shares proposed to be issued and allotted under Preferential Issue to the Government of India (GOI) shall be locked in for a period of three years from the date of 'trading approval' of new equity shares andh shares allotted to LIC of India shall be locked in for a period of one year from the date of trading approval of new equity share.
- g) The entire pre-preferential shareholding of Government of India will be locked in for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of 'trading approval' of new equity shares.
- h) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Annual General Meeting.
- i) The Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- j) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date. Further, all the equity shares held by the Government of India (GOI) in the Issuer Bank are held in Dematerialized Form.
- k) The LIC of India being an insurance company with public interest is exempt from the provisions of Regulation 72(2) of SEBI (ICDR) Regulation 2009 relating to non selling of equity shares during the six months preceding the Relevant Date.
- 1) The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as mentioned in the notice.
- m) None of the Directors of the Bank is interested or concerned in any manner in the proposal contained in the Resolution.

Item No. 4; ELECTION OF ONE SHAREHOLDER DIRECTOR

RIGHT OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTORS

Shareholders other than Government of India hold 14.79% of the share capital of the Bank. As per Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, Bank of Maharashtra is entitled to have a maximum of one shareholder Director on the Board of the Bank (other than the Central Government).

The tenure of Dr. Dinesh Shantilal Patel and Dr. R K Agrawal, the two directors elected by shareholders (other than Central Government) was over on January 31, 2014.



Accordingly an item of agenda is included in the Notice for the AGM to pass necessary resolution for election of ONE director representing the shareholders of the Bank.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act/Scheme/ Regulations/Notification, the relevant portions of which are indicated hereunder.

ACT/SCHEME/REGULATIONS/	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
NOTIFICATIONS		
The Banking Regulation Act, 1949	Section 16 (1)	Prohibition of common Directors
	Section 20	Restrictions for granting loan or advance to or on
		behalf of any of its directors
	Section 51	Applicability of certain sections of Act to a
		corresponding new bank.
The Banking Companies	Section 3 (2E)	Restriction on voting rights
(Acquisition and Transfer of	Section 9(3)(i)	No. of directors to be elected by the shareholders
Undertakings) Act, 1970	Section 9(3A) (A) to (C)	Special knowledge in certain fields
	Section 9(3AA)	No person shall be eligible to be elected as director
	Section 9(3AB)	unless he is a person found to have fit and proper
	Section 9(3B)	status based upon track record, integrity and such
	Section 13(2)	other criteria as RBI may prescribe.
		Right of RBI to remove a director so elected who
		does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and
		9(3AA) of the said Act.
		Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks	Clause 9(4)	Term of office of elected directors
(Management And Miscellaneous	Clause 10	Disqualifications from being elected as a Director of
Provisions) Scheme, 1970	Clause 11	the Bank
	Clause 11A	Vacation of office of Director
	Clause 11B	Removal from office of an elected Director
	Clause 12(8)	Filling of vacancy in the office of elected Director
		Disclosure of interest by directors in certain
		arrangements in which they are interested.
Bank of Maharashtra (Shares and	Regulation 10	Exercise of rights of joint holders
Meetings) Regulations, 2004	Regulation 61	Voting at General Meetings
	Regulation 61A	Scrutineers at Poll
	Regulation 61B	Manner of taking poll and result thereof
	Regulation 63	Directors to be elected at General Meetings
	Regulation 64	List of Shareholders
	Regulation 65	Nomination of candidates for election
	Regulation 66	Scrutiny of nominations
	Regulation 67	Election disputes
	Regulation 68	Determination of voting rights
	Regulation 69	Voting by duly authorized representative
	Regulation 70	Proxies



RBI Notification No.	Pursuant to Section 9(3AA) &	Fit and Proper criteria for elected directors on the Board of
DBOD. No. BC.No.46 and	Section 9(3AB) of The Banking	Nationalized Banks
47/29.39.001/2007-08 dated	Companies Acquisition and	
01.11.2007 and No.DBOD.	Transfer of Undertakings) Act,	
BC.No.95/29.39.001/2010-11	1970.	
dated 23.05.2011		

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from Regulation Act, the Act, the Scheme as well as RBI Notifications No. DBOD. No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 are annexed hereto.

One director will be deemed to be elected or elected either after the scrutiny of the nominations (if the number of valid nominations are equal to the number of vacancy) and will assume office from Saturday 14th June 2014 or in subsequent election on 26th June, 2014, if there are more contestants. After such election, he will assume office from 27th June 2014 for a period of 3(three) years.

INTEREST OF DIRECTORS

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned item of business except to the extent of their shareholding and those eligible Directors of the Bank who may contest the election.

ELECTION OF DIRECTORS

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS ETC.

The Banking Regulation Act, 1949

Prohibition of common Directors - Section 16 (1)

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director to its Board of Directors any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances - Section 20

- 1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking company shall, -
 - (a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - (b) enter into any commitment for granting any loan or advance or advance to or on behalf of
 - (i) any of its Directors,
 - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - (iii) any Company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which (or the subsidiary or the holding Company of which) any of the Directors of the Banking Company is a Director, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.
- 2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been



made if Clause (b) of Sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made, (or is granted by Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement), steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance, or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5;

Provided that the Reserve Bank of India may, in any case on an application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank of India may deem fit:

Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

- 3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank of India, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- 4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then such person shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section -

- (a) "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;
- (b) "Director" includes a member of any Board or Committee in India constituted by Banking Company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
- 5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank of India, whose decision thereon shall be final.

Section 51 of Banking Regulation Act, 1949 mentions the applicability of certain sections of Banking Regulation Act to a corresponding new bank.

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970

Restrictions on voting rights - Section 3(2E)

No shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors - Section 9 (3) (i)

Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is: -

- (I) not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, not more than one Director.
- (II) more than sixteen per cent but not more than thirty two percent of the total paid-up capital, not more than two Directors.



(III) more than thirty two percent of the total paid-up capital, not more than three Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government, from amongst themselves:

Provided that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office

Special Knowledge in certain fields - Section 9(3A)

The Directors to be elected under the said clause (i) shall-

- (A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:
 - i. agriculture and rural economy,
 - ii. banking,
 - iii. co-operation,
 - iv. economics,
 - v. finance,
 - vi. law,
 - vii. small scale industry,
 - viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the corresponding new Bank.
- (B) represents the interest of depositors; or
- (C) represents the interest of farmers, workers and artisans.

FIT and Proper Status

Section -9(3AA)

Without prejudice to the provisions of sub-section (3A) and notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or any other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as director under clause (i) of sub-section (3) unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

Section 9(3AB)

The Reserve Bank of India may also specify in the notification issued under sub section 3(AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

RIGHT OF RBI TO REMOVE A DIRECTOR - Section 9(3B)

Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) it may, after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity



of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirements of sub-section (3A) and as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next Annual General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy - Section - 13(2)

Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other Employee of a corresponding new Bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970

Term of office of elected Director -Clause 9(4):

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election:

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Disqualification of Directors- Clause 10:

A person shall be disqualified for being appointed as, and for being a Director:

- a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude.
- d) if he holds any office of profit under any nationalized bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

Vacation of office of Directors -Clause 11:

- If a Director becomes subject to any of disqualification specified in clause 10, or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- 2. The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
- 3. Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-clauses, the office of the Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee, other than a workman of the Nationalised Bank of which he is a Director.
- 4. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with subsection (3) of Section 9 of the Act.



Removal from office of an elected Director -Clause 11A:

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by a majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of elected Director- Clause 11B:

- (1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by elec-
 - Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining Directors.
- (2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors- Clause 12(8)

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalised Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

- (i) a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid-up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the Nationalised Bank has entered into or made, or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or
- (ii) an officer or other employee of the Nationalised Bank, if he is a Director (referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act)

Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004

Exercise of rights of joint holders

Regulation 10:

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall as regards voting, receipt of dividend, service of notices and all or any other matters connected with Bank of Maharashtra except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

Directors to be elected at general meetings

Regulation 63:

(1) A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government from amongst themselves in the general meeting of the Bank of Maharashtra.



(2) Where an election of Director to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

List of shareholders

Regulation 64:

- (i) For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- (ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee on application at the Head Office.

Nomination of candidates for election

Regulation 65:

- (i) No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless.
 - a. he is a shareholder holding not less than 100 (one hundred) shares in Bank of Maharashtra;
 - b. he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme;
 - c. he has paid all calls in respect of the shares of Bank of Maharashtra held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
 - d. the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of Bank of Maharashtra and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;
 - e. the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.
 - f. No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of Bank of Maharashtra on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Scrutiny of nominations

Regulation 66:

(i) Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for the receipt of nominations and in case any information is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefore. If there is only



one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.

- (ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- (iii) A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

Election disputes

Regulation 67:

- (i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank of Maharashtra and shall in the said intimation give full particulars of grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- (ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Bank of Maharashtra shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.
- (iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- (iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Voting Rights of Shareholders

Determination of voting rights

Regulation 68:

- (i) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- (ii) Subject to the provisions in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who not being a Company is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i)



Explanation- for this chapter, "Company" means any body corporate.

(iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Voting by duly authorised representative

Regulation 69:

- (i) A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorise any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a "duly authorised representatives" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he were an individual shareholder of Bank of Maharashtra. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorised representative of the Central Government / Company.
- (ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Bank of Maharashtra as the duly authorised representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of Bank of Maharashtra not less than four days before the date fixed for the meeting.

PROXIES

Regulation 70:

- (i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing, or in the case of a body corporate, signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
 - Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub- Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Maharashtra
- (ii) No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof is deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority, if any under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as true copy by a Notary Public, or a Magistrate unless such a power of Attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
- (iii) No Instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B".
- (iv) An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- (v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- (vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.



No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Maharashtra.

Notification of Reserve Bank of India – DBOD No. BC NO.46/29.39.001/2007-08 and DBOD No.47/29.39.001 dated 1st November, 2007 and DBOD No. BC No.95/29.39.001/2010- 11 dated May 23, 2011.

The Reserve Bank of India has notified as under:

No nomination shall be valid unless 'Fit and Proper' status is accorded by the Nomination Committee appointed by the Board of Directors of the Bank for this purpose. The nominations should accompany additional information about the candidates to enable the Nomination Committee to decide on the 'Fit and Proper' status with regard to educational qualification, experience and field expertise, track record and integrity of the candidates. Adverse notice of any authority/ regulatory agency or insolvency or default of any loan from any Bank or financial institution would make the respective candidate unfit and improper to be elected as a Director on the Board. (Complete text of the notification is available on the website of the bank under the head Investor Relations)





बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

नामांकन फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा)

(विनियमावली के विनियम 65 (घ) का संदर्भ लें)

प्रति
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
प्रधान कार्यालय
लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411005
प्रिय महोदय,

अ.क्र.			

निदेशक के निर्वाचन के लिए नामांकन

30 मई 2014 (निर्वाचन में सहभाग लेने के लिए मानी गई विन् शेयरधारक हूं. पुणे में गुरूवार, दिनांक 26 जून 2014 को आये अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के उपब	बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयरधारक शुक्रवार, दिनांक नेर्दिष्ट तिथि) को रू.10/- प्रत्येक के ईक्विटी शेयरों (पूर्णत: भुगतान किए गए) का ोजित की जाने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का वंधों के अनुसार शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक के रूप में निर्वाचन को जो
के निवासी हैं, उन्हें एतद्द्वारा	 नामित करता/करती हूँ।
नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो क्र. (यदि बेकागजीकृत नहीं है तो)	
डी.पी.आई.डी. क्र. व ग्राहक/आई.डी. क्र. (यदि बेकागजीकृत है तो)	
स्थान	
दिनांक -	

टिप्पणियां :

- यदि नामांकन निगमित निकाय द्वारा िकया जाता है तो नामांकन फॉर्म के साथ निदेशक मंडल की जिस बैठक में इस प्रकार का प्रस्ताव पारित िकया गया है, उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षरयुक्त निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की सत्यापित प्रति संलग्न होनी चाहिए।
- 2. उम्मीदवार को नामित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों से मेल खाने चाहिए।
- 3. यदि उपर्युक्त कोई कॉलम रिक्त छोड दिया जाता है अथवा विवरण गलत पाया जाता है तो, नामांकन को रद्द किया जा सकता है।





Bank of Maharashtra

NOMINATION FORM

(By the Shareholder)
(Refer Regulation 65 (d) of the Regulations)

To The Chairman & Managing Director Bank of Maharashtra SR No. Head Office, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411005 Dear Sir. **Nomination for Election of a Director** With reference to your Notice dated 26th May 2014, I a shareholder of Bank of Maharashtra, holding equity shares of Rs. 10/- each (fully paid up) as on Friday, 30th May 2014- (being the Specified Date considered for participating in the election) do hereby nominate Shri/Smt. son/daughter/wife of Shri/Smt. residing at _ for being elected as a Director of Bank of Maharashtra representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Annual General Meeting of the shareholders of the Bank to be held on Thursday, 26th June 2014- at Pune. Name Signature No. of Shares Regd. Folio No (If not Dematerialised) D.P.I.D. No. & Client I. D. No. (If Dematerialised) Place Date

Notes:

- 1. In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2. Signatures of the shareholders nominating the candidates should match with the specimen signatures available with Share Transfer Agent of the Bank.
- 3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.



घोषणा (उम्मीदवार के द्वारा) (विनियमावली के विनियम 65 का संदर्भ लें)

ਧ, ਸ਼ਾਹਕ			
सुपु <i>न।</i> निवार	' सुपुत्रा/ परमा मी	श्री/श्रीमती , एतद्द्वारा पुष्टि करता /करती हूं कि	
1.			र्रक्तियी
1.	9 .	रिष्टना राज वर्गारा र नामा निर्देश वाला पट जिल्लाच वर्ग पत्र र स्ट्रांगः तथा वर्ग पत्र र स्ट्रांगः तथा वर्ग पत्र र स्ट्रांगः तथा	श्रम्
2.		(3) सहकारिता, (4) अर्थशास्त्र, (5) वित्त, (6) विधि (7) लघु उद्योग, अर्थ	थवा
2.		हारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में, बैंक के लिए उपयोगी हो	
	व्यावहारिक अनुभव है और अधिनियम की धारा 9 की उ	प धारा 3 ए के अनुसार जमाकर्ताओं या किसानों, कर्मचारियों व कारीगरों के हि	इतों का प्रतिनिधित्व करता
	हूं और इसके साक्ष्य के रूप में इसके साथ संबंधित प्रमाण	गपत्र प्रस्तुत करता हूं तथा	
3.	मैंक	मांकित नामांकन को स्वीकार) करता हूं; और	
4.	मैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक का चुनाव ल	ाडने का इच्छुक हूं; और	
5.	मुझे अधिनियम, योजना, विनियमावली और भारतीय रि किया गया है; और	जर्व बैंक की अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक का निदेशक बनने के	लिए अयोग्य घोषित नही
6.	∞	। भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत धार क बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी भी सहायक बैंक का व	
7.	मैं अपना व्यक्तिगत ब्यौरा संलग्न कर रहा हूँ जो कि मेरे	ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है; और	
8.		कसी भी प्रकार की जानकारी में यदि परिवर्तन होता है तो उसे बैंक को यथासंभा	व शीघ्र अवगत कराने का
9.		वत स्थिति के लिए एक अलग व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचनपत्र (पीडीयू	क्रॉर्ग) भी गाउँव कावा दं
9.	न नारताय रिज़ब बयर के गियरा। के जनुसार सहा जार अ	नता स्थात पर तिर १५८ जरान ज्यातमत जानपात, पापणा जार पपनापर (पाडापू	્યાન) ના ત્રસ્તુતા વગરતા હૂ.
नाम	T		_
हस्	ताक्षर		
शेर	ारों की संख्या		
	ोकृत फोलियो क्र. दि बेकागजीकृत नहीं है तो)		
	पी.आई.डी. क्र. व ग्राहक/आई.डी. क्र. दि बेकागजीकृत है तो)		
स्थ			
दिन	ांक		
 उपर्य	क्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए.		
·	÷		मुहर के साथ
			हस्ताक्षर
तिथि			
न्याय		ा सब- रजिस्ट्रार, या राजपत्रित अधिकारी या भारती क ऑफ महाराष्ट्र या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक) के अधिकारी की मु	
* उ	ो भी लागू हैं उसे चिन्हित करें		



DECLARATION (BY THE CANDIDATE)

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

l,	son/d	laughter/wife of Shri/Smt	, a resident		
of _		hereby confirm th	at		
1.		equity shares of 10/- each participating in the elections and will hold a minimum of			
2.	economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small cal experience of which in the opinion of	perience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) bank I scale industry, or(specia Reserve Bank of India, would be useful to the Bank) a d artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the stimonials; and	I knowledge of and practind I represent the interest		
3.	I accept the nominations numbered from	to;and			
4.	I am willing to contest for the election of D	Director of Bank of Maharashtra; and			
5.	I am not disqualified from being a director fication; and	r of the Bank under the provisions of the Act, Scheme,	Regulations and RBI Noti-		
6.		an employee of any Nationalised Bank or State Bank bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as define 59; and			
7.	I enclose my personal details which are to	o the best of my knowledge and belief are true and con	nplete; and		
8.		ned, as soon as possible, of events, if any, which take rmation provided hereto and to execute the Deed of Co			
9.	I also submit a separate Personal Informa	ation, Declaration and Undertaking (PDU Form)as	per Reserve Bank of India		
	directives to consider for fit and proper sta	atus.			
	Name				
	Signature				
	No. of Shares				
	Regd. Folio No				
	(If not Dematerialised)				
	D.P.I.D. No. & Client I. D. No.				
	(If Dematerialised)				
	Place				
	Date				
The	The above declaration was signed before me. Signature with Seal				
Nam	ne:	<u></u>			
Date):	_			
Sian	ature with Seal of Judge. Magistrate. Regis	strar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted	Officer or an officer of the		
_		(Bank of Maharashtra or any National			

* Tick whichever is applicable



यहां पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

(भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पीडीयू फॉर्म) व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचनपत्र बैंक का नाम : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

	2014 की स्थिति के अनुसार उचित अनुलग्नक सहित उम्मीदवार	द्वारा	घोषणा	और	वचनपत्र	
I.	उम्मीदवार के व्यक्तिगत विवरण					
क.	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)					
ख.	पिता का नाम (पूरा)					
ग.	जन्मितिथि					
घ.	शैक्षणिक योग्यता					
	शैक्षणिक / अकेडॅमिक					
	(कृपया जानकारी के समर्थन में प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां जोडे)					
	शैक्षणिक / व्यावसायिक					
	(कृपया जानकारी के समर्थन में प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां जोडे)					
ड़.	संबंधित पृष्ठभूमि व अनुभव (कृपया बैंक के निदेशकत्व से संबंधित आपके अनुभव को					
	दर्शाएं)					
	(कृपया बैंक के निदेशक पद से संबंधित अपना अनुभव दर्शाएं.)					
च. —	स्थायी पता					
छ.	वर्तमान पता					
_	(पत्राचार के लिए) ई-मेल आई डी					
ज.	हे-मल आइ डा टेलीफोन क्रमांक (लैंडलाईन)					
झ.	टेलीफोन क्रमांक (मोबाईल)					
	1. आय कर अधिनयम के अंतर्गत स्थायी खाता क्रमांक (पैन) (प्रति जोडे).					
	2. आय कर परिमंडल / मंडल जहां व्यक्तिगत कर विवरणी फाईल की जाती है वहां का					
	नाम व पता.					
অ.	संबंधित ज्ञान व अनुभव					
	(बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3-ए) के					
	अंतर्गत अपेक्षित अनुसार).					
ਟ.	अन्य कोई जानकारी जो बैंक के निदेशक पद से संबंधित हो तथा उम्मीदवार देना चाहता हो.					
II.	उम्मीदवार के सुसंगत संबंध					
क.	उम्मीदवार के रिश्तेदारों की सूची, यदि हो तो, जो बैंक से किसी भी रूप में संबद्ध है					
	(कृपया कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 और अनुसूची I-ए का संदर्भ लें)*.					
ख.	इकाईयों की सूची, यदि कोई हो, जिसमें उनके हित निहित समझे जाएं (कंपनी अधिनियम,					
	1956 की धारा 299(3)(ए) व धारा 300 का संदर्भ लें)**.					
ग.	प्रस्तावित व विद्यमान इकाइयों की ऐसी सूची, जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949					
	की धारा 5 (एनई) के अर्थ के अनुसार उम्मीदवार का हित समझा जाए					
		L				



ਬ.	पिछले छह वर्षों के दौरान बैंक/बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशक पद/सदस्यता (कृपया बैंक के नाम, अधिनियम के संबंधित प्रावधान जिसके अधीन नियुक्ति/ नामांकन किया गया था और ऐसी सदस्यता/निदेशक पद के धारण की अविध दें).
ड़.	II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध उम्मीदवार और/ अथवा इकाईयों द्वारा बैंक से निधि आधारित और गैर निधि सुविधाएं (यदि कुछ हों) इस समय उपयोग की जा रही हों
ਚ.	ऐसे मामले, यदि कुछ हो, जहां उक्त II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध उम्मीदवार या इकाइयां, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अथवा अन्य किसी बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के मामले में चूककर्ता हो या पूर्व में चूककर्ता रहे हों.
III.	व्यावसायिक उपलब्धियों का अभिलेख
क.	व्यावसायिक उपलब्धियां (कृपया बैंक के निदेशक पद के लिए महत्व रखने वाली संबंधित उपलब्धियों की जानकारी दें).
IV.	उम्मीदवार के प्रति कार्यवाही, यदि कोई हो तो
क.	यदि उम्मीदवार व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य है, और यदि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है या आरंभ हुई है या पूर्व में दोष सिद्ध हुआ हो, तो उसका ब्योरा दें या किसी किसी समय किसी व्यवसाय/व्यापार में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया हो.
ख.	उक्त II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध किसी उम्मीदवार और / या इकाई के विरूद्ध आर्थिक कानूनों और विनियमावली के उल्लंघन हेतु प्रलंबित या प्रारंभ या पूर्व में अपराधी ठहराए जाने के फलस्वरूप अभियोजन का ब्योरा, यदि कुछ हो तो.
ग.	उम्मीदवार के विरुद्ध लंबित, चलाए गए या दोष सिद्ध परिणत हुए आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा
ਬ.	राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970*** के खंड 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 के अंतर्गत उल्लेख की गई कोई भी अयोग्यता क्या उम्मीदवार पर लागू है ?
इ.	क्या उक्त II (ख) और (ग) की कोई भी इकाई या उम्मीदवार को किसी सरकारी विभाग या एजेंसी के संदर्भ पर किसी जांच के अंतर्गत रखा गया है ?
च .	क्या उम्मीदवार किसी भी समय सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आय कर/विदेशी मुद्रा विनिमय/ अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधिक आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है; यदि ऐसा है तो विवरण दें.
ন্ত.	क्या उम्मीदवार/निदेशक ने किसी भी समय किसी नियंत्रक यथा सेबी, आईआरडीए, भारिबैंक, एमसीए, एफईएमए आदि से प्रतिकूल सूचना प्राप्त की है. (यद्यपि उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नियंत्रक द्वारा दिए गए आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख किया जाए जो कि बाद में वापस ले लिए गए/पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए, तथापि ऐसी स्थित में इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा जबिंक वापस लेना / समाप्त करना किसी तकनीकी कारण यथा पिरसीमन या न्यायक्षेत्र के अभाव आदि से हुआ हो और योग्यता के आधार पर न हो. यदि नियंत्रक के आदेश पर अस्थायी रोक लगी है और अपीलीय / न्यायालय की कार्यवाहियां प्रलंबित है तो इसका भी उल्लेख किया जाए.



V.	मद क्र. I से IV के संबंध में अन्य कोई स्पष्टीकरण / जानकारी तथा पद के लिए 'उपयुक्त और उचित' स्थिति के निर्धारण हेतु सुसंगत समझी जाए	
	* कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(77) का संदर्भ लें।	
	** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(40) और धारा 184 का संदर्भ लें।	
	*** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 का संदर्भ लें।	
में,	वचनपत्र	
सुपुत्र/स् अनुसार जोकि	पुप्रत्री/पत्नी पुष्टि करता/करती हूं कि सत्य और पूर्ण है। मैं बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में अपने निर्वाचन उक्त उपलब्ध कराई गई जानकारी से संबंधित है, उन्हें बैंक को यथासंभव शीघ्रता से के निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अपेक्षित विधिक विलेख के निष्पादन क	के उपरांत संपन्न ऐसी समस्त गतिविधियों, पूर्णतः अवगत कराने का वचन देता हूं ।

स्थान:

दिनांक: उम्मीदवार के हस्ताक्षर

संलग्नक:

- 1. जहां कहीं भी स्थान पर्याप्त न हो वहां कृपया कालानुक्रमिक रूप से और समुचित प्रतिसंदर्भ सहित जानकारी अनुबंध के रूप में संलग्न करें.
- 2. प्रत्येक पृष्ठ (अनुबंध सहित) पर उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है.

नामांकन समिति के अवलोकन / अभ्युक्तियां :

नामांकन समिति के सदस्य के हस्ताक्षर	नामांकन समिति के सदस्य के हस्ताक्षर	नामांकन समिति के सदस्य के हस्ताक्षर
स्थान :	स्थान :	स्थान :
दिनांक :	दिनांक :	दिनांक :



(PDU FORM PRESCRIBED BY RBI)

Personal Information, Declaration and Undertaking

Name of the Bank: Bank of Maharashtra

Affix passport size photo here

	Declaration & Undertaking by the Candidate with enclos	ures as appropriate as on2014
I.	Personal details of the candidate	
a.	Name in Full (in block capital letters)	
b.	Father's Name (in Full)	
C.	Date of Birth	
d.	Educational Qualifications	
	Educational /academic (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
	Educational/professional (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
e.	Relevant Background and Experience (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank.)	
f.	Permanent Address	
G.	Present Address (For correspondence)	
h.	E-mail ID	
	Telephone Number (Landline)	
	Telephone Number (Mobile)	
i.	 Permanent Account Number under the Income Tax Act (please enclose a copy). Name and address of Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed. 	
j.	Relevant Knowledge and Experience (As required under Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.	
k.	Any other information which the candidate desires to furnish and relevant to the Directorship of the Bank	
II.	Relevant Relationships of the Candidate	
a.	List of Relatives of the candidate, if any, who are connected with the Bank in any way (Please refer to Section 6 and Schedule I-A of the Companies Act, 1956)*.	
b.	List of entities, if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act, 1956)**.	
C.	List of entities in which the candidate is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	



d.	Directorship/Membership on the Board(s) of bank(s) during the past six years (Please give the name(s) of the bank(s), the relevant provisions of the Act under which the appointment/nomination was made and the period of holding such Membership/Directorship).	
e.	Fund and non-fund facilities, if any, presently being enjoyed by the candidate and/or by the entities listed at II (b) and (c) above from the bank.	
f.	Cases, if any, where the candidate or entities listed at II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Bank of Maharashtra or any other bank.	
III.	Records of Professional Achievements	
a.	Professional achievements (Please furnish the details of the achievements which may have a bearing on the directorship of the bank).	
IV.	Proceedings, if any, against the Candidate	
а.	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/ she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.	
b.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations.	
C.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate including present litigation if any.	
d.	Whether the candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 274 of the Companies Act, 1956 read with Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970***.	
e.	Has the candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
f.	Has the candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/legislative requirements by customs/excise/income tax /foreign exchange/other revenue authorities; if so give particulars.	
g.	Whether the candidate/director had at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, RBI, MCA, FEMA, etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	



V.	Any other explanation / information and other information considered proper' status.			
* Ple	ase refer section 2(77) of the Compa	nies Act 2013.		
** Ple	ease refer section 2(40) and section	184 of the Companies Act 2013	3.	
*** P	lease refer section 164 of the Compa	nies Act 2013.		
		Undertaking		
bank the E	confirm that the above information i	s to the best of my knowledge of all events which take place s ation provided above.	and belief, t subsequent	rue and complete. I undertake to keep the to my election as a shareholder director of
i aisc	dindertake to execute the Deed of C	overlant required to be execut	ed by the bi	ilectors of the Darik.
Place	: :			
Date:				Signature of the Candidate
Enclo	osures:			
1.	Wherever space is not sufficient, pl cross reference.	ease attach the information as	annexure i	n chronological order and with appropriate
2.	Each pages (including annexure) are	e required to be signed by the	candidate.	
	Obse	rvations /Remarks of the Nomi	nation Comr	nittee:
Sign Mem	ature of Nomination Committee nber	Signature of Nomination Com Member	mittee	Signature of Nomination Committee Member
Place : Place :			Place :	



Date:

Date:

Date:



बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

उपस्थिति पर्ची

(स्थल पर प्रवेश के समय सौंपा जाना है)

दिनांक : 26 जून 2014 समय : प्रात: 10.30 बजे

स्थान : अप्पासाहेब जोग सभागृह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005

एतद्द्वारा मैं बैंक की वार्षिक साधारण बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं ।

·	**		
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो		डीपीआईडी	
		ग्राहक आईडी	
यदि बेकागजीकृत नहीं है		यदि बेकागजीकृत है	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
	-%— — — — - 7	यहां से कारें — — — –	_%



बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

प्रवेश पर्ची

(संपूर्ण बैठक के दौरान साथ रखे जाने हेतु)

दिनांक : 26 जून 2014 समय : प्रात: 10.30 बजे

शेयरधारक/पॉक्सी/उपस्थित प्राधिकत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

स्थान : अप्पासाहेब जोग सभागृह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005

रानरवारनम् प्रानसाम् उत्तरनस्य माल्युस्स	ann na ar gernare		
पंजीकृत फोलियो		डीपी आई डी	
		ग्राहक आई डी	
यदि बेकागजीकृत नहीं है		यदि बेकागजीकृत है	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			

शेयरधारकों / प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची को हॉल में प्रवेश करने के लिए बैंक के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत हस्ताक्षर कर प्रवेश पर्ची के साथ प्रस्तुत करें. तथापि आवश्यक समझे जाने वाले सत्यापन/जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा. किसी भी स्थिति में बैठक के प्रवेश स्थल पर उपस्थिति पर्ची की अनुलिपि जारी नहीं की जाएगी.





BANK OF MAHARASHTRA

(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.)

ATTENDANCE SLIP

(To be handed over at the time of entry to the Venue)

Date : June 26, 2014 Time : 10.30 A.M.

Venue : Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune-411 005

I hereby record my presence at the Annual General Meeting of the Bank.

, ,,			
Signature of the Shareholder /	Proxy /		
Authorised Representative pres	sent		
Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
If not Dem	naterialised	If Demat	erialised
Name of the Shareholder			
Number of Shares held			
		ere — — — — —	



BANK OF MAHARASHTRA

(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.)

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Date : June 26, 2014 Time : 10.30 A.M.

Venue : Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune-411 005

Signature of the Shareholder /	Proxy /							
Authorised Representative present								
Regd. Folio		DP ID						
		Client ID						
If not Dem	aterialised	If Dema	terialised					
Name of the Shareholder								
Number of Shares held								

Shareholders / Proxy or Authorised Representative are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signature registered with the Bank along with the entry pass for admission to the venue. The admission will, however, be subject to further verification / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-cum-Entry pass will be issued at the entrance to the meeting.





बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारकों द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

पंजीकृत फोलियो संख्या		डी.पी.आई.डी. क्र.			
्यदि बेकागजीकृत नहीं है) -		ग्राहक आई.डां.			
			(यदि बेकाग	ाजीकृत है)	
मैं/हम		निवार्स	ì		
	जिला	राज्य			
	शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा श्री/श्रीमती				
निवासी	जिला	राज्य	को	i, अथवा इनके न	ा होने पर, श्री/श्रीमती
	निवासी		जिला		
राज्य	26 जून 2014 को प्रातः 10.30 बजे अप्प	गसाहेब जोग हॉल, बैंक	जॉफ महाराष्ट्र, ल	तोकमंगल, 1501	, शिवाजी नगर, पुणे
411 005 में होने वाली	बैंक ऑफ महाराष्ट्र की असाधारण आम बैठक	_ह में या <mark>उसके स्थ</mark> गित	। होने पर होने वा	ली बैठ क में अ	पनी/ हमारी ओर से
वोट देने के लिए प्रॉक्स	ो के रूप में नियुक्त करता/ करती हूं.				
दिनांक 2014व	2014को हस्ताक्षरित			₹1/- का	
2011	THE CONTRACTOR			राजस्व टिकट	
				लगाएं	
(प्रॉक्सी के हस्ताक्षर)			(प्रथम शेयरधारक/ए	कमात्र शेयरधारक	के हस्ताक्षर)
नाम:					
पता:					
	मॉर्सी फॉर्म मा सारकार का	ਹੈ ਤ ਹ ੀ ਤਤੰ ਕਰ ੀ	मंत्रंकी अस्तरेका		

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने व उसे दर्ज करने संबंधी अनुदेश

- 1. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि, -
 - क) वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में यह उसके द्वारा या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हो,
 - ख) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हो.
 - ग) निर्गामित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हो. यह नोट किया जाए कि प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि / अधिकार के रूप में उसकी नियुक्ति के संकल्प की एक प्रति जो कि बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति के रूप में संलग्न की जाए.
- 2. प्रॉक्सी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो जब उस पर उसके अंगूठे का निशान लगाया गया हो और उसका अधिप्रमाणन किसी न्यायाधीश या मॅजिस्ट्रेट या ऐश्योरेंस के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो.
- 3. प्रॉक्सी फॉर्म
 - क. मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकारी (यदि कोई हो) जिसके अधीन उस पर हस्ताक्षर किया गया हो या
 - ख. किसी नोटरी पब्लिक अथवा किसी मॅजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामे या प्राधिकार की एक प्रति के साथ असाधारण आम बैठक की तारीख से कम से कम **चार दिन** पूर्व अर्थात **शनिवार दिनांक 21 जून 2014** के समापन समय से पहले अर्थात दोपहर 2.00 बजे तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा विभाग, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे 411 005 में जमा किया जाए.
- 4. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक की उस पर विधिवत स्टैम्प न लगाया गया हो.
- 5. बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अपरिवर्तनीय व अंतिम होगी.
- 6. यदि कोई प्रॉक्सी लिखत दो ग्राहियों के पक्ष में दी गई हो तो एक से अधिक फॉर्म का निष्पादन नहीं किया जा सकता.
- 7. एक प्रॉक्सी लिखत का निष्पादन करने वाले शेयरधारक को उस असाधारण आम बैठक में स्वयं मत देने की अर्हता नहीं होगी, जिससे ऐसी लिखत संबंधित है.
- 8. ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप नियुक्त नहीं किया जा सकता जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अधिकारी या कर्मचारी हो.
- 9. नियुक्त किए गए किसी भी प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।





BANK OF MAHARASHTRA

(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune - 411 005.)

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the shareholders)

Regd .Folio No.		DP ID No.		
		Client ID No.		
l	f not Dematerialised		If Dematerialised	
100/				* 0
	resident(s) of			
	in the State of			
	ra, hereby appoint Shri / Smt			
	in the State of			
Shri/Smt	resident of		in the district of	
in the State of	as my / our proxy	to vote for me / us	and on my/our behalf at	the Annual Genera
Meeting of the Sharel	holders of Bank of Maharashtra to be held	on June 26, 2014 a	t 10.30 a.m. at Appasahe	b Joag Hall, Bank o
Maharashtra, Head C	Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pu	ne 411 005 and at a	any adjournment thereof.	-
·	, , ,			
Signed this	2014.			
Name				
Address			Please	e
/ tdd1033	••••••		affix ₹ 1	1/-
			Revenu	ue
			Stamp	
			Starri	<u>, </u>
Signature of	f Proxy	(Sign	ature of the first named/s	sole shareholder)

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM:

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a. In the case of an individual shareholder, it is signed by the shareholder or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - b. In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - c. In the case of a body corporate, signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing in meet. It is to be noted that a copy of resolution appointing him/her as a duly authorized representative /power to appoint a Proxy,certified to be true copy by the Chairman of the meeting is to be attached
- 2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Maharashtra.
- 3. The Proxy together with
 - a) The power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - b) A copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Bank of Maharashtra with the General Manager,FMA, Bank of Maharashtra, Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005, not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of 02.00-P.M on Saturday, the 21st June 2014
- 4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- 5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- 6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- 7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- 8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Maharashtra.
- 9. The Proxy appointed will not have any right to speak at the Meeting.





(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

संदर्भ क्र एएक्स1/आईएसडी/हरितपहल/2014-15

स्थान : पुणे

दिनांक : 16 मई 2014

प्रिय शेयरधारक,

विषय : निगमित अभिशासन में हरित पहल – ई-मेल आईडी हेतु अनुरोध

- 1. निगमित मामले मंत्रालय (एमसीए) ने निगमित अभिशासन में "हरित पहल" करते हुए कंपनियों को अपने शेयरधारकों को नोटिस / दस्तावेज / अन्य संप्रेषण इलेक्टॉनिक माध्यम से भेजने की अनुमित दी है.
- मंत्रालय के इस कदम से कागज की खपत कम होगी, जिससे पेड़ कटने से बचेंगे, जो हरित पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान होगा. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा दस्तावेज/संप्रेषण भेजने से लागत में तो पर्याप्त बचत होगी ही, साथ ही, डाक में इनकी गुमशुदगी को टाला जा सकेगा और इनका तत्पर संप्रेषण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस उद्देश्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के हमारे प्रयासों में आपका बहुमूल्य सहयोग प्रार्थनीय है।
- 3. हम आपको सूचित करना चाहते हैं िक अब से सभी संप्रेषण/दस्तावेज जैसे आम सभा की सूचना, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण सिंहत वार्षिक रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, जमा िकए गए लाभांशों की एनईसीएस सूचनाएं, आदि आपके ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाएंगे जो आपके द्वारा/ आपके डिपोजिटरी द्वारा हमें उपलब्ध करवाया गया है।
- 4. अतः हम आपसे निम्नानुसार अनुरोध करते हैं :
 - अगर आपके पास डीमैट फॉर्म में शेयर हों तो कृपया सुनिश्चित करें कि आपके निक्षेपागार सहयोगी (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट) के पास आपका अद्यतन ई-मेल आईडी हो.
 - अगर आपके पास भौतिक (फिजिकल) फॉर्म में शेयर्स हों तो अनुरोध है कि अपना ई-मेल आईडी अद्यतन कराने के लिए हमे हमारे उपर्युक्त पते पर या हमारे रजिस्ट्रार्स व शेयर अंतरण एजेंट एमसीएस लिमिटेड को निम्नलिखित पते पर लिखें :
 - एमसीएस लिमिटेड, (यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र) कार्यालय क्र. 21/22, तल मंजिल, काशीराम जमनादास भवन, 5, पी. डिमेलो रोड, (घडियाल गोदी), मस्जिद (पूर्व), मुंबई पिन 400 009. टेलिफोन : (022) 2372 6253-56, फैक्स : (022) 2372 6252 ई-मेल : uday_mcs@yahoo. in
 - कपया जानकारी इस प्रकार दें :
 - i) फोलियो क्रमांक/डीपी आईडी-ग्राहक आईडी :
 - ii) प्रथम/एकमात्र शेयरधारक का नाम :
 - iii) ई-मेल आईडी :
 - iv) टेलीफोन/मोबाईल क्रमांक
 - प्रथम/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर
- 5. इस संबंध में मांग करने पर आप उपर्युक्त मद क्र. (3) में सूचित संप्रेषण/दस्तावेज की भौतिक प्रतियां, भी प्राप्त करने हेतु पात्र हैं. ये दस्तावेज बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in पर निश्चित तिथि से पूर्व भी उपलब्ध होंगे तथा इसकी भौतिक प्रति निरीक्षण हेतु हमारे निवेशक सेवाएं विभाग में कार्यालय समय के दौरान भी उपलब्ध होगी.
- 6. कृपया उपर्युक्त जानकारियों में हुए परिवर्तनों को निवेशक सेवाएं विभाग/एमसीएस लिमिटेड या अपने निक्षेपागार सहयोगी के साथ अद्यतन करें.

सधन्यवाद.

भवदीय,

महापतंधीत

वित्तीय प्रबंधन व लेखा





BANK OF MAHARASHTRA

(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.)

Ref.No.AX1/ISD/Greenin /2014-15 Place : Pune

Date : May 26, 2014

Dear Shareholders.

RE: Green Initiative in Corporate Governance- Request for Email ID

- 01. The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has taken the "Green Initiative in Corporate Governance" thereby allowing companies to send notices / documents / other communications to their shareholders through electronic mode.
- 02. This move by the Ministry is going to reduce the consumption of paper and thereby save trees, which would significantly contribute to the cause of green environment. Besides saving substantially on the cost front, sending documents/ communications by electronic mode also ensures prompt communication without their loss in transit. We solicit your valuable support in our efforts to contribute to this cause.
- 03. We now would like to inform you that henceforth all future communications/ documents, like Notices of General Meetings, Annual Reports including Audited Financial Statements, Directors Report, Auditors Report, NECS intimations of dividend credited etc. will be sent to you in electronic mode at the e-mail address provided by you/made available to us by your Depositories.
- 04. We therefore request you as under:
 - In case you are holding shares in Demat form, please ensure that your e-mail Id with your Depository Participant is an updated one.
 - In case you are holding shares in physical form, you are requested to write to us at our above address or to MCS Ltd, our Registrars and Share Transfer Agents, at the address given below to update your e-mail ld:

MCS Ltd., (Unit: Bank of Maharashtra) Office No21/22, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Building, 5, P.D'Mello Road, (Ghadiyal Godi), Masjid (E) Mumbai: Pin:400 009. Tel (022)2372 6253-56, Fax: (022) 2372 6252 e-mail: uday_mcs@yahoo.in

- The information may please be given as under :
 - I. Folio No./DP ID-Client ID
 - II. Name of the First/Sole Shareholder :
 - III. E-mail ID :
 - IV. Telephone/Mobile No. :
 - V. Signature of the first/sole shareholder
- 05. You are also entitled to physical copies of the communication/ documents said in (3) above, upon requisition in this regard.

 These documents will also be available on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in prior to the mandatory date and physical copy will also be available for inspection during office hours at our Investor Services Department.
- 06. Please update the changes in said details with the Investor Services Dept/MCS Ltd or with your Depository Participants.

Thanking you,

Yours faithfully,

General Manager

Financial Management & Accounts.



(भौतिक रूप से शेयरधारण करने वाले शेयर धारकों के लिए) **एमसीएस लिमिटेड**

यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

आफिस क्रमांक २१/२२ ग्राउण्ड फ्लोर काशीराम जमनादास बिल्डिंग ५, पी.डिमेलो रोड़ (घाडियाल गोदी) मस्जिद (पूर्व) मुंबई - ४०० ००९ फोनः (०२२) २३७२ ६२५३ ५६ फैक्स : (०२२) २३७२ ६२५२

प्रिय महोदय.

विषयः बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इंक्विटी शेयर्स - इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा जिन केंद्रों पर उपलब्ध है वहां इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा के माध्यम से लाभांश प्राप्त करने का विकल्प

मेरे / हमारे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ईक्विटी शेयर्स हैं.

मैं / हम इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा के माध्यम से मेरे / हमारे लाभांश का भुगतान करने का अनुरोध करता हूं / करते हैं और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लाभांश को मेरे / हमारे खाते में जमा किया जाए. (For Shareholders holding shares in physical form only)

MCS Limited

Unit: Bank of Maharashtra

Office No.21/22, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Bldg.,5, P.D. Mello Road, (Ghadiyal Godi), Masjid (E), Mumbai-400 009.
Phone (022) 23726253 Fax (022) 23726252

Dear Sir.

Re: Equity Shares of Bank of Maharashtra - option to receive dividend through Electronic Clearing Service (ECS) facility at centres wherever it is available.

I/ We hold equity shares of Bank of Maharashtra in physical form.

I / We request you to arrange for payment of my / our dividend through ECS facility and credit the same to my / our account as per details given below:

1.		प्रथम / एकल शेयरधारक का नाम	First / Sole Shareholder's name
2.		रजिस्टर्ड फोलिओ क्रमांक	Registered Folio No.
3.		बैंक खाते का विवरण	Particulars of Bank Account
	क. a.	बैंक का नाम	Bank Name
	ख. b.	शाखा नाम	Branch Name
	ग. с.	शाखा का पता	Address of the Branch
	घ. d.	टेलीफोन क्रमांक और फैक्स क्रमांक	Telephone number and Fax number
	ङ e.	बैंक द्वारा जारी माईकर चेक पर अंकित बैंक और शाखा का 9 अंकों वाला माईकर कूट क्रमांक	9 - digit MICR code number of the Bank and Branch as appearing on the MICR Cheques issued by the Bank
	ਹ. f.	खाते का प्रकार (बचत/चालू/नकद साख, कूट क्रमांक 10/11/13 सहित)	Account type (Savings / Current / Cash Credit with code 10/11/13)
	छ. g.	खाता क्रमांक जैसा चेक बुक पर अंकित है*	Account Number as appearing on the Cheque Book*

(उक्त विवरणों के सत्यापन के लिए कृपया अपना कोरा चेक या अपने कोरे चेक की या आपके खाता पासबुक के अगले पेज की फोटो कॉपी संलग्न करें)

मैं / हम एतद्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और पूर्ण है. यदि कोई व्यवहार असत्य या अपूर्ण जानकारी के कारण विलंबित या प्रभावित होता है तो मैं /हम बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा/ठहराएंगे. मैं/हमने समझ लिया है कि बैंक के नियंत्रण के बाहर अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण यदि बैंक इसीएस के माध्यम से लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो बैंक के पास मुझे / हमें देय लाभांश भौतिक रूप से लाभांश वारंट के रूप भेजने का अधिकार स्ररक्षित है.

भवदीय,

दिनांक :

(प्रथम / एकल शेयरधारक के नाम और हस्ताक्षर)

नोट :

- यदि आपके पास इलेक्ट्रानिक (डीमेट) प्रारूप में शेयर उपलब्ध हैं तो कृपया अपने बैंक का विवरण सीधे डिपाजिटरी सहभागी को उपलब्ध कराएं.
- 2. ईसीएस सुविधा वर्तमान में निम्नलिखित केंद्रों पर उपलब्ध है :
 - आगरा, अहमदाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, बडौदा, बेंगलूर, भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, चेमै, देहरादून, गुवाहाटी, ग्वालीयर, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, जालंधर, जामनगर, जम्मू, कानपुर, कोल्हापुर, कोलकाता, लखनऊ, लुधियाना, मदुरै, मेंगलोर, मुंबई, नागपुर, नासिक, नई दिल्ली, पणजी, पटना, पुणे, रायचुर, रायपुर, राजकोट, सोलापुर, सूरत, तिरूवनन्तपुरम, त्रिपुर, उडपी, विजयवाझ, विशाखापट्टनम.
- उराष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) लाभांश को भुगतान की केन्द्रीय प्रक्रिया को सरल बनाता है. एनईसीएस के माध्यम से बैंक ईसीएस सुविधा को गैर-ईसीएस केन्द्रों पर उपलब्ध कराती है. अतः हम सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि नए ईसीएस दावों को, यदि कोई हों तो, सीबीएस बैंक खाता संख्या के साथ भेजें ताकि पुराने बैंक खाता क्रमांक को इससे अद्यतन किया जा सके. जो शेयरधारकों के पास शेयर भौतिक रूप में रखे हैं वे विधिवत्त भरे हुए प्रारूप को रिजस्ट्रार व शेयर अन्तरण एजेंट (आरटीए-एमसीएस लि.) को भेज दें. जिन शेयरधारकों के पास डीमेट रूप में शेयर हैं उन्हें अपना अधिदेश संबंधित डिपॉजिटरी (डीपी) को भेजना चाहिए.

(*Please attach a cancelled blank cheque or photocopy thereof or front page of your savings bank passbook issued by the Bank for verification of the above details).

I / We hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If any transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I / We would not hold the Bank responsible. I / We understand that the Bank also reserves the right to send the dividend payable to me by a physical dividend warrant on account of unforeseen circumstances beyond the control of the Bank that may effect the payment of dividend through ECS.

Yours faithfully,

Date:

(Name and signature of First / Sole Shareholder)

Notes:

- In case you hold shares in electronic (Demat) form, kindly give the Bank details directly to your Depository participant.
- 2. The ECS facility is available at present at the following centres:
 - Agra, Ahmedabad, Amritsar, Aurangabad, Baroda, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Dehradun, Guwahati, Gwalior, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jallandhar, Jammu, Jamnagar, Kanpur, Kolhapur, Kolkata, Lucknow, Ludhiana, Madurai, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Nasik, New Delhi, Panaji, Patna, Pune, Raipur, Rajkot, Solapur, Surat, Thiruvanthapuram, Tirupur, Udupi, Vijayawada, Visakhapatnam.
- 3. National Electronic Clearing Services (NECS) facilitates centralized processing of dividend payment. The Bank would extend ECS facility at Non-ECS centres also through NECS. We, therefore, request all the shareholders to send new ECS mandate with CBS Bank account number, if any, for updating the same in place of old Bank account number. The Shareholders holding shares in physical form are required to send the duly filled in form to Registrar and Share Transfer Agent (RTA)-MCS LTD and Shareholders holding shares in DEMAT FORM are required to send the Mandate to their respective Depository Participant (DP).

बुक - पोस्ट

BOOK-POST

सेवा में,		
То		

सुपुर्द न होने पर कृपया लौटाएं: मेसर्स एमसीएस लि. यूनिट: बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिस नम्बर 21/22, तल मंजिल, काशीराम जमनादास बिल्डिंग, 5 डिमेलो रोड (घड़ियाल गोदी), मस्जिद (पूर्व), मुंबई - 400 009 If undelivered please return to:

M/s. MCS Ltd.

Unit: **Bank of Maharashtra**Office No. 21/22, Ground Floor,
Kashiram Jamnadas Building,
5 D'Mello Road (Ghadiyal Godi)
Masjid (East), Mumbai 400 009.



एक परिवार एक बैंक



एक परिवार एक बैंक

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2013-2014

अनुक्रमणिका INDEX

ரு. No.	विषय सूची	Contents	ਧ੍ਰਾਣ क्र. Page No.
1.	निदेशक मण्डल	Board of Directors	2
2.	महाप्रबंधक	General Managers	3
3.	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का वक्तव्य	Statement of Chairman & Managing Director	4
4.	प्रगति एक नज़र में	Progress at a glance	8
5.	निदेशकों की रिपोर्ट	Directors' Report	9
	• प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	Management Discussion and Analysis	9
	• वर्ष 2013-14 का कार्य निष्पादन	Performance in 2013-14	10
	• संगठन और समर्थन सेवाएं	Organisation and Support System	15
	• सामाजिक बैंकिंग	Social Banking	25
	• बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं / परियोजनाएं	Important Schemes/Projects of the Bank	26
	• निगमित सामाजिक दायित्व	Corporate Social Responsibility	28
	• अग्रणी बैंक योजना	Lead Bank Scheme	29
	• सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं	Subsidiaries/Joint Ventures and Sponsored Institutions	s 30
	• राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	Implemention of Official Language Policy	32
	• निदेशकों की जिम्मेदारी का वक्तव्य	Directors' Responsibility Statement	32
	• निदेशक मंडल में परिवर्तन	Changes in the Board of Directors	33
	 आभार 	 Acknowledgements 	33
6.	कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	Report of the Board of Directors on Corporate Governance	34
7.	तुलनपत्र	Balance Sheet	62
8.	लाभ व हानि लेखा	Profit & Loss Account	63
9.	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	72
10.	खातों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	78
11.	नकदी प्रवाह का विवरण	Statement of Cash Flow	125
12.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	Auditors' Report	127
13.	समेकित वित्तीय विवरण	Consolidated Financial Statement	130

ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा का नोटिस संलग्न NOTICE FOR 11th ANNUAL GENERAL MEETING ENCLOSED

संवैधानिक लेखा परीक्षक STATUTORY AUDITORS

कीर्तने एंड पंडित सनदी लेखाकार पुणे - 411 004 **Kirtane & Pandit** Chartered Accountants Pune - 411 004 जे सी भल्ला एंड कं. सनदी लेखाकार नोएडा, उ.प्र. - 201 301 **J C Bhalla & Co.** Chartered Accountants Noida, U.P. - 201 301 जी बसु एंड कं. सनदी लेखाकार कोलकाता - 700 072 **G Basu & Co**. Chartered Accountants

Kolkata - 700 072

सिंह रे मिश्रा एंड कं. सनदी लेखाकार भुवनेश्वर - 751 001 Singh Ray Mishra & Co. Chartered Accountants Bhubaneshwar - 751 001.



श्री एस. मुहनोत अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Shri S. Muhnot Chairman and Managing Director

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारको,

आपके बैंक की वार्षिक साधारण बैठक में आपका स्वागत करते हुए और 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है । सर्वप्रथम मैं आपके अखंड विश्वास, सहयोग और संरक्षण के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जिसकी वजह से कठिन परिस्थितियों में भी बैंक ने प्रगति की । बैंक के कार्यनिष्पादन पर चर्चा से पूर्व मैं आर्थिक और बैंकिंग परिवेश के बारे में कुछ कहना चाहूंगा ।

वर्ष 2013-14 ऋण और आर्थिक परिवेश की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण रहा, जहां देश का सकल घरेलू उत्पाद 5 प्रतिशत मात्र रहा । राजकोषीय घाटे और उच्च मुद्रास्फीति की आंतरिक चुनौतियों ने चालू खाते के घाटे की स्थिति को बहुत कठिन बना दिया । इन कारणों से आधारभूत परियोजनाओं और निर्यात पर भारी असर पड़ा और बैंकिंग प्रणाली पर दबाव बनता गया ।

इस अविध के दौरान जमाराशियों की उच्च लागत, ऋण वृद्धि की मंद गित के साथ-साथ बढ़ती हुई अनर्जक आस्तियों/पुनर्सरचित आस्तियों के कारण बैंकिंग क्षेत्र के मार्जिन पर लगातार दबाव बना रहा । धीमी आर्थिक वृद्धि और उच्च घरेलू मुद्रास्फीति के कारण घरेलू वित्तीय बचत दर में कमी आई, जिसके परिणामस्वरूप जमाराशियों की वृद्धि दर कम रही ।

बैंकिंग क्षेत्र में पिछले वर्ष के 14.30 प्रतिशत की तुलना में, वर्ष 2013-14 में 14.63 प्रतिशत सकल जमाराशि की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष 14.10

STATEMENT OF CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Dear Shareholders.

It gives me immense pleasure in welcoming you to the Annual General Meeting of your Bank and presenting the Annual Report and Financial Statements for the year ended 31st March 2014. At the outset, I would like to thank you, for your continuous trust, support and patronage, which has enabled the Bank progress through difficult situations. Before I deliberate on the Bank's performance, I would like to touch upon the economic and banking environment.

The year 2013-14 saw a challenging economic and credit environment where GDP growth was just about 5%. Internal challenges of fiscal deficit, current account deficit and high inflation made for a very difficult environment. Due to these factors, infrastructure projects and exports were heavily affected creating stress on the banking system.

During this period, the Banking sector consequently, witnessed downward pressure on margins on account of higher cost of deposits, deceleration in credit growth as well as rising NPAs/restructured assets. Due to high domestic inflation and lower economic growth, household financial savings rate has also come down which reflected in slower deposit growth.

The Banking sector witnessed an aggregate deposit growth of 14.63% in year 2013-14 as against previous year 14.30%

प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013-14 में अग्रिमों की वृद्धि दर 14.26 प्रतिशत रही ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वृहत रूप से विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद जमाराशियों/अग्रिमों के क्षेत्र में, लाभप्रदता की स्थिति से समझौता करने के बाद भी बैंक का कार्यनिष्पादन बहुत अच्छा रहा । यह आपके सतत समर्पित सहयोग, हमारे ग्राहकों के संरक्षण तथा सभी स्टाफ सदस्यों द्वारा कर्तव्यनिष्ठ सहभागिता के कारण संभव हुआ है ।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान आपके बैंक के कार्य निष्पादन की विशिष्टताएं निम्नानुसार हैं :

- व्यवसाय के मोर्चे पर बैंक का कुल व्यवसाय 31 मार्च 2013 के
 ₹ 1,70,734 करोड़ की तुलना में 21.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते
 हए 31 मार्च 2014 को ₹ 2,07,171.76 करोड़ हो गया ।
- कुल जमाराशियां 31.03.2013 के ₹ 94,336.93 करोड़ की तुलना में 23.81 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च 2014 को ₹ 22,466.16 करोड़ बढ़कर ₹ 1,16,803.09 करोड़ हो गईं।
- उचालू खाता एवं बचत खाता (कासा) जमाराशियां पिछले वर्ष के ₹ 38,475 करोड़ से 8.96 प्रतिशत की बृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2014 को बढ़कर ₹ 41,921 करोड़ हो गईं । बैंक की कुल जमाराशियों में कासा जमाराशियों का अंश 35.89 प्रतिशत हो गया ।
- 4. सकल अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 18.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई और ये 31 मार्च 2014 को ₹ 90,368.67 करोड़ हो गए।
- 5. मार्च 2014 की समाप्ति पर प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम ₹ 32,010.68 करोड़ रहे जो 40 प्रतिशत के अपेक्षित स्तर की तुलना में एएनबीसी के 41.99 प्रतिशत रहे ।
- प्रित कर्मचारी व्यवसाय ₹ 14.39 करोड़ हो गया जो वर्ष 2013 में
 ₹ 12.56 करोड़ था ।
- वेसल III मानदंडों के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर)
 न्यूनतम 9 प्रतिशत की विनियामक आवश्यकता की तुलना में 10.79
 प्रतिशत के संतोषप्रद स्तर पर रहा ।
- 8. वित्तीय वर्ष 2013 के ₹ 2,148.71 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014 हेतु परिचालन लाभ ₹ 2,006.37 करोड़ रहा । वित्तीय वर्ष 2013 के ₹ 759.52 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014 हेतु निवल लाभ ₹ 385.97 करोड़ रहा ।
- 9. कुल आय ₹ 2,325.42 करोड़ बढ़कर ₹ 12,850.85 करोड़ हो गई, जिसमें वर्ष 2012-13 की तुलना में 22.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई ।
- 10. गैर ब्याज आय 31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु पिछले वर्ष ₹ 796.3 करोड़ की तुलना में 12.31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 894.20 करोड़ हो गई।
- 31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु निवल ब्याज मार्जिन सुदृढ़ रूप से
 2.71 प्रतिशत रहा ।

while advances growth rate shows 14.26% in year 2013-14 as against 14.10% in earlier year.

In the year under review, despite the given macro economic situation, the Bank has grown reasonably well in terms of depsoits/advances though it had to compromise on its profitability position. This could happen due to your continued whole-hearted support, patronage of the customers besides dedication of all staff members.

Performance highlights of your Bank on major parameters during FY 2013-14 are as under.

- On the business front, the total business of the Bank reached a level of ₹ 207171.76 crore as on 31.03.2014 from ₹ 170734 crore as on 31.03.2013, registering a growth of 21.34%.
- 2. Total deposit increased by ₹ 22466.16 crore to ₹ 116803.09 crore as on 31.03.2014 from ₹ 94336.93 crore as on 31.03.2013 recording a growth of 23.81% on Y-o-Y basis.
- The Current account and savings account (CASA) deposits increased to ₹ 41921 crore as of 31.03.2014 from ₹ 38475 crore a year ago, registering a growth of 8.96%. Share of CASA deposits in total deposits amounts to 35.89%.
- 4. Gross advances increased by 18.29 per cent y-o-y to reach ₹ 90,368.67 crore as at 31.03.2014.
- Priority Sector advances stood at ₹ 32010.68 crore at the end of March 2014 which worked out to 41.99 per cent of ANBC against the required level of 40 per cent.
- 6. Business per employee was ₹ 14.39 crore as against ₹ 12.56 crore as on 31.03.2013.
- Capital adequacy ratio (CRAR) under Basel III norms was comfortable at 10.79 per cent as against the minimum 9 per cent regulatory requirement.
- 8. Operating profit for FY 13-14 reached at ₹ 2006.37 crore in comparison to ₹ 2148.71 for FY 12-13 whereas Net profit for FY 13-14 was at 385.97 crore as compared to 759.52 crore for FY 12-13.
- Total Income increased by 2325.42 crore to 12850.85 crore recording growth rate of 22.09 per cent over FY 2012-13.
- Non interest income increased to ₹ 894.20 crore for year ended 31.03.2014 as against ₹ 796.3 crore for the previous year showing an increase of 12.31%.
- Net Interest Margin (NIM) stood at healthy 2.71% for year ending 31.03.2014.

- 12. आर्थिक मंदी के मद्देनजर आस्ति गुणवत्ता पर दबाव बना रहा । तथापि इस कठिन समय में भी सकल अनर्जक आस्ति अनुपात पर नियंत्रण रखते हुए वित्तीय वर्ष 2013 के 1.4 प्रतिशत की तुलना में बैंक इसे 3.16 प्रतिशत रख सका । पिछले वर्ष 0.52 प्रतिशत की तुलना में निवल अनर्जक आस्ति अनुपात वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु 2.03 प्रतिशत रहा ।
- 13. अनर्जक आस्ति प्रावधान व्याप्ति अनुपात 31 मार्च 2014 को 56.15 प्रतिशत रहा ।

वर्ष 2013-14 के दौरान व्यवसाय में त्वरित वृद्धि करने तथा कार्य-क्षमता को बेहतर बनाने हेतू बैंक ने कई व्यावसायिक पहलें कीं :

- क. उत्पादकता को बेहतर बनाने सिहत ग्राहक संतोष को अधिकतम करने की दृष्टि से बैंक ने एक नई पहल करते हुए विभागीय 'रणनीतिक पहल' प्रोजेक्ट आरंभ किया । इस प्रोजेक्ट का नाम 'उत्कर्ष' रखा गया जो एक व्यवसाय रूपांतरण कार्यक्रम है । बैंक ने इस रूपांतरण हेतु अर्नस्ट एंड यंग को परामर्शक नियुक्त किया है ।
- ख. 1129 नए एटीएम स्थापित किए गए, जिससे एटीएम की कुल संख्या 1827 हो गई ।
- ग. 162 नई शाखाएं खोली गईं, जिससे बैंक का शाखा नेटवर्क बढ़कर 1890 हो गया।
- घ. वित्तीय वर्ष 2013-14 में मूलभूत खातों को छोड़कर 30.51 लाख नए चालू व बचत खाते खोले गए ।
- ङ. उच्च निवल मालियत वाले वैयक्तिकों हेतु 'महाबैंक रॉयल बचत खाता योजना' चलाई गई ।
- च. "666 दिनों की महालाभ" मीयादी जमा योजना आरंभ की गई जिसमें 9.16 प्रतिशत तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज देय है।
- छ. संपूर्ण महिला कर्मियों की 7 शाखाएं आरंभ की गईं।
- ज. वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देते हुए बैंक ने ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में 54 शाखाएं खोली, जहां अभी तक कोई बैंक नहीं था।
- झ. समग्र भारत में रेलवे पेंशन की देखरेख हेतु बैंक को प्राधिकृत किया गया।
- ञ. दस अंचलों में बैंक ने प्रायोगिक रूप से आवासीय और वाहन ऋणों हेतु डीएसए नियुक्त किए।
- ट. कासा जमाराशियों के संग्रहण और प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत व्यवसाय वृद्धि हेतु स्टाफ को प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया गया।
- ठ. स्प्रिंकलर्स तथा ठिबक (ड्रिप) सिंचन सेट के वित्तीयन हेतु जानी-मानी निर्माता कंपनियों के साथ गठबंधन किया गया।
- ड. बैंक अपने चुनिंदा ग्राहकों के लिए द्वार तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है।

- 12. In view of the economic slowdown, there was a pressure on the asset quality. Even in this difficult time, the Bank could control the Gross non-performing asset (NPA) ratio to 3.16 per cent in FY 13-14 as against 1.4% for FY 12-13. The Net NPA stood at 2.03 as of FY 13-14 against 0.52% a year ago.
- The NPA provision coverage ratio stood 56.15 per cent as at 31.03.2014.

During year 2013-14, your Bank has taken several business initiatives for faster business growth and efficiency of improvement.

- a. With a view of maximizing Customer Satisfaction along with improvement in productivity, Bank has taken novel step by performing department –"Strategic Initiative". The project is named "Utkarsha" which is business transformation programme. Bank has engaged Ernst & Young as consultant for the transformation.
- the state of the s
- c. 162 new branches were opened taking the branch network to 1890.
- d. Opened 30.51 lakhs new Current & Savings accounts excluding basic accounts in the FY 2013-14.
- Launched "Mahabank Royal Savings Account Scheme" for HNIs.
- f. Launched "Maha–Laabh 666 days" Term Deposit scheme with 9.16% interest rate compounded quarterly.
- g. Seven All women branches made functional.
- h. Opened 54 new branches in un-banked rural areas fostering Financial Inclusion
- Authorized to handle railway Pension disbursement all over India.
- Appointment of DSAs for Housing and vehicle Loans on Pilot basis in 10 zones.
- Staff was motivated and incentivized for increasing business under priority sector and mobilization of CASA deposits.
- Tie

 up arrangement with reputed manufacturing companies for financing of Sprinklers, Drip irrigation sets etc.
- m. Door Step banking Service (DSBS) for selected customers of bank.

ढ. आईआईएनएसएस-सी (मुद्रास्फीति सूचकांक राष्ट्रीय बचत प्रतिभूतियां-संचयी, 2013) : बैंक में यह योजना 23 दिसंबर 2013 से आरंभ हुई। वर्तमान में हमारी 817 (368 शहरी एवं 449 महानगरीय) शाखाएं इस प्रकार की प्रतिभूतियों के संग्रहण हेतु चिन्हित की गई हैं।

हमारा मानना है कि अर्थव्यवस्था के साथ-साथ बैंक के लिए भी परीक्षा की घड़ी बीत चुकी है। हम अर्थव्यवस्था की प्रगति के प्रति आशान्वित हैं, जिसके परिणामस्वरूप हमारे आधारभूत क्षेत्र का विकास होगा और अंतर्राष्ट्रीय वृहत आर्थिक परिवेश में सुधार से निर्यात क्षेत्र में मजबूती आएगी।

बढ़ती हुई मांग के कारण अग्रिमों से आय में वृद्धि और कासा स्थिति को मजबूत कर हम लाभदायी प्रगति करेंगे। नई स्लिपेजेस में पहले ही कमी आने लगी है और वसूलियों पर दृढ़ता से फोकस हमारे लाभ को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में सहायक होगा। आपके समर्थन एवं संरक्षण के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बैंक को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए भविष्य में भी आपके सतत सहयोग की कामना करता हूं।

 IINSS-c (Inflation Index National Saving Securities – Cumulative, 2013)- This Scheme was introduced in bank from 23 Dec, 2013, presently, 817 (Urban – 368 & Metro 449) branches are designated for collection of such securities.

We believe the worst is over for the economy and also for the Bank. We are optimistic about economic growth and consequent improvement in the infrastructure sector apart from improving international macro-economic environment leading to strengthening of the export sector.

We are therefore looking at profitable growth by further enhancing our CASA position while increasing our yield on advances in view of increasing demand. Fresh slippages have already shown a declining trend and single minded focus on recoveries will help us to improve our bottom line significantly. I thank you for your continued support and patronage and solicit the same in future to take your Bank to greater heights.

 $\varphi_{ij}(\overline{x}_{ij}^{(i)}, x_i) = \widehat{\varphi}_{ij}(\overline{x}_{ij}^{(i)}, x_i)$

एस. मुहनोत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

S. Muhnot Chairman & Managing Director

प्रगति-एक नज़र में PROGRESS AT A GLANCE

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

	2011-12	2012-13	2013-14
प्रदत्त पूंजी Paid-up Capital	1178	1249	1427
आरक्षिति Reserves	3545	5147	5941
कुल जमाराशियां Total Deposits	76529	94337	116803
वृद्धि % Growth %	14.49	23.27	23.81
कुल जमाराशियों में कासा का अंश (%) CASA Share in Total Deposits (%)	41.33	40.79	35.89
अग्रिम Advances	56,979	76397	90369
वृद्धि % Growth %	19.99	34.08	18.29
खुदरा अग्रिम Retail Advances	6008	8281	10769
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	19,199	24719	32010
कृषि Agriculture	6,090	7972	10276
माइक्रो व सूक्ष्म उद्यम Micro and Small Enterprises	8,631	11289	15098
अल्पसंख्यक क्षेणी को अग्रिम Advances to Minority Sections	885	1871	2258
अ जा / अ ज जा ग्राहकों को अग्रिम Advances to SC/ST Sections	781	1161	1512
निर्यात ऋण Export Credit	873	1886	1949
कुल आय Total Income	7,855	10525	12851
कुल व्यय Total Expenditure	6,339	8377	10845
परिचालन लाभ Operating Profit	1,515	2149	2006
निवल लाभ Net Profit	431	760	386
शाखाओं की संख्या Number of Branches	1,589	1728	1890
एटीएम की संख्या Number of ATMs	502	692	1827
प्रमुख निष्पादन अनुपात (%) Key Performance	Ratios (%)		
पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बेसल II (%) Capital Adequacy Ratio - Basel II (%)	12.43	12.59	NA
पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बेसल III (%) Capital Adequacy Ratio - Basel III (%)	NA	NA	10.79
प्रति शेयर आय (₹) Earning Per Share (₹)	7.59	11.88	4.56
प्रति शेयर बही मूल्य (₹) Book Value Per Share (₹)	54.06	67.10	66.69
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ लाख में) Business Per Employee (₹ lakh)	9.67	12.56	14.39
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में) Profit Per Employee (₹ lakh)	3.12	5.59	2.68
औसत आस्तियों पर आय Return on Average Assets	0.55	0.74	0.30
लागत आय अनुपात Cost to Income Ratio	52.02	45.54	54.43
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात Gross NPA Ratio	2.28	1.49	3.16
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात Net NPA Ratio	0.84	0.52	2.03
प्रावधान व्याप्ति अनुपात Provision Coverage Ratio	80.36	83.68	56.15
ऋण-जमा अनुपात Credit-Deposit Ratio	74.45	80.98	77.37
एएनबीसी के प्रति प्राथमिकता ऋण Prioriy Credit to Adjusted Net Bank Credit	40.81	43.20	41.99

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशक 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ व हानि खाते और व्यवसाय एवं परिचालन पर रिपोर्ट के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष सहर्ष प्रस्तुत करते हैं.

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषणः

1.1 वर्ष 2013-14 में आर्थिक परिदृश्य

चालू वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 14) में घरेलू आर्थिक विकास मुख्यतः स्फीतिकारक दबावों, गिरावटी मांग और निवेश स्थिति द्वारा चलायमान रही.

वित्तीय वर्ष 14 की पहली तीन तिमाहियों के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 4.6 प्रतिशत थी जो वित्तीय वर्ष 13 की समान अविध में दर्ज 4.5 प्रतिशत से मामूली रूप से बेहतर रही. पूरे वर्ष की वृद्धि लगभग 4.7 प्रतिशत रहने की संभावना है. पिछली दो तिमाहियों में हुए विकास से यह संकेत मिलता है कि आर्थिक वृद्धि में धीमी गति से पहले ही सुधार आरंभ हुआ है और वसूली (यद्धिप धीमी) आरंभ हुई है.

वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि संकीर्ण सुरंग में सर्प जैसी गतिहीनता के बिंदु के आसपास हुई है जबिक पिछले प्रथम 10 महीनों में से 5 में नकारात्मक वृद्धि रही. बड़ी उद्योग श्रेणियों के बीच सबसे खराब स्थिति उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और मोटर वाहन की रही.

आम चुनावों के कारण उच्चतर घरेलू मांगों की संभावना और स्फीतिकारक दबावों में उल्लेखनीय अनुशोधन से औद्योगिक वृद्धि में उछाल हो सकती है जो चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक नकारात्मक वृद्धि परिलक्षित हुई है.

आयात में कमी और निर्यात में निरंतर वृद्धि (माह फरवरी के लिए छोड़कर) के कारण व्यापार घाटा लगातार आठवें माह के लिए संकुचित हुई है. इस वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में चालू खाता घाटा वित्तीय वर्ष 2012-13 के 88 अरब यूएस डॉलर की तुलना में 31 अरब यूएस डॉलर तक नीचे आ गई है. स्वर्ण एवं गैर-पीओएल गैर स्वर्ण अंतरर्राष्ट्रीय मंडी कीमतों से चालू खाता घाटा में कमी होने से सहायता मिली है.

चालू वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति मूल रूप से विशेषकर भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति में उठाये गये उपायों के लिए केन्द्रित रही.

डॉ. उर्जित पटेल समिति ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मौद्रिक नीति विचारों के लिए नाममात्र आधार दर रखने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति लक्ष्य जनवरी 2015 तक 8 प्रतिशत, जनवरी 2016 तक 6 प्रतिशत और 4 प्रतिशत (जिसमें 2 प्रतिशत की कमी या अधिकता हो सकती है) दीर्घावधि लक्ष्य की अनुशंसा की है.

खुदरा (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) एवं थोक (थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दोनों की स्थिति वर्ष के अधिकतम समय के लिए दो-अंकीय थी, जिसमें अंतिम तिमाही में 8.63 प्रतिशत और फरवरी 2014 में 4.68 प्रतिशत तक अभूतपूर्व रूप से कमी आई.

वर्ष 2013-14 के दौरान भारतीय बैंकिंग उद्योग का कार्यनिष्पादन

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंकिंग क्षेत्र जमाराशियों पर उच्च लागत पर मार्जिन, साख वृद्धि में गिरावट के साथ साथ अनर्जक आस्तियों/पुनर्गठित आस्तियों में बढोत्तरी के कारण हुई गिरावट के दबावों का साक्षी रहा है.

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की कुल जमाराशियों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि बैंक साख में वृद्धि से पीछे रह गई है. उच्च घरेलू मुद्रास्फीति एवं निम्न आर्थिक वृद्धि के कारण घरेलू वित्तीय बचत दर नीचे आ गई है जो धीमी जमाराशि वृद्धि में पिरलक्षित हुई है. सितम्बर 2013 से बैंक जमाराशियों में वृद्धि और विपरीत साख में अंतर में एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई विशेष विनिमय खिड़की के कारण कमी आई.

वित्तीय वर्ष 2014 (31 मार्च 2014) के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को यद्विप अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियाँ वर्ष-दर-वर्ष 14.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 77,394 अरब रही एफसीएनआर (बी) जमाराशियों की वृद्धि हेतु समायोजित वृद्धि दर भारतीय रिजर्व बैंक के लिक्ष्यित 14 प्रतिशत दर के समान रही. इसी दौरान बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कुल जमाराशियों में 25.54 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि दर्ज की गई.

DIRECTORS' REPORT

Your Directors have great pleasure in presenting before you the Annual Report of the Bank along with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2014.

1. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS:

1.1 Economic scenario 2013-14

Domestic economic developments in the current financial year (FY14) were mostly driven by inflationary pressures, subdued demand and investment position.

Real GDP growth for the first three quarters of FY14 was 4.6 per cent, which was marginally better than 4.5 per cent recorded in same period of FY13. The full year growth is likely to be about 4.7 per cent. Developments in the past two quarters indicate that slowdown in economic growth has already bottomed out and recovery (although slow) has started.

During the year, growth in industrial production has moved like a snake in a narrow tunnel around the point of stagnation, while in 5 out of the first 10 months there were negative growths. Among the major industry categories, the worst hit has been Consumer Durables and Motor Vehicles.

Significant moderation in inflationary pressures and prospects of higher domestic demands on account of General Elections may spur industrial growth, which has shown negative growth in current FY so far.

On account of decline in imports and sustained growth in exports (except for the month of February) trade deficit has been shrinking for the eighth consecutive month. Current Account Deficit (CAD) in the first three quarters of this year has come down to USD 31 billion from USD 88 billion in FY 2012-13. The stringent steps taken to curb gold and declining non-POL non-gold international commodity prices have helped in shrinking CAD.

In the current financial year, inflation remained the prime focus, especially for monetary policy measures of the RBI.

Dr. Urjit Patel Committee has highlighted the need for CPI inflation to be the nominal anchor for monetary policy considerations and has recommended CPI inflation target of 8 per cent by January 2015, 6 per cent by January 2016 and set a long term target of 4 per cent with a band of +/-2 per cent.

Both retail (CPI) and wholesale (WPI) inflation, which were in double digits for most part of the year, have declined drastically in the last quarter to 8.63 per cent and 4.68 per cent in February 2014.

Performance of Indian Banking Industry in 2013-14

During the current financial year, the Banking sector has been witnessing downward pressure on margins on account of higher cost of deposits, deceleration in credit growth as well as rising NPAs/restructured assets.

Y-o-Y growth in Aggregate Deposits of Scheduled Commercial Banks (SCBs) lagged behind growth in bank credit. Due to high domestic inflation and lower economic growth, household financial savings rate has come down which is reflected in the slower deposit growth. The gap between growth in bank deposits and credit reversed since Sept 2013, thanks to the special swap window made available by RBI for FCNR(B) deposits.

As on last reporting Friday of FY14 (31st March 2014), even though aggregate deposits of SCBs witnessed a y-o-y growth of 14.65 per cent to ₹ 77,394 billion, the growth rate adjusted for growth in FCNR(B) deposits has been the RBI targeted rate of 14 per cent. Aggregate Deposit of BoM increased by 25.54 per cent (Y-o-Y) during the same period.

31 मार्च 2014 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बैंक ऋण में 14.31 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले वर्ष के समान अविध में 15.37 प्रतिशत की तुलना में ₹ 60,131 अरब हो गए. बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऋण में 21.03.2014 को 17.89 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि दर्ज हुई.

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 77.69 प्रतिशत रहा. (31 मार्च 2014 तक).

परिदृश्य

भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाले वर्ष में बेहतर वृद्धि दर्ज करने की अपेक्षा है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2013 की 4.4 प्रतिशत की तुलना में कैलेन्डर वर्ष 2014 एवं 2015 के लिए क्रमशः 5.4 प्रतिशत एवं 6.4 प्रतिशत वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2014-15 में 5-6 प्रतिशत के बीच आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है. साथ ही इसमें वर्ष 2014-15 की चौथी तिमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 7.5-8.5 प्रतिशत के बीच का अनुमान लगाया गया है.

विभिन्न रेटिंग एजेन्सियों तथा उपलब्ध संकेतो के अनुसार बैंकों की आस्ति गुणवत्ता आर्थिक वसूली में धीमी गित होने के कारण अगले वर्ष भी दबाब में रहेगी और घरेलू औद्योगिक गितविधियों को उभरने में समय लगेगा. कमजोर आस्ति गुणवत्ता के कारण वर्ष 2014-15 में भी बैंकों की लाभप्रदता एवं पूंजीकरण पर दबाव बना रहेगा.

2. आपके बैंक का वर्ष 2013-14 का कार्य निष्पादन

2.1 कारोबार

आपके बैंक का कुल कारोबार पिछ्ले वर्ष के ₹ 1,70,734 करोड़ की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 21.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2014 को ₹ 2,07,172 करोड़ हो गया.

2.2 जमाराशियां

बैंक की कुल जमाराशियां ₹ 94,337 करोड़ के स्तर पर 23.8 प्रतिशत वृद्धि के साथ मार्च 2014 की समाप्ति पर ₹ 1,16,803 करोड़ हो गईं.

चालू व बचत बैंक (कासा) जमाराशियाँ 31.03.2014 को बढ़कर ₹ 41,921 करोड़ हो गईं. आपके बैंक की कुल जमाराशियों में चालू व बचत खातों की जमाराशियों का हिस्सा 31.03.2014 को 35.89 प्रतिशत रहा, जो कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सर्वोच्च में से एक है.

2.3 ऋण अभिनियोजन

भारत सरकार के उधारी मानदण्डों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक में उधारी नीति लागू है. यह नीति गुणात्मक ऋण वृद्धि पर बल देती है और विनियामक आवश्यकताओं के साथ-साथ विवेकपूर्ण विगोपन सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करती है.

बैंक के सकल अग्रिम 31.03.2013 के ₹ 76,397 करोड़ से 18.29 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़कर 31.03.2014 को ₹ 90,369 करोड़ हो गए. वर्ष 2013-14 के दौरान बैंकिंग उद्योग से कदम मिलाते हुए ग्राहक उन्मुख दृष्टिकोण सहित उत्साहपूर्ण सेवा बैंक की वृद्धि में सहायक हुई.

ऋण सुपुर्दगी तंत्र में सुधार हेतु विभिन्न कदम उठाए गए जिसके साथ ऋण की समग्र गुणवत्ता में समझौता किए बिना कायाकल्प (टर्नअराउंड) समय में कमी लाई गई.

अग्रिमों पर आय में वृद्धि और ऋण जोखिम में कमी हेतु मिड कार्पोरेट भविष्य में भी बैंक के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक होना जारी रहेगा.

संविभाग संमिश्र के फेरबदल द्वारा संविभाग आय में सुधार हेतु प्रयास जारी रहे.

2.3.1 ऋणों का क्षेत्रवार विनियोजन

अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों को वित्तपोषण के समय बैंक ने विकेन्द्रित ऋण संविभाग बनाए रखने का प्रयास किया है, तािक विभिन्न क्षेत्रों को ऋण विस्तारण सुनिष्टिचत हो सके. बैंक ने अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान देने वाले कोर, विनिर्माणी, प्राथमिकता क्षेत्र तथा आधारभूत परियोजनाओं को समर्थन देने के अपने प्रयास जारी रखें. राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि प्राथमिकताओं के अनुरूप बैंक का यह फोकस भविष्य में भी जारी रहेगा.

As on 31st March 2014, Bank Credit of SCBs has grown by 14.31 per cent (y-o-y) to ₹ 60,131 billion as against 15.37 per cent in the same period of the previous year. Credit of BoM increased by 17.89 per cent (y-o-y) as of 21.03.2014.

C-D Ratio of SCBs stood at 77.69 percent (as on 31st March 2014).

Outlook

Indian Economy is expected to show better growth in the coming year. IMF has projected it to grow by 5.4 per cent and 6.4 per cent respectively in calendar years 2014 and 2015 as compared to 4.4 per cent the year 2013.

The RBI also has projected economic growth in 2014-15 in the range of 5-6 per cent. It also projects CPI inflation to be in the range of 7.5-8.5 percent in Q4 of 2014-15.

As per the trend prevailing in the system and reported by various rating agencies, asset quality of Banks will remain under pressure in the next year as economic recovery is likely to be subdued, and it will take time for domestic industrial activity to recover. The weak asset quality is likely to put pressure on Banks' profitability and capitalization in FY 2014-15.

2. PERFORMANCE OF YOUR BANK 2013-14

2.1 Business

Total business of your Bank stood at ₹ 2,07,172 crore as on 31.03.2014, as compared to ₹ 1,70,734 crore a year ago, registering a year-on-year growth of 21.34 per cent.

2.2 Deposits

Total deposits of the Bank stood at ₹ 1,16,803 crore, up by 23.8 per cent over the level of ₹ 94,337 crore as at the end of March 2014.

Current & Savings Bank (CASA) deposits increased to ₹ 41,921 crore as on 31.03.2014. Share of CASA deposits in total deposits of your Bank stood at 35.89 per cent as on 31.03.2014 which is one of the highest among Public Sector Banks.

2.3 Credit Deployment

The Bank has put in place a lending policy in conformity with the guidelines issued by RBI and also the lending norms of the Government of India. It emphasizes on qualitative credit growth and ensures compliance with regulatory requirements as well as the prudential exposure limits.

Gross advances of the Bank increased from ₹ 76,397 crore as on 31.3.2013 to ₹ 90,369 crore as on 31.3.2014 with growth of 18.29 per cent. Efficient service with customer centric approach has enabled the bank in registering growth, in-line with the banking industry during the year 2013-14.

Several steps have been taken for improving credit delivery mechanism along with improvement in turnaround without compromising the overall quality of credit.

Mid Corporate shall continue to be one of the thrust areas for the bank in future for increasing yield on advances and dispersion of credit risk.

Efforts are continued to improve portfolio yield by reshuffling the portfolio mix.

2.3.1Sectoral Deployment of Credit

While financing to various segments of the economy, the Bank has endeavored to maintain a diversified credit portfolio, with a view to ensuring credit dispersion across sectors. The Bank has continued its efforts to support core, manufacturing and priority sectors as well as infrastructure projects, which serve to drive economic growth. This focus of the Bank will continue in future, in line with the national economic growth priorities.

दिनांक 31.03.2014 को उद्योगवार ऋण अभिनियोजन निम्नानुसार रहा-

क्र. स.	विनियोजित ऋण	31.03.2014 को बकाया ₹ करोड़ में	कुल बकाया ऋण से प्रतिशत	31.03.2013 को बकाया ₹ करोड़ में	कुल बकाया ऋण से प्रतिशत
1	उद्योग	48889.64	54.10%	41307.25	54.49%
	इसमें से				
	i अवसंरचनात्मक	13004.99	14.39%	12223.59	16.13%
	ii रसायन, डाय व पेन्ट इत्यादि	1578.92	1.75%	1387.15	1.83%
	iii पेट्रोलियम	2270.61	2.51%	1552.71	2.05%
	iv लोहा व स्टील	2689.22	2.98%	1640.21	2.16%
	v एनबीएफसी व व्यापार	15111.27	16.72%	12671.06	16.72%
	vi इंजीनियरिंग	2946.42	3.26%	2496.14	3.29%
	vii निर्माण	387.52	0.43%	318.29	0.42%
	viii अन्य उद्योग	10900.69	12.06%	9018.1	11.90%
2	कृषि	10276.07	11.37%	7378.35	9.73%
3	एमएसएमई	19062.99	21.09%	16788.21	22.15%
4	आवास	8854.16	9.80%	6578.23	8.68%
5	शिक्षा	622.71	0.69%	551.59	0.73%
6	निर्यात	1880.71	2.08%	1886.06	2.49%
7	वाणिज्यिक भू संपदा	4793.96	5.30%	3551.63	4.69%

2.3.2 ऋण प्रशासन और निगरानी

आसम वास्तविक समय आधार पर दबावग्रस्त खातों की कड़ी निगरानी हेतु दैनिक आधार पर सीबीएस प्रणाली से शीघ्र चेतावनी संकेत दिए जाते हैं. पूर्व सावधानी के लिए ग्राहकों को प्रणाली निर्मित एसएमएस अलर्ट भेजे जाते हैं. बैंक में समन्वित वेब आधारित रिपोर्टिंग आरंभ की गई है, जिससे ऋण संविभाग की प्रभावी निगरानी हेतु शाखाओं/अंचलों/प्रधान कार्यालय के बीच त्वरित संप्रेषण संभव हुआ है.

उधार खातों की ऋण गुणवत्ता की और अधिक निगरानी आवधिक रूप से आस्ति कार्यनिष्पादन पुनरीक्षण, ऋण एवं स्टॉक लेखा परीक्षा के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है. पात्र मामलों में पुनर्भुगतान शर्तों का समय पर पुनर्अनुसूचीकरण किया जाता है

2.4 आस्ति निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान अनर्जक आस्तियों में नकद वसूली ₹ 706.41 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 411.22 करोड़) रही, इसमें से लेजर शेष में वसूली ₹ 646.46 करोड़ (₹ 198.73 करोड़) रही जिसमें आस्ति विक्रय में ₹ 242.16 करोड़ (शून्य) की वसूली शामिल है, बट्टेखाते में डाले गए खातों में ₹ 303.32 करोड़ (₹ 156.76 करोड़) की और न लगाए गए ब्याज के मामलों में ₹ 38.22 करोड़ (₹ 55.73 करोड़) की वसूली हुई है. यह ₹ 101.39 करोड़ (₹ 105.19 करोड़) की अनर्जक आस्तियों को कोटि-उम्रियत करने के अलाज है.

शाखाओं द्वारा चूककर्ता उधारकर्ताओं के साथ पत्रों, नोटिसों, वसूली कैम्पों, लोकअदालतों, सरफेसी के अंतर्गत कार्रवाई और डीआरटी के माध्यम से गहन अनुवर्तन के कारण इस वर्ष की उपलब्धि संभव हो पाई है.

₹ 10.00 लाख तक के लेजर शेष वाले छोटे आकार की अनर्जक आस्तियों में एनपीए वसूली में वृद्धि और सुधार हेतु बैंक ने अंचल कार्यालयों में 5 अतिरिक्त सूक्ष्म आस्ति वसूली कक्षों (एमएआरसी) की स्थापना की, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 39 हो गई. इन कक्षों ने बहुत उत्साहवर्धक वसूली कार्यनिष्पादन दर्शाया और सूक्ष्म आस्ति वसूली कक्षों ने ₹ 376.66 करोड़ (₹ 210.53 करोड़) की वसूली की. बैंक की कुल नकद वसूली में एमएआरसी का वसूली निष्पादन का हिस्सा 54.05% (51.20%)

बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने "विशेष एक बार निपटारा (ओटीएस)" योजना को जारी रखा और ₹ 5.00 लाख तक के लेजर शेष वाली अनर्जक आस्तियों में वसूली हेतु विशेष ओटीएस उत्पाद (एम-जीरो) का भी आरंभ किया. एम-जीरो योजना के अंतर्गत अनर्जक आस्तियों में कुल ₹ 50.15 करोड़ और छोटे खातों के लिए अन्य विशेष ओटीएस योजना के अंतर्गत ₹ 38.40 करोड़ की वसूली हुई.

Industry wise credit deployment as on 31.03.2014 is as under.

Sr. No.	Credit deployed	Outsta- nding as on 31.03.2014 ₹ in crore	Percentage to total credit outstanding	Outsta- nding as on 31.03.2013 ₹ in crore	Percentage to total credit outstanding
1	Industry	48889.64	54.10%	41307.25	54.49%
	of which				
	i. Infrastructure	13004.99	14.39%	12223.59	16.13%
	ii. Chemicals, Dyes, Paints, etc	1578.92	1.75%	1387.15	1.83%
	iii. Petroleum	2270.61	2.51%	1552.71	2.05%
	iv. Iron & Steel	2689.22	2.98%	1640.21	2.16%
	v. NBFCs & Trading	15111.27	16.72%	12671.06	16.72%
	vi. Engineering	2946.42	3.26%	2496.14	3.29%
	vii. Construction	387.52	0.43%	318.29	0.42%
	viii. Other Industries	10900.69	12.06%	9018.1	11.90%
2	Agriculture	10276.07	11.37%	7378.35	9.73%
3	MSME	19062.99	21.09%	16788.21	22.15%
4	Housing	8854.16	9.80%	6578.23	8.68%
5	Education	622.71	0.69%	551.59	0.73%
6	Exports	1880.71	2.08%	1886.06	2.49%
7	Commercial Real estate	4793.96	5.30%	3551.63	4.69%

2.3.2 Credit Administration and Monitoring

Early warning signals are captured from the CBS system on daily basis for close monitoring of stressed accounts on near real time basis. System generated SMS alerts are sent to the customers to pre-empt delinquency. An integrated web-based reporting has been introduced in the Bank to enable instant communication between branches/Zones/Head Office for effective monitoring of credit portfolio.

The credit quality of borrowal accounts is further monitored through periodical asset performance review, credit audits & stock audits. Timely rescheduling of repayment terms is undertaken in deserving cases.

2.4 Asset Performance

During the Financial Year (FY) 2013-14, total cash recovery in NPAs was ₹ 706.41 crore (last year ₹ 411.22 crore). Of this, recovery in Ledger balance was ₹ 646.46 crore (₹ 198.73 crore), including recovery in sale of Assets ₹ 242.16 crore (NIL), recovery in written off accounts was ₹ 303.32 crore (₹ 156.76 crore) and recovery in cases of unapplied interest was ₹ 38.22 crore (₹ 55.73 crore). This was besides up gradation of NPAs to the tune of ₹ 101.39 crore (₹ 105.19 crore).

This year's achievement was possible due to intensive follow up adopted by the Branches with the defaulting borrowers through letters, notices, recovery camps, Lok Adalatas, actions under SARFAESI and through DRTs.

To address and improve recovery in small sized NPAs having ledger balances upto ₹ 10.00 lakh, the bank established additional 5 Micro Asset Recovery Cells (MARC) at Zonal offices thereby making total 39 MARCs. The recovery performance through this vertical was encouraging with MARCs recovering ₹ 376.66 crore (₹ 210.53 crore). The share of recovery of MARCs in total cash recovery of the bank was 54.05% (51.20%).

The bank continued during this FY a special 'One Time Settlement'(OTS) scheme and also launched special OTS product (M-zero) for recovery in NPA accounts having ledger balance up to ₹ 5.00 lakh. The total recovery in NPAs under this scheme was ₹ 50.15 crore as against ₹ 38.40 crore in the previous year.

नए कोटिअवनयन (स्लिपेज) में वृद्धि होने के कारण बैंक का सकल अनर्जक आस्ति अनुपात 31.03.2013 के 1.49% के समक्ष 3.16% हो गया. इसी प्रकार निवल अनर्जक आस्ति अनुपात विगत वर्ष के 0.52% की तुलना में 31.03.2014 को 2.03% रहा, क्योंकि किए गए प्रावधान कोटिअवनयन (स्लिपेज) की तुलना में नाकाफी रहे. बैंक का निवल अनर्जक आस्ति अनुपात न केवल समकक्ष बैंको अपितु बड़े बैंकों से भी बेहतर रहा.

2.5 विदेशी मुद्रा कारोबार और निर्यात वित्त

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने ₹ 28,370 करोड़ (₹ 30,437 करोड़) का व्यापारी आवर्त और ₹ 4,71,327.30 करोड़ (₹ 4,14,162 करोड़) का अन्तर बैंक आवर्त हासिल किया और ₹ 74.60 करोड़ (₹ 60.41 करोड़) का विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ अर्जित किया. बकाया निर्यात ऋण 31.03.2013 के ₹ 1908.31 करोड़ की तुलना में 31.03.2014 को ₹ 1948.97 करोड़ के रहे. मुंबई स्थित खजाना और अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग शाखा (ए-श्रेणी शाखा) और समूचे देश में फैली 33 बी-श्रेणीय शाखाएं हमारे ग्राहकों की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं. अनिवासी भारतीय ग्राहकों (एनआरआई) को त्वरित सेवा देने के उद्देश्य से बैंक ने डेक्कन जिमखाना शाखा, पुणे में एनआरआई कक्ष का आरंभ किया और अपने एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाईन विप्रेषण सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं. अपने एनआरआई ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में शाखाओं को समर्थ बनाने के लिए बैंक ने इन्सटैंट एनआरआई जानकारी प्रदान की जो मासिक आधार पर अद्यतित की गई.

2.6 निवेश

बैंक के निवल निवेश 31.03.2013 को ₹ 31430.31 करोड़ की तुलना में 31.03.2014 को ₹ 37249.58 करोड़ के रहे. दिनांक 31.03.2014 को कुल निवेश संविभाग में परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत सकल निवेश का 86.97 प्रतिशत शामिल है, जबिक विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस) जो 31.03.2014 के कुल निवेश संविभाग का 12.74 प्रतिशत शामिल है. गत वर्ष के दौरान निवेश गतिविधि पर हुई निवल ब्याज आय ₹ 2231.28 करोड़ थी जो इस वर्ष बढ़कर ₹ 2543.03 करोड़ हो गई इस प्रकार 13.97 प्रतिशत की वृध्दि दर्ज हुई.

2.7 उधारियां

भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा सिडबी से लिए गए ₹ 2861.08 करोड़ के पुनर्वित्त सिहत दिनांक 31.3.2014 को बैंक की उधारियाँ ₹ 8326.47 करोड़ की थीं. दिनांक 31.03.2013 को कुल उधारियां ₹ 12877.49 करोड़ की थीं.

2.8 व्यापारी बैंकिंग

वर्ष के दौरान बैंक ने जारीकर्ता व भुगतान कर्ता एजेंट के रूप में ₹ 20160.85 करोड़ के कमर्शियल पेपर के 84 निर्गमों का संचलन अपने ग्राहकों के लिए किया और रू.9.52 लाख की कमीशन आय प्राप्त की.

2.9 निक्षेपी सेवाएं

बैंक सितंबर 1999 से ही भारतीय केंद्रीय निक्षेपी सेवाएं लिमिटेड (सीडीएसएल) का निक्षेपी सहभागी (डीपी) है. डी-मेट खातों में शेष इत्यादि जैसे खाता स्तरीय प्रश्नों की जानकारी बैंक की सभी 131 अभिनिर्धारित शाखाओं में उपलब्ध है. बैंक की सभी शाखाएं मुंबई के डिमैट कक्ष के माध्यम से डी-मेट खाता खोल सकती हैं. इन्टरनेट के माध्यम से खाते की स्थिति देखने के लिए बैंक (सीडीएसएल के माध्यम से) नि:शुल्क ईएएसआई सुविधा उपलब्ध कर रहा है. महासेवा (ग्राहक सेवा केंद्र) पर प्रश्न अनुपालन सुविधा उपलब्ध है. बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए महा-ई-ट्रेड (ऑन लाइन ट्रेडिंग) सेवाओं हेतु विद्यमान रेलिगियर सेक्युरिटिज लिमिटेड सहित दो अन्य शेयर ब्रोकिंग कंपनियों यथा रिलायंस सेक्युरिटीज लिमिटेड और वेन्युरा सेक्युरिटीज लिमिटेड से गठजोड़ किया है.

डी-मेट के अंतर्गत नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए बैंक राजीव गांधी इक्विटी योजना के अंतर्गत खोले गए डी-मेट खातों को तीन वर्ष के लिए वार्षिक रखरखाव प्रभारों में छूट प्रदान करती है.

बैंक के शेयर धारकों और स्टाफ सदस्यों /सेवानिवृत्त स्टाफ के लिए वार्षिक रखरखाव प्रभारों और डिमटेरियलाइजेशन प्रभारों (बैंक के भौतिक शेयरों को इलेक्ट्रानिक रूप में बदलने के लिए) में छूट दी गई. बैंक ने मूल सेवा डी-मैट खाता सुविधा (बीएसडीए) का भी आरंभ किया.

The Gross NPA ratio of the bank stood at 3.16% during the financial year from 1.49% as of 31.03.2013. Similarly the ratio of Net NPAs stood at 2.03% as on 31.03.2014 as against 0.52% a year ago. The NPA ratios of the Bank are much better than not only of the peer Banks but also of many large Banks.

2.5 Foreign Exchange Business and Export Finance

During the year 2013-14, the Bank has achieved merchant turnover of ₹ 28,370 Crores (₹ 30,437 Crores) and an interbank turnover of ₹ 4,71,327.30 (₹ 4,14,162 Crores) and earned Forex Profit of ₹ 74.60 Crores (₹ 60.41 Crores). The outstanding export credit as on 31st Mar 2014 was ₹ 1948.97 as against ₹ 1908.31 as on 31st Mar 2013. The Treasury & International Banking Branch at Mumbai (A category branch) and 33 B Category branches across the country cater to the International business needs of the customers of the Bank. In order to provide prompt service to Non Resident Indian (NRI) clients, Bank has a NRI Cell at Deccan Gymkhana Branch, Pune which provides online remittance facilities for its NRI customers. With a view to enable branches to provide better service to NRI clients, Bank has provided Instant NRI information which is updated on monthly basis.

2.6 Investments

The net investments of the Bank stood at ₹ 37249.58 crore as on 31.03.2014 as compared to ₹ 31430.31 crore as on 31.03.2013. Investments under Held to Maturity (HTM) category consist of 86.97 per cent while Available for Sale (AFS) comprised 12.74 per cent of total investment portfolio as on 31.03.2014. The net interest income from investment activity increased to ₹ 2543.03 crore from ₹ 2231.28 crore during the last year, a growth of 13.97 per cent.

2.7 Borrowings

The borrowings of the Bank as on 31.03.2014 stood at ₹ 8326.47 crore, including refinance availed from RBI, NABARD and SIDBI to the extent of ₹ 2861.08 crore. The total borrowings as at 31.03.2013 were ₹ 12877.49 crore.

2.8 Merchant Banking

The Bank handled 84 issues of Commercial Paper amounting to ₹ 20160.85 crore for its clients as an Issuing and Paying Agent (IPA) during the year and earned a commission income of ₹ 9.52 lakh.

2.9 Depository Services

The Bank is Depository Participant (DP) of Central Depository Services of India Ltd. (CDSL) since September 1999. Account level queries related to Demat account balances etc. are available at the 131 identified branches of the Bank. All the branches of the Bank can open Demat account through the Demat Cell of Mumbai. The Bank also provides free "EASI" facility (through CDSL) to view account position through internet. Query compliance facility is available at Maha Seva (Customer Care Center). The Bank has added tie up with two Share Broking Companies i.e. Reliance Securities Ltd and Ventura Securities Ltd for Maha-e-trade (Online Share Trading) Services for its customers along with existing Religare Securities Ltd.

In order to add new customers in its fold under Demat, Banks is offering waiver in annual maintenance charges for the Demat Accounts opened under Rajiv Gandhi Equity Scheme for three years.

The Annual Maintenance Charges and Dematerialization charges (for converting Bank's physical shares into electronic form) are waived for staff/Ex-staff and share holders of the Bank. The Bank has also introduced Basic Services Demat Account Facility (BSDA).

2.10 बैंक-बीमा

कारपोरेट एजेंसी समझौते के अन्तर्गत बैंक की सभी शाखाएं यूनाईटेड इंडिया इन्स्योरेन्स कंपनी लिमिटेड और भारतीय जीवन बीमा निगम के क्रमशः गैर जीवन बीमा व जीवन बीमा उत्पादों का विक्रय करने हेतु प्राधिकृत हैं. बैंक ने वर्ष 2013-14 के दौरान 98929 गैर-जीवन बीमा और 30554 जीवन बीमा पॉलिसियाँ बेचीं. भारतीय जीवन बीमा निगम ने अच्छे कार्य निष्पादन के कारण बैंक की 198 शाखाओं को "बीमा बैंक" घोषित किया. इसके अलावा 17 अंचलों को "बीमा अंचल" घोषित किया गया. दिल्ली अंचल इबल बीमा अंचल बना.

बैंक एलआईसी की समूह बीमा योजना यथा जमा खाता धारकों के लिए ₹ 1 लाख के जीवन बीमा कवर वाली 'महा सुरक्षा जमा योजना' (नई एक साल की पुनर्नवीकृत समूह बीमा योजना) प्रदान करता है. बैंक अपने ग्राहकों के लिए युनाईटेड इंडिया इन्स्योरेंस कंपनी लिमिटेड की पारिवारिक फ्लोटर समूह मेडिक्लेम पॉलिसी "महास्वास्थ्य योजना" उपलब्ध कराता है.

बैंक ने वर्ष 2013-14 के दौरान जीवन बीमा व्यवसाय से 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 7.32 करोड़ और गैर-जीवन बीमा व्यवसाय से 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 4.12 करोड़ का कमीशन अर्जित किया.

2.11 म्युचुअल फण्ड गतिविधि

बैंक ने म्युचुअल फंड उत्पादों के विक्रय के लिए 25 एएमसी (आस्ति प्रबंधन कंपनियाँ) के साथ गठबंधन किया है. बैंक द्वारा म्युचुअल फंड व्यवसाय जुटाया गया और वर्ष के दौरान ₹ 5 लाख की कमीशन आय अर्जित की.

2.12 सरकारी कारोबार

शाखाओं द्वारा वर्ष 2013-2014 के दौरान, कुल 5,44,553 प्रत्यक्ष कर चालान संग्रहित किए गए और इसी प्रकार अप्रत्यक्ष कर के 1,89,696 चालान संग्रहित किए गए. हमारी शाखाएं महाराष्ट्र राज्य के जीआरएएस सहित अन्य राज्य सरकारों के करों का भी संग्रहण करती हैं और वर्ष के दौरान कुल 5,41,220 चालान संग्रहित किए गए. केंद्र सरकार से कर वसूली व्यवसाय से ₹ 2.70 करोड़ का कुल कमीशन प्राप्त हुआ और राज्य कर संग्रहण व्यवसाय से ₹ 0.72 करोड़ का कमीशन प्राप्त हुआ.

बैंक ने केन्द्रीय पेंशन प्रोसेसिंग कक्ष (सीपीपीसी) पुणे में 1,13,624 केन्द्र सरकार, रक्षा, रेलवे और टेलिकॉम पेंशनरों की मासिक पेंशन की गणना कर उसे खाते में जमा करने का कार्य आरंभ किया है. नए पीपीओ/पीपीओ के शुद्धिपत्र का भुगतान और जांच, केन्द्र सरकार के पेंशनरों का मास्टर डाटा बेस इत्यादि का कार्य केन्द्रीय पेंशन प्रोसेसिंग कक्ष, पुणे द्वारा किया जा रहा है. इसके कारण त्वरित और सही पेंशन का भुगतान और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ निधियों का शीघ्र निपटान संभव हुआ है. पेंशन शिकायतों के लिए समयबद्ध शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना भी की गई. वर्ष 2013-14 के लिए सरकारी व्यवसाय (पेंशन) पर ₹ 13.57 करोड़ का कमीशन प्राप्त हुआ.

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों तथा महाराष्ट्र में वैट संग्रहण की अनूठी सुविधाएं महा ई-सेवा के माध्यम से सभी शाखाओं के काउंटरों पर प्रदान की गई है. नेट वैंकिंग ग्राहकों के लिए करों के ई-भुगतान की सुविधा, प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष करों/वैट भुगतान (महाराष्ट्र सरकार के लिए) हेतु भी उपलब्ध है.

कर भुगतान सुविधा, सीमा-शुल्क के ई-भुगतान के लिए आरंभ की गई है और जीआरएएस में समन्वय के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य सरकार के करों का संग्रहण ऑनलाईन तथा काउंटर पर भी किया जा रहा है. बैंक ने राज्य सरकार के विणिज्यिक करों के संग्रहण हेतु कर्नाटक और दिल्ली राज्यों को भी समाविष्ट किया है. बैंक उत्तर प्रदेश में सभी शाखाओं में काउंटर पर वैट संग्रहण की सुविधाएं प्रदान कर रहा है.

2.13 गैर-ब्याजी आय

31.03.2013 को समाप्त वर्ष में अर्जित ₹ 912.00 करोड़ की गैर-ब्याजी आय की तुलना में 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 894.19 करोड़ की गैर-ब्याजी आय हुई. वित्तीय वर्ष 2013-2014 के दौरान (निवेशों की विक्री से लाभ को छोड़कर) गैर-ब्याजी आय में ₹ 23.20 करोड़ की वृद्धि हुई. इस प्रकार पिछले वर्ष पर 3.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई. वर्ष के दौरान कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज से आय में ₹ 53.48 करोड़ की वृद्धि हुई, जिससे यह ₹ 491.34 करोड़ से बढ़कर ₹ 544.82 करोड़ हो गई.

2.10 Bancassurance

All the branches of the Bank are authorized to sell life and non-life insurance products of Life Insurance Corporation of India and United India Insurance Co. Ltd. under corporate agency arrangements, respectively. The Bank has sold 98929 Non-life Insurance Policies and 30554 Life Insurance policies during the year 2013-14. The LIC accredited 198 branches of the Bank as Bima Bank, besides 17 Zones which were declared as BIMA Zone. The Delhi Zone became Double Bima Zone.

The Bank offers group insurance scheme of LIC namely 'Maha Suraksha Deposit Scheme (New One Year Renewable Group Assurance Plan') a life insurance cover of Rs1 lakh for deposit account holders. The Bank offers Maha Swasthya Yojana, a Family Floater Group Mediclaim Policy of United India Insurance Co. Ltd. for its customers.

The Bank earned a commission of $\ref{thmodel}$ 7.32 crore from life insurance, showing growth of 10 per cent and $\ref{thmodel}$ 4.12 crore for non-life insurance business during the year 2013-14 showing increase of 18 per cent.

2.11 Mutual Fund Activity

The Bank has a tie-up with 25 AMCs (Asset Management Companies) for selling Mutual Fund products. The mutual fund business mobilized by the Bank earned commission income of ₹ 5 lakh during the year.

2.12 Government Business

During the year 2013-14, 544553 challans of Direct Taxes were collected; similarly 1,89,696 challans of Indirect taxes were collected by the branches. Our Branches are also collecting other state Govt. taxes including GRAS of Maharashtra State and the total number of Challans collected during the Year is 5,41,220. Total commission to the tune of ₹ 2.70 Cr was received on Tax collection business from Central Government and Commission received from states Tax collection business is ₹ 0.72 Cr.

The Bank has started processing and crediting monthly pension payments of more than 1,13,624 Central Government, Defence, Railway and Telecom pensioners at Central Pension Processing Cell (CPPC), Pune. The processing and payment for new PPOs/ corrigendum PPOs Master Data base for central Government pensioners etc are being handled by CPPC. This facilitates faster and accurate payment of pension as well as quick settlement of funds by RBI. Timely complaint redressal system has also been established for pension complaint. The commission on Government Business (Pension) for the Year 2013-14 is ₹ 13.57 Cr.

The unique facility of direct & Indirect taxes & VAT collection of Maharashtra is provided by the Bank, at the branch counter in all branches through Maha e-seva services. E-payment of Taxes facility available for net banking customers is also available for direct / Indirect Taxes / VAT payments (for Govt. of Maharashtra).

The tax payment facility has been introduced for e-payment of custom duty & the Maharashtra State taxes are collected through integration in Govt. Revenue Accounting System (GRAS) both online and across the counters. The Bank has added Karnataka and Delhi states for collection of state Government commercial taxes. Bank is offering its services in VAT Collection in U.P in all branches.

2.13 Non Interest Income

The non-interest income stood at ₹ 894.19 crore for the year ended 31.03.2014 as against ₹ 912 crore for the year ended 31.03.2013. Non-interest income (other than profit from sale of investment), increased by ₹ 23.20 crore in the FY 2013-14, showing a growth of 3.02% over previous year. During the year, income from commission, exchange and brokerage increased by ₹ 53.48 crores from ₹ 491.34 to ₹ 544.82 crores.

2.14 आय, व्यय और लाभप्रदता

बैंक की कुल आय ₹ 10525.43 करोड़ से बढ़कर ₹ 12850.85 करोड़ की हो गई. इस प्रकार वर्ष के दौरान 22.09 प्रतिशत की वृध्दि हुई.

विस्तृत आय/ व्यय घटक निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13	अंतर (%)
अग्रिम / बिलों पर ब्याज / डिस्काउंट	9187.15	7298.50	25.88
निवेश पर आय	2543.03	2231.28	13.97
अन्तर बैंक उधारी पर ब्याज व अन्य ब्याज	226.48	83.65	170.74
कुल ब्याज आय	11956.66	9613.43	24.37
गैर-ब्याजी आय	894.19	912.00	-1.95
कुल आय	12850.85	10525.43	22.09
जमाराशियों पर ब्याज	7697.04	5879.25	30.92
उधारी पर ब्याज	107.93	312.27	-65.44
अन्य ब्याज व्यय	642.76	388.57	65.42
स्टाफ खर्च	1595.76	1187.82	34.34
अन्य परिचालन खर्च	800.99	608.82	31.56
कुल गैरब्याजी खर्च	2396.75	1796.64	33.40
कुल परिचालन खर्च	10844.48	8376.73	29.46
परिचालनगत लाभ	2006.37	2148.70	-6.62
प्रावधान व आकस्मिकताएं	1620.40	1389.18	16.64
निवल लाभ	385.97	759.52	-49.18

2.15 वित्तीय अनुपातः

विवरण	2013-14	2012-13
प्रति शेयर आय (₹)	4.56	11.88
आय से लागत का अनुपात (%)	54.43	45.54
आस्तियों पर आय (%)	0.30	0.74
इक्विटी पर आय (%)	5.93	17.32
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	66.69	67.10
प्रति शाखा लाभ (₹ लाख में)	20.42	43.95
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	2.68	5.59
प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़ में)	109.61	98.80
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)	14.39	12.56
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	9.24	9.33
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याजी आय	0.69	0.88
निवल ब्याज मार्जिन (प्रतिशत)	2.71	3.10
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ	1.55	2.08
औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में स्टाफ खर्च	1.23	1.15
लाभांश (प्रतिशत)	10.00	23.00
नेटवर्थ (₹ करोड़ में)	6184.11	5026.57
सीआरएआर (%) बेसल III	10.79	लागू नहीं
जिसमें से टियर I सीआरएआर (%) (बेसल III)	7.44	लागू नहीं

2.16 भारत सरकार से पूँजी

वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार से ₹ 800.00 करोड़ (₹ 622.38 करोड़ के शेयर प्रीमियम सिंहत) की ईक्विटी शेयर पूँजी अधिमान आधार पर शेयरों के आबंटन के रूप में प्राप्त की. पूंजी लगाने से इक्विटी शेयर पूंजी में भारत सरकार की शेयर धारिता 31.03.2014 को बढ़कर 85.21% हो गई.

2.17 नेट वर्थ

बैंक की नेट वर्थ 31.03.2013 के ₹ 5026.57 करोड़ से बढ़कर 31.03.2014 को ₹ 6184.11 करोड़ हो गईं.

2.14 Income, Expenditure and Profitability

The total income of the Bank grew from ₹ 10525.43 crore to ₹ 12850.85 crore indicating a growth of 22.09 per cent during the year.

The detailed income/ expenditure components are as under:

(₹ in cror.

Particulars	2013-14	2012-13	Variation (per cent)
Interest / discount on advances / bills	9187.15	7298.50	25.88
Income on investments	2543.03	2231.28	13.97
Interest on interbank lending & other Interest	226.48	83.65	170.74
Total interest income	11956.66	9613.43	24.37
Non-interest income	894.19	912.00	-1.95
Total Income	12850.85	10525.43	22.09
Interest on deposits	7697.04	5879.25	30.92
Interest on borrowings	107.93	312.27	-65.44
Other Interest expenditure	642.76	388.57	65.42
Staff expenses	1595.76	1187.82	34.34
Other Operating expenses	800.99	608.82	31.56
Total Non interest expenses	2396.75	1796.64	33.40
Total Operating Expenses	10844.48	8376.73	29.46
Operating Profit	2006.37	2148.70	-6.62
Provisions and Contingencies	1620.40	1389.18	16.64
Net Profit	385.97	759.52	-49.18

2.15 Financial ratios

Particulars	2013-14	2012-13
EPS (₹)	4.56	11.88
Cost to Income Ratio (percent)	54.43	45.54
Return on assets (percent)	0.30	0.74
Return on equity (per cent)	5.93	17.32
Book value per share (₹)	66.69	67.10
Profit per Branch(₹ in lakh)	20.42	43.95
Profit per employee (₹ in lakh)	2.68	5.59
Business per Branch (₹ in crore)	109.61	98.80
Business per employee (₹ in crore)	14.39	12.56
Interest income as per cent to Average working funds	9.24	9.33
Non Interest income as per cent to average working funds	0.69	0.88
Net Interest Margin (per cent)	2.71	3.10
Operating Profit as per cent to average working Funds	1.55	2.08
Staff expenses as a percent to average working funds	1.23	1.15
Dividend (per cent)	10.00	23.00
Net worth (₹ Crore)	6184.11	5026.57
CRAR (%) (Basel II)	10.79	Nil
Of which, Tier I CRAR (%) (Basel II)	7.44	Nil

2.16 Capital from Government of India

During the year, the Bank received equity share capital amounting to $\stackrel{?}{\stackrel{?}{\sim}} 800$ crore (including share premium of $\stackrel{?}{\stackrel{?}{\sim}} 622.38$ crore) from Government of India (GOI) through allotment of shares on preferential basis. With capital infusion, the share holding of GOI in equity share capital increased to 85.21% as on 31.03.2014.

2.17 Networth

The Bank's Net worth increased from ₹ 5026.57 crore as on 31.03.2013 to ₹ 6184.11 crore as on 31.03.2014.

2.18 पूंजी पर्याप्तता अनुपात

दिनांक 31.03.2014 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात बेसल III मानदंडों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9 प्रतिशत के मानदंड की तुलना में 10.79 प्रतिशत रहा. सामान्य इक्विटी टीयर । पूंजी पर्याप्तता अनुपात 7.44 प्रतिशत रहा.

2.19 लाभांश

निदेशक मंडल ने अंतिम लाभांश के रूप में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अंतरिम लाभांश हेत् ₹ 1/- प्रति शेयर (10%) प्रतिशत का लाभांश प्रस्तावित किया है.

3. संगठन और समर्थन सेवाएं -

3.1 शाखा विस्तार

बैंक ने वर्ष के दौरान 162 नई शाखाएं खोली जो कि बैंक के प्रारंभ से लेकर अब तक किसी भी वित्तीय वर्ष में सर्वोच्च संख्या है. दिनांक 31.03.2014 को बैंक शाखा नेटवर्क में कुल 1890 शाखाएं थीं. यह शाखा नेटवर्क 29 राज्यों तथा 4 संघशासित क्षेत्रों में फैला हुआ है. इस शाखा नेटवर्क में विदेशी मुद्रा, सरकारी कारोबार, खजाना एवं अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, औद्योगिक वित्त, लघु उद्योग तथा उच्च तकनीक कृषि क्षेत्रों की विशेषज्ञ शाखाएं, पेंशन भुगतान शाखा, केंद्रीय पेंशन प्रोसेसिंग कक्ष, रिटेल हब, स्व-सहायता समूह तथा आस्ति वसूली शाखाएं शामिल हैं.

दिनांक 31.03.2014 को शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण नीचे सारणी में दिया गया है:

अ.क्र.	वर्गीकरण	31.3.2013 को	31.03.2014 को
1	ग्रामीण	591	648
2	अर्ध-शहरी	357	424
3	शहरी	344	368
4	महानगरीय	436	450
	कुल	1728	1890

3.2 मानव संसाधन प्रबंधन

बैंक ने व्यापक मानव संसाधन प्रबंधन नीति लागू की है. नीति में आवश्यकता आधारित व उचित मानव संसाधन हासिल करने, प्रशिक्षण, कार्य संवर्धन. पुरस्कार, कार्यनिष्पादन के लिए मान्यता व जिम्मेदारी, पदोन्नति व कल्याण इत्यादि के माध्यम से कर्मचारियों को रोके रखने तथा इनके विकास हेत् योजना दी गई है.

वर्ष के दौरान बैंक ने 1224 परिवीक्षाधीन अधिकारियों और 10 विधि अधिकारियों की भर्ती की. वर्ष के दौरान बैंक ने 487 लिपिकों की भी नियक्ति की.

एमएमजीएस II, और उससे उच्च श्रेणियों में अधिकारियों की अंतर श्रेणी पदोन्नति की गई. वर्ष 2013-14 में कूल 1237 अधिकारी उच्च श्रेणी में पदोन्नत किए गए.

श्रेणीवार स्टाफ स्थिति से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 776 कर्मचारियों की निवल वृद्धि हुई है. विवरण निम्नानुसार है-

अ.क्र.	विवरण	मार्च 2014	मार्च 2013
1	कार्यपालक	514	418
2	अधिकारी	5576	4589
3	लिपिक	5867	6065
4	अधीनस्थ कर्मचारी	2439	2548
	कुल	14396	13620

बैंकिंग गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन दर्शाने वाले कर्मचारियों को मान्यता देने व अन्यों को अच्छे कार्यनिष्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न योजनाएं यथा बेहतर कार्य करने वाली शाखाओं के सभी स्टाफ सदस्यों को निष्पादन से जुड़े नकदी पुरस्कार देने की योजनाएं प्रचलित हैं. अ.जा./ अ.ज.जा. समुदाय को अग्रिमों के वितरण में उत्कृष्ट कार्य करने वाली तामिया शाखा (जबलपुर अंचल) को भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के नाम से चल ट्रॉफी का पुरस्कार दिया गया.

वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, ऐच्छिक सेवामुक्ति एवं मृत्यु के कारण बैंक से सेवामुक्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या 1053 थी.

सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित सभी स्टाफ सदस्यों के कल्याणार्थ बैंक निवल लाभ का 3 प्रतिशत आबंटित करता रहा है. कल्याण योजनाओं का प्रशासन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और प्रबंधन को मिलाकर गठित एक केंद्रीय कल्याण समिति द्वारा किया जाता है.

2.18 Capital Adequacy Ratio

The Capital Adequacy Ratio stood at 10.79 per cent as on 31.03.2014, against the minimum 9 per cent prescribed by RBI in terms of Basel III norms. The Common Equity Tier I capital adequacy ratio stood at 7.44 per cent.

2.19 Dividend

The Board has recommended ₹ 1 per share (10%) being interim dividend as final dividend for FY 2013-14.

3. ORGANISATION AND SUPPORT SYSTEM

3.1 Branch Expansion

During the year, the Bank opened 162 new branches, the largest number of branches opened by the Bank in a financial year since inception. As on 31.03.2014, the total branch network comprised of 1890 branches spread over 29 states and 4 union territories. The branch network includes specialized branches in the areas of foreign exchange, government business, treasury & international banking, industrial finance, small-scale industry and hi-tech agriculture, pension payment, pension processing, retail credit, Self Help Groups and asset recovery.

Area wise classification of branches as on 31.03.2014 is given in the table below:

Sr. No.	Classification	As on 31.03.13	As on 31.03.14
1	Rural	591	648
2	Semi-Urban	357	424
3	Urban	344	368
4	Metropolitan	436	450
	Total	1728	1890

3.2 Human Resources Management

The Bank has put in place a comprehensive HRM Policy that provides the road map for acquiring appropriate & need based human resources, its development through training, job enrichment, reward and recognition for better performance, career progression, welfare and retention.

During the year the Bank recruited 1224 probationary officers and 10 law officers. The Bank has also recruited 487 Clerks during the year.

Inter scale promotions of officers were carried out for promotions to Scales MMGS II and above. Total 1237 officers were promoted to higher scales.

The cadre wise staff position shows that there is net addition of 776 employees during the FY 2013-14. The particulars are as below:

S. No.	Particulars	March 2014	March 2013
1	Executives	514	418
2	Officers	5576	4589
3	Clerks	5867	6065
4	Sub Staff	2439	2548
	Total	14396	13620

To recognize outstanding performance in Banking activities and to motivate others to perform better, various schemes like Performance Linked incentives to all staff of Best Performing Branches etc. are in vogue. **Tamiya Branch** (Jabalpur Zone) has been awarded the Rolling Trophy in name of Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar for Excellent Performing Branch Category in disbursement and recovery of advances to SC/ST community.

During the year, 1053 employees ceased to be in service on account of retirement, resignation, termination and death.

The Bank has been allocating up to 3 per cent of its net profit towards various schemes for the welfare of staff including retired staff. The welfare schemes are administered by a Central Welfare Committee consisting of management & employees representatives.

उद्योग संबंधित मामलों के उचित, पारदर्शक व दृढ़ संचलन के जरिए बैंक का प्रयास सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध वातावरण बनाने का रहा.

बैंक, भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन करता है. आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा अ.जा./ अ.ज.जा. / ओ.बी.सी./ शारीरिक रूप से विकलांग व भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु प्रधान कार्यालय में तथा सभी अंचल कार्यालयों में विशेष कक्ष कार्यरत हैं. बैंक ने प्रधान कार्यालय में मुख्य संपर्क अधिकारी नामित किया है और इस उद्देश्य के लिए सभी 34 अंचल कार्यालयों में अ.जा. /अ.ज.जा. कक्ष स्थापित किए हैं. वर्ष के दौरान आरक्षण नीति के कार्यान्वयन तथा अन्य संवैधानिक सुरक्षा पर चर्चा करने और कारोबार वृध्दि में उनका सहभाग सुनिश्चित करने हेतु अ.जा./ अ.ज.जा. / ओ.बी. सी. एम्प्लॉईज एसोसिएशन के साथ आवधिक बैठकें आयाजित की गई. अंचल स्तर पर भी नियमित बैठकें आयोजित की गई.

विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

अ.क्र.	विवरण	कर्मचारियों की संख्या	कुल से प्रतिशत
1.	महिला कर्मचारी	3767	26.17
2.	विकलांग कर्मचारी	188	1.31
3.	अनुसूचित जाति कर्मचारी	2788	19.37
4.	अनुसूचित जनजाति कर्मचारी	1091	7.58
5.	अन्य पिछड़ी जाति कर्मचारी	1738	12.07

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार रोस्टर रखे गए व उनका नियमित निरीक्षण / जांच की गई.

प्रशिक्षण गतिविधियां

बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली वर्तमान व उभरते हुए कारोबारी अवसरों के अनुरूप विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से कुशलता अन्तर के मूल्यांकन पर जोर देती है. ऋण में कुशलता निर्माण, फोरेक्स, ग्राहक संबंध प्रबंधन, उत्पाद व सेवाओं का विपणन, ऋण निगरानी व वसूली, जोखिम प्रबंधन, तकनीक आधारित बैंकिंग, शाखा प्रबंधन, सांविधिक, विधिक, कानूनी व नीति आवश्यकताओं का अनुपालन निवारक सतर्कता इत्यादि के प्रशिक्षण पर वर्ष के दौरान विशेष ध्यान दिया गया.

एसएमई वित्तपोषण, रिटेल उधारी, कृषि वित्त व ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी प्रशिक्षण कार्यकम चलाए गए.

बैंक का शीर्ष प्रशिक्षण महाविद्यालय पुणे में है, जिसके पर्यवेक्षण में तीन प्रशिक्षण संस्थान पुणे, मुंबई व नागपुर में कार्यरत हैं. सूचना प्रोद्यौगिकी प्रशिक्षण संस्थान व कम्प्यूटर लैब प्रभावी ग्राहक सेवा तथा कुशल बैक ऑफिस कार्य हेतु कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हैं.

वर्ष के दौरान प्रशिक्षण गतिविधियों की विशेषताएं निम्नानुसार हैं-

- वर्ष के दौरान 322 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए जिनमें से 111 कार्यक्रम अधिकारियों के लिए, 153 कार्यक्रम लिपिकों के लिए और 58 कार्यक्रम अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए चलाए गए.
- 5429 अधिकारियों, 2139 लिपिकों और 1093 अधीनस्थ कर्मचारियों सिंहत कुल 8661 कर्मचारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभाग लिया.
- वर्ष के दौरान 917 अनुसूचित जाति और 315 अनुसूचित जनजाति और 1207 महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया.
- वर्ष के दौरान 1461 स्टाफ सदस्यों को सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया.
- इसके अलावा, 2024 कर्मचारी विभिन्न बाह्य प्रशिक्षण संस्थाओं में भी प्रतिनियुक्त किए गए.
- अंतर्राष्ट्रीय व्याप्ति प्राप्त करने हेतु 11 कार्यपालकों को भारत से बाहर के
 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रतिनियुक्त किया गया.

The Bank has endeavoured to promote a healthy industrial relations climate through fair, transparent and firm handling of Industrial related matters.

The Bank has been complying with the reservation policy of Govt. of India. Special Cells at Head Office and all Zonal Offices are functioning to monitor the implementation of the reservation policies and to redress grievances of SC/ST/OBC & Physically challenged employees as well as ex-servicemen. The Bank has designated Chief Liaison Officers at Head Office and has set up SC/ST Cells at each of its 34 Zonal Offices for the purpose. During the year periodical meetings were held with SC/ST/OBC Employees Association to discuss implementation of reservation policy and other constitutional safe guards and also to facilitate involvement in business growth. Similar meetings were also held at Zonal level.

The number of employees belonging to different categories is as under:

Sr. No	Category of Employees	No. of Employees	Percentage to total
1.	Women	3767	26.17
2.	Physically Challenged	188	1.31
3.	SC Employees	2788	19.37
4.	ST Employees	1091	7.58
5.	OBC Employees	1738	12.07

Rosters have been maintained as per Government guidelines and are regularly inspected/ checked.

Training Activities:

The Bank has a training system which facilitates attention to regular periodic assessment of skill gaps at various levels in relation to existing and emerging business opportunities. Skill building in credit, forex, customer relationship management, marketing of products and services, credit monitoring and recovery, risk management, technology based banking, branch management, complying with statutory, legal and policy requirements and preventive vigilance received special attention during the year.

The training programmes were also held on thrust areas like financing SMEs, retail lending, agriculture finance and rural development.

The Bank has an apex Training College at Pune with three training establishments operating under it, one each at Mumbai, Nagpur and Pune. Information Technology Training Institute and Computer Labs train the Officers and staff to utilize information technology for effective customer service and efficient back office functions.

The highlights of training activity during the year are as under;

- 322 training programs were conducted during the year out of which 111 were for officers, 153 were for clerks and 58 were for sub staffs.
- Total of 8661 staff members participated in various training programs, consisting of 5429 officers, 2139 clerks and 1093 sub staff.
- A total of 917 SCs, 315 STs and 1207 women employees were trained during the year.
- During the year 1461 employees were trained in Information Technology.
- > In addition, 2024 employees were deputed to different external training establishments.
- 11 Executives were deputed to Training Institutes outside India for International Exposure.

- मई जून 2013 के दौरान अजा/ अजजा कर्मचारियों के लिए पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण हेतु 7 कार्यक्रम आयोजित किए गए. कुल 298 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया.
- वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए 4 पूर्व-सेवानिवृत्ति समुपदेशन कार्यक्रम आयोजित किए गए. निवेश पर व्याख्यान के अलावा, सहभागियों हेतु स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम भी आयोजित किए गए.

3.3 प्रौद्योगिकी पहलें

जहां तक तकनीकी कार्यान्वयन और संबंधित उज्ञयन का संबंध है वर्ष 2013-14 बैंक के लिए मील का पत्थर साबित हुआ. वर्ष के दौरान बैंक ने अपने एटीएम नेटवर्क को 692 से बढ़ाकर 1827 किया जिसमें बैंक की लगभग सभी 1890 शाखाओं को कवर किया गया. वर्ष के दौरान बैंक के अपने एटीएम स्विच का आरंभ किया गया और इसे 08 मई 2014 से प्रत्यक्ष कार्यान्वित (लाईव) किया जाएगा. बैंक व्यवसाय एवं संबंधित गतिविधियों में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी रहा है.

बैंक का एक अत्याधुनिक टीयर III डाटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर है. एक नियर डिजास्टर रिकवरी साईट की स्थापना की गई जो किसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में, बैंक के जीरो डाटा लॉस उद्देश्य की प्राप्ति को सुनिश्चित करता है. हम सार्वजिनक क्षेत्र के कुछ ऐसे बैंकों में है, जिसने पिछले दो वर्षों में नियर डिजास्टर रिकवरी साईट को कार्यान्वित किया है. बैंक द्वारा संपन्न डिजास्टर रिकवरी कवायद के दौरान नियर साईट की प्रभावोत्पादकता की जाँच वर्ष के दौरान दो बार की गई.

सभी शाखाओं, आंचलिक कार्यालयों, प्रशिक्षण महाविद्यालय/प्रशिक्षण केन्द्रों तथा प्रधान कार्यालय के साथ संबद्ध तथा कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म के अंतर्गत कार्यशील बैंक का अपना निगमित नेटवर्क "महानेट" कार्यरत है. इसके विशाल और सुरक्षित नेटवर्क प्रौद्योगिकी संरचना से ग्राहकों को निर्वाध सेवाएं सुनिश्चित होती है. वर्ष 2013-14 के दौरान नेटवर्क से उच्च व्यतिरिक्त एवं विश्वसनीय मल्टी प्रौटोकॉल लेबल स्वीचिंग (एमपीएलएस) - वीपीएन (वर्च्यूअल प्राइवेट नेटवर्क) आधारित संरचना में स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण हुई. इससे हमें विश्वास है कि बैंक के नये नेटवर्क से ग्राहकों को बेहतर सेवा देने में सोपानवत सफलता मिलेगी और अधिक ग्राहक केन्द्रित सेवा लागू करने में सहायता मिलेगी. प्रव्रजन प्रक्रिया चालू है. शाखाओं को उच्च उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आपात संप्रेषण माध्यम जैसे 3जी, सीडीएमए आदि जैसे समानांतर कार्यान्वन में बैंक अग्रगामी रहा है.

एक छत के नीचे समेकित प्रौद्योगिकी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक की दो एटीएम गैलरियां, एक शिवाजीनगर और एक बाजीराव रोड पुणे में कार्यान्वित हैं.

अंतरर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड के लिए बैंक ने वीसा के साथ और रूपे डेबिट कार्ड के लिए एनपीसीआई के सहयोग किया है. बैंक भारत सरकार की पहल-रूपे किसान डेबिट कार्ड को लागू करने वाला पहला बैंक बन गया है.

भुगतान एवं निपटान पद्धित अर्थात वास्तविक समय सकल निपटान और राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण के लिए सरलीकृत स्ट्रेट थ्रु प्रक्रिया (एसटीपी) प्रतिमान विशाल प्लेटफॉर्म पर कार्यरत है. ई-लेनदेन को बढावा देने तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण को लोकप्रिय बनाने के लिए बैंक ने ₹ 1.00 लाख तक की राशि के एनईएफटी लेनदेन पर सेवा प्रभार में छूट दी है.

वैकल्पिक माध्यमों जैसे एटीएम, आरटीजीएस, एनईएफटी, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाईल बैंकिंग, इसीएस इत्यादि के माध्यम से लेनदेन को बढावा देने के लिए बैंक विशेष प्रयास कर रहा है. ग्राहकों द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक लेनदेन इन वैकल्पिक माध्यमों के द्वारा किया जाता है. बैंक इसके प्रयोग में वृद्धि के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, जिसके माध्यम से, जिन्हें वर्ष के दौरान कार्यान्वित किया गया गया है, लगातार जोर दे रहा है.

हमारे इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरलीकृत करों के ऑनलाईन भुगतान, उपयोगिता बिल भुगतान, ऑनलाईन शॉपिंग, ई-कॉमर्स, रेलवे आरक्षण, जीबन बीमा किश्तों के भुगतान आदि विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और कर जमा विवरण 26एएस तथा बैंक के साथ डीमैट खातों को देखने की सुविधा प्रदान की गई है.

- 7 programmes for pre- promotional training to SC/ST employees were conducted during May – June 2013. Total 298 candidates attended the training.
- 4 programmes on Pre retirement counselling were conducted for the employees retiring during the year. Besides lecture on investment planning, health check up of participants were also arranged.

3.3 Technology Initiatives

The year 2013-2014 has been a milestone year for the Bank as far as technology implementation and up-scaling is concerned. During the year, Bank expanded its ATM Network from 692 ATMs to 1827 ATMs, covering nearly all the 1890 Branches of the Bank. The implementation of Bank's Own ATM Switch commenced during the Year and has been implemented LIVE from 08th May 2014. Bank has been in the forefront of Technology in Business & related activities.

Bank has a state-of-the-art Tier III Data Centre and Disaster Recovery (DR) Centre. A Near DR Site is also established to help the Bank achieve Zero Data Loss Objective, in the event of any untoward incident. We are one of the few Public Sector Banks to implement Near DR Site over last two years. The efficacy of Near Site is tested twice a year during DR Drills conducted by the Bank.

Bank has its own Corporate Network "MAHANET" with all Branches, Zonal Offices, Training Colleges / Centers and Head Office interconnected and working under Core Banking Platform. Its robust & secure Network Technology Architecture ensures seamless services to the customers. During the year 2013-14, the process of migration of the network to highly redundant and reliable Multi Protocol Label Switching (MPLS)—VPN (Virtual Private Network) based architecture has been completed. With this, we are sure that the Bank's new network is scalable so as to serve our customers even better and introduce more customer centric applications. Bank has also pioneered in implementing niche network technologies such as 3G, CDMA, etc as back up communication media to ensure high availability to the branches.

Bank is having two ATM Galleries, one in Bajirao Raod & one in Shivaji Nagar, set-up with a view to provide integrated technology services under one roof.

Bank has collaborated with VISA for International Debit Cards and with NPCI for Rupay Debit Cards. Bank has also been the first Bank to launch Rupay Kisan Debit Card – a Government of India initiative.

The payment and settlement systems viz., RTGS and NEFT are running on robust platform facilitating straight-through-processing (STP) model. In order to promote e-transactions & popularize the usage of NEFT Transactions, the service charges on NEFT transactions up to ₹ 1.00 Lakh are waived.

The Bank is taking special efforts to encourage transactions through alternate channels such as ATM, RTGS / NEFT, Internet Banking, Mobile Banking, ECS etc. More than 40 percent transactions are now being carried out by customers through these alternate channels. Bank is constantly pursuing efforts to enhance usage of these channels through various incentive schemes which have been implemented during the year.

Various facilities are being provided through our Internet Banking platform for facilitating online payment of taxes, utility bill payments, online shopping / e-commerce, railway reservation, LIC premium payment, etc and facility for viewing tax credit statement 26AS and Demat account with the Bank.

सदैव विकसित सूचना सुरक्षा प्रवृत्ति तथा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा में सुरक्षा अभिलक्षण वृद्धि के उत्तरदायित्व के प्रतिसाद के प्रयासों के एक भाग के रूप में रिटेल उपयोगकर्ताओं और सक्रिय कॉर्पोरेट उपयोगकर्ताओं के लिए द्विस्तरीय प्रमाणीकरण (२एफए) सोल्युशन को कार्यान्वित किया गया है.

बैंक के पास विशाल सूचना सुरक्षा प्रबंधन पद्धति ढांचा उपलब्ध है. इसकी सूचना सुरक्षा नीति कथन "बैंक ऑफ महाराष्ट्र सुरक्षित व्यवसाय परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों की संवेदनशील जानकारी की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है."

सूचना सुरक्षा प्रबंधन पद्धित ढांचे को और सशक्त बनाने के लिए बैंक को इसके डाटा सेंटर, डिजास्टर रिकवरी सेंटर एवं सीबीएस परियोजना कार्यालय सिहत सूचना प्रौद्योगिकी खंड को आईएसओ 27001:2005 प्रमाणन प्राप्त हुआ है. बैंक द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि आईएसओ 27001:2005 प्रमाणन वर्ष 2012-13 के लिए और अब वर्ष 2013-14 के लिए भी बना रहे.

बैंक ने 24X7 आधार पर महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी संरचना निगरानी के लिए सीमित सुरक्षा परिचालन केन्द्र की स्थापना की है. इस सुरक्षा परिचालन केन्द्र से बैंक को सुरक्षा घटनाओं की निगरानी तथा अनुपालन आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए स्थिर, अग्रसक्रिय निगरानी सुरक्षा खतरे का प्रभावी रूप से पता लगाने में सहायता मिलेगी. इससे बैंक कोर सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा एवं अनुप्रयुक्त संरचना द्वारा सृजित निरंतर खोज प्रक्रिया को स्वचालित रूप से जानने में समर्थ होगा. अन्य सेवाओं यथा एंटी फिशिंग, एंटी ट्रोजन सेवाओं का भी कार्यान्वयन किया गया.

ग्राहक पहल के एक भाग के रुप में ग्राहकों के लिए नये बचत बैंक खाते खोलने और नई पेंशन योजना के अन्तर्गत खाते खोलने जैसी ऑनलाईन सुविधाएं उपलब्ध कराई. बैंक द्वारा आवास, शिक्षा, वाहन, एमएसएमई उपभोक्ता तथा कोई अन्य ऋण उत्पाद (ग्राहक की अन्य साख सुविधा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य आवेदन) हेतु विभिन्न साख सुविधाओं के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए भी सुविधा प्रदान की गई है.

बैंक ने ग्राहकों के लिए बहुत से नए आईटी उत्पादों/सेवाओं का आरंभ किया जैसे चेक जमा मशीन, डिजिटल मीडिया साइनेज, चेक प्रबंधन सोल्यूशन (पीओसी बेसिस) मानक लोक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) सॉफ्टवेयर, बैंक की शाखाओं और एटीएम की जगह का पता लगाने हेतु सॉफ्टवेयर, नवीकृत कार्डधारकों के लिए एसएमएस, ई-पैक्ट नई पेंशन योजना (एनपीएस) लाईट सॉफ्टवेयर, सभी रूपे कार्डधारकों के लिए पीओएस उपयोग इत्यादि.

शाखा स्टाफ के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का कार्यान्वयन आरंभ किया गया इसके 31.05.2014 तक पूर्ण होने की संभावना है.

स्वचालित डाटा प्रवाह, भारतीय रिज़र्व बैंक की एक पहल, का प्रत्यक्ष कार्यान्वयन भारतीय रिज़र्व बैंक की समय सीमा के अनुसार, 31.12.2013 से आरंभ किया गया.

दक्षिणी ग्रिंड के अंतर्गत सभी 27 केंद्रों और पश्चिमी ग्रिंड के अंतर्गत मुंबई सहित सभी 20 केन्द्रों पर चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया.

बैंक ने सोलापुर में अपना स्वयं का व्यवसाय प्रतिनिधि मॉडल कार्यान्वित किया है. इस मॉडल के अंतर्गत हमने बैंक के सभी क्षेत्रों में 1000 माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराए हैं और कार्यान्वयन प्रगति पर है.

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक- महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की सभी शाखाएँ वर्ष 2011 से ही सीबीएस के अंतर्गत कार्यरत हैं और ग्राहकों एवं व्यवसाय विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पहल को कार्यान्वित कर रही हैं.

बैंक का वर्ष 2014-15 के दौरान निम्नलिखित नई सूचना प्रौद्योगिकी पहल के लिए उपाय करने का प्रस्ताव है:

- बेहतर ग्राहक अनुभव में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए नई/ उच्चत शाखा रुपांतरण पहल. देयता प्रक्रमण कक्ष (सीएलपीसी)/आस्ति प्रक्रमण केंद्र (सीएपीसी) का केंद्रीकरण
- विश्लेषणात्मक सीआरएम, कारोबारी समझ और उद्यम व्यापक डाटा वेयरहाउस की स्थापना के प्रति कार्य
- नई पीढ़ी का मोबाईल बैंकिंग एप्लीकेशन जो विभिन्न मोबाईल फोनों और प्लैटफार्म पर कार्य कर सके तथा सुरक्षित संव्यवहार प्रदान कर सके.

As a part of the effort to respond to the ever evolving information security trends and the responsibility to enhance security features in the Internet Banking facility, Two Factor Authentication (2FA) Solution for Retail Users & active Corporate Users is rolled out.

Bank has robust Information Security Management System (ISMS) framework in place. Its information security policy statement being: "Bank of Maharashtra is committed to protect and safeguard the critical information of all stakeholders in order to ensure secure business operations"

In order to strengthen the ISMS framework further, Bank had gone for ISO 27001:2005 Certification for its IT division including Data Center, Disaster Recovery Center and CBS Project Office. Bank has ensured continuation of the ISO 27001:2005 certification for the year 2012-13 and now 2013-14 as well

Bank has in place a captive Security Operations Centre (SOC) for monitoring Critical IT Infrastructure on 24 x 7 basis. The SOC shall enable the Bank to effectively address security threats by constant, proactive monitoring of security events and meet the compliance requirements. This has enabled the Bank to automate the vulnerability discovery process by constantly analyzing the logs generated by the core IT security and application infrastructure. The other services namely Anti-Phishing & Anti-Trojan services are also implemented.

As a part of Customer Initiatives, online facilities are made available to customers for opening of savings bank accounts and also accounts under New Pension Scheme. Bank has also made available facility for submitting applications online for various credit facilities including Housing, Education, Vehicle, MSME, Consumer and any other Loan product (Generic application to accommodate any other credit facility requirement of the customer).

Bank has launched a plethora of New IT products/services for Customers like Cheque Deposit Machines, Digital Media Signage, Queue Management Solution (PoC Basis), Standardized Public Grievances Redress System (PGRS) Software, Software for Searching Branch & ATM Locations of the Bank, SMS to renewed Card Holders, e-Pact New Pension Scheme (NPS) LITE Software, POS Usage enabled for all Rupay Cards etc.

Implementation of Biometric Authentication for Branch Staff is taken up and expected to be completed by 31/05/2014.

Automated Data Flow, an RBI Initiative, has been implemented LIVE from 31/12/2013, as per RBI Timelines.

Cheque Truncation System has been implemented at all 27 Centres under Southern Grid & 20 Centres under Western Grid including Mumbai.

Bank has implemented own Business Correspondent Model at Solapur. Under this model we have provided 1000 Micro ATMs to all Regions of the Bank & implementation is in progress.

All the branches of Maharashtra Gramin Bank, the Regional Rural Bank sponsored by the Bank are working under CBS since 2011 & are implementing various initiatives to be in tune to meet the demands of customers and business development.

Bank proposes to take up following new IT Initiatives during 2014-15.

- Newer / Evolving Branch Transformation Initiatives with focus on enhancing customer experience. Centralization of Liability Processing Centre (CLPC) / Asset Processing Centre (CAPC).
- Work towards establishment of Enterprise-Wide Data Warehouse, Business Intelligence & Analytical CRM.
- New generation Mobile Banking application that can work with variety of mobile phones & platforms and provide secure transactions.

- बैंक के कॉल सेंटर को उच्चत कर संपूर्ण इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल सेंटर बनाना
- सभी एटीएम को कवर करने हेतु ई-सर्विलेंस प्रणाली

प्रोजेक्ट उत्कर्ष

बैंक ने जुलाई माह 2013 में "रणनीतिक पहलों का विभाग" नाम से एक नए विभाग का गठन करते हुए एक नया कदम उठाया. इस प्रोजेक्ट को उत्कर्ष नाम दिया गया और यह एक व्यवसायिक रूपांतरण कार्यक्रम है. बैंक ने रुपांतरण के लिए ईवाय को परामर्शक के रूप में नियुक्त किया है. इस प्रोजेक्ट हेतु सहायक महाप्रबंधक की प्रमुखता में 12 अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया है. कार्य क्षेत्र और समय सीमा निर्धारित है तथा प्रोजेक्ट के पूर्ण होने की अपेक्षित समय सीमा 18 माह है. उत्कर्ष का लक्ष्य एक रणनीतिक रोडमैप बनाना और बैंक के परिचालन मॉडल को इस प्रकार संरेखित करना है कि वह अधिक प्रतिस्पर्धी, मुस्तैद और कार्यक्षम खिलाड़ी बन सके. प्रोजेक्ट उत्कर्ष में छः कोर घटक शामिल हैं - शाखा रूपांतरण, केंद्रीकरण और बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग, रिटेल व एसएमई ऋणों के लिए विक्रय सामर्थ्य, वैकल्पिक चैनल, पूँजी और मानव पूँजी पर्याप्तता.

रूपांतरण कार्यक्रम उत्कर्ष की बाह्य संरचना

- शीघ्रता से वृद्धि करना
- 🕨 जमाराशि और अग्रिम व्यवसाय में वृद्धि के लिए मुख्य क्षेत्रों की पहचान करना
- विक्रय दक्षता और प्रभावपूर्ण सुधार के लिए विक्रय संरचना और कौशल में सुधार करना.
- बैंक-एंड पर समग्र गैर मूल प्रक्रियाओं और अन्य प्रक्रियाओं को एकरूप करने के लिए अवसरों की पहचान करना और उत्पादकता में वृद्धि करना
- > लाभप्रदता को प्रभावित किए बिना प्रभावी परिचालनगत मॉडल बनाना
- बढ़ते हुए व्यवसाय के साथ लागतों को सीमित करना, शुल्क आधारित आय के हिस्से में वृद्धि करना तथा लाभप्रदता में बढ़ोत्तरी के लिए उत्पादकता में सुधार करना
- पूँजी क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए रोड-मैप तैयार करना

3.4 बैंक द्वारा की गई ग्राहक केन्द्रित पहलें

समूचे वर्ष के दौरान ग्राहक संतोष बनाए रखने के लिए बैंक ने ग्राहक सेवा के उच्च मानकों का पालन किया.

भारतीय बैंकिंग आचार संहिता और मानक बोर्ड का सदस्य के रूप में बैंक ने ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबध्दताओं की आचार संहिता, एसएमई के प्रति बैंक की प्रतिबध्दताओं की आचार संहिता, एसएमई के प्रति बैंक की प्रतिबध्दताओं की आचार संहिता को स्वीकार किया. निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित जमा, चेकों / लिखतों की वसूली, शिकायतों का समाधान, क्षतिपूर्ति और मृत जमाकर्ताओं के दावों के निपटारे हेतु परिचालनगत कार्यविधि के दस्तावेज तैयार किए हैं.

ग्राहक संतुष्टि को सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक शिकायतों का समाधान, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा सिमित की आविधक बैठकें होती हैं. प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालय में भी गठित ग्राहक सेवा की स्थायी सिमितयों की बैठकें विभिन्न ग्राहक सेवा संबंधी मामलों और ग्राहक सेवा में सुधार हेतु सतत आधार पर होती हैं.

सभी शाखाओं में ग्राहक सेवा सिमित का गठन किया गया है. जमाकर्ता, कंपनियों, व्यापारियों और विरष्ठ नागरिकों सिहत सभी संवर्ग के ग्राहकों को शाखा/ अंचल/प्रधान कार्यालय स्तर की बैठकों में बुलाया जाता है तािक बैंक की सेवाओं और उत्पादों के संबंध में उनके विचार और सुझाव प्राप्त किए जा सकें. ग्राहक शिकायतों का त्वरित निवारण करने के लिए ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र कार्यरत है. बैंक के प्रधान कार्यालय और सभी अंचल कार्यालयों में शिकायत प्रबंधन कक्ष कार्यरत है. ग्राहक सेवा पर बोर्ड सिमित और प्रधान कार्यालय की ग्राहक सेवा पर गठित स्थायी सिमित नियमित आधार पर ग्राहक शिकायतों के निपटारे की प्रगति की निगरानी करती है.

- Upgrade of Bank's Call Centre to a complete inbound and outbound call center.
- > E-Surveillance System to cover all ATMs.

Project "Utkarsha"

Bank has taken a novel step in the month of July, 2013 by forming a new department by name" Department of Strategic Initiatives". The project is named "Utkarsha" and is a business transformation programme. Bank has engaged EY as consultants for the transformation. A team of 12 officers headed by an AGM is also formed to undertake this project. Time lines and the scope of work are defined and the expected time for the project completion is 18 months. The objective of Utkarsha is to draw a strategic roadmap and align Bank's operating model to emerge as a more competitive, agile and efficient player. Project "Utkarsha" encompasses six core elements namely Branch Transformation, Centralization and Business Process Re-engineering, Sales Enablement for retail and SME loans, Alternate Channels, Human Capital and Capital Efficiency.

The Outline of the Transformation Program "Utkarsha"

- Grow Rapidly
- Identify key drivers for growing deposits and advances business
- Revamp sales structure and augment skill-set to improve sales efficiency and effectiveness
- Identify opportunities to streamline processes, aggregate non-core processes at back-end and enhance productivity
- Design an efficient operating model to ensure business growth is not achieved at expense of efficiency
- Optimize costs with rising scale of business, increase share of fee-based income and improve productivity to enhance profitability
- > Create a roadmap to ensure capital efficiency

3.4 Customer Centric Initiatives taken by the Bank

The Bank has pursued high standards of customer service to ensure customer satisfaction throughout the year.

As member of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) Bank has adopted the Code of Bank's Commitment to Customers and Bank's Code of Commitment to SMEs. Duly documented policies approved by the Board on "Deposits", "Collection of Cheques/ instruments", "Redressal of Grievances", "Compensation" and "Operational Procedure for settlement of claims of Deceased Depositors" are in place.

The Committee of the Board on Customer Service meets periodically to monitor the quality of customer service, redressal of customer grievances to ensure customer satisfaction. The Standing Committee on Customer Service at Head Office and Zonal Level Customer Service Committees at all the Zonal offices also meet regularly to address and review various customer related matters to take steps for improvement on an ongoing basis.

Customer Service Committees at all the branches are formed and a cross section of customers representing depositors, Corporates, businessmen, senior citizens are invited to attend the Customer Service meetings at Branch/Zonal/Head Office level, to have feedback and suggestions on schemes, products and services. Full-fledged grievances redressal machinery is in place to respond promptly to customer grievances. Complaint Management Cells are operative at Head Office and all Zonal Offices of the Bank. The Committee of the Board on Customer Service and Standing Committee on Customer Service at Head Office monitor the progress of redressal of customer grievances regularly.

बैंक ने गोइपोरिया समिति, डॉ. एस. एस. तारापोर समिति और दामोदरन समिति की ग्राहक सेवा से संबंधित सभी प्रमुख सिफारिशों का कार्यान्वयन कर दिया है.

बैंक ने शिकायत दर्ज करने या ग्राहकों से सेवा पर प्रतिसूचनाएं एवं सुझाव मांगने, प्राप्ति की सूचना देने एवं उनकी प्रतिसूचनाओं/शिकायत की स्थिति दर्शाने के लिए इंटरनेट आधारित तंत्र विकसित किया है.

बैंक ने "मेरा फोल्डर" नामक एक फोल्डर मुद्रित किया है, जिसमें सभी ग्राहक सेवा नीतियां, सेवा प्रभारों पर जानकारी, सरकारी योजनाबद्ध ऋणों पर दिशानिर्देश, लोकपाल और बीसीएसबीआई संहिता का समावेश है. इसे मराठी, हिन्दी और अंग्रेजी में मुद्रित कराया गया है और सभी शाखाओं और अंचलों को आपूर्ति की गई है, तािक इसे सभी ग्राहकों को मांग पर उपलब्ध कराया जा सके.

मानकीकृत जन शिकायत निवारण प्रणाली

बैंक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली द्वारा 11.06.2012 को आरंभ किए गए "मानकीकृत जन शिकायत निवारण प्रणाली" के कार्यान्वयन हेतु प्रक्रियारत है. प्रधान कार्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आयोजना विभाग समन्वित जन शिकायत प्रणाली हेतु एक गृह सॉफ्टवेयर विकसित कर रहे हैं.

शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु कियॉस्क मशीन का संस्थापनः

ग्राहकों को शिकायतें/सुझाव ऑनलाइन रजिस्टर करने हेतु प्रधान कार्यालय में कियॉस्क मशीन की व्यवस्था की गई है और इसका परिचालन 14.03.2013 से प्रारंभ हुआ है.

3.5 अपने ग्राहकों को जानिए / धन शोधन निवारण प्रणाली

अपने प्राहक को जानिए (केवायसी) मानदंडों/ धन शोधन निवारक (एएमएल) मानकों/ आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषण से संघर्ष (सीएफटी) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के अंतर्गत बैंक की प्रतिबद्धताएं

बैंक के पास निदेशक मंडल से अनुमोदित केवायसी-एएमएल-सीएफटी नीतियां हैं. इन नीतियों के आधार पर बैंक केवायसी मानदंड, एएमएल मानक और सीएफटी उपाय लागू करता है. पूर्ण केवायसी अनुपालन में ग्राहकों और उसी प्रकार कर्मचारियों को भी शिक्षित करना शामिल है. इसके लिए बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए-

ग्राहकों के लाभार्थ बैंक के वेबसाईट पर केवायसी दस्तावेजों की व्यापक सूची अपलोड की गई. कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में केवायसी-एएमएल-सीएफटी पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए.

3.6 जोखिम प्रबंधन

बैंक दैनंदिन बैंकिंग परिचालन में विभिन्न प्रकार के जोखिमों का सामना कर रहे हैं . बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में जोखिम प्रबंधन संरचना और उद्योग की श्रेष्ठ प्रथाओं के प्रति स्वयं अपना बेंचमार्क तैयार किया है. इससे बैंक प्रमुख जोखिम क्षेत्र, उपाय, निगरानी और जोखिम के क्षमतापूर्ण प्रबंध के अभिनिर्धारण में समर्थ होते है.

बैंक का निदेशक मंडल सभी जोखिम प्रबंधन नीतियों और रणनीतियों की पुनरीक्षा करता है और बैंक के समग्र जोखिम आकार के अनुसार नियंत्रण प्रणालियां तैयार करता है. निदेशक मंडल बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) से सहयोग प्राप्त करता है और आरएमसीबी उप समितियों यथा ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) तथा आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) से सहयोग प्राप्त करता है. इन समितियों की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक करते हैं तथा कार्यपालक निदेशक और महाप्रबंधकगण इन समितियों के सदस्य होते हैं.

The Bank has implemented all major recommendations of Goiporia Committee, Dr.S.S.Tarapore Committee and Damodaran Committee relating to customer service.

The Bank has in place internet based mechanism for lodging the complaint or to give suggestions/ feedback on services by the customers and for providing acknowledgement and status of their feedback/ complaint.

Bank has printed folder called "My Folder" containing all customer service policies, information on service charges, guidelines on Government Schematic Loans, Ombudsman and BCSBI codes. The same is printed in Marathi, Hindi and English and supplied to all branches and Zones for making the same available to all customers on demand.

Standardized Public Grievances Redressal System:

Bank is in process of implementing "Standardized Public Grievances Redressal System (SPGRS)" introduced by GOI, MOF, Department of Financial Services, New Delhi on 11.06.2012. I T Department and Planning Department in Head Office are developing In House software for Integrated Public Grievances System.

Installation of Kiosk Machine for online registration of complaints:

Kiosk Machine arrangement has been made at Head Office to enable the customers to register on line complaints/suggestions, and its operation is started w.e.f. 14.03.2013.

3.5 KYC/AML

Know Your Customer (KYC) norms / Anti Money Laundering (AML) standards / Combating of Financing of Terrorism (CFT) and Obligation of Bank under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002.

The Bank has Board approved KYC-AML-CFT Policy in place. The said Policy is the foundation on which the Bank's implementation of KYC norms, AML standards and CFT measures is based. The full KYC compliance entails staff education as well as customer education for which the following measures are taken by the Bank.

A comprehensive list of KYC documents is uploaded on the Bank's web site for the benefit of customers. Regular training sessions are conducted on KYC-AML-CFT guidelines at the Bank's training establishments to sensitize the employees.

3.6 Risk Management

Banks are faced with a variety of risks while conducting day to day banking operations. Bank has its Risk Management Frame work in accordance with the RBI Guidelines and benchmarks itself against the industry best practices. This enables the Bank to identify, measure, monitor and manage risk efficiently.

The Board of Directors of the Bank reviews all Risk Management Policies and Strategies and establishes control systems in line with the Bank's aggregate Risk Appetite. The Board of Directors is supported by the Risk Management Committee of the Board (RMC) and RMC is supported by subcommittees known as Credit Risk Management Committee (CRMC), Market Risk Management Committee (MRMC), Operational Risk Management Committee (ORMC) and Asset Liability Management Committee (ALCO). These Committees are headed by Chairman and Managing Director. Executive Directors and General Managers are the members of the Committees.

जोखिम प्रबंधन नीतियां :

क्षेत्र प्राधिकारियों के तत्काल संदर्भ हेतु और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियां तैयार की हैं यथा (i) ऋण जोखिम प्रबंधन नीति (iii) बाजार जोखिम प्रबंधन नीति (iii) आस्ति देयता प्रबंधन (iv) परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति (v) दबाव परीक्षण नीति (vi) आउटसोसिंग नीति (vii) व्यवसाय निरंतरता आयोजना नीति (viii) विगोपन नीति (ix) ऋण जोखिम कमी तकनीक का उपयोग और संपाष्टिर्वक प्रबंधन नीति तथा (x) आंतरिक पूंजी पर्याप्ता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी).

ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम किसी उधारकर्ता के या उसके प्रतिपक्ष के द्वारा इसके वित्तीय वायित्व की पूर्ति में विफलता के परिणामस्वरूप अथवा उधारकर्ता के या उसके प्रतिपक्ष के द्वारा ऋण गुणवत्ता में गिरावट के परिणामस्वरूप होनेवाली हानि की संभावना है. प्रभावी ऋण जोखिम प्रबंधन निरंतर आधार पर जोखिम का प्रबंध करने और उसके निर्धारण, उसके मापन, निगरानी की संरचित प्रक्रिया है. इसके लिए अपेक्षित है कि प्रस्तावित ऋण विस्तार, विशिष्ट सीमाओं का निर्धारण, ऋण की समयाविध के दौरान निगरानी, ऋण जोखिम कमी के साधनों के सिक्रय उपयोग तथा ऋण सुधार के प्रति अनुशासित दृष्टिकोण पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाए. बैंक की समग्र जोखिम प्रबंधन नीति का ऋण जोखिम प्रबंधन एक अंतरंग अंग है. बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन समिति गठित की है जो कि आविधिक अंतराल पर ऋण प्रशासन तथा निगरानी से संबंधित नीतियों, कार्य पद्धितियों और प्रणालियों की पुनरीक्षा करती है.

बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए व्यापक उधार नीति, ऋण पुनरीक्षण नीति तथा जोखिम प्रबंधन नीति को लागू किया है. इन नीतियों में विभिन्न दिशानिर्देश, कार्यविधियों, मानकों और विवेकी / विगोपन मानदंडों का विवरण दिया गया है.

उधारी प्रस्ताव में जोखिम संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए बैंक ने बेसल-III आवश्यकताओं के अंतर्गत आंतरिक रूप से विकसित ऋण जोखिम रेटिंग फ्रेमवर्क (सीआरआरएफ), वर्तमान और उसी प्रकार प्रवेशस्तरीय उधारकर्ताओं की रेटिंग विभिन्न आस्ति संवर्गों में करने हेतु लागू किया है. टीआईबीडी में गृह विकसित रेटिंग मॉडल का प्रयोग गैर-एसएलआर निवेशों की रेटिंग के लिए भी किया जाता है. बैंक प्रतिष्ठित ऋण रेटिंग एजेन्सी से उद्योग जोखिम रेटिंग का उपयोग करता है और सीआरआर मॉडलों में उद्योग जोखिम अंकन के लिए समाविष्ट करता है. बैंक अपने ऋण निर्णयों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा वी गई रेटिंग का भी उपयोग करता है.

लाभ योजना को हासिल करने और जोखिम वहन क्षमता के अंतर्गत ऋण संविभाग तैयार करने की दृष्टि से बैंक ने प्रवेशस्तरीय विगोपनों के लिए न्यूनतम रेटिंग निर्धारित किए हैं. ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य को ऋण मंजूरी के कार्य से अलग करने के लिए प्रधान कार्यालय में विभिन्न स्तरों पर तथा खजाना व अंतर्राष्ट्रीय वैंकिंग प्रभाग (टीआईबीडी) में ऋण अनुमोदन ग्रिड स्थापित किए हैं, जो समिति दृष्टिकोण के माध्यम से जोखिम संभावनाओं का पता लगाते हैं.

बैंक ने एक निर्धारित अविध के दौरान उधारकर्ताओं की ऋण जोखिम योग्यताक्रम का माइग्रेशन विश्लेषण किया और बेसल आवश्यकताओं के क्रम में चूक की संभावनाओं का अनुमान लगाया. रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ हासिल करने के लिए जोखिम आधारित मूल्यांकन फ्रेमवर्क लागू किया गया और आविधक आधार पर पुनरीक्षा की गई.

ऋण जोखिम के निर्धारण के लिए बैंक आविधक रूप से निम्नलिखित अध्ययन करता है:

- उधारी नीति के अनुसार विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन
- ऋण संविभाग पुनरीक्षा
- ऋण जमाव जोखिम का निर्धारण
- ऋणों और अग्रिमों का त्वरित निपटान
- घरेलू जोखिम प्रबंधन
- अन्य बैंकों को सकल विगोपन
- दबाव जांच रिपोर्ट

Risk Management Policies

In order to provide ready reference and guidance to field functionaries, Bank has put in place various Board approved Risk Management Policies viz. (i) Credit Risk Management Policy, (ii) Market Risk Management Policy, (iii) Asset Liability Management Policy, (iv) Operational Risk Management Policy, (v) Stress Testing Policy, (vi) Outsourcing Policy, (vii) Business Continuity Planning Policy, (viii) Disclosure Policy, (ix) Utilization of Credit Risk Mitigation Techniques and Collateral Management Policy & (x) Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).

Credit Risk Management

Credit risk is the possibility of a loss being incurred as the result of a borrower or counterparty failing to meet its financial obligations or as a result of deterioration in the credit quality of the borrower or counterparty. Effective credit risk management is a structured process to assess, measure, monitor and manage risk on a consistent basis. This requires careful consideration of proposed extensions of credit, the setting of specific limits, monitoring during the life of the exposure, active use of credit mitigation tools and a disciplined approach to recognizing credit impairment. The Credit Risk Management process forms an integral part of overall risk management of the Bank. The Bank has constituted Credit Risk Management Committee (CRMC) which reviews the policies, procedures and systems relating to credit administration and monitoring, at periodic intervals.

The Bank has put in place comprehensive Lending Policy, Loan Review Policy and Credit Risk Management Policy for credit risk management. The policies prescribe various guidelines, procedures, standards and prudential / exposure norms.

To evaluate the risk perception in a lending proposition, the Bank has put in place an in-house developed Credit Risk Rating Framework (CRRF) for rating of existing as well as entry level borrowers in various asset classes, as desired under Basel III. In house developed rating model in TIBD is also in use to rate Non-SLR Investments. The Bank utilizes industry risk rating from reputed credit rating agency and incorporates the industry risk score in the CRR Models. Bank also uses the rating assigned by RBI approved external credit rating agencies in its credit decision.

The Bank has prescribed threshold ratings for entry level exposures with a view to building up credit portfolio within the risk appetite and achieves the profit plan. With a view to separating the Credit Risk Management function from credit sanctioning, Credit Risk Rating Approval Grids are set up at various levels at Head Office and at Treasury & International Banking Division (TIBD), Mumbai which assess the risk perception through a committee approach.

The Bank has undertaken migration analysis of credit risk rating of borrowers over a time horizon and probability of default has been estimated in line with Basel requirements. To achieve risk-return trade off, risk based pricing framework has been implemented and reviewed periodically.

The Bank undertakes following studies periodically to assess Credit Risk:

- Compliance to Prudential Norms as per Lending Policy
- Credit Portfolio Review
- Assessment of Concentration Risk in Assets & Liabilities
- Quick Mortality of Loans and Advances
- · Country Risk Management
- Aggregate exposure on other banks
- Stress Test Report Credit Risk

इन अध्ययनों के नतीजों को आविधक आधार पर ऋण जोखिम प्रबंधन सिमित, जोखिम प्रबंधन सिमित तथा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है.

बाजार जोखिम प्रबंधन

ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा दरों और ईक्विटी मूल्य में परिवर्तन और गतिशीलता के कारण बैंक को बाजार जोखिम होता है. ये परिवर्तन बैंक की आय और पूंजी पर असर डालते हैं और बैंक की तरलता और लाभप्रदता को भी प्रभावित करते हैं.

बैंक की एक पृथक बाजार जोखिम प्रबंधन समिति है जो कि नियमित आधार पर बाजार जोखिम प्रबंधन नीति की पुनरीक्षा करती है और आशोधन, यदि कुछ हो, की रिपोर्ट जोखिम प्रबंधन समिति तथा निदेशक मंडल को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करती है. बैंक की एमआरएम नीति व्यापक प्रक्रियाओं पर विचार करती है यथा जिसके द्वारा बैंक ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम, इंक्विटी मूल्य जोखिम तथा ऑप्शन जोखिम के क्षेत्रों में जोखिमों का अभिनिर्धारण करेगा. आंतरिक रिपोर्टिंग, विनियामक रिपोर्टिंग और पिलर ॥ प्रकटन हेतु रिपोर्टिंग संरचना निर्धारित की गई है.

ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

ब्याज दर जोखिम ऐसा जोखिम है जिसमें बाजार की ब्याज दरों में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है. ब्याज दरों में परिवर्तन इसके निवल ब्याज आय के परिवर्तन के माध्यम से बैंक की आय (अर्थात रिपोर्ट किया गया लाभ) पर प्रभाव डालता है और साथ ही इसकी दर संवेशनशील आस्तियों, देयताओं और तुलनपत्र से अलग ली गई स्थितियों के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन के माध्यम से बैंक की ईक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) या निवल संपत्ति को भी प्रभावित करता है. ब्याज दर जोखिम की उक्त दो परिप्रेक्ष्यों में पुनरीक्षा की जाती है तो इसे क्रमशः 'अर्जन परिप्रेक्ष्य' तथा 'आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य' कहा जाता है.

तदनुसार बैंक ब्याज दर जोखिम के प्रबंध के लिए निम्नलिखित साधनों का प्रयोग करता है :

- पारंपरिक गैप विश्लेषण (टीजीए) जिसे मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशील गैप रिपोर्ट निर्माण के माध्यम से लिया जाता है.
- जोखिम पर अर्जन : ब्याज दरों में 1% बदलाव के कारण निवल ब्याज आय पर ब्याज का परिकलन. इसमें आधार जोखिम, एंबेडेड ऑप्शन जोखिम, आय समाधान जोखिम, निवल ब्याज स्थित जोखिम, मूल्य जोखिम और पुनर्निवेश जोखिम.
- अविध अंतराल विश्लेषण (डीजीए) जो ईक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) से ब्याज दर संचलन की संवेदनशीलता के अनुसार ब्याज दर जोखिम के प्रति बैंक के विगोपनों पर ध्यान केन्द्रित करता है.
- 4. आशोधित अविध : संविभाग में ब्याज दर जोखिम पर विचार करते हुए बैंक ने एएफएस + एचएफटी श्रेणी हेतु आशोधित अविध की उच्चतम सीमाएं और साथ ही कुल निवेश संविभाग हेतु उच्चतम सीमाएं निर्धारित की हैं.
- 5. जोखिम मूल्य : खजाना स्थिति हेतु जोखिम मूल्य (वीएआर) का परिकलन 99% विश्वास स्तर हेतु 1 दिन, 10 दिन और 30 दिन के लिए परिकलित किया जाता है.

बैंक ने आस्ति देयता प्रबंधन समिति का गठन किया है, जिसकी बैठक तरलता की स्थिति और ब्याज दर परिदृश्य इत्यादि का पुनरीक्षण करने के लिए नियमित अंतरालों पर होती है. आस्ति देयता प्रबंधन समिति जमा / अग्रिमों की ब्याज दरों की समीक्षा के द्वारा बाजार जोखिम और तरलता जोखिम का प्रबंधन और पर्यवेक्षण करती है. आस्ति देयता प्रबंधन समिति विभिन्न जोखिम सीमाओं के पालन की निगरानी करती है और वर्तमान ब्याज दर परिदृश्य और बाजार में तरलता की स्थिति के आधार पर लाभ को अधिकतम करने और समग्र तुलनपत्र के प्रबंधन का कार्य भी करती है.

वार्षिक रूप से पुनरीक्षित आस्ति देयता प्रबंधन नीति में तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम आदि के प्रबंधन हेतु मानदंड निर्धारित हैं.

Finding of these studies are placed before the Credit Risk Management Committee (CRMC), Risk Management Committee (RMC) and the Board on periodical basis.

Market Risk Management

Market Risk is the risk to the Bank resulting from adverse movements in market prices due to changes in interest rates, foreign exchange rates and equity price. The changes impact the Bank's earnings and capital and can have ramifications on the Bank's liquidity and profitability.

Bank has its separate Market Risk Management Committee which reviews Market Risk Management Policy on regular basis and reports modifications, if any, to the Risk Management Committee & the Board for approval. The Bank's Market Risk Management Policy aims to set out the broad processes i.e. by which the Bank will identify risks in the areas of Interest Rate Risk, Forex Risk, Equity Price Risk and Options Risk. Reporting framework has been prescribed for internal reporting, Regulatory reporting and Pillar III disclosures.

Interest Rate Risk Management

Interest rate risk is the risk where changes in market interest rates affect a bank's financial position. Changes in interest rates impact a bank's earnings (i.e. reported profits) through changes in its Net Interest Income (NII) and also impact a bank's Market Value of Equity (MVE) or Net Worth through changes in the economic value of its rate sensitive assets, liabilities and off-balance sheet positions. The interest rate risk, when viewed from these two perspectives, is known as 'earnings perspective' and 'economic value perspective', respectively.

Accordingly, Bank uses the following tools to manage interest rate risk:

- Traditional Gap Analysis (TGA) which is undertaken through the preparation of Interest Rate Sensitive Gap Reports on a monthly basis.
- Earning at Risk: Calculation of impact on NII due to 1% change in interest rates. It also takes into account Basis Risk, Embedded Option Risk, Yield Cure Risk, Net Interest Position Risk, Price Risk and Reinvestment Risk.
- Duration Gap Analysis (DGA) which focuses on the bank's exposure to Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) in terms of sensitivity of Market Value of its Equity (MVE) to interest rate movements.
- Modified Duration: Considering the interest rate risk in the portfolio, the Bank has set upper limits of Modified Duration for AFS+HFT category and also the upper limit for total investment portfolio.
- Value at Risk: Value at Risk (VaR) for treasury positions is calculated for 1 Day, 10 Days and 30 Days for 99% Confidence Level.

The Bank has constituted Asset Liability Management Committee (ALCO), which meets at regular intervals to review the interest rate scenarios, liquidity positions in the banking book etc. The ALCO manages and supervises Liquidity Risk through review of rates of interest on deposits / advances. ALCO also monitors adherence to various risk limits and determines the business strategy in light of prevailing interest rate scenario and liquidity position in the market with a view to optimizing profit and overall balance sheet management while managing interest rate risk.

The ALM Policy, which is reviewed annually, prescribes the parameters for management of Liquidity Risk, Interest Rate Risk, etc.

निवेश जोखिम को निवेश जोखिम नीति तथा निवेश जोखिम प्रबंधन नीति में दिए गए उपायों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है.

विदेश विनिमय जोखिम के प्रबंधन, खुली विदेशी विनिमय स्थिति हेतु विवेकपूर्ण सीमाएं समग्र अंतराल स्थिति विदेशी विनिमय दैनिक सीमा, ओवरनाईट सीमा, निवल ओपन ओवर नाईट स्थिति, बंधित हानि सीमा, विदेशी उधारियां/निवेश/स्वैप के लिए सीमा, अंतरबैंक विगोपन सीमाएं आदि के लिए निर्धारण है. इन सीमाओं की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है.

पखवाड़ा आधार पर अल्पाविध डायनैमिक तरलता और दैनिक आधार पर संरचनात्मक तरलता स्थिति की पुनरीक्षा द्वारा परिपक्वता असंतुलन हेतु गैप विश्लेषण के माध्यम से तरलता जोखिम का आकलन किया जाता है तथा प्रबंध किया जाता है. बैंक गैप विश्लेषण व्यवहार अध्ययन आयोजित करता है. दबाव परीक्षण आविधक रूप से किया जाता है.

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन

परिचालनगत जोखिम आंतरिक प्रक्रिया, व्यक्ति या प्रणालियों या बाह्य घटनाओं की अपर्याप्तता विफलता के परिणामस्वरूप उत्पन्न हानि का जोखिम है. बैंक का मूल उद्देश्य प्रारंभिक अभिनिर्धारण, अभिलेखन, मूल्यांकन, निगरानी, रोकथाम और परिचालन जोखिमों को कम करने के साथ-साथ सार्थक प्रबंधन रिपोर्टिंग है.

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) परिचालनगत जोखिम से संबंधित मामलों की पुनरीक्षा के लिए नियमित रूप से बैठक करती है. ओआरएम नीति तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधन संरचना के अंतर्गत बैंक प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) और नियंत्रण स्विन्धर्पण सर्वेक्षण (आरसीएसए), पूर्व के खत्म हो गए आंकड़ों के विश्लेषण द्वारा परिचालनगत जोखिमों का अभिनिर्धारण, आंकलन और नियंत्रण/प्रशमन करता है. बैंक की परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति में बैंक में परिचालनगत जोखिम को नापने, उसकी निगरानी करने और उसे नियंत्रित करने हेतु विस्तृत रूपरेखा दी गई है. बैंक जोखिमग्रस्त क्षेत्रों को पहचानने और प्रणाली तथा कार्यविधि में उचित सुधार, प्रशिक्षण के माध्यम से समुचित उपचारात्मक कदम उठा रहा है तािक परिचालनगत जोखिम को नियंत्रित किया जा सके. परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति की नियमित बैठकें परिचालनगत जोखिम से संबंधित मामलों की समीक्षा करने हेतु ली जाती है. बैंक ने कारोबार सततता योजना को लागू किया है. आउटसोर्सिंग नीति भी तैयार की गई है जो बाजार में उपलब्ध विशेषज्ञता के उपयोग को सुगम बनाती है और आउटसोर्सिंग से संबंधित जोखिम को न्यूनतम करती है.

जोखिम आधारित सर्वेक्षण के अंतर्गत तिमाही आधार पर जोखिम प्रोफाईल टेम्प्लेट की व्याप्ति के साथ 5 व्यवसाय जोखिम और 2 नियंत्रण जोखिम तैयार किए जाते हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाते हैं.

जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के अंतर्गत शाखाओं की रेटिंग की जा रही है और प्रत्येक तिमाही में स्थिति की पुनरीक्षा की जाती है.

पुंजी गणना के उन्नत दुष्टिकोण का कार्यान्वयन

बैंक बेसल ढांचे के उन्नत दृष्टिकोण में परिवर्तन के द्वारा अपनी जोखिम तथा पूंजी प्रबंधन क्षमताओं में वृद्धि करेगा. उन्नत दृष्टिकोण में ऋण जोखिम हेतु बुनियादी व उन्नत आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण (एफआईआरबीए एंड एआईआरबीए) तथा परिचालन जोखिम हेतु मानक व उन्नत मापन दृष्टिकोण (टीएसए एंड एएमए) तथा बाजार जोखिम हेतु आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आईएमए) शामिल हैं.

3.7 आंतरिक नियंत्रक प्रणालियां

निरीक्षण और संगामी लेखा परीक्षाः

परिचालनगत जोखिम को अभिनिर्धारित करने, मूल्यांकन कर उसे कम करने के लिए बैंक ने निरीक्षण व लेखा परीक्षा के द्वारा विभिन्न आंतरिक नियंत्रक उपाय अपनाए हैं.

शाखाओं की आंतरिक लेखा परीक्षा :

सेठ समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित कर रहा है. वर्ष के दौरान जिन शाखाओं की जोखिम आधारित लेखापरीक्षा नियत थी, उन सभी शाखाओं की जिलानी समिति की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए जोखिम आधारित लेखापरीक्षा की गई. यह प्रयास किया गया कि वर्ष के दौरान बैंक की अग्रिमों में शीर्ष 200 शाखाओं को जोखिम आधारित लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया.

Investment Risk is managed through the prescriptions made in the Investment Management Policy & Investment Risk Management Policy.

Management of Foreign Exchange Risk, prudential limits for open foreign exchange position, aggregate gap position, Daylight limit, Overnight limit, Net Open Overnight Position, Stop loss limit, Limit for undertaking swaps/investment/borrowing overseas, interbank exposure limits etc. have been put in place. These limits are monitored regularly.

The 'Liquidity Risk' is measured and managed through 'Gap analysis' for maturity mismatches by reviewing structural liquidity position on daily basis and short term dynamic liquidity on fortnightly basis. Bank is conducting behavioral studies in GAP analysis. Stress testing is undertaken periodically.

Operational Risk Management

Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people or systems or from external events. Bank's primary aim is the early identification, recording, assessment, monitoring, prevention and mitigation of operational risks, as well as timely and meaningful management reporting.

The Operational Risk Management Committee (ORMC) meets regularly to review the matters related to operational risk. Under the Operational Risk Management Framework and ORM Policy, Bank is identifying, measuring, monitoring and controlling/mitigating operational risks by analyzing historical loss data, Risk and Control Self-Assessment Surveys (RCSAs) and Key Risk Indicators (KRIs). The Bank has put in place policy on Business Continuity Planning. A policy on outsourcing is also formulated which facilitates use of expertise available in the market with adequate safeguards against risk associated with outsourcing.

Under the Risk based supervision, Risk Profile Template covering five business risks and two control risks are prepared on quarterly basis and submitted to RBI.

Rating of the branches is done under Risk-based Internal Audit (RBIA) and the position is reviewed every quarter.

Implementation of Advanced Approaches of Capital Computation

The Bank will enhance its Risk and Capital Management capabilities by migrating to the Advanced Approaches of the Basel framework. Advanced approaches include Foundation and Advanced Internal Ratings Based Approach ('FIRBA' & 'AIRBA') for Credit Risk, Standardized and Advanced Measurement Approach ('TSA' & 'AMA') for Operational Risk and Internal Models Approach ('IMA') for Market Risk.

3.7 Internal Control Systems

Inspection & Concurrent Audit:

The Inspection and Audit system & various measures of internal control are adopted by the Bank to ensure identification /assessment and mitigations of operational risks.

Internal Audit of branches:

As per Seth Committee guidelines the Bank is conducting Risk Based Internal Audit of the branches. RBIA of all the branches which were due for RBIA during the year, were conducted while complying with the Jilani Committee recommendations. It was endeavoured that the top 200 branches in advances terms of the Bank are covered under RBIA during the year.

During the year the Bank has implemented some strategic

वर्ष के दौरान बैंक ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कुछ रणनीतिक निर्णयों को कार्यान्वित किया जैसे कि.

- ऑफ साइट निगरानी प्रणाली प्रारंभ करना जिसमें कुछ महत्वपूर्ण/संवेदनशील क्षेत्रों की रिपोर्ट दैनिक/साप्ताहिक/मासिक आधार पर सीबीएस प्रणाली से निकाली जाती है ताकि उन पर यथासमय परिशोधन/कार्रवाई की जा सके.
- शाखा में निरीक्षण के दौरान ही कम से कम 51% अनियमितताओं का समय पर परिशोधन करना.
- > दस्तावेजों के मशीनीकरण प्रणाली का कार्यान्वयन
- शाखा निरीक्षण, संगामी लेखा प्रणाली और ऑफसाईट निगरानी में सुधार करने वेब आधारित प्रणाली की पहल करना

वर्ष के दौरान बैंक ने सभी निरीक्षक अधिकरियों तथा निरीक्षण कक्ष के प्रमुखों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जिससे कि उन्हें नीतियों, पद्धतियों, व्यवसाय परिवेश, बैंकों के लिए संभावनाएं व चुनौतियां, जोखिम के उभरते हुए क्षेत्र और शाखा तथा कार्यालयों में विद्यमान एवं आसन्न जोखिमों के संबंध में उच्च प्रबंधन को सतर्क करने में उनकी भूमिका को अद्यतित किया जा सके.

आकस्मिक निरीक्षणः

घोष समिति की सिफारिशों के अनुसरण में शाखाओं के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए 23 शाखाओं में आकस्मिक निरीक्षण किया गया. सभी 23 रिपोर्टें बंद की गई.

संगामी लेखा परीक्षा :

वर्ष 2013-14 के अनुमोदित लेखापरीक्षा योजना के अनुसार बैंक के कुल व्यवसाय का लगभग 75.78% व्यवसाय करनेवाली 418 शाखाओं और 3 विभागों को संगामी लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया.

आय व व्यय लेखा परीक्षाः

01.10.2012 से 30.09.2013 की अविध के लिए अनुमोदित योजना के अनुसार ₹ 25.00 करोड से अधिक के कुल व्यवसाय और ₹ 5.00 करोड से अधिक के अग्रिम वाली 180 शाखाओं में आय व व्यय लेखापरीक्षा आयोजित की गई.

अंचल कार्यालयों की व्यय लेखा परीक्षाः

अंचल कार्यालयों के व्यय पर नियंत्रण करने की दृष्टि से प्रत्येक मार्च और सितंबर छःमाही में छःमाही व्यय लेखापरीक्षा के रूप में एक प्रणाली स्थापित की गई. दिनांक 30.09.2013 को 34 अंचलों की व्यय लेखापरीक्षा की गई.

स्नैप लेखा परीक्षाः

बैंक ने कुछ चयनित शाखाओं की स्नैप लेखापरीक्षा की प्रक्रिया आरंभ की, जिनकी अग्रिमों में वृद्धि अनियमित अथवा पिछले रुझान के विपरीत थी .

प्रबंधन लेखा परीक्षा :

17 अंचल कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के 16 विभागों की पर्यवेक्षण और नियंत्रण के क्रम में उनकी प्रभावशीलता का निर्धारण करने के लिए प्रबंधन लेखा परीक्षा की गई.

बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक का निरीक्षण :

बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष के दौरान बैंक का निरीक्षण किया गया और साथ ही दो शाखाओं का भी निरीक्षण किया गया.

धन शोधन निवारण

बैंक ने भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देशों एवं धन शोधन निवारण अधिनियम के रोकथाम के अनुसार धन शोधन निवारण मापदंडों की समीक्षा की है. धन शोधन निवारण प्रणाली के बेहतर प्रभाव के लिए यह प्रस्तावित है कि प्रधान कार्यालय में एक केंद्रीयकृत धन शोधन निवारण कक्ष स्थापित किया जाए.

3.8 सतर्कता

बैंक में सतर्कता गतिविधियां प्रबंधन का अंतरंग अंग है. इसका उद्देश्य प्रबंधकीय कुशलता और प्रभावशीलता के स्तर में वृद्धि करना और कुशल प्रशासन के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना है जहां अधिकारी अपने कार्य बिना किसी डर और भेदभाव से कर सके. बैंक में सतर्कता का कार्य लचीलेपन और जवाबदेही के मध्य उचित संतुलन कायम रखता है.

decisions so as to strengthen the internal control system such as.

- Commencement of Off-site monitoring system in which reports on some important/sensitive areas are extracted from the CBS system on daily/weekly/monthly basis so that necessary timely rectification/action can be taken.
- On the spot rectification of atleast 51% irregularities during the course of inspection itself in the branches.
- > Implementation of Document mechanization system.
- Initiating the process of Web Based application system so as to improve Branch Inspection, Concurrent Audit system and Off-site survellance.

During the year the Bank also organized conference of all Inspecting Officials and Heads of Inspection Cells so as to update them on policies, procedures, business environment, opportunities and challenges for banks, emerging areas of risks and their role in alterting the Top Management of existing and impending risks at branches and offices.

Surprise Inspection:

Surprise Inspection of 23 branches, focusing mainly on high risk areas was also carried out in pursuance of Ghosh Committee Recommendations. All the 23 reports are closed.

Concurrent Audit:

As per approved Audit Plan for 2013-2014, 418 branches and three departments of the Bank are covered under Concurrent Audit covering about 75.78% of Bank's total business.

Income & Expenditure Audit (I. & E. Audit):

I. & E. audit is carried out at 180 branches as per approved plan for the period 01.10.2012 to 30.09.2013 having total business above ₹ 25.00 crore & advances above ₹ 5.00 crore.

Expenses Audit of Zonal Office:

In order to have control over expenditure at Zonal Offices a system has been put in place through half yearly Expenses Audit for every March and September half years. The expenses audit of 34 Zones were conducted as of 30.09.13.

Snap Audit:

The Bank has also initiated the process of Snap audit of select branches where the growth in advances is inconsistent or especially contrary to the past trend.

Management Audit:

For assessing their effectiveness of Zonal Offices and different departments in the Head Office in terms of supervision and control, Management Audit of 17 Zonal offices and 16 departments at Head Office was carried out during the year.

RBI Inspection under Section 35 of the Banking Regulation Act:

The Bank was also subject to RBI inspection under Section 35 of the Banking Regulation Act besides that two branches were also inspected during the year.

AML:

Bank has also reviewed the AML parameters as per IBA guidelines and Prevention of Anti Money Laundering Act. In order to ensure efficacy of the AML system, a centralized AML Cell has been established at Head Office.

3.8 Vigilance

Vigilance activity in the Bank is an integral part of the managerial function. Its objective is to enhance the level of managerial efficiency, effectiveness and to ensure a proper climate for an efficient administration, where officials can perform the duties without any fear or favour. 'Vigilance' in the Bank is maintaining a proper balance between flexibility and accountability.

निवारक सतर्कता, सतर्कता का एक महत्वपूर्ण पहलू है. जालसाजियों को टालने, उनका पता लगाने, उनका वर्गीकरण करने और उनकी रिपोर्टिंग करने व की जाने वाली कार्यवाही सुझाने के लिए "जालसाजी जोखिम प्रबंधन नीति" बैंक ने तैयार कर मार्गदर्शन एवं उपयोग हेतु सभी कर्मचारियों व क्षेत्र कार्यकर्ताओं में परिचालित की है.

बैंक द्वारा "सतर्कता मैन्युअल" जारी किया गया है और सतर्कता के विभिन्न पहलूओं और अन्य संबंधित मामलों को क्षेत्र के कर्मचारियों की जानकारी और आवश्यक कार्रवाई हेतु इसमें शामिल किया गया है.

3.9 अनुपालन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर बैंक ने अनुपालन नीति बनाई है. अनुपालन विभाग मुख्य अनुपालन अधिकारी की प्रमुखता में अनुपालन कार्यकलापों की निगरानी करता है. यह समय-समय पर लागू होने वाले सांविधिक/विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. सांविधिक विनियामक अनुपालन से संबंधित मामलों का समुचित रूप से निपटान किया जाए. अनुपालन की स्थिति की समीक्षा उच्च प्रबंधन/बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा आविधक आधार पर की जाती है. बैंक में अनुपालन कार्य के प्रति जागरूकता में सुधार लाने के लिए अधिकारी/स्टाफ सदस्यों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुपालन पर एक सत्र शामिल किया गया है.

3.10 विपणन और प्रचार

बैंक के विभिन्न उत्पादों का प्रचार करने और साथ ही निगमित सामाजित दायित्वों के साथ बैंक ब्रांड जोड़ने की दृष्टि से बैंक ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया यथा ''बीड्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व सुपर सीरीज और एशियन एथलीट चैम्पियनिशप'' का प्रायोजन, ''ग्लोबल वॉर्मिंग पर अभिधान'', ''चलते फिरते (मोबाईल) औषधालय /डायिलिसिस मशीन और अन्य चिकित्सा उपकरणों का प्रायोजन'', स्वयं सहायता समूहों के लिए बालविकास केन्द्र और स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन, ''रीढ़ की हड्डी (स्पाइनल) क्षति केन्द्र परियोजना'' इत्यादि. बैंक ने आदिवासी गांवों के विकास के लिए और बाढ और चक्रवात प्रभावित गांवों को राहत स्वरूप दानराशि प्रदान की .

3.11 नागरिक अधिकार पत्र

वर्ष 2000-01 से बैंक ने नागरिक अधिकार पत्र स्वीकार किया है. इस अधिकार पत्र में ग्राहकों के प्रति बैंक के दायित्वों व कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है. अधिकार पत्र को बैंक की सभी शाखाओं और बैंक की वेब साईट पर प्रदर्शित किया गया है. इसका समय समय पर अद्यतन किया जाता है. नोटों और सिक्कों को बदलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का नागरिक अधिकार पत्र भी बैंक ने स्वीकार किया है.

4. सामाजिक बैंकिंग

4.1 प्राथमिकता क्षेत्र को उधारी

बैंक का यह सतत प्रयास रहा है कि लघु और सीमान्त कृषकों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों, फुटकर व्यापारियों, पेशेवरों व स्वनियोजित व्यक्तियों, महिला उद्यमियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर किन्तु उद्यमशील व्यक्तियों को उत्पादक प्रयोजनों हेतु समय पर अबाधित रूप से ऋण उपलब्ध कराते हुए समान और सुस्थिर आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाए.

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत 31 मार्च 2014 को कुल बकाया अग्रिम ₹ 32010.68 करोड़ के थे, जो समायोजित निवल बैंक ऋण के 41.99 प्रतिशत रहे.

प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों में मार्च 2013 के स्तर पर ₹ 7291.32 करोड़ की वास्तविक वृध्दि दर्ज की गई जिसके परिणामस्वरूप वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 29.50% की वृद्धि हुई.

4.2 कृषि

वर्ष 2013-14 के दौरान कृषि और सहायक गतिविधियों के लिए बैंक ने ₹ 5909.54 करोड़ के ऋण वितरित किए. कृषि क्षेत्र को कुल बकाया अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 28.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई जिससे 31.03.2014 को कृषि क्षेत्र को इनका स्तर ₹ 10276.07 करोड़ हो गया.

Preventive Vigilance is the most important aspect of vigilance. With a view to improve functioning at all levels, the Bank has taken several necessary steps. 'Fraud Risk Management Policy' on prevention, detection, classification and reporting of frauds including action to be taken, has been adopted by the Bank and circulated for the guidance and use of the branches and field functionaries.

'Vigilance Manual' has been issued by the bank and various aspects of vigilance and other related issues have been dwelt upon for information and necessary action of the field functionaries.

3.9 Compliance

The Bank has put in place a Compliance Policy, based on the guidelines of Reserve Bank of India. The Compliance Department, headed by the Chief Compliance Officer monitors the compliance functions. It ensures the implementation of the statutory/regulatory guidelines coming into force from time to time. The issues relating to regulatory/ statutory compliances are addressed appropriately. The status of compliance is placed for review to the Top Management / Audit Committee of the Board periodically. To improve the awareness on the compliance functions in the Bank, sessions are appropriately included in various training programmes arranged for the officers /staff members.

3.10 Marketing & Publicity

With a view to publicize Bank's various products and also brand image coupled with corporate social responsibilities, Bank has sponsored various programs like "Sponsorship to BWF Badminton world super series & Ashian Athletics Championship" "Connotation on Global warming" "Sponsorship for Mobile dispensary/Dialysis machine & other medical equipments" "Child Development Centre & Health camps for SHGs" "Project Spinal injury centre" etc. Bank has also donated towards relief fund to Flood & Cyclone affected people and development of Tribal villages.

3.11 Citizen's Charter

The Bank has adopted the Charter since 2000-01, which details the duties and responsibilities of the Bank towards its customers. The Charter is displayed at all the branches and at the website and has been updated from time to time. The Bank has also adopted a Citizen Charter of RBI on exchange of notes and coins.

4. SOCIAL BANKING

4.1 Priority Sector Lending

It has been the constant endeavor of the Bank to facilitate equitable and sustainable economic development by timely and hassle-free availability of credit for productive purposes to Small and Marginal Farmers, Micro & Small Enterprises, Retail Traders, Professional & Self Employed, Women Entrepreneurs and entrepreneurs from economically weaker sections.

The outstanding advances under Priority Sector as of 31st March 2014 aggregates to ₹ 32010.68 crore, constituting 41.99% of the Adjusted Net Bank Credit.

The rise in Priority Sector Advances in absolute terms is ₹ 7291.32 crore over previous year March 2013, resulting into growth of 29.50% on y-o-y basis.

4.2 Agriculture

The Bank disbursed ₹ 5909.54 crore for agriculture and allied activities during the year 2013-14. The total outstanding advances to agriculture sector have shown a growth of 28.89 per cent on y-o-y basis, to reach a level of ₹ 10276.07 crore as on 31.03.2014.

कृषि अग्रिमों में वृध्दि करने के लिए बैंक ने किसानों को बाधारहित ऋण उपलब्ध कराते हुए सभी शाखाओं के लिए जागरूकता/सूग्राही कार्यक्रम आयोजित किए.

4.2.1 महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड (एमकेसीसी)

इस योजना ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रियता अर्जित की जहां इसका सफलतापूर्वक और तेजी से प्रचार किया जा रहा है. बैंक ने किसानों को कुल 470762 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए. 31 मार्च 2014 को यथास्थिति एमकेसीसी हिताधिकारियों को ऋण प्रवाह बढ़कर रू.4312.60 करोड़ हो गया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 42.83% वृद्धि हुई.

4.3 सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का अग्रदूत माना जाता है. ये उद्योग कम निवेश वाले उद्यमों को प्रोत्साहित करने और शहरों की ओर प्रवास को रोकने के लिए स्थानीय कौशल और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करते हैं. आकर्षक व कम ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराए गए. वर्ष के दौरान बैंक के वेबसाइट पर ऑन लाइन पूछताछ पोर्टल उपलब्ध कराया गया है.

बैंक ने एमएसई ग्राहकों के लिए भारतीय बैंक संघ द्वारा बनाए गए सरलीकृत ऋण आवेदन को अपनाया है और उसे अपनी वेब साईट पर प्रदर्शित किया है. बैंक ने सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के प्रति बैंकों की प्रतिबध्दता संहिता को भी अपनाया है और उसे बैंक वेब साईट पर प्रदर्शित किया है.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बैंक की उधारी 31.03.2013 को ₹ 11288.92 करोड़ की थी, जो 31 मार्च 2014 को बढ़कर ₹ 15098.25 करोड़ की हो गई. इस प्रकार वर्ष दर वर्ष आधार पर 33.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

महाबैंक एमएसएमई केन्द्र : एमएसएमई प्रस्तावों के शीघ्र निपटान के लिए पुणे, हैदराबाद, दिल्ली और चंडीगड में केन्द्रीकृत प्रसंस्करण कक्ष स्थापित किए गए.

4.3.1 महाउद्यमी

इस योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सहायक प्रतिभूति और/या अन्य पार्टी की गारन्टी के बिना बैंक अधिकतम रू. 100.00 लाख का ऋण उपलब्ध कराता है.

भारत सरकार की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये ऋण गांरटी निधि योजना के अन्तर्गत इस योजना के खातों को संरक्षा प्राप्त है. बैंक 10.00 लाख से अधिक के ऋणों हेतु 50% वार्षिक गारंटी फीस और ₹ 10.00 लाख से कम के ऋणों के लिए पूरी गारंटी फीस का वहन कर रहा है. मार्च 2014 तक बैंक ने योजना के अंतर्गत 11436 उधारकर्ताओं को ₹ 1040.37 करोड़ के ऋण मंजूर किए. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण गांरटी निधि योजना के अन्तर्गत कवरेज 36.11 प्रतिशत से बढ़ा.

5. बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं/परियोजनाएं

5.1 रिटेल क्षेत्र को ऋण प्रवाह

बैंक वेतनभोगी व्यक्तियों, पेशेवरों, व्यवसायियों और पेंशनरों को उपभोक्ता वस्तुएं, दो/चार पहिया वाहन और साथ ही अन्य वैयक्तिक आवश्यकताओं हेतु रिटेल ऋण उपलब्ध करा रहा है.

5.1.1 रिटेल ऋणों की केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग

बैंक ने गुणवत्तापूर्ण और बाधारहित फुटकर ऋण वितरण के लिए सभी अंचलों में 14 रिटेल आस्ति शाखाएं और 18 रिटेल प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित किए गए हैं.

5.1.2 महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना

भारत में स्वर्ण आभूषण पीढियों से बचत के साधन के रूप में विद्यमान है. एक तरल और मूल्यवान संपत्ति होने के कारण कारोबार, कृषि, शादी, चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि जैसी तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेने हेतु जमानत के रूप में एक विश्वसनीय और स्वीकार्ययोग्य संपत्ति का कार्य करती है. हमारे ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक ने दिनांक 01.11.2010 से "महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना" के नाम से नया फुटकर ऋण उत्पाद आरंभ किया. हमारे बैंक का कुल स्वर्ण ऋण संविभाग रू.624.23 करोड़ का है.

The Bank undertook awareness/sensitization programmes for all the branches for increasing advances to agriculture by providing hassle free credit to farmers.

4.2.1 Mahabank Kisan Credit Card (MKCC)

This scheme gained popularity especially in rural areas where it is being propagated successfully and vigorously. The Bank has issued total 470762 Kisan Credit Cards to farmers. Credit flow to MKCC beneficiaries has reached to the level of ₹ 4312.60 crore as on 31.03.2014, registering a growth of 42.83% on y-o-y basis.

4.3 Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)

SMEs are recognized as a major growth engine for the Indian economy. They generate opportunities for direct and indirect employment by facilitating use of natural resources and local skills to stem the tide of migration to urban areas and promote low investment enterprises. Finance is made available to viable enterprises at an attractive and low rate of interest. On line enquiry portal is made available on the Bank's website during the year.

The Bank has adopted Simplified Loan Application for MSEs and the same is displayed on the Bank's website. The Bank has also adopted Bank's Code of Commitment to Micro and Small Enterprise and it is displayed on the Bank's website.

The Bank's lending to Micro, Small and Medium Enterprises which was at the level of ₹ 11288.92 crore as at 31.03.2013, increased to ₹ 15098.25 crore as at 31.03.2014, which translates into a y-o-y growth of 33.74 per cent.

Mahabank MSME centres - Centralized Processing Cell have been set up for speedy disposal of MSME proposals at Pune, Hyderabad, Delhi and Chandigarh.

4.3.1 Maha-Entrepreneur

Under the scheme, the Bank is providing for supporting SMEs in rural areas finance up to ₹ 100.00 lacs to Micro and Small Enterprises without Collateral Security and/ or Third Party Guarantee.

Accounts under the scheme are covered under Credit Guarantee Fund Scheme for Micro, Small and Medium Enterprises of Government of India. The Bank is bearing 50% annual guarantee fee for loans above ₹ 10.00 lakh & entire annual guarantee fee for loans below ₹ 10.00 lakh. The Bank sanctioned loans of ₹ 1040.37 crore to 11,436 borrowers under this scheme up to March 2014. During the current FY, coverage under Credit Guarantee Fund Scheme has increased by 36.11%.

5. IMPORTANT SCHEMES/PROJECTS OF THE BANK

5.1 Credit Flow to Retail Sector

The Bank is providing retail loans to salaried persons, professionals, businessmen and pensioners for purchase of consumer durables, two/four wheeler vehicles and also for other personal needs.

5.1.1 Centralized Processing of Retail loans:

There are 14 Retail Asset Branches and 18 Retail Processing Centers covering all the Zones for hassle free and quality disbursement of retail loans.

5.1.2 Mahabank Gold Loan Scheme

Gold ornaments are the traditional and inherited form of savings among the people in India. Being one of the most liquid and precious asset, it serves as a dependable and acceptable form of security to raise loans for meeting immediate financial needs for business, agricultural, consumption purposes such as marriage, medical, educational expenses etc. With a view to meet the credit requirement of our customers, Bank has launched a new retail loan product "Mahabank Gold Loan Scheme" w. e. f. 01.11.2010. The total portfolio of Gold Loan of our Bank is ₹ 624.62 crore.

5.1.3 महाबैंक टॉप-अप ऋण योजना

बैंक के नियमित आवास ऋणकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण सुविधा देने के लिए बैंक ने दिनांक 01.11.2010 से "महाबैंक टॉप-अप ऋण योजना" के नाम से नए फुटकर ऋण उत्पाद का आरंभ किया.

5.2 आम जनता को आवास ऋण

अनिवासी भारतीय सहित सभी आर्थिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक की आवास ऋण योजना है. भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है. वर्ष के दौरान बैंक के आवास ऋण में 34.63% की वृध्दि हुई और 31.03.2014 को यह बढ़कर रू. 8854.40 करोड़ के स्तर पर पहुंच गएं. 50,000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक भारत सरकार की स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास योजना का कार्यान्वयन कर रहा है. बैंक में आवास ऋण के आवेदन के लिए ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध है, जिसे सकारात्मक प्रतिसाद मिला है.

5.2.1. ₹ 15.00 लाख तक के आवास ऋणों पर 1 प्रतिशत की ब्याज सरकारी अनुदान.

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने ₹ 15.00 लाख तक के आवास ऋण के उधारकर्ताओं को 1 प्रतिशत की सरकारी ब्याज अनुदान के रूप में ₹ 25.00 लाख तक की सहायता दी. वर्ष 2013-14 के दौरान योजना के अंतर्गत 5941 उधारकर्ताओं को रू.5.50 करोड़ तक इसका लाभ मिला.

5.3 आदर्श शैक्षणिक ऋण योजना

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने का अवसर प्राप्त हो, बैंक आदर्श शैक्षणिक ऋण योजना का कार्यान्वयन कर रहा है. मार्च 2014 को बैंक के शैक्षणिक ऋण ₹ 637.34 करोड़ थे, जो 29,876 छात्रों में वितिरित किए गए. बैंक में वेब एक्सेस के जिरये शैक्षणिक ऋण के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है.

5.4 सूक्ष्म वित्त

बैंक ने ग्रामीण और शहरी गरीबों को आर्थिक गतिविधियां आरंभ करने के लिए ऋण देने के कार्य को हमेशा महत्व दिया है. महिलाओं को सशक्त बनाने में स्व-सहायता समूह काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं. बैंक ने सभी छह अग्रणी जिलों और गोरेगांव, मुंबई में स्वसहायता समूह विशेषज्ञ शाखाओं का आरंभ किया है.

31.03.2014 को बैंक द्वारा 108964 स्वसहायता समूहों का गठन किया गया था, जिनमें से मार्च 2014 को यथास्थिति 97261 स्वसहायता समूहों ने बैंक से ₹ 160.71 करोड़ की कुल वित्तीय सहायता प्राप्त की है.

5.5 अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों को सहायताः

बैंक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों को सक्रिय रूप से वित्तीय सहायता दे रहा है. 31 मार्च, 2014 को बैंक के अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों को बकाया ऋण ₹ 1511.80 करोड़ के थें, जो कमजोर वर्गों को अग्रिमों का 20.41 प्रतिशत हैं.

5.6 अल्पसंख्यक समुदाय को वित्तीय सहायता

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण का सुगम प्रवाह सुनिश्चित करने और इसकी पुनरीक्षा करने के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय में एक विशेष कक्ष का गठन किया गया है. मार्च 2014 को अल्पसंख्यक समुदाय के बकाया अग्रिम ₹ 2258.72 करोड़ के थे. जो 102.106 लाभार्थियों में वितरित थे.

5.7 द्वार तक बैंकिंग सेवाएं

बैंक ने अपने दूरस्थ (हाई एंड) ग्राहकों को द्वार तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना आरंभ किया है और सेवाओं में ग्राहकों के द्वार तक कार्पोरेट एवं खुदरा नकदी लेने और पहुंचाने तथा चेक संग्रहण सेवाएं शामिल है. प्रारंभ में यह सेवा मुंबई व पुणे में शुरू की गई थी, जिसे अब भोपाल अंचल की शाखाओं को छोडकर सभी केन्द्रों में उपलब्ध कराया गया है.

5.8 बैंक ऑफ महाराष्ट्र - एसबीआई अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड

एसबीआई कार्ड के साथ गठजोड़ व्यवस्था से बैंक अपने ग्राहकों को सह- ब्रांडेड अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड प्रदान कर रहा है. कार्ड दो प्रकारों यथा प्लैटिनम एवं गोल्ड

5.1.3 Mahabank Top-Up Loan Scheme

In order to extend additional credit support to our regular housing loan borrowers, Bank launched another new Retail Loan product "Mahabank Top-Up loan scheme" w.e.f. 01.11.2010.

5.2 Housing loan to public

The Bank has in place Housing Loan Scheme to meet the needs of all economic segments including NRIs. Financing housing sector in rural and urban parts of India is a thrust area. The Bank's lending to housing sector has grown by 34.63 percent during the year to reach the level of ₹ 8854.40 crore as of 31.03.2014. The Bank is also implementing Golden Jubilee Rural Housing Scheme of the Government of India in rural areas having population not exceeding 50,000. Bank is having online facility to apply for housing loan, which has evoked positive response.

5.2.1 One per cent Interest Subvention on Housing Loan up to ₹ 15.00 Lakh.

As per GOI guidelines, Bank has provided 1% interest subvention to borrowers, who availed housing loans upto ₹ 15.00 lakh costing worth upto ₹ 25.00 lakh. During the year 2013-14, 5941 borrowers benefited under the scheme to the extent of ₹ 5.50 crore.

5.3 Model Educational Loan scheme

With the objective of ensuring that all deserving students get opportunity to pursue higher education, the Bank implemented a Model Educational Loan Scheme. As of March 2014, the Bank had lent ₹ 637.34 crore to 29,876 students. The Bank has provided the facility of submission of application for education loan through web-access (on line) also.

5.4 Micro Finance

The Bank has always recognized the importance of credit to rural and urban poor for taking economic activity. The SHGs have proved to be effective instruments for empowerment of women. Bank has specialized SHG branches in all six lead districts and at Goregaon, Mumbai.

As on 31.03.2014, there were 108964 SHGs formed by the Bank, out of which 97261 SHGs have been linked with the bank credit with outstanding of $\rat{1}$ 160.71 crore as on March 2014.

5.5 Assistance to SC/ST beneficiaries:

The Bank has been actively extending finance to SC/ST beneficiaries through various schemes. Total finance as on 31.03.2014 to SC/ST beneficiaries stood at ₹ 1511.80 crore, constituting 20.41 per cent of advances to weaker sections.

5.6 Advances to Minority Community

A special cell has been set up at Central Office to review & ensure smooth flow of Credit to minority community. As of March 2014, the outstanding advances to minority communities were at ₹ 2258.72 crore to 102,106 beneficiaries.

5.7 Door Step banking Services

Bank has introduced Door Step Banking Services for its High End Customers and the services include Corporate and Retail Cash pickup and delivery & Cheque Collection Services, at Clients' Doorstep. The Services has been initially introduced in Mumbai and Pune which is now extended to all Centers except branches in the Bhopal Zone.

5.8 BOM SBI International Credit Card

Bank is offering Co-branded International Credit Card to its customer under tie-up arrangement with SBI cards. The card is offered in two variants viz.Platinum and Gold card. As on

काई के रूप में प्रदान किया जा रहा है. मार्च 2014 तक बैंक ने अपने ग्राहकों को 23861 काई जारी किए है.

5.9 राष्ट्रीय पेंशन योजना - स्वावलंबन

जुलाई 2013 में एनपीएस लाइट स्वावलंबन को सक्रिय (लाइव) किया गया और योजना के अंतर्गत अंशदान संग्रहण हेतु एनएसडीएल के साथ 1806 शाखाएं एनएलसीसी (एनपीएस लाइट कलेक्शन सेंटर) के रूप में पंजीकृत हैं. 31.03.2014 तक योजना के अंतर्गत 11833 खाते खोले गए.

5.10 गठजोड

5.10.1 एसएचसीआईएल के लिए लीड जनरेशन एजेंट के रूप में सूचीबद्ध.

बैंक ने महाराष्ट्र में स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसएचसीआईएल) के साथ गठजोड किया है जहां बैंक एसएचसीआईएल के साथ लीड जनरेशन एजेंट के रूप में सूचीबद्ध है. बैंक की भूमिका है कि वह समूचे महाराष्ट्र में ई-स्टैंपिंग प्रणाली को लोकप्रिय बनाएं और ग्राहकों को जानकारी दें और उन्हे ई-स्टैंपिंग व्यवसाय के लिए एसएचसीआईएल कार्यालय का मार्गदर्शन करें.

5.10.2 ''टाईम्सऑफमनी'' के द्वारा ''रेमिट2इंडिया''

बैंक ने अनिवासी भारतीय ग्राहकों द्वारा धनप्रेषण के लिए उपलब्ध प्लैटफॉर्म रेमिट2इंडिया को आरंभ करने के लिए टाईम्सऑफमनी के साथ गठजोड किया है.

5.10.3 भुगतान गेटवे सुविधा

बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों के ई-कॉमर्स और उपयोगी बिल भुगतान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मे. इंडिया आयिडियाज.कॉम लि., मे. एवेन्यूज इंडिया लि., में एटीएओएम टेक्नॉलॉजिस लि., मे. आईबीआईबीओ वेब सोल्यूशन लि., मे. सिट्रस पेमेंट सोल्युशन प्रा. लि., मे. वन 97 कम्युनिकेशन लि., मे. ईबीएस पेमेंट सिस्टम, मे. टेक प्रोसेस पेमेंट सिस्टम, मे. टाईम्सऑफमनी लि. के साथ गठजोड किया है.

5.10.4 ईसीएस अधिदेश और प्रत्यक्ष नामे प्रणाली

बैंक ने नए अधिदेश और पीडीसी के प्रत्यक्ष नामे प्रणाली के ईसीएस अधिदेश जांच हेत् बजाज फायनांस लि., टीवीएस क्रेडिट प्रा. लि. के साथ गठजोड किया है.

5.10.5 ऑनलाईन शुल्क संग्रहण

वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न संस्थाओं के साथ गठजोड किया है जहां बैंक को शाखाओं द्वारा संस्थाओं के लिए शुल्क संग्रहण करने पर कमीशन प्राप्त हो रहा है. बैंक मुंबई विश्वविद्यालय के लिए बाह्य शैक्षणिक कार्यक्रम के छात्रों से शुल्क संग्रहण ऑनलाईन रूप से कर रही है. मुंबई विश्वविद्यालय में 5 बैंकों के समूह में से हमारे बैंक का चयन किया है.

6. निगमित सामाजिक दायित्व

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा पुणे जिले के हड़पसर और भिगवण में स्थित ग्रामीण विकास केंद्रों द्वारा किसानों के लाभार्थ "प्रयोगशाला से खेतों तक" परियोजना, खारी मिट्टी का विकास, मिट्टी की जांच, इत्यादि जैसी विभिन्न प्रकार की विकासात्मक गतिविधियां चलाई जाती हैं. बैंक ने आरडीसी भिगवण में मार्डेफ ट्रस्ट के माध्यम से मिट्टी जांच प्रयोगशाला (एसटीएल) स्थापित की है.

वर्ष 2013-14 में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में 8892 मिट्टी तथा जल नमूनों का परीक्षण किया गया और तदनुसार परामर्श दिया गया. पुणे, अहमदनगर, सोलापुर और सातारा जिलों के किसान इस प्रयोगशाला का लाभ उठा रहे हैं. बैंक द्वारा स्थापित महाबैंक कृषि अनुसंधान और ग्रामीण विकास फाउंडेशन (मारडेफ) नामक न्यास विभिन्न प्रकार के ग्रामीण सुधार कार्यक्रम और परियोजनाएं चलाता है. मारडेफ डेअरी, बकरीपालन, अंगूर की खेती, उर्वरकों का उपयोग, कृषि ऋण योजनाओं की जानकारी इत्यादि जैसे कृषि के विभिन्न विषयों पर किसानों को प्रशिक्षण देता है. मार्डेफ ट्रस्ट ने आरडीसी, भिगवण और हड्पसर के किसानों हेतु 96 प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किए तथा अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक 5211 किसान लाभान्वित हुए.

बैंक ने ग्रामीण युवाओं तथा महिलाओं को छोटे व्यवसायिक उद्यमों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु कौशल अर्जन करने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए सात महाबैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (एमसेटी) की स्थापना की है. संस्थान के पुणे, 31.03.2014, the outstanding number of cards issued to its customer is 23861.

5.9 National Pension System (Swavlamban)

NPS Lite Swavalamban was made live in July 2013 and total 1806 branches are registered as NLCC (NPS Lite Collection Centre) with NSDL for collecting contribution under the scheme. 11833 accounts were opened under the scheme up to 31.03.2014.

5.10 Tie Up

5.10.1 Empanelment as lead Generation agent for SHCIL.

Bank has entered into tie up arrangement with Stock Holding Corporation of India Ltd. (SHCIL) in Maharashtra wherein Bank is empanelled with SHCIL as the lead generation agent. The bank role is to popularize e-stamping system across Maharashtra and provide information to customers and guide customers to SHCIL office for their e-stamp business.

5.10.2 'Remit2india' by 'Timesofmoney'

Bank has tie up with Timesofmoney for introducing remit2india an online platform for remittance of funds by NRI customers.

5.10.3 Payment Gateway Facility

Bank has tie up with M/s India Ideas.com Ltd, M/s Avenues India Ltd., M/s Atom Technologies Ltd, M/s ibibo web Solution Ltd, M/s Citrus Payment Solutions Pvt Ltd, M/s One 97 Communication Ltd, M/s EBS payment System, M/s Techprocess Payment System, M/s TimesofMoney Limited for facilitating e-commerce and utility bill payment facility to its internet banking customers.

5.10.4 ECS Mandate and Direct Debit System

Bank has tied up with Bajaj Finance Ltd. and TVS Credit Pvt. Ltd for ECS Mandate verification of Fresh Mandate and Direct debit system of PDCs.

5.10.5 Online Fee Collection

Bank has entered into tie up with various Institutions during the year where bank is getting commission on collection of fees for Institutes from Branches. The bank is collecting online fee collection for Mumbai University from the students appearing for external educational programme. The Mumbai University selected Bank from the group of 5 Banks.

6. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Rural Development Centres at Hadapsar and Bhigwan in Pune District of Maharashtra have been undertaking various rural developmental activities for the benefit of farmers viz. Lab to Land Project, Re-development of Saline Soils, Soil Testing etc. Bank has established Soil testing Lab (STL) through MARDEF Trust at RDC Bhigwan. The Soil Testing Laboratory has analyzed 8892 Soil & Water samples in the year 2013-14 and accordingly counseling is done. Farmers from the districts of Pune, Ahmednagar, Solapur and Satara are taking benefit of the lab.

A Trust viz. Mahabank Agricultural Research and Rural Development Foundation (MARDEF) established by the bank, undertakes various projects and village improvement programmes. MARDEF is imparting training to farmers on various subjects in Agriculture, e.g. Dairy, Goat rearing, Best practices in farming, Application of fertilizers, Agriculture credit schemes, etc. MARDEF Trust has implemented 96 training programmes for farmers at RDC Bhigwan & Hadapsar and has benefited 5211 farmers from April 2013 to March, 2014.

The Bank has established Seven Mahabank Self Employment Training Institutes (MSETI) for providing training to rural

नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती, जालना, ठाणे तथा नाशिक में प्रशिक्षण केंद्र हैं. संस्थान ने अब तक 12,666 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए 67% का स्थायित्व दर हासिल किया.

बैंक द्वारा गठित ग्रामीण महिला व बाल विकास मंडल (जीएमवीबीवीएम) एक गैर सरकारी संगठन है. यह संगठन स्व सहायता समूहों के गठन, पोषण, प्रशिक्षण और उन्हें ऋण से संबध्द करने का कार्य सक्रिय रूप से कर रहा है. ग्रामीण महिला व बाल विकास मंडल पुणे शहर में "सावित्री" नामक दुकान के माध्यम से स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन में सहयोग देता है. मंडल स्व सहायता समूहों को कच्चा माल खरीदने और गुणवत्ता उत्पादन के संबंध में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है.

बैंक ने बैंकिंग योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए छह अग्रणी जिलो यथा पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सातारा, जालना व ठाणे में वित्तीय साक्षरता केन्द्रों का शुभारंभ किया है.

वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को उनकी गतिविधियों को चलाने के लिए आवश्यक इनपुट प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता की. इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- > जरूरतमंद मरीजों को कृत्रिम अंग लगाना
- शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट स्कूल हेतु डिजल जनरेटर सेट
- मानिसक रूप से विकलांग एवं सेरेब्रल पाल्सी बच्चों, कैंसर के मरीजों की सुविधार्थ भवन/कक्षाएं/किंडरगार्डन व भौतिक सुविधाएं.
- > जरूरतमंदों के लिए झोपड़पटटी में कैंसर जांच शिविरों का आयोजन

बैंक ने चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, व्यावसायिक प्रशिक्षण मूल सुविधाएं इत्यादि के लिए अपना योगदान देते हुए सदैव समाज के लिए खडा रहा है. बैंक सामाजिक कल्याण में अपना योगदान दे रहा है और प्रायोजनों और वित्तीय सहायता प्रदान करने के माध्यम से उभरते हुए खिलाडियों की सहायता आरंभ से ही कर रहा है जिससे कि वे देश के लिए गौरव अर्जित कर सके.

अग्रणी बैंक योजना

7.1 अग्रणी बैंक योजना

महाराष्ट्र राज्य के छः जिलों यथा औरंगाबाद, जालना, नाशिक, पुणे, सातारा व ठाणे में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व बैंक के पास है. हर वर्ष विभिन्न उप-क्षेत्र लक्ष्यों के अंतर्गत वार्षिक ऋण योजनाओं हेतु निर्धारित लक्ष्यों को बैंक सफलतापूर्वक प्राप्त करता रहा है.

7.2 राज्य स्तरीय बैंकर समिति

बैंक, महाराष्ट्र राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजक है. इसकी तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयेजित की जाती हैं. इनमें विस्तृत चर्चा की जाती है तथा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन जैसे कि वार्षिक ऋण योजना की प्राप्ति, प्राथमिकता क्षेत्र को उधारी, वित्तीय समावेशन तथा सरकार प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की जाती है, विविध सहभागियों के निष्पादन की निगरानी की जाती है और बैंकों/अग्रणी जिला प्रबंधकों को सुधार हेतु दिशानिर्देश दिए जाते हैं. एक विशेष राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई. ₹ 1.00 लाख करोड़ की महत्वांकांक्षी वार्षिक ऋण योजना की स्वीकृति की गई जो कि देश में सर्वोच्च है. मुख्यमंत्री द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के निष्पादन की सराहना की गई. इस वर्ष फसल ऋण का निष्पादन 90% रहा.राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूखा/ओले से प्रभावित किसानों को सहायता देने के लिए तत्काल दिशानिर्देश जारी करते हुए सभी कार्यान्वयन एजेन्सियों के साथ अनुवर्तन करते हुए सक्रिय कार्रवाई की है. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने उन सभी जिलों, जहां जिला सहकारी समितियां उधार देने के स्थिति में नहीं हैं, में वाणिज्यिक बैंकों को फसल ऋण हेतू एक बडा हिस्सा देते हुए किसानों को ऋण प्रदान करने हेतु सक्रिय कदम उठाया है.

youth and women to enable them to acquire skills for selfemployment through small business enterprises. The Institute has centers located at Pune, Nagpur, Aurangabad, Amravati Jalna, Thane and Nasik. The Institute has so far imparted training to 12,666 educated unemployed youths. The settlement rate is 67 per cent.

Gramin Mahila Va Balak Vikas Mandal (GMVBVM), an NGO formed by Bank of Maharashtra and National Institute of Bank Management is actively involved in formation, nurturing, training and ensuring linkage of SHGs to Bank Credit. The GMVBVM also helps SHGs in marketing products of SHGs through outlet established in Pune City under the name "SAVITRI". The GMVBVM guides and actively helps SHGs for selection and purchase of raw materials and quality production.

The Bank has opened Financial Literacy Centers in Six Lead Districts namely Pune, Nasik, Aurangabad, Satara, Jalna & Thane for creating awareness about banking schemes.

Bank has helped various NGOs during the year extending financial support to acquire necessary inputs for carrying their activities. These include the following:

- Fixing of artificial limbs to the needy patients.
- Diesel Generator set for the school meant for physically challenged children
- Building / classroom / Kindergarten equipments for the needy, mentally retarded and cerebral palsy children, cancer patients and Old age home.
- Conducting cancer detection camps in slums for the needy.

Moreover Bank has always stood for the cause of society by contributing at large for improving medical facilities, vocational training, basic amenities etc. Bank is also helping emerging sports persons at budding stage by sponsorships and providing financial assistance to bring the glory to the Nation and contributing to social cause.

7. LEAD BANK SCHEME

7.1 Lead Bank Scheme

Bank has Lead Bank responsibility in six districts of Maharashtra State viz. Aurangabad, Jalna, Nasik, Pune, Satara & Thane. Every year our Bank is successful in achieving the targets under Annual Credit Plan with achievement under various sub sectoral targets.

7.2 State Level Bankers' Committee

Bank is the Convener of State Level Bankers' Committee (SLBC) for the State of Maharashtra. Quarterly meetings are held regularly. Detailed discussions are held and implementation of various schemes like ACP achievement, Priority Sector lending, financial inclusion and Government Sponsored Schemes are reviewed. The performance of various participants is monitored and guidelines are given to LDMs / Banks for their improvement. A special SLBC meeting was convened which was chaired by Hon'ble Chief Minister of the State. An ambitious ACP of ₹ 1.00 lakh Crore was accepted, which is highest in the country. The performance of SLBC was commended by Chief Minister. The crop loan achievement for this year was 90%. SLBC has taken proactive steps for supporting the farmers suffered due to Drought / Hail Storms by issuing guidelines immediately and following up with all the implementing agencies. SLBC has also taken a proactive step in providing the credit to the farmers in all the districts where the DCCBs are not in a position to lend by providing a major share of crop loans to Commercial Banks.

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक के रूप में बैंक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के कार्यान्वयन में सभी सदस्य बैंकों के साथ समन्वय करता है. संयोजक के रूप में बैंक ने खाते खोलने और डीबीटी लाभार्थियों के आधार संख्या को खातों से जोड़ने हेतु विशेष जोर दिया है, जो कि 13,431 उप सेवा क्षेत्रों और डीबीटी जिलों के सभी उप सेवा क्षेत्र शामिल हैं. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने डीबीएलटी योजना के कार्यान्वयन हेतु सक्रिय भूमिका निभाई है. जिला प्राधिकारियों, ओएमसी और सदस्य बैंकों के जिला समन्वयकों के साथ बैठक आयोजित की गईं और इन कार्यान्वयन करने वाली एजेन्सियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया गया. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सुपुर्दगी चैनलों जैसे कि शाखाएं खोलना, एटीएम की स्थापना और व्यवसाय प्रतिनिधियों की सेवाएं उपलब्ध कराना आदि के साथ इनकी प्रगति की निगरानी में प्रमुख भूमिका निभाई है.

7.3 आधार पहलें

बैंक, आधार के पंजीकरण करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ गैर सरकारी रजिस्ट्रार के रूप में कार्य कर रहा है. देशीय बैंक के आधार पंजीकरण हेतु एजेन्सियां नियुक्त की गई हैं. बैंक ने इन एजेन्सियों की मदद से 21 लाख आधार नम्बर दर्ज किए हैं.

बैंक ने आधार नम्बर को खातों से जोड़ने का कार्य शुरू किया है और ग्राहकों से उनके आधार नम्बर देने के लिए संपर्क कर रहा है. आधार नंबर को खातों से जोड़ने का कार्य सीधे प्राप्त आवेदनों के अलावा इन्टरनेट बैंकिंग तथा एटीएम के माध्यम से भी किया जा रहा है. इस पहलों के द्वारा बैंक ने 26 लाख से भी अधिक आधार नंबर को खातों से सफलतापूर्वक जोड़ा है.

7.4 वित्तीय समावेशन योजना

वित्तीय समावेशन भारत सरकार साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक की एक महत्वपूर्ण कार्यसूची मद है. बैंक ने वित्तीय समावेशन को व्यवसायिक वृद्धि के अवसर के रूप में लिया है और इसने नवोन्मेषी बीसी-आईसीटी मॉडल के माध्यम से राज्य में 6713 गांवों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई है. इस हेतु बैंक ने मूल बैंकिंग सेवाए प्रदान करने के लिए जैसे कि ग्रामीणों के बैंक खाते खोलना, आवश्यकता आधारित ऋण सुविधा, प्रेषण सुविधा प्रदान करना तथा शाखारहित मॉडल सहित विभिन्न मॉडल व तकनीक का उपयोग करते हुए ग्रामीण भारत में वित्तीय साक्षारता को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न एजेन्सियों के 2472 बीसी एजेंट नियुक्त किए हैं.

बीसी एजेन्टों के माध्यम से बैंक ने 4,40,646 ग्राहकों के खाते व 203.19 करोड़ के बकाया शेष वाले कुल 28.43 लाख मूल बचत बैंक खाते खोले हैं. बैंक ने वित्तीय समावेशन ग्राहकों को कार्ड रहित तकनीक का आरंभ करते हुए बीसी मॉडल को स्थायी किया है. बैंक ने आधार समर्थित भुगतान प्रणाली तकनीक का आरंभ किया है (ऑन अस एंड ऑफ अस - एक्वायर व इश्यूयर) दोनों एक ही मशीन पर कार्यरत हैं. वर्ष के दौरान संव्वहारों की संख्या 0.95 लाख से बढ़कर 4.66 लाख हो गई. राशि ₹ 2.93 करोड़ से कई गुना बढ़कर ₹ 101 करोड़ हो गई.

भारत सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का कार्यान्वयन कर रहा है. इस योजना के अंतर्गत 26 अधिसूचित योजनाओं में लाभार्थियों को सरकार ने सीधे अनुदान देते हुए 121 जिलों में लाभार्थियों के आधार समर्थित खातों में राशि जमा की है. इन 121 जिलों में से 71 जिलों में हमारी 632 शाखाएं कार्यरत हैं. इस योजना के अंतर्गत तीन जिलों में बैंक अग्रणी बैंक के रूप में कार्यरत है. बैंक ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों के खाते बैंक में हों. जिला प्राधिकारियों से प्राप्त उनके आधार नंबर खातों के साथ जोड़े गए हैं और एनपीसीएल सर्वर में अपलोड किए गए हैं. बैंक ने खाते खोलने साथ ही आधार के नामांकन हेतु विशेष कैम्प लगाए हैं. बैंक ने डीबीटीएल योजना के कार्यान्वयन सहभाग लिया है और सुनिश्चत किया है कि अधिकतम लाभार्थियों के आधार नम्बर को जोड़ा जाए.

8. सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं

8.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य निष्पादन

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जिसका प्रायोजन हमारे बैंक ने किया है और जिसका मुख्यालय नांदेइ, महाराष्ट्र राज्य में है. बैंक की कुल शाखाएं 31.03.2014 को परिचालन के क्षेत्रों में 378 थीं जो महाराष्ट्र राज्य के 33 जिलों में से 16 जिलों में स्थित थीं.

As conveners of SLBC, Bank is also coordinating with all member banks in implementing Direct Benefit Transfer. As Convener, bank has taken special emphasis on opening of accounts and seeding of aadhaar numbers of the DBT beneficiaries, in formation of 13,431 Sub service areas and in coverage of all the sub service areas in DBT districts. SLBC has also taken proactive role in implementation of DBTL scheme. Meetings were held with District Authorities, OMCs and District Coordinators of member Banks to ensure better coordination among these implementing agencies. SLBC has also taken the lead in monitoring the progress for making available the delivery channels such as opening of branches, installation of ATMs and providing the services of Business correspondent.

7.3 Aadhaar Initiatives

The Bank is acting as Non State Registrar (NSR) with Unique Identification Authority of India (UIDAI) to assist authority for enrolment of Aadhaar. For Aadhaar enrollment to the resident's bank has engaged agencies. Bank has enrolled more than 21 lakh Aadhaar numbers with the help of these agencies

Bank has taken the initiative for seeding of Aadhaar numbers and has approached customers requesting them for submission of their Aadhaar numbers. Aadhaar seeding is also done through our ATMs and Internet Banking apart from requests received directly. Due to these initiatives Bank is successful in seeding of more than 26 lakh Aadhaar numbers.

7.4 Financial Inclusion Plan

Financial inclusion is one of the key agenda items of the Government as well as Reserve Bank of India. Bank has taken Financial Inclusion as business opportunity and has made banking services available in 6,713 villages of the State through innovative BC – ICT model. For this purpose bank has appointed 2,472 BC agents of various agencies for providing basic banking services as opening of bank accounts of villagers, provide need based credit, remittance facilities and help to promote financial literacy in rural India using various models and technologies including branchless models.

Bank has opened 4,40,646 customers' accounts through BC agents & a total of 28.43 lakh Basic Saving Bank Deposit Accounts (BSBDA) with an outstanding balance of ₹ 203.19 Crore. Bank has also made efforts to make BC model sustainable by way of introducing card less technology for FI customers. Bank has introduced AEPS — Aadhaar Enabled Payment System (On us and Off us — Acquirer and Issuer) technology, both functioning in the same POS machine. This has helped to increase the number of transactions during the financial year. The number of transactions increased from 0.95 lakhs to 4.66 lakhs during the year. The amount increased multifold from ₹ 2.93 crore to ₹ 101 crore.

Govt. of India is implementing the scheme of Direct Benefit Transfer (DBT). Under this scheme Govt. subsidies to the beneficiaries of 26 notified schemes are directly credited to the Aadhaar enabled bank account of the beneficiary in 121 districts. Out of these 121 districts we are operating in 71 districts with 632 branches. Under this scheme Bank has the responsibility of three districts as lead districts. Bank has ensured that all the beneficiaries under the scheme have their account with the bank and their Aadhaar number received from the district authority has been seeded to the accounts and uploaded with NPCI server. Bank had arranged special camps for opening of accounts as well as for enrolment of Aadhaar. Bank has also participated in implementing DBTL program and ensured maximum Aadhaar seeding of the beneficiaries.

8. SUBSIDIARIES/JOINT VENTURES AND SPONSORED INSTITUTIONS

8.1 Performance of Regional Rural Bank

Maharashtra Gramin Bank (MGB) is a Regional Rural Bank sponsored by our bank having its Head Office at Nanded, Maharashtra state. Total no of branches as on 31.3.2014 stood at 378 in its area of operation covering 16 out of 33 districts of Maharashtra State.

सभी 378 शाखाएं और नियंत्रक कार्यालय सीबीएस के अधीन हैं. इस वर्ष के दौरान महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ने 27 नई शाखाएं खोली हैं और भविष्य में और अधिक शाखाएं खोलने की योजना है.

इस वर्ष के दौरान कासा अंश 62.75% से बढ़कर 64.27%, अन्य आय 21.75 करोड़ से बढ़कर 25.13 करोड़ हो गईं, जिसके परिणामस्वरूप निवल लाभ 26.97 करोड़ से बढ़कर 35.51 करोड़ हो गया.

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित सभी 335 गांव आईसीटी आधारित मॉडल के अंतर्गत शामिल हैं. सामान्य आरएफपी के माध्यम से चुने गए मे. वक्रांगी फिनसर्व लि. बैंक द्वारा आबंटित सभी गांवों में बीसी सेवाओं को प्रदान करने वाले बीसी के रूप में सिक्य रूप से कार्यरत हैं.

वर्ष 2013-14 के दौरान महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ने कुल जमाराशियों में 7.68% की वृद्धि तथा अग्रिमों में 14.20% की वृद्धि दर्शाई है. वर्ष 2013-14 के तीन एसओआई लक्ष्यों को हासिल किया है. एसओआई लक्ष्यों और उपलब्धियों की स्थिति निम्नानुसार हैं -

क्र.सं.	मानदंड	वास्तविक 31.03.2013	लक्ष्य 31.03.2014	वास्तविक 31.03.2014
14	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यनिष्पादन			
14.1	जमाराशि वृद्धि प्रतिशत में	19.12%	12.50%	7.68%
14.2	अग्रिम वद्धि प्रतिशत में	38.09%	20.00%	14.20%
14.4	सीबीएस के अंतर्गत शाखाएं (संख्या)	351	365	378
14.5	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	2.13	2.40	2.67
14.6	हानि वाली शाखाओं की संख्या (12 माह पुरानी या अधिक अवधि)	18	30	18

8.2 दि महाराष्ट्र एक्ज़िक्यूटर एण्ड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको)

बैंकिंग की सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1946 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 100% अनुषंगी कंपनी दि महाराष्ट्र एक्ज़िक्यूटर एण्ड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको) स्थापित की गई. ये सेवाएं हैं:

- वसीयतों का मसौदा तैयार करना और निष्पादन करना, परामर्श
- निजी न्यासों / सार्वजनिक न्यासों का मसौदा तैयार करना, प्रबंधन और परामर्श
- > एटर्नी के रूप में निवेशों एवं आवास संपत्तियों का प्रबंधन
- अवयस्क की संपत्ति की संरक्षकता
- संपत्ति की खरीदी / बिक्री के लिए परामर्श देना
- > व्यक्तियों के लिए आय-कर विवरणी दाखिल करना

कंपनी पुणे में स्थित है और पुणे, वाशी-मुंबई, ठाणे और नागपुर में इसकी शाखा इकाइयां हैं.

वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी के ग्राहक आधार में 9 नए न्यास जुड़े, परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा प्रबंधित निजी और सार्वजनिक न्यासों की संख्या 1070 हो गई. वर्ष के दौरान जुड़ी नई वसीयतों की संख्या 41 रही, इस प्रकार कंपनी की अभिरक्षा और निष्पादन में वसीयतों की कुल संख्या 1069 हो गई है.

कंपनी द्वारा वर्तमान में 82 चल एवं अचल दोनों संपत्तियों का प्रबंधन मुख्तारनामे के अंतर्गत किया जा रहा है. विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत कंपनी ने 170 पालिसियों के संबंध में न्यासी का कार्य करती है और 6 मामलों में न्यायालय ने अवयस्क की संपत्ति का संरक्षक कंपनी को बनाया है.

All 378 branches & controlling offices are now under CBS. During this year, MGB opened 27 new branches and plans to open further more.

During this year, CASA share has improved from 62.75% to 64.27%, other income has improved from 21.75 Crore to 25.13 Crore resulting in increase in Net profit from 26.97 Crore to 35.51 Crore.

Under Financial Inclusion programme, all 355 allotted villages are covered under ICT based model. M/s Vakrangee Finserve Ltd., selected through common RFP has been engaged as the BC for providing BC services in all the villages allotted to the Bank, which is functioning actively.

During this year 2013-14, MGB has grown by 7.68% in total deposits and 14.20% in advances. It has achieved three SOI targets for the year 2013-14. The position of SOI targets and achievement are as under:-

Sr. No.	Parameter	Actual 31.03.2013	Target 31.03.2014	Actual 31.03.2014
14	Performance of RRBs			
14.1	Deposit Growth in %	19.12%	12.50%	7.68%
14.2	Advance Growth in %	38.09%	20.00%	14.20%
14.4	Branches under CBS (Nos.)	351	365	378
14.5	Profit per employee (₹ In Lakh)	2.13	2.40	2.67
14.6	No. of loss making branches (being 12 months old or more)	18	30	18

8.2 The Maharashtra Executor & Trustee Company Pvt. Ltd. (METCO)

The Maharashtra Executor & Trustee Company Pvt. Ltd. (METCO), the 100% subsidiary of Bank of Maharashtra was established in 1946 with an aim to provide services auxiliary to banking such as:

- Consultation, Drafting & Execution of will
- Consultation, Drafting and Management of Private Trusts / Public Trusts
- > Management of investments & house properties as attorney
- Guardianship of minor's property
- Consultation for sale / purchase of property
- > Filing of I-Tax Returns for individuals

The Company is located at Pune having its branch units at Pune, Vashi-Mumbai, Thane and Nagpur.

During 2013-14, company could get new assignments for management of additional 9 Trusts bringing total 1070 Public & Private Trusts under our fold for management. During the year, additional 41 WILLS were added making total 1069 WILLS in our custody for execution.

At present, the Company manages properties both movable and immovable of 82 clients under the Power of Attorney. The Company also acts as the Trustees in respect of 170 policies under Married Women's Property Act and as Court appointed Guardian of minor's property in 6 cases.

9. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में विभिन्न उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं.

देश की दो प्रतिष्ठित हिन्दी-सेवी संस्थाओं, मुंबई स्थित आशीर्वाद एवं कोलकाता स्थित राष्ट्रीय हिन्दी अकादमी, रूपाम्बरा, द्वारा बैंक में राजभाषा हिन्दी के बेहतर कार्यान्वयन और बैंक की गृहपत्रिका 'महाबैंक प्रगति' के राजभाषा विशेषांक के लिए ट्राफी व शील्ड प्रदान की गई.

दिनांक 17 व 18 अगस्त 2013 को कोलकाता में सभी राजभाषा अधिकारियों हेतु दो-दिवसीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया. सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, श्री नरेन्द्र सिंह के करकमलों से हुआ. इस अवसर पर बैंक के निदेशक श्री आर. के. अग्रवाल भी उपस्थित थे.

प्रधान कार्यालय में दिनांक 14.09.2013 को तत्कालीन अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, श्री नरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आंतरिक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता के विजेता अंचलों, शाखाओं तथा प्रधान कार्यालय के विभागों को शील्ड प्रदान की गई.

महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैंकर समिति (राजभाषा) की 29वीं बैठक दिनांक 03 मार्च, 2014 को बैंक के प्रधान कार्यालय, पुणे में आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री आर. आत्माराम ने की. इस अवसर पर राज्य स्तरीय राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता के विजेता वाणिज्यिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को पुरस्कार प्रदान किए गए.

विभिन्न नगरों की बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा हमारे अकोला, रायपुर, नागपुर, व कोलकता अंचल कार्यालयों और हैदराबाद अंचल की विजयवाडा शाखा को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.

वर्ष 2013-14 के दौरान उप निदेशक (राजभाषा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय द्वारा हमारे नागपुर, नाशिक व चेन्नई अंचल कार्यालयों का निरीक्षण किया गया.

भारतीय रिज़र्व बैंक की "बैंकिंग शब्दावली समिति" में बैंक के मुख्य प्रबन्धक(राजभाषा) श्री आनन्द प्रकाश जयसवाल को सदस्य रूप में नामित किया गरग

भारतीय रिजर्व बैंक की अंतर बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता में बैंक की देवास शाखा के लिपिक श्री दीपक भालचंद्र कर्पे को भाषिक समूह ''ख'' में पुरस्कार प्राप्त हुआ।

मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, भोपाल द्वारा श्री गिरीश वाघेला, मुख्य प्रबंधक को मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के कर कमलों द्वारा हिन्दीतर सेवी सम्मान एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया.

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पुणे, (संयोजक बैंक ऑफ महाराष्ट्र) के तत्वावधान में पुणे कॉलेज, कैम्प के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर की एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई.

10. निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन

निदेशक पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खाते तैयार करते समय :

- यदि कोई महत्वपूर्ण विचलन हुआ है तो उसका उचित स्पष्टीकरण देने के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लागू लेखा मानकों का पालन किया गया.
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा नीतियां तैयार की गई और उनको सतत आधार पर लागू किया गया. यदि कोई परिवर्तन किए गए तो उनका उचित प्रकटन किया गया है.
- वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्यकलापों और लाभ की सही और सत्य स्थित दर्शाने के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लिए गए और अनुमान लगाए गए
- भारत में बैंकों को शासित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई; और
- सतत आधार पर लेखे तैयार किए गए.

9. IMPLEMENTION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

During the year 2013-14, the Bank has made various remarkable achievements in the field of Official Language implementation.

Two prestigious Hindi-serving Institutions, Mumbai based Aashirvad and Kolkata based Rashtreeya Hindi Academy, Roopambra, awarded trophy to our bank for better use of Hindi implementation and and shield for Rajbhasha Visheshank of our house magazine "Mahabank Pragati".

On 17th and 18th August, 2013, a two-day seminar was organized in Kolkata for all Official Language Officers of our bank. Seminar was Inaugurated by the then C&MD Shri Narendra Singh. Director of the bank, Dr.R.K.Agrawal also graced the occasion.

On 14th September, 2013, Hindi day function was held in Head Office, Pune, which was headed by the then C&MD Shri Narendra Singh. On this occasion, shields were presented to the winner Zonal Offices, Branches and Head Office Deptts of bank's internal Rajbhasha Trophy Scheme for the year 2012-13

On 3rd March, 2014, 29th meeting of Maharashtra State Level Banker's Committee (Rajbhasha) was held at Head Office, Lokmangal, Pune. Executive Director, Shri R. Athmaram headed the meeting. Shields were presented to the winner member banks and financial institutions of state level Rajbhasha Shield competition.

Zonal Office, Akola, Raipur, Nagpur & Kolkata and Vijaywada branch of Hyderabad Zone were awarded various prizes for better use of Hindi by various Town official Language Implementation Committees.

During the year 2013-14, Deputy Director (O.L.), Regional Implementation Office, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs inspected the progressive use of Hindi at our Nagpur, Nasik & Chennai Zonal Offices.

Chief Manager (Rajbhasha) Shri Anand Prakash Jaiswal has been nominated as a member in RBI's "Banking Glossary Committee".

Shri Deepak Bhalchandra Karpe, Clerk of our Dewas branch has been awarded in RBI's Inter-bank Hindi Essay competition. Hon'ble Governor of Madhya Pradesh handed over Madhya Pradesh Rashtrbhasha Prachar Samiti, Bhopal "Hinditar Sevi Samman" along with certificate to our Chief Manager, Shri Girish Vaghela.

A national level one-day seminar was arranged by TOLIC Pune with support from Pune College, Camp. Our Bank is the convener of this Committee.

10. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended 31.03.2014:

- The applicable accounting standards of the Institute of Chartered Accountants of India, have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, are consistently applied and proper disclosures are made for changes, if any;
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and the profit of the Bank for the year.
- Proper and sufficient care was taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks, in India; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

11. निदेशक मंडल में परिवर्तन

वर्ष 2013-14 के दौरान निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुएः

श्री एस.डी धनक दिनांक 21 जुलाई 2013 से निदेशक पद पर नही रहे.

श्री नरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक दिनांक 30 सितंबर 2013 से सेवानिवृत्त हो

डॉ. एन.के. दराल ने दिनांक 15 नवंबर 2013 से निदेशक पद से इस्तीफा दिया.

डॉ. डी.एस. पटेल. शेयरधारकों के निदेशक दिनांक ०१ फरवरी २०१४ से निदेशक पद पर नहीं रहे.

डॉ. राजकुमार अग्रवाल, शेयरधारकों के निदेशक दिनांक 01 फरवरी 2014 से निदेशक पद पर नहीं रहे.

श्री सी. वीआर. राजेन्द्रन, कार्यपालक निदेशक की दिनांक 13.12.2013 से आन्ध्रा बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई.

सुश्री कमला राजन, भारिबैं निदेशक दिनांक 28 फरवरी 2014 को सेवानिवृत्त हो गईं.

डॉ. एस.यू. देशपांडे का निदेशक पद भारत सरकार द्वारा दिनांक 16 मार्च 2014 से आस्थगित रखा गया.

श्री आर.एल. सायदीवाल को दिनांक 21 जुलाई 2013 से निदेशक के रूप में नियुक्त

श्री आर. आत्माराम की दिनांक 07 अगस्त 2013 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई.

श्री संजीव जैन को दिनांक 19 अगस्त 2013 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया

श्री सुशील मुहनोत की दिनांक 09 नवंबर 2013 से अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियक्ति की गई.

श्री आर. के गुप्ता की दिनांक 31 दिसंबर 2013 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियक्ति की गई.

डॉ. एस. राजगोपाल का दिनांक 13 मार्च 2014 से भारिबैं निदेशक के रूप में नियुक्ति

निदेशक मंडल निर्गामी निदेशकों द्वारा दिए गए मूल्यवान सहयोग की सराहना करता 췽.

12. आभार

बैंक के सर्वांगीण विकास हेतु भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय बैंक संघ तथा स्टॉक एक्सचेंजों और सीडीएसएल से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए तथा ग्राहकों व शेयर धारकों द्वारा दिए गए प्रश्रय, प्रतिनिधियों और सहयोगियों द्वारा दिए गए सहयोग और "महाबैंक परिवार" के सभी बैंक कर्मचारियों की समर्पित प्रतिबध्दता और योगदान के प्रति निदेशक मंडल कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है.

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

43,790 BZ AVA

(एस. मृहनोत)

11. CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS

During the year 2013-14, the following changes took place in the Board of Directors:

Shri S.D. Dhanak ceased to be Director w.e.f. 21st July 2013.

Shri Narendra Singh, Chairman & Managing Director superannuated on 30th September 2013.

Dr N.K. Drall resigned from Directorship w.e.f 15th November

Dr. D.S. Patel, Shareholder's Director ceased to be Director w.e.f 1st February 2014.

Dr Rajkumar Agrawal, Shareholder's Director ceased to be Director w.e.f. 1st February 2014.

Shri C.VR. Rajendran, Executive Director appointed as Chairman & Managing Director of Andhra Bank w.e.f 13.12.2013.

Ms Kamala Rajan, RBI Director superannuated on 28th February 2014.

Dr. S.U. Deshpande's Directorship is kept in abeyance w.e.f 16th March2014, by Government of India.

Shri R.L. Saydiwal was appointed as Director w.e.f. 21st July

Shri R. Athmaram was appointed as Executive Director w.e.f 07th August 2013.

Shri Sanjeev Jain was appointed as Director w.e.f. 19th August

Shri Sushil Muhnot was appointed as Chairman & Managing Director w.e.f 09th November.2013.

Shri R.K.Gupta was appointed as Executive Director w.e.f 31st December 2013.

Dr S.Rajagopal was appointed as RBI Director w.e.f. 13th March 2014.

The Board of Directors place on record their sincere appreciation for the valuable contribution made by the outgoing Directors.

12. ACKNOWLEDGMENTS:

The Board of Directors wishes to express sincere gratitude to the Government of India, the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Indian Banks' Association and Stock Exchanges and CDSL for their valuable advice and support; to the customers and shareholders for their patronage; to the correspondents and associates for their co-operation and to all the members of staff of "Mahabank Family" for their unstinted commitment and contribution to the overall development of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Chairman and Managing Director

पूणे दिनांक : 26.05.2014

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Date: 26.05.2014

Pune

वर्ष 2013-14 लिए कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर बैंक का दर्शनः

बैंक ऑफ महाराष्ट्र कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) की संकल्पना व महत्व को मान्यता देता है। बैंक न केवल संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन करता है, अपितु स्वैच्छिक रूप से सुदृढ़ कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) प्रथाओं को तैयार कर उनका भी पालन करता है। शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार और समग्र रूप से समाज सहित सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए बैंक हमेशा भरपूर प्रयास करता है। कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर बैंक का दर्शन है कि सभी स्तरों पर पारदर्शिता, जिम्मेदारी और न्यायसंगतता के उत्कृष्ट मानक स्थापित करना और व्यवसायिकता, सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिसाद, ठोस व्यापारिक प्रथाएं और परिचालनगत कुशलता के द्वारा अधिकतम गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। हमारे ये कार्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकाधिक करने और हितधारकों के हितों की रक्षा करने हेतु बैंक को कारोबार के उच्च मानक बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं.

2. निदेशक मंडल

- 2.1 निदेशक मंडल का संमिश्र बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसार शासित होता है।
- 2.2 बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 7(2) की शर्तों के अनुसार बैंक के कारोबार के सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशन और प्रबंधन का अधिकार निदेशक मंडल के पास होता है। निदेशक मंडल के उत्तरदायित्वों में शामिल है नीतियां तैयार करना, नई पहल करना, कार्य निष्पादन की समीक्षा करना और बैंक द्वारा किए गए विनियामक व सांविधिक अनुपालन का पर्यवेक्षण करना, बैंक के विभिन्न प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रत्यायोजित करना और बैंक के विभिन्न कार्यमूलक प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों के बाहर दी गई वित्तीय मंजूरियों का अनुमोदन कर समग्र पर्यवेक्षण करना।
 - 31 मार्च 2014 को बैंक के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार थी:

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2013-14

1. Bank's philosophy on Corporate Governance:

Bank of Maharashtra recognizes the principles and importance of Corporate Governance and has been complying with not only the statutory requirements, but also has voluntarily formulated and adhered to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank has always strived hard to best serve the interest of all its stakeholders including Shareholders, Customers, Government and society at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to bestow high standard of transparency, fairness and accountability for performance at all levels and to ensure and achieve excellence through professionalism, social responsiveness, sound business practices and optimum efficiency. This in turn enables the Bank to maintain a high level of business ethics to maximize the shareholders' value and to protect their interest.

2. Board of Directors:

- 2.1. The composition of the Board is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended from time to time.
- 2.2 In terms of section 7(2) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, the general superintendence, direction and management of the business of the Bank vest with the Board of Directors. The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review, and supervision over Regulatory and Statutory compliances by the Bank, delegating financial powers to various functionaries and exercising overall supervision, according financial sanctions beyond the powers delegated to various functional authorities of the Bank.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2014 is as under:

अ.क्र. Sr. No.	नाम Name	धारित पद Position held	31.03.2014 को धारित बैंक शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2014	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता No. of member ship in Sub Committees of the Bank	अन्य कंपनियों अर्थात बैंक से अतिरिक्त में निदेशक पदों की संख्या No. of Director- ship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के निदेशक मंडलों की उप-समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता No. of Membership/ Chairman- ship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	अभ्युक्तियां (बैंक में/अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
1	श्री सुशील मुहनोत Shri Sushil Muhnot	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director	शून्य NIL	08	शून्य NIL	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 09.11.2013 से बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए Appointed as the Chairman and Managing Director of the Bank w.e.f. 09.11.2013 by the Central Government
2	श्री आर. आत्माराम Shri R. Athmaram	कार्यपालक निदेशक Executive Director	शून्य NIL	10	शून्य NIL	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 07.08.2013 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए. Appointed as the Executive Director w.e.f. 07.08.2013 by the Central Government.

அ.क. Sr. No.	नाम Name	धारित पद Position held	31.03.2014 को धारित बैंक शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2014	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता No. of member ship in Sub Committees of the Bank	अन्य कंपनियों अर्थात बैंक से अतिरिक्त में निदेशक पदों की संख्या No. of Director- ship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के निदेशक मंडलें की उप-समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता No. of Membership/ Chairman- ship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	अभ्युक्तियां (बैंक में/अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
3	श्री आर. के. गुप्ता Shri. R.K. Gupta	कार्यपालक निदेशक Executive Director	शून्य Nil	10	01	श्रून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2013 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए. Appointed as the Executive Director
							w.e.f. 31.12.2013 by the Central Government.
							आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. के बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं. He is also the Chairman of the Board
	0 0 0:						of the Maharashtra Executor and Trustee Company Pvt. Ltd.
4	श्री अतीश सिंह Shri Ateesh Singh	निदेशक(गैर- कार्यपालक) भारत सरकार द्वारा नामित Director (Non Executive)	शून्य NIL	06	शून्य NIL	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा 20.07.2012 को निदेशक के रूप में नामित किए गए. Nominated as a Director w.e.f.
		Government Nominee					20.07.2012 by the Central Government
5	डॉ एस. राजगोपाल Dr. S. Rajagopal	निदेशक (गैर- कार्यपालक) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित	शून्य NIL	04	शून्य NIL	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा 13.03.2014 से निदेशक के रूप में नामित किए गए.
		Director (Non Executive) RBI Nominee					Nominated as a Director w.e.f. 13.03.2014 by the Central Government
6	श्री रामदेव एल. सायदीवाल Shri Ramadev L Sayadiwal	निदेशक (गैर-कार्यपालक) कर्मकार कर्मचारी प्रतिनिधि Director (Non Executive)	00	03	शून्य NIL	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 21.07.2013 से कर्मकार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए.
	Cayadiiia	Representing Workmen employees					Appointed as a Workmen Employee Director w.e.f. 21.07.2013 by the Central Government
7	श्री रमेश चंद्र अग्रवाल Shri Ramesh Chandra Agrawal	निदेशक (गैर-कार्यपालक) Director (Non Executive)	शून्य NIL	06	शून्य NIL	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 05.08.2011 से निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए.
							Nominated as a Director w.e.f. 05.08.2011 by the Central Government
8	श्री संजीव जैन Shri.Sanjeev Jain	निदेशक (गैर-कार्यपालक) Director	शून्य NIL	05	02	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 19.08.2013 से निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए.
		(Non Executive)					Nominated as a Director w.e.f. 19.08.2013 by the Central Government

2.3 वर्ष (2013-14) के दौरान निदेशकों की नियुक्ति / अवसान

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (क) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा श्री सुशील मुहनोत को दिनांक 09.11.2013 से दिनांक 30.09.2016, अर्थात उनकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने तक की अविध अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति श्री नरेन्द्र सिंह के स्थान पर की गई है, जो दिनांक 30.09.2013 को सेवानिवृत्त हुए।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(क) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा श्री आर. आत्माराम को दिनांक 07.08.2013 से दिनांक 31.10.2016, अर्थात उनकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त

2.3 Appointment / Cessation of Directors during the year (2013-14):

Shri Sushil Muhnot was appointed by the Central Government as Chairman and Managing Director with effect from 09.11.2013, under Sec 9(3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period upto 30.09.2016 i.e. the date of his attaining the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier, in place of Shri Narendra Singh, who superannuated on 30th September 2013.

Shri R.Athmaram was appointed by the Central Government as Executive Director with effect from 07.08.2013, under sec 9(3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period upto 31.10.2016 i.e. the

कर लेने तक की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (क) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा श्री आर.के. गुप्ता को दिनांक 31.12.2013 से दिनांक 30.12.2018 तक की अविध अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति श्री सी. वीआर. राजेन्द्रन के स्थान पर की गई है, जिन्हें दिनांक 31.12.2013 से आन्ध्रा बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3)(ग) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 30 जुलाई 2010 से निदेशक के रूप में नामित सुश्री कमला राजन दिनांक 28 फरवरी 2014 को सेवानिवृत्त हो गईं और उसके बाद उन्होंने बैठक में भाग नहीं लिया।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3) (ग) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा डॉ. एस. राजगोपाल को दिनांक 13 मार्च 2014 से अगले आदेशों तक बैंक का निदेशक नियुक्त किया गया है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत दिनांक 01 फरवरी 2011 से शेयरधारक निदेशक के रूप में मनोनीत डॉ. डी.एस. पटेल नियुक्ति अविध की समाप्ति पर दिनांक 31 जनवरी 2014 से निदेशक पद पर नहीं रहे।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत दिनांक 28 दिसंबर 2012 से शेयरधारक निदेशक के रूप में मनोनीत डॉ. राजकुमार अग्रवाल नियुक्ति अविध की समाप्ति पर दिनांक 31 जनवरी 2014 से निदेशक पद पर नहीं रहे।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (इ) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा श्री आर. एल. सायदीवाल को अधिसूचना की तारीख 21 जुलाई 2013 से तीन वर्षों की अवधि अथवा बैंक का कर्मचारी न रहने अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कर्मकार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति श्री एस.डी. धनक के स्थान पर की गई है, जो नियुक्ति अवधि की समाप्ति उपरान्त दिनांक 20 जुलाई 2013 से निदेशक पद पर नहीं रहे।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3) (ज) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 05 मई 2011 से तीन वर्षों की अविध हेतु निदेशक के रूप में नामित डॉ. एन. के. दराल ने दिनांक 15 नवंबर 2013 को त्यागपत्र दे दिया।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (च) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा डॉ. सुनील यू. देशपांडे को अधिसूचना की तारीख 19 दिसंबर 2011 से तीन वर्षों की अवधि अथवा बैंक का अधिकारी न रहने अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अधिकारी निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया था। सरकारी आदेश के अनुसार दिनांक 16.03.2014 से उनके निदेशकत्व को आस्थिगत रखा गया है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3) (ज) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा श्री संजीव जैन को दिनांक 19 अगस्त 2013 को जारी अधिसूचना से तीन वर्षों की अविध अथवा अगले आदेशों तक. जो भी पहले हो, निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

Shri R.K.Gupta was appointed by the Central Government as Executive Director with effect from 31.12.2013, under sec 9(3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period upto 30.12.2018 or until further orders, whichever is earlier, in place of Shri C.VR. Rajendran, who was appointed as Chairman & Managing Director of Andhra Bank w.e.f. 13.12.2013.

Ms.Kamala Rajan, nominated as Director on 30th July 2010 by the Central Government under section 9 (3) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, had attained superannuation on 28th February 2014 and had not attended the meeting thereafter.

Dr.S. Rajagopal was appointed by the Central Government as Director on 13th March 2014 under section 9 (3) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 until further orders.

Dr. D.S.Patel, was elected as Shareholder Director for a period of three years on 01st February 2011 under section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, ceased to be a Director on 31st January 2014 on the expiry of his term of appointment.

Dr. Rajkumar K Agrawal, was elected as Shareholder Director on 28th December 2012 under section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, ceased to be a Director on 31st January 2014 on the expiry of his term of appointment.

Shri. R.L. Sayadiwal, nominated by the Central Government as Workman Employee Director on 21th July 2013 under section 9 (3) (e) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification or until he ceases to be an employee of the Bank or until further orders, whichever is the earlier, in place of Shri.S.D.Dhanak who ceased to be Director on 20th July 2013 on completion of his term of appointment.

Dr. N.K. Drall, nominated as Director for a period of three years on 05th May 2011 by the Central Government under section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, resigned w.e.f 15th November 2013.

Dr. Sunil U. Deshpande, was renominated by the Central Government as Officer Employee Director on 19th December 2011 under section 9 (3) (f) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification or until he ceases to be an officer of the Bank or until further orders. As per Govt order his Directorship is kept in abeyance w.e.f 16.03.2014.

Shri. Sanjeev Jain was appointed by the Central Government as Director on 19th August 2013 under section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification or until further orders, whichever is the earlier.

2.4 वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान नियुक्त निदेशकों की प्रोफाइल

2.4.1 श्री सुशील मुहनोत

3 3	
नाम	श्री सुशील मुहनोत
पता	बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501,
	शिवाजीनगर, पुणे - 411 005.
जन्म दिनांक	19.09.1956
आयु	57 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	बी.टेक, एमबीए, सीएआईआईबी और पारिस्थितिकी और पर्यावरण में स्नातकोत्तर
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (क) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा श्री सुशील मुहनोत को दिनांक 09.11.2013 से दिनांक 30.09.2016, अर्थात उनकी सेवानिवृत्ति की दिनांक तक अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का पदभार सौंपा गया है।
अनुभव/उपलब्धियां	श्री मुहनोत को बैंकिंग के साथ-साथ भारत में औद्योगिक क्षेत्र को वित्तपोषण प्रदान करने का सुदीर्घ अनुभव है। अपने 34 वर्षों के गहन अनुभव में से श्री मुहनोत ने सिडबी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में दो वर्षों तक कार्य किया तथा उससे पूर्व उन्होंने आईडीबीआई लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक और आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के पद पर कार्य किया है। आईडीबीआई बैंक के अपने 28 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने परियोजना वित्त, खजाना व्यवसाय विकास, पूंजी मार्केट, व्यापारिक बैंकिंग, व्यापार वित्त इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया। इस दौरान आईडीबीआई बैंक लिमिटेड और आईडीबीआई कैपिटल के रिटेल व्यवसाय में वृद्धि, निवेश बैंकिंग प्रभाग की स्थापना, विदेशी ऋण/तकनीकी सहायता संस्थाओं आईडीए इत्यादि के प्रभावी उपयोग, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के खजाना और व्यापार वित्त विभागों को प्राप्त आईएसओः 9000 प्रमाणन को उनकी मुख्य उपलिख्ययों में गिना जाता है।
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति के पद धारण की स्थिति	शून्य

2.4.2 श्री आर. आत्माराम

नाम	श्री आर. आत्माराम
पता	बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501,
	शिवाजीनगर, पुणे - 411 005.
जन्म दिनांक	27.10.1956
आयु	57 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	बी.ई., एमबीए, सीएआईआईबी
निदेशक के रूप में	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,
नियुक्ति की प्रकृति	1970 की धारा 9 (3) (क) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा
	श्री आर. आत्माराम को दिनांक 07.08.2013 से दिनांक
	31.10.2016 तक, अर्थात उनकी सेवानिवृत्ति के दिनांक अथवा
	अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक का कार्यपालक
	निदेशक नियुक्त किया गया है।
अनुभव	आपने वर्ष 1978 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में आन्ध्रा
	बैंक से कैरियर की शुरूआत की। 34 वर्षों के अपने कार्यकाल
	में आपने विभिन्न जिम्मेदारी के पदों को संभाला। आपने ऋण,
	आयोजना, क्रेडिट कार्ड व्यवसाय, निरीक्षण और लेखापरीक्षा
	तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में व्यापक कार्य अनुभव
	प्राप्त किया है। आपने विभिन्न अग्रणी प्रबंध संस्थानों द्वारा
	आयोजित कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभाग लिया है।
अन्य कंपनियों में	शून्य
निदेशक अथवा	
समिति के पद	
धारण की स्थिति	

2.4 Profile of Directors appointed during the financial year 2013-14 2.4.1 Shri Sushil Muhnot

Name	Shri. Sushil Muhnot
Address	Bank of Maharashtra
	H.O., 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005
Date of Birth	19.09.1956
Age	57 years
Qualification	B.Tech, MBA, Masters in Ecology & Environment, CAIIB
Nature of appointment as Director	Appointed as the Chairman and Managing Director of the Bank w.e.f. 09.11.2013 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 to hold the post till 30.09.2016 i.e. his date of superannuation or until further orders, whichever is earlier
Experience	He has wide experience in Banking and financing the industrial sector in India. Out of his 34 years rich experience, two years he worked as Chairman & Managing Director of SIDBI and prior to that he held the positions of Executive Director of IDBI Ltd and Managing Director and CEO of IDBI Capital Market Services Ltd. He spent 28 years in IDBI/IDBI Bank where he worked in varied capacities and in areas such as Project Finance, Treasury, Business Development, Capital Markets, Merchant Banking, Trade Finance etc. His key milestone achievements include, growing outreach and retail business of IDBI Bank Ltd and IDBI Capital, setting up of investment banking division, effective utilization of foreign lines of credit/technical assistance/IDA etc, ISO: 9000 certification for treasury and trade finance departments of IDBI Bank Ltd etc.
Directorship or Committee Positions held in other Companies	Nil

2.4.2 Shri R. Athmaram

Name	Shri.R.Athmaram			
Address	Bank of Maharashtra, H.O., 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005			
Date of Birth	27.10.1956			
Age	57 years			
Qualification	BE,MBA,CAIIB			
Nature of appointment as Director	Appointed as the Executive Director of the Bank w.e.f. 07.08.2013 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 to hold the post till 31.10.2016 i.e. his date of superannuation or until further orders, whichever is earlier			
Experience	He started his career in Andhra Bank in 1978 as a Probationary Officer. During his 34 years tenure he held several responsible positions. He worked extensively in the areas of Credit, Planning, Credit Card Business, Inspection & Audit and Information Technology. He attended several training programmes conducted by leading Management Institutions.			
Directorship or Committee Positions held in other Companies	NIL			

2.4.3 श्री आर. के गुप्ता

नाम	श्री आर.के. गुप्ता
पता	बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501,
	शिवाजीनगर, पुणे - 411 005.
जन्म दिनांक	16.04.1960
आयु	53 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	एम.एससी.(भौतिक शास्त्र), एलएलबी, सीएआईआईबी और
	वैंकिंग प्रबंधन में डिप्लोमा
निदेशक के रूप में	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,
नियुक्ति की प्रकृति	1970 की धारा 9 (3) (क) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा
	श्री आर. के. गुप्ता को दिनांक 31.12.2013 से कार्यपालक
	निदेशक का कार्यभार ग्रहण करने के बाद 5 वर्षों की
	अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक का
	कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया है।
अनुभव	आपको बैंकिंग उद्योग में 33 से भी अधिक वर्षों का अनुभव है,
	जिसमें से 30 वर्षों तक देना बैंक में बैंकिंग के सभी कार्यक्षेत्रों
	तथा भौगोलिक रूप से देश के सभी भागों में कार्य करने का
	अनुभव है। अप्रैल 2009 से महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत।
	बैंक के ऋण संविभाग, प्राथमिकता क्षेत्र/रिटेल/ एमएसएमई के
	प्रमुख के रूप में कार्य किया। इसके अतिरिक्त, नई दिल्ली
	अंचल के प्रमुख के रूप में कार्य किया, जो उत्तर भारत के
	10 राज्यों/संघशासित प्रदेशों को कवर करता है तथा महाराष्ट्र
	और गोवा अंचलों में क्षेत्र (फील्ड) महाप्रबंधक के रूप में
	कार्य किया। आपने भारत और विदेशों में विभिन्न सम्मेलनों/
	सेमिनारों में सहभागिता की।
अन्य कंपनियों में	महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर और ट्रस्टी कंपनी (प्रा) लि.
निदेशक अथवा	
समिति के पद	
धारण की स्थिति	

2.4.4 डॉ. एस. राजगोपाल

नाम	डॉ. एस. राजगोपाल			
पता	मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, मेन बिल्डिंग, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001.			
जन्म दिनांक	13.05.1959			
आयु	54 वर्ष			
शैक्षणिक योग्यता	पीएचडी, एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय प्रबंधन, यूएसए), एमबीए (वैंकिंग और वित्त) सीएआईआईबी, प्रशिक्षण और विकास में डिप्लोमा, एमबीटीआई व बीईआई में प्रमाणपत्र			
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3) (ग) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा आपको दिनांक 13 मार्च, 2014 से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अगले आदेशों तक बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।			
अनुभव डॉ. राजगोपाल को भारतीय रिजर्व बैंक में 27 वर्षों कार्यानुभव है। वर्तमान में वे भारतीय रिजर्व बैंक के म् क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार हैं। इससे पूर्व आपने विभिन्न विभागों यथा बैंकिंग पर्यवेध शहरी बैंक विभाग, ग्रामीण आयोजना व ऋण विभाग, करे विभाग, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग इत्यादि में कार्य वि है। साथ ही, वे रिजर्व बैंक कर्मचारी महाविद्यालय, चेन्नै कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में शिक्षण संकाय भी रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक में तैनाती से पूर्व आपने भारतीय व बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में कार्य किया।				

2.4.3 Shri R.K. Gupta

Name	Shri. R.K. Gupta		
Address	Bank of Maharashtra		
	H.O., 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005		
Date of Birth	16.04.1960		
Age	53 years		
Qualification	M.Sc(Physics), CAIIB, LLB, Diploma in Bank Management		
Nature of appointment as Director	Appointed as the Executive Director of the Bank w.e.f. 31.12.2013 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 to hold the post for a period of five years from date of his taking over charge of the post, or until further orders, whichever is earlier		
Experience	More than 33 years of experience in Banking Industry out of which more than 30 years with Dena Bank, in all geographies and in all verticals of Banking. General Manager since April 2009, worked as Head of the Credit Portfolio, Head of Priority Sector/ Retail/MSME of the Bank. Also headed New Delhi Zone covering 10 States/UTs of North India and Maharashtra & Goa zones as Field General Manager. Has attended Seminars/ Conferences in India & Abroad.		
Directorship or Committee Positions held in other Companies	Maharashtra Executors & Trustee Company (Pvt) Ltd.		

2.4.4 Dr. S. Rajagopal

Name	Dr. S. Rajagopal
Address	Chief General Manager, Reserve Bank of India, Mumbai Regional Office, Main Building Shahid Bhagatsingh Marg, Fort, Mumbai 400 001
Date of Birth	13.05.1959
Age	54 years
Qualification	Ph.D. MBA(International Business Management: USA); MBA (Banking and Finance); CAIIB; Diploma in Training & Development, Certification in MBTI & BEI.
Nature of appointment as Director	Appointed as the Director of the Bank w.e.f. 13.03.2014 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 to hold the post from date of his taking over charge of the post, until further orders.
Experience	Dr. Rajagopal has 27 years of work experience in RBI. He is currently working as Chief General Manager at RBI's Mumbai Regional Office. He has earlier worked in various capacities in Department of Banking Supervision, Urban Banks Department, Rural planning and Credit Department, Currency Department, Human Resource Management Department etc. He was also teaching faculty at Reserve Bank of India Staff College, Chennai and College of Agricultural Banking, Pune. Before joining RBI he had worked with State Bank of India and Bank of India.

	डॉ. राजगोपाल ने भारत व विदेश के संस्थानों में कई शोध अध्ययन किए हैं। आपने जोखिम प्रबंधन, आस्ति व देयता प्रबंधन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में एमबीए विद्यार्थियों का शोध कार्य में मार्गदर्शन भी किया है। वे भारत व विदेश में प्रबंध संस्थानों में विजिटिंग फैकल्टी भी हैं। अग्रणी वित्तीय दैनिकों और प्रबंधन जर्नलों में उनके प्रबंधन, बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन, भुगतान प्रणालियों, बैंक विपणन इत्यादि पर 14 आलेख प्रकाशित हुए हैं।
अन्य कंपनियों में	शून्य
निदेशक अथवा	
समिति के पद	
धारण की स्थिति	

2.4.5 श्री रामदेव लक्ष्मीचंद सायदीवाल

नाम	श्री रामदेव लक्ष्मीचंद सायदीवाल
पता	88, एम.जी. रोड, फडणीस कॉम्प्लेक्स, इंदौर - 452 007.
जन्म दिनांक	03.07.1956
आयु	57 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	एम.कॉम, सीएआईआईबी
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ङ) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें दिनांक 21 जुलाई 2013 से तीन वर्षों की अवधि अथवा बैंक का कर्मचारी न रहने अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कर्मकार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
अनुभव	श्री आर. एल. सायदीवाल वर्तमान में एम.जी. रोड इंदौर शाखा में विशेष सहायक के रूप में कार्यरत हैं। आपने बैंक में 32 वर्ष की सेवा प्रदान की है।
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति के पद धारण की स्थिति	शून्य

2.4.6 श्री संजीव जैन

•	All Klotie of t	
	नाम	श्री संजीव जैन
	पता	एम- ९६, कनाट प्लेस, नई दिल्ली.
	जन्म दिनांक	23.01.1968
	आयु	46 वर्ष
	शैक्षणिक योग्यता	बी.कॉम.(ऑनर्स), एलएलबी, एफसीए
	निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3) (ज) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा आपको दिनांक 19 अगस्त 2013 को जारी अधिसूचना से तीन वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक का निदेशक नियुक्त किया गया है।
	अनुभव	लेखापरीक्षा, वित्त और सनदी लेखाकार के रूप में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव। यूको बैंक के निदेशक मंडल में गैर अधिकारी निदेशक के रूप में 3 वर्षों से अधिक का अनुभव। साथ ही जटिल आयकर अपीलों और मामलों का अनुभव। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, विजया बैंक, देना बैंक, स्टेट बैंक कॉफ पटियाला, एलाक्वै डेहाटी बैंक की केन्द्रीय सांविधिक लेखापरीक्षा का अनुभव।
	अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति के पद धारण की स्थिति	आइनॉक्स लेजर लिमिटेड * अशोक विहार क्लब

^{*} आपने आइनॉक्स लेजर लिमिटेड के निदेशक पद से दिनांक 08.05.2014 को त्यागपत्र दिया है.

	Dr. Rajagopal had undertaken many research studies in Institutions in India and abroad. He has also guided MBA students in research assignments in areas such as Risk Management, Asset and Liability Management etc. He is also a visiting faculty with Management Institutes in India and abroad. He has published 14 articles on Management, Banking, Risk Management, Payment Systems, Bank Marketing etc., in leading financial dailies and Management Journals.
Directorship or Committee Positions held in other Companies	NIL

2.4.5 Shri Ramadev Laxmichand Saydiwal

Name	Shri.Ramadev Laxmichand Saydiwal
Address	88, MG Road, Phadnis Complex, Indore - 452 007
Date of Birth	03/07/1956
Age	57 years
Qualification	M.Com, CAIIB
Nature of appointment as Director	Appointed as Workman employee Director w.e.f. 21.07.2013 u/s 9 (3) (e) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, by the Central Government for a period of three years, from 21.07.2013 or until he ceases to be an workmen employee of Bank of Maharashtra or until further orders, whichever is earliest.
Experience	Shri.R.L.Saydiwal is presently working as a Special Assistant at M.G.Road, Indore Branch. He has put in 32 years of service in the Bank.
Directorship or Committee Positions held in other Companies	NIL

2.4.6 Shri Sanjeev Jain

Name	Shri Sanjeev Jain
Address	M-96, Connaught Place, New Delhi
Date of Birth	23/01/1968
Age	46 years
Qualification	B.Com(H),LLB,FCA
Nature of appointment as Director	Appointed as Director w.e.f. 19.08.2013 u/s 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, by the Central Government for a period of three years, from the date of notification or until further orders, whichever is earlier.
Experience	Engaged in practice of Chartered Accountancy, Audit and Finance for over 23 years. Over 3 years experience as Non-Official Director on the board of UCO Bank. Handled complex income tax appeals and cases. Conducted Central Statutory Audits of Banks like State Bank of Indore, Oriental Bank of Commerce, Vijaya Bank, Dena Bank, State Bank of Patiala, Ellaquai Dehati Bank.
Directorship or Committee Positions held in other Companies	Inox Leisure Ltd.* Ashok Vihar Club

^{*} He resigned from the directorship of INOX Leisure Ltd on 08.05.2014.

2.5 निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें निम्निलखित दिनांकों पर कुल 11 बार संपन्न हुई जबिक राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 12 के अधीन न्यूनतम 6 बैठकें निर्धारित हैं।

29.04.13	18.05.13	14.06.13	02.08.13	31.08.13	28.09.13
29.10.13	09.12.13	20.12.13	31.01.14	25.03.14	

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री नरेंद्र सिंह	01.04.2013 से 30.09.2013	06	06
श्री सुशील मुहनोत	09.11.2013 से 31.03.2014	04	04
श्री सी.वीआर. राजेन्द्रन	01.04.2013 से 13.12.2013	08	08
श्री आर. आत्माराम	07.08.2013 से 31.03.2014	07	07
श्री आर. के गुप्ता	31.12.2013 से 31.03.2014	02	02
श्री अतीश सिंह	01.04.2013 से 31.03.2014	11	08
सुश्री कमला राजन	01.04.2013 से 28.02.2014	10	05
डॉ. एस. राजगोपाल	13.03.2014 से 31.03.2014	01	01
डॉ. डी.एस. पटेल	01.04.2013 से 31.01.2014	10	09
श्री एस.डी. धनक	01.04.2013 से 20.07.2013	03	03
श्री आर. एल. सायदीवाल	21.07.2013 से 31.03.2014	08	08
डॉ. एन.के. दराल	01.04.2013 से 18.11.2013	07	07
श्री आर.सी. अग्रवाल	01.04.2013 से 31.03.2014	11	11
डॉ. एस.यू. देशपांडे	01.04.2013 से 15.03.2014	10	10
डॉ. आर. के. अग्रवाल	01.04.2013 से 31.01.2014	10	10
श्री संजीव जैन	19.08.2013 से 31.03.2014	07	06

2.6 आचार संहिता

निवेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों अर्थात सभी महाप्रबंधकों वाली कोर प्रबंधन टीम हेतु आचार संहिता निवेशक मंडल द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुपालन में अनुमोदित की गई है. उक्त आचारसंहिता बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है. बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है.

3. वार्षिक साधारण बैठक :

बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक साधारण बैठक सोमवार, दिनांक 14 जून, 2013 को अप्पासाहेब जोग हॉल, प्रधान कार्यालय, लोकमंगल,1501, शिवाजीनगर, पुणे-411005 में संपन्न हुई जिसमें निम्नांकित निदेशक उपस्थित थे:

01	श्री नरेंद्र सिंह	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
02	श्री सी. वीआर. राजेंद्रन	कार्यपालक निदेशक
03	डॉ. डी.एस पटेल	शेयर धारक निदेशक
04	डॉ. एन.के.दराल	निदेशक (गैर-कार्यपालक)
05	श्री आर. सी. अग्रवाल	निदेशक (गैर-कार्यपालक)
06	डॉ. एस.यू. देशपांडे	अधिकारी कर्मचारी निदेशक

4. निदेशक मंडल की समितियां

निदेशक मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है और विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है.

2.5 Board Meetings:

During the Financial Year 2013-14, 11 meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

29.04.13	18.05.13	14.06.13	02.08.13	31.08.13	28.09.13
29.10.13	09.12.13	20.12.13	31.01.14	25.03.14	

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Narendra Singh	01.04.2013 to 30.09.2013	06	06
Shri.Sushil Muhnot	09.11.2013 to 31.03.2014	04	04
Shri C.VR. Rajendran	01.04.2013 to 13.12.2013	08	08
Shri R. Athmaram	07.08.2013 to 31.03.2014	07	07
Shri.R.K.Gupta	31.12.2013 to 31.03.2014	02	02
Shri Ateesh Singh	01.04.2013 to 31.03.2014	11	08
Ms. Kamala Rajan	01.04.2013 to 28.02.2014	10	05
Dr.S.Rajagopal	13.03.2014 to 31.03.2014	01	01
Dr. D.S. Patel	01.04.2013 to 31.01.2014	10	09
Shri S.D. Dhanak	01.04.2013 to 20.07.2013	03	03
Shri.R.L.Saydiwal	21.07.2013 to 31.03.2014	08	08
Dr. N.K. Drall	01.04.2013 to 18.11.2013	07	07
Shri. R.C. Agrawal	01.04.2013 to 31.03.2014	11	11
Dr. S.U. Deshpande	01.04.2013 to 15.03.2014	10	10
Dr.R.K.Agrawal	01.04.2013 to 31.01.2014	10	10
Shri.Sanjeev Jain	19.08.2013 to 31.03.2014	07	06

2.6 Code of Conduct

The Code of Conduct for Board of Directors and Senior Management Personnel i.e. Core Management team comprising all General Managers, has been approved by the Board of Directors in compliance with Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in. All the Board Members and Senior Management Personnel have since affirmed the compliance of the code.

3.0 Annual General Meeting:

The Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on Monday, the 14th June 2013 at Appasaheb Joag Hall Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune-411005 where following Directors were present.

01	Shri Narendra Singh	Chairman & Managing Director
02	Shri C.VR.Rajendran	Executive Director
03	Dr. D.S.Patel	Shareholder Director
04	Dr. N. K. Drall	Director(Non Executive)
05	Shri.R.C.Agrawal	Director(Non Executive)
06	Dr. S. U. Deshpande	Officer Employee Director

4.0 Committees of Board:

The Board has constituted the following committees and delegated powers in different functional areas.

4.1 प्रबंधन समिति

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक मंडल की छह सदस्यीय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है. प्रबंधन समिति के कार्य और कर्तव्य निम्नानुसार हैं:

- क) ऋण व निवेश प्रस्तावों की मंजूरी देना
- ख) ऋण समझौता / बट्टे खाते में डालने के प्रस्तावों को मंजूरी देना
- ग) परिसर / क्वार्टर्स अधिग्रहित करने से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित करना
- घ) निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित कोई अन्य विषय।

समीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 12 बैठकें हुईं:

27.04.13	18.05.13	14.06.13	29.07.13	31.08.13	28.09.13
29.10.13	20.11.13	09.12.13	31.01.14	07.03.14	25.03.14

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अविध के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री नरेंद्र सिंह	01.04.2013 से 30.09.2013	06	06
श्री सुशील मुहनोत	09.11.2013 से 31.03.2014	05	05
श्री सी.वीआर. राजेंद्रन	01.04.2013 से 13.12.2013	09	08
श्री आर. आत्माराम	07.08.2013 से 31.03.2014	08	08
श्री आर.के. गुप्ता	31.12.2013 से 31.03.2014	03	03
सुश्री कमला राजन	01.04.2013 से 28.02.2014	10	05
डॉ. एस. राजगोपाल	13.03.2014 से 31.03.2014	01	01
श्री एस.डी. धनक	01.04.2013 से 18.06.2013	03	03
डॉ. एन.के. दराल	19.06.2013 से 15.11.2013	04	04
डॉ. एस.यू. देशपांडे	18.05.2013	07	07
श्री आर.सी. अग्रवाल	01.04.2013 社 05.04.2013 02.08.2013 社 01.02.2014	07	07
डॉ. आर.के. अग्रवाल	01.04.2013 से 22.07.2013 09.12.2013 से 31.01.2014	05	05
श्री आर.एल. सायदीवाल	18.11.2013 से 31.03.2014	05	05
श्री संजीव जैन	01.02.2014 से 31.03.2014	02	02

31 मार्च 2014 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही :

i	श्री सुशील मुहनोत	अध्यक्ष
ii	श्री आर. आत्माराम	सदस्य
iii	श्री आर. के गुप्ता	सदस्य
ίV	डॉ. एस. राजगोपाल	सदस्य
٧	श्री आर. एल. सायदीवाल	सदस्य
vi	श्री संजीव जैन	सदस्य

4.1 Management Committee:

The Management Committee (MC) of the Board is constituted with six members as per provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. Functions and duties of the Management Committee are as under:

- a) Sanction of credit and investment proposals,
- b) Sanction of loan compromise / write off proposals,
- Approve proposals relating to acquiring of premises/ quarters and
- d) Any other matter referred by the Board.

The Committee met 12 times during the period under review on the following dates:

27.04.13	18.05.13	14.06.13	29.07.13	31.08.13	28.09.13
29.10.13	20.11.13	09.12.13	31.01.14	07.03.14	25.03.14

The details of attendance of the Directors at the aforesaid meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri Narendra Singh	01.04.2013 to 30.09.2013	06	06
Shri Sushil Muhnot	09.11.2013 to 31.03.2014	05	05
Shri C.VR. Rajendran	01.04.2013 to 13.12.2013	09	08
Shri R Athmaram	07.08.2013 to 31.03.2014	08	08
Shri R K Gupta	31.12.2013 to 31.03.2014	03	03
Ms. Kamala Rajan	01.04.2013 to 28.02.2014	10	05
Dr. S. Rajagopal	13.03.2014 to 31.03.2014	01	01
Shri. S. D. Dhanak	01.04.2013 to 18.06.2013	03	03
Dr. N.K. Drall	19.06.2013 to 15.11.2013	04	04
Dr. S. U. Deshpande	18.05.2013 to 17.11.2013 02.02.2014 to 15.03.2014	07	07
Shri R.C. Agrawal	01.04.2013 to 05.04.2013 02.08.2013 to 01.02.2014	07	07
Dr. R.K. Agrawal	01.04.2013 to 22.07.2013 09.12.2013 to 31.01.2014	05	05
Shri R.L. Saydiwal	18.11.2013 to 31.03.2014	05	05
Shri. Sanjeev Jain	01.02.2014 to 31.03.2014	02	02

The composition of the Committee as on 31st March 2014 is as under:

i	Shri Sushil Muhnot	Chairman
ii	Shri R. Athmaram	Member
iii	Shri R.K. Gupta	Member
iv	Dr. S. Rajagopal	Member
V.	Shri R.L. Saydiwal	Member
vi.	Shri Sanjeev Jain	Member

4.2 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया है. समिति के प्रत्यायोजित कार्य निम्नानुसार हैं:

- क) मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्य संचालन की देखरेख के साथ-साथ मार्गदर्शन भी प्रदान करती है. समग्र लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली के अंतर्गत बैंक का आंतरिक निरीक्षण एवं आंतरिक लेखा परीक्षा का गुणवत्ता नियंत्रण, संचालन तथा संगठन सहित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरीक्षण तथा बैंक की बाह्य/सांविधिक लेखा परीक्षा का अनुवर्तन शामिल है.
- ख) आंतरिक लेखा परीक्षा के विषय में मंडल की लेखा परीक्षा समिति बैंक में अनुवर्तन की दृष्टि से आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता और प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करती है. मंडल की लेखा परीक्षा समिति विशेषज्ञ व अतिविस्तृत शाखाओं सहित सभी असंतोषजनक योग्यताक्रम वाली शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है.
- ग) विशेष रूप से यह सिमित अंतर-शाखा समायोजन खातों, नॉस्ट्रो खातों और अंतर-बैंक खातों में समाधान न की गई लंबे समय से बकाया प्रविष्टियों, विभिन्न शाखाओं में लेखा बहियों के बकाया मिलान, धोखाधड़ी और गृहवेक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अनुवर्तन करती है.
- घ) मंडल की लेखा परीक्षा समिति अनुपालन अधिकारी से भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही रिपोर्टें प्राप्त कर उनकी समीक्षा करती है.
- ड.) मंडल की लेखा परीक्षा समिति विनियामक लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत किए गए कार्य और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के अनुपालन की निगरानी करती है.
- च) मंडल की लेखा परीक्षा समिति लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन करती है और वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत भी करती है. यह समिति लाँग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए सभी मुद्दों का भी अनुवर्तन करती है.
- छ) लिस्टिंग करार के खंड 49 के अंतर्गत सौंपे गए अन्य मुद्दों पर भी मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) ध्यान देगी.

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति की 12 बैठकें हुईं. बैठकों के दिनांक निम्नानुसार हैं:

29.04.13	18.05.13	14.06.13	02.08.13	31.08.13	28.09.13
29.10.13	09.12.13	20.12.13	31.01.14	12.02.14	25.03.14

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अविध के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर.सी.अग्रवाल	01.04.2013 से 31.03.2014	12	12
श्री सी.वीआर.राजेंद्रन	01.04.2013 से 13.12.2013	08	08
श्री आर. आत्माराम	07.08.2013 से 31.03.2014	08	08
श्री आर. के गुप्ता	31.12.2013 से 31.03.2014	03	03
श्री अतीश सिंह	01.04.2013 से 31.03.2014	12	09
सुश्री कमला राजन	01.04.2013 से 28.02.2014	11	06
डॉ. एस. राजगोपाल	13.03.2014 से 31.03.2014	01	01
डॉ. एन. के दराल	01.04.2013 से 02.08.2013	04	04
डॉ. आर. के. अग्रवाल	02.08.2013 से 31.01.2014	07	07
श्री संजीव जैन	25.03.2014 से 31.03.2014	01	01

श्रीमती एम.पी. देवधर, कंपनी सचिव मंडल की लेखा परीक्षा समिति की सचिव के रूप में कार्य करती हैं.

4.2. Audit Committee of the Board

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India, Audit Committee of Board of Directors (ACB) is constituted. The delegated functions of the Committee are as under:

- a) ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function of the Bank. Total audit function implies the organization, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory / external audit of the Bank and inspection of RBI.
- b) As regards internal audit, ACB reviews the internal inspection/ audit function in the Bank - adequacy of the system, its quality and effectiveness in terms of follow up. ACB also reviews inspection reports of specialized and extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings.
- c) It specifically focuses on the follow up of Inter Branch Adjustment Accounts, Un-reconciled long outstanding entries in Inter Bank Accounts and Nostro Accounts, Position of balancing of books at various branches, frauds and all other major areas of house keeping.
- d) ACB obtains and reviews quarterly reports from the Compliance Officer relating to implementation of various Government and RBI guidelines.
- ACB monitors the work done under concurrent audit, statutory audit and compliance of RBI inspection.
- f) ACB approves the appointment of Statutory Central Auditors and also interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of the annual / half-yearly / quarterly accounts and reports. It also follows up all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).
- g) ACB to take care other issues entrusted to it under clause
 49 of the Listing agreement.

During the year, the ACB met 12 times and the dates of the meetings are as under:

29.04.13	18.05.13	14.06.13	02.08.13	31.08.13	28.09.13
29.10.13	09.12.13	20.12.13	31.01.14	12.02.14	25.03.14

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri R. C. Agrawal	01.04.2013 to 31.03.2014	12	12
Shri C.VR. Rajendran	01.04.2013 to 13.12.2013	08	08
Shri R.Athmaram	07.08.2013 to 31.03.2014	08	08
Shri R.K. Gupta	31.12.2013 to 31.03.2014	03	03
Shri Ateesh Singh	01.04.2013 to 31.03.2014	12	09
Ms. Kamala Rajan	01.04.2013 to 28.02.2014	11	06
Dr. S. Rajagopal	13.03.2014 to 31.03.2014	01	01
Dr. N.K. Drall	01.04.2013 to 02.08.2013	04	04
Dr. R.K. Agrawal	02.08.2013 to 31.01.2014	07	07
Shri Sanjeev Jain	25.03.2014 to 31.03.2014	01	01

Mrs. M.P. Devadhar, Company Secretary, acts as the Secretary to ACB.

31 मार्च 2014 को समिति की संरचना निम्नानुसार रहीः

 i.
 श्री आर.सी. अग्रवाल
 अध्यक्ष

 ii.
 श्री आर. आत्माराम
 सदस्य

 iii.
 श्री आर.के. गुप्ता
 सदस्य

 iv.
 श्री अतीश सिंह
 सदस्य

 v.
 श्री आर.के. अग्रवाल
 सदस्य

 vi.
 श्री संजीव जैन
 सदस्य

4.3 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है. इस समिति में पांच निदेशक सदस्य हैं. समिति समन्वित जोखिम प्रबंधन, जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम विगोपनों को शामिल करते हुए, नीति और रणनीति तैयार करती है

वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की निम्नानुसार 6 बैठकें हुईं.

18.05.13	14.06.13	31.08.13	28.09.13	09.12.13	24.03.14

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अविध के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री नरेंद्र सिंह	01.04.2013 से 30.09.2013	04	04
श्री सुशील मुहनोत	09.11.2013 से 31.03.2014	02	02
श्री सी.वीआर. राजेन्द्रन	01.04.2013 से 13.12.2013	05	05
श्री आर. आत्माराम	07.08.2013 से 31.03.2014	04	04
श्री आर.के. गुप्ता	31.12.2013 से 31.03.2014	01	01
डॉ. एन.के. दराल	01.04.2013 से 20.07.2013	02	02
श्री आर. सी. अग्रवाल	01.04.2013 社 20.07.2013 02.08.2013 社 31.03.2014	06	06
श्री आर. के. अग्रवाल	02.08.2013 से 31.01.2014	03	03

31 मार्च 2014 को समिति की संरचना निम्नानुसार रहीः

i.	श्री सुशील मुहनोत	अध्यक्ष
Ϊ.	श्री आर. आत्माराम	सदस्य
iii.	श्री आर.के. गुप्ता	सदस्य
İ۷.	श्री आर.सी. अग्रवाल	सदस्य
٧.	श्री संजीव जैन	सदस्य

4.4 निवेशकों और शेयरधारकों की शिकायत और शेयर अंतरण समिति

कार्पोरेट गवर्नेन्स पर सेबी के दिशानिर्देशों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए लिस्टिंग समझौते की धारा 49 के अनुसार शेयरों के अंतरण, रिफंड आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश इत्यादि प्राप्त न होने से संबंधित शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों का निपटारा करने हेतु समिति का गठन किया गया है। जैसा उक्त धारा में अपेक्षित है, गैर-कार्यपालक निदेशक डॉ. डी.एस. पटेल अपना कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 31.01.2014 तक इस समिति के अध्यक्ष थे। तदुपरान्त श्री आर.सी. अग्रवाल को समिति में नामित किया गया और चूंकि वे समिति में गैर कार्यपालक निदेशक थे अतः उन्हें समिति का अध्यक्ष बनाया गया।

The composition of the Committee as on 31st March, 2014 is as under:

i.	Shri R.C. Agrawal	Chairman
ii.	Shri R.Athmaram	Member
iii.	Shri R.K.Gupta	Member
iv.	Shri.Ateesh Singh	Member
V.	Dr.S.Rajagopal	Member
vi.	Shri.Sanjeev Jain	Member

4.3 Risk Management Committee of the Board:

The Risk Management Committee of the Board has been constituted with Five Directors as members of the Committee as per the guidelines issued by Reserve Bank of India to devise a policy and strategy for Integrated Risk Management containing various risk exposures of the Bank including the credit risk.

The Committee met 06 times during the year as under.

18.05.13 14.06.13 31.08.13 28.09.13 09.12.13 24.03.14

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri Narendra Singh	01.04.2013 to 30.09.2013	04	04
Shri. Sushil Muhnot	09.11.2013 to 31.03.2014	02	02
Shri C.VR. Rajendran	01.04.2013 to 13.12.2013	05	05
Shri R. Athmaram	07.08.2013 to 31.03.2014	04	04
Shri R.K. Gupta	31.12.2013 to 31.03.2014	01	01
Dr. N.K. Drall	01.04.2013 to 20.07.2013	02	02
Shri R.C. Agrawal	01.04.2013 to 20.07.2013 02.08.2013 to 31.03.2014	06	06
Dr. R.K. Agrawal	02.08.2013 to 31.01.2014	03	03

The composition of the Committee as on 31st March, 2014 is as under:

i.	Shri Sushil Muhnot	Chairmar
ii.	Shri R.Athmaram	Member
iii.	Shri R.K.Gupta	Member
iv.	Shri R.C. Agrawal	Member
V.	Shri Sanjeev Jain	Member

4.4 Investors' and Shareholders' Grievances and Share Transfer Committee:

In compliance with SEBI guidelines on Corporate Governance as well as Clause 49 of the Listing Agreement, the Committee was constituted to look into the redressal of investors' and Shareholders' grievances regarding transfer of shares, non-receipt of refund orders, share certificates, dividend warrants etc. Dr. D. S. Patel, Non Executive Director was the Chairman of the Committee as required in the said clause till 31.01.2014 when his tenure got over. Thereafter, Shri R.C. Agrawal was nominated to the committee and as he was the Non Executive Director on the Committee, he was made Chairman of the Committee.

समिति ने शेयर अंतरण से संबंधित विभिन्न मामलों पर भी विचार किया। वर्ष के दौरान सिमिति ने माह में तीन बार परिचालन के द्वारा संकल्प अपनाते हुए शेयर अंतरण, शेयरों का ट्रान्सिमशन और डुप्लिकेट शेयर जारी करने का अनुमोदन किया।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 4 बैठकें हुईं.

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
डॉ. डी.एस. पटेल	01.04.2013 to 31.01.2014	04	04
श्री आर.सी. अग्रवाल	25.03.2014 से 31.03.2014	शून्य	शून्य
श्री सी.वीआर.राजेंद्रन	01.04.2013 से 13.12.2013	03	03
श्री आर. आत्माराम	07.08.2013 से 31.03.2014	03	03
श्री आर.के. गुप्ता	31.12.2013 से 31.03.2014	01	01
श्री एस.डी. धनक	01.04.2013 से 20.07.2013	01	01
श्री आर.एल. सायदीवाल	02.08.2013 से 31.03.2014	03	03
डॉ. एस.यू. देशपांडे	01.04.2013	04	04
डॉ. एन.के. दराल	02.08.2013 से 15.11.2013	01	01

31 मार्च 2014 को समिति की संरचना निम्नानुसार रहीः

i. श्री आर.सी. अग्रवाल

अध्यक्ष

ii. श्री आर. आत्माराम

सदस्य

iii. श्री आर.के. गुप्ता

सदस्य

v. श्री आर.एल. सायदीवाल

सदस्य

वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैं:

01.04.2013 को लंबित शिकायतों की संख्या	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	387
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	387
31.03.2014 को लंबित शिकायतों की संख्या	0

शेयरों को भौतिक रूप से डी-मैट में बदलने के लिए कोई भी आवेदन लंबित नहीं था.

बैंक के निवेशकों की शिकायतों और स्टॉक एक्सचेंज के अनुपालन के संबंध में श्रीमती एम.पी. देवधर, कंपनी सचिव को बैंक का अनुपालन अधिकारी पदनामित किया गया है.

4.5 बड़ी राशि वाली जालसाजियों की निगरानी हेतू विशेष समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार यह समिति गठित की गई है. सिमिति में 5 निदेशक सदस्य हैं जो उच्च मूल्य वाली जालसाजियों की निगरानी करते हैं। सिमिति का मुख्य कार्य ₹ 1.00 करोड़ एवं उससे अधिक की सभी जालसाजियों की निगरानी एवं समीक्षा करना है।

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नानुसार हुईं:

14.06.13	28.09.13	09.12.13	24.03.14
----------	----------	----------	----------

The Committee also considered various matters pertaining to share transfers. During the year, the Committee approved share transfers, transmission of shares and issuance of duplicate share certificates by adopting resolutions by circulation thrice in a month.

The Committee met 4 times during the year as under:

14.06.13	28.09.13	09.12.13	31.01.14

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenures are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Dr. D. S. Patel	01.04.2013 to 31.01.2014	04	04
Shri R.C. Agrawal	25.03.2014 to 31.03.2014	Nil	Nil
Shri C.VR. Rajendran	01.04.2013 to 13.12.2013	03	03
Shri R Athmaram	07.08.2013 to 31.03.2014	03	03
Shri R.K. Gupta	31.12.2013 to 31.03.2014	01	01
Shri S.D. Dhanak	01.04.2013 to 20.07.2013	01	01
Shri R.L. Saydiwal	02.08.2013 to 31.03.2014	03	03
Dr. S. U. Deshpande	01.04.2013 to 20.07.2013 02.08.2013 to 15.03.2014	04	04
Dr. N.K. Drall	02.08.2013 to 15.11.2013	01	01

The composition of the Committee as on 31st March, 2014 is as under:

i. Shri R.C. Agrawal

Chairman

. Shri R. Athmaram

Member

i. Shri R.K. Gupta

Member

iv. Shri R.L. Saydiwal

Member

The position of complaints received and resolved during the year is as under:

Number of complaints pending as on 01.04.2013	0
Number of complaints received during the year	387
Number of complaints resolved during the year	387
Number of complaints pending as on 31.03.2014	0

There were no pending applications for conversion of shares in physical form to Demat form.

Mrs. M.P. Devadhar, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer of the Bank in respect of compliance to the stock exchanges and investor grievances of the Bank.

4.5 Special Committee to Monitor Large Value Frauds:

As per the directions of Reserve Bank of India, the Committee, comprising of five Directors as members, was constituted to monitor large value frauds. The major functions of the Committee include monitoring and review of all the frauds of ₹ 1.00 crore and above.

The Committee met 4 times during the year as under:

14.06.13	28.09.13	09.12.13	24.03.14

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अविध के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री नरेंद्र सिंह	01.04.2013 से 30.09.2013	02	02
श्री सुशील मुहनोत	09.11.2013 से 31.03.2014	02	02
श्री सी.वीआर. राजेंद्रन	01.04.2013 से 13.12.2013	03	03
श्री आर. आत्माराम	07.08.2013 से 31.03.2014	03	03
श्री आर.के. गुप्ता	31.12.2013 से 31.03.2014	01	01
श्री अतीश सिंह	01.04.2013 से 31.03.2014	04	03
डॉ. डी.एस. पटेल	01.04.2013 से 20.07.2013 02.08.2013 से 31.01.2014	03	03
श्री आर. सी. अग्रवाल	01.04.2013 से 20.07.2013 02.08.2013 से 31.03.2014	04	04

31 मार्च 2014 को समिति की संरचना निम्नानुसार रहीः

i.	श्री सुशील मुहनोत	अध्यक्ष
ii.	श्री आर. आत्माराम	सदस्य
iii.	श्री आर.के. गुप्ता	सदस्य
iv.	श्री अतीश सिंह	सदस्य
٧.	श्री आर.सी. अग्रवाल	सदस्य

4.6 निदेशक पदोन्नति समिति

वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नतियों हेतु अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकों वाली एक समिति का गठन किया गया है. यह समिति सतर्कता अनुशासिनक मामलों तथा विभागीय कार्रवाइयों की समीक्षा भी करती है, जिसके लिए कार्यपालक निदेशक भी इस समिति के साथ संबद्ध होते हैं.

वर्ष के दौरान समिति की 2 बैठकें निम्नानुसार हुईं.

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अविध के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री नरेंद्र सिंह	01.04.2013 से 30.09.2013	01	01
श्री सुशील मुहनोत	09.11.2013 से 31.03.2014	01	01
श्री सी.वीआर. राजेंद्रन	01.04.2013 से 13.12.2013	01	01
श्री आर.के. गुप्ता	31.12.2013 से 31.03.2014	शून्य	शून्य
श्री अतीश सिंह	01.04.2013 से 31.03.2014	02	02
सुश्री कमला राजन	01.04.2013 से 28.02.2014	02	02

31 मार्च 2014 को समिति की संरचना निम्नानुसार रहीः

i.	श्री सुशील मुहनोत	अध्यक्ष
ii.	श्री आर. आत्माराम	सदस्य
iii.	श्री आर.के. गुप्ता	सदस्य
iv.	श्री अतीश सिंह	सदस्य
٧.	डॉ. एस. राजगोपाल	सदस्य

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenures are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri Narendra Singh	01.04.2013 to 30.09.2013	02	02
Shri Sushil Muhnot	09.11.2013 to 31.03.2014	02	02
Shri C.VR. Rajendran	01.04.2013 to 13.12.2013	03	03
Shri R. Athmaram	07.08.2013 to 31.03.2014	03	03
Shri R.K. Gupta	31.12.2013 to 31.03.2014	01	01
Shri Ateesh Singh	01.04.2013 to 31.03.2014	04	03
Dr. D. S. Patel	01.04.2013 to 20.07.2013 02.08.2013 to 31.01.2014	03	03
Shri R.C. Agrawal	01.04.2013 to 20.07.2013 02.08.2013 to 31.03.2014	04	04

The composition of the Committee as on 31st March 2014 is as under:

i.	Shri Sushil Muhnot	Chairmar
ii.	Shri R. Athmaram	Member
iii.	Shri R.K. Gupta	Member
iv.	Shri Ateesh Singh	Member
V.	Shri R.C. Agrawal	Member

4.6 Directors' Promotion Committee:

A Committee of Directors consisting of Chairman and Managing Director and the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level. The Committee also deals with review of vigilance disciplinary cases and departmental enquiries, for which the Executive Director is also associated with this committee

The Committee met 2 times during the year as under:

28.09.13	31.01.14
----------	----------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri Narendra Singh	01.04.2013 to 30.09.2013	01	01
Shri Sushil Muhnot	09.11.2013 to 31.03.2014	01	01
Shri C.VR. Rajendran	01.04.2013 to 13.12.2013	01	01
Shri R.K. Gupta	31.12.2013 to 31.03.2014	Nil	Nil
Shri Ateesh Singh	01.04.2013 to 31.03.2014	02	02
Ms. Kamala Rajan	01.04.2013 to 28.02.2014	02	02

The composition of the Committee as on 31st March 2014 is as under.

ii. Shri R. Athmaram Memberiii. Shri R.K. Gupta Memberiii. Shri Ateesh Singh Memberiv. Dr. S. Rajagopal Member	i.	Shri Sushil Muhnot	Chairman
iii. Shri Ateesh Singh Member	ii.	Shri R. Athmaram	Member
ŭ	iii.	Shri R.K. Gupta	Member
iv. Dr. S. Rajagopal Member	iii.	Shri Ateesh Singh	Member
	iv.	Dr. S. Rajagopal	Member

4.7 ग्राहक सेवा समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक की ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर प्राप्त प्रति-सूचनाओं का पुनरीक्षण करने और बैंक की कार्यविधियों और प्रणालियों में सतत आधार पर सुधार लाकर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता सुधारने हेतु नवोन्मेषी उपाय अपनाने के लिए समिति का गठन किया गया है.

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नानुसार हुईं.

14.06.13	28.09.13	09.12.13	24.03.14

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अविध के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री नरेंद्र सिंह	01.04.2013 to 30.09.2013	02	02
श्री सुशील मुहनोत	09.11.2013 to 31.03.2014	02	02
श्री सी.वीआर. राजेंद्रन	01.04.2013 to 13.12.2013	03	03
श्री आर. आत्माराम	07.08.2013 to 31.03.2014	03	03
श्री आर.के. गुप्ता	31.12.2013 to 31.03.2014	01	01
श्री एस.डी.धनक	01.04.2013 to 20.07.2013	01	01
डॉ. डी.एस. पटेल	02.08.2013 to 31.01.2014	02	02
डॉ. एन.के.दराल	01.04.2013 to 20.07.2013 02.08.2013 to 15.11.2013	02	02
डॉ. एस.यू. देशपांडे	01.04.2013 to 20.07.2013 02.08.2013 to 15.03.2014	03	03
श्री आर.एल. सायदीवाल	02.08.2013 to 31.03.2014	03	03

31 मार्च 2014 को समिति की संरचना निम्नानुसार रहीः

i.	श्री सुशील मुहनोत	अध्यक्ष
ii.	श्री आर. आत्माराम	सदस्य
iii.	श्री आर.के. गुप्ता	सदस्य
ίV.	श्री आर.एल. सायदीवाल	सदस्य

4.8 पारिश्रमिक समिति

समिति का गठन पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने तथा उन्हें कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि को निर्धारित करने के लिए किया गया था। समिति में चार सदस्य हैं यथा श्री अतीश सिंह, सुश्री कमला राजन, डॉ. एन.के. दराल तथा श्री आर.सी. अग्रवाल. समिति की बैठक दिनांक 18.05.2013 को हुई तथा पूर्णकालिक निदेशकों को निम्नानुसार कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि का अनुमोदन किया गया।

क्र.	नाम	पद	वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु कार्यनिष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन राशि (₹)
1	श्री नरेन्द्र सिंह	अध्यक्ष व प्रबंध	₹ 8,00,000.00
		निदेशक (01.04.2012	
		से 31.03.2013 तक)	
2	श्री सी. वीआर.	कार्यपालक निदेशक	₹ 6,50,000.00
	राजेन्द्रन	(01.04.2012 से	
		31.03.2013 तक)	

31 मार्च 2014 को समिति की संरचना निम्नानुसार रहीः

i.	श्री अतीश सिंह	अध्यक्ष
ii.	डॉ. एस. राजगोपाल	सदस्य
iii.	श्री आर.सी. अग्रवाल	सदस्य
iv.	श्री संजीव जैन	सदस्य

4.7 Customer Service Committee:

As per the directions of the RBI, the Committee was constituted to review a feed-back on quality of customer service in the Bank and to have innovative measures for enhancing the quality of customer service by bringing about on-going improvements in the systems and procedures of the Bank.

The Committee met 4 times during the year as under:

14.06.13	28.09.13	09.12.13	24.03.14

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri Narendra Singh	01.04.2013 to 30.09.2013	02	02
Shri Sushil Muhnot	09.11.2013 to 31.03.2014	02	02
Shri C.VR. Rajendran	01.04.2013 to 13.12.2013	03	03
Shri R. Athmaram	07.08.2013 to 31.03.2014	03	03
Shri R.K. Gupta	31.12.2013 to 31.03.2014	01	01
Shri S.D. Dhanak	01.04.2013 to 20.07.2013	01	01
Dr. D.S. Patel	02.08.2013 to 31.01.2014	02	02
Dr. N.K. Drall	01.04.2013 to 20.07.2013 02.08.2013 to 15.11.2013	02	02
Dr. S. U. Deshpande	01.04.2013 to 20.07.2013 02.08.2013 to 15.03.2014	03	03
Shri R.L. Saydiwal	02.08.2013 to 31.03.2014	03	03

The composition of the Committee as on 31st March 2014 is as under:

i.	Shri Sushil Muhnot	Chairman
ii.	Shri R Athmaram	Member
iii.	Shri R K Gupta	Member
iv.	Shri R L Saydiwal	Member

4.8 Remuneration Committee:

The Committee was constituted to evaluate the performance of whole time Directors for determining the performance-linked incentive payable to them. The Committee comprised of four members, namely Shri Ateesh Singh, Ms. Kamala Rajan, Dr.N.K.Drall and Shri R.C.Agrawal. The Committee met on 18.05.2013 and approved the performance linked incentive payable to the whole time Directors as under:

Sr. No.	Name	Designation	Performance Linked Incentives for the FY 2012-13 (₹)
01	Shri Narendra Singh	Chairman and Managing Director (01.04.2012 to 31.03.2013)	₹ 8,00,000.00
02	Shri C VR Rajendran	Executive Director (01.04.2012 to 31.03.2013)	₹ 6,50,000.00

The composition of the Committee as on 31st March 2014 is as under:

i.	Shri Ateesh Singh	Chairman
ii.	Dr.S. Rajagopal	Member
iii.	Shri R C Agrawal	Member
iv.	Shri Sanjeev Jain	Member

4.9. नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्वाचित निदेशकों के उपयुक्त और उचित स्तर की जांच करने और उसे अनुमोदित करने के लिए समिति का गठन किया गया था. समिति में 3 गैर-कार्यपालक निदेशक सदस्य हैं.

समिति की बैठक दिनांक 28.09.2013 को संपन्न हुई। समिति ने दोनों निर्वाचित निदेशकों द्वारा प्रस्तुत घोषणाओं को नोट किया और दोनों को उपयुक्त और उचित स्तर प्रदान किया.

श्री अतीश सिंह, डॉ. एन.के. दराल और श्री आर.सी. अग्रवाल ने बैठक में भाग लिया।

31 मार्च 2014 को समिति की संरचना निम्नानुसार रहीः

- i. श्री अतीश सिंह
- ii. श्री आर.सी.अग्रवाल
- iii. श्री संजीव जैन

4.10 प्रौद्योगिकी समिति

सूचना प्रौद्योगिकी की उचित रणनीति का चयन करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी की सभी रणनीतिक योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी गवर्नेंस के सभी पहलुओं की देखरेख हेतु निदेशक मंडल की प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया था।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 7 बैठकें हुईं :

17.05.13 18	8.05.13 14.06.13	28.09.13	09.12.13	25.01.14	24.03.14
-------------	------------------	----------	----------	----------	----------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री सी.वीआर. राजेंद्रन	01.04.2013 से 13.12.2013	05	05
श्री आर. आत्माराम	07.08.2013 से 31.03.2014	04	04
श्री आर.के. गुप्ता	31.12.2013 से 31.03.2014	02	02
डॉ. एन.के. दराल	01.04.2013 से 20.07.2013 02.08.2013 से 15.11.2013	04	04
श्री आर.सी. अग्रवाल	02.08.2013 से 01.08.2014	04	04
डॉ. एस.यू. देशपांडे	01.04.2013 से 20.07.2013 02.08.2013 से 15.03.2014	06	06
डॉ. आर.के. अग्रवाल	02.08.2013 से 31.01.2014	03	03

31 मार्च 2014 को समिति की संरचना निम्नानुसार रहीः

ं. श्री आर.सी. अग्रवाल अध्यक्षंi. श्री आर. आत्माराम सदस्यiii. श्री आर.के. गुप्ता सदस्य

4.11 जिन कंपनियों में बैंक की इक्विटी है, उनमें निदेशक के निर्वाचन में उम्मीदवारों की सहायता हेतु समिति

पिछली बार यह समिति 26 मई 2012 को गठित की गई थी और वर्तमान में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक ही इस समिति के एकमात्र सदस्य हैं। चूंकि बैंक की अन्य कंपनियों में इक्विटी नहीं हैं, अतः इस स्तर पर समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है।

वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई.

4.12 वसुली की निगरानी हेतु समिति

यह समिति वित्तीय सेवाएं विभाग के दिनांक 21 नवंबर 2012 के पत्र क्र. एफ क्र.7/112/2012- बीओए द्वारा दिए गए भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार गठित की गई है. समिति का गठन मासिक आधार पर वसूली की निगरानी हेतु किया गया था.

4.9 Nomination Committee:

In terms of RBI guidelines, the Committee was constituted to examine and accord 'fit and proper' status in respect of the elected directors. The Committee comprised of three non-executive directors.

The Committee met on 28.09.2013 and noted the declarations filed by the elected director and accorded fit and proper status to both of them.

Shri Ateesh Singh, Dr N K Drall and Shri R C Agrawal attended the meeting.

The composition of Nomination Committee as on March 31, 2014 is as under:

- i. Shri. Ateesh Singh
- ii. Shri R. C. Agrawal
- iii. Shri.Sanjeev Jain

4.10 Technology Committee

The Technology Committee of the Board was constituted in the Bank to deal with all aspects of IT Governance including choosing the right IT strategy and monitoring implementation of all strategic IT plans.

The Committee met 7 times during the year as under:

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri C.VR. Rajendran	01.04.2013 to 13.12.2013	05	05
Shri R. Athmaram	07.08.2013 to 31.03.2014	04	04
Shri R.K. Gupta	31.12.2013 to 31.03.2014	02	02
Dr. N.K. Drall	01.04.2013 to 20.07.2013 02.08.2013 to 15.11.2013	04	04
Shri R.C. Agrawal	02.08.2013 to 01.08.2014	04	04
Dr. S. U. Deshpande	01.04.2013 to 20.07.2013 02.08.2013 to 15.03.2014	06	06
Dr. R.K. Agrawal	02.08.2013 to 31.01.2014	03	03

The composition of the Committee as on March 31, 2014 is as under:

i. Shri.R.C. Agrawal Chairmanii. Shri R. Athmaram Memberiii. Shri R.K. Gupta Member

4.11 Committee for supporting candidates in election for Director in Companies where the Bank has Equity

This committee was last formed on 26th May 2012 and at present Chairman and Managing Director is the only member on the Committee. Since Bank is not having equity in other companies, necessity of the committee is not required at this stage.

No committee meeting was held during the financial year.

4.12 Committee for Monitoring of Recovery

The committee is formed as per the direction of Government of India vide letter No. F No 7/112/2012-BOA dated 21st November 2012 from Department of Financial Services. The committee was formed for monitoring of recovery on monthly basis.

वर्ष के दौरान समिति की 7 बैठकें निम्नानुसार हुईं.

18.05.13	02.08.13	31.08.13	28.09.13	09.12.13	31.01.14	24.03.14
10.00.10	02.00.10	01.00.10	20.00.10	00.12.10	01.01.11	

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अविध के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री नरेन्द्र सिंह	01.04.2013 से 30.09.2013	04	04
श्री सुशील मुहनोत	09.11.2013 से 31.03.2014	03	03
श्री सी.वीआर.राजेंद्रन	01.04.2012 से 13.12.2013	05	05
श्री आर. आत्माराम	07.08.2013 से 31.03.2014	05	05
श्री आर.के. गुप्ता	31.12.2013 से 31.03.2014	02	02
श्री अतीश सिंह	01.04.2013 से 31.03.2014	07	07

दिनांक 31.03.2014 को समिति की संरचना निम्नानुसार है:

i. श्री सुशील मुहनोत अध्यक्ष
 ii. श्री आर. आत्माराम सदस्य
 iii. श्री आर.के. गुप्ता सदस्य
 iv. श्री अतीश सिंह सदस्य

4.13 ऋण अनुमोदन समिति

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970/80 में संशोधन के अनुसरण में मंडल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन दिनांक 10 फरवरी 2012 को किया गया. समिति को ₹ 250.00 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव और ऋण समझौता/बट्टे खाते प्रस्तावों के संबंध में बोर्ड के अधिकार प्रदान किए गए हैं. प्रावधानों के अनुसार समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- i. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
- ii. कार्यपालक निदेशक
- iii. महाप्रबंधक, ऋण
- iv. महाप्रबंधक, ऋण प्राथमिकता
- v. महाप्रबंधक, वसूली व विधि सेवाएं
- vi. महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा
- vii. महाप्रबंधक, समन्वित जोखिम प्रबंधन

वर्ष के दौरान समिति की 33 बैठकें निम्नानुसार हुईं.

क्रं.	दिनांक	क्रं.	दिनांक
01	15.04.13	18	12.09.13
02	20.04.13	19	13.09.13
03	07.05.13	20	20.09.13
04	10.05.13	21	21.09.13
05	11.05.13	22	26.09.13
06	23.05.13	23	20.11.13
07	04.06.13	24	12.12.13
08	19.06.13	25	26.12.13

The Committee met 7 times during the year as under:

	18.05	13 02.08.13	31.08.13	28.09.13	09.12.13	31.01.14	24.03.14
--	-------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri Narendra Singh	01.04.2013 to 30.09.2013	04	04
Shri Sushil Muhnot	09.11.2013 to 31.03.2014	03	03
Shri C.VR. Rajendran	01.04.2013 to 13.12.2013	05	05
Shri R. Athmaram	07.08.2013 to 31.03.2014	05	05
Shri R.K. Gupta	31.12.2013 to 31.03.2014	02	02
Shri Ateesh Singh	01.04.2013 to 31.03.2014	07	07

The composition of the Committee as on March 31, 2014 is as under:

Shri Sushil Muhnot Chairman
 Shri R. Athmaram Member
 Shri R.K. Gupta Member
 Shri Ateesh Singh Member

4.13 Credit Approval Committee

The Credit Approval Committee of the Board was constituted on 10th February 2012 following the amendment to Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80. The Committee is vested with the powers of the Board with regard to credit proposals up to ₹ 250.00 crore and loan compromise/write off proposals. In terms of the provisions, the constitution of the Committee is as follows.

- i. Chairman & Managing Director
- ii. Executive Director/s
- iii. General Manager, Credit
- iv. General Manager, Credit Priority
- v. General Manager, Recovery and Legal Services.
- vi. General Manager, Financial Management & Accounts
- vii. General Manager, Integrated Risk Management

The Committee met 33 times during the year on the dates given below.

Sr.No.	Date	Sr.No.	Date
01	15.04.13	18	12.09.13
02	20.04.13	19	13.09.13
03	07.05.13	20	20.09.13
04	10.05.13	21	21.09.13
05	11.05.13	22	26.09.13
06	23.05.13	23	20.11.13
07	04.06.13	24	12.12.13
08	19.06.13	25	26.12.13

क्रं.	दिनांक	क्रं.	दिनांक
09	28.06.13	26	31.12.13
10	29.06.13	27	16.01.14
11	15.07.13	28	22.01.14
12	24.07.13	29	01.02.14
13	29.07.13	30	17.02.14
14	19.08.13	31	03.03.14
15	20.08.13	32	18.03.14
16	23.08.13	33	28.03.14
17	28.08.13		

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री नरेंद्र सिंह	01.04.2013 से 30.09.2013	22	22
श्री सुशील मुहनोत	09.11.2013 से 31.03.2014	11	11
श्री सी.वीआर.राजेंद्रन	01.04.2013 से 13.12.2013	24	16
श्री आर. आत्माराम	07.08.2013 से 31.03.2014	20	18
श्री आर.के. गुप्ता	31.12.2013 से 31.03.2014	07	07

इन बैठकों में निम्नलिखित कार्यपालक भी शामिल हुएः

- i. महाप्रबंधक, ऋण
- ii. महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा
- iii. महाप्रबंधक, समन्वित जोखिम प्रबंधन
- iv. महाप्रबंधक, (ऋण) प्राथमिकता आवश्यक्तानुसार
- v. महाप्रबंधक, वसूली आवश्यक्तानुसार

4.14 अधिकारी सेवा विनियमावली के अंतर्गत आवेदन की समीक्षा हेतु समितिः

इस समिति का गठन अधिकारी सेवा विनियमावली के अंतर्गत अनुशासिनक मामलों के संबंध में, जब और जैसी आवश्यकता हो, समीक्षा आवेदनों (यिद कोई हों) पर विचार-विमर्श हेतु किया गया। दिनांक 20.12.2013 और 30.01.2014 को समिति की बैठकें हुईं। निम्नलिखित सदस्यों ने उपर्युक्त बैठकों में भाग लिया।

- i. डॉ. डी.एस. पटेल
- ii. श्री आर.सी. अग्रवाल और
- iii. श्री संजीव जैन

4.15 अन्य समितियां

विभिन्न विशिष्ट विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा और संचालनगत मार्गदर्शन/मंजूरियों हेतु कार्यपालकों की कुछ अन्य समितियां जैसे आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को), परिसर समिति, उच्च अधिकार प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी

Sr.No.	Date	Sr.No.	Date
09	28.06.13	26	31.12.13
10	29.06.13	27	16.01.14
11	15.07.13	28	22.01.14
12	24.07.13	29	01.02.14
13	29.07.13	30	17.02.14
14	19.08.13	31	03.03.14
15	20.08.13	32	18.03.14
16	23.08.13	33	28.03.14
17	28.08.13		

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as Under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri Narendra Singh	01.04.2013 to 30.09.2013	22	22
Shri Sushil Muhnot	09.11.2013 to 31.03.2014	11	11
Shri C.VR. Rajendran	01.04.2013 to 13.12.2013	24	16
Shri R. Athmaram	07.08.2013 to 31.03.2014	20	18
Shri R.K. Gupta	31.12.2013 to 31.03.2014	07	07

The meetings were also attended by the following executives.

- i. General Manager, Credit
- ii. General Manager, Financial Management & Accounts
- iii. General Manager, Integrated Risk Management
- iv. General Manager, Credit Priority As per requirement
- v. General Manager, Recovery- As per requirement

4.14 The Committee to Review application under Officers' Service Regulation :

This committee has been formed to discuss the review applications, if any, under Officers' Service Regulations in respect of disciplinary matters, as and when required. The committee met on 20.12.2013 and 30.01.2014. The following members attended the above meetings.

- i) Dr D S Patel
- ii) Shri R C Agrawal and
- iii) Shri Sanjeev Jain

4.15 Other Committees:

There are also other Committees of executives viz.,
Asset Liability Management Committee (ALCO), Premises
Committee, High Power IT Committee, System & Procedure
Committee, Investment Committee, Top Management

समिति, प्रणाली एवं क्रियाविधि समिति, निवेश समिति, उच्च प्रबंधन समिति, उच्च स्तरीय ऋण समिति तथा लेखा परीक्षा समिति इत्यादि हैं.

निदेशकों का पारिश्रमिक

बैंक का अभिशासन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अधीन होता है। बैंक गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सिटिंग फीस और वास्तविक यात्रा खर्च को छोड़कर किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं देता है।

भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशकों (तीन पूर्णकालिक निदेशकों) को वेतन के माध्यम से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक और कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों का विवरण निम्नानुसार है -

क) वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान अदा किया गया वेतन

क्रमांक	नाम	पदनाम	राशि (₹)
1	श्री सुशील मुहनोत (09.11.2013 से)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	7,19,466.67
2	श्री नरेन्द्र सिंह (30.09.2013 तक)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	8,94,594.60
3	श्री आर. आत्माराम (07.08.2013 से)	कार्यपालक निदेशक	9,65,354.84
4	श्री आर.के. गुप्ता (31.12.2013 से)	कार्यपालक निदेशक	4,94,000.00
5	श्री सी.वीआर. राजेन्द्रन (13.12.2013 तक)	कार्यपालक निदेशक	10,87,661.75

ख) वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान अदा किए गए कार्यनिष्पादन से जुडे प्रोत्साहन (वित्तीय वर्ष 2012-13 के कार्यनिष्पादन हेतु)

क्रमांक	नाम	पदनाम	राशि (₹)
1	श्री नरेन्द्र सिंह	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	8,00,000
2	श्री सी.वीआर. राजेन्द्रन	कार्यपालक निदेशक	6,50,000

वर्ष 2013-14 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रदत्त कुल सिटिंग फीस निम्नानुसार है: (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि निदेशक और भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक निदेशक को कोई सिटिंग फीस देय नहीं है)।

क्र.	निदेशक का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
1	डॉ. डी.एस. पटेल	145000
2	श्री एस.डी. धनक	55000
3	डॉ. एन.के. दराल	165000
4	श्री आर.सी. अग्रवाल	295000
5	डॉ. एस.यू. देशपांडे	200000
6	डॉ. आर.के. अग्रवाल	185000
7	श्री आर.एल. सायदीवाल	135000
8	श्री संजीव जैन	85000
	कुल	1265000

Committee, High Level Credit Committee and Audit Committee of Executives for reviewing functioning in various specific areas and giving operational directions/sanctions.

5. Remuneration of Directors:

The Bank is governed by the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Bank does not pay any remuneration to the Non Executive Directors apart from sitting fees as fixed by the Government of India and travel expenses, on actual basis.

The Chairman and Managing Director and executive Directors (3 whole time directors) are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Govt. of India. The details of remunerations and the Performance Linked Incentives paid to Chairman & Managing Director and Executive Directors is detailed below:

A) Salary paid during the Financial Year 2013-14

Sr.No.	Name	Designation	Amount ₹
1	Shri S. Muhnot (From 09.11.2013)	Chairman & Managing Director	7,19,466.67
2	Shri Narendra Singh (Till 30.09.2013)	Chairman &Managing Director	8,94,594.60
3	Shri R. Athmaram (From 07.08.2013)	Executive Director	9,65,354.84
4	Shri R.K. Gupta (From 31.12.2013)	Executive Director	4,94,000.00
5	Shri. C.VR. Rajendran (Till13.12.2013)	Executive Director	10,87,661.75

B) Performance linked Incentive paid during the Financial Year 2013-14 (For the performance of FY 2012-13)

,	Sr.No.	Name	Designation	Amount ₹
	1	Shri Narendra Singh	Chairman &Managing Director	8,00,000
	2	Shri. C.VR. Rajendran	Executive Director	6,50,000

The total Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the year 2013-14 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and director representing Government of India and official Director representing Reserve Bank of India).

Sr. No.	Name of the Director	Amount Paid (₹)
01	Dr. D. S. Patel	145000
02	Shri S. D. Dhanak	55000
03	Dr. N.K. Drall	165000
04	Shri R.C. Agrawal	295000
05	Dr. S. U. Deshpande	200000
06	Dr. R.K. Agrawal	185000
07	Shri R.L. Saydiwal	135000
08	Shri Sanjeev Jain	85000
	Total	1265000

सर्वसाधारण बैठकें :

6.1 पिछले तीन वर्ष के दौरान आयोजित बैंक के शेयरधारकों की सर्वसाधारण बैठकों के विवरण निम्नानुसार हैं:

6. General Body Meetings:

6.1 Details of General Body Meetings of shareholders held during the last three years are given below:

प्रकार	दिनांक व समय	स्थान	उद्देश्य
Nature	Date & Time	Venue	Purpose
8वीं वार्षिक साधारण बैठक Eighth Annual General Meeting	27 जून 2011 को प्रातः 11.30 बजे At 11.30 a.m. on 27th June 2011	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर पुणे - 411005 Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune-411 005	वर्ष 2010-2011 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना और लाभांश की घोषणा Adoption of audited Annual accounts and declaration of dividend for the year 2010-11.
সমাधাरण बैठक Extra Ordinary General Meeting	26 मार्च 2012 को प्रातः 10.30 बजे At 10.30 a.m. on 26th March 2012	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर पुणे - 411005 Appasaheb Joag Hall. Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune-411 005.	भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम को ईक्विटी शेयरों के अधिमान आबंटन को विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदन Approval for issue of equity share capital on preferential basis to Government of India and LIC of India by Special Resolution
9वीं वार्षिक साधारण बैठक Ninth Annual General Meeting	25 जून 2012 को प्रातः 10.30 ਕਤੇ At 10.30 a.m. on 25th June 2012	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर पुणे -411005 Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune-411 005	वर्ष 2011-2012 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना और लाभांश की घोषणा Adoption of audited Annual accounts and declaration of dividend for the year 2011-12
সমাधাरण बैठक Extra Ordinary General Meeting	18 मार्च, 2013 को प्रातः 10.30 बजे At 10.30 a.m. on 18th March 2013	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर पुणे - 411005 Appasaheb Joag Hall. Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune-411 005.	भारत सरकार को ईक्विटी शेयरों के अधिमान आबंटन को विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदन और एफपीओ / अधिकार / क्यूआईपी निर्गम के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी जारी करने हेतु अनुमोदन Approval for issue of equity share capital on preferential basis to Government of India by Special Resolution and approval for issue of equity share capital in the form of FPO/Rights/QIP issue.
10वीं वार्षिक साधारण बैठक Tenth Annual General Meeting	14 जून 2013 को प्रातः 10.30 बजे At 10.30 a.m. on 14th June 2013	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर पुणे - 411005 Appasaheb Joag Hall. Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune-411 005.	वर्ष 2012-13 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना तथा लाभांश की घोषणा Adoption of audited Annual accounts and declaration of dividend for the year 2012-13.
असाधारण बैठक Extra Ordinary General Meeting	09 दिसंबर, 2013 को प्रातः 10.30 बजे At 10.30 a.m. on 09th December 2013	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर पुणे - 411005 Appasaheb Joag Hall. Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune-411 005.	भारत सरकार को ईक्विटी शेयरों के अधिमान आबंटन को विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदन Approval for issue of equity share capital on preferential basis to Government of India by Special Resolution.

- 6.2 किसी भी वार्षिक साधारण बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नही हुआ।
- 6.3 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपित का एक प्राधिकृत प्रतिनिधि वार्षिक साधारण बैठकों तथा असाधारण बैठकों में भाग लेने के लिए भेजा.

7. प्रकटीकरण

- 7.1 सामान्य बैंकिंग के दौरान होने वाले व्यवहारों को छोड़कर बैंक के प्रवर्तकों/ निदेशकों, प्रबंधन, बैंक की सहायक कंपनियों अथवा रिश्तेदारों इत्यादि के साथ ऐसा कोई उल्लेखनीय संबद्ध संव्यवहार नहीं था जिसका बैंक के हितों से कोई प्रभावी प्रत्यक्ष टकराव हुआ हो.
- 7.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने सेबी के दिनांक 29 अक्तूबर, 2004 के उनके परिपत्र क्रमांक सेबी/सीएफडी/डीआईएल/सीजी/1/2004/12/10 और बाद में दिनांक 13 जनवरी, 2006 के उनके परिपत्र क्रमांक सेबी/सीएफडी/डीआईएल/सीजी/1/2006/13 तथा 16 दिसंबर 2010 के परि/सीएफडी/डीआईएल/10/2010 द्वारा संशोधित तथा लिस्टिंग समझौते के संशोधित खंड 49 में उपलब्ध सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन उस सीमा तक किया है, जहां तक ये उन कानूनों और संबंधित विनियमन प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करते हों और जिनके अंतर्गत बैंक का गठन किया गया है।

- 6.2. No special resolution was passed in any of the Annual General Meetings.
- 6.3 The Ministry of Finance, Government of India had sent an authorized representative of President of India, to attend the Annual General Meetings and Extraordinary General Meetings of the Bank.

Disclosures:

- 7.1 Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoters / Directors, Management, their subsidiaries, or relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- 7.2 During the year under review, the Bank has complied with all mandatory requirements, to the extent applicable, as provided in the revised Clause 49 of the Listing Agreement, as advised by SEBI vide its circular SEBI / CFD / DIL / CG / 1 / 2004/12/10 dated 29th October 2004 and later amended vide its circulars SEBI / CFD / DIL / CG / 1 / 2006 / 13 dated 13th January, 2006 and Cir/CFD/DIL/10/2010 dated 16th December 2010, to the extent they do not violate the statutes under which the Bank is constituted and guidelines or directives issued by the relevant regulatory authorities.

7.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने पूंजी बाजार से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया।

वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित दण्ड लगाए गए -

- क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों का अनुपालन न करने के कारण ₹ 50.00 लाख का दण्ड लगाया गया।
- ख) फेमा, 1999 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के कारण ₹ 0.10 लाख का दण्ड लगाया गया।

उपर्युक्त घटनाओं को छोड़कर विनियामक प्राधिकारियों यथा सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या किसी अन्य संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा कानून, दिशानिर्देश और निर्देश या पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले का उल्लंघन करने के लिए बैंक पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

- 7.4 प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण निदेशकों की रिपोर्ट के अंग है।
- 7.5 लिस्टिंग समझौते के खंड 49 का अनुपालन

बैंक ने जिस सीमा तक लागू है, उस सीमा तक खंड 49 की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन करने हेतु कदम उठाए।

- क) निम्नलिखित अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया
 - i. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन लिस्टिंग समझौते के खंड 49 के अनुसार बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सीएफओ (महाप्रबंधक-वित्तीय प्रबंधन व लेखा) ने निदेशक मंडल को प्रमाणित किया है कि बैंक के वित्तीय विवरणों में कोई अवास्तविक कथन नहीं है अथवा कोई महत्वपूर्ण जानकारी छोडी नहीं गई है अथवा कोई भ्रामक विवरण नहीं दिया गया है। सभी विवरण मिलकर बैंक के कार्यकलापों का सही और वास्तविक ब्योरा प्रस्तुत करते हैं और वर्तमान लेखा मानकों, लागू कानून और विनियमाविलयों का अनुपालन सिद्ध करते हैं।
 - ii. लेखांकन सुधारों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियां उक्त "एम्फासिस ऑफ मैटर" के अंतर्गत लेखा परीक्षा टिप्पणियों के संबंध में प्रबंधन ने भारिबें के फरवरी 2011 के परिपत्र क्र.डीबीओडी.बीपी. बीसी/80/21.04.18 2010-11 के अनुसार सुधारों के अनुप्रयोग की पुष्टि की है. जिसका बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में किसी अन्य कानून/मानक पर अधिभावी प्रभाव है. संबंधित लेखांकन सुधारों का बैंक के अनुप्रयोजन पर इसका अभिदान है.

ये प्रमाणपत्र वार्षिक रिपोर्ट का अंग हैं।

- ख) निम्नलिखित गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुसरण किया गया
 - i. कार्यपालक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि के भुगतान के अनुमोदन के लिए पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया. अंतिम बैठक दिनांक 18.05.2013 को संपन्न हुई, जिसमें सभी सदस्य उपस्थित थे.
 - ii. निदेशक मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षणः

श्री आर. आत्माराम और श्री संजीव जैन को दिनांक 06 फरवरी, 2014 से 08 फरवरी, 2014 तक दि इंस्टीट्यूट ऑफ पिलक एंटरप्राइजेस, हैदराबाद द्वारा आयोजित "बोर्ड लेवल ओरिएंटेशन प्रोग्राम" में भाग लेने हेतु नामित किया गया।

7.3 During the year under review, the Bank has complied with all requirements regarding capital market related matters.

During the year, following penalties were levied by RBI

- a. Penalty of ₹ 50.00 Lacs was imposed for non compliance of the RBI instructions.
- Penalty of ₹ 0.10 Lac was imposed for violation of certain provisions of FEMA,1999.

Except above incidences, no penalties were imposed nor were any strictures passed against the Bank by Regulatory authorities, viz. SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authorities for non-compliance of any law, guidelines and directives or any matter related to Capital Market.

- 7.4 The Management Discussion and Analysis forms part of the Board of Directors' Report.
- 7.5 Compliance with Clause 49 of the Listing Agreement

The Bank has complied with all the mandatory requirements of Clause 49 to the extent applicable and has also taken steps to comply with other non mandatory requirements.

- a) Following mandatory requirement are complied with:
 - i) CEO/CFO Certification-as per clause 49(V) of the listing agreement, the Chairman & Managing Director- Chief Executive Officer & CFO (General Manager-FM&A) of the Bank have certified to the Board that the financial statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contains statement that might be misleading and that the statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing Accounting Standards, applicable Laws and Regulations.
 - ii) Audit observations on accounting treatment. Regarding audit observation under caption "Emphasis of Matter". Management has affirmed applications of the treatment in terms of RBI Circular No. DBOD.BP.BC/80/21.04.18 2010-11 of February 2011 which has overriding effect any other Law/Standard in relation to Banking sector. This contributed to Bank's application of relevant accounting treatment.

The certificate forms part of the Annual Report.

- b) Following non-mandatory requirements are complied with:
 - Remuneration Committee is formed for approving the payment of performance linked incentive to the executive directors. Last meeting was held on 18.05.2013 and all the members were present.
 - ii) Training of Board members:

Shri R. Athmaram and Shri Sanjeev Jain, were nominated to the 'Board Level Orientation Programme 'conducted by The Institute of Public Enterprises, Hyderabad from 06th February 2014 to 08th February 2014.

- iii. व्हिसल ब्लोअर नीति को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति का अंग बनाया गया।
- iv. शेयरधारकों के अधिकार दिनांक 30.09.2013 को समाप्त छमाही हेतु बैंक के कार्यनिष्पादन संबंधी घोषणा और बैंक के निदेशक मंडल पर श्री सुशील मुहनोत, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, श्री आर. अत्माराम, कार्यपालक निदेशक, श्री संजीव जैन, श्री आर. एल. सायदीवाल, श्री आर. के. गुप्ता, कार्यपालक निदेशक और डॉ. एस. राजगोपाल की नियुक्ति की सूचना वैयक्तिक शेयरधारक को भेजी गई।

संप्रेषण के साधन

बैंक के तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है तथा अंग्रेजी में कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक तथा मराठी में एक स्थानीय दैनिक में प्रकाशित किया जाता है। उपर्युक्त सांविधिक आवश्यकता के अलावा बैंक द्वारा वित्तीय परिणाम निम्नानुसार हिन्दी दैनिक में भी प्रकाशित किए गए। परिणामों को बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in पर भी साथ-साथ ही उपलब्ध किया जाता है।

वर्ष के दौरान बैंक के तिमाही/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक परिणामों को निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया।

को समाप्त		प्रकाशन का		
अवधि	मराठी	अंग्रेजी	हिन्दी	दिनांक
जून 2013	सकाळ	दि इंडियन एक्सप्रेस	बिजनेस स्टैन्डर्ड (हिन्दी)	03.08.2013
सितंबर 2013	लोकमत	बिजनेस स्टैन्डर्ड	दैनिक भास्कर	30.10.2013
दिसंबर 2013	सकाळ	दि बिजनेस लाईन	नवभारत टाइम्स	01.02.2014
मार्च 2014	लोकसत्ता	दि फायनानसिएल एक्सप्रेस	नवभारत	14.05.2014

9. शेयरधारकों का ब्यौराः

9.1 स्टॉक एक्सचेजों पर सूचीबध्द शेयरों के ब्योरे:

मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) में बैंक के शेयर 12.04.2004 से सूचीबद्ध किये गये हैं. स्क्रिप कोड निम्नानुसार हैं -

बीएसई	532525
एनएसई	महाबैंक - ईक्यू (MAHABANK - EQ)

उक्त स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2014-15 हेतु वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया जा चुका है.

9.2 ग्यारहवीं वार्षिक साधारण बैठक के विवरणः

लेखा व लाभांश पर विचार हेतु निदेशक मंडल की बैठक	दिनांक 13.05.2014
ग्यारहवीं वार्षिक साधारण बैठक का स्थान, दिनांक और समय	शुक्रवार, दिनांक २६ जून २०१४ को प्रातः १०.३० बजे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अप्पासाहेब जोग हॉल, "लोकमंगल", १५०१, शिवाजीनगर, पुणे - ४११ ००५
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	2 जून 2014
बहियों के बंद होने का दिनांक	31.05.2014 से 02.06.2014
लाभांश भुगतान का दिनांक	अंतरिम लाभांश भुगतान दिनांक 17.02.2014 को किया गया.

- iii) Whistle Blower policy is made a part of the Fraud Risk Management Policy approved by the Board.
- iv) Shareholder rights A declaration of performance of the Bank for half year ended 30.09.2013 and appointment Shri S. Muhnot, (C&MD), Shri R. Athmaram (ED), Shri Sanjeev Jain, Shri. R.L. Saydiwal, Shri R.K. Gupta (ED) and Dr. S. Rajagopal on the Board of the Bank were sent to the individual shareholders.

8. Means of Communication:

The quarterly, half yearly and annual financial results of the Bank are duly approved by the Board and published in at least one national Daily in English and one local daily in Marathi. In addition to the statutory requirement as above Bank has also published the results in Hindi Daily as below. The results are simultaneously displayed on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in

During the year, quarterly /half yearly /annual results of the Bank were published in the following newspapers.

Period Ended	Name of the daily			Date of
Period Elided	Marathi	English	Hindi	publication
June 2013	Sakal	The Indian Express	Business Standard (Hindi)	03.08.2013
September 2013	Lokmat	Business Standard	Dainik Bhaskar	30.10.2013
December 2013	Sakal	The Business Line	Navbharat Times	01.02.2014
March 2014	Loksatta	The Financial Express	Navbharat	14.05.2014

9. Shareholder Information:

9.1 Details of listing of shares on Stock Exchanges:

The Bank's shares are listed on The Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) since 12.04.2004. The scrip codes are as under:

BSE	532525
NSE	MAHABANK - EQ

The annual listing fee for the year 2014-15 has been paid to the Stock Exchanges.

9.2 Particulars of the Eleventh Annual General Meeting:

Board Meeting for considering Accounts and Dividend	13th May 2014
Date, Time and Venue of 11th AGM.	At 10.30 am on Thursday, the 26th June 2014, at Appasaheb Joag Hall Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune - 411 005,
Posting of Annual Report	2 nd June 2014
Dates of Book Closure	31.05.2014 to 02.06.2014
Date of payment of dividend	Interim Dividend paid on 17.02.2014.

9.3 वित्तीय कैलेंडर (अनंतिम)

निम्न को समाप्त अवधि के लिए तिमाही वित्तीय परिणामों का अनुमोदन	अनंतिम समय
30 जून, 2014	14 अगस्त 2014 से पूर्व
30 सितंबर, 2014	14 नवंबर 2014से पूर्व
31 दिसंबर, 2014	14 फरवरी 2015 से पूर्व
31 मार्च, 2015	लेखा परीक्षित वार्षिक परिणाम - 15 मई 2015 से पूर्व

9.4 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशक एवं शेयरधारकों को सहायता

मेसर्स एमसीएस लि., मुंबई, रजिस्ट्रार एवं ट्रान्स्फर एजेंट (RTA) कार्यालय में शेयर अंतरण और अन्य सभी निवेशक संबंधी मामलों की देखरेख और कार्यवाहियां की जाती हैं. शेयरधारक, जो अपने शेयर भौतिक रूप में रखते हैं, वे उनके अंतरण विलेख और अन्य कागजात, शिकायतें एवम् असुविधाओं को रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट को अथवा निम्नलिखित पतों पर बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग में दर्ज करा सकते हैं:

रजिस्ट्रार एवं ट्रान्स्फर एजेंट	निवेशक सेवाएं विभाग
एमसीएस लिमिटेड (कक्ष : बैंक ऑफ महाराष्ट्र) आफिस क्रमांक 21/22 भूतल, काशिराम जमनादास बिल्हिंग 5, पी. डिमेलो रोड़ (घड़ीयाल गोदी) मस्जिद (पू), मुंबई - 400 009 टेलीफोन 022-2372 6253-56 फेक्स 022-2372-6252 ई-मेल : uday_mcs@yahoo.in	बैंक ऑफ महाराष्ट्र निवेशक सेवाएं विभाग लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर पुणे - 411 005 फोन : (020) 2551 1360 फैक्स: (020) 2553 3246 ईमेल-investor_services@mahabank.co.in

बैंक द्वारा जारी बाण्ड के लिए ट्रस्टी का विवरण निम्नानुसार है -

डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड
पता	"जीडीए हाऊस", दु.नं. 94/95, फ्लाट नं.85,
	भुसारी कालोनी (दायां), कोथरुड, पुणे - 411 038,
	महाराष्ट्र, भारत
फोन नं.	020-2528 0081
फैक्स नं.	020-2528 0275
ई-मेल	dt@gdatrustee.com

9.5 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (इसीएस)

इसीएस लाभांश/ब्याज इत्यादि का भुगतान करने का अनोखा तरीका है, जिसके अंतर्गत निवेशक को देय राशि सीधे उसके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है. बैंक अपने शेयरधारकों को यह सुविधा लेने का विकल्प निम्नलिखित 43 केंद्रों पर उपलब्ध करता है, जहां इसीएस जमा समाशोधन प्रणाली कार्यरत है.

आगरा, अहमदाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, बडौदा, बेंगलूर, भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, कोय्मबटूर, कोलकाता, चेन्नै, देहरादून, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, जालंधर, जामनगर, जम्मू, कानपुर, कोल्हापुर, लखनऊ, लुधियाना, मदुर्र, मेंगलोर, मुंबई, नागपुर, नासिक, नई दिल्ली, पणजी, पटना, पुणे, राजकोट, रायपुर, सोलापुर, सूरत, तिरूवनन्तपुरम, त्रिपुर, उडपी, विजयवाड़ा, विजेग.

उपर्युक्त किसी भी केंद्र पर निवास करने वाले शेयरधारक इसीएस अधिदेश फार्म को भरकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. यह फार्म वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है. यदि शेयर भौतिक प्रारूप में है तो इस फार्म को रिजस्ट्रार और अंतरण एजेन्ट के पास भेजें और यदि शेयर डीमैट प्रारूप में रखे गए हैं तो यह फार्म संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट (डीपी) को भेजा जाए. इसीएस के माध्यम से लाभांश प्राप्त करने के विकल्प को शेयरधारक अपनी इच्छा से कभी भी बंद कर सकता है.

9.3 Financial Calendar (Tentative):

Approval of Quarterly	Tentative Time		
Results for period ending			
30th June 2014	Before 14th August 2014		
30th September 2014	Before 14th November 2014		
31st December 2014	Before 14th February 2015		
31st March 2015	Audited Annual Results before 15th May 2015		

9.4 Share Transfer System and assistance to the Investors and Shareholders:

Share transfer and all other investor related matters are attended to and processed at the office of the Bank's Registrar and Transfer Agents (RTA), M/s. MCS Limited, Mumbai. The shareholders, who hold their shares in physical forms, may lodge their transfer deeds and any other documents, grievances and complaints to the RTA or alternatively to Investor Services Department of the Bank at the following addresses:

Registrar & Transfer Agent:	Investor Services Department:
MCS Limited,	Bank of Maharashtra,
(Unit: Bank of Maharashtra)	Investor services Department
Office No. 21/22,	Lokmangal 1501, Shivajinagar
Ground Floor, Kashiram	Pune 411 005
Jamnadas Bldg,	Tel: (020) 2551 1360
5, P.D' Mello Road,	Fax: (020) 2553 3246
(Ghadiyal Godi),	e-mail: investor_services@mahabank.co.in
Masjid (E),	
Mumbai - 400 009.	
Tel: (022) 2372 6253-56	
Fax: (022) 2372 6252	
e-mail: uday_mcs@yahoo.in	

The details of trustee for the bond issued by the Bank are as under:

Name of Debenture Trustees	GDA Trusteeship Limited
Address	"GDA House", S.No.94/95, Plot No.85, Bhusari Colony (Right), Kothrud, Pune - 411 038, Maharashtra, India
Phone No.	020-2528 0081
Fax No.	020-2528 0275
Email	dt@gdatrustee.com

9.5 Electronic Clearing Services (ECS):

ECS is a novel method of payment of dividend/interest etc. where the amount due to investor can be directly credited to his/ her Bank account. The Bank offers this service to its shareholders with an option to avail the facility at the following forty three centers, where ECS credit Clearing System is operative.

Agra, Ahmedabad, Amritsar, Aurangabad, Baroda, Bengaluru, Bhubaneshwar, Bhopal, Chandigarh, Coimbatore, Chennai, Dehradun, Guwahati, Gwalior, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jallandhar, Jamnagar, Jammu, Kanpur, Kolhapur, Kolkata, Lucknow, Ludhiana, Madurai, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Nasik, New Delhi, Panaji, Patna, Pune, Rajkot, Raipur, Solapur, Surat, Thiruvananthpuram, Tirupur, Udupi, Vijayawada, Vaizag,.

The Shareholders residing at any of the above centers may avail of this facility by filling in the ECS mandate form. The form is enclosed with the Annual Report, which may be sent to the Registrars & Transfer Agent in case of shares held in physical mode and to the respective Depository Participants (DPs) in respect of the shares held in dematerialized mode. The option to receive dividend through ECS may be discontinued at any time, at the instance of the shareholder.

बैंक ने 2013-14 अंतरिम लाभांश हेतु नैशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की सेवाएं ली हैं, जिसने लाभांश संवितरण संबंधी अंतर बैंक संव्यवहारों की सुविधा के लिए नैशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाऊस (एनएसीएच) - एक वेब आधारित सोल्यूशन कार्यान्वित किया है।

9.6 अदत्त लाभांश

ऐसे शेयरधारक जिन्होंने वित्तीय वर्षों 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-2011, 2011-12 तथा 2012-13 के लिए लाभांश वारंट और वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अंतरिम लाभांश का नकदीकरण न किया हो, वे लाभांश वारंटों के पुनर्वैधीकरण तथा आवश्यक सहायता के लिए रजिस्ट्रार / बैंक से उक्त पते पर संपर्क कर सकते हैं.

वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 हेतु अदावाकृत लाभांश भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशक शिक्षण एवं सुरक्षा निधि को अंतरित किया जाएगा।

9.7 शेयरों का डीमटेरिअलाईजेशन

बैंक के शेयरों का अनिवार्य रूप से डी-मैट स्वरूप में ही क्रय-विक्रय होता है. बैंक के शेयरों के डी-मैटीकरण के लिए बैंक ने दोनों हिपॉजिटरियों - नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लि. (NSDL) तथा सेंद्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (CDSL) के साथ समझौते किए हैं. बैंक के इक्विटी शेयरों को आबंटित आईएसआईएन कोड INE457A01014 है. वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक अभिरक्षा फीस सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार डिपाजिटरी को भुगतान कर दी गई है.

31 मार्च 2014 को शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों के विवरण निम्नानुसार है :-

	शेयरधारक	ों की संख्या	शेयरों की संख्या		
श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	
भौतिक रूप में*	49781	26.86	7034377	0.84	
डीमैटः					
1. एनएसडीएल	96649	52.15	101276752	12.07	
2. सीडीएसएल**	38915	20.99	730784698	87.09	
उप जोड़	135564	73.14	832061450	99.16	
कुल	185345	100.00	839095827	100.00	

(*भारत सरकार द्वारा धारित 71,50,10,200 शेयरों सहित)

9.8 बाजार मूल्य डाटा / बैंक के शेयरों का मूल्य निष्पादन:-

(बाजार मूल्य डाटा रुपए में तथा शेयरों की मात्रा संख्या में)

Bank has availed services of National Payment Corporation of India which has implemented National Automated Clearing House (NACH)-a web based solution to facilitate interbank transaction towards dividend distribution, for the Interim Dividend 2013-14.

9.6 Unpaid Dividends:

The Shareholders who have not encashed the dividend warrants for the financial years 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 and interim Dividend for FY 2013-14 may contact the Registrar / Bank on the above address for revalidation of the warrants and for necessary assistance.

The unclaimed dividend of the years 2003-04, 2004-05, 2005-06 & 2006-07 will be remitted to Investor Education & Protection Fund as per the Government of India guidelines.

9.7 Dematerialisation of shares:

Shares of the Bank are traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's Equity Shares is INE457A01014. The Annual Custody fees for the year 2014-15 have been paid to the depositories as per SEBI quidelines.

Particulars of shares held by the shareholders as on 31st March 2014 are as under:

	No. of sha	reholders	No. of shares		
Category	Number of shareholders	Percentage	Number of shares	Percentage	
Physical	49781	26.86	7034377	0.84	
Demat:					
1. NSDL	96649	52.15	101276752	12.07	
2. CDSL*	38915	20.99	730784698	87.09	
Sub-total	135564	73.14	832061450	99.16	
Grand Total	185345	100.00	839095827	100.00	

^{(*} Including 71,50,10,200 shares held by the Government of India).

9.8 Market Price data / price performance of Bank's Shares:

(Market Price data in Rupees and Volume in number of Shares):

		बीएसई BSE		एनएसई NSE सेंसेक			एनएसई NSE सेंसेक्स SENSEX	
महीना Month	उच्चतम High	न्यूनतम Low	मात्रा Volume	उच्चतम High	न्यूनतम Low	मात्रा Volume	उच्चतम High	न्यूनतम Low
अप्रैल April, 13	62.65	46.90	2708702	62.00	47.00	9508591	19623	18144
मई May	59.80	53.75	2178886	59.80	53.50	8117950	20444	19451
जून June	58.00	47.25	948917	57.90	47.00	5456105	19860	18467
जुलाई July	54.90	42.30	971747	54.00	42.30	2933969	20351	19127
अगस्त August	44.95	35.70	1353649	46.90	34.05	3998115	19569	17449
सितंबर September	40.85	36.20	2475490	40.75	36.10	7795969	20740	18166
अक्तूबर October	42.00	37.05	2462444	42.00	37.10	7922934	21205	19264
नवंबर November	43.00	37.60	2284668	42.95	37.50	7326487	21322	20138
दिसंबर December	39.35	35.80	1795229	39.30	35.85	5560412	21484	20569
जनवरी January,14	37.15	33.65	1876471	37.20	34.00	5927438	21410	20344
फरवरी February	34.35	29.10	1383606	34.80	29.10	4259125	21141	19963
मार्च March	33.90	29.40	1318441	41.00	29.35	7852527	22467	20921

9.9 प्रति शेयर डाटा

विवरण	31.03.2013	31.03.2014
अंकित मूल्य (₹)	10/-	10/-
प्रति शेयर आय (₹)	11.88	4.56
लाभांश (%)	23%	10%
बही मूल्य (₹)	67.10	66.69
निवल लाभ के प्रतिशत के रूप में अदा किया गया लाभांश (लाभांश कर को छोड़कर)	20.03	21.73

^{*} शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन

9.10 शेयरधारिता का वितरण

31.03.2014 को शेयरधारिता का वितरण निम्नानुसार है:

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	कुल का%	शेयरों की संख्या	कुल का%
500 तक	1,70,324	91.90	2,27,06,256	2.71
501-1000	8,539	4.61	69,93,646	0.83
1001-2000	3,638	1.96	54,92,581	0.65
2001-3000	1,012	0.55	26,04,549	0.31
3001-4000	450	0.24	16,24,642	0.19
4001-5000	383	0.21	18,08,892	0.22
5001-10000	515	0.28	37,61,830	0.45
10000* से ऊपर	483	0.25	79,41,03,431	94.64
कुल	1,85,345	100.00	83,90,95,827	100.00

^{(*} भारत सरकार द्वारा धारित 71,50,10,200 शेयरों का समावेश है)

9.11 शेयरधारिता का स्वरूप

दिनांक 31.03.2014 तथा 31.03.2013 को बैंक के शेयरों का शेयरधारिता का स्वरूप निम्नानुसार रहा :

	31.03.20	14 को	31.3.2013 को		
श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण से %	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण से %	
भारत सरकार	71,50,10,200	85.21	53,73,90,307	81.24	
म्युच्युअल फंड / यूटीआई	9,61,271	0.11	56,14,655	0.85	
बैंक / वित्तीय संस्थान	1,11,95,858	1.33	56,06,866	0.85	
बीमा कंपनियां	4,71,37,591	5.62	5,56,45,946	8.41	
विदेशी संस्थागत निवेशक	40,14,024	0.48	46,74,984	0.71	
घरेलू कंपनियां	68,43,222	0.82	69,25,356	1.04	
न्यास (ट्रस्ट)	1,27,100	0.02	13,100	0.01	
भारतीय निवासी व्यक्ति	5,23,22,411	6.23	4,45,23,373	6.73	
अनिवासी भारतीय	14,84,050	0.18	10,81,247	0.16	
विदेशी निगमित निकाय	100	0.00	100	0.00	
कुल	83,90,95,827	100.00	66,14,75,934	100.00	

9.9 Per Share Data:

Particulars	31.3.2013	31.3.2014
Face Value (₹)	10/-	10/-
EPS (₹)	11.88	4.56
Dividend (%)	23%	10%
Book Value (₹)	67.10	66.69
Dividend Pay out (excluding dividend tax) as % of net profit	20.03	21.73

^{*} Subject to approval of Share Holders.

9.10 Distribution of shareholding:

The distribution of shareholding, as on 31.3.2014 is as under:

No. of Shares	No. of Share- holders	% to total	No. of shares	% to total
Up to 500	1,70,324	91.90	2,27,06,256	2.71
501 -1000	8,539	4.61	69,93,646	0.83
1001-2000	3,638	1.96	54,92,581	0.65
2001-3000	1,012	0.55	26,04,549	0.31
3001-4000	450	0.24	16,24,642	0.19
4001-5000	383	0.21	18,08,892	0.22
5001-10000	515	0.28	37,61,830	0.45
Above 10000*	483	0.25	79,41,03,431	94.64
Total	1,85,345	100.00	83,90,95,827	100.00

^{[*} Includes 71,50,10,200 shares held by the Government of India]

9.11 Shareholding Pattern:

The shareholding pattern of the Bank's shares as on 31.3.2014 and 31.03.2013 was as under:

0-1	As on 31	.03.2014	As on 31.03.2013		
Category of shareholder	No. of shares held	% to total holding	No. of shares held	% to total holding	
Govt. of India	71,50,10,200	85.21	53,73,90,307	81.24	
Mutual Fund/UTI	9,61,271	0.11	56,14,655	0.85	
Banks/Financial Institutions	1,11,95,858	1.33	56,06,866	0.85	
Insurance Companies	4,71,37,591	5.62	5,56,45,946	8.41	
Foreign Institutional Investors	40,14,024	0.48	46,74,984	0.71	
Domestic Companies	68,43,222	0.82	69,25,356	1.04	
Trusts	1,27,100	0.02	13,100	0.01	
Resident Individuals	5,23,22,411	6.23	4,45,23,373	6.73	
Non Resident Individuals	14,84,050	0.18	10,81,247	0.16	
Overseas Bodies Corporate	100	0.00	100	0.00	
Total	83,90,95,827	100.00	66,14,75,934	100.00	

9.12 भारत सरकार को अधिमान्य आबंटन आधार पर ईक्विटी शेयरों का आबंटन

बैंक के शेयरधारकों की दिनांक 09 दिसंबर 2013 को हुई असाधारण बैठक में विशेष प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए ₹ 10/- प्रत्येक के 17,76,19,893 शेयर ₹ 35.04 प्रति शेयर के प्रीमियम पर कूल ₹ 799,99,99,980.72 के लिए भारत सरकार को दिसंबर 2013 में अधिमानी आबंटन आधार पर जारी एवं आबंटित कार गार

9.13 शेयरधारकों से पत्राचार में हरित पहल

"हरित पहल" के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने दिनांक 21.04.2011 के संप्रेषण क्रं. 17/95 /2011 सीएल-वी/परि. क्रं. 17 तथा दिनांक 29.04.2011 के क्रं. 18/95/2011 द्वारा शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक मोड से संप्रेषण भेजने की अनुमित दी है. इसका अनुसरण करते हुए, बैंक ने शेयरधारकों को पत्र/मेल भेजते हुए अनुरोध किया कि वे अपने अद्यतित ई-मेल आईडी की हमें जानकारी दें, ताकि बैंक की ओर से शेयरधारकों को सूचना/संप्रेषण/दस्तावेज इलेक्ट्रानिक मोड से भेजे जा सकें। तब से यह आवधिक रूप से किया जाता है। जब कभी भी शेयरधारकों को एजीएम, ईजीएम तथा वार्षिक रिपोर्ट के लिए नोटिस भेजा जाता है, तब यह बताया जाता है। हाल ही में, दिनांक 09 दिसंबर 2013 को संपन्न बैंक के शेयरधारकों की असाधारण बैठक की सूचना 56,527 शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक मोड से भेजी गई.

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का प्रमाणपत्र / घोषणा

मैं घोषित करता हूँ कि निदेशक मंडल ने लिस्टिंग समझौते के खंड 49 के अनुपालन में निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता निर्धारित की गई है। आचार संहिता बैंक की वेब साईट पर भी प्रदर्शित की गई है।

मैं यह भी घोषित करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य और बैंक के सभी वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च. 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान आचार संहिता का पालन किया है।

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(एस. मुहनोत)

432 mm BETTE

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 13.05.2014

संगती, 73/2/2, भक्ति मार्ग,

लॉ कॉलेज रोड के पास,

कीर्तने एंड पंडित

सनदी लेखाकार

पुणे - 411 004

सनदी लेखाकार

ਤ. ਸ. - 201 301

जी बसू एंड कं. सनदी लेखाकार 3, चौरंगी एप्रोच बस् हाउस

कोलकाता - 700 072

जे सी भल्ला एंड कं.

बी/5, सेक्टर 6, नोयडा

सिंह रे मिश्रा एंड कं.

भूवनेश्वर - 751 001

सनदी लेखाकार एस आर ३१. अशोका मार्केट स्टेशन स्क्वेअर

9.12 Allotment of equity shares to Government of India on preferential allotment basis

As approved by Special Resolution in the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank, held on 09th December 2013, 17,76,19,893 equity shares of ₹ 10/- each for cash at a premium of ₹ 35.04 per share aggregating ₹ 799,99,99,980.72 were issued and allotted to the Government of India, on preferential allotment basis in December 2013.

9.13 Green Initiatives in communication to the shareholders:

The Ministry of Corporate Affairs, vide its communications No. 17/95/2011 CL-v/Cir No.17 dated 21.04.2011 and No. 18/95/2011, dated 29.04.2011 has allowed sending the communications to the shareholders by electronic mode, as matter of "Green Initiative". Falling in line with this, the Bank has sent letters/mails to the shareholders, requesting them to inform/update their email lds to enable the Bank to send the notices/communications/documents to the shareholders by electronic mode. This is done periodically from then and as and when notices for AGM, EGM and Annual Reports are sent to shareholders. Recently, the notices of the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank, held on 09th December 2013 were sent to 56,527 shareholders by electronic mode.

Certificate / Declaration of the Chairman and Managing Director

I declare that the Board has laid down the Code of Conduct for all Board Members and Senior Management Personnel of the Bank in compliance with clause 49 of the Listing Agreement. The Code of Conduct is posted on the website of the Bank.

I further declare that all Board members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance with the Code of Conduct during the year ended 31st March 2014.

For Bank of Maharashtra

Chairman & Managing Director

For Kirtane & Pandit

Chartered Accountants Sangati, 73/2/2, Bhakti Marg, Off Law College Road,

New Delhi

13.05.2014

Pune 411 004.

Date:

For G. Basu & Co.

Chartered Accountants 3, Chowrangee Approach, Basu House,

Kolkata 700 072.

For J.C. Bhalla & Co.

Chartered Accountants B/5, Sector 6, Noida. UP 201 301.

For Singh Ray Mishra & Co.

Chartered Accountants Sr 31, Ashok Market, Station Square,

Bhuvaneshwar 751 001.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र

निदेशक मंडल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पूणे

प्रिय महोदय.

वर्ष 2013-14 हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र - समेकित

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ सूचीबद्धता समझौतों के खंड 41 और 49 के अनुसरण में हम प्रमाणित करते हैं कि :

- क. हमने वर्ष 2013-14 हेतु वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण (समेकित) की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :
 - इन विवरणों में कोई असत्य कथन नहीं है अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छटा नहीं है अथवा कोई भ्रामक कथन समाविष्ट नहीं है.
 - ये विवरण बैंक के मामलों की सत्य और उचित छवि प्रस्तुत करते हैं तथा मौजूदा लेखा मानकों, प्रयोज्य विधियों और विनियमनों के अनुसार हैं.
- ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अवैध अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो.
- हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और यह कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा और परिचालन की इन विसंगतियों को, जो हमारी जानकारी में हैं और इन विसंगतियों के परिशोधन हेतू हमने जो कदम उठाए हैं. उसे लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है.
- हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को यह दर्शाया है कि :
 - वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में हुए महत्वपूर्ण
 - वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन और जिनका प्रकटन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है.
 - धोखाधड़ी की विशेष घटनाएं जिनकी हमें जानकारी हुई और जिसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई है, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है.

अतुल भाटिया महाप्रबंधक (वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा और मुख्य वित्तीय अधिकारी)

दिनांक : 13 मई 2014 स्थान : नई दिल्ली

एस. मूहनोत अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक **Atul Bhatia**

General Manager (FM& A & CFO)

CEO / CFO CERTIFICATION

Board of Directors. Bank of Maharashtra Pune

Dear Sirs.

CEO/CFO Certification for the year 2013-14 -Consolidated

Pursuant to clause 41 and 49 of the Listing Agreements with Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange Limited, we hereby certify that:

- We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year 2013-14 (Consolidated) and that to the best of our knowledge and belief:
 - These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading:
 - These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.
 - Significant changes in internal control over financial reporting during the year.
 - Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements and
 - Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having significant role in the Bank's internal control systems over financial reporting.

S. Muhnot

Chairman & Managing Director

Date : 13th May 2014 Place: New Delhi

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों हेतु लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा 31.03.21014 को समाप्त हेतु वर्ष कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों, जिसे लिस्टिंग एग्रीमेंट के अनुच्छेद 49 के माध्यम से निर्धारित किया गया है तथा बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में दिया गया है, के अनुपालन की शर्तों की हमने आवश्यक सीमा में जांच की.

कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी बैंक की है.हमारी जांच उसके कार्यपद्धित एवं कार्यान्वयन तक ही सीमित थी,जिसे बैंक ने कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपान की सुनिश्चितता के लिए अंगीकृत किया था. बैंक के वित्तीय विवरणों के बारे में न तो यह लेखा परीक्षा है और न ही राय की अभिव्यक्ति.

हमारी राय में और हमारी यथेष्ट जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण और निदेशकों और प्रबंध तंत्र के प्रतिवेदन पर हम प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त लिस्टिंग एग्रीमेंट में निर्धारित कारपोरेट गवर्नेंस का बैंक ने अनुपालन किया है.

हमारा कथन है कि 31 मार्च 2014 को बैंक के विरुद्ध किसी भी निवेशक की शिकायत बैंक द्वारा रखे गये अभिलेख के आधार पर एक महीने से ज्यादा लंबित नहीं थी.

हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक के भविष्य में व्यवहार्यता का न ही प्रबंध तंत्र द्वारा बैंक के कार्यकलापों के आचरण की कार्यक्षमता या प्रभावी होने का भावी आख्वासन है.

कीर्तने एंड पंडित

सनदी लेखाकार एफआरएनः १०५२१५डब्ल्यू

सनदी लेखाकार शरद भागवत

भागीदार

सदस्यता क्र.: 8072

जी बसु एंड कं.

सनदी लेखाकार एफआरएनः ३०११७४ई

सनदी लेखाकार एस. लाहिड़ी

भागीदार

सदस्यता क्र.: 51717

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 13 मई, 2014

जे. सी. भल्ला एंड कं. सनदी लेखाकार

एफआरएनः ००११११एन

सनदी लेखाकार राजेश सेठी

भागीदार

सदस्यता क्र.: 085669

सिंह रे मिश्रा एंड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएनः ३१८१२१ई

सनदी लेखाकार जीतेन के मिश्रा

भागीदार

सदस्यता क्र.: 52796

Auditors' Certificate to the Shareholders of Bank of Maharashtra

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Maharashtra for the year ended on 31.3.2014 as stipulated vide clause 49 of the Listing Agreement entered by the Bank with Stock Exchanges, to the extent applicable.

The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and the representations made by the Directors and Management, we certify that the Bank has complied with the norms of Corporate Governance as stipulated in the abovementioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance was pending for a period exceeding one month as at 31st March 2014 against the Bank as per the records maintained by the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Kirtane & Pandit

Chartered Accountants FRN 105215W

CA Sharad Bhagwat

Partner

Membership No 8072

For G. Basu & Co.

Chartered Accountants FRN 301174E

CA S. Lahiri

Partner

Membership No. 51717

Place: New Delhi Dated: 13 May 2014

For J.C. Bhalla & Co.

Chartered Accountants FRN 001111N

CA Rajesh Sethi

Partner

Membership No. 085669

For Singh Ray Mishra & Co.

Chartered Accountants FRN 318121E

CA Jiten K Mishra

Partner

Membership No. 52796

विद्योग विवस्म। Financial Statements

31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014

(₹ हजारों में) (₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2014	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2013
पूंजी एवं दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES		(Current Year)	(Previous Year)
पूंजी Capital	1	1427,09,58	1249,47,59
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	5941,04,59	5147,46,23
जमाराशियां Deposits	3	116803,08,91	94336,93,18
उधारियां Borrowings	4	8326,47,35	12877,48,82
अन्य देयताएं तथा प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	3822,34,77	3341,44,74
जोड़ TOTAL		136320,05,20	116952,80,56
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	5991,38,72	5265,29,08
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks, Money at call & short notice	7	110,90,99	907,55,45
निवेश Investments	8	37249,58,39	31430,31,40
अग्रिम Advances	9	88920,39,90	75470,77,79
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	1446,00,78	1429,47,44
अन्य आस्तियां Other Assets	11	2601,76,42	2449,39,40
जोड़ TOTAL		136320,05,20	116952,80,56
संमाश्रित दायित्व Contingent Liabilities	12	25119,84,41	24361,75,56
वसूली हेतु बिल Bills for Collection		3067,31,11	2548,99,73
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां Significant accounting policies	17		
खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलनपत्र का अभिन्न भाग हैं.

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

आर.के. गुप्ता R.K. GUPTA कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR आर. आत्माराम R. ATHMARAM कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR सुशील मुहनोत SUSHIL MUHNOT अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

संजीव जैन SANJEEV JAIN निदेशक DIRECTOR आर.एल. सायदीवाल R.L. SAYDIWAL निदेशक DIRECTOR

रमेश चंद्र अग्रवाल R.C. AGRAWAL निदेशक DIRECTOR

अतुल भाटिया

ATUL BHATIA महाप्रबंधक, विप्र व लेखा

General Manager, FM&A

डॉ. एस. राजगोपाल Dr. S. RAJAGOPAL निदेशक DIRECTOR

वी.पी. श्रीवास्तव V.P. SRIVASTAVA

सहा. महाप्रबंधक, विप्र व लेखा Asst. Gen. Manager, FM&A

स्थान : नई दिल्ली Place : New Delhi दिनांक : 13 मई, 2014 Date : 13th May, 2014

* अनुमत अनुपस्थिति के कारण श्री अतीश सिंह ने तुलनपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए.

62

^{*} Shri Ateesh Singh did not sign the Balance Sheet, since he was granted leave of absence.

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014

(₹ हजारों में) (₹ in thousands)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March, 2014 (Current Year)	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March, 2013 (Previous Year)
I.	आय INCOME			
	अर्जित ब्याज Interest earned	13	11956,65,68	9613,43,21
	अन्य आय Other Income	14	894,18,99	912,00,07
	जोड़ TOTAL		12850,84,67	10525,43,28
II.	व्यय EXPENDITURE			
	व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	8447,72,52	6580,08,48
	परिचालन व्यय Operating Expenses	16	2396,74,88	1796,64,28
	प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & contingencies		1620,40,46	1389,18,56
	जोड़ TOTAL		12464,87,86	9765,91,32
लाभ / ह	हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के ि	लेए निवल लाभ Net Profit for the year		385,96,81	759,51,96
जोड़ें: अ	ागे लाया गया लाभ Add: Profit brought forward		_	445,35,38
	जोड़ TOTAL		385,96,81	1204,87,34
विनियो	ग APPROPRIATIONS			
सांविधि	क आरक्षिति को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		96,49,21	189,87,99
पूंजी आ	ारक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve		12,86,42	20,62,54
राजस्व	आरक्षिति को अंतरण Transfer to Revenue Reserve		_	445,35,38
विशेष ३	भारक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve		75,00,00	150,00,00
निवेश ३	आरक्षिति को अंतरण Transfer to Investment Reserve		11,38,62	16,11,47
प्रस्तावि	त लाभांश (पीएनसीपीएस) Proposed dividend (PNCPS)		52,92,00	49,98,00
प्रस्तावि	त लाभांश (ईक्विटी) Proposed dividend (Equity)		_	152,13,95
लाभांश	पर कर Tax on Dividend		8,99,38	34,35,02
अंतरिम	लाभांश और अंतरिम लाभांश पर कर Interim Dividend & Tax on Inter	rim Dividend	98,17,00	_
शेष को	तुलनपत्र में आगे ले जाया गया Balance carried over to Balance She	eet	30,14,18	146,42,99
	जोड़ TOTAL		385,96,81	1204,87,34
प्रति शेर	पर अर्जन (मूल व कम की हुई) (₹) Earning per share (Basic & Dilute	d) (₹)	4.56	11.88

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ / हानि का अभिन्न भाग हैं.

The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account. हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार. As per our report of even date attached.

For Kirtane & Pandit एफआरएनः १०५२१५डब्ल्यू FRN: 105215W सनदी लेखाकार **Chartered Accountants** सीए शरद भागवत **CA Sharad Bhagwat** भागीदार Partner सदस्यता क्र.: 8072

कृते कीर्तने एंड पंडित

Membership No.: 8072

स्थान : नई दिल्ली Place : New Delhi दिनांक : 13 मई, 2014 Date : 13th May, 2014

कृते जे सी भल्ला एंड कंपनी कृते जी. बसु एंड कंपनी For J C Bhalla & Co For G Basu & Co. एफआरएनः ३०११७४ई एफआरएनः ००११११एन FRN: 001111N FRN: 301174E सनदी लेखाकार सनदी लेखाकार **Chartered Accountants Chartered Accountants**

सीए राजेश सेठी सीए एस. लाहिडी CA Rajesh Sethi CA S. Lahari भागीदार भागीदार Partner Partner सदस्यता क्र.: 085669 सदस्यता क्र.: 051717 Membership No.: 085669 Membership No.: 051717

कृते सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी For Singh Ray Mishra & Co एफआरएनः ३१८१२१ई FRN: 318121E

सनदी लेखाकार **Chartered Accountants**

CA Jiten K Mishra भागीदार Partner सदस्यता क्र.: 052796 Membership No.: 052796

सीए जीतेन के मिश्रा

अनुसूची - 1 : पूंजी SCHEDULE — 1 : CAPITAL

(₹ हजारों में) (₹ in thousands)

	31 मार्च 2014 की स्थिति As on 31st March, 20		31 मार्च 2013 की स्थि As on 31st March, 20	ति के अनुसार (गत वर्ष))13 (Previous Year)
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital		3000,00,00		3000,00,00
₹ 10 के ईक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each				
जारी, अभिदत्त Issued & Subscribed				
₹ 10/- के 83,90,95,827 (गत वर्ष 66,14,75,934) ईक्विटी शेयर				
83,90,95,827 Equity Shares (Previous year 66,14,75,934) of ₹ 10/- each				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	661,47,59		589,59,21	
वर्ष के दौरान वृध्दि Additions during the year	177,61,99	839,09,58	71,88,38	661,47,59
प्रदत्त पूंजी Paid Up Capital				
क. केंद्र सरकार द्वारा धारित				
a. Held by Central Government	715,01,02			
₹ 10/- के 71,50,10,200 (गत वर्ष 53,73,90,307) ईक्विटी शेयर				
71,50,10,200 (Previous year 53,73,90,307) Equity shares of ₹ 10/- each			537,39,03	_
ख. जनता व अन्य द्वारा धारित				
b. Held by the Public & Others	124,08,56		124,08,56	
₹ 10/- के 12,40,85,627 (गत वर्ष 12,40,85,627) ईक्विटी शेयर				
12,40,85,627 (Previous year 12,40,85,627) Equity Shares of ₹ 10/- each				
घटाएं : देय आबंटन राशि Less: Allotment money due	_	839,09,58	_	661,47,59
		839,09,58		661,47,59
बेमियादी गैरसंचयी अधिमान्य शेयर				
Perpetual Non Cumulative Preference Shares				
केंद्र सरकार द्वारा धारित ₹ 10,00,000/- के 5880 बेमियादी गैरसंचयी अधिमान्य शेयर				
5880 Perpetual Non Cumulative Preference Shares of ₹ 10,00,000/-				
each held by Central Government	588,00,00	588,00,00	588,00,00	588,00,00
जोड़ TOTAL		1427,09,58		1249,47,59

अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष SCHEDULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजारों में)

		31 मार्च 2014 की स्थि As on 31st March,	ते के अनुसार (चालू वर्ष) 2014 (Current Year)	31 मार्च 2013 की स्थि As on 31st March, 20	ते के अनुसार (गत वर्ष) 13 (Previous Year)
।. सां	विधिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE				
i)	प्रारंभिक शेष Opening Balance	1018,15,66		828,27,67	
ii)	वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year	96,49,21	1114,64,87	189,87,99	1018,15,66
॥. पूंउ	नीगत आरक्षितियां CAPITAL RESERVE				
i)	प्रारंभिक शेष Opening Balance	139,80,54		119,18,00	
ii)	वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year	12,86,42		20,62,54	
iii)	वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year		152,66,96		139,80,54
III. शेर	पर प्रीमियम SHARE PREMIUM				
i)	प्रारंभिक शेष Opening Balance	1262,14,03		928,02,42	
ii)	वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year	622,38,01	1884,52,04	334,11,61	1262,14,03
IV. रा	जस्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES				
क	राजस्व आरक्षितियां a) REVENUE RESERVE				
,	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1201,55,83		756,20,45	
	ii) वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year	146,42,99		445,35,38	
	iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	<u> </u>	1347,98,82		1201,55,83
ख) विशेष आरक्षितियां b) SPECIAL RESERVE				
	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	243,00,00		93,00,00	
	ii) वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year	75,00,00		150,00,00	
	iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year		318,00,00		243,00,00
ग)	पूनर्मूल्यन आरक्षितियां c) REVALUATION RESERVE				
,	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1120,25,71		375,02,74	
	ii) वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year	_		1181,27,53	
	iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	54,68,08	1065,57,63	436,04,56	1120,25,71
घ)	निवेश आरक्षिति खाता d) INVESTMENT RESERVE ACCOUNT				
	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	16,11,47		_	
	ii) वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year	11,38,62		16,11,47	
	iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	_	27,50,09		16,11,47
v. ला	भ व हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT		30,14,18		146,42,99
जो	s total		5941,04,59		5147,46,23

अनुसूची - 3 : जमाराशियां SCHEDULE – 3 : DEPOSITS

(₹ हजारों में)

(₹ in thousands)

			1 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2014 (Current Year)		मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2013 (Previous Year)
क.A. I.	मांग जमाराशियां DEMAND DEPOSITS				
	i) बैंकों से From Banks	159,28,23		394,17,67	
	ii) अन्यों से From others	10515,88,49	10675,16,72	10791,43,91	11185,61,58
II.	बचत बैंक जमाराशियां SAVINGS BANK DEPOSITS		31246,01,46		27289,93,55
III.	मियादी जमाराशियां TERM DEPOSITS				
	i) बैंकों से From Banks	460,33,19		180,44,44	
	ii) अन्यों से From others	74421,57,54	74881,90,73	55680,93,61	55861,38,05
	जोड़ TOTAL (I, II एवं III)		116803,08,91		94336,93,18
ख.B. (i)	भारत में शाखाओं की जमाराशियां Deposits of Branches in India		116803,08,91		94336,93,18
(ii)	भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां				
	Deposits of Branches outside India		_		_
	जोड़ TOTAL		116803,08,91		94336,93,18

अनुसूची - 4 : उधारियां SCHEDULE – 4 : BORROWINGS

(₹ हजारों में)

(₹ in thousands)

		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2014 (Current Year)	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2013 (Previous Year)
I.	भारत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA		
	i) भारतीय रिज़र्व बैंक से Reserve Bank of India	2664,00,00	600,00,00
	ii) अन्य बैंकों से Other Banks	_	3563,00,00
	iii) अन्य संस्थाओं और एजन्सियों से Other Institutions and Agencies	2441,13,28	4939,17,07
	iv) अन्य उधारियां Other Borrowings		
	क) नवोन्मेष बेमियादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई)		
	a) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	295,00,00	295,00,00
	ख) बॉण्ड के रूप में जारी संमिश्र कर्ज पूंजी लिखतें		
	b) Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	1250,00,00	1250,00,00
	ग) गौण ऋण बॉण्ड		
	c) Subordinated Debt Bonds	<u>1555,00,00</u> 8205,13,28	<u>1555,00,00</u>
II.	भारत के बाहर उधारियां BORROWINGS OUTSIDE INDIA	121,34,07	675,31,75
	जोड़ TOTAL (l एवं ll) (। & II)	8326,47,35	12877,48,82
III.	उपर्युक्त । व ॥ में जमानती उधारियां शामिल है		
	SECURED BORROWINGS INCLUDED IN I & II ABOVE	_	_

अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान SCHEDULE – 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजारों में)

			मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2014 (Current Year)		मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2013 (Previous Year)
I.	देय बिल Bills Payable		431,13,16		415,27,14
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)		133,68,80		66,82,54
III.	उपचित ब्याज Interest Accrued		441,39,44		340,62,41
IV.	अन्य (इसमें प्रावधान शामिल है): Others (including provisions):				
	i) मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision against standard assets	574,03,54		416,21,89	
	ii) अन्य देयताएं (प्रावधान सहित)* Other liabilities (including provisions)*	2242,09,83	2816,13,37	2102,50,76	2518,72,65
	जोड TOTAL		3822,34,77		3341,44,74

^{*} अन्य देयताओं में ₹ 85,96,53 की निवल आस्थगित कर देयताएं शामिल हैं (गत वर्ष की निवल आस्थगित कर देयताएं शून्य) Note: Others liabilities include Net Deferred Tax Liability of ₹ 85,96,53 (Previous Year Net DTL ₹ NIL)

अनुसूची - 6 : नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष SCHEDULE – 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजारों में)

(₹ in thousands)

		31 मार्च 2014 व के अनुसार († As on 31st Marc (Currer	चालू वर्ष)	के As on 31s	र्घ 2013 की स्थिति अनुसार (गत वर्ष) et March, 2013 Previous Year)
I.	हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करन्सी नोट शामिल हैं) Cash in hand (including foreign currency notes)	60	08,45,34		514,55,25
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष Balances with Reserve Bank of India				
	i) चालू खाते में In Current Accounts	5382,93,38		4750,73,83	
	ii) अन्य खातों में In other Accounts	— 538	2,93,38	_	4750,73,83
	जोड़ TOTAL (I एवं II) (I & II)	599	1,38,72		5265,29,08

अनुसूची - 7 : बैंकों में अधिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन SCHEDULE – 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(₹ हजारों में)

SC	CHEDULE - 7: BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT		CALL & SHORT NOTICE		(₹ in thousands)	
			के	र्च 2014 की स्थिति अनुसार (चालू वर्ष) st March, 2014 (Current Year)		1 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2013 (Previous Year)
l.	भारत	त में In India				
	i)	बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
		(क) चालू खातों में (a) Current Accounts	33,10,95		61,42,65	
		(ख) अन्य जमा खातों में (b) Other Deposit Accounts	15,18,56	48,29,51	815,18,55	876,61,20
	ii)	मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice				
		(क) बैंकों के पास (a) With Banks	-		_	
		(ख) अन्य संस्थाओं के पास (b) With Other Institutions	-	_	_	_
		जोड़ TOTAL (i एवं ii) (i & ii)		48,29,51		876,61,20
II.	भारत	त के बाहर Outside India				
	बैंकों	में अधिशेष Balances with Banks in				
	(ক) (a)	चालू खातों में Current Accounts	_		_	
	(ख) (b)	अन्य जमा खातों में Other Deposit Accounts	62,61,48		30,94,25	
	(ग)	मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन				
	(c)	Money at Call & Short Notice	_	62,61,48		30,94,25
		जोड़ TOTAL		62,61,48		30,94,25
	कुल	जोड़ GRAND TOTAL (l एवं ll) (I & II)		110,90,99		907,55,45

अनुसूची - 8 : निवेश SCHEDULE — 8 : INVESTMENTS

(₹ हजारों में) (₹ in thousands)

			à	मार्च 2014 की स्थिति हे अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2014 (Current Year)		मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2013 (Previous Year)
क.A. I.	भारत	ा में निवेश Investments in India in				
	क) a)	सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities (खजाना बिल व जीरो कूपन बांडों सहित)		20442.04.27		05070.00.00
	\	(inclusive of treasury bills & zero coupon bonds)		30413,84,37		25373,29,69
	ख) b)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other approved securities		_		_
	-	शेयर्स				
	ग) c)	श्वत Shares		179,26,98		175,46,46
	ਬ)	डिबेंचर्स और बांड		, ,,,,		, , ,
	d)	Debentures and Bonds		1572,11,30		1171,46,99
	ਭ .)	सहायक प्रतिष्ठानों और / या संयुक्त उद्यम				
	e)	Subsidiaries and/or Joint Ventures		73,42,11		73,42,11
	ਚ) f)	अन्य Others				
	,	i) यू.टी.आई. / म्यूचुअल फंडों के यूनिट				
		Units of U T I/ Mutual funds	71,56,96		28,32,06	
		ii) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	622,79,52		872,33,81	
		iii) वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	32,38,15		9,72,60	
		iv) पी टी सी PTCs	1,29,86		5,50,88	
		v) आर आई डी एफ व अन्य R I D F & Others	4282,89,14	5010,93,63	3720,76,80	4636,66,15
		जोड़ TOTAL		37249,58,39		31430,31,40
II. भारत	न से बा	हर निवेश Investments outside India				
जोड	TOTA	ıL				
		RAND TOTAL (I & II)		37249,58,39		31430,31,40
-		ा में सकल निवेश				
ख.B. अ) a)		। म सकल ।नवश es Investments in India	37315,86,93		31497,72,70	
۵,		- निवेश पर मूल्य-हास	0.0.0,00,00		3 : , ,	
		s: Depreciation on Investment	38,26,87		65,37,99	
	घटा	- निवेशों पर प्रावधान				
		s: Provisions on Investment	28,01,67	37249,58,39	2,03,31	31430,31,40
	निवल	ा निवेश				
	Net	Investment		37249,58,39		31430,31,40
ৰ)	भारत	ा के बाहर सकल निवेश				
b)	Gros	ss Investments outside India		_		_
	जोड़	TOTAL (अ एवं ब) (a & b)		37249,58,39		31430,31,40

अनुसूची - 9 : अग्रिम SCHEDULE – 9 : ADVANCES

(₹ हजारों में) (₹ in thousands)

			31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) n 31st March, 2014 (Current Year)		1 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2013 (Previous Year)
क.A. i)	बट्टाकृत व खरीदे गए बिल				
	Bills purchased and discounted	1672,07,77		1948,69,08	
ii)	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण				
	Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	31085,67,38		27857,77,03	
iii)	मियादी ऋण Term Loans	56162,64,75	88920,39,90	45664,31,68	75470,77,79
	जोड़ TOTAL		88920,39,90		75470,77,79
ख.B. i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत				
	Secured by tangible assets				
	(बही ऋण पर अग्रिमों सहित)				
	(includes advances against Book Debts)	77981,82,28		64456,05,85	
ii)	बैंक / सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित				
	Covered by Bank/Government Guarantees	33,45		58,56,10	
iii)	असंरक्षित Unsecured	10938,24,17	88920,39,90	10956,15,84	75470,77,79
	जोड़ TOTAL		88920,39,90		75470,77,79
ग.C. I.	भारत में अग्रिम Advances in India				
	i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	31722,21,06		24339,55,60	
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	12668,95,59		12787,04,06	
	iii) र्षेक Banks	216,36,71		271,52,71	
	iv) अन्य Others	44312,86,54	88920,39,90	38072,65,42	75470,77,79
II.	भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India		_		_
	जोड़ TOTAL (ग एवं ग) (C.I & C.II)		88920,39,90		75470,77,79

अनुसूची - 10 : स्थिर आस्तियां SCHEDULE – 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजारों में)

(₹ in thousands)

				मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2014 (Current Year)	-	मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March 2013 (Previous Year)
I.	परिर	तर Premises*				
	1.	विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	1322,03,60		592,12,41	
		(पूर्ववर्ती वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कीमत में वृध्दि शामिल है) (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)				
	2.	वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the Period	3,55,13		35,54,79	
	3.	वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन				
		Addition on account of revaluation during the year	_		1181,27,53	
			1325,58,73		1808,94,73	
	4.	वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	_		486,91,13	
			1325,58,73		1322,03,60	
	5.	अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date	165,97,40	1159,61,33	107,79,23	1214,24,37
II.	अन्य	। स्थिर आस्तियां (इसमें फर्निचर व फिक्स्चर्स शामिल हैं)				
	Oth	er Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
	1.	विगत वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर				
		At cost as on 31st March of the preceding year	842,34,54		730,73,92	
	2.	अवधि के दौरान परिवर्धन Addition during the Period	174,99,49		129,72,89	
			1017,34,03		860,46,81	
	3.	अवधि के दौरान कमी Deduction during the Period	25,85,73		18,12,27	
			991,48,30		842,34,54	
	4.	अद्यतन मूल्य-हास Depreciation to date	705,08,85	286,39,45	627,11,47	215,23,07
	जोड़	TOTAL (l ੲਰਂ ll) (l & ll)		1446,00,78		1429,47,44

इसमें ''कार्य प्रगति पर'' पूंजी ₹ शून्य शामिल है (गत वर्ष ₹ शून्य) Includes Capital "Work in Progress" ₹ Nil (Previous Year ₹ Nil)

अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां SCHEDULE – 11 : OTHER ASSETS

(₹ हजारों में)

		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2014 (Current Year)	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2013 (Previous Year)
l.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)	_	_
II.	उपचित ब्याज Interest accrued	910,03,48	754,32,54
III.	अग्रिम रूप से संदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	834,79,76	723,83,94
IV.	लेखन सामग्री और स्टांप Stationery and Stamps	5,05,98	5,01,93
V.	दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-	_
VI.	अन्य Others *	851,87,20	966,20,99
	जोड़ TOTAL (I,II,III,IV,V एवं VI) (I, II, III, IV, V & VI)	2601,76,42	2449,39,40

^{*} अन्यों में निवल आस्थगित आस्तियां ₹ शून्य शामिल हैं (गत वर्ष ₹ 41,45,43) Note: Others include Net Deffered Assets of ₹ NIL (Previous Year ₹ 41,45,43).

अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं SCHEDULE – 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजारों में)

(₹ in thousands)

		i	मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March 2014 (Current Year)	As	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) on 31st March 2013 (Previous Year)
l.	बैंक के विरुध्द दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है.				
	Claims against the Bank not acknowledged as debts		1221,82,25		1181,54,34
II.	आंशिक संदत्त निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments		_		_
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व*				
	Liability on account of outstanding forward exchange contracts*		13559,63,81		13628,90,10
IV.	संघटकों की ओर से दी गयी प्रतिभूतियां				
	Guarantees given on behalf of constituents				
	(क) भारत में (a) In India	6138,60,38		5656,57,00	
	(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	1615,16,23	7753,76,61	1177,15,86	6833,72,86
V.	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं				
	Acceptances, endorsements and obligations		2584,61,74		2717,58,26
VI.	अन्य मदें जिनके लिये बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है				
	Other items for which Bank is contigently liable		_		_
	जोड़ TOTAL (I, III, III, IV, V एवं VI) (I, II, III, IV, V & VI)		25119,84,41		24361,75,56

^{*} वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं ।

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज SCHEDULE — 13 : INTEREST EARNED

(₹ हजारों में)

(₹ in thousands)

			समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) 31st March, 2014 (Current Year)		जो समाप्त वर्ष (गत वर्ष) d 31st March 2013 (Previous Year)
l.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills		9187,15,19		7298,49,90
II.	निवेशों पर ब्याज Interest on Investments	2591,26,34		2263,27,95	
	घटाएं : निवेशों का परिशोधन Less : Amortisation of Investments	48,23,05	2543,03,29	32,00,27	2231,27,68
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज				
	Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds		150,62,78		81,70,38
IV.	अन्य Others		75,84,42		1,95,25
	जोड़ TOTAL (I, II, III एवं IV) (I, II, III & IV)		11956,65,68		9613,43,21

अनुसूची - 14 : अन्य आय SCHEDULE – 14 : OTHER INCOME

(₹ हजारों में)

			को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ed 31st March, 2014 (Current Year)		को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) ed 31st March, 2013 (Previous Year)
Ī.	कमीशन,विनिमय और दलाली Commission, exchange, and brokerage		544,81,73		491,33,75
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments	121,32,50		154,79,81	
	घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of Investments	18,38,03	102,94,47	10,84,68	143,95,13
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of Investments				
	घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	_	_	_	_
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ				
	Profit on sale of land, buildings and other assets	58,72		64,16	
	घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि				
	Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	79,52	-20,80	75,26	-11,10
V.	विनिमय संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	73,48,41		60,41,78	
	घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	21	73,48,20	5	60,41,73
VI.	भारत / विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों इत्यादि से लागांशों के रूप में अर्जित आय				
	Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/				
	companies and/or Joint Ventures abroad/in India		3,20,43		4,99,08
VII.	विविध आय Miscellaneous Income		169,94,96		211,41,48
	जोइ TOTAL (I, II, III, IV, V, VI एवं VII) (I, II, III, IV, V, VI & VII)		894,18,99		912,00,07

^{*} Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts.

अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE – 15 : INTEREST EXPENDED

(₹ हजारों में)

(₹ in thousands)

		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March, 2014 (Current Year)	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March, 2013 (Previous Year)
I.	जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	7697,04,37	5879,25,28
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	107,92,56	312,27,28
III.	अन्य Others	642,75,59	388,55,92
	जोड़ TOTAL (I, एवं) (I, &)	8447,72,52	6580,08,48

अनुसूची - 16 : परिचालन व्यय SCHEDULE – 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजारों में)

		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March, 2014 (Current Year)	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March, 2013 (Previous Year)
।. कर्मचारियों को भुगतान औ Payments to and provi		1595,75,75	1187,81,69
II. भाड़ा, कर और रोशनी Rent, taxes and lighting	9	162,18,31	132,74,67
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery		23,07,02	18,65,16
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and pub	olicity	15,15,26	16,22,17
V. बैंक की सम्पत्ति पर मूल्य-हा Depreciation on Bank's		99,98,87	73,92,99
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते औ Directors' fees, allowar		1,05,31	,75,30
VII. लेखा परीक्षकों की फीस औ Auditors' fees and exp (इसमें शाखा लेखा परीक्षक (incl. branch auditors' f	enses ं की फीस और व्यय शामिल हैं)	18,00,17	13,20,43
VIII. विधि प्रभार Law Charges		9,62,35	9,89,24
IX. डाक, तार और टेलिफोन अ Postage, Telegrams, Te		34,30,78	29,72,54
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenar	nce	68,96,78	39,87,66
XI. बीमा Insurance		105,30,02	77,47,30
XII. अन्य व्यय Other expenditure		263,34,26	196,35,13
जोड़ TOTAL (I,II,III,IV,V,VI, I	/II,VIII,IX,X,XI एवं XII) (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI & XII)	2396,74,88	1796,64,28

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखा प्रथाएं

- 1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो, संलग्न वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और यह सामान्यतः अनुमोदित लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में वैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों/दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है.
- 1.2 वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अविध हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आस्ति और देयताएं (समाश्रित दायित्व सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में प्राक्कलन और धारणाओं पर विचार किया जाए. प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत है.
- 1.3 ऐसे स्थानों को छोड़कर, जिनका उल्लेख पिरच्छेद 61 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है
- 1.4 राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार है.

2. विदेशी मुद्रा संव्यवहारः

- 2.1 विदेशी मुद्रा व्यवहारों का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा पूर्ववर्ती सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अन्तिम दरों पर किया गया है. तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों व देयताओं का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर किया गया है और उसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ / हानि का हिसाब लाभ व हानि लेखे में किया गया है.
- 2.2 बकाया वायदा विनिमय करार अनुबंधित दरों पर दर्शाए गए हैं और तुलनपत्र दिनांक को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा उपलब्ध कराई गई विनिमय दरों पर उनका पुनर्मूल्यन विनिर्दिष्ट परिपक्वता हेतु किया गया है. उसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ / हानि को भारतीय रिज़र्व बैंक / फेडाई के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया है.
- 2.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों व साख-पत्रों से संबंधित आकिस्मक देयताओं को फेडाई द्वारा उपलब्ध कराई गई अंतिम विनिमय दरों पर तुलनपत्र में दर्शाया गया है.

3. निवेश :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यन निम्नानुसार किया गया है :

- 3.1 निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं.
 - क. परिपक्वता तक धारित
 - ख. बिकी के लिए उपलब्ध
 - ग. व्यापार के लिए धारित
- 3.2 सभी प्रतिभूतियां निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं:
 - क. सरकारी प्रतिभूतियां
 - ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
 - ग. शेयर्स
 - घ. डिबेंचर तथा बांड
 - ङ. सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
 - च. अन्य (वाणिज्यिक प्रपत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, आरआईडीएफ इत्यादि)

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTIONS:

- 1.1 The financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India, the regulatory/ Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, Accounting Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- 1.2 The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the period under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable.
- 1.3 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 6.1 below.
- 1.4 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances are in conformity with the prudential accounting norms issued by Reserve Bank of India from time to time.

2. FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS:

- 2.1 The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/loss is accounted for in the Profit & Loss Account.
- 2.2 Outstanding Forward Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued as on Balance Sheet date at the exchange rates published by FEDAI for specified maturities. The resulting profit/loss is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI Guidelines.
- 2.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI.

3. INVESTMENTS:

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

- 3.1 Investments are classified in the following categories:
 - a. Held to maturity
 - b. Available for sale
 - c. Held for trading
- 3.2 All the securities are further classified in the following six baskets:
 - a. Government Securities
 - b. Other approved Securities
 - c. Shares
 - d. Debentures and Bonds
 - e. Subsidiaries and Joint Ventures
 - Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units, Rural Infrastructure Development Funds, etc).

3.3 बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी तय करता है और उसका वर्गीकरण तदनुसार करता है. निदेशक मण्डल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार प्रतिभूतियों का अंतरण एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण के दिनांक पर बाजार मूल्य / बही मूल्य / अधिग्रहण लागत में से न्यूनतम पर किया जाता है. ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई है, का प्रावधान किया जाता है और प्रतिभूति का मूल्य तदनुसार बदल दिया जाता है

3 4 रेपो/ रिवर्स रेपो

बैंक ने मार्केट रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों के लेखांकन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट एकसमान लेखांकन प्रक्रिया को अपनाया है. रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमित शर्तों पर पुनर्खरीदी करार के साथ संपाष्टिर्वक उधारी/ उधारी परिचालनों के रूप में माना गया है. रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाना जारी रखा गया है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया गया है. बकाया रेपो/रिवर्स रेपो को उधार देने/मियादी देने के अंतर्गत क्रमशः दर्शाया गया है. लागत और राजस्व को मामले के अनुसार ब्याज खर्च/ आय के रूप में लेखाबद्ध किया गया है.

3.5 निवेशों का मूल्यन :

क. परिपक्वता तक धारित

- i) परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन लागत पर किया गया है. जब कभी लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है तो प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अविध में किया जाता है
- ii) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत अन्य निवेशों के मामले में, जहां लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम है वहां अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है। सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के मामले में मूल्य में गिरावट का पता लगाया गया है और उसका प्रावधान किया गया है. क्षेत्रीय प्रामीण बैंकों के निवेश का मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है.
- iii) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) निवल लाभ को पहले लाभ हानि लेखे में लेखाबध्द किया गया और उसके बाद लागू करों तथा संविधिक निधियों से निवल लाभ को पूंजीगत प्रारक्षिति में निवेश किया और (ख) निवल हानि को लाभहानि लेखे में प्रभारित किया गया है.

ख. ब्रिक्री हेतु उपलब्धः

इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया गया है. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन नियत आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघ (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार मूल्य पर किया गया है. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बॉण्डों का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार क्रम निर्धारण और फिमडा द्वारा सुझाई गई पद्धित से किया गया है. कोट किए गए शेयरों का मूल्यन बाजार दर से किया गया है. कोट नहीं किए गए शेयरों का मूल्यन नवीनतम तुलनपत्र के आधार पर बही मूल्य पर किया गया है, यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसे शेयर का मूल्यन ₹ 1 प्रति कंपनी पर किया गया है.

खजाना बिलों और वाणिज्यिक प्रपत्रों का मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है. म्युचुअल फंड लिखतों का मूल्यन बाजार मूल्य पर, पुनर्खरीद मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य पर उनकी उपलब्धता के 3.3 Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is changed accordingly. The transfer of securities from one category to another is made as per permission from or guidelines of Reserve Bank of India.

3.4 REPO / Reverse REPO

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and Securities purchased under Reverse Repo are not included in Investment. Outstanding Repo / Term Repo is disclosed as borrowing and outstanding Reverse Repo is disclosed as lending. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.5 Valuation of investments:

a. Held to Maturity:

- Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at average cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity.
- (ii) In case of other investments under "Held to Maturity" category, where the cost price is less than the face value, the difference is ignored. In case of investments in subsidiaries and joint ventures permanent diminution in value is recognized and provided for. Investment in RRBs is valued at carrying cost.
- (iii) On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter net of applicable taxes and statutory reserve is appropriated to the 'Capital Reserve account' and (b) the net loss is charged to the Profit & Loss Account.

b. Available for Sale:

The individual securities under this category are marked to market. Central Government securities are valued at market rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA]. State Government securities, other approved securities, Debentures and Bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at book value ascertained from the latest available Balance Sheet and in case the latest Balance Sheet is not available, the same is valued at ₹ 1/- per company.

Investments in discounted instruments, viz. Treasury bills, Certificate of deposits and commercial papers are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in Security Receipts /PTCs issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs)

आधार पर इस क्रम में किया गया है.

"बिक्री हेतु उपलब्ध" प्रत्येक उप-श्रेणी के अंतर्गत उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर :

- यदि आंकड़ों का परिणाम अधिमूल्यन है तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है.
- (ii) यदि आंकड़े मूल्यह्रास दर्शाते हैं तो उसे लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है और देयता के अंतर्गत प्रावधान और आकस्मिकताएं शीर्ष के अंतर्गत निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान (एएफएस) को जमा किया गया है.
- (iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक पुनर्मूल्यन को छोड़कर प्रतिभूतियों का बही मूल्य पुनर्मूल्यन के बाद परिवर्तित नहीं हुआ है.
- (iv) इस श्रेणी में निवेशों की बिक्री से हुए लाभ अथवा हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है.

ग. क्रय-विक्रय हेतु धारितः

- इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मूल लागत पर धारित किया गया है इनका मूल्यन बाजार दरों पर अथवा फिमडा द्वारा घोषित कीमतों के अनुसार मासिक अंतरालों पर किया गया है, इस श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक वर्गीकरण के संबंध में निवल मूल्यह्नास, यिद कोई हो, को लाभ हानि खाते में प्रभारित किया गया है और देयता के अंतर्गत निवेश पर मूल्यह्नास पर प्रावधान (एचएफटी) को जमा किया गया है. निवल अधिमूल्यन, यिद कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया गया है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार की गई अपेक्षाओं को छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद प्रतिभूतियों का बही मूल्य नहीं बदला गया है.
- इस श्रेणी में निवेशों की बिक्री से हुए लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में लेखाबध्द किया गया है.
- अनर्जक निवेशों को अभिनिर्धारित किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक
 के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यह्नास / प्रावधान किया गया है.
- च. प्रतिभूतियों के अर्जन के समय उपचित लागतों जैसे दलाली, फीस इत्यादि (इक्विटी/अधिमान शेयरों को छोड़कर, जहां इन्हें अधिग्रहण की लागत माना गया है) को व्यय माना गया है.

छ ब्याज दर स्वैप :

- i) मूल्यांकन :
 - क) हेजिंग स्वैप : हेजिंग आस्ति और देयताओं के लिए ब्याज दर स्वैप को बही में बाजार मूल्य पर अंकित नहीं किया गया है.
 - ख) क्रय-विक्रय स्वैप : क्रय-विक्रय उद्देश्य से ब्याज दर स्वैप को बही में बाजार मूल्य पर अंकित किया गया है.
- ii) डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन :
 - क) हेजिंग स्वैपः आय का लेखांकन वसूली के आधार पर किया गया है. यदि कोई खर्च है और उसको निश्चित किया जा सकता है तो उसका लेखा निपटान उपचय आधार पर किया गया है.
 - ख) क्रय-विक्रय स्वैपः आय या खर्च को वसूली के आधार पर निपटारे के दिनांक को लेखाबध्द किया गया है.
- (iii) स्वैप समाप्ति पर आय तथा हानि का लेखाः
 - क) हेजिंग स्वैपः समाप्त हुए स्वैप पर किसी भी लाभ या हानि को (क) स्वैप की शेष बची संविदात्मक अविध या (ख)आस्ति / देयता की शेष अविध, जो भी कम हो, की अविध के लिए स्वीकार किया गया है.
 - ख) क्रय-विक्रय स्वैपः स्वैप समाप्ति पर किसी भी लाभ या हानि को स्वैप समाप्ति के वर्ष में ही हानि या लाभ के रूप में दर्शाया गया है.

in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.

Based on the above valuation under each of six-sub classifications under 'Available for Sale':

- (i) If it results in appreciation, the same is ignored.
- (ii) If it results in net depreciation, the same is charged to Profit & Loss account and credited to Provision for Depreciation on Investments (AFS) in the liability side.
- (iii) The book value of securities is not changed in respect of marked to market (MTM) except as required by the RBI guidelines.
- (iv) Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.

c. Held for Trading:

- (i) The individual scrips under this category are held at original cost. The same is valued at monthly intervals at market rates or as per the prices declared by FIMMDA and in respect of each classification under this category, net depreciation if any, is charged to Profit & Loss Account and credited to Provision on Depreciation on Investment (HFT) under liability. Net appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.
- (ii) Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit & Loss Account.
- d. The non-performing investments are identified and depreciation/ provision is made as per RBI guidelines.
- e. Costs such as brokerage, fees etc. incurred at the time of acquisition of securities (except equity / preference shares, where it is treated as cost of acquisition) are recognized as expenses.

f. Interest Rate Swaps:

- (i) Valuation:
 - (a) Hedging Swaps: Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.
 - (b) Trading Swaps: Interest Rate Swap for trading purpose is marked to market.
- (ii) Accounting of income on derivative deals:
 - (a) Hedging Swaps: Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.
 - (b) Trading Swaps: Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.
- (iii) Accounting of gain or loss on termination of swaps:
 - (a) Hedging Swaps: Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.
 - (b) Trading Swaps: Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenses in the year of termination.

अग्रिमः

- 4.1 दर्शाए गए अग्रिमों से बट्टे डाले गये खाते, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान, ऋण गारंटी संस्थानों से निपटाए गए दावों और पुनर्भांजन घटाये गये हैं.
- 4.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया गया है.
- 4.3 अर्जिक आस्तियों के लिए प्रावधान को "अन्य देयताओं व प्रावधानों" के शीर्ष में दर्शाया गया है.
- 4.4 पुनर्गठित / पुनर्संरचित खातों के संबंध में, पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में अवनित के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान मूल्य आधार में किया गया है.
- 4.5 वित्तीय पिरसंपितयों की पिरसंपित पुनिर्माण कंपनी (एआरसी)/ प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) की बिक्री के मामले में, यदि बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य पर हुई है, तो इस कमी को लाभ और हानि खाते में नामे डाला गया है. यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है तो अधिशेष प्रावधान को प्रत्यावर्तित नहीं किया गया, बिल्क इसे अन्य वित्तीय पिरसंपित्तयों की बिक्री पर घाटे/हानि की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाएगा.

5. स्थिर आस्तियां एवं मूल्यद्वासः

- 5.1 कतिपय परिसरों जिनका पुनर्मूल्यन किया गया है तथा जिन्हें पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दर्शाया गया है को छोड़कर अन्य परिसरों एवं अन्य स्थिर आस्तियों को लागत पर लेखाबध्द किया गया है.
- 5.2 पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के मामलों को छोड़कर स्थिर आस्तियों (निम्न परिच्छेद 5.3, 5.4, 5.5 को छोड़कर) पर मूल्यहास का प्रावधान, ह्रासमान शेष पध्दित से कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में अनुबध्द दरों पर लिया गया है, जिनके संबंध में इन पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के आकलित स्थायित्व के आधार पर उच्च मूल्यहास किया गया है.
- 5.3 कंप्यूटरों पर मूल्यह्रास सरल रेखा पध्दित से 33.33% की दर पर किया गया है तािक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति का मूल्यह्रासित मूल्य तीन वर्षों में 1 रुपया रह जाए. कम्प्यूटरों में साफ्टवेअर, एटीएम और यूपीएस भी शािमल हैं.
- 5.4 ₹ 5,000/- या कम की मूल लागत वाली स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान खरीद के वर्ष में 100 प्रतिशत करने के बजाय लागू दरों पर किया गया.
- 5.5 वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्तियों पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है. हटाई गई / बेची गई संपत्तियों पर वर्ष के दौरान मूल्यह्रास का कोई प्रावधान नहीं किया गया है.
- 5.6 पुनर्मूल्यन आस्तियों की लागत से अधिक की पुनर्मूल्यन राशि से संबंधित मूल्यह्रास को पिर. 5.2 में उल्लेख किए अनुसार स्थिर आस्तियों की शेष अविध पर ह्रासमान शेष पद्धित पर प्रदान किया गया है और इसे पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि के प्रति समायोजित किया गया है. पूर्णतः मूल्यह्रासित संपत्ति पर पुनर्मूल्यन प्रारक्षित को अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा प्रमाणित इसकी शेष अविध के आधार पर ऋण परिशोधित किया गया है.
- 5.7 पट्टेवाली भूमि का परिशोधन पट्टा अविध में सरल रेखा पध्वित (एसएलएम) पर किया गया है.

राजस्व अभिनिर्धारण ः

- 6.1 निम्नांकित मदों को छोड़कर, जिन्हें नकदी आधार पर लेखाबध्द किया जाता है, समस्त आय तथा लागत को उपचय आधार पर लेखाबध्द किया गया है.
 - क. भारतीय िरज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज.

4. ADVANCES:

- 4.1 Advances shown are net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions and rediscounts.
- 4.2 Classification of advances and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI from time to time.
- 4.3 Provision for performing assets is shown under the head "Other liabilities and provisions".
- 4.4 In respect of Rescheduled/ Restructured accounts, provision for diminution in fair value of restructured advances is made in present value basis as per RBI guidelines.
- 4.5 In case of financial assets sold to Assets Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), if the sale is at price lower than the net book value, the short fall is debited to Profit & Loss Account. If the sale value is higher than the net book value, the surplus provision is not reversed but will be utilized to meet the deficit/ loss on account of sale of other financial assets.

5. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION:

- 5.1 Premises and Other Fixed Assets are accounted for at cost except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.
- 5.2 Depreciation on fixed assets (other than those referred in para 5.3, 5.4, 5.5 below) is provided for on the diminishing balance method at the rates specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.
- 5.3 On computers, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method so as to write down the asset value in three years to Rupee One as per RBI guidelines. Computers include softwares, ATMs and UPS also.
- 5.4 On Fixed Assets having original cost below ₹ 5,000/-, depreciation is provided for at applicable rates instead of providing 100% depreciation in the year of purchase.
- 5.5 Depreciation is provided for full year in respect of assets purchased during the year. No depreciation is provided on assets sold / discarded during the year.
- 5.6 Depreciation relating to revalued amount over and above the cost of the revalued assets, is provided on diminishing balance method over the residual life of the fixed assets as stated in para 5.2 and adjusted against the Revaluation Reserve. Revaluation Reserve on fully depreciated properties is amortized on the basis of their residual life as certified by approved valuers.
- 5.7 Leasehold land cost is amortized over the period of lease on Straight Line Method (SLM).

6. REVENUE RECOGNITION

- 6.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-
 - Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms issued by RBI, from time to time.

- ख. कमीशन से आय यथा-गारंटी, साख पत्र, सरकारी कारोबार, बैंक-बीमा कारोबार, म्युचअल फण्ड कारोबार लॉकर किराया आय.
- ग. खरीदे गए तथा भांजित बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज.
- घ बीमा दावे
- च डिबेंचर न्यासी व्यवसाय पर पारिश्रमिक
- छ. ऋण प्रक्रिया शुल्क
- ज. व्यापारी बैंकिंग परिचालन व हामीदारी कमीशन से आय
- झ. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाओं पर प्राप्त संव्यवहार प्रसंस्करण शुल्क
- 6.2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अतिदेय जमाराशियों पर देय ब्याज का प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 22.08.2008 के परिपन्न के दिनांक से उपचय आधार पर किया गया है तथा शेष का प्रावधान नवीकरण के समय किया गया है.

7. कर्मचारी अनुलाभ :

परिभाषित अंशदान योजना : परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए / अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है.

परिभाषित अनुलाभ योजना : परिभाषित अनुलाभ योजनाओं हेतु बैंक की देयताओं का निर्धारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपचित मूल्यांकन आधार पर किया गया है. अनुमानित इकाई जमा पद्धित के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यन तुलनपत्र के दिनांक को किया गया है. बीमांकिक लाभ और हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है.

आस्तियों की हानि

पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों की हानि, यदि कोई है को सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 28 - आस्तियों की हानि के अनुसार दर्शाया गया है.

9. प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्ति

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के मानक 29 "प्रावधान-आकिस्मक देयता और आकिस्मक आस्ति" के अनुसार बैंक ने प्रावधान का निर्धारण केवल तब ही किया है जब किसी पूर्व घटना के कारण उसका वर्तमान में दायित्व उत्पन्न हुआ हो. यह संभव है कि दायित्व का निपटान करने हेतु आर्थिक लाभों से युक्त संसाधनों के बाहरी प्रवाह की आवश्यकता पड़ेगी जब दायित्व की रकम का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकेगा.

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि इसके कारण ऐसी आय का निर्धारण हो सकता है, जो कभी न हुई हो.

10. निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

घोषित निवल लाभ, आकस्मिकताओं व प्रावधानों के उपरांत है जिनमें निवेशों के मूल्य का समायोजन, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना, कराधान के लिए प्रावधान (आस्थिगित कराधान, अनुषंगी लाभ कर सहित), अग्रिमों के लिए प्रावधान तथा आकस्मिकताएं / अन्य शामिल हैं.

11. आयकर :

वर्ष के दौरान किये गये कर प्रावधानों में चालू आयकर, संपत्ति कर और आस्थिगित कर के प्रति देयताएं शामिल हैं. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार करयोग्य आय तथा लेखा योग्य आय के समय अन्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थिगित कर आस्तियों

- Income from commission viz on Guarantees, Letter of Credit, Government business, Bancassuarance, Mutual Fund business and Locker Rent.
- Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.
- d. Insurance claims.
- e. Remuneration on Debenture Trustee Business.
- f. Loan Processing Fees.
- Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.
- Transaction processing fees received on utility bill pay services through internet banking.
- 6.2 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at Saving Bank rate effective from date of RBI circular dated 22.08.2008, and the balance at the time of renewal.

7. EMPLOYEES' BENEFITS:

Defined Contribution Plan: The contribution paid / payable under defined contribution benefit schemes are charged to Profit & Loss Account.

Defined Benefit Plans: Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined on the basis of an actuarial valuation made at the end of financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit & Loss Account.

8. IMPAIRMENT OF ASSETS:

Impairment losses if any, on fixed assets including Revalued Assets, are recognized in accordance with Accounting Standard 28- Impairment of Assets issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and charged to Profit & Loss Account.

PROVISIONS CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per the Accounting Standard 29-"Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may never be realized.

10. NET PROFIT, PROVISIONS AND CONTINGENCIES:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred tax), provision for advances and contingencies/others.

11. INCOME TAX:

The provision for tax for the year comprises liability towards Current Income Tax, Wealth Tax and Deferred Tax. The deferred tax asset/ liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting

एवं देयताओं की पहचान की गई है. आस्थिगत कर आस्तियों और देयताओं ब्याज दर में परिवर्तन का प्रभार परिवर्तन की प्रयोज्यता की अविध में लाभ और हानि खाते में अभिनिर्धारित किया गया है

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय उस वर्ष में लिया गया है जब संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया. दूसरी अपील (अर्थात् आईटीए द्वारा) में मांग को जारी रखे जाने पर आयकर प्राधिकारियों द्वारा मांग की गई राशि, उस पर ब्याज सहित, का प्रावधान किया गया.

12. पति शेयर अर्जन :

प्रति ईक्विटी शेयर मूल और विरल अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एएस - 20) "प्रति शेयर अर्जन" के अनुरूप की गई है. प्रति शेयर मूल अर्जन संबंधित अवधि हेतु बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा निवल लाभ को भाग देकर निकाली गई है. संबंधित अवधि के दौरान बकाया विरल संभावित ईक्विटी शेयर और भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या का उपयोग कर प्रति ईक्विटी शेयर विरल अर्जन की गणना की गई है.

income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by ICAI. The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the Profit & Loss Account in the period of applicability of the change.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Income Tax authorities including the interest thereon is provided for when the demand is upheld in the second appeal (i.e. by ITAT).

12. EARNINGS PER SHARE

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with the Accounting Standard (AS-20) "Earnings Per Share" issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

अनुसूची 18: खातों पर टिप्पणियां

(नोट - कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

1. पूंजी

(₹ करोड में)

			(1 4)(15 4)
क्र. सं.	मदें	31.03.14 को	31.03.13 को
i.	सामान्य इक्विटी टियर- 1 पूंजी का अनुपात (%)	6.69	ला.न.
ii.	टियर- 1 पूंजी का अनुपात (%)	7.44	ला.न.
iii	टियर- २ पूंजी का अनुपात(%)	3.35	ला.न.
iv.	कुल पूंजी का अनुपात - (सीआरएआर) (%)	10.79	ला.न.
٧.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	85.21	81.24
vi.	उगाही गई इक्विटी पूंजी की राशि	177.62	71.88
vii	उगाही गई अतिरिक्त टियर- 1 पूंजी की राशि जिसमें से पीएनसीपीसीः	शून्य	शून्य
	पीडीआईः		
viii.	उगाही गई अतिरिक्त टियर- 1 पूंजी की राशि जिसमें से ऋण पूंजी लिखतः	शून्य	1000.00
	अधिमानी शेयर पूंजी लिखतः (बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर्स (पीएनसीपीएस)/ प्रतिदेय गैर संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर्स (आरएनसीपीएस) / प्रतिदेय संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर्स (आरसीपीएस)	शून्य	शून्य

बैंक द्वारा वर्ष के दौरान भारत सरकार को अधिमान आबंटन आधार के माध्यम से ₹ 800.00 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) की ईक्विटी पूँजी उगाही गई.

(₹ करोड़ में)

विवरण	आबंटन का दिनांक	जारी शेयरों की संख्या	ईक्विटी शेयर पूंजी (₹)	शेयर प्रीमियम (₹)	कुल (₹)
भारत सरकार	20.12.2013	177619893	177.62	662.38	800.00

पीएनसीपीएस का इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तनः

भारत सरकार ने अपने दिनांक 16.04.2014 के पत्र क्रमांक एफ.क्र.11/17/2013-बीओए द्वारा 588 करोड के बेमीयादी गैर संचयी अधिमानी शेयर पूंजी (पीएनसीपीएस) के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने का अनुमोदन दिया और सभी आवश्यक अनुमोदन और अनुपालन प्राप्त करने के पश्चात अधिमानी आधार पर अपने पक्ष में उन्हें आबंटित किया.

2. निवेश

बैंक ने निवेश संविभाग को क्रमशः "परिपक्वता तक धारित", 'बिक्री हेतु उपलब्ध' और 'व्यापार हेतु धारित' तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यन किया है.

2.1 बैंक के कुल निवेश निम्नानुसार है. सभी निवेश भारत में हैं भारत के बाहर निवेश नहीं है:

(₹करोड़ में)

				((4) (10 1)
		मदें	31-03-2014	31-03-2013
(1)	निवेध	शों का मूल्य		
	(i)	निवेशों का सकल मूल्य	37315.87	31497.73
	(ii)	मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	66.29	67.41
	(iii)	निवेशों का निवल मूल्य	37249.58	31430.32
(2)	निवेः	शों पर मूल्यहास हेतु धारित प्रावधान	नों की गतिशीलता	
	(i)	प्रारंभिक शेष	67.41	166.91
	(ii)	जोड़िएः वर्ष के दौरान किए गए	25.98	Nil
		प्रावधान		

SCHEDULE 18: NOTES ON ACCOUNTS

(Note: Figures in bracket relate to previous year)

1. Capital:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
i)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (%)	6.69	N.A
ii)	Tier 1 Capital Ratio (%)	7.44	N.A
iii)	Tier 2 Capital Ratio (%)	3.35	N.A
iv)	Total Capital Ratio (CRAR) (%)	10.79	N.A
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India in public sector banks	85.21	81.24
vi)	Amount of Equity Capital raised	177.62	71.88
vii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised of which PNCPC:	Nil	Nil
viii)	Amount of Tier 2 Capital raised: Of Which Debt Capital Instrument:	Nil Nil	1000.00
	Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Shares (PNCPS)/ Redeemable Non-Cumulative Pre-ference Shares(RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	Nil	Nil

The Bank has raised equity capital of \ref{thmost} 800.00 crore (including share premium) through preferential allot-ment basis to Government of India, during the year:

(₹ in crore)

Particulars	Date of Allotment	No. of Shares issued	Equity share capital (₹)	Share premium (₹)	Total (₹)
Government of India	20.12.2013	177619893	177.62	622.38	800.00

Conversion of PNCPS into Equity Share Capital:

Government of India (GOI), vide its letter No.F.No.11/17/2013-BOA, dt.16.04.2014, has given approval to convert Perpetual Non-Cumulative Preference Share Capital (PNCPS) of ₹ 588 crore, into equity shares and allot the same in its favour on preferential basis, after obtaining to all necessary approval and com-pliance.

2. Investments:

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. "Held to Maturity", "Availa-ble for Sale", and "Held for Trading" and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India (RBI) guidelines.

2.1 The Total Investments of Bank, as under, are all in India and no Investments are outside India:

(₹ in Crore)

		Items	31.03.2014	31.03.2013
(1) Value of Investments				
	(i)	Gross Value of Investments	37315.87	31497.73
	(ii)	Provisions for Depreciation	66.29	67.41
	(iii)	Net Value of Investments	37249.58	31430.32
(2)	Mov	ement of provisions held towa	rds depreciation	on investments
	(i)	Opening balance	67.41	166.91
	(ii)	Add: Provisions made during the year	25.98	Nil

	मदें	31-03-2014	31-03-2013
(iii)	घटाइएः वर्ष के दौरान पुनर्लेखांकित किए गए / बट्टे खाते डाले गए अधिक प्रावधान	22.99	23.64
(iv)	बट्टे खाते हेतु प्रयुक्त प्रावधान	Nil	Nil
(V)	प्रतिभूति अंतरण के समय प्रयुक्त प्रावधान	4.11*	75.86
(vi)	अंतिम शेष	66.29	67.41

^{&#}x27; दर्शाता है : एचएफटी संविभाग में ऐसी प्रतिभूति के धारण हेतु उपलब्ध अधिकतम अवधि, अर्थात 90 दिनों के पूर्ण होने पर एचएफटी संविभाग से एएफएस संविभाग में प्रतिभूतियों के अंतरण पर मूल्यहास.

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में 4178.99 करोड़ की राशि की प्रतिभूतियां और एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में ₹ 648.51 करोड़ राशि की प्रतिभूतियां अंतिरत की और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 23 अगस्त 2013 के दिशानिर्देशो डीबीओडी.बीपी.बीसी संख्या.41/21.04.141/2013-14 के अनुसार ₹ 114.20 करोड़ की राशि का मूल्यद्वास लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया.

नोटः

वर्ष के दौरान बैंक ने एएफएस व एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में अथवा इसके विपरीत प्रतिभूतियों का अंतरण नहीं किया, केवल भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 23.8.2013 के परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी क्र.41/ 21.04.141/2013-14 के अनुसार एएफएस व एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण को छोड़कर. गत वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में ₹ 69.99 करोड और एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में ₹ 5.87 करोड की प्रतिभूतियां अंतरित करते हुए अवमूल्यन के कारण निवेश पर मूल्यङ्गास हेतु प्रावधान को समायोजित किया.

2.2 रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के संबंध में)

(₹ करोड़ में)

				,	(47 (10 -1)
	ब्यौरे	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया	31 मार्च, 2014 को
	के अधीन बेची गई ग्रियां				
1.	सरकारी प्रतिभूतियां				
	क) रेपो उधारियां	शून्य	4800.00	934.00	2170.00
	(एलएएफ)	(शून्य)	(5825.00)	(2413.95)	(800.00)
	ख) रेपो उधारियां	शून्य	1094.00	70.00	74.00
	(मीयादी)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
2.	कार्पोरेट ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रतिभूतियां	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
1	र्न रेपो के अंतर्गत खरीदी ग्रिभूतियां				
1.	सरकारी	शून्य	500.00	13.03	(शून्य)
	प्रतिभूतियां	(शून्य)	(887.04)	(30.50)	(शून्य)
2.	कार्पोरेट ऋण	शून्य	50.28	0.14	शून्य
	प्रतिभूतियां	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)

^{* 365} दिन को आधार मानकर परिकलित.

	Items	31.03.2014	31.03.2013
(iii)	Less: Write off/ Write-back of excess provisions during the year	22.99	23.64
(iv)	Provision used for Written- off	Nil	Nil
(v)	Provision used while shifting securities	4.11*	75.86
(vi)	Closing balance	66.29	67.41

^{*} Represents depreciation on shifting of securities from HFT portfolio to AFS portfolio on completion of 90 days, the maximum period available for holding such security in HFT portfolio.

During the year, the Bank has transferred securities from AFS category to HTM category amounting to ₹ 4178.99 crore and from HFT category to HTM category amounting to ₹ 648.51 crore and charged to Profit & Loss account, depreciation amounting to ₹ 114.20 crore (₹ Nil crore) in terms of RBI guidelines DBOD.BP.BC.No.41/21.04.141/2013-14, dated August 23, 2013.

Note:

During the year, the Bank has not shifted securities from AFS and HFT categories to HTM category or vice-a-versa except the transfer of securities from AFS and HFT categories to HTM category as per the RBI circular DBOD.BP.BC.No.41/21.04.141/2013-14, dated August 23, 2013. In the previous year 2012-13, the Bank adjusted provision for depreciation on investment on account of diminution in value, while shifting of securities from AFS category to HTM category ₹ 69.99 Crore and from HFT category to HTM category ₹ 5.87 Crore.

2.2 Repo Transactions (In face value terms)

(₹ in Crore)

	Pá	articulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average out- standing during the year	As on March 31, 2014
Sec		sold under				
i.		ernment urities				
	a)	Repo Borrowing (LAF)	Nil (Nil)	4800.00 (5825.00)	934.00 (2413.95)	2170.00 (800.00)
	b)	Repo Borrowing (Term)	Nil (Nil)	1094.00 (Nil)	70.00 (Nil)	74.00 (Nil)
ii.		oorate debt urities	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)
1		purchased erse repos				
i.		ernment urities	Nil (Nil)	500.00 (887.04)	13.03 (30.50)	(Nil) (Nil)
ii.		oorate debt urities	Nil (Nil)	50.28 (Nil)	0.14 (Nil)	Nil (Nil)

^{*} Calculated taking base 365 days.

2.3 गैर-एसएलआर निवेशों का संविभागः

गैर एसएलआर निवेशों का निर्गमकर्तावार संमिश्र

2.3 Non-SLR Investment Portfolio

i) Issuer composition of Non-SLR Investments

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

த். No.	निर्गमकर्ता Issuer	रकम Amount	निजी प्लेसमेंट का विस्तार Extent of Private Placement	निवेश से कम ग्रेड वाली प्रतिभूतियों का विस्तार Extent of 'Below Investment Grade' Securities	गैरक्रम वाली प्रतिभूतियों का मात्रा Extent of 'Un- rated' Securities	असूचीबध्द प्रतिभूतियों का मात्रा Extent of 'Un- listed' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सरकारी उपक्रम PSU s	141.61 (359.98)	117.57 (326.50)	0.00 (0.00)	0.00 0.00	(0.00) (2.00)
(ii)	वित्तीय संस्थाए FIs	283.09 (214.54)	242.67 (174.12)	0.00 (0.00)	(0.00) (0.00)	24.72 (32.96)
(iii)	र्वेक Banks	749.00 (1081.64)	724.06 (1040.81)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	निजी निगमित निकाय Private Corporate	483.11 (593.20)	413.70 (517.55)	151.78 (67.95)	0.00 (3.01)	11.13 (15.25)
(v)	सहायक/संयुक्त उद्यम Subsidiaries/ Joint Ventures	73.42 (73.42)	73.42 (73.42)	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.
(vi)	अन्य-आरआईडीएफ* Others - including RIDF*	5273.91 (3771.58)	5255.96 (3753.64)	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.
	उप जोड़ SUB TOTAL	7004.14 (6094.36)	6827.38 (5886.04)	151.78 (67.95)	0.00 (3.01)	35.85 (50.21)
(vii)	धारित प्रावधान Provision held towards (i) मूल्यङ्गास Depreciation	25.32 (32.36)				
	(ii) एनपीआई NPI	11.45 (0.00)	_	_	_	_
	(iii) पुनर्संरचित खाते Restruc-tured Account	16.57 (2.03)				
	कुल Total	6950.80 (6059.97)	6827.38 (5886.04)	151.78 (67.95)	0.00 (3.01)	35.85 (50.21)

^{**} आरआईडीएफ - ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि

टिप्पणी :

- (i) उक्त (v) में सहायक संस्थाएं/संयुक्त उद्यम होने के कारण तथा व (vi) में आरआईडीएफ होने के कारण अन्य में निवेश भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार रेटिंग व लिस्टिंग आवश्यकताओं से मुक्त है.
- (ii) कॉलम 4,5,6 व 7 में रिपोर्ट की गई राशि परस्पर असंबध्द नही हैं.
- (iii) कुल ₹ 6950.80 करोड़ (₹ 6059.97 करोड़) के कुल निवेश में ₹ 2.94 करोड़ (₹ 2.94 करोड़) के सरकारी तेल बंधपत्र और ₹ 112.12 करोड़ (शून्य करोड़) के राजस्थान स्पेशल बंधपत्र शामिल हैं. बैंक के तुलन पत्र की अनुसूची 8 में भी इन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में शामिल किया गया है.

ii) गैर एसएलआर अनर्जक निवेश

(₹ करोड़ में)

ब्यौरें	31.03.2014	31.03.2013
प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
वर्ष के दौरान परिवर्धन	76.30	0.00
वर्ष के दौरान कमी	0.00	0.00
अंतिम शेष	76.30	0.00
किए गए कुल प्रावधान	11.45	0.00

2.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'पिरपक्वता तक धारित' निवेश के विक्रय से हुए लाभ की ₹ 12.86 करोड़ (₹ 20.63 करोड़) की राशि करों और सांविधिक आरक्षितियों के बाद पूंजी प्रारक्षित निधि में अंतरित कर दी गयी.

Note

- (i) Investments as in (v) being "subsidiaries/ Joint Ventures, &
 (vi) being "Others including RIDF are exempted from rating &
 Listing requirements as per RBI guidelines.
- (ii) Amounts reported under columns 4, 5, 6 & 7 may not be mutually exclusive.
- (iii) The total investment of ₹ 6950.80 crore (₹ 6059.97 crore) includes one GOI Oil Bond of ₹ 2.94 crore (₹ 2.94 crore) & Rajastan Special Bonds of ₹ 112.12 crore (₹ Nil crore). The same has been included in Govt. Securities in Schedule 8 to the Balance Sheet.

ii) Non performing Non-SLR investments

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Opening balance	0.00	0.00
Additions during the year	76.30	0.00
Reductions during the year	0.00	0.00
Closing balance	76.30	0.00
Total provisions held	11.45	0.00

2.4 As per RBI guidelines, an amount of ₹ 12.86 crore (₹ 20.63 Crore) net of taxes and statutory reserves being profit on sale of investment in 'Held to Maturity' category is transferred to Capital Reserve.

^{**} RIDF- Rural Infrastructure Development Fund

- 2.5 बैंक ने वर्ष के दौरान 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में वर्गीकृत ₹ 48.23 करोड़ (₹ 32.00 करोड़) का परिशोधन किया और संबंधित प्रतिभूति के मूल्य को उस सीमा तक कम करते हुए रकम को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया.
- 2.6 वर्ष के दौरान निवल लाभ में से ₹ 11.39 करोड (₹ 16.11 करोड) समायोजित किया गया जो निवल कर तथा समानुपातिक सांविधिक आरक्षित निधि, निवेश के मूल्य पर बाजार हेतु चिन्हित के संदर्भ में मूल्यहास के प्रतिलेखन पर आरक्षित निवेश था.

3 डेरिवेटिवः

3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड में)

	मदें	31.3.2014	31.3.2013
i)	स्वैप करारों का कल्पित मूलधन	100.00	600.00
ii)	यदि प्रतिपक्ष करारों के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा न करें तो इस स्थिति में होने वाली हानियां	शून्य	शून्य
iii)	स्वैप करार हेतु बैंक से अपेक्षित प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv)	स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम एकत्रीकरण	शून्य	शून्य
V)	स्वैप खाताबंदी का उचित मूल्य (+) प्राप्ति/(-) देय	(-)3.75	(-)3.13

बैंक ने आईआरएस/एफआरए हेतु नीति दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं. किल्पत मूलधन के संबंध में आईआरएस/एफआरए की अनुमोदित सीमा ₹ 2000 करोड़ है. 31 मार्च 2014 के अनुसार बैंक की 4 (चार) बकाया स्वैप रही, जिसकी सांकेतिक मूल राशि ₹ 100 करोड़ रही और नियत ब्याज प्राप्त करना तथा अस्थायी दर पर भुगतान करना या इसके विपरीत स्वैप की शर्ते हैं. उक्त 4 (चार) स्वैप में से सभी ओआईएस स्वैप ₹ 100 करोड़ ट्रेडिंग के लिए बकाया क्रय-विक्रय स्वैप हेतु एमटीएम मूल्यांकन ₹ (-) 3.75 करोड़ रहा.

3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्जः

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ब्यौरे	2013-14	2012-13
1	वर्ष के दौरान (लिखत-वार) किए गए एक्सचेंज लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का किल्पत मूलधन	शून्य	शून्य
2	31 मार्च को बकाया (लिखत-वार) एक्सचेंज लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
3	'उच्च प्रभावी' नहीं और बकाया (लिखत-वार) एक्सचेंज लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
4	'उच्च प्रभावी' नहीं और बकाया (लिखत वार) एक्सचेंज लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य	शून्य	शून्य

3.3 डेरिवेटिव जोखिम विगोपन पर प्रकटन

क) गुणात्मक प्रकटनः

 निदेशक मंडल ने डेरिवेटिव नीति का अनुमोदन किया, जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम के मापन भी शामिल हैं.

- 2.5 The Bank has amortized ₹ 48.23 crore during the year (₹ 32.00 Crore) for securities classified 'Held to Maturity' category, and the amount has been charged to Profit & Loss account by reducing value of the respective securities to that extent
- 2.6. An amount of ₹ 11.39 crore (₹ 16.11 crore) has been appropriated from Net Profit, being Investment Reserve on account of write back of depreciation with reference to Mark to Market (MTM) value of Investment, net of tax and proportionate Statutory Reserve.

3. Derivatives:

3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(₹ in Crore)

	Items	31.03.2014	31.03.2013
i)	The notional principal of swap agreements	100.00	600.00
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	Nil	Nil
iii)	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	Nil	Nil
v)	The fair value of the swap book (+) To receive / (-) To pay	(-)3.75	(-)3.13

The Bank has in place policy guidelines for IRS/FRAs. The approved ceiling for IRS/ FRAs in terms of notional principal is ₹ 2000 crore. As on 31st March 2014, the Bank had 4 (four) outstanding swaps for notional principal value of ₹ 100 crore and the terms of swaps are to receive fixed interest and pay floating rate. Out of 4 (four) swaps, all OIS swaps for notional principal of ₹ 100 crore, were for trading purpose. MTM valuation for outstanding trading swaps is ₹ (-)3.75 crore.

3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ in Crore)

S.N.	Particulars	2013-14	2012-13
1	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	NIL	NIL
2	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March (instrument-wise)	NIL	NIL
3	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL	NIL
4	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL	NIL

3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

A) Qualitative Disclosure

 Derivative policy is approved by the Board, which includes measurement of credit & market risk.

- 2) उक्त की निगरानी के लिए बैंक में हेजिंग व प्रोसेसेस नीतियां लागू हैं.
- तुलनपत्र प्रबंधन हेतु हेजिंग व्यवहार किए गए हैं. जोखिमों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उचित प्रणाली विद्यमान है.
- 4) डेरिवेटिव परिचालनों के जोखिम प्रबंधन कार्य के प्रमुख एक उच्च स्तरीय प्रबंधन कार्यपालक होते हैं, जो बैंक के प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं. स्वैपों की निगरानी नियमित आधार पर की जाती है.
- 5) बैंक में प्रतिरक्षित और गैर प्रतिरक्षित व्यवहारों को अभिलेखबध्द करने की उचित लेखा नीति विद्यमान है, जिसमें आय निर्धारण, बकाया करारों का मूल्यांकन और ऋण जोखिम को कम करना शामिल है जैसािक महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों की अनुसूची 17 के पिरच्छेद 3.5 ((एफ) (ii) में बताया गया है
- 6) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और चालू विगोपन प्रक्रिया के अनुसार परिकलित संविदा डेरिवेटिव के ऋण विगोपन पर अपेक्षित प्रावधान कर लिए हैं.

ख) मात्रात्मक प्रकटन :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	करेन्सी डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
(i)	डेरिवेटिव (कल्पित मूलधन)		
	क) हेजिंग के लिए	5466.75	0.00
	ख) व्यापार के लिए	8092.89	100.00
(ii)	बाजार हेतु चिन्हित स्थितियां [1]		
	क) आस्ति (+)	81.33	-
	ख) देयताएं (-)	शून्य	(-) 3.75
(iii)	ऋण विगोपन [2]	352.52	2.03
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित असर (100*पीवी 01)		
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	4.21	0.00
	ख) व्यापार डेरिवेटिव पर	4.11	2.41
(V)	वर्ष के दौरान 100*पीवी 01 अवलोकित अधिकतम और न्यूनतम स्तर		
	1) हेजिंग पर	अधिकतम	अधिक.
		4.21	ला.न.
		न्यूनतम 0.01	न्यूनतम
	2) व्यापार पर	अधिकतम	अधिक. 3.25
		12.40	न्यूनतम 2.41
		न्यूनतम 0.10	

3.4 डेरिवेटिव विगोपन पर मानक प्रावधानः

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	ऋण विगोपन	31.03.2014 को मानक अग्रिमों पर लागू प्रावधान
1	ब्याज दर डेरिवेटिव	2.30*	0.00**
2	विदेशी विनिमय डेरिवेटिव	464.60	1.86
3	स्वर्ण संविदा	शून्य	शून्य
4	ऋण चूक स्वैप	शून्य	शून्य
	कुल	466.83	1.86

ऋण विगोपन की गणना बेसल III - के आरडब्ल्यूए दिशानिर्देशों के अनुसार.

- (ii) Policy for hedging and processes for monitoring the same are in place.
- (iii) The hedged transactions are undertaken for Balance Sheet management. Proper system for reporting and monitoring of risks is in place.
- (iv) Risk Management of derivative operations is headed by a Top Management Executive who reports to Head Office. The swaps are tracked on regular basis.
- (v) Accounting Policy for recording hedge and non hedge transactions is in place, which includes recognition of income, valuation of outstanding contracts and credit risk mitigation as given in para 3.5 (f)(ii) of Schedule 17, viz., Significant Accounting Policies.
- (vi) The Bank has made requisite provision on credit exposure of derivative contracts computed as per current exposure method & as per RBI guidelines.

B) Quantitative Disclosures

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particular	Currency derivatives	Interest rate derivatives
(i)	Derivatives (Notional Principal amount)		
	(a) For hedging	5466.75	0.00
	(b) For Trading	8092.89	100.00
(ii)	Marked to Market Position [1]		
	(a) Asset (+)	81.33	-
	(b) Liability (-)	Nil	(-) 3.75
(iii)	Credit Exposure [2]	352.52	2.03
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	(a) On hedging derivatives	4.21	0.00
	(b) On trading derivatives	4.11	2.41
(v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
	(a) On hedging	Max : 4.21 Min : 0.01	Max : NA Min : NA
	(b) On trading	Max : 12.40 Min : 0.10	Max : 3.25 Min : 2.41

3.4 Standard provision on derivative exposure:

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	Credit Exposure	Provision as applicable to standard advances as on 31.03.2014
1	Interest rate derivative	2.03*	0.00**
2	Foreign exchange derivative	464.60	1.86
3	Gold contract	Nil	Nil
4	Credit default swaps	Nil	Nil
	Total	466.63	1.86

 ^{*} Credit Exposure calculated as per RWA guidelines of Basel III.

^{**} चूंकि निश्चित एमटीएम की कोई स्थिति नहीं है, अतः प्रावधान शून्य है.

^{**} Since there is no position with positive MTM, hence provision is zero.

4 आस्ति गुणवत्ता

4.1 अनर्जक आस्तियां

(₹ करोड़ में)

			(x 0/15 4)
	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
(i)	निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	2.03	0.52
(ii)	अनर्जक आस्ति गतिशीलता (सकल)		
	(क) प्रारंभिक शेष	1137.55	1297.03
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	2589.28	807.55
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	866.98	967.03
	(घ) अंतिम शेष	2859.85	1137.55
(iii)	निवल अनर्जक आस्तियों की गतिशीलता		
	(क) प्रारंभिक शेष	392.93	469.57
	जोड़े- इसीजीसी/डीआईसीजीसी निपटाये	33.14	33.58
	गये खाते		
	सकल प्रारंभिक शेष	426.07	503.15
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1786.85	233.57
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	372.26	310.65
	(घ) सकल अंतिम शेष	1840.66	426.07
	घटायें- इसीजीसी/डीआईसीजीसी निपटाये	33.34	33.14
	गये खाते		
	निवल अन्तिम शेष	1807.32	392.93
(iv)	अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों की गतिशीलता		
	(मानक आस्तियों के प्रावधानों के अतिरिक्त)		
	(क) प्रारंभिक शेष	709.69	790.11
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	742.51	582.70
	(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का	442.30	663.12
	प्रतिलेखन/बट्टे खाते डालना		
	(घ) अंतिम शेष	1009.90	709.69

4.2 आस्ति पुनर्निमाण हेतु प्रतिभूतिकरण एवम् पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

			(/ d)/(5 4)
क्र. सं.	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1.	खातों की संख्या	23	शून्य
2.	प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों का (प्रावधानों के बाद) कुल मूल्य	44.95	0.00
3.	कुल प्रतिफल	257.60	0.00
4.	पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के मामले में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	0.00	0.00
5.	शुध्द खाताबही मूल्य की तुलना में कुल प्राप्ति	9.60	0.00

4.3 खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1.	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों	शून्य	शून्य
	की संख्या		
	(ख) सकल बकाया	0.00	0.00
2.	(क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्निर्मित	शून्य	0.00
	खातों की संख्या		
	(ख) सकल बकाया	0.00	0.00

4.4 बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.3.2014	31.03.2013
1.	वर्ष के दौरान बेचे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2.	सकल बकाया	0.00	0.00
3.	प्राप्त सकल प्रतिफल	0.00	0.00

4. Asset Quality

4.1 Non-Performing Assets

(₹ in Crore)

				(₹ III Crore
		Particulars	31.03.2014	31.03.2013
(i)	Net	NPAs to Net Advances (%)	2.03	0.52
(ii)	Mov	rement of NPAs (Gross)		
	(a)	Opening balance	1137.55	1297.03
	(b)	Additions during the year	2589.28	807.55
	(c)	Reductions during the year	866.98	967.03
	(d)	Closing balance	2859.85	1137.55
(iii)	Mov	ement of Net NPAs		
	(a)	Opening balance	392.93	469.57
	Add	d: ECGC/DICGC Settled amount	33.14	33.58
	Gros	ss: Opening Balance	426.07	503.15
	(b)	Additions during the year	1786.85	233.57
	(c)	Reductions during the year	372.26	310.65
	(d)	Gross closing balance	1840.66	426.07
	Less	s ECGC/DICGC Settled amount	33.34	33.14
	Net	closing Balance	1807.32	392.93
(iv)	Mov	rement of provisions for NPAs (excepts)	luding provision	s on standard
	(a)	Opening balance	709.69	790.11
	(b)	Provisions made during the year	742.51	582.70
	(c)	Write-back/write off of excess provisions	442.30	663.12
	(d)	Closing balance	1009.90	709.69

4.2 Details of financial assets sold to securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
1	No. of accounts	23	Nil
2	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC.	44.95	0.00
3	Aggregate consideration	257.60	0.00
4	Additional consideration realized in respect of accounts trans-ferred in earlier years	0.00	0.00
5	Aggregate gain/loss over net book value.	9.60	0.00

4.3 Details of non- performing financial assets purchased

(₹ in Crore)

		Particulars	31.03.2014	31.03.2013
1.	(a)	No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	0.00	0.00
2.	(a)	Of these, no of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	0.00	0.00

$4.4 \quad \hbox{Details of non-performing financial assets sold}$

	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
1.	No. of accounts sold during the year	Nil	Nil
2.	Aggregate outstanding	0.00	0.00
3.	Aggregate consideration received	0.00	0.00

4.5 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

क्र. सं.			विवरण	सं. / राशि (₹ करोड़ में)
1	प्रतिः संख			
2	बैंक प्रतिः			
3	तुल- धारि			
	क)			
	ख)			
4			र के अलावा प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों के प्रति जी राशि	
	क)	तुल	नपत्र बाह्य विगोपन	शून्य
		i)	स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन	C.
			प्रथम हानि	
			अन्य	
		ii)	तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन	
			प्रथम हानि	
			अन्य	
	ख)	तुल	नपत्र की मदों के अंतर्गत विगोपन	
		i)	स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन	
			प्रथम हानि	
			अन्य	
		ii)	तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन	
			प्रथम हानि	
			अन्य	

4.5 **Disclosure relating to Securitization:**

Sr. No.	Particulars	No. / Amount in ₹ crore
1	No of SPVs sponsored by the bank for securitisation transactions	
2	Total amount of securitised assets as per books of the SPVs sponsored by the bank	
3	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet	
	a) Off-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
4	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	NIL
	a) Off-balance sheet exposures	
	i) Exposure to own securitizations	
	First loss	
	Loss	
	ii) Exposure to third party securitisations	
	First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	i) Exposure to own securitisations	
	First loss	
	Others	
	ii) Exposure to third party securitisations	
	First loss	
	Others	

(र करोड़ में) (र in Crore)

4.6 पुनर्सरिचित खातों के ब्योरे Particulars of Accounts Restructured बैंक का नाम : बैंक ऑफ महाराष्ट्र NAME OF THE BANK: BANK OF MAHARASHTRA

		-		·0	T -	Τ.						_			
		ಕ್ರಾ Total		1916	4631.79	170.27	18920	224.24	224.24	0	0.00	0.00	-28	-621.29	4.39
		हानि Loss		2	13.74	00:00	80	0.61	00:00	0	00:00	0.00			
	कुल Total	संदिग्ध Doubt-	⊉	5	15.21	0.23	415	6.63	0.33	0	0.00	0.00			
		अव मानक	Sub- Stand- ard	26	78.07	1.56	1083	89.07	6.28	7	-1.54	-0.06			
		मानक Stand-	ard	1812	4524.77	168.48	17342	2306.17	217.63	-	1.54	0.00	-28	-621.29	4.39
		ಕ್ಷಾ Total		1791	4054.88	147.03	18713	654.83	30.09	0	0.00	0.00	-13	-531.01	-2.98
		ह्यानि Loss		1	3.77	0.00	62	0.59	0.00	0	0.00	0.00			
	ਭਾਵਾ Others	संदिग्ध Doubt-	₽	0	00:0	0.00	405	4.86	0.24	0	0.00	0.00			
		अव मानक	Sub- Stand- ard	28	24.54	0.26	1026	21.09	0.53	-	-1.54	-0.06			
		मानक Stand-	ard	1703	4026.57	146.77	17203	628.29	29.32	-	1.54	90:0	-13	-531.01	-2.98
	अंतर्गत ıg	कुल Total		113	201.38	1.56	193	145.65	2.17	0	0.00	0.00	-14	-50.53	-0.05
	गवस्था के (structurin n	ह्यानि Loss		1	9.97	0.00	-	0.02	0.00	0	0.00	0.00			
	एस एम ई ऋण पुनर्संत्रचना व्यवस्था के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism	संदिग्ध Doubt-	₽	2	15.21	0.23	10	1.77	60:0	0	0.00	0.00			
	ई ऋण पुन ider SME M	अव मानक	Sub- Stand- ard	6	7.44	0.18	26	38.06	0.40	0	0.00	0.00			
	ERE ERE	मानक Stand-	ard	86	168.76	1.15	126	105.80	1.68	0	0.00	0.00	-14	-50.53	-0.05
		कुल Total		12	375.53	21.68	14	1602.00	191.97	0	00:00	00:00	-	-39.75	-1.35
	के अंतर्गत hanism	हानि Loss		0	00:00	0.00	0	0.00	0.00	0	00:00	00:00			
	सी डी आए व्यवस्था के अंतर्गत Under CDR Mechanism	संदिग्ध Doubt-		0	00:00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00			
	सी डी आ Under (Sub- Stand- ard	1	46.09	1.12	-	29.92	5.34	0	00:00	0.00			
		मानक Stand-	ard	11	329.44	20.56	13	1572.08	186.63	0	00:00	00:00	-	-39.75	-1.35
	1 का प्रकार tructuring →	र्गेकरण ication →	विवरण Details ↓	उधारकर्ताओं की संख्या No of box-rowers	बकाया रकम Amount outstanding	उन पर प्रावधान Provision thereon	उधारकर्ताओं की संख्या No. of bor-rowers	बकाया रकम Amount outstanding	उन पर प्रावधान Provision thereon	उधारकर्ताओं की संख्या No. of bor-rowers	बकाया रकम Amount outstanding	उन पर प्रावधान Provision thereon	उधारकर्ताओं की संख्या No. of bor-rowers	बकाया रकम Amount outstanding	उन पर प्रावधान Provision thereon
	पुनर्सरचना का प्रकार Type of Restructuring →	आस्ति वर्गीकरण Asset Classification →	विवरण [वितीय वर्ष - 1 अप्रैल के	युनसर्चना खात (प्रारंभिक आंकड़े)* Doctmaticum Accounts	as on April 1 of the FY (opening figures)*	वर्ष के दौरान नई पुनर्सरचनाएं	Fresh restructuring during ৰকায়া ংকদ the year		वितीय वर्ष के दौरान पनर्सरिघत	ु मानक वर्ग का अपग्रेडेशन	Upgradations to restructured standard category during the FY	पुनर्सरचित मानक खाते जिनमें उच्च प्रावधान जरूरी	नहीं और/या वि.व.के अंत में अतिरिक्त	जोश्चिम भार एवं अतः एवं अग्रले वि. व. के प्रापंभ में पुनर्सरियत मानक अग्रिमों के रूप में दिखाना जरूरी नहीं हैं. Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY
	S. A. B.			-			2			က			4		

	ज उ	0	0	0	2	4	· · ·	<i>L</i> -	2
	कुल Total		0.00	0.00		13.74	20808	6042.37	399.65
	ह्याने Loss	-	9.97	0.02	2	13.74	8	0.61	00:00
कुल Total	संदिग्ध Doubt- ful	е	8.82	0.03	0	0.00	422	24.25	0.36
	अव मानक Sub- Stand-	1	226.42	2.82	0	0.00	1194	367.39	8.92
	मानक Stand- ard	-15	-245.21	-2.87	0	0.00	19112	5650.12	390.37
	कुल Total	-	-4.39	00:00	-	3.77	20490	3723.99	168.63
	हानि Loss	0	00:00	00:00	-	3.77	79	0.59	00:00
अन्य Others	संदिग्ध Doubt- ful	2	7.31	0.01	0	0.00	407	11.77	0.26
	अव मानक Sub- Stand- ard	9	190.39	2.82	0	0.00	1120	227.60	1.25
	मानक Stand- ard	6-	-202.09	-2.83	0	0.00	18884	3484.03	167.12
अंतर्गत 19	कुल Total	_	4.39	00:00	-	9.97	292	274.02	4.11
गवस्था के (structurin	हानि Loss	_	9.97	0.02	-	9.97	-	0.02	0.00
गुनर्सरचना व्य E Debt Resi Mechanism	संदिग्ध Doubt- ful	_	1.51	0.02	0	0.00	15	12.48	0.10
एस एम ई ऋण पुनर्सरचना व्यवस्था के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism	अव मानक Sub- Stand-	5	36.03	0.00	0	0.00	72	87.41	0.53
ESS ESS	मानक Stand- ard	9	-43.12	-0.04	0	0.00	204	174.11	3.48
	कुल Total	0	00:00	00:00	0	0.00	26	2044.35	226.92
के अंतर्गत hanism	ह्यानि Loss	0	00:00	00:00	0	0.00	0	00:00	00:00
सी डी आर व्यवस्था के अंतर्गत Under CDR Mechanism	संदिग्ध Doubt- ful	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
सी डी आप्र Under (अव मानक Sub- Stand- ard	0	00.00	00.00	0	0.00	2	52.38	7.15
	मानक Stand- ard	0	00.00	00:00	0	0.00	24	1991.97	219.77
का प्रकार ructuring →	गीकरण ification → hetails ↓	उधारकर्ताओं की संख्या No. of bor-rowers	बकाया रकम Amount outstanding	उन पर प्रावधान Provision thereon	उधारकर्ताओं की संख्या No. of bor-rowers	बकाया एकम Amount outstanding	उधारकर्ताओं की संख्या No. of bor-rowers	बकाया रकम Amount outstanding	उन पर प्रावधान Provision thereon
पुनर्सरचना का प्रकार Type of Restructuring →	आस्ति वर्गीकरण Asset Classification → विवरण Details ्	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्सरीचत खातों का	ु डाउनग्रेडेशन Downgradations of	restructured ac-counts during the FY	वित्तीय वर्ष के दौरान पूनसरीचत खातों	को बट्टा खातें में डालना Write-offs of restructured accounts during the FY	वितीय वर्ष के 31 मार्च तक के पुनर्सरचित खाते	अंतिम आंकड़े*) Restructured Accounts	as on March 31 of the FY (closing figures*)
₩.ir. iv. o.		2			9		7		

^{*} मानक पुनर्सरवित अग्रिमों को छोड़ कर जिनमें उच्चतर प्रावधान या जोखिम भार जरूरी नहीं है (यदि लागू हो) * Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applica-ble). (भारतीय रिज़र्व बैंक का दिनांक 31.01.2013 का परिपत्र डीबीओडी.बीपी.सं. 80/21-04.132/2012-13). (RBI Circular DBOD.BP.BC.No. 80/21-04.132/2012-13. dtd. 31.01.2013).

4.7 मानक आस्तियों हेतु प्रावधान

(₹ करोड में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1	वर्ष के दौरान मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	572.18	415.60
2	फॉरेक्स मानक आस्तियों (डेरिवेटिव विगोपन) हेतु प्रावधान	1.86	0.62
3	डेरिवेटिव ब्याज दर	0.00	0.02
	कुल	574.04	416.22

4.8 अस्थिर प्रावधानों के विवरण

(₹ करोड में)

विवर	ण	31.03.2014	31.03.2013
(ক)	अस्थिर प्रावधानों के खाते में प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
(ख)	लेखा वर्ष के दौरान किया गया अस्थिर प्रावधान	0.00	0.00
(ग)	लेखा वर्ष के दौरान आहरित की गई रकम	0.00	0.00
(ঘ)	अस्थिर प्रावधानों के खातों में अंतिम शेष	0.00	0.00

बैंक का ₹ 21.06 करोड़ (₹ 21.06 करोड़) सामान्य प्रावधान है, जो बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान व्याप्ति अनुपात (पीसीआर) की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है.

4.9 बैंक बीमा कारोबारः

बैंक बीमा कारोबार के अंतर्गत ₹ 10.80 करोड़ (₹ 10.76 करोड़) की आय हुई है. बैंक बीमा कारोबार आय के ब्योरे निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

अनु- क्रमांक	आय की प्रकृति	31.03.2014	31.03.2013
1	जीवन बीमा पॉलिसी के विक्रय हेतु	7.32	6.58
2	गैर जीवन बीमा पॉलिसी के विक्रय हेतु	3.43	3.75
3	म्युचूअल फंड उत्पाद के विक्रय हेतु	0.05	0.43
4	अन्य (विवरण दें)	-	-
	कुल	10.80	10.76

कारोबारी अनुपातः

	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1.	कार्यकारी निधियों से ब्याज आय का प्रतिशत	9.24%	9.33%
2.	कार्यकारी निधियों से ब्याजी आय का प्रतिशत	0.69%	0.88%
3.	कार्यकारी निधियों से परिचालनगत लाभ का प्रतिशत	1.55%	2.08%
4.	आस्तियों पर आय	0.30%	0.74%
5.	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा + अग्रिम) (₹ करोड़ में)	14.35	12.56
6.	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	2.68	5.59

4.7 Provisions on Standard Assets

(₹ in Crore)

Sr.No	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
1	Provisions towards Standard Advances	572.18	415.60
2	Provisions towards Standard Assets(Derivative exposure) Forex	1.86	0.62
3	Interest rate derivative	0.00	0.02
	Total	574.04	416.24

4.8 Details of floating provisions

(₹ in Crore)

	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
(a)	Opening Balance in the floating provisions account	0.00	0.00
(b)	The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
(c)	Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
(d)	Closing Balance in the floating provisions account	0.00	0.00

The Bank is having general provision of $\ref{thmodel}$ 21.06 crore ($\ref{thmodel}$ 21.06 crore) which is used by the bank for computing the provision coverage ratio (PCR) as per RBI guidelines.

4.9 Bancassurance Business

The income earned under Bancassurance is $\ref{thmodel}$ 10.80 Crore ($\ref{thmodel}$ 10.76 crore). The details of Bancassurance income is as under:

(₹ in Crore)

Sr.No.	Nature of Income	2013-14	2012-13
1	For selling life insurance policies	7.32	6.58
2	For selling non-life insurance policies	3.43	3.75
3	For selling mutual fund products	0.05	0.43
4	Others (specify)	_	-
	Total	10.80	10.76

5. Business Ratios

	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	9.24%	9.33%
(ii)	Non-Interest Income as a percentage to Working Funds	0.69%	0.88%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.55%	2.08%
(iv)	Return on Assets	0.30%	0.74%
(v)	Business (Deposits + Advances) per employee (₹ in Crore)	14.35	12.56
(vi)	Profit per Employee (₹ in Lakh)	2.68	5.59

आस्ति देयता प्रबंधनः

आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पध्दित

6. Asset Liability Management:

Maturity pattern of certain items of Assets and Liabilities

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	1 दिन 1 day	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 28 दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 माह 29 days to 3 months	3 माह से अधिक और 6 माह तक Over 3 months up to 6 months	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months up to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक Over 1 year up to 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक Over 3 years up to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	ਰੂল Total
जमाराशियां Deposits	1364.41	4239.92	3243.61	3781.71	12652.54	17850.01	19380.05	51449.53	1688.99	1152.32	116803.09
अग्रिम Advances	3323.69	2010.24	2694.98	3285.02	4862.79	4882.54	10689.76	40805.49	11790.93	6023.23	90368.67
निवेश Investments	0.00	1005.87	0.00	262.46	350.93	25.73	979.33	5472.59	8617.32	20601.64	37315.87
3धार Borrowings	61.42	2244.00	420.00	0.00	750.00	717.61	147.71	885.68	425.00	2675.05	8326.47
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ Foreign Currency Assets	337.83	376.21	66.54	101.81	3665.04	2043.98	1275.62	2.05	0.00	0.00	7869.08
विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	485.32	367.71	14.80	17.38	3775.40	1910.27	1408.53	29.50	62.80	0.00	8071.71

7. जमा ,अग्रिमों, विगोपन तथा अनर्जक आस्तियों का सकेन्द्रण

7.1 **जमाराशियों का सकेन्द्रण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
20 बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	15473.77	10840.65
बैंक की कुल जमाराशियों से 20 बड़े जमाकर्ताओं	13.25%	11.49%
की कुल जमाराशियों का प्रतिशत		

7.2 अग्रिमों का सकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
20 बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	12437.88	14269.60
बैंक के कुल अग्रिमों से 20 बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	13.76%	14.21%

7.3 विगोपनों का सकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
20 बड़े उधारकर्ताओं / ग्राह्कों का कुल विगोपन	15577.87	14276.24
उधारकर्ताओं / ग्राह्कों में बैंक के कुल विगोपन से कुल अग्रिमों से 20 बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राह्कों के कुल विगोपन का प्रतिशत	12.87%	14.10%

7.4 अनर्जक आस्तियों का जमाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
पहले 4 अनर्जक खातों में कुल विगोपन	375.62	101.73

7.5 क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां

(₹ करोड़ में)

अनु- क्रमांक	क्षेत्र	संबंधित क्षेत्र के अनर्जक अग्रिग	
фиф		31.03.2014	31.03.2013
1	कृषि और सहायक गतिविधियां	6.13%	5.54%
2	उद्योग (सूक्ष्म व लघु, मध्यम और बड़े	3.64%	0.73%
3	सेवाएं	2.26%	1.13%
4	वैयक्तिक ऋण	1.70%	1.50%

7. Concentration of Deposits, Advances, Exposure and NPA

7.1 Concentration of Deposits

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Total Deposits of Twenty largest Depositors	15473.77	10840.65
Percentage of Deposits of Twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	13.25%	11.49%

7.2 Concentration of Advances

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Total Advances of Twenty largest borrowers	12437.88	14269.60
Percentage of Advances of Twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	13.76%	14.21%

7.3 Concentration of Exposure

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	15577.87	14276.24
Percentage of Exposures of Twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/ customers	12.87%	14.10%

7.4 Concentration of NPAs

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Total Exposure to top four NPA accounts	375.62	101.73

7.5 Sector-wise NPAs

Sr. Sector	Sector		e of NPAs ances in that ctor
		31.03.2014	31.03.2013
1	Agriculture & allied activities	6.13%	5.54%
2	Industry (Micro & small, Medium and Large)	3.64%	0.73%
3	Services	2.26%	1.13%
4	Personal Loans	1.70%	1.50%

7.6 सकल अनर्जक अग्रिमों की गतिशीलताः

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
1 अप्रैल 2013 को सकल अनर्जक आस्तियां*	1137.55	1297.03
(आरंभिक शेष)		
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2589.28	807.56
उप जोड़ (क)	3726.83	2104.59
घटाईएः		
1. कोटिउन्नयन	101.39	105.19
2. वसूली (कोटिउच्चत खातों में हुई	364.87	198.73
वसूली को छोड़कर)		
3. तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	378.25	296.67
4. उपर्युक्त ३ को छोडकर अन्य बट्टे खाते	22.47	366.45
उप जोड़ (ख)	866.98	967.04
31 मार्च 2014 को सकल अनर्जक आस्तियां (अंतिम	2859.85	1137.55
शेष)(क-ख)		
राम्।(पन्च)		

7.7 तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों की गतिशीलताः

(₹ करोड़ में)

		(* d) (10 11)
विवरण	2013-14	2012-13
1 अप्रैल 2013 को तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	1140.96	986.50
(आरंभिक शेष)		
जोडेः वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	380.73	649.53
+ उतार चढाव (2.48 करोड)		
उप जोड (क)	1521.69	1636.03
घटाएः वर्ष के दौरान पिछली तकनीकी/विवेकपूर्ण	308.24	495.07
बट्टे खातों में की गई वसूली		
31 मार्च 2014 को अंतिम शेष(क-ख)	1213.45	1140.96

7.8 विदेशों में आस्तियां, अनर्जक आस्तियां व राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
कुल आस्तियां	62.61	68.66
कुल अनर्जक आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	1.10	1.15

7.9 तुलनपत्र के बाहर प्रायोजित एसपीवी (लेखा मानदंडों के अनुसार जिन्हे समेकित करना आवश्यक है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम			
घरेलू विदेशी			
शून्य	शून्य		

8. विगोपनः

8.1 स्थावर संपदा क्षेत्र में विगोपन

₹ करोड़ में

			र कराइ म
	श्रेणी	31.03.2014	31.03.2013
क.	प्रत्यक्ष विगोपन	15689.29	12402.00
i)	आवासीय बंधक जिससे ₹ 25.00 लाख तक के ऋण -	9819.91	7516.47
	उधारकर्त्ता द्वारा अधिग्रहित या अधिग्रहण की जाने वाली या किराये से दी संपत्ति पर दिये गये ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः रक्षित हैं. (प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में जोड़े जाने के लिए पात्र व्यक्तिगत आवास ऋणों को अलग से दिखाया जाए)	6362.92	5027.874
ii)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा - वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा रक्षित ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुप्रयोज्य वाणिज्यिक परिसर, बहु-आवासीय भवन, अधि किरायेदार वाले वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूअधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) निवेश में गैरनिधि आधारित सीमाएं भी शामिल है.	5869.38	4885.53

7.6 Movement of Gross NPAs

(₹ in Crore)

		,
Particulars	2013-14	2012-13
Gross NPAs as on 1st April 2013 (Opening	1137.55	1297.03
Balance)		
Additions (Fresh NPA) during the year	2589.28	807.56
Sub-total (A)	3726.83	2104.59
Less:		
(i) Upgradations	101.39	105.19
(ii) Recoveries (excluding recoveries made	364.87	198.73
from upgraded accounts)		
(iii) Technical / Prudential write-off	378.25	296.67
(iv) Write-offs other than those	22.47	366.45
under (iii) above		
Sub-Total (B)	866.98	967.04
Gross NPAs s on 31st March 2014 (Closing	2859.85	1137.55
Balance) (A-B)		

7.7 Movement of Technical / Prudential Write off

(₹ in Crore)

Particulars	2013-14	2012-13
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts as at 1st April 2013	1140.96	986.50
Add: Technical / Prudential write-offs during the year + variation (₹ 2.48 crore)	380.73	649.53
Sub-Total (A)	1521.69	1636.03
Less: Recoveries made from previous technical / prudential written-off accounts during the year (B)	308.24	495.07
Closing balance as at 31st March 2014 (A-B)	1213.45	1140.96

7.8 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Total Assets	62.61	68.66
Total NPAs	Nil	Nil
Total Revenue	1.10	1.15

7.9 Off-balance sheet SPVs sponsored

Name of the SPV sponsored		
Domestic	Overseas	
NIL	NIL	

8. Exposures:

8.1 Exposure to Real Estate Sector

			(Cill Ciole)
	Category	31.03.2014	31.03.2013
a)	Direct exposure	15689.29	12402.00
(i)	Residential Mortgages –	9819.91	7516.47
	Out of which Loans up to ₹ 25 lakh Lending fully secured by mortgage on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately)	6362.92	5027.87
(ii)	Commercial Real Estate –		
	Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Expo-sure also includes non-fund based (NFB) limits.	5869.38	4885.53

	श्रेणी	31.03.2014	31.03.2013
iii)	बंधक द्वारा प्रतिरक्षित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य रक्षित विगोपनों में निवेश-		
	क) आवासीय	शून्य	शून्य
	ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	शून्य	शून्य
ख)	अप्रत्यक्ष निवेश		
	राष्ट्रीय आवास बैंक और आवासीय वित्त कंपनियों में निधि आधारित और गैर निधि आधारित निवेश	3606.51	2129.99
	रियल इस्टेट क्षेत्र हेतु कुल विगोपन	19295.80	14531.99

8.2 पूंजी बाजार का विगोपन

(₹ करोड़ में)

विवर	ण	31.03.2014	31.03.2013
i)	ईक्विटी शेयर,परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंडों की यूनिटों में जिसकी मूलनिधि का निवेश केवल संस्थागत ऋणों नहीं किया गया है. में प्रत्यक्ष निवेश	124.30	128.01
ii)	व्यक्तियों को ईक्विटी शेयरों (आईपीओ/ ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंडो में निवेश करने हेतु शेयरों/ बॉण्डो/डिबेंचरों या किसी अन्य प्रतिभूति पर या गैर जमानती आधार पर अग्रिम	शून्य	शून्य
iii)	अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	2.76	0.97
iv)	अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों को संपाश्वर्विक प्रतिभूति माना गया है अर्थात जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ ईक्विटी उन्मुख फंड यूनिटों से इतर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती	11.60	4.93
V)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती और गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां	55.17	55.75
vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की रकम जुटाने हेतु शेयरों/बॉण्डोंडिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर या गैर जमानती आधार पर संस्थाओं को मंजूर ऋण	शून्य	शून्य
vii)	अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
viii)	शेयरों के प्रारंभिक निर्गम या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंड की यूनिटों के सम्बंध में बैंक द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबध्दताएं	शून्य	शून्य
ix)	मार्जिन व्यापार हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	शून्य	शून्य
X)	उद्यमी पूंजी निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों में सभी निवेश	31.60	28.38
	पूंजी बाजार में कुल निवेश	225.43	218.04

	Category	31.03.2014	31.03.2013
(iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other secure tized exposures –		
	a. Residential,	Nil	Nil
	b. Commercial Real Estate.	Nil	Nil
b)	Indirect Exposure		
	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	3606.51	2129.99
	Total Exposure to Real Estate Sector	19295.80	14531.99

8.2 Exposure to Capital Market

	(₹ in C		(₹ in Crore
Parti	culars	31.03.2014	31.03.2013
(i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	124.30	128.01
(ii)	Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	Nil	Nil
(iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or con-vertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as pri-mary security;	2.76	0.97
(iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral secu-rity or shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds ie where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mu-tual funds does not fully cover the advances;	11.60	4.93
(v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	55.17	55.75
(vi)	Loans sanctioned to corporate against the security of shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	Nil	Nil
(vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	Nil	Nil
(viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	Nil	Nil
(ix)	Financing to stockbrokers for margin trading;	Nil	Nil
(x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	31.60	28.38
	Total Exposure to Capital Market	225.43	218.04

8.3 जोखिम श्रेणीवार देश निवेश

(₹ करोड में)

जोखिम श्रेणी	31.03.2014 को विगोपन (निवल)	31.03.2014 को धारित प्रावधान	31.03.2013 को निवेश (निवल)	31.03.2013 को धारित प्रावधान
नगण्य	2166.73	0.00	1662.34	0.00
कम	700.55	0.00	896.75	0.00
साधारण	187.47	0.00	138.55	0.00
उच्च	20.15	0.00	16.00	0.00
अति उच्च	6.84	0.00	3.21	0.00
ऋणोतर	0.18	0.00	4.72	0.00
ऋणेतर	0.00	0.00	0.12	0.00
कुल	3081.92	0.00	2721.69	0.00

हर देश के लिए बैंक का जोखिम श्रेणीवार निधि आधारित निवल विगोपन दिनांक 31.03.2014 को बैंक की कुल आस्तियों के 1 प्रतिशत से कम है अतः दिनांक 01.07.2013 के भा.रि.बैंक परिपत्र क्र.डीबीओडी. बीपी.बीसी.1/21.04.048/2013-14 के अनुसार कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है.

8.4 बैंक द्वारा पार की गईं एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने किसी भी व्यक्तिगत उधारकर्ता या समूह उधारकर्ता को उधार देने के संबंध में विवेकपूर्ण विगोपन सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया है.

8.5 गैर जमानती अग्रिमः

दिनांक 31.03.2014 को गैर जमानती अग्रिमों में ₹ 531.53 करोड़ (₹ 440.85 करोड़) के अग्रिम शामिल थे जो अमूर्त आस्तियों जैसे कि अधिकारों, लाइसेन्स, प्राधिकार इत्यादि पर भार जैसी सहायक प्रतिभूतियों से सुरक्षित थे. इस प्रकार की अमूर्त सहायक प्रतिभूतियों का दिनांक 31.03.2014 को अनुमानित मूल्य ₹ 848.29 करोड़ (₹ 889.67 करोड़) है.

8.6 प्रावधान संरक्षा अनुपातः

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 01 दिसंबर, 2009 के परिपत्र क्र. डीबीओडी.क्र. बीपी.बीसी. 64/21.04.048/2009-10 के निदेशों के अनुसार बैंक ने प्रावधान संरक्षा अनुपात का परिकलन किया है जो 56.15% है . इस अनुपात का परिकलन 31.03.2014 के अनर्जक आस्तियों के स्तर के आधार पर किया गया है:

जबिक ऐसे प्रावधान कवरेज भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 अप्रैल, 2011 के परिपत्र क्र. डीपीडीसी 87/21.04.048/2010-11 के आधार पर परिकलित किए गए हैं जो 30.09.2010 के एनपीए स्तर ₹ 2049.81 और 31.03.2014 के एनपीए प्रावधान पर आधारित हैं जो आवश्यक न्यूनतम अपेक्षित 70% के समक्ष 113.83% है.

9 विविधः

9.1 वर्ष के दौरान आयकर के लिए किए गए प्रावधान की रकम

(₹ करोड में)

विवरण	2013-14	2012-13
आयकर हेतु प्रावधान	307.88	363.20

9.2 ला/हा खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान और आकस्मिकताएं

(₹ करोड में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14	2012-13
1	अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान	742.51	585.73
2	मानक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान	156.58	155.00
3	पुनर्संचित अग्रिमों हेतु प्रावधान	221.45	88.15
4	एएफएस / एचएफटी निवेशों पर मूल्यह्रास	91.20	0.00
5	आय कर हेतु प्रावधान	307.88	363.20
6	आस्थगित कर देयता/आस्ति (निवल)	78.75	226.43
7	अनर्जक निवेश पर प्रावधान	11.45	0.00

8.3 Risk Category wise Country Exposure

(₹ in crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2014	Provision held as at March 31, 2014	Exposure (net) as at March 31, 2013	Provision held as at March 31, 2013
Insignificant	2166.73	0.00	1662.34	0.00
Low	700.55	0.00	896.75	0.00
Moderate	187.47	0.00	138.55	0.00
High	20.15	0.00	16.00	0.00
Very High	6.84	0.00	3.21	0.00
Restricted	0.18	0.00	4.72	0.00
Off-credit	0.00	0.00	0.12	0.00
Total	3081.92	0.00	2721.69	0.00

Since Bank's net funded exposure for risk category-wise exposure for each county is less than 1% of bank's total assets as on 31.03.2014, no provision is required in terms of RBI Circular No.DBOD.BP.BC.1/21.04.048/2013-14, dated 01.07.2013.

8.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank.

The Bank has not exceeded the prudential exposure limits, in respect of lending to single borrower or group borrower during the Financial Year 2013-2014.

8.5 Unsecured Advances:

Unsecured advance includes ₹ 531.53 Crore (₹ 440.85 crore) as on 31.03.2014 which are collaterally secured by intangible securities such as charge over the rights, licenses, authorities etc. The estimated value of such intangible collateral is ₹ 848.29 Crore (₹ 889.67 crore) as on 31.03.2014.

8.6 Provisioning Coverage Ratio:

The bank has computed the provision coverage ratio (PCR) as required vide circular No.DBOD.No.BP.BC.64/21.04.048/2009-2010, dated December 1, 2009, which is 56.15%. This ratio is calculated on the basis of NPA level as on 31.03.2014.

Whereas such provision coverage ratio (PCR) calculated as per RBI circular No. DP.DC.87/21.04.048/2010-11, dated April 21,2011, based on NPA level as on 30.09.2010, ₹ 2049.81 and NPA provision as on 31.03.2014 works out to 113.83%, as against minimum required 70%.

9. Miscellaneous:

9.1 Amount of Provision made for income tax during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	2013-14	2012-13
Provision for Income Tax	307.88	363.20

9.2 Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

Sr. No.	Particulars	2013-14	2012-13
1	Provision towards NPA	742.51	585.73
2	Provisions for Standard Assets	156.58	155.00
3	Provisions for Restructured Advances	221.45	88.15
4	Depreciation on investments in AFS/ HFT	91.20	0.00
5	Provision for Income tax	307.88	363.20
6	Deferred Tax Asset /Liability(Net)	78.75	226.43
7	Provision for Non Performing Investment	11.45	0.00

क्र. सं.	विवरण	2013-14	2012-13
8	निवेश पर प्रावधान - सीडीआर/पुनर्संचित	14.54	0.00
9	अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएं	20.47	1.10
	उप जोड़ (क)	1644.83	1419.61
	घटायेंः प्रतिलेखन/समायोजन		
1	निवेश पर मूल्यह्रास का प्रतिलेखन	0.00	24.40
	आयकर प्रावधान पर प्रतिलेखन	24.43	0.00
2	आस्थगित कर देयता/आस्ति (निवल)	0.00	6.02
	उप जोड़ (ख)	24.43	30.42
	कुल प्रावधान और आकस्मिकताएं (क - ख)	1620.40	1389.19

9.3 अन्य आस्तियों व अन्य देयताओं के अन्तर्गत पुरानी प्रविष्टियों, नाममात्र खातों सिहत अन्य बैंकों / संस्थाओं के पास संव्यवहारों, अंतरशाखा संव्यवहारों के समाधान/समापन /समायोजन की प्रक्रिया हेतु कदम उठाये जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त अन्य आस्तियों/ देयताओं, समाशोधन खातों और कुछ जमा खातों के संबंध में सामान्य खाता बही और अनुषंगी में शेष के बीच समाधान और अचल आस्तियों पर मूल्यह्नास प्रभार तथा अचल आस्तियों के अंतरशाखा अंतरण का कार्य लंबित है . जिनके राजस्व पर प्रभाव के साथ ही इनके परिणामी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका . प्रबंधन के अभिमत में इनका राजस्व पर परिणामी प्रभाव मामूली है.

9.4 स्थिर आस्तियां -

- 9.4.1 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर चालू वर्ष के दौरान ₹ 54.68 करोड़ (₹ 61.02 करोड़) के मूल्यङ्गास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में समायोजित किया गया.
- 9.4.2 ₹ 6.54 करोड़ (₹ 6.54 करोड़) के सकल मूल्य के 4(4) से संबंधित पुनर्मूल्यांकित परिसरों के संबंध में हक विलेख कितपय कानूनी औपचारिकताएं पूरी न होने / लंबित होने के कारण बैंक के पक्ष में निष्पादित / पंजीकृत करना शेष है.
- 9.5 आकिस्मिक देयताओं के अंतर्गत दर्शाई गई गारंटियों की रकम में ₹ 801.01 करोड़ (₹ 1026.57 करोड़) की कालातीत गारंटियों की रकम शामिल हैं, जिन्हें औपचारिकताओं की पूर्ति लंबित होने के कारण निरस्त नहीं किया गया है. ईसीजीसी के पास लंबित व उन्हें प्रस्तुत किये जाने वाले ₹ 71.84 करोड़ (₹ 23.49 करोड़) के दावों को प्रावधानों के परिकलन के प्रयोजनार्थ वसुली योग्य माना गया है.
- 9.6 अनुसूची 5 में दर्शाई गई अन्य देयताओं में अदावाकृत शेयर आवेदन धन के रूप में ₹ 0.44 करोइ (₹ 0.44 करोइ) की रकम शामिल है.
- 9.7 वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक पर दंड लगाया, जो कि निम्नानुसार है.

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दण्ड का प्रकार	2013-14
1	50,000 से अधिक नकदी स्वीकार करते हुए स्वर्ण सिक्कों की बिक्री	50.00
2	आयातित प्रेषण के बिक्री न किए गए हिस्से हेतु स्वर्ण सिक्कों के परेषक अनंतिम भुगतान	00.10
	कुल	50.10

9.8 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा निपटाई गई ग्राहक शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है -

क्रं. सं.	विवरण	2013-14	2012-13
(ক)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	10	31
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1692	1182
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1699	1203
(ঘ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	3	10

Sr. No.	Particulars	2013-14	2012-13
8	Provision for Investment –CDR/ Restructure	14.54	0.00
9	Other provision and contingencies	20.47	1.10
	Sub-total (A)	1644.83	1419.61
	Less: Write back /adjustments		
1	Write-back of depreciation on Investment	0.00	24.40
2	Write-back of provision for Income Tax	24.43	0.00
3	Deferred Tax Assets/ Liability	0.00	6.02
	Sub-total (B)	24.43	30.42
	Total Provisions & Contingencies (A-B)	1620.40	1389.19

9.3 Work is in progress for adjustment/ reconciliation/elimination of interbranch transactions, transactions with other banks/institutions, nominal accounts and old entries under other assets and liabilities. Further reconciliation between balances in subsidiary and general ledger in respect of certain deposit accounts, clearing accounts, other assets & liabilities and inter-branch transfer of fixed assets is still under progress. The effect of these including the consequential impact thereof on the revenue is not ascertainable. In the opinion of the management consequential impact there off on revenue is not material.

9.4 Fixed Assets:

- 9.4.1 Depreciation for the current year amounting to ₹ 54.68 crore (₹ 61.02 crore) on revalued assets has been adjusted to Revaluation reserve account
- 9.4.2 The title deeds in respect of 4 (4) revalued properties / premises having cost of ₹ 6.54 crore (₹ 6.54 crore) were not yet executed / registered in favour of the Bank due to certain long pending legal disputes / formalities.
- 9.5 Contingent Liabilities include expired guarantees amounting to ₹ 801.01 Crore (₹ 1026.57 Crore) which has not been cancelled because of pending completion formalities. Claims pending and to be preferred with ECGC amounting to ₹ 71.84 Crore (₹ 23.49 Crore) have been considered as realizable for the purpose of computing provisions
- 9.6 Other Liabilities disclosed in Schedule 5 include ₹ 0.44 Crore (₹ 0.44 cr) towards un-claimed Share Application Money.
- 9.7 During the year, Reserve Bank of India has imposed penalty under section 46 (4) of the Banking Regulation Act,1949 on the Bank, is as under;

(₹ in lakh)

Sr. No	Nature of penalties	2013-14
1	Sale of Gold Coins by accepting cash above ₹ 50,000/-	50.00
2	Provisional payment to the consignor of Gold Coins for the unsold part of the consignment imported. (sub section (3) of Section 11 of FEMA 1999)	00.10
	Total	50.10

9.8 The details of Customer complaints dealt with by the Bank during the year are as under:

Sr. No.	Particulars	2013-14	2012-13
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	10	31
(b)	No. of complaints received during the year	1692	1182
(c)	No. of complaints redressed during the year	1699	1203
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	3	10

9.9 वैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णयों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रं. सं.	विवरण	2013-14	2012-13
(ক)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	8	1
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	8	1
(ঘ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0

9.10 वर्ष के दौरान बैंक के एटीएम संव्यवहारों के संबंध में ग्राहक शिकायतों के विवरण

क्रं. सं.	विवरण	2013-14	2012-13
(ক)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	3997	3978
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	109486	146424
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	109999	146405
(ঘ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	3484	3997

9.11 एटीएम संव्यवहारों के संबंध में बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णयों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रं. सं.	विवरण	2013-14	2012-13
(ক)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	1	0
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	1	0
(ঘ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0

9.10 चुकौती आश्वासन पत्र

चालू वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 1561.88 करोड़ के 1518 ट्रेड क्रेडिट (पिछले वर्ष के दौरान ₹ 1174.44 करोड़ के 1133 ट्रेड क्रेडिट) जारी किए और कंपनी ग्राहकों के लिए ट्रेड क्रेडिट मुहैया कराने हेतु शाखाओं द्वारा विभिन्न अन्य बैंकों के पक्ष में चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए गए.

दिनांक 31.03.2013 को ₹ 509.17 करोड़ के 432 ट्रेड क्रेडिट के बदले दिनांक 31.03.2014 को ₹ 628.37 करोड़ के 488 ट्रेड क्रेडिट बकाया थे.

- 10. बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों का उनके लागू होने की मात्रा तक निम्नानुसार अनुपालन किया है:
- 10.1 लेखा मानक 5 अविध के दौरान शुध्द लाभ अथवा हानि, पूर्व अविध मदों और लेखा नीतियों में परिवर्तन चूंकि आय / व्यय की पूर्व अविध मदें कोई महत्वपूर्ण नहीं हैं अतः उन्हें संबंधित लेखा शीर्षों में प्रभारित / लेखाबध्द किया है.

10.2 लेखा मानक 9- राजस्व निर्धारण

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की अनुसूची 17 में दी गई लेखा नीति क्रमांक 6 (i) के

9.9 The details of awards passed by the Banking Ombudsman are as under:

Sr. No.	Particulars	2013-14	2012-13
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year.	0	0
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year.	8	1
(c)	No. of Awards implemented during the year.	8	1
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year.	0	0

9.10 The details of Customer complaints on account ATM transactions dealt with by the Bank during the year are as under:

Sr. No.	Particulars	2013-14	2012-13
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	3997	3978
(b)	No. of complaints received during the year	109486	146424
(c)	No. of complaints redressed during the year	109999	146405
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	3484	3997

9.11 The details of awards passed by the Banking Ombudsman on account of ATM transactions are as under:

Sr. No.	Particulars	2013-14	2012-13
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year.	0	0
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year.	1	0
(c)	No. of Awards implemented during the year.	1	0
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year.	0	0

9.12 Letters of Comfort (LOCs):

During the current year, 1518 Trade credits aggregating to ₹ 1561.88 Crore (1133 trade credits ag-gregating to ₹ 1174.44 Crore) were sanctioned by the Bank and Letters of Comfort issued by the branches in favor of various other Banks for arranging trade credit to corporate clients.

As on 31st March, 2014, 488 trade credits amounting to ₹ 628.37 Crore were outstanding as against 432 trade credits amounting to ₹ 509.17 Crore as on 31st March, 2013

- 10. The Bank has complied with the Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:
- 10.1 Accounting Standard 5 Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.

As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts.

10.2 Accounting Standard 9 - Revenue Recognition

As per Accounting Policy No. 6.1, given in Schedule -17 - Significant

अनुसार आय की कुछ मदों का निर्धारण सांविधिक आवश्यकताओं या महत्व के कारण वसूली के आधार पर किया गया है.

10.3 लेखा मानक 11 - विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव का प्रभाव

वर्ष हेतु लाभ और हानि खाते में विनिमय अंतर जमा के कारण निवल आय ₹ 73.48 करोड़ (₹ 60.42 करोड़) रही.

10.4 लेखा मानक-15 (संशोधित 2005) "कर्मचारियों के लाभ"

(क) **परिभाषित अंशदान योजनाएं** :

(₹ करोड में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
क) भविष्य निधि	0.28	0.32
ख) कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान - कल्याण निधि आकस्मिकता	0.00	0.00

ख) **परिभाषित लाभ योजनाएँ**

- क) पेंशन योजना- यह रोजगार पश्चात लाभ है, जो कि पेंशनयोग्य सेवा के अधिकतम 33 वर्षों हेतु अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत है. यह निधिगत योजना है.
- ख) **उपदान योजना-** यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह उपदान संदाय अधिनियम, 1972 यथासंशोधित के अंतर्गत उपदान और कंपनी नियमों के अनुसार उपदान में से उच्चतम के रूप में संदेय है. यह निधिगत योजना है.
- ग) **छुट्टी नकदीकरण/प्रतिपूरित अनुपस्थित -** यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह अंतिम वेतन पर आधारित संचयी छुट्टी के 240 दिनों की अधिकतम अविध हेतु संदेय है. यह गैरनिधि योजना है.

परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में बदलावः

Accounting Policies, certain items of income are recognized on realization basis on account of statutory re-quirements or on account of materiality.

10.3 Accounting Standard 11 – Effect of Changes in Foreign Exchange Rates

Net income on account of exchange differences credit to in the Profit and Loss account for the year is ₹ 73.48. crore (₹ 60.42 crore).

10.4 Accounting Standard (AS) 15 (Revised 2005)- "Employee Benefits"

A. <u>Defined Contribution Plans:</u>

(₹ in Crores)

Par	ticulars	31.03.2014	31.03.2013
a.	Provident Fund	0.28	0.32
b.	Contribution to Staff Welfare –Welfare Fund Contingency	0.00	0.00

B. Defined Benefit Plans:

- a) Pension Plan This is a post employment benefit, which is 50% of final pay for a maximum of 33 years of pensionable service. This is a funded scheme.
- b) Gratuity Plan This is a post employment benefit and is payable as higher of Gratuity as per Company's Rules and Gratuity under Payment of Gratuity Act 1972 as amended. This is a funded scheme.
- c) Leave Encashment / Compensated Absences This is a post employment benefit and is payable for a maximum limit of 240 days of accumulated leave based on final pay. This is an unfunded scheme.

I. Change in the Present value of Defined Benefit Obligations:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्र. सं.	विवरण	पेंशन योजना Pension Plans		उपदान योजनाएं Gratuity Plans		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment	
Sr. No.	Particulars	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13
1	परिभाषित लाभ दायित्वों का आरंभिक वर्तमान मूल्य Opening Present Value of Defined Benefit Obligation	2772.84	2431.55	483.29	450.16	208.92	207.82
2	ब्याज लागत Interest Cost	226.87	188.46	37.74	33.59	16.79	15.98
3	चालू सेवा लागत Current Service Cost	457.90	423.78	27.56	22.17	32.36	27.14
4	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	प्रदत्त लाभ Benefits Paid	(207.40)	(151.58)	(78.57)	(60.56)	(22.66)	(16.18)
6	वर्ष हेतु बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	(33.94)	(119.37)	36.03	37.93	(0.17)	(25.84)
7	परिभाषित लाभ दायित्वों का समापन वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit Obligation	3216.27	2772.84	506.05	483.29	235.24	208.92

योजनाबद्ध आस्तियों के उचित मृल्य में परिवर्तनः

II. Change in the Fair Value of Plan Assets:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्र. सं.	विवरण		योजना n Plans	उपदान योजना Gratuity Plans		
Sr. No.	Particulars	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13	
1	योजनाबद्ध आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening fair value of plan assets	2541.49	2085.35	383.56	373.16	
2	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित पुर्नअदायगी Expected return on plan as-sets	232.29	177.25	34.52	31.72	
3	किया गया अंशदान Contributions made	534.60	417.00	119.88	33.00	
4	प्रदत्त लाभ Benefits paid	(207.40)	(151.58)	(78.57)	(60.56)	
5	बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial gains/losses	14.92	13.47	(5.71)	6.24	
6	योजनाबद्ध आस्तियों का समापन उचित मूल्य Closing fair value of plan as-sets	3115.90	2541.49	453.68	383.56	

III. तुलन पत्र में निर्धारित रकमः

III. Amount recognized in the Balance Sheet:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्र. सं. Sr.	विवरण Particulars	निधिक परिभाषित लाभ दायित्व Funded Defined Benefit Obligations पेंशन योजनाएं उपदान योजनाएं कुल			Funded Defined Benefit Obligations					
No.		Pension			y Plans	To		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		
		31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13	
1	परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present Value of Defined Benefit Obligations	3216.27	2772.84	506.05	483.29	3722.32	3256.13	235.24	208.92	
2	योजनाबद्ध आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets	(3115.90)	(2541.49)	(453.68)	(383.56)	(3569.58)	(2925.05)	(0.00)	(0.00)	
3	निर्धारित निवल देयता Net liability to be recognized	100.37	231.35	52.37	99.73	152.74	331.08	235.24	208.92	
4	तुलनपत्र में निर्धारित अन्य रकम Other amount recognized in the Balance Sheet	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00	37.87	0.00	0.00	
5	तुलनपत्र में निर्धारित निवल देयता Net liability rec-ognized in the Balance Sheet	100.37	269.22	52.37	99.73	152.74	368.95	235.24	208.92	

IV. लाभ और हानि लेखा में निर्धारित रकमः

IV. Amount recognized in the Profit & Loss Account:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्र. सं.	विवरण	पेंशन Pensio	योजना n Plans	उपदान र Gratuit		छुट्टी नव Leave End	
Sr. No.	Particulars	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13
1	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	457.90	423.78	27.56	22.17	32.36	27.14
2	ब्याज लागत Interest Cost	226.87	188.46	37.74	33.59	16.79	15.98
3	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected Return on Plan Assets	(232.29)	(177.25)	(34.52)	(31.72)	0.00	0.00
4	वर्ष हेतु निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानियां Actuarial (Gains)/Losses for the year	(48.86)	(132.84)	41.74	31.69	(0.17)	(25.84)
5	सेवा पूर्व लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	निर्धारित व्यय Expense to be recognized	403.62	302.15	72.52	55.73	48.98	17.27
7	वर्ष 2010-11 में अधिसूचना क्र.बीओडी. क्र. बीसी.80/ 21.04.018/2010-11 के द्वारा पेन्शन योजना के पुनर्प्रारंभ व उपदान सीमा में बढोत्तरी के कारण आगे लाए गए वृद्धिगत दायित्व Carry forward of enhanced obligations due to reopening of Pension Plan & increase in Gratuity Limit vide. Notification No. BOD.No. BC. 80 / 21.04.018 / 2010-11 in 2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	दूसरे विकल्पकर्ता द्वारा पेन्शन निधि में सीधे लौटाई गई निधि Fund refunded by 2nd Optee directly to Pension Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान/ (प्रतिलेखित) Additional provision made / (write back) during the year	(37.87)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	कर्मचारी लागत में शामिल और लाभ व हानि खाते में निर्धारित कुल खर्च Net expense recognized in Profit & Loss Ac- count and included in Staff Cost	365.75	302.15	72.52	55.73	48.98	17.27

V. तुलन पत्र में निर्धारित निवल देयता का समाधान

Reconciliation in the Net Liability recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्र. सं.	विवरण	पेंशन र Pensio	योजना n Plans	उपदान र Gratuit		ਬੁਟ੍ਟੀ ਜਰ Leave En	
Sr. No.		31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13
1	प्रारंभिक निवल देयता Opening Net Liability	269.22	384.07	99.73	77.00	208.92	208.28
2	निर्धारित व्यय Expense recognized	365.75	302.15	72.52	55.73	48.98	17.27
3	प्रदत्त अंशदान / लाभ Contributions/Benefits paid	(534.60)	(417.00)	(119.88)	(33.00)	(22.66)	(16.63)
4	समापन निवल देयता Closing Net Liability	100.37	269.22	52.37	99.73	235.24	208.92

VI. <u>योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय</u>

VI. Actual Return on Plan Assets

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्र. सं.	विवरण Particulars	पेंशन र Pensio	योजना n Plans	उपदान योजना Gratuity Plans		
Sr. No.		31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13	
1	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	232.29	177.25	34.52	31.72	
2	योजनाबद्ध आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि) Acturial gain (loss) on plan assets	14.92	13.47	(41.74)	6.24	
3	योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय Actual return on plan assets	247.21	190.72	(7.22)	37.96	

VII. मूल बीमांकिक मान्यताएँ (धारित औसतों के रूप में व्यक्त)

VII. Principal Actuarial Assumptions (expressed as weighted averages)

क्र. सं.	विवरण Portionless	पेंशन योजना विवरण Pension Plans Particulars		उपदान योजनाएं Gratuity Plans		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment	
Sr. No.	Faiticulais	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13
1	भांजित दर Discount rate	8.50%	8.00%	8.50%	8.00%	8.50%	8.00%
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	9.14%	8.50%	9.00%	8.50%	ला.न. NA	ला.न. NA
3	वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर Expected rate of salary increases	6.00%	5.50%	6.00%	5.50%	6.00%	5.50%

ग. अन्य दीर्घावधि लाभ ः

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	लाभ व हा निध	
₹1.		31.03.14	31.03.13
1	पुनर्स्थापन भत्ता	0.01	0.06
2	छुट्टी किराया रियायत	21.82	11.00
3	रजत जयंती पुरस्कार	0.17	(2.13)
	जोड	22.00	8.93

घ. गैर परिशोधन पेंशन व उपदान देयता

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 09 फरवरी, 2011 की अधिसूचना क्रमांक डीबीओडी क्र.बीपी.बीसी.80/21.04.018/ 2010-11 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उपदान सीमा में वृद्धि तथा विद्यमान कर्मचारियों हेतु पेंशन विकल्प के पुनप्रारंभ के संबंध में परिशोधन के प्रति दिनांक 31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु है 102.48 करोड का प्रावधान किया गया. (यह वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान लाभ व हानि खाते पर प्रभारित किए जाने वाले परिशोधित शेष के प्रति है 512.38 करोड की कुल गैर परिशोधित देयता का 1/5वां भाग यथा है 102.48 करोड दर्शाता है).

दिनांक 31.03.2014 को यथास्थिति उपदान सीमा में वृद्धि तथा विद्यमान कर्मचारियों हेतु पेंशन विकल्प के पुनर्प्रारंभ के संबंध में परिशोधन देयता निम्नानुसार है :

(₹ करोड में)

पेंशन य	ग्रोजनाएं	उपदान	योजनाएं	कु	ल
31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13
75.05	150.09	27.43	54.85	102.48	204.94

C. Other Long Term Benefits:

(₹ in Crores)

Sr No	Particulars		l in Profit &
NO		31.03.14	31.03.13
1	Resettlement Allowance	0.01	0.06
2	Leave Fare Concessation	21.82	11.00
3	Silver Jubilee Award	0.17	(2.13)
	Total	22.00	8.93

D. Unamortized Pension and Gratuity Liability

In accordance with guidelines issued by RBI vide Notification No. DBOD. No. BP. BC. 80 / 21. 04. 018 / 2010-11 dated February 9, 2011, provision for ₹ 102.48 crore has been made for the year ended 31.03.2014 towards the amortization relating to enhancement in Gratuity limit and re-opening of pension option for existing employees (representing 1/5th of the total unamortized liability amounting to ₹ 512.38 i.e ₹ 102.48 crore being the amount of amortized balance to be charged to the profit & loss account during the financial year 2013-14).

The unamortized liability relating to enhancement in Gratuity limit and re-opening of pension option for existing employees as on 31.03.2014 is as under:

Pensio	n Plans	Gratuity Plans		То	tal
31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13
75.05	150.09	27.43	54.85	102.48	204.94

10.5 लेखा मानक 17 - क्षेत्र रिपोर्टिंग

बैंक ने अपने प्राथमिक रिपोर्ट करने योग्य क्षेत्रों का अभिनिर्धारण निम्नानुसार किया है.

भाग क : व्यवसाय क्षेत्र

10.5 Accounting Standard 17- Segment Reporting

Bank has identified its primary reportable segments as under:

Part A: Business segments

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

व्यवसाय क्षेत्र Business Seg-ments →	ख ্ Trea		संस्थागत/थ Corporate sale Ba	e/ Whole-	खुदरा Retail E	बैंकिंग Banking	अन्य बैंकिंग Other b opera	anking	कु To	
विवरण Particulars	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
राजस्व Revenue	2994.00	2566.72	6257.72	5549.09	3514.05	2310.17	85.08	99.45	12850.85	10525.43
परिणाम Result	15.88	105.77	241.80	844.44	450.09	321.04	40.58	70.94	748.35	1342.19
अनाबंटित व्यय Unallocated ex-penses									0.00	0.00
परिचालन लाभ Operating profit									748.35	1342.19
कर आस्थगित करों सहित Taxes including deferred taxes									362.38	582.67
असाधारण लाभ / हानि Extraordinary profit/ loss	शून्य Nil	शून्य Nil	-	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	-	-
निवल लाभ Net profit									385.97	759.52
अन्य जानकारियां : Other Information:										
क्षेत्र आस्तियां Segment assets	38012.50	33031.31	55967.61	49144.11	35137.12	28171.05	6453.99	5841.04	135571.22	116187.51
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									748.83	765.30
कुल आस्तियां Total assets									136320.05	116952.81
क्षेत्र देयताएं Segment liabilities	37327.38	32105.63	52427.65	45646.55	32715.88	26180.80	6481.00	6386.42	128951.91	110319.40
अनाबंटित देयताएं Unallocated liabilities									0.00	236.47
पूंजी और अन्य प्रारक्षितियां Capital & Other Reserves									7368.14	6396.94
कुल देयताएं Total liabilities									136320.05	116952.81

- खजाना क्षेत्र में निवेश, भारत के बाहर के बैंकों में शेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे होने वाली सम्बंधित आय शामिल हैं.
- ख) संस्थागत/थोक बैंकिंग क्षेत्रों में न्यासों, भागीदारों फर्मों, कम्पनियों और सांविधिक निकायों को प्रदत्त सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है.
- ग) खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में व्यक्ति/व्यक्तियों या छोटे कारोबारों में निवेश शामिल है जहां
 - i) कुल औसत वार्षिक पण्यावर्त ₹ 50.00 करोड़ से कम है और
 - ii) एक प्रतिपक्ष में किया गया कुल निवेश बैंक के समग्र खुदरा संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है और
 - iii) एक प्रतिपक्ष में किया गया अधिकतम निवेश ₹ 5.00 करोड़ तक है.
- अन्य बैंकिंग परिचालनों के क्षेत्र में ऐसे सभी अन्य बैंकिंग व्यवहार शामिल हैं जिन्हें उपर्युक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है.

भाग खः भौगोलिक क्षेत्र

चूँकि बैंक के परिचालन केवल भारत के भीतर होते हैं अतः भौगोलिक क्षेत्र लागू नहीं है.

10.6 लेखा मानक 18- सम्बंधित पक्ष प्रकटन

इस सम्बंध में विवरण निम्नानुसार हैं

(क) सम्बंधित पक्षों का नाम और बैंक से उनके सम्बंधः

- (क) बैंक की अनुषंगी कंपनी दी महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.
- (ख) बैंक की सहायक संस्था महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
- (ग) महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक
 - श्री सुशील मुहनोत, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (09.11.2013 से अब तक)

- Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on investments and related income therefrom.
- Corporate/ Wholesale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies and statutory bodies which are not included in Retail Banking Segments.
- Retail Banking Segments include exposure to the individual person/ persons or to a small business where.
 - i. Total average annual turnover is less than ₹ 50 Crore and
 - ii. No aggregate exposure to one counter party exceeds 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and
 - iii. The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to ₹ 5 Crore.
- d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.

Part B: Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

10.6 Accounting Standard 18 - Related party disclosures

The details in this regard are as under:

(A) Name of the Related Parties and their relationship:

- Subsidiary of the Bank The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited
- (b) Associate of the Bank Maharashtra Gramin Bank
- (c) Key Management Personnel -
 - Shri Sushil Muhnot, Chairman & Managing Director (from 09.11.2013 to till date)

- श्री नरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (17.01.2012 से 30.09.2013)
- 3) श्री आर. आत्माराम, कार्यपालक निदेशक (07.08.2013 से अब तक)
- 4) श्री आर.के गुप्ता, कार्यपालक निदेशक (31.12.2013 से अब तक)
- श्री सी.वीआर. राजेन्द्रन, कार्यपालक निदेशक (01.03.2012 से 13.12.2013)

(ख) सम्बंधित पक्षों से संव्यवहार -

(₹ लाख मे)

विवरण	31.03.14	31.03.13
वेतन व भत्ते (अनुलाभ सहित)	61.39	42.94

एएस 18 संबंधित पक्ष प्रकटन के पिरच्छेद 9 के मद्देनजर बैंक की अनुषंगी कंपनी और सहायक संस्थाओं के साथ संव्यवहार का प्रकटन नहीं किया गया है, जो कि राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य संबंधित पक्ष जो कि राज्य द्वारा नियंत्रित है, उनके संव्यवहारों से संबंधित किसी भी प्रकटन से छूट देता है.

10.7 लेखा मानक-20 - प्रति शेयर अर्जन

विव	रण	31.03.2014	31.03.2013
मूल /	अनुकृत प्रति शेयर अर्जन	₹4.56	₹ 11.88
अनुवृ	वृत प्रति शेयर अर्जन		
मूल /	अनुकृत प्रति शेयर अर्जन की गणना.		
क)	कर उपरांत निवल लाभ और अधिमान लाभांश सह कर लाभांश सह कर (₹ लाख में)	₹ 32405.45	₹ 70104.55
ख)	ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में)	7111.12	5899.85
<u>1</u> 1)	प्रति शेयर मूल अर्जन [(क) विभाजित (ख) द्वारा]	₹ 4.58	₹11.88
ਭ∙)	प्रति शेयर अभिहित मूल्य	₹ 10.00	₹ 10.00

10.8 लेखा मानक 22 - आय पर करों का लेखांकन

बैंक ने एएस 22 का पालन करते हुए वर्तमान कर का लेखांकन किया है. तदनुसार, आस्थिगित कर - आस्तियां और आस्थिगित कर देयताएँ निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड में)

		()
विवरण	31.03.2014	31.03.2013
आस्थगित कर आस्तियां		
1) कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधानों के रूप में	80.31	67.93
2) अन्य प्रावधान जहां डीटीए बनाया गया है	144.68	74.22
उप जोड (क)	224.99	142.15
आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत विशेष प्रारक्षित निधि के रूप में	103.44	29.28
2) निवेश पर मूल्यह्रास के रूप में	195.64	68.45
3) स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के रूप में	11.87	2.97
उप जोड (ख)	310.95	100.70
निवल आस्थगित कर आस्ति (क-ख)	(-)85.96	41.46

10.9 लेखा मानक २४ - परिचालन का समापन

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान अपनी किसी भी व्यवसाय गतिविधियों/ परिचलनों का समापन नहीं किया जिसका परिणाम आस्तियों की वसूली तथा देयताओं का निपटान रहा और अपनी समग्रता में व्यवसाय गतिविधि के समापन को अंतिम रूप देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया जिसका उक्त प्रभाव पड़ेगा.

10.10 लेखा मानक २६ - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - आंतरिक रूप से निर्मित के अतिरिक्तः

उपयोग अवधि - 3 वर्ष परिशोधन दर - 33.33%

परिशोधन पध्दित - लागत पर सरल रेखा पद्धित

- Shri Narendra Singh, Chairman & Managing Director (from 17.01.2012 to 30.09.2013)
- Shri R Athmaram, Executive Director (from 07.08.2013 to till date)
- Shri R K Gupta, Executive Director (from 31.12.2013 to till date)
- Shri C.VR.Rajendran, Executive Director (from 01.03.2012 to 13.12.2013)

(B) Transactions with Related parties

(₹ in lakhs)

Particulars	31.03.14	31.03.13
Salary & Allowances (including perquisites)	61.39	42.94

The transactions with the subsidiary and associate of the bank have not been disclosed in view of para 9 of the AS- 18 Related Parties Disclosures, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other state controlled related parties.

10.7 Accounting Standard 20- Earnings per Share

Par	ticulars	31.03.2014	31.03.2013
Bas	sic / Diluted E.P.S.	₹ 4.56	₹ 11.88
Cal	culation of Basic /Diluted EPS.		
a)	Net Profit after Tax and preference dividend plus tax divi-dend plus tax (₹ in lakh)	₹ 32405.45	₹ 70104.55
b)	Weighted Average number of Equity Shares (Nos. in Lakhs)	7111.12	5899.85
c)	Basic Earnings per share [(a) divided by (b)]	₹ 4.56	₹ 11.88
d)	Nominal Value per Share	₹ 10.00	₹ 10.00

10.8 Accounting Standard 22 - Accounting for Taxes on Income

The bank has accounted for taxes on income in compliance with AS 22.

Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in Crore)

Pai	ticulars	31.03.2014	31.03.2013
De	ferred Tax Assets		
1)	On account of provisions for Employees benefits	80.31	67.93
2)	Other Provisions where DTA is created	144.68	74.22
Su	b-Total (A)	224.99	142.15
De	ferred Tax Liability		
1)	On account of Special Reserve u/s 36(1) (viii)	103.44	29.28
2)	On account of Depreciation on Investment	195.64	68.45
3)	On account of Depreciation on Fixed Assets	11.87	2.97
Su	b-Total (B)	310.95	100.70
Ne	Deferred Tax Asset (A-B)	(-)85.96	41.45

10.9 Accounting Standard -24- Discontinuing Operations

The Bank, during the financial year 2013-14, has not discontinued any of its business activities/ operations which resulted in discharging of liabilities and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue a business activity in its entirety which will have the above effects.

10.10 Accounting Standard 26 - Accounting for Intangible Assets.

Computer Software - other than internally generated:

Useful life - 3 years. Amortization Rate - 33.33 %

Amortization Method - Straight line at cost

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	3.72	2.92
वर्ष के दौरान लिये गये सॉफ्टवेयर	21.92	4.13
वर्ष के दौरान परिशोधन	9.65	3.33
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	15.99	3.72

10.11 लेखा मानक - 28 - आस्तियों का अनर्जक होना

बैंक ने अभिनिर्धारित किया है कि अचल आस्तियाँ अनर्जक नहीं हुई है. इसलिए लेखा मानक 28 के अनुसार कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है.

10.12 **लेखा मानक २९ - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां** प्रबंधन के मतानुसार अनुसूची 12 में संदर्भित आकस्मिक देयताओं के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं है.

11 चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलना करने हेतु जहां आवश्यक समझा गया वहां पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों को समृहबध्य/पुनःवर्गीकृत किया गया.

बेसल III - 31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतू पिलर 3 प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक ने 01.04.2013 से प्रभावी बेसल III दिशानिर्देश जारी किए हैं. ये दिशानिर्देश 31.03.2019 तक बेसल III के कार्यान्वयन हेतु संक्रमण अनुसूची उपलब्ध कराते हैं. पूर्ण कार्यान्वयन बेसल III दिशानिर्देशों पर न्यूनतम पूंजी जोखिम भारित आस्ति अनुपात की 11.50% होगी.

बेसल III ढांचे में तीन आपसी सुदृढ पिलर्स शामिल हैं:

- (i) पिलर 1 ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम हेतु न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं
- (ii) पिलर 2 पूंजी पर्याप्तता हेतु पर्यवेक्षकीय समीक्षा
- (iii) पिलर 3 बाजार अनुशासन बाजार अनुशासन (पिलर 3) बैंक की पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन ढांचे के प्रकटन शामिल हैं. ये प्रकटन निम्नलिखित खण्डों में दिए गए हैं.

डीएफ-1 अनुप्रयोजन का विस्तार

समूह में शीर्ष बैंक का नाम जिसपर संरचना लागू हो - बैंक ऑफ महाराष्ट्र

i) गुणात्मक प्रकटन

क) समेकन हेतु विचारणीय समूह इकाइयों की सूची

- 1. दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको) इंडिया
- 2. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Software at the beginning of the year	3.72	2.92
Software acquired during the year	21.92	4.13
Amortization during the year	9.65	3.33
Net carrying amount at the end of the year	15.99	3.72

10.11 Accounting Standard 28- Impairment of Assets

Bank has identified that there is no impairment of fixed assets and as such, no provision is required as per AS-28.

10.12 Accounting Standard 29- Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In the opinion of the management, no further provision is required against contingent liabilities re-ferred to in Schedule 12.

 Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figure

BASEL III – PILLAR 3 DISCLOSURES FOR THE YEAR ENDED 31.03.2014

RBI issued Basel III guidelines, applicable w.e.f. 01.04.2013. These guidelines provide a transition schedule for Basel III implementation till 31.03.2019. Upon full implementation, Basel III guidelines target minimum capital to risk-weighted assets ratio (CRAR) would be 11.50%.

Basel III framework consists of three mutually reinforcing pillars:

- Pillar 1: Minimum Capital Requirements for Credit Risk, Market Risk and Operational Risk
- (ii) Pillar 2: Supervisory Review of Capital Adequacy
- (iii) Pillar 3: Market Discipline

Market Discipline (Pillar 3) consists of set of disclosures on the capital adequacy and risk management framework of the Bank. These disclosures have been set out in the following sections:

DF-1: Scope of Application

Name of the head of the banking group to which the framework applies: BANK OF MAHAARASHTRA

(i) Qualitative Disclosures:

- a. List of group entities considered for consolidation
 - 1. The Maharashtra Executors & trustee Co. Pvt Ltd (METCO)/ India
 - Maharashtra Gramin Bank (MGB)

संस्था का नाम/ निगमन देश Name of the entity/Country of incorporation	क्या संस्था समेकन की लेखांकन व्याप्ति में शामिल है (हां/ना) Whether the entity is included under accounting scope of con- solidation (yes / no)	समेकन की पद्धति Method of consolidation	क्या संस्था समेकन के विनियामक व्याप्ति के अंतर्गत शामिल है(हां/ना) Whether the entity is in- cluded under regulatory scope of consolidation (yes / no)	समेकन की पद्धति Method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण Reasons for difference in the method of consolidation	समेकन की कारण यदि केवल एक समेकन व्याप्ति में समेकित की गई है Reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको) इंडिया The Maharashtra Executors & trustee Co. Pvt Ltd (METCO) / India	हॉं / Yes	आईसीएआई द्वारा जारी एएस-21 के अनुसार पंक्ति-दर-पंक्ति आधार Line by Line basis as per AS-21 issued by ICAI	नहीं / No	ला.न. / NA	ला.न. / NA	चूंकि यह संस्था बैंकिंग कंपनी नहीं है, अतः विनियामक समेकन के क्षेत्राधिकार के बाहर है. The entity is not a banking company, hence outside the purview of regulatory consolidation.
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) Maharashtra Gramin Bank (MGB)/ India	हॉं / Yes	आईसीएआई द्वारा जारी एएस-23 के अनुसार इक्विटी पद्धति आधार Equity method Basis as per AS-23 issued by ICAI	नहीं / No	ला.न. / NA	ला.न. / NA	यह संस्था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एक सहायक संस्था है. अतः विनियामक समेकन के क्षेत्राधिकार से बाहर है. निवेश 250% जोखिम भारित है. The entity is RRB, an asso-ciate, hence outside the perview of regulatory consolidation. Investment is risk weighted at 250%.

 समेकन के लेखांकन और विनियामक प्रयोजनों हेतु समेकन हेतु अविचारणीय समूह, संस्थाओं की सूची List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

संस्था का नाम/निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	संस्था की मूल गतिविधि Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total Balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का % % of bank's holding in the total equity	संस्था के पूंजी लिखतों में बैंक के निवेश की विनियामक आवश्यकता Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	कुल तुलनपत्र आस्ति (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
		शून्य	NIL		

ii) मात्रात्मक प्रकटन

ग) समेकन हेतु विचारणीय सामूहिक संस्थाओं की सूची (लेखांकन)

(ii) Quantitative Disclosures

c. List of group entities considered for consolidation (accounting)

संस्था का नाम/निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	संस्था की प्रमुख गतिविधि Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total Balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल तुलनपत्र आस्ति (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
दि महाराष्ट्र एकजीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. (मेटका) इंडिया The Maharashtra Execu-tors & trustee Co. Pvt Ltd (METCO)/ India	न्यासधारित / Trusteeship	165.86 लाख (बीओएम शेयर 100%) 165.86 lakhs (BOM share 100%)	1057.86 লাख / lakhs
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) Maharashtra Gramin Bank (MGB)	बैंकिंग / Banking	27219.86 লাख (बीओएम शेयर 7222.11 লাख अर्थात 35%) 27219.86 lakhs (BOM share 7222.11 lakhs i.e, 35%)	527098.05 लाख / lakhs

 सभी अनुषंगी कंपनियां, जो समेकन के विनियामक विस्तार में शामिल नहीं हैं, में कुल पूंजी की कमी की राशि अर्थात, जिनकी कटौती की गई.

बैंक की किसी भी अनुषंगी कंपनी, 31 मार्च 2014 को समेकन के विनियामक विस्तार हेतु जिन्हें शामिल नहीं किया गया है, में कोई पूंजी की कमी नहीं है.

ड) बीमा कंपनियां, जो जोखिम भारित नहीं हैं, में बैंक के कुल हितों की सकल राशि
 (उदाहरणार्थ चालू बही मूल्य)

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

There is no capital deficiency in the subsidiary of the Bank which are not included in the regulatory scope of consolidation as of March 31, 2014.

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted

संस्था का नाम/निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	संस्था की प्रमुख गतिविधि Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total Balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल तुलनपत्र आस्ति (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)		
वीमा व्यवसाय वाली बैंक की कोई सहायक संस्था नहीं है. Bank is not having any subsidiary having insurance business.					

च) बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतरण अथवा विनियामक पूंजी पर कोई प्रतिबंध अथवा अवरोध बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतरण अथवा विनियामक पूंजी पर कोई प्रतिबंध अथवा अवरोध नहीं है.

डीएफ-२ पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटन

क. पूंजी प्रबंधन

बैंक की जोखिम रूपरेखा एवं इसके पूंजी स्तरों को बनाये रखने के लिए समग्र पूंजी पर्याप्तता के मूल्यांकन के लिए बैंक के पास प्रक्रिया है. इस प्रक्रिया से यह आश्वासन मिलता है कि बैंक के व्यवसाय के लिए अन्तर्निहित समग्र जोखिम मानदंड से समर्थित पर्याप्त पूंजी बैंक के पास है. बैंक नियामक मानकों को प्राप्त करने के लिए पूंजी की उगाही के लिए उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर अपनी पूंजी की सिक्यता से प्रबंधन करता है.

संगठनात्मक ढांचा

बैंक के पूंजी प्रबंधन की व्यवस्था जोखिम प्रबंधन विभाग के समन्वय से बैंक के वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा विभाग द्वारा निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण में किया जाता है. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group

There is no restriction on impediments on transfer of funds or regulatory capital within the Banking Group.

DF - 2: Capital Adequacy

Qualitative Disclosures

a. Capital Management

The Bank has a process for assessing its overall capital adequacy in relation to the Bank's risk profile and a strategy for maintaining its capital levels. The process provides an assurance that the bank has adequate capital to support all risks inherent to its business. The Bank actively manages its capital to meet regulatory norms by considering available options of raising capital.

Organisational Set-up:

The Capital Management of the Bank is administered by the Financial Management and Accounts Department of the Bank in co-ordination with Risk Management Department under the supervision of the Board of Directors.

पूंजी का आंतरिक मूल्यांकनः

बैंक के पूंजी प्रबंधन ढांचे में व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) का समावेश है जो वार्षिक आधार पर किया जाता है जिससे नियामक मानकों एवं वर्तमान तथा भविष्य की व्यवसायिक आवश्यकताओं के लिए, जिसमें दबाब परिदृश्य के अंतर्गत की स्थितियां शामिल है, को प्राप्त करने हेतु बैंक के लिए पूंजीकरण के पर्याप्त स्तर का निर्धारण होता है. व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया में बैंक के समक्ष उपलब्ध समस्त जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन एवं महत्व के पश्चात दो वर्षों की समय सीमा के लिए पूंजी आयोजना शामिल होती है जिसका इसकी वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. बैंक द्वारा निम्नलिखित को जोखिम माना जाता है जो बैंक के व्यवसाय हेतु सामान्य कामकाज के दौरान प्रतिपादित होती है और पूंजी आयोजना के लिए विचारणीय होती है:

- साख जोखिम (जिसमें अवशिष्ट जोखिम शामिल है)
- बाजार जोखिम
- परिचालन जोखिम
- साख केन्द्रीकरण जोखिम
- चलनिधि जोखिम
- ग्रामीण जोखिम
- अनुपालन जोखिम

- निपटान जोखिम
- वैंकिंग बहियों पर ब्याज दर जोखिम
- प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम
- अनुकूल जोखिम
- पेंशन बाध्यता जोखिम
- कानूनी जोखिम

बैंक द्वारा समय समय पर संभावित दूरतम बाजार प्रतिफलन के साथ साथ दबाब परिदृश्य जो व्यवसाय वातावरण के परिणामस्वरुप उत्पन्न हो सकता है को सुनिश्चित करने हेतु एक प्रयास के रुप में इसके दबाब जांच मूल्यांकन एवं निर्धारण किया जाता है. व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया में पूंजी आयोजना के उद्देश्य के लिए बैंक के व्यवसाय आयोजना के साथ पूर्णकालिक योजना हेतु दबाब जांच की जाती है.

निगरानी एवं रिपोर्टिंगः

बैंक के निवेशक मंडल द्वारा बैंक की पूंजी पर्याप्तता स्तरों की निगरानी की जाती है. पूंजी पर्याप्तता और जोखिम धारित आस्तियों का विश्लेषण तिमाही आधार पर किया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित पूंजी एवं जोखिम प्रबंधन पर बॉसल III के विभिन्न पहलुओं का बोर्ड द्वारा मुल्यांकन किया जाता है.

मात्रात्मक प्रकटन

ब. पूंजी आवश्यकता

साख जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अविध पद्धित और परिचालनगत जोखिम के लिए मूल संकेतक का प्रयोग करते हुए बैंक की पूंजी आवश्यकताओं का परिकलन किया जाता है. साख, बाजार और परिचालनगत जोखिमों के लिए न्यूनतम पूंजी 9 प्रतिशत की आवश्यकता होती है जो निम्नानुसार है:

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	राशि	राशि
(ক)	साख जोखिम के लिए वांछित पूंजी		
(i)	संविभाग मानक दृष्टिकोण के अध्यधीन 9 प्रतिशत की दर से	68413.79	
(ii)	प्रतिभूतिकरण निवेश	0.00	
	मानक दृष्टिकोण के तहत साख जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार (i+ii)		68413.79
(ख)	बाजार जोखिम		
(i)	ब्याज दर जोखिम	1645.17	
(ii)	विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	45.00	
(iii)	इक्विटी जोखिम	460.03	
	मानक अवधि दृष्टिकोण के तहत बाजार जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार (i+ii+iii)		2150.20
(ম)	मूल संकेतक दृष्टिकोण के तहत परिचालनगत जोखिम के लिए वांछित पूंजी		5381.70
(ঘ)	पूंजी अनुपात		एकल आधार (प्रतिशत में)
	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी अनुपात		6.69
	टीयर 1 पूंजी अनुपात		7.44
	कुल पूंजी अनुपात		10.79

Internal Assessment of Capital:

The Bank's Capital Management framework includes a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) conducted annually which determines the adequate level of capitalisation for the Bank to meet regulatory norms and current and future business need, in-cluding under stressed scenarios. The ICAAP encompasses capital planning for a two year time horizon, after the identification and evaluation of the significance of all risks that the Bank faces, which may have an adverse material impact on its financial position. The Bank considers the fol-lowing as risks it is exposed to in the normal course of its business and considers for capital planning:

- · Credit Risk including residuary risk
- Market Risk
- Operational Risk
- · Credit Concentration Risk
- · Liquidity Risk
- Country Risk
- Compliance Risk

- Settlement Risk
- Interest Rate Risk on Banking Book
- · Reputational Risk
- · Strategic Risk
- · Pension Obligation Risk
- Legal Risk
- Risk of underestimation of Credit Risk under the Standardized approach

The Bank periodically assesses and refines its stress tests in an effort to ensure that the stress scenarios capture material risks as well as reflect possible extreme market moves that could arise as a result of business environment conditions. The stress tests are used in conjunction with the Bank's business plans for the purpose of capital planning in the ICAAP.

Monitoring and Reporting:

The Board of Directors of the Bank monitors the capital adequacy levels of the Bank. On a quarterly basis an analysis of the capital adequacy position and the risk weighted assets and an assessment of the various aspects of Basel III on capital and risk management as stipulated by RBI, are undertaken by the Board.

Quantitative Disclosures

b. Capital Requirement

Bank's capital requirements have been computed using the Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Duration Method for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk. The minimum capital required to be held at 9.00% for credit, market and operational risks is given below:

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Particulars	Amount	Amount
(A)	Capital Required for Credit Risk		
(i)	Portfolios subject to Standardised Approach @9%	68413.79	
(ii)	For Securitisation Exposure	0.00	
	Total capital charge for credit risks under standardized approach (i+ii)		68413.79
(B)	Market Risk		
(i)	Interest Rate Risk	1645.17	
(ii)	Foreign Exchange Risk (including Gold)	45.00	
(iii)	Equity Risk	460.03	
	Total capital charge for market risks under standardized duration approach (i+ii+iii)		2150.20
(C)	Capital Required for Operational Risk under Basic Indicator Ap- proach		5381.70
(D)	Capital Ratios		Standalone (In %)
	Common Equity Tier 1 Capital Ratio		6.69
	Tier 1 Capital Ratio		7.44
	Total Capital Ratio		10.79

सारणी-डीएफ-३ - ऋण जोखिमः सामान्य प्रकटन गुणात्मक प्रकटनः

ऋण जोखिम प्रतिपक्षों अथवा उधारकर्ताओं के ऋण गुणवत्ता में आये कमी से उत्पन्न हानियों की संभावनाओं से परिभाषित है. बैंक के संविभाग में ग्राहकों अथवा प्रतिपक्षों की उधारी, ट्रेंडिंग, निपटान और अन्य वित्तीय संव्यवहारों में प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने की क्षमता अथवा अनिच्छा के कारण सीधे चुक से उत्पन्न हानि होती है.

ऋण जोखिम प्रबंधन का संघटनात्मक ढांचा

बैंक में व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन संगठना है. बैंक के निदेशक मंडल ऋण जोखिम ऋण नीति का समर्थन और बैंक की ऋण जोखिम नीतियों को अनुमोदित करते हैं. बैंक में जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं, कार्यविधि और प्रणाली को देखने के लिए समितियां गठित हैं. जोखिम प्रबंधन समिति ऋण जोखिम प्रबंधन की नीति और रणनीति बनाने की उत्तरदायी है. इस हेतु यह समिति बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन समितियों के साथ समन्वय करती है. ऋण जोखिम प्रबंधन होचे के कार्यान्वयन को देखने और जोखिम प्रबंधन समिति वैंक के स्थान हो है के कार्यान्वयन को देखने और जोखिम प्रबंधन समिति की सिफारिशों को लागू करने की उत्तरदायी है.

नीति व रणनीति

बैंक संतुलित जोखिम दर्शन का अनुपालन कर रहा है. जोखिम दर्शन के महत्वपूर्ण बातों को विभिन्न नीतियों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों में समाहित किया गया है. लाभ, उठाई गई विभिन्न जोखिमों का स्तर, पूंजी का स्तर, बाजार परिदृश्य और प्रतियोगिता इत्यादि बातों को ध्यान में लेकर बैंक के कारोबारी उद्देश्य और रणनीतियां तैयार की जाती हैं. बैंक अपनी आस्ति गुणवत्ता और आय के प्रति सतर्क है तथा जोखिम नियंत्रण के साथ लाभ को अधिकतम करने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से संतुलन करता है.

बैंक ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से निम्नलिखित नीतियां लागू की हैं

- 1. उधारी और ऋण पुनरीक्षण नीति
- 2. जोखिम प्रबंधन नीति
- 3. ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन
- निवेश प्रबंधन नीति और निवेश जोखिम प्रबंधन नीति

उधारी और ऋण पुनरीक्षण नीति, जोखिम प्रबंधन नीति के दस्तावेज संगठनात्मक ढांचे, भूमिका और जिम्मेदारियों तथा प्रक्रियाओं और साधनों को परिभाषित करते हैं जिनके परिणामस्वरूप बैंक द्वारा उठाई जा रही ऋण जोखिम का अभिनिर्धारण, उसकी मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है और उसे बैंक के विचार में उसके अधिदेश तथा जोखिम अपेटाइट के अनुसार निर्धारित फ्रेमवर्क में प्रबंधित किया जा सकता है. विभिन्न विवेकी और विगोपन सीमाओं, सहायक प्रतिभूति मानक तथा ऋण जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य से विभिन्न वितीय न्यूनतम सीमाओं का निर्धारण का उपबंध नीतियों में किया गया है. ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन नीति बेसल ॥ फ्रेमवर्क के अंतर्गत ऋण जोखिम प्रशमन के लिए पात्र सहायक प्रतिभूतियों के विवरण निर्धारित करती है. निवेश प्रबंधन नीति और निवेश जोखिम प्रबंधन नीति बैंक की ऋण जोखिम नीति का अभिन्न अंग है.

ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए प्रणालियां / प्रक्रियाएं / साधन

ऋण मूल्यांकन मानकः बैंक के पास क्रेडिट ओरिजिनेशन के लिए सुस्थिर मानक, ऑफ बॅलन्स शीट मदों सहित सभी ऋण विगोपनों के दस्तावेजीकरण और रखरखाव हेतु अग्र सिक्रय ऋण जोखिम प्रबंधन नीति है. आविधक पुनरीक्षण, आविधिक निरीक्षण और सहायक प्रतिभृति प्रबंधन प्रणाली जैसी प्रणालियां बैंक में विद्यमान हैं.

विगोपन सीमाएं: एकल / समूह उधारकर्ता सीमाएं, बड़ी विगोपन सीमाएं और सेक्टर / उद्योग से संबंधित विगोपन सीमाओं सहित ऋण जोखिम सीमाएं लागू हैं. विगोपन की तुलना में सीमाओं की निगरानी की जाती है.

ऋण अनुमोदन ग्रिडः बड़ी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालय / प्रधान कार्यालय में नए / ऋण सीमा में वृध्दि या बिना वृध्दि के वर्तमान प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ऋण अनुमोदन ग्रिड का गठन किया गया है. प्रधान कार्यालय में नए ऋण प्रस्तावों पर उक्त विनिर्दिष्ट सीमाओं के आधार पर सैध्दांतिक रूप से अनुमोदन देने के लिए नए व्यापारिक समूह (एनबीजी)नामक एक नया समूह बनाया गया है.

मंजूरी अधिकार : बैंक में ऋणों की मंजूरी हेतु एक सुपरिभाषित बहुस्तरीय विवेकाधिकार संरचना को अपनाया जाता है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बेहतर रेटिंग वाले ग्राहकों को ऋण और अग्रिम मंजूर करने हेतु मंजूरकर्ता प्राधिकारियों को उच्चतर मंजूरी अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है.

ऋण जोखिम योग्यताक्रम व मूल्यांकन प्रक्रियाः बैंक अपने ऋण जोखिम का प्रबंध हर बाध्यताधारी (उधारकर्ता) और संविभाग स्तर की जोखिमों के सतत परिमापण एवं अनुप्रवर्तन के जरिये करता है. बैंक के पास एक मजबूत आंतरिक ऋण जोखिम रेटिंग संरचना और सुस्थापित मानकीकृत ऋण मूल्यांकन/अनुमोदन प्रक्रियाएं हैं. ऋण जोखिम रेटिंग एक सरलीकृत प्रक्रिया है जिससे बैंक को किसी प्रस्ताव में अन्तर्निहित गुणों-अवगुणों के निर्धारण में सहायता मिलती है और यह निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक साधन है जिससे बैंक को किसी भी ऋण प्रस्ताव की स्वीकार्यता के बारे में या अन्यथा निर्णय लेने में मदद मिलती है. यह बैंक की जोखिम आधारित मूल्यन संरचना के अनुसार ऋण सुविधाओं का यथोचित मूल्य निर्धारित करने में भी सहायक होता है. बैंक ने खुदरा ऋणों के लिए भी ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल विकसित किये तथा अपनाए हैं. बैंक ने

Table DF-3: Credit Risk - General Disclosures

Qualitative Disclosures

Credit Risk is defined as the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counterparties. In a Bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions.

Organizational Structure for Credit Risk Management

The Bank has comprehensive credit risk management architecture. The Board of Directors of the bank endorses the Credit Risk strategy and approves the credit risk policies of the Bank. The Board has formed committees to oversee the risk management processes, procedures and systems in the Bank. Risk Management Committee (RMC) is responsible for devising policy and strategy for credit risk management. For this purpose, committee co-ordinates with Credit Risk Management Committee (CRMC) of the Bank. CRMC is responsible for overseeing implementation of credit risk management framework across the Bank and providing recommendations to the RMC.

Policy & Strategy

The Bank has been following a conservative risk philosophy. The important aspects of the risk philosophy are embodied in various policies, circulars, guidelines etc. The business objectives and the strategy of the bank is decided taking into account the profit considerations, the level of various risks faced, level of capital, market scenario and competition. The Bank is conscious of its asset quality and earnings and judiciously matches profit maximization with risk control.

The Bank has put in place the following policies approved by the Board.

- i) Lending & Loan Review Policy
- ii) Credit Risk Management Policy
- iii) Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management
- iv) Investment Management Policy & Investment Risk Management Policy

The Lending & Loan Review Policy, Credit Risk Management Policy documents define organiza-tional structure, role and responsibilities and, the processes and tools whereby the credit risks carried by the Bank can be identified, quantified and managed within the framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk appetite. The policies prescribe various prudential and exposure limits, collateral standards, financial benchmarks for the purpose of credit risk management. The policy on Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management lays down the details of eligible collaterals for credit risk mitigation under Basel III framework. The Investment Management Policy & Investment Risk Management Policy forms an integral part of credit risk in the Bank.

Systems / Process / tools for Credit Risk Management

Credit Appraisal standards: The Bank has in place proactive credit risk management practices like consistent standard for the credit origination, maintenance and documentation for all credit exposures including off balance sheet items. Systems of periodic reviews, periodic inspections and collateral management systems are in place.

Exposure Limits: Credit risk limits including single / group borrower limits, substantial exposure limits, exposure limits in respect of sectors / industries are in place. The exposure vis-à-vis the limits are monitored.

Credit Approval Grids: Credit Approval Grids have been constituted at various levels covering very large branches / Zonal offices / Head Office for considering fresh / existing proposals with or without enhancement. A structure namely, New Business Group (NBG) is in place at Head Office level for considering in-principle approval for taking up fresh credit proposal above a specified cut-off.

Sanctioning Powers: The Bank follows a well-defined multi-layered discretionary power structure for sanctioning of loans. Higher sanctioning powers are delegated to sanctioning authorities for sanctioning loans and advances to better rated customers in line with RBI guidelines. In respect of high value loans, committee approach is adopted.

Credit Risk Rating and Appraisal Process: The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at each obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has in place an internal credit risk rating framework and well established standardized credit appraisal / approval processes. Credit risk rating enables the Bank to accurately assess the risk in a credit proposition and take a decision to accept or reject the proposal based on the risk appetite of the Bank. It also enables risk pricing of credit facilities for risk return trade off. The Bank has developed and put in place credit risk rating models for retail loans also. The Bank has in-house developed software

ऋण जोखिम रेटिंग प्राप्त करने के लिए अपने वाईड एरिया नेटवर्क पर आंतरिक रूप से विकसित सॉफ्टवेयर लगाया है ताकि उसकी शाखायें/क्षेत्र के कार्यालय उधारकर्ताओं की ऋण जोखिम रेटिंग निश्चित करने हेत इस प्रक्रिया का तत्काल उपयोग कर सकें.

कड़ी ऋण जोखिम प्रबंधन पद्धित के मापदंड के रूप में बैंक ने ऋण जोखिम रेटिंग के अनुमोदन के लिए एक अवधारणा मौजूद है. हर उधारकर्ता के रेटिंग की कम से कम वर्ष में एकबार पुनरीक्षा की जाती है.ऋण संविभाग गुणवत्ता की निगरानी निम्न रेटिंग वाले उधार कर्ताओं और उच्च मूल्य वाले विगोपनों के लिए द्वि वार्षिक ऋण जोखिम रेटिंग द्वारा की जाती है.

ऋण पुनरीक्षण तंत्रः बैंक में लागू ऋण पुनरीक्षण तंत्र के उद्देश्य हैं

- बैंक की उधारी नीति और प्रत्यायोजित उधारी अधिकारों के अनुसार विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा ऋण मंजुर करना सुनिश्चित करना.
- मंजूरी की शर्तों और निबंधनों का पालन और विभिन्न स्वीकृतियों उपरांत अनुवर्तन, निगरानी और बैंक द्वारा निर्धारित पर्यवेक्षी उपायों का पालन सुनिश्चित करना.
- सभी ऋण सुविधाओं का पुनरीक्षण / नवीकरण समय पर सुनिश्चित करना तािक जोखिम संभावनाओं को संशोधित कर यदि आवश्यक हो तो तत्काल सुधारात्मक कदम उठाना सुनिश्चित करना.
- आस्ति की मानक गुणवत्ता बनाए रखने और अनर्जक आस्तियों में सुधार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखना ताकि अनर्जक आस्तियों पर प्रतिबंध / कमी / कोटिउन्नयन द्वारा बैंक की लाभप्रदता पर अनुकूल प्रभाव डाला जा सके.
- बैंक के ऋण संविभाग की गुणवत्ता की जांच करना और इसकी जानकारी समय समय पर उच्च प्रबंधन को देना.

ऋण देने के लिए जांच और संतुलन का तंत्र है जैसे कि ऋण स्वीकृतियों से ऋण जोखिम प्रबंधन को अलग करना, ऋण जोखिम रेटिंग देने की प्रणाली, रेटिंग की जांच, ग्राहक की जोखिम रेटिंग के अनुसार ऋण सुविधा का मूल्यांकन करने का तंत्र, ऋण लेखा परीक्षा इत्यादि लागू हैं. प्रवेश स्तरीय न्यूनतम रेटिंग भी निर्धारित किए गए हैं. अन्य बैंकों पर किए गए समग्र विगोपन और देश के ऋण विगोपनों की निगरानी करने के लिए तंत्र उपलब्ध है. एक विकेन्द्रीकृत ऋण संविभाग बनाए रखा गया है और समय समय पर संविभाग का विश्लेषण किया जाता है ताकि जारी ऋण जमाव नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके.

विगत में देय एवं अनर्जक ऋणः

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने हेतु लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार बैंक ऋण और अग्रिमों की निम्नलिखित श्रेणियों को अनर्जक आस्ति मानता है जहांः

- सावधि ऋण के सम्बंध में ब्याज और/या मूलधन की किश्त 90 दिनों या अधिक की अवधि हेत् अतिदेय रही हो.
- ओवरडाफ्ट/नकदी ऋण के सम्बंध में खाता 'अनियमित' रहा हो.
- बिल खरीद और भांजित बिल के सम्बंध में बिल 90 दिन या अधिक की अवधि हेतु
 अतिदेय रहा हो
- कृषि अग्रिमों के सम्बंध में ब्याज और/या मूलधन की किश्त दो फसल मौसमों हेतु (कम अविध वाली फसलों के सम्बंध में) और एक फसल मौसम (लम्बी अविध वाली फसलों के सम्बंध में) अतिदेय रही हो.
- अन्य खातों के सम्बंध में 90 दिनों से अधिक की अविध हेतू अतिदेय कोई भी प्राप्य रकम.
- िकसी भी तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज जिसे तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर न चुकाया गया हो.

अनियमित स्थितिः एक खाता तब अनियमित माना जाता है जब मंजूरी सीमा / आहरण अधिकारों से खाते में बकाया शेष लगातार अधिक रहता है. ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालित खाते में बकाया शेष मंजूर अधिकारी / आहरण अधिकार से कम है किंतु खाते में तुलनपत्र की दिनांक से 90 दिनों तक लगातार कोई रकम जमा नहीं हुई है या खाते में जमा रकम अविध के दौरान नामे की जाने वाली ब्याज की रकम को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो इस प्रकार के खातों को अनियमित माना जाएगो.

अतिदेयः किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि बैंक द्वारा निर्धारित दिनांक पर भृगतान नहीं की जाती तो उसे अतिदेय माना जाता है.

मात्रात्मक प्रकटन

कुल सकल ऋण जोखिम विगोपन

(₹ मिलियन में)

श्रेणी	31.03.2014
निधिक	1060400.70
गैर-निधिक	150084.10

2. ऋण विगोपनों का भौगोलिक वितरण है:

(₹ मिलियन में)

श्रेणी	31.03.2014	
	समुद्रपारीय घरे	
निधिक	शून्य	1060400.70
गैर-निधिक	शून्य	150084.10

for undertaking credit risk rating, which is available on the Wide Area Network (WAN) of the Bank facilitating instant access by the Branches / Field Offices for under-taking credit risk rating of borrowers.

As a measure of robust credit risk management practices, the Bank has in place a framework for approval of credit risk ratings. Rating for every borrower is reviewed at least once in a year. Credit portfolio quality is monitored by undertaking bi-annual credit risk rating for high value exposures and inferior rated borrowers. Credit risk rating, as a concept, has been well internalized in the Bank.

Loan review Mechanism: The objectives of the Loan Review Mechanism in place in the Bank are:

- To ensure that credit decisions by various authorities are in conformity with the Bank's Lending Policy and delegated lending powers.
- ii) To ensure that stipulated terms & conditions of sanction are complied with and various post sanction follow up, monitoring and supervision measures prescribed by the Bank are adhered to.
- iii) To ensure that all credit facilities are reviewed / renewed well in time so as to revise the risk perception and take necessary corrective action if necessary, immediately.
- iv) To aim at achieving maintenance of standard assets quality and up gradation in non-performing assets (NPAs) so as to have a favourable impact on profitability of the Bank through prevention / reduction / up gradation of NPAs.
- To assess the health of credit portfolio of the Bank and to apprise the Top Management about the same from time to time.

Checks and balances viz. separation of credit risk management from credit sanctions, system of assigning credit risk rating, validation of ratings, mechanism to price credit facilities depending on risk rating of customer, credit audit etc. are in place. Minimum entry level rating benchmarks are stipulated. A suitable mechanism is in place to monitor aggregate exposure on other banks and country exposures. A diversified credit portfolio is maintained and a system to conduct regular analysis of portfolio so as to ensure ongoing control of credit concentration is in place.

Loans past due and Impaired:

The regulatory guidelines are adhered to in respect of income recognition, asset classification and provisioning, the Bank considers following categories of loans and advances as Non-performing Assets, wherein:

- Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC)
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of Bills Purchased and Discounted
- In case of agricultural advances, interest and/or installment of principal remains overdue for 2 crop seasons (in respect of short duration crops)
 & 1 crop season (in respect of long duration crops).
- Any amount receivable that remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.

'Out of Order' status: An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/ drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are also treated as 'out of order'.

Overdue: Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Quantitative Disclosures

1. The Total Gross Credit exposure:

(Amount in ₹ million)

Category	31.03.2014
Fund Based	1060400.70
Non-Fund Based	150084.10

2. The Geographic Distribution of credit exposure is:

(Amount in ₹ million)

Category	31.03.2014	
	Overseas Domestic	
Fund Based	NIL	1060400.70
Non-Fund Based	NIL 150084.10	

ख) उद्योगवार वितरण

3. Industry-wise Distribution:

(₹ मिलियन में) (Amount in ₹ million)

क्र.सं.	(₹ मिलियन में) (Amount in ₹					
Sr. No.	उद्योग Industry		निधिक विगोपन Funded Exposure		गैर-निधिक विगोपन Non-Fund Exposure	
1.	लोहा व इस्पात Iron & Steel		33743.50		4839.00	
2.	अन्य धातु व उत्पाद Other Metal & Products		19887.80		5843.20	
3.	सभी अभियांत्रिकी All Engineering		37663.10		22297.60	
3क.	इलेक्ट्रॉनिक Electronics	8451.00		2141.50		
3ख.	इलेक्ट्रिकल Electricals	11981.20		6590.80		
3ग.	अन्य Others	17230.90		13565.30		
4	ऑटोमोबाईल ट्रक सहित Automobile including Trucks		18321.70		971.80	
5	वस्त्र Textiles		25214.00		8412.20	
5क.	पटसन वस्त्र Cotton Textile	8106.70		601.10		
5ख.	अन्य वस्त्र Jute Textile	198.00		75.00		
5ग.	अन्य वस्त्र Other Textiles	16909.30		7736.10		
6.	चीनी Sugar		8235.60		10.50	
7.	चाय Tea		88.70		0.00	
8.	खाद्य प्रसंस्करण Food Processing		8706.00		274.40	
9.	वनस्पति तेल Vegetable Oil		2761.80		999.60	
10.	तम्बाकू Tobacco		757.10		00.10	
11.	कागज व कागज उत्पाद Paper & Paper Products		4502.60		592.20	
12.	रबर व रबर उत्पाद Rubber & Rubber Products		5881.50		1142.40	
13.	रसायन, डाई, पेंट आदि Chemical, Dyes & paints		20550.60		2873.80	
13क.	पेट्रो रसायन Petro Chemicals	7042.20		1324.80		
13ख.	उर्वरक Fertilizers	2239.90		596.90		
13ग.	औषध व भेषज Drugs & Pharmaceuticals	9770.30		745.00		
13घ.	अन्य रसायन, व पेंट Other Chemicals & Paints	1498.20		207.10		
14.	सीमेंट Cement		9966.20		114.80	
15.	चमड़ा व चर्म उत्पाद Leather & Leather Products		545.70		14.80	
16.	रत्न और जेवरात Gems & Jewellery		7178.20		638.90	
17.	निर्माण Construction		4154.40		323.20	
18.	पेट्रोलियम Petroleum		24059.20		3.80	
19.	अन्य Others		1374.50		811.10	
20.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर Computer Software		979.80		753.70	
21.	मूलभूत संरचना Infrastructure		147104.30		17928.20	
21क.	पॉवर Power	99502.90		6230.30		
21ख.	दूरसंचार Telecommunication	3748.90		52.50		
21ग.	सड़क Road	20890.50		5427.60		
21घ.	अन्य मूलभूत संरचना Other Infrastructure	22962.00		6217.80		
22.	अवशिष्ट अन्य अग्रिम Residuary Other Advances		678724.40		81238.80	
	कुल जोड़ Total		1060400.70		150084.10	

उद्योग वार विगोपन सकल निधिक और गैर-निधिक विगोपन के 5% से अधिक है

उद्योग	विगोपन का %
पॉवर	8.73%

आस्तियों का अवशिष्ट परिपक्वता विश्लेषण :

(₹ मिलियन में)

परिपक्वता स्वरूप	निवेश	अग्रिम	विदेशी मुद्रा आस्तियां
1 दिन	0.00	33236.90	3378.30
2 से 7 दिन	10058.70	20102.40	3762.06
8 से 14 दिन	0.00	26949.80	665.37
15 से 28 दिन	2624.60	32850.20	1018.11
29 दिन से 3 महीने	3509.30	48627.90	36650.44
3 महीने से अधिक किन्तु 6 महीने तक	257.30	48825.40	20439.77
6 महीने से अधिक किन्तु 1 वर्ष तक	9793.30	106897.60	12756.24
1 वर्ष से अधिक किन्तु 3 वर्ष तक	54725.90	408054.90	20.48
3 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष तक	86173.20	117909.30	0.00
5 वर्ष से अधिक	206016.50	60232.30	0.00
कुल	373158.70	903686.70	78690.77

अनर्जक आस्तियों और अनर्जक निवेश हेतु प्रकटन

(₹ मिलियन में)

		(र 1मालयन म)
		31.3.2014
룡)	सकल अनर्जक आस्तियाँ	
	अवमानक	21590.33
	संदिग्ध 1	3713.66
	संदिग्ध 2	1518.50
	संदिग्ध 3	644.50
	हानि	1131.50
	कुल	28598.50
च)	निवल अजर्नक आस्तियां	18073.20
छ)	अनर्जक आस्ति अनुपात	
	सकल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियां (%)	3.16%
	निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	2.03%
ज)	अनर्जक आस्तियों की गतिशीलता (सकल)	
i	प्रारंभिक शेष	11375.47
ii	जोड़ें-अवधि के दौरान वृध्दि	25892.80
iii	घटाएं- अवधि के दौरान कमी	8669.77
	अर्ध वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष (i+ii+iii)	28598.50
झ)	अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधानों की गतिशीलता	
i	प्रारंभिक शेष	7096.90
ii	अवधि के दौरान किये गये प्रावधान	7425.14
iii	अवधि के दौरान किये गये बट्टे खाते	4422.97
iv	अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	0.00
	अंतिम शेष (i+ii-iii-iv)	10099.07
롱)	अनर्जक निवेश (एनपीआई)	763.00
ट)	अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान	114.50
ਰ)	निवेशों पर मूल्यहास हेतु प्रावधानों की गतिशीलता	
i	प्रारंभिक शेष	674.10
ii	अवधि के दौरान किये गये प्रावधान	259.80
iii	अवधि के दौरान किये गये बट्टे खाते	0.00
iv	अवधि के दौरान किये अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	229.90
٧	अंतरण के दौरान इस्तेमाल किए गए प्रावधान	41.10
	अंतिम शेष (i+ii+-iii-iv- v)	662.90

Industry having more than 5% of gross credit exposure

Industry	% of Exposure
Power	8.73%

The Residual Maturity break down of Assets:

(Amount in ₹ million)

Maturity Pattern	Investments	Advances	Foreign Currency Assets
1 day	0.00	33236.90	3378.30
2 to 7 days	10058.70	20102.40	3762.06
8 to 14 days	0.00	26949.80	665.37
15 to 28 days	2624.60	32850.20	1018.11
29 days to 3 months	3509.30	48627.90	36650.44
Over 3 months and upto 6 months	257.30	48825.40	20439.77
Over 6 months and upto 1 year	9793.30	106897.60	12756.24
Over 1 year and upto 3 years	54725.90	408054.90	20.48
Over 3 years and upto 5 years	86173.20	117909.30	0.00
Over 5 years	206016.50	60232.30	0.00
Total	373158.70	903686.70	78690.77

Disclosures for NPAs & NPIs:

	(Amount in ₹ million
		31.03.2014
(A)	Gross NPA	
	Sub-standard	21590.33
	Doubtful 1	3713.66
	Doubtful 2	1518.50
	Doubtful 3	644.50
	Loss	1131.50
	Total	28598.50
(B)	Net NPA	18073.20
(C)	NPA Ratios	
	% of Gross NPAs to Gross Advances	3.16%
	% of Net NPAs to Net Advances	2.03%
(D)	The movement of Gross NPA	
I	Opening Balance	11375.47
Ш	Add: Addition during the period	25892.80
Ш	Less: Reduction during the period	8669.77
	Closing balance as at the end of the year (i+ii-iii)	28598.50
(E)	The movement of provision for NPAs	
I	Opening Balance (including countercyclical provisioning buffer)	7096.90
П	Provisions made during the period	7425.14
Ш	Write-off made during the period	4422.97
IV	Write – back of excess provisions	0.00
	Closing balance (i+ii- iii-iv)	10099.07
(F)	Non Performing Investments (NPI)	763.00
(G)	Provisions for NPI	114.50
(H)	The movement of provision for depreciation of investments	on
I	Opening balance	674.10
Ш	Provisions made during the period	259.80
Ш	Write-off made during the period	0.00
IV	Write – back of excess provision made during the period	ne 229.90
V	Provisions used during shifting	41.10
	Closing balance (i+ii-iii-iv-v)	662.90

सारणी-डीएफ-४ - ऋण जोखिम - मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर संविभाग गुणात्मक प्रकटन

क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अन्तर्गत संविभागों के लिए

बैंक, ऋण जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताओं के मापन हेतु मानक दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है. मानक दृष्टिकोण के अनुसार बैंक ऋण जोखिम रेटिंग के लिए आरबीआई द्वारा अनुमोदित ईसीएआई रेटिंग (बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्था) स्वीकार करता है और जहां ये रेटिंग उपलब्ध हैं वहां जोखिम भारित आस्तियों की गणना के लिए इन रेटिंग का उपयोग करता है.

- 1. भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड (क्रिसिल)
- 2. क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (केअर)
- 3. इंडिया रेटिंग
- 4. इक्रा लिमिटेड
- 5. ब्रिकवर्क
- भारतीय एसएमई रेटिंग एजेन्सी (समेरा)

विगोपन के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक रेटिंग एजेंसी का प्रयोग किया गया है:

बैंक ने सभी पात्र विगोपनों - तुलन पत्र और बाह्य तुलन पत्र में - चाहे वह अल्पाविध के हों अथवा दीर्घ अविध के - दोनों में भारतीय िर्ज़र्व बैंक द्वारा नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे (एन. सी.ए.एफ़.) संबंधी दिए गए दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमेय पद्धित से उक्त अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा समनुदेशित रेटिंग का प्रयोग किया है. बैंक ने इन एजेंसियों द्वारा समनुदेशित रेटिंग का प्रयोग किया है. बैंक ने इन एजेंसियों द्वारा समनुदेशित रेटिंग में कोई पक्षपात नहीं किया है और न ही इन्हें किसी विशेष प्रकार के विगोपन में इनके प्रयोग के लिए बाधित किया है.

बैंक की बाह्य रेटिंग को लागू करने हेतु मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं -

- बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप तथा ऋणकर्ताओं द्वारा मांगी गई और स्वीकार्य उक्त किसी भी रेटिंग एजेंसी द्वारा समनुदेशित रेटिंग का प्रयोग करेगा.
- जहाँ भी उपलब्ध हो, बैंक ऋणकर्ताओं के जोखिम भारित विगोपन का निर्धारण करने के लिए सुविधा रेटिंग अथवा बैंक ऋण रेटिंग का उपयोग करता है. बैंक वहाँ जारीकर्ता रेटिंग का प्रयोग करता है जहाँ बैंक ऋण की विशिष्ट रेटिंग नहीं हुई है.
- जब ऋणकर्ता का रेटिंग निर्धारण 150% जोखिम भार को दर्शाता है तो ऋणकर्ता की बिना रेटिंग वाली सभी सुविधाओं पर भी यह रेटिंग लागू होती है और उनका जोखिम भार भी 150% होता है.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने एकाधिक रेटिंग वाली सुविधाओं के लिए विशेष परिस्थितियाँ
 सूचित की हैं. इस संदर्भ में प्रदत्त सुविधाओं के लिए जब दो रेटिंग दी गई हों तो
 निम्नतर रेटिंग और जब दो या अधिक रेटिंग दी गई हो तो दूसरी निम्नतम रेटिंग
 (सेकेंड लोएस्ट रेटिंग) का प्रयोग होता है.
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा की गई रेटिंग का प्रयोग/लागू करते समय बैंक विनियामक दिशानिर्देशों/बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों से मार्गदर्शन प्राप्त करता है.

ख) मात्रात्मक प्रकटन

मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर जोखिम प्रशमन के उपरान्त 31.03.2014 को विभिन्न प्रमुख जोखिम बकेट्स में बैंक के बकाया (योग्यता निर्धारित व अनिर्धारित) विगोपन राशियाँ निम्नानुसार हैं-

(राशि ₹ मिलियन में)

		,	
क्रं.सं.	विवरण		राशि
i	बकाया विगोपन 100% जोखिम भार से कम		1141763.39
ii	बकाया विगोपन 100% जोखिम भार		310195.96
iii	बकाया विगोपन 100% जोखिम भार से अधिक		174196.65
	उप जं	ोड	1626146.01
iv	काटा गया सीआरएम मूल्य जोड़ा गया		45399.90
	कुल विगोपन		1671545.91

सारणी-डीएफ-5 - ऋण जोखिम प्रशमन - मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन गुणात्मक प्रकटन

ऋण जोखिम प्रशमन हेत् नीतियाँ

बैंक में संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन और ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है जिसमें अन्य पहलुओं के साथ-साथ स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों के प्रकार, संपार्श्विक प्रतिभूतियों की निरंतर निगरानी और निगरानी की बारंबारता तथा उनके मूल्यांकन का आधार और ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक को लागू करना सम्मिलित है. Table DF-4 - Credit Risk: Portfolios Subject to the Standardized Approach

a. Qualitative Disclosures:

For portfolios under the Standardised Approach:

The Bank uses the standardized approach to measure the capital requirements for credit risk. As per the Standardised Approach, Bank accepts rating of following RBI approved ECAI (External Credit Assessment Institution) for credit risk rating and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available.

- 1. Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL),
- 2. Credit Analysis and Research limited (CARE),
- 3. India Ratings,
- ICRA Limited,
- 5. Brickwork,
- 6. SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA)

Types of exposures for which each agency is used:

The Bank has used the solicited ratings assigned by the above approved credit rating agencies for all eligible exposures, both the balance sheet and off balance sheet, whether short-term or long-term, in the manner permitted in the RBI guidelines on the New Capital Adequacy Framework (NCAF). The Bank has not made any discrimination among ratings assigned by these agencies nor has restricted their usage to any particular type of exposure.

The key aspects of the Bank's External Ratings application framework are as follows:

- The Bank shall use the ratings assigned by any of these credit rating agencies as solicited and accepted by the borrowers in line with RBI guidelines.
- Wherever available, the Bank uses facility rating or bank loan rating for risk weighting the borrower's exposures. Where issuer rating is available the Bank uses such ratings unless the bank loan is specifically rated.
- When a borrower is assigned a rating that maps to a risk weight of 150%, then this rating is applied on all the unrated facilities of the borrower and risk weighted at 150%.
- The RBI guidelines outline specific conditions for facilities that have multiple ratings. In this context, the lower rating, where there are two ratings and the second-lowest rating where there are two or more ratings are used for a given facility.
- While mapping/applying the ratings assigned by the credit rating agencies, the Bank is guided by Regulatory guidelines / Bank's Board approved policy.

b. Quantitative Disclosures:

Exposure amounts as of 31.03.2014 after risk mitigation subject to the Standardized Approach, amount of a bank's outstandings (rated and unrated) disclosed under following major risk buckets:-

(Amount in ₹ million)

Sr.No.	Particulars	Amount
i	Below 100% risk weight exposure outstanding	1141763.39
ii	100% risk weight exposure outstanding	310195.96
iii	More than 100% risk weight exposure outstanding	174186.65
	Sub total	1626146.01
iv	Deducted CRM Value is added	45399.90
	Total Exposure	1671545.91

Table DF-5 – Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches

Qualitative Disclosures

Policies for Credit Risk Mitigation:

The Bank has a Board approved policy framework for collateral management and credit risk mitigation techniques, which include among other aspects guidelines on acceptable types of collateral, ongoing monitoring of collateral including the frequency and basis of valuation and application of credit risk mitigation techniques.

संपारिर्वक प्रतिभृति प्रबंधन

बैंक को दी गई प्राथमिक प्रतिभूति या उसके स्थान पर दी गई प्रतिभूति के उपर या अतिरिक्त दी गई प्रतिभूति के रूप में संपाष्टिर्वक प्रतिभूति को परिभाषित किया है. यह चूक की स्थित में बैंक को ऋण की वसूली में अतिरिक्त सुविधा/अनुकूल स्थित प्रदान करती है. कई बार ये प्रतिभूतियाँ ऋणकर्ता के मुख्य व्यवसाय से संबंध नहीं रखतीं अथवा ऋणकर्ता द्वारा क्रय नहीं की गई होतीं. बैंक यह सुनिष्टिचत करता है कि संपाष्टिर्वक प्रतिभूति संबंधी पूर्वाधिकार दस्तावेज बैंक को ऋणकर्ता द्वारा चूक की स्थित में उस प्रतिभूति अथवा ऋण संवर्धन के अन्य प्रकारों पर उपयुक्त अधिकार प्रदान करते हैं जिसमें निर्धारित समय में परिसमापन, रोकना अथवा विधिक प्रक्रिया करना सम्मिलित है.

संपाष्टिर्वक प्रतिभृति का मुल्यांकन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक संपाष्टिकंक प्रतिभूति हेतु व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है. इसमें बैंक अपने प्रतिपक्ष पर अपनी पूंजी के विगोपन की गणना करते समय बेसल - 3 द्वारा विनिर्दिष्ट संपाष्टिकंक प्रतिभूति के द्वारा प्रदान किए गए ऋण जोखिम प्रशमन को कम कर देता है. बैंक उपयुक्त मार्जिन भी रखता है. बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित ऋण नीति को भी स्थापित किया है जिसमें ऋण देते समय बैंक द्वारा सामान्यतः स्वीकार्य सभी प्रकार की प्रतिभूतियों, उनके प्रशासन / निगरानी के बारे में उल्लेख किया गया है तािक बैंक का हित सुरक्षित रह सके तथा इससे जुड़ा जोखिम न्यूनतम हो सके. बैंक निर्धारित नीित के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों को सुरक्षित करने के लिए जिन चल और अचल आस्तियों को प्राप्त करता है, उन सभी का मूल्यांकन बैंक द्वारा सूचीबद्ध बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाना अनिवार्य होता है.

बैंक द्वारा ली गई संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मुख्य प्रकारों का विवरण

ऋण जोखिम की पूंजी आवश्यकता की गणना के लिए बैंक केवल उन्हीं संपार्श्विक प्रतिभूतियों को स्वीकार करता है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत जोखिम को कम करने हेतु पात्र हैं. ये प्रतिभूतियाँ निम्नलिखित हैं -

- o बैंकों में नकद जमा
- o स्वर्ण, बुलियन और आभूषणों सहित
- o केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
- o किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
- o बीमा क्षेत्र के विनियामक द्वारा विनियामित बीमा कंपनी द्वारा घोषित समर्पण मुल्य की जीवन बीमा पॉलिसियाँ
- o कम-से-कम बीबीबी(-), पीआर3/एफ़3/ए3 की रेटिंग वाली ऋण प्रतिभूतियाँ.
- o म्युच्युअल फंड के यूनिट जिसका निवेश उक्त उल्लिखित लिखतों में से एक है.

प्रतिपक्ष के गारंटीदाता के मुख्य प्रकार और उनकी ऋण साख

जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, बैंक ऋण जोखिम को कम करने के लिए अतिरिक्त कुशन के रूप में व्यक्तिगत अथवा निगमित गारंटी प्राप्त करता है जिससे गारंटीदाता पर सीधे दावा किया जा सकता है और जो बिना शर्त और अविकल्पी होती है. बैंक सुरक्षा कवच के रूप में राज्य/केंद्रीय सरकार / ईसीजीसी/सीजीटीएमएसई द्वारा दी गई गारंटी भी स्वीकार करता है.

* ऋण जोखिम प्रशमन में केंद्रीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंनुसार पात्र ऋण जोखिम प्रशमन हेतु शर्तों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि ऋणकर्ता के ऋण की गुणवत्ता और स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य में कोई तात्विक सकारात्मक सह-संबंध नहीं है. वर्तमान में, बैंक के पास ऋण जोखिम प्रशमन के अंतर्गत कोई केंद्रीकृत जोखिम नहीं है.

मात्रात्मक प्रकटनः

क) अलग -अलग प्रकट ऋण जोखिम प्रत्येक संविभाग के लिए मार्जिन के उपयोग के बाद पात्र वित्तीय सहायक प्रतिभूतियों से रक्षित कुल विगोपन (जहां लागू है वहां आन या ऑफ बेलेंस शीट नेटिंग के बाद)

(₹ मिलियन में)

	(
	31.03.2014
मार्जिन के उपयोग के बाद पात्र वित्तीय सहायक प्रतिभूतियों से रक्षित	45399.90
कुल विगोपन (जहां लागू है वहां आन या ऑफ बेलेंस शीट नेटिंग के बाद)	

ख) अलग - अलग प्रकट प्रत्येक संविभाग (जहां लागू है वहां आन या ऑफ बेलेंस शीट नेटिंग के बाद) के लिए गारंटियों/ऋण डेरिवेटिव्स (जहां विशेष रूप से भा.रि.बैं. ने अनुमति दी है) से रिक्षत कुल विगोपन

Collateral Management

The Bank defines collateral as it is an additional or sub-ordinate security given, over and above the primary security or in substitution thereof. It serves as an additional comfort to the bank for recovery of loans in default situations. At times, these securities are not connected to the main business of the borrower or may not be owned by the borrower. The Bank ensures that the underlying documentation for the collateral provides the Bank appropriate rights over the collateral or other forms of credit enhancement including the right to liquidate, retain or take legal possession of it in a timely manner in the event of default by the counterparty.

Collateral Valuation

As stipulated by the RBI guidelines, the Bank uses the comprehensive approach for collateral valuation. Under this approach, the Bank reduces its capital exposure to counterparty when calculating its capital requirements to the extent of risk mitigation provided by the eligible collateral as specified in the Basel III guidelines. The Bank also applies appropriate haircuts. Bank has also put in place Lending Policy duly approved by the Board, which lay down the types of securities normally accepted by the Bank for lending, and administration / monitoring of such securities in order to safeguard/protect the interest of the Bank so as to minimize the risk associated with it. Both the fixed and the current assets obtained to secure the loans granted by the Bank as per policy prescription are subjected to valuation by outside valuers empanelled by the Bank

Description of the main types of collateral taken by the Bank

For the purpose of computation of capital requirement for Credit Risk, the Bank recognizes only those collaterals that are considered as eligible for risk mitigation in RBI guidelines, which are as follows:

- Cash Deposit with banks
- o Gold, including bullion and jewellery
- Securities issued by Central and State Governments
- o Kisan Vikas Patra and National Savings Certificate
- Life Insurance Policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by the insurance sector regulator
- o Debt securities rated at least BBB(-), PR3/F3/A3
- Units of Mutual Funds, where the investment is in instruments mentioned above

Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness

Wherever required the Bank obtains personal or corporate guarantee as an additional comfort for mitigation of credit risk which can be translated into a direct claim on the guarantor which is unconditional and irrevocable. The Bank also accepts guarantee given by State / Central Government/ECGC/CGTMSE as a security comfort.

Concentrations within Credit Risk Mitigation

The RBI guidelines, among its conditions for eligible credit risk mitigants, require that there should not be a material positive correlation between the credit quality of the counterparty and the value of the collateral being considered. Currently, Bank does not have any concentration risk within credit risk mitigation.

Quantitative Disclosures:

(a) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.

(Amount in ₹ million)

	31.03.2014
The total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts	

(b) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI).

	31.03.20124
कुल विगोपन (जहां लागू है वहां आन या ऑफ बेलेंस शीट नेटिंग के	शून्य
बाद) जो गारंटियों/ऋण डेरिवेटिव्स (जहां विशेष रूप से भा.रि.बैं. ने	
अनुमति दी है) से रक्षित कुल विगोपन	

सारणी-डीएफ-६ - प्रतिभूतिकरण

गुणात्मक प्रकटन

बैंक ने वर्ष 31.03.2014 के दौरान किसी भी निवेश का प्रतिभूतिकरण नहीं किया है.

मात्रात्मक प्रकटन

मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए मात्रात्मक प्रकटन लागू नहीं है.

सारणी-डीएफ-7- व्यापार की बहियों में बाजार जोखिम गुणात्मक प्रकटनः

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम को बैंक को बाजार के व्युत्पन्नों जैसे ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, इिक्वटी मूल्यों और वस्तु मूल्यों में प्रितकूल संचलनों के कारण होने वाली हानि की संभावना के रूप में पिरभाषित किया जाता है. बाजार जोखिम में बैंक का ऋण जोखिम विदेशी मुद्रा विनिमय स्थितियों, व्यापार बहियों (एएफएस और एचएफटी दोनो श्रेणियां) में घरेलू निवेशों (ब्याज से सम्बंधित लिखत और इिक्वटी) से पैदा होता है. बैंक वस्तुओं में व्यापार नहीं करता है. बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य बाजार जोखिम के कारण आय तथा इिक्वटी पूंजी से सम्बंधित हानियों के प्रभाव को न्यूनतम बनाना है.

बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियां, रणनीतियां और कार्यपद्धतियां

बैंक में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश प्रबंधन नीति और निवेश जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन नीति विद्यमान है. उक्त नीतियों में बाजार जोखिम प्रबंधन के कार्यों हेतु सुपिरेभाषित संगठनात्मक ढांचे एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया है जिनके द्वारा बैंक को होने वाले बाजार जोखिमों का अभिनिर्धारण, पिरमापन, अनुप्रवर्तन और नियंत्रण किया जाता है जो बैंक की जोखिम सहन करने की क्षमता के अनुरुप नीतिगत संरचना के भीतर आता हो. नीतियों में बाजार जोखिम के प्रभावी अनुप्रवर्तन हेतु रिपोंटिंग संरचना का भी समावेश है. नीतियों में बाजार जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन हेतु विभिन्न जोखिम सीमाओं जैसे ओवरनाईट लिमिट, इन्ट्रांडे लिमिट, एग्रीगेट गैप लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट, वीएआर लिमिट आदि का भी निर्धारण किया गया है. प्रतिपक्ष बैंकों के लिए भी ऋण जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई हैं जिनका अनुप्रवर्तन दैनिक आधार पर किया जाता है.

आस्ति देयता प्रबंधन नीति (एएलएम) विशेष रुप से तरलता जोखिम प्रबंधन व ब्याज दर जोखिम प्रबंधन संरचना से सम्बंधित है. जैसा कि नीति में परिकित्पत है, तरलता जोखिम का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार आस्ति व देयताओं की अविशष्ट परिपक्वता/प्रवृत्ति के आधार पर पारंपिरक गैप एनालिसस और ड्यूरेशन गैप एनालिसिस के जिरये किया जाता है. बैंक ने तरलता प्रबंधन हेतु अल्पकालिक गतिशील तरलता प्रबंधन तंत्र तथा आकिस्मक योजना तैयार की है. प्रभावी आस्ति देयता प्रबंधन हेतु अलग अलग अविशष्ट परिपक्वता अविध श्रेणियों के लिए विवेकपूर्ण (सह्य-सीमा) सीमाएं निर्धारित की गई हैं. तरलता प्रबंधन हेतु बैंक की आकिस्मक योजना में तरलता स्थिति पर पड़ने वाले सभी प्रकार के दबाबों से निपटने हेतु किये जाने वाले विभिन्न आकिस्मक उपाय शामिल हैं. बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित तनाव परीक्षण नीति बनाई है और वह तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के सम्बंध में आविधक रुप से तनाव परीक्षण आयोजित करता है.

ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन अस्थिर भाव वाली आस्तियों व देयताओं के गैप एनालिसेस के जिरये किया जाता है जिसका अनुप्रवर्तन निर्धारित किये गये विवेकपूर्ण (सह्य-सीमा) सीमाओं के माध्यम से किया जाता है. बैंक ने ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु डयूरेशन गैप एनालिसस फ्रेमवर्क भी तैयार किया है. बैंक निवल ब्याज आय तथा इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव के निर्धारण हेतु जोखिम भरे अर्जनों और ब्याज दर की प्रतिकूल गतिशीलता के विरुद्ध संशोधित डयूरेशन गैप का प्राक्कलन करता है ताकि शेयरधारक के मूल्य को ईष्टतम बनाया जा सके.

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)/बोर्ड बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन का अनुप्रवर्तन करता है. डीलिंग रुम के कार्य केन्द्रीकृत हैं और डीलिंग रुम के कार्यो पर निगरानी रखने हेतु एक प्रणाली मौजूद है. खजाना एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग सतत आधार पर विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन पर निगरानी रखता है.

बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति- यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक के परिचालन बाज़ार जोखिम के समक्ष आय की प्रबंधन की अपेक्षाओं के अनुरूप ही हैं, यह अत्यावश्यक है कि बैंक क्रय-विक्रय और बैंक की बहियों में उसके सामने आ रहे बाज़ार जोखिमों का प्रबंध करने के लिए किस प्रकार योजना बनाता है, इसे व्यक्त करने के लिए बैंक के पास सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का एक परिभाषित सेट रहे.

बैंक की बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति का लक्ष्य प्रक्रियाओं की विस्तृत रूपरेखा बनाना है

	31.03.2014
Total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	NIL

Table DF-6 SECURITIZATION

Qualitative Disclosures:

The Bank has not securitized any exposure during the year ended 31.03.2014

Quantitative Disclosures:

Quantitative Disclosure for Standardized Approaches is Not Applicable

Table DF-7 MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative Disclosures:

Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank caused by adverse movements in the market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (both AFS and HFT categories), the Foreign exchange positions. Bank is not trading in commodities. The objective of the market risk manage-ment is to minimize the impact of losses on earnings and equity arising from market risk.

Policies, strategies and processes for management of Market Risk

The Bank has put in place Board approved Investment Management Policy & Investment Risk Management Policy, Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) Policy for effective management of market risk in the Bank. The above policies lay down well-defined organization structure for market risk management functions and processes whereby the market risks carried by the Bank are identified, measured, monitored and controlled within the policy framework consistent with the Bank's risk tolerance. The policies deal with the reporting framework for effective monitoring of market risk and also set various risk limits such as Over-night Limit, Intra-day limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit etc. Exposure limits are set for the counterparty banks and the exposures are monitored on daily basis.

The ALM Policy specifically deals with liquidity risk and interest rate risk management framework. The Bank has put in place mechanism of short term dynamic liquidity management and contingency plan for liquidity management. Prudential (Tolerance) limits are set for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. The Bank's contingency plan for liquidity management comprises various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. The Bank has put in place Board approved Stress Testing Policy and conducts periodic stress tests on liquidity risk, interest rate risk and foreign exchange risk.

Interest rate risk is managed through use of Gap Analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (Tolerance) limits prescribed. The Bank also has put in place Duration Gap Analysis framework for management of interest rate risk. The Bank estimates Earnings at Risk (EaR) and Modified Duration Gap (DGAP) periodically against adverse movement in interest rate for assessing the impact on Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE).

The Asset Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence of prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in light of the market conditions. Dealing room activities are centralized and system is in place to monitor the dealing room activities. The Mid-Office at the Treasury & International Banking Department (TIBD) also monitors adherence of prudential limits on a continuous basis.

Market Risk Management Policy - To ensure that the Bank's operations are in line with Management expectations of return vis-à-vis market risk, it is crucial that the Bank has a defined set of principles and processes in place for articulating how it plans to manage the market risks it faces, in the Trading or Banking Book.

The Bank's Market Risk Management Policy aims to set out the broad outlines of the processes by which the market risks carried by the Bank shall be managed i.e. identified, measured, controlled and monitored in such a way that the risk taken is within the approved risk tolerance limits. The scope of

जिसके द्वारा बैंक द्वारा उठाए जा रहे जोखिमों का प्रबंधन किया जा सके अर्थात इसका अभिनिर्धारण, मापन, नियंत्रण, निगरानी इस प्रकार की जा सके कि उठाया गया जोखिम अनुमोदित जोखिम सहा सीमाओं के भीतर हो. इस नीति की व्यापकता बैंकिंग बही के निवेश भाग और बैंक की व्यापार बही के कारण उत्पन्न हो रहे बाज़ार जोखिम को कवर करती है. बैंकिंग बही के कारण और बैंकिंग बही के निवेश हिस्से से उत्पन्न होने वाले बाजार जोखिम को प्रबंधित किया गया है.

देश जोखिम के अनुप्रवर्तन हेतु देशवार आधार पर सकल ऋण जोखिम का आकलन किया जाता है. विभिन्न देशों के जोखिम वर्गीकरण हेतु बैंक द्वारा ईसीजीसी जोखिम वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है. अत्यधिक जोखिम वाले देशों के ऋण जोखिम का निर्धारण यथोचित जोखिम प्रशमन से किया जाता है.

मात्रात्मक प्रकटनः

घ) बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं-

(₹ मिलियन में)

	जोखिम की श्रेणी	31.03.2014
i	ब्याज दर जोखिम	1645.17
ii	इक्विटी स्थिति जोखिम	460.03
iii	विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	45.00
	मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अंतर्गत बाज़ार जोखिमों के	2150.20
	लिए कुल पूँजी प्रभार (i+ii+iii)	

सारणी-डीएफ-8 - परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटनः

परिचालन जोखिमः

परिचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल हो चुकी आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के परिणामस्वरुप होने वाली हानियों का जोखिम होता है. परिचालन जोखिम में विधिक जोखिम शामिल होता है किन्तु रणनीतिक व प्रतिष्ठात्मक जोखिम शामिल नहीं होता है.

परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियां -

बैंक ने परिचालन जोखिम के लिए उन्नत दृष्टिकोणों (टीसीए एंड एएमए) हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है. परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित अन्य नीतियों में निम्नलिखित का समावेश हैं क)सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति खो व्यवसाय निरंतरता आयोजन नीति ग) अनुपालन नीति और घ) बाह्यस्त्रोत-उपयोग नीति ङ) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति. बैंक ने 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) तथा 'धन शोधन निवारण' (एएमएल) की कार्यविधियों के सम्बंध में दिशानिर्देश जारी किये हैं.

रणनीतियां और प्रक्रियाएं - बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, कार्पोरेट मूल्यों को शामिल कर ठोस परिचालन प्रक्रियाओं और मजबूत संगठनात्मक संस्कृति द्वारा संचालित है.

बैंक विधिक प्रलेखों की पर्याप्तता तथा प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करने हेतु विधिक प्रलेखों की सतत रूप से पुनरीक्षा करता है. जोखिम अंतरण के उपाय के रूप में बैंक ने अपने स्वामित्व में आने वाली सभी आस्तियों के लिए बीमा सुरक्षा प्राप्त की है. यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जोखिम प्रशमन उपाय के रूप में बैंक द्वारा वित्तपोषित सभी आस्तियाँ भी पर्याप्त रूप से बीमांकित हैं. परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति में संगठनात्मक ढांचे तथा परिचालन जोखिम प्रबंधन विस्तृत प्रक्रियाओं की रूपरेखा दी गई है. नीति का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण परिचालनगत हानियों सहित परिचालनगत जोखिम विगोपनों की समय से रिपोर्टिंग द्वारा और परिचालन जोखिमों के नियंत्रण/प्रशमन, निर्धारण, निगरानी और प्रभावी अभिनिर्धारण हेतु स्पष्ट रूप से भूमिकायें तय करने के द्वारा बैंक की दैनंदिन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली को ध्यानपूर्वक एकीकृत करना है. बैंक में परिचालन जोखिम का प्रबंधन एक व्यापक एवं सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण संरचना के जरिये किया जाता है.

परिचालन जोखिम हेतु पूंजी प्रभार परिकलन के लिए अपनाया गया दृष्टिकोणः

बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी प्रभार का परिकलन करने के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपनाया है. बैंक उन्नत परिचालन जोखिम हेतु पूँजी जोखिम प्रभार की गणना के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (टिएसए) और तत्पश्चात उन्नत माप दृष्टिकोण (एएमए) हेतु प्रवर्जन के लिए तैयारी कर रहा है.

गुणात्मक प्रकटनः

मूल संकेतक दृष्टिकोण के अंतर्गत परिचालन जोखिम के लिए पूँजी प्रभार ₹ 5381.70 मिलियन है.

सारणी-डीएफ-९ - बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) गुणात्मक प्रकटनः

वैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिमः

ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों से बैंक की बहियों पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल

this policy covers market risks arising from the bank's "Trading book" and investment portion of "Banking book".

The aggregate exposure on country wise basis is taken for monitoring the country risk. For risk categorization of various countries, the ECGC risk classification is used by the Bank. Exposure on High Risk countries are taken with proper risk mitigation.

Quantitative Disclosure:

The Capital requirements for Market Risk are as under:

(Amount in ₹ million)

	Risk Category	31.03.2014
i	Interest Rate Risk	1645.17
ii	Equity Position Risk	460.03
iii	Foreign Exchange Risk (including gold)	45.00
	Total capital charge for market risks under standardized duration approach (i+ii+iii)	2150.20

Table DF-8 OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures:

Operational risk:

Operational Risk is risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes Legal risk but excludes Strategic and Reputation Risk.

Policies on management of Operational Risk:

The Bank has framed Operational Risk Management Policy in line with the RBI Guidelines for the Advanced Approaches for Operational Risk (TSA & AMA) duly approved by the Board. The other policies approved by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information System Security Policy, (b) Business Continuity Planning Policy, (c) Compliance Policy, (d) Outsourcing Policy and (e) Fraud Risk Management Policy. The Bank has issued guidelines on 'Know Your Customer' (KYC) and 'Anti-Money Laundering' (AML) procedures.

Strategies and processes: The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, internal control culture, effective internal reporting. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

The Bank has been constantly reviewing the legal documents to ensure that the legal documents are comprehensive and enforceable. As a measure of risk transfer, the Bank has obtained insurance cover for all the assets owned by the Bank. It is also ensured that the assets financed by the Bank are also adequately insured as a risk mitigation measure. The operational risk management policy outlines the organization structure and detail processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management system into the day-to-day risk management processes of the Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling / mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses. Operational risks in the Bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework.

Approach adopted for capital charge computation for operational risk:

The Bank is following Basic Indicator Approach (BIA) for calculating capital charge for Operational Risk. The Bank is preparing for migrating to The Standardized Approach (TSA) and then for Advanced Measurement Approach (AMA) for calculation of capital risk charge for Operational Risk.

Quantitative Disclosure:

Capital charge for Operational Risk under Basic Indicator approach is ${\bf \color{7}}$ 5381.70 million.

Table DF-9 INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB) Qualitative Disclosures:

Interest Rate Risk in the Banking Book:

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) refers to the potential adverse financial impact on the Bank's Banking Book from changes in

प्रभाव का संदर्भ बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबी) है .- ब्याज दर जोखिम का मापन और निगरानी दो विधियों से की जाती है .

- जोखिम पर आयः आय पर पड़ने वाले प्रभाव (अर्जन परिप्रेक्ष्य) का मापन गॅप एनालिसेस के जरिये 100 आधार अंकों तक कल्पित दर शॉक-अप (आस्तियों और देयताओं में ब्याज दर में समानांतर बदलाव) लागू करते हुए किया गया है.
- ii. इिक्वटी के आर्थिक मूल्य (ड्यूरेशन गैप एनािलिसिस): बैंक ने भा.रि.बैंक द्वारा सुझाई गई पद्धित के अनुसार इिक्वटी के आर्थिक मूल्य पर (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) प्रभाव के निर्धारण हेत् (प्रतिशत के रूप में) डयूरेशन गॅप एनिलिसस को अपनाया है.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित 200 बीपीएस रेट शॉक हेतु इक्विटी के आर्थिक मूल्य के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है.

इक्विटी का आर्थिक मुल्य का मापन और निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है.

मात्रात्मक प्रकटनः जोखिम पर अर्जनः

(₹ मिलियन में)

	१ वर्ष का	पुनर्मूल्यन
 ब्याज दर में परिवर्तन	31.03.2014 (+)100 आधार (-)100 आधार ਧਾੱਵੰਟ ਪਾੱਵੰਟ	.2014
SHOLAY A MAKEL		(-)100 आधार पॉईंट
निवल ब्याज आय पर प्रभाव	(+) 73.20	(-) 73.20

इक्विटी का आर्थिक मूल्य

	31.03.2014	
	(+)200 आधार पॉईंट	(-)200 आधार पॉईंट
इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव	(+) 4.56%	(-) 4.56%

सारणी डीएफ 10 : काउंटर पक्ष ऋण जोखिम संबंधी विगोपन हेतु सामान्य प्रकटन

(क) गुणात्मक प्रकटन :

बैंक व्युत्पन्न बाजार में अपने स्वयं के और अपने ग्राहकों के रेखांकित जोखिम के बचाव के लिए प्रयोगकर्ता के रूप में भाग लेता है. बैंक के व्यावसायिक घटक, ग्राहकों के मिश्रण और स्वरूप, पूंजी आवश्यकता के साथ-साथ जोखिम प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए बैंक निम्नलिखित व्युत्पन्न उत्पादों का लेन-देन करता है:

- मूद्रा वायदा
- विदेशी मुद्रा वायदा संविदा और मुद्रा क्रय-विक्रय
- ब्याज दर क्रय-विक्रय ओआईएस एवं आईआरएस

रिपोर्ट की जा रही अवधि के दौरान बैंक ने ऋण क्रय-विक्रय और मुद्रा विकल्प के अंतर्गत लेन-देन नहीं किया है.

विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग लिमिट्स जैसे, काउंटर पक्ष लिमिट्स, स्टॉप लॉस लिमिट्स, हे-लाईट लिमिट, ओवर नाईट लिमिट्स और विगोपन लिमिट्स इत्यादि का निर्धारण करते हुए विभिन्न जोखिमों का आंकलन और प्रबंधन किया जाता है. इन लिमिट्स का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/विनिमय केन्द्रों के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.

विनिमय की ओर से विनिर्दिष्ट लिमिट्स (1) आरंभिक मार्जिन (2) बाजार हेतु चिन्हित मार्जिन (3) मुक्त ब्याज हैं. मुक्त ब्याज और बाजार को चिन्हित मार्जिन का बैंक द्वारा अनुपालन किया गया है.

मुद्रा वायदा लेन-देनों के मामले में बैंक ने विनिमय केन्द्र द्वारा अनुमोदित बैंक में समाशोधन और लेन-देनों के निपटान हेतु खाता रखा है साथ ही, बैंक नकदी/ बैंक जमाराशियों/बैंक गारंटियों/सरकारी प्रतिभूतियों अथवा किसी अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में मार्जिन भी रखता है.

वायदा संविदाओं की बुकिंग का उद्देश्य विनिमय जोखिम संबंधी लेन-देन के विगोपन से बचाव है, जिसके लिए फेमा 1999 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा खरीदने और/अथवा बिक्री की अनुमित है. विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम से बचाव के लिए बैंक अपने ग्राहकों को वायदा संविदा एक उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करता है.

बैंक केवल उन काउंटर पक्ष बैंकों के साथ आईआरएस/एफआरए संव्यवहार करता है जिन्होंने आईएसडीए मास्टर समझौता/सीएसए किया है और जिसके लिए बैंक ने काउंटर पक्ष विगोपन लिमिट निर्धारित की है. interest rates. The interest rate risk is measured and monitored through two approaches.

- (i) Earnings at Risk: The impact on income (Earning Perspective) is measured through use of Traditional Gap Analysis by applying notional rate shock (parallel shift in the interest rates across assets and liabilities) upto 100 basis point (bps).
- (ii) Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis): The Bank has adopted Duration Gap Analysis for assessing the impact (as a percentage) on the economic value of equity (Economic Value Perspective) in line with method suggested by RBI.

The impact on the Economic Value of Equity is analysed for a 200 bps rate shock as indicated by RBI.

The Economic Value of Equity is measured and monitored on a quarterly basis

Quantitative Disclosure: Earning at Risk:

(Amount in ₹ Million)

	Repricing at 1 Year
Change in Interest rate	31.03.2014
go	(+) 100 (-) 100 basis point basis point
Impact on Net Interest Income	(+) 73.20 (-) 73.20

Economic Value of Equity:

	31.03.2014 (+) 200 (-) 200 basis point basis point	
Impact on economic value of equity	(+) 4.56%	(-) 4.56%

Table DF-10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

(a) Qualitative Disclosures:

Bank is participating in the derivative market as a user to hedge the risk of underlying exposure of its own and that of its customers. Keeping in view the business composition of the Bank, the nature and mix of clients, capital requirement as also risk appetite, the Bank is dealing in the following derivative products.

- Currency futures
- Foreign Exchange Forward contracts and currency swaps.
- Interest Rate Swaps OIS & IRS.

Bank has not undertaken the transactions under Credit Default Swaps and Currency options during the period under report:

The measurement and management of various risks is ensured by setting up various limits such as counter party limits, stop loss limits, Day light Limits, Overnight limit, Stop Loss Limits and exposure limits etc. at various levels. The utilization of such limits would be subject to the guidelines of RBI/SEBI/Exchanges.

From the exchange side, the limits stipulated are (1) initial margin (2) mark to market margins (3) open interest. Open interest and mark to market margins are adhered to by the bank.

In respect of currency futures transactions, Bank is maintaining account with the exchange approved Bank for the purpose of clearing and settlement of the transactions and also maintains the margin in the form of cash/bank deposits/bank guarantees/ G-Sec or any other approved securities.

Purpose of booking forward contracts is to hedge an exposure to exchange risk in respect of transaction for which sale and/or purchase of foreign exchange is permitted under FEMA 1999. The Bank offers to its customers forward contract as a product for hedging their foreign currency exchange risk.

The Bank is doing IRS/FRA deals only with those counterparty banks which have executed ISDA Master agreement/CSAs and for whom the bank has set up counterparty exposure limits.

बैंक ने वर्तमान विगोपन पद्धति और भा रि बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आकलित व्युत्पन्न संविदाओं के ऋण विगोपन के लिए अपेक्षित प्रावधान किए हैं.

 जब कभी बैंक जोखिम और तत्संबंधी पूंजी आवश्यकता के आंकलन हेतु एडवांस एप्रोच में अंतरित होगा, तदनुसार बैंक द्वारा काउंटर पक्ष ऋण विगोपन हेतु पद्धतियां और आर्थिक पूंजी का निर्धारण किया जाएगा.

(ख) मात्रात्मक प्रकटन :

(₹ मिलियन में)

अ.क्र.	विवरण	31.03.2014
1	प्रतिस्थापित	3832.70
2	संभावित वायदा विगोपन	2474.78
3	सकल ऋण तुल्य	6307.48
	समाविष्ट :	
3.1	ब्याज दर संविदा	10.00
3.2	ऋण व्युत्पन्न संविदा	0.00
3.3	ईक्विटी संविदाएं	0.00
3.4	विदेशी मुद्रा संविदाएं और स्वर्ण	6297.48
3.5	जिंस संविदाएं	0.00
4	सकल ऋण तुल्य राशि	6307.48
5	घटाएं : निवल व्यवस्था का प्रभाव	0.00
6	निवल उपरांत ऋण तुल्य राशि (4-5)	6307.48
7	घटाएं : संपार्श्विक राशि	0.00
7.1	पात्र वित्तीय संपार्श्विक	0.00
7.2	अन्य पात्र संपार्श्विक	0.00
8	निवल ऋण तुल्य राशि	6307.48

आईएसडीए समझौतों और पात्र संपार्श्विक की पहचान के माध्यम से अंतिम विगोपन द्वारा काउंटर पक्ष ऋण विगोपन का न्यूनीकरण किया गया, जिसके प्रभाव यथोचित रूप से विनियामक पूंजी गणनाओं में शामिल किए गए हैं.

(ग) ऋण व्युत्पन्न लेन-देन -

(₹ मिलियन में)

विवरण	खरीदा गया सुरक्षा अंश	बेची गई ऋण व्युत्पन्न सुरक्षा
स्वयं का ऋण संविभाग	शून्य	शून्य
ग्राहक की मध्यस्थता गतिविधियां	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य
ऋण चूक अदलाबदली	शून्य	शून्य
कुल अदलाबदलियों की वापसी	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

सारणी - डीएफ - 11 (₹ मिलियन में)

विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 01 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट		दिनांक 31.03.14 को	बेसल 3 प्रतिपादन से पूर्व राशियां	संदर्भ क्रमांक
	कॉमन ईक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखतें और आरक्षितियां			
1	संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित प्रत्यक्ष जारी पात्र सामान्य शेयर पूंजी	27236.16		ए१+बी १
2	रोकी गई आय	301.42		बी 8
3	अन्य समाविष्ट संचयी आय (और अन्य आरक्षितियां)	29333.07		बी 2+बी 3+बी 4+ बी 5

The Bank has made requisite provision on credit exposure of derivative contracts computed as per current exposure method & as per RBI guidelines.

 Bank will describe the methodology and will assign economic capital for the counter party credit exposure, as and when bank will migrate to the Advanced Approaches of measurement of Risk and related Capital requirement.

(b) Quantitative Disclosures

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Particulars	31.03.2014
1	1 Replacement Cost	
2	Potential Future Exposure	2474.78
3	Gross Credit Equivalent	6307.48
	Comprising:	
3.1	Interest Rate Contract	10.00
3.2	Credit Derivatives Contract	0.00
3.3	Equity Contracts	0.00
3.4	Foreign Exchange Contracts and Gold	6297.48
3.5	Commodities Contracts	0.00
4	Gross Credit Equivalent Amount	6307.48
5	Less: Effect of Netting Arrangements	0.00
6	Credit Equivalent Amount after netting (4-5)	6307.48
7	Less: Collateral Amount	0.00
7.1	Eligible Financial Collateral	0.00
7.2	Other Eligible Collateral	0.00
8	Net Credit Equivalent Amount	6307.48

Counterparty credit exposure is mitigated by exposure netting through ISDA agreements and recognition of eligible collateral, effects of which have been included in regulatory capital calculations where appropriate.

(c) Credit Derivatives Transactions-

(Amount in ₹ Million)

Particulars	Notional of Protection Bought	Credit Derivatives Protection Sold
Own Credit Portfolio	NIL	NIL
Client Intermediation Activities	NIL	NIL
Total	NIL	NIL
Credit default swaps	NIL	NIL
Total return swaps	NIL	NIL
Total	NIL	NIL

Table DF-11

(₹ in Million)

		Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 01, 2013 to December 31, 2017)	As on 31.03.14	AMOUNTS SUBJECT TO PRE- BASEL III TREATMENT	Ref. No.
		Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
	1	Directly issued qualifying common share capi-tal plus related stock surplus (share premium)	27236.16		A1+B1
ſ	2	Retained earnings	301.42		B8
	3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	29333.07		B2+B3 +B4+B5

	वेनियामक समायोजनों के अंतरण त 01 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट	दिनांक 31.03.14 को	बेसल 3 प्रतिपादन से पूर्व राशियां	संदर्भ क्रमांक
4	सीईटी 1 से फेज आउट होने के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर- संयुक्त स्टॉक कंपनियों हेतु लागू)	0.00		
	दिनांक 1 जनवरी, 2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी प्रत्यारोपण	0.00		
5	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत्य राशि)	0.00		
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी	56870.65		
	सामान्य ईाक्वटी टीयर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00		
8	साख (संबंधित कर देयता उपरांत)	0.00		
9	बंधक सेवी अधिकारों के अतिरिक्त अमूर्तताएं (संबंधित कर देयता उपरांत)	49.32	123.30	के 1
10	आस्थगित कर आस्तियां	0.00		
11	नकदी-प्रवाह बचाव आरक्षिति	0.00		
12	संभावित हानियों के प्रावधानों में कमी	0.00		
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0.00		
14	उचित मूल्य देयताओं पर स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ और हानि	0.00		
15	विनिर्दिष्ट लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियां	0.00		
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि सूचित तुलनपत्र में अदा पूंजी पहले से कम न की गई हो)	0.00		
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिताएं	4.47	11.19	
18	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग पूंजी, वित्तीय और बीमा इकाइयों में निवेश जहां पात्र अल्पकालीन स्थितियों के बाद बैंक का स्वामित्व जारी शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक न हो (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00		
19	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर सामान्य बैंकिंग स्टॉक, वित्तीय और बीमा इकाइयों में (पात्र अल्पकालीन स्थितियों के बाद) उल्लेखनीय निवेश (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00		
20	बंधक सेवी अधिकार (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00		
21	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता के बाद प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00		
22	प्रारंभिक 15 प्रतिशत से अधिक राशि	0.00		
23	जिसमें सेः वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश	0.00		

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 01,	As on 31.03.14	AMOUNTS SUBJECT TO PRE- BASEL III	Ref. No.
	2013 to December 31, 2017)		TREATMENT	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock compa-nies)	0.00		
	Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	0.00		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00		
6	Common Equity Tier 1 capital before regu-latory adjustments	56870.65		
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory ad-justments			
7	Prudential valuation adjustments	0.00		
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00		
9	Intangibles other than mortgage- servicing rights (net of related tax liability)	49.32	123.30	K1
10	Deferred tax assets	0.00		
11	Cash-flow hedge reserve	0.00		
12	Shortfall of provisions to expected losses	0.00		
13	Securitisation gain on sale	0.00		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00		
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00		
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-up capital on reported balance sheet)	0.00		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	4.47	11.19	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consol-idation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00		
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00		
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0.00		
22	Amount exceeding the 15% threshold	0.00		
23	of which: significant investments in the common stock of financials entities	0.00		

	वेनियामक समायोजनों के अंतरण न 01 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट	दिनांक 31.03.14 को	बेसल 3 प्रतिपादन से पूर्व राशियां	संदर्भ क्रमांक
24	जिसमें से : बंधक सेवी अधिकार	0.00		
25	जिसमें से : अस्थायी अंतरों के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां	0.00		
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (२६क +२६ख+२६ग+२६घ)	409.90	1024.75	
26क	जिसमें से : असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	0.00		
26ख	जिसमें से : प्रमुख स्वामित्व वित्तीय इकाइयों की ईक्विटी पूंजी में कमी, जिसका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया हो	0.00		
26ग	जिसमें सेः अपरिशोधित पेंशन निधि खर्च	409.90	1024.75	
26घ	जिसमें सेः अपरिशोधित मूल्यह्रास	0.00	0.00	
27	कटौतियों को कवर करने हेतु अतिरिक्त टीयर 1 और टीयर 2 की अपर्याप्तता के कारण सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00		
28	सामान्य ईक्विटी टीयर 1 की तुलना में कुल विनियामक समायोजन	463.70	1159.24	
29	सामान्य ईक्विटी टीयर1 पूंजी (सीईटी 1)	56406.95		
	अतिरिक्त टीयर १ पूंजी : लिखतें			
30	प्रत्यक्ष जारी संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित पात्र अतिरिक्त टीयर 1 लिखतें (31+32)	0.00		
31	जिसमें से : लागू लेखा मानकों के अंतर्गत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (निरंतर गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	0.00		
32	जिसमें से : लागू लेखा मानकों के अंतर्गत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (निरंतर ऋण लिखतें)	0.00		
33	अतिरिक्त टीयर 1 से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें	7064.00		ए2+डी4(ए
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित (एटी 1 समूह में अनुमत्य राशि) अतिरिक्त टीयर 1 लिखतें (और पंक्ति 5 में शामिल न की गई सीईटी 1 लिखतें)	0.00		
35	जिसमें से : फेज आउट के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें	0.00		
36	विनियामक समायोजनों से पूर्व अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी :	7064.00		
	विनियामक समायोजन			
37	स्वयं की अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में निवेश	0.00		
38	अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00		
39	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग पूंजी, वित्तीय और बीमा इकाइयों में निवेश जहां पात्र अल्पकालीन स्थितियों के बाद बैंक का स्वामित्व जारी शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक न हो (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00		

	Basel III common disclosure		AMOUNTS	
	template to be used during	As on	SUBJECT	D-f N-
	the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 01,	31.03.14	TO PRE- BASEL III	Ref. No.
	2013 to December 31, 2017)		TREATMENT	
24	of which: mortgage servicing	0.00		
25	rights of which: deferred tax assets	0.00		
25	arising from tempo-rary differences	0.00		
26	National specific regulatory	409.90	1024.75	
	adjustments (26a+26b+26c+26d)			
26a	Of which: Investments in the	0.00		
	equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries			
26b	Of which: Shortfall in the equity	0.00		
	capital of majority owned			
	financial entities which have not			
26c	been consolidated with the bank Of which: Unamortised pension	409.90	1024.75	
	funds expendi-tures	100.00		
26d	Of which: Unamortised	0.00	0.00	
27	Depreciation	0.00		
21	Regulatory adjustments applied to Common Eq-uity Tier 1 due to	0.00		
	insufficient Additional Tier 1 and			
	Tier 2 to cover deductions			
28	Total regulatory adjustments	463.70	1159.24	
29	to Common equity Tier 1 Common Equity Tier 1 capital	56406.95		
	(CET1)			
	Additional Tier 1 capital:			
20	instruments	0.00		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 in-struments	0.00		
	plus related stock surplus			
	(31+32)			
31	of which: classified as equity	0.00		
	under applicable accounting standards (Perpetual Non-			
	Cumulative Preference Shares)			
32	of which: classified as liabilities	0.00		
	under applicable accounting			
	standards (Perpetual debt Instru- ments)			
33	Directly issued capital	7064.00		A2+D4(a)
	instruments subject to phase out			(,
	from Additional Tier 1			
34	Additional Tier 1 instruments	0.00		
	(and CET1 instru-ments not included in row 5) issued by			
	subsidiar-ies and held by third			
	parties (amount allowed in group			
	AT1)			
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00		
- 20		7004.00		
36	Additional Tier 1 capital before regulatory ad-justments	7064.00		
	Additional Tier 1 capital:			
	regulatory adjust-ments			
37	Investments in own Additional	0.00		
<u></u>	Tier 1 instruments			
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 in-struments	0.00		
39	Investments in the capital of	0.00		
	banking, financial and insurance			
	entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of			
	eligible short po-sitions, where the			
	bank does not own more than			
	10% of the issued common share			
	capital of the entity (amount above 10% threshold)			
	1070 tritodriolaj			

	वेनियामक समायोजनों के अंतरण त 01 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट	दिनांक 31.03.14 को	बेसल 3 प्रतिपादन से पूर्व राशियां	संदर्भ क्रमांक
40	बैंकिंग पूंजी, विनियामक समेकन के दायरे से बाहर वित्तीय और बीमा इकाइयों में (पात्र अल्पकालीन स्थितियों के बाद) उल्लेखनीय निवेश	0.00		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन	0.00		
41क	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में निवेश	0.00		
41ख	प्रमुख स्वामित्व वित्तीय इकाइयों की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में कमी, जिसका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया हो	0.00		
बेसल विनिय	3 प्रतिपादन के अनुसार राशियों के प्रामक समायोजन, जिसमें से :	मामले में अ	तिरिक्त टीयर	1 पर लागू
	आस्थगित कर आस्तियां	0.00	0.00	
	अमूर्त आस्तियां	73.98	123.30	
	पेंशन और उपदान का अपरिशोधित भाग	614.85	1024.75	
	अपरिशोधित मूल्यह्रास	0.00	0.00	
	पारस्परिक समायोजन	6.71	11.19	
42	कटौतियों को कवर करने के लिए टीयर 2 की अपर्याप्तता के कारण अतिरिक्त टीयर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	0.00	
43	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी की तुलना में कुल विनियामक समायोजन	695.54	1159.24	
44	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी (एटी 1)	6368.46		
44ए	पूंजी पर्याप्तता हेतु अभिनिर्धारित अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	6368.46		
45	टीयर 1 पूंजी (टी 1 = सीईटी 1 + एटी 1) (पंक्ति 29 + पंक्ति 44क)	62775.41		
	टीयर २ पूंजी : लिखतें और प्रावधान			
46	संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित प्रत्यक्ष जारी पात्र टीयर 2 लिखतें	0.00		
47	टीयर 2 से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें	21205.00		डी4(बी)
48	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित (टीयर 2 समूह में अनुमत्य राशि) टीयर 2 लिखतें (और पंक्ति 5 अथवा 34 में शामिल न की गई सीईटी 1 और 81 लिखतें)	0.00		
49	जिसमें से : फेज आउट की शर्तपर अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें	0.00		
50	प्रावधान और अन्य आरक्षितियां	10791.86		
51	विनियामक समायोजनों से पूर्व टीयर 2 पूंजी	31996.86		
	टीयर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन			
52	स्वयं की टीयर 2 लिखतों में निवेश	0.00		
53	टीयर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	306.87		

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 01, 2013 to December 31, 2017)	As on 31.03.14	AMOUNTS SUBJECT TO PRE- BASEL III TREATMENT	Ref. No.
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00		
41	National specific regulatory adjustments	0.00		
41a	Investments in the Additional Tier 1 Capital of unconsolidated insurance subsidaries	0.00		
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00		
	JLATORY ADJUSTMENTS APPLIE JNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III			RESPECT OF
	Deferred tax Assets	0.00	0.00	
	Intangible Assets	73.98	123.30	
	Unamortised portion of Pension and Gratuity	614.85	1024.75	
	Unamortised Depreciation	0.00	0.00	
	Reciprocal Adjustments	6.71	11.19	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0.00	0.00	
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	695.54	1159.24	
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	6368.46		
44a	Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy	6368.46		
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44a)	62775.41		
	Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	0.00		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	21205.00		D4(b)
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount al-lowed in group Tier 2)	0.00		
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00		
50	Provisions & Other Reserves	10791.86		
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	31996.86		
	Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00		
_				

	वेनियामक समायोजनों के अंतरण	दिनांक	बेसल ३	
(अर्थात	1 01 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017)	ादनाक 31.03.14	षसल उ प्रतिपादन से	संदर्भ
	के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट	को	पूर्व राशियां	क्रमांक
54	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग पूंजी, वित्तीय और	0.00		
	बीमा इकाइयों में निवेश जहां पात्र अल्पकालीन स्थितियों के बाद			
	बैंक का स्वामित्व इकाई की जारी सामान्य शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत			
	से अधिक न हो (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00		
55	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर वैंकिंग पूंजी, वित्तीय और बीमा इकाइयों में पात्र (अल्पकालीन स्थितियों के बाद) उल्लेखनीय निवेश	0.00		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56क + 56ख)	0.00		
56क	जिसमें से : प्रमुख स्वामित्व वित्तीय इकाइयों की टीयर 2 पूंजी में कमी, जिसका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया हो	0.00		
56ख	जिसमें से : बेसल 3 पूर्व प्रतिपादन के अनुसार राशियों के मामले में टीयर 2 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00		
57	टीयर 2 पूंजी की तुलना में कुल विनियामक समायोजन	306.87		
58	टीयर 2 पूंजी (टी 2)	31689.99		
58क	पूंजी पर्याप्तता हेतु अभिनिर्धारित टीयर 2 पूंजी	28268.69		
58ख	टीयर 2 पूंजी के रूप में अभिनिर्धारित अधिशेष अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	0.00		
58ग	पूंजी पर्याप्तता हेतु स्वीकार्य कुल टीयर 2 पूंजी (पंक्ति 58क + पंक्ति 58ख)	28268.69		
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (पंक्ति45+पंक्ति 58ग)	91044.10		
	बेसल 3 पूर्व प्रतिपादन के अनुसार राशियों के मामले में जोखिम भारित आस्तियां			
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (पंक्ति 60क + पंक्ति 60ख + पंक्ति 60ग)	843841.49		
60क	जिसमें से : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	760153.27		
60ख	जिसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	23891.24		
60ग	जिसमें से : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां पुंजी अनुपात	59796.97		
61	सामान्य ईक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	6.69%		
62	टीयर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	7.44%		
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	10.79%		
64	संस्थान विशिष्ट सुरक्षा आवश्यकता (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप दर्शाया गया पूंजी संरक्षण और प्रति चक्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं सहित न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता)	5.00%		
65	जिसमें से : पूंजी संरक्षण सुरक्षा आवश्यकता	0.00%		

	Basel III common disclosure		AMOUNTS	
	template to be used during the transition of regulatory	As on	SUBJECT TO PRE-	Ref. No.
	adjustments (i.e. from April 01,	31.03.14	BASEL III	
54	2013 to December 31, 2017) Investments in the capital	0.00	TREATMENT	
0-7	of banking, financial and	0.00		
	insurance entities that are outside the scope of regulatory			
	consolidation, net of eligible			
	short positions, where the bank does not own more than 10%			
	of the issued common share			
	capital of the entity (amount			
55	above the 10% threshold) Significant investments in the	0.00		
	capital banking, fi-nancial and			
	insurance entities that are outside the scope of regulatory			
	consolidation (net of eligible			
EC	short positions) National specific regulatory	0.00		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00		
56a	Of which: Shortfall in the Tier	0.00		
	2 capital of majority owned financial entities which have not			
	been consolidated with the bank			
56b	Of which: REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED	0.00		
	TO TIER 2 IN RESPECT OF			
	AMOUNTS SUBJECT TO PRE-			
57	BASEL III TREATMENT Total regulatory adjustments	306.87		
01	to Tier 2 capital			
58 58a	Tier 2 capital (T2)	31689.99 28268.69		
30a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy	20200.09		
58b	Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	0.00		
58c	Total Tier 2 capital admissible for capital ade-quacy (row 58a + row 58b)	28268.69		
59	Total capital (TC = T1 + T2) (row 45+row 58c)	91044.10		
	RISK W EIGHTED ASSETS			
	IN RESPECT OF AMOUNTS			
	SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT			
60	Total risk weighted assets	843841.49		
60a	(row 60a +row 60b +row 60c) of which: total credit risk	760153.27		
oua	weighted assets	100100.21		
60b	of which: total market risk weighted assets	23891.24		
60c	of which: total operational risk	59796.97		
	weighted assets			
61	Capital ratios Common Equity Tier 1 (as a	6.69%		
	percentage of risk weighted assets)	3.0070		
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.44%		
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	10.79%		
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, ex-pressed as a percentage of risk weighted assets)	5.00%		
65	of which: capital conservation	0.00%		
	buffer requirement			

	विनयामक समायोजनों के अंतरण 1 01 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III	दिनांक 31.03.14 को	बेसल 3 प्रतिपादन से पूर्व राशियां	संदर्भ क्रमांक
	सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट	ųη	पूर्व सारावा	
66	जिसमें से : बैंक विशिष्ट प्रति चक्रीय सुरक्षा आवश्यकता	0.00%		
67	जिसमें से : जी-एसआईबी सुरक्षा आवश्यकता	0.00%		
68	सुरक्षा आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपलब्ध सामान्य इंक्विटी टीयरा (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	6.69%		
	राष्ट्रीय न्यूनतम सीमा (यदि बेसल 3 से भिन्न हो)			
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल 3 से भिन्न हो)	5.00%		
70	राष्ट्रीय टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल 3 से भिन्न हो)	6.50%		
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल 3 से भिन्न हो)	9.00%		
	कटौती हेतु प्रारंभिक राशियों से कम राशियां (जोखिम भार से पूर्व)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-उल्लेखनीय निवेश	0.00		
73	वित्तीय कंपनियों के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश	0.00		
74	बंधक सेवी अधिकार (संबंधित कर देयता उपरांत)	0.00		
75	अस्थायी अंतरों के कारण उत्पन्न आस्थिगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता उपरांत)	0.00		
	टीयर 2 में प्रावधानों को शामिल करने हेतु लागू सीमाएं			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन विगोपन के मामले में टीयर 2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने से पूर्व)	5721.75		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधानों को शामिल करने की सीमा	9501.92		
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन विगोपन के मामले में टीयर 2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने से पूर्व)	लागू नहीं		
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधानों को शामिल करने की सीमा	लागू नहीं		
	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन पूंजी लिखतें (केवल 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च 2022 तक लागू)			
80	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों हेतु वर्तमान सीमा	लागू नहीं		
81	सीमा के कारण सीईटी 1 से बाहर राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा के अतिरिक्त अधिशेष)	लागू नहीं		
82	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों हेतु वर्तमान सीमा	12657.62		
83	सीमा के कारण एटी 1 से बाहर राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा के अतिरिक्त अधिशेष)	0.00		
84	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों हेतु वर्तमान सीमा	28268.69		
85	सीमा के कारण टी 2 से बाहर राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा के अतिरिक्त अधिशेष)	3421.30		

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 01, 2013 to December 31, 2017)	As on 31.03.14	AMOUNTS SUBJECT TO PRE- BASEL III TREATMENT	Ref. No.
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00%		
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00%		
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	6.69%		
	National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.00%		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	6.50%		
71	National total capital minimum ratio (if different from	9.00%		
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financials	0.00		
73	Significant investments in the common stock of financials	0.00		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0.00		
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	5721.75		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	9501.92		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	N.A.		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	N.A.		
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between April 1, 2018 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	N.A.		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap	N.A.		
82	after redemptions and maturities) Current cap on AT1 instruments subject to phase out	12657.62		
83	arrangements Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00		
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out	28268.69		
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	3421.30		

टेम्पलेट नोट

८म्पलट ना		
टेम्पलेट पंक्ति क्रमांक	ब्यौरे	₹ मिलियन में
10	संचयी हानियों से संबद्ध आस्थगित कर आस्तियां	0.00
	आस्थगित कर देयताओं के बाद (संचयी हानियों से संबद्ध के अतिरिक्त) आस्थगित कर आस्तियां	0.00
	पंक्ति १० में दर्शाए अनुसार जोड़	0.00
19	यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेशों की पूंजी से पूर्ण कटौती न की गई हो और इसके बजाय कटौती के प्रारंभिक 10 प्रतिशत के अंतर्गत विचार किया गया हो तो परिणामस्वरूप बैंक की पूंजी में हुई वृद्धि	0.00
	जिसमें सेः सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें सेः अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें से : टीयर 2 पूंजी में वृद्धि	0.00
26ख	यदि असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी के निवेशों की कटौती न की गई हो, जिसके कारण जोखिम भार	
	i) सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	1835.52
44क	पूंजी पर्याप्तता हेतु गैर-अभिनिर्धारित अधिशेष अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी (पंक्ति 44 में रिपोर्ट किए गए एटी 1 और पंक्ति 44 क में रिपोर्ट किए गए अनुमत्य एटी 1 के बीच अंतर)	0.00
	जिसमें सेः अधिशेष एटी 1, जिसे पंक्ति 58 ख के अंतर्गत विचारित टीयर 2 पूंजी माना गया	0.00
58क	पूंजी पर्याप्तता हेतु गैर-अभिनिर्धारित अधिशेष टी 2 पूंजी (पंक्ति 58 में रिपोर्ट किए गए टी 2 और पंक्ति 58 क में रिपोर्ट किए गए टी 2 के बीच अंतर)	3421.30

सारणीः डीएफ-12 : पूंजी संमिश्र - समाधान आवश्यकता चरण 1

(₹ मिलियन में)

		(र मिलिय-		
		प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत	
		31.03.14 को	31.03.14 को	
क	पूंजी व देयताएं			
i	प्रदत्त पूंजी	14270.96		
	आरक्षितियां एवं अधिशेष्	59410.46		
	सूक्ष्म ब्याज	0.00		
	कुल पूंजी	73681.42		
ii	जमाराशियां जिसमें सेः	1168030.89		
	बैंकों से जमाराशियां	6196.14		
	ग्राहक जमाराशियां	1161834.75		
	अन्य जमाराशियां	0.00		
iii	उधारियां जिसमें सेः	83264.73		
	भारतीय रिज़र्व बैंक से	26640.00		
	बैंकों से	0.00		
	अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से	25624.74		
	बॉण्डस एवं डिबेंचर पूंजी लिखतों के रूप में उधारियां	31000.00		
iv	अन्य देयताएं व प्रावधान	38223.47		
	कुल पूंजी एवं देयताएं	1363200.52		

Notes to Template

Row No. of Tem- plate	Particulars	₹ in Million
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0.00
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	0.00
	Total as indicated in row 10	0.00
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0.00
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Tier 2 capital	0.00
26b	If Investments in the Equity Capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then,	
	i) Increase in Common Equity Tier 1 Capital	0.00
	ii) Increase in Risk Weighted Assets	1835.52
44a	Excess Additional Tier 1 Capital not reckoned for capital adequacy (difference between AT1 as reported in row 44 and admissible AT1 as reported in 44a	0.00
	of which: Excess AT1 which is considered as Tier 2 capital under row 58b	0.00
58a	Excess T2 not reckoned for capital adequacy (difference between T2 as reported in row 58 and T2 as reported in 58a	3421.30

Table DF-12: Composition of Capital – Reconciliation Requirement Step 1

(₹ in Million)

	(< 111 1011)		
		Balance sheet as in published financial statements	Under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.14	As on 31.03.14
Α	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital	14270.96	
	Reserves & Surplus	59410.46	
	Minority Interest	0.00	
	Total Capital	73681.42	
ii	Deposits Of which:	1168030.89	
	Deposits from banks	6196.14	
	Customer deposits	1161834.75	
	Other deposits	0.00	
iii	Borrowings Of which:	83264.73	
	From RBI	26640.00	
	From Banks	0.00	
	From other institutions & agencies	25624.74	
	Borrowings in the form of bonds & debentures capital instruments	31000.00	
iv	Other Liabilities and Provision	38223.47	
	Total Capital & Liabilities	1363200.52	

		प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत
		31.03.14 को	31.03.14 को
ख	आस्तियां		
i	नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष	59913.87	
	बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	1109.10	
ii	निवेश	372495.84	
	जिसमें सेः सरकारी प्रतिभूतियां	304138.44	
	जिसमें सेः अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	
	जिसमें सेः शेयर्स	1792.70	
	जिसमें सेः डिबेंचर एवं बॉण्ड	15721.13	
	जिसमें सेः सहायक/संयुक्त उद्यम/ सहयोगी प्रतिष्ठान	734.21	
	जिसमें सेः अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड इत्यादि)	50109.36	
iii	ऋण और अग्रिम जिसमें सेः	889203.99	
	बैंकों को ऋण और अग्रिम	2163.67	
	ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	887040.32	
iv	स्थिर आस्तियां	14460.08	
٧	अन्य आस्तियां जिसमें सेः	26017.64	
	साख और अमूर्त आस्तियां	123.30	
	आस्थगित कर आस्तियां	0.00	
vi	समेकन पर साख	0.00	
vii	लाभ और हानि खाते में नामे शेष	0.00	
	कुल आस्तियां	1363200.52	

चरण 2

		संदर्भ क्रमांक	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत
			31.03.14 को	31.03.14 को
क		पूंजी और	देयताएं	
	प्रदत्त पूंजी जिसमें से	ए	14270.96	
	सीईटी 1 हेतु पात्र राशि	ਦ1	8390.96	
	एटी 1 हेतु पात्र राशि	₹2	4704.00	
	आरक्षितियां एवं अधिशेष जिसमें सेः	बी	59410.46	
	ईक्विटी शेयर प्रीमियम	बी 1	18845.20	
	सांविधिक आरक्षितियां	बी 2	11146.49	
i	पूंजी आरक्षितियां	बी 3	1526.70	
	राजस्व आरक्षितियां और अन्य आरक्षितियां	बी 4	13479.88	
	विशेष आरक्षितियां	बी 5	3180.00	
	पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियां जिसमें सेः	बी 6	10655.76	
	टीयर 2 हेतु पात्र	बी 6(क)	4795.09	
	निवेश आरक्षितियां	बी 7	275.00	

		Balance sheet as in published financial statements	Under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.14	As on 31.03.14
В	Assets		
i	Cash and Bank Balance with Reserve Bank of India	59913.87	
	Balance with banks and money at call and short notice	1109.10	
ii	Investments of which:	372495.84	
	of which: Government securities	304138.44	
	of which: Other approved securities	0.00	
	of which: Shares	1792.70	
	of which: Debentures & Bonds	15721.13	
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	734.21	
	of which: Others (Commer-cial Papers, Mutual Funds etc.)	50109.36	
iii	Loans and Advances of which:	889203.99	
	Loans and Advances to banks	2163.67	
	Loan and Advances to Customers	887040.32	
iv	Fixed Assets	14460.08	
٧	Other Assets of which:	26017.64	
	Goodwill and Intangible As-sets	123.30	
	Deferred Tax Assets	0.00	
vi	Goodwill on Consolidation	0.00	
vii	Debit Balance in Profit and Loss Account	0.00	
	Total Assets	1363200.52	

Step 2

		Ref. No.	Balance sheet as in published financial statements	Under regulatory scope of consolidation
			As on 31.03.14	As on 31.03.14
Α	Capital & Liabilities			
	Paid-up Capital of which	Α	14270.96	
	Amount eligible for CET 1	A1	8390.96	
	Amount eligible for AT1	A2	4704.00	
	Reserves & Surplus of which:	В	59410.46	
	Equity Share Premium	B1	18845.20	
	Statutory Reserve	B2	11146.49	
i	Capital Reserve	В3	1526.70	
	Revenue Reserve and Other Reserves	B4	13479.88	
	Special Reserve	B5	3180.00	
	Revaluation Reserve of which:	В6	10655.76	
	Eligible for Tier 2	B6(a)	4795.09	
	Investment Reserve	В7	275.00	

		संदर्भ क्रमांक	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत
			31.03.14 को	31.03.14 को
	लाभ और हानि खाते में शेष जिसमें सेः	बी 8	301.42	
	सूक्षम ब्याज	बी 9	0.00	
	कुल पूंजी	ए+बी	73681.42	
	जमाराशियां जिसमें सेः	सी	1168030.89	
ii	बैंकों से जमाराशियां	सी 1	6196.14	
"	ग्राहक जमाराशियां	सी 2	1161834.75	
	अन्य जमाराशियां	सी 3	0.00	
	उधारियां जिसमें सेः	डी	83264.73	
	भारतीय रिज़र्व बैंक से	डी1	26640.00	
	बैंकों से	डी2	0.00	
iii	अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से	डी3	25624.74	
	बॉण्डस एवं डिबेंचर पूंजी लिखतों के रूप में उधारियां	डी4	31000.00	
	एटी 1 हेतु पात्र	डी4(ए)	2360.00	
	टीयर 2 हेतु पात्र	डी4(बी)	21205.00	
	अन्य देयताएं और प्रावधान जिसमें सेः	ई	38223.47	
	साख संबंधी डीटीएल	ई1	0.00	
	अमूर्त आस्तियों संबंधी डीटीएल	ई 2	859.65	
	कुल		1363200.52	
ख	आस्तियां			
	नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष	एफ	59913.87	
İ	बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	जी	1109.10	
	निवेश	एच	372495.84	
	जिसमें सेः सरकारी प्रतिभूतियां	एच १	304138.44	
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	एच २	0.00	
ii	शेयर्स	एच ३	1792.70	
	डिबेंचर एवं बॉण्ड	एच ४	15721.13	
	सहायक/संयुक्त उद्यम	एच ५	734.21	
	अन्य (म्युचुअल फंड, सीओडी, आरआईडीएफ, पीटीसी)	एच ६	50109.36	
	ऋण और अग्रिम जिसमें सेः	आई	889203.99	
iii	बैंकों को ऋण और अग्रिम	आई 1	2163.67	
	ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	आई 2	887040.32	

		Ref. No.	Balance sheet as in published financial statements As on 31.03.14	Under regulatory scope of consolidation As on 31.03.14
	Balance in Profit and	B8	301.42	A3 011 31.00.14
	Loss Account of which		0.00	
	Minority Interest Total Capital	B9 A+B	73681.42	
	Deposits	С	1168030.89	
	Of which:			
ii	Deposits from banks	C1	6196.14	
	Customer deposits	C2	1161834.75	
	Other deposits	C3	0.00	
	Borrowings Of which:	D	83264.73	
	From RBI	D1	26640.00	
	From banks	D2	0.00	
iii	From other institutions & agencies	D3	25624.74	
	Borrowings in the form of bonds & debentures capital instruments of which:	D4	31000.00	
	Eligible for AT1	D4(a)	2360.00	
	Eligible for Tier 2	D4(b)	21205.00	
	Other Liabilities and Provision of which	E	38223.47	
	DTLs related to Goodwill	E1	0.00	
	DTLs related to Intangible Assets	E2	859.65	
	Total		1363200.52	
В	Assets			
i	Cash and Bank Balance with Reserve Bank of India	F	59913.87	
'	Balance with banks and money at call and short notice	G	1109.10	
	Investments of which:	Η	372495.84	
	Government Securities	H1	304138.44	
	Other Approved Securities	H2	0.00	
lii	Shares	НЗ	1792.70	
	Debentures and Bonds	H4	15721.13	
	Subsidiaries/Joint Ventures	H5	734.21	
	Others(Mutual Funds, CoDs, RIDF, PTCs)	H6	50109.36	
	Loans and Advances of which:	Ι	889203.99	
iii	Loans and Advances to banks	I1	2163.67	
	Loan and Advances to Customers	I2	887040.32	

		संदर्भ क्रमांक	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत
			31.03.14 को	31.03.14 को
iv	स्थिर आस्तियां	जे	14460.08	
	अन्य आस्तियां जिसमें सेः	के	26017.64	
	साख और अमूर्त आस्तियां जिसमें सेः	के 1	123.30	
V	साख	के १(ए)	0.00	
	अन्य अमूर्त (एमएसआर के अतिरिक्त)	के 1(बी)	123.30	
	आस्थगित कर आस्तियां	के 1 (सी)	0.00	
vi	समेकन पर साख	एल	0.00	
vii	लाभ और हानि खाते में नामे शेष	एम	0.00	
	कुल आस्तियां		1363200.52	

		Ref. No.	Balance sheet as in published financial statements	Under regulatory scope of consolidation
			As on 31.03.14	As on 31.03.14
iv	Fixed Assets	J	14460.08	
	Other Assets of which:	K	26017.64	
	Goodwill and Intangible Assets out of which	K1	123.30	
v	Goodwill	K1(a)	0.00	
	Other Intangibles (Excluding MSRs)	K1(b)	123.30	
	Deferred Tax Assets	K1 (c)	0.00	
vi	Goodwill on Consolida tion	L	0.00	
vii	Debit Balance in Profit and Loss Account	М	0.00	
	Total Assets		1363200.52	

चरण ३

	बेसल ३ सामान्य प्रकटन टेम्पलेट सार	(जोड़े गए कॉलम सहि	रत) - डीएफ11
साम	न्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखतें औ	र आरक्षितियां	
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी संमिश्र	चरण 2 के समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र के पत्रों/ संदर्भ क्रमांकों पर आधारित स्रोत
1	संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित प्रत्यक्ष जारी पात्र सामान्य शेयर पूंजी (और गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के समरूप)	27236.16	ए1+बी 1
2	रोकी गई आय	301.42	बी 8
3	अन्य समाविष्ट आय संचयी (और अन्य आरक्षितियां)	29333.07	बी 2+बी 3+बी 4+बी 5
4	सीईटी 1 से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर- संयुक्त स्टॉक कंपनियों हेतु लागू)	0.00	
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत्य राशि)	0.00	
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी	56870.65	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00	
8	साख (संबंधित कर देयता के बाद)	0.00	

Step 3

	Extract of Basel III comm		plate
Con	(with added col		/es
		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock com-panies) capital plus related stock surplus	27236.16	A1+B1
2	Retained earnings	301.42	В8
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	29333.07	B2+B3+B4+B5
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	56870.65	
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	

डीएफ-13: विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं DF-13: Main Features of the Regulatory Capital Instruments

		पीएनसीपीएस PNCPS	आईपीडीआई IPDI	गई IPDI					टीयर 2 बाण्ड Tier II Bonds	Tier II Bonds				
-	जारीकर्ता Issuer	ধঁক সাঁদ দहাৎাৎ্ট্ Bank of Maharashtra	बँक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बँक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	ৰ্জক প্ৰাঁক দहাৎাড্ড্ Bank of Maharashtra	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बँक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बँक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बँक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बँक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	ৰ্জক সাঁদ দहাৎাড্ড্ Bank of Maharashtra	बँक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बँक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बँक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
7	विशिष्ट पहचानकर्ता अर्थात (जैसे निजी स्थापन हेतु क्यूसिप, आईएसआईएन अथवा ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता) Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	457A04018	INE 457A09124	INE 457A09165	INE 457A09082	INE 457A09090	INE 457A09108	INE 457A09116	INE 457A09157	INE 457A09173	1NE 457A08027	INE 457A09132	INE 457A09140	INE 457A09199
က	लिखत हेतु शासकीय नियम Governing law(s) of the instrument	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws
	नियामक प्रतिपादन Regulatory treatment													
4	परिवर्ती बेसल 3 नियम Transitional Basel III rules	अतिरिक्त टीयर 1 Additional Tier I	अतिरिक्त टीयर 2 Additional Tier II	अतिरिक्त टीयर 3 Additional Tier III	टीयर 2 बॉण्डस Tier II Bonds	टीयर 2 बॉण्डस Tier II Bonds	टीयर 2 बॉण्डस Tier II Bonds	टीयर 2 बॉण्डस Tier II Bonds						
5	उत्तर परिवर्ती बेसल 3 नियम Post-transitional Basel III rules	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible
9	एकल/समूह/एकल एवं समूह में पात्र Eligible at solo/group/ group& solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	टक्र Solo	oloS	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo
7	लिखत का प्रकार Instrument type	पीएनसीपीएस Perpetual Non- cumulative Peference Shares	निरंतर ऋण लिखत Perpetual Debt Instruments	निरंतर ऋण लिखत Perpetual Debt Instruments	उपरी टीयर 2 -ऋण लिखत Upper Tier II - Debt Instruments	गौण दीयर 2 ऋण लिखत Subordinated Tier II - Debt Instruments	गीण दीयर 2 ऋण निखत Subordinated Tier II - Debt Instruments	गीण दीयर 2 ऋण निखत Subordinated Tier II - Debt Instruments	गीण टीयर 2 ऋण लिखत Subordinated Tier II - Debt Instruments					
∞	विनियामक पूंजी के रूप में पहचानी गई राशि (हाल की रिपोर्टिंग दिनांक को रूपए मिलियन में) Amount recognised in regulatory capital (हैं in million, as of most recent reporting date)	47.04	1800	260	2400	1600	1200	1600	800	2400	765	1400	1040	0008
6	लिखत का सममूल्य (रुपए मिलियन में) Par value of instrument (हैं in Million)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	_	_	_
10	लेखा वर्गीकरण Accounting classification	देयता पूंजी Liability Capital	देयता - उद्यारियां Liability borrowing	देयता - उद्यारियां Liability borrowing	देयता - उद्यारियां Liability borrowing	देयता - उद्यारियां Liability borrowing	देयता - उद्यारियां Liability borrowing	देयता - उद्यारियां Liability borrowing	देयता - उद्यारियां Liability borrowing	देयता - उद्यारियां Liability borrowing	देयता - उधारियां Liability borrowing	देयता - उद्यारियां Liability borrowing	देयता - उद्यारियां Liability borrowing	देयता - उधारियां Liability borrowing

		पीएनसीपीएस PNCPS	आईपीडीआई IPDI	ाई IPDI					टीयर 2 बाण्ड Tier II Bonds	Tier II Bonds				
	,))))))))) >) >) >)) >
-	जारीकर्ता Issuer	बक आफ	बक आफ	बक आफ	बक आफ	बक आफ	बक आफ	बक आफ	बक आफ	बक आफ	बक आफ	बक आफ	बक आफ	बक आफ
		महाराष्ट्र Bank of	महाराष्ट्र Bank of	महाराष्ट्र Bank of	महाराष्ट्र Bank of	महाराष्ट्र Bank of	महाराष्ट्र Bank of	महाराष्ट्र Bank of	महाराष्ट्र Bank of	महाराष्ट्र Bank of	महाराष्ट्र Bank of	महाराष्ट्र Bank of	महाराष्ट्र Bank of	महाराष्ट्र Bank of
		Maharashtra	Maharashtra	Maharashtra	Maharashtra	Maharashtra	Maharashtra	Maharashtra	Maharashtra	Maharashtra	Maharashtra	Maharashtra	Maharashtra	Maharashtra
=	जारी करने का मूल दिनांक Original date of issuance	07.08.2010	31.07.2007	30.09.2009	14.10.2006	21.03.2007	30.03.2007	19.07.2007	30.09.2009	01.02.2010	25.07.2006	15.01.2008	30.09.2009	31.12.2012
12	निरंतर अथवा दिनांकित Perpetual or dated	निरंतर Perpetual	निरंतर Perpetual	निरंतर Perpetual	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated
13	मूल परिपक्वता दिनांक Original maturity date	कोई परिपक्तता नहीं No Maturity	कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	14.10.2021	21.03.2022	30.03.2022	19.07.2022	30.09.2024	01.02.2025	25.07.2016	15.04.2018	30.04.2019	31.12.2022
4	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन अधीन जारीकर्ता कॉल	कॉल विकल्प नहीं	हां Yes	Ri Yes	ਕਾਂ Yes	ਨਾਂ Yes	ਨਾਂ Yes	हां Yes	ਨਾਂ Yes	हां Yes	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No
	Issuer call subject to prior supervisory approval	No Call Option												
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकिस्पक कॉल दिनांक और मोचन राशि Optional call date, contingent call dates and redemption amount	लागू नहीं NA	31.07.2017	30.09.2019	14.10.2016	21.03.2017	30.03.2017	19.07.2017	30.09.2019	01.02.2020	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
91	तदुपरांत कॉल दिनांक, यदि लागू हो Subsequent call dates, if applicable	लागू नहीं NA	प्रत्येक वर्षगांठ पर On each Anniversary	भारिबँक के अनुमोदन के अधीन 30.09.2019 के बाद After 30.09.2019 subject to RBI Approval	N	N N 대	N N N	NO 교화	N N 대	시 N N	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागु नहीं NA	लागू नहीं NA
	कूपन / लाभांश Coupons / dividends													
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन Fixed or floating dividend/coupon	अस्थिर Floating	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed
18	कूपन दर और संबंधित कोई सूचकांक Coupon rate and any re-lated index	रेपो दर + 100 बीपीएस Repo Rate + 100 bps	10.65% वार्षिक 10.65% pa	9.25% वार्षिक 9.25% pa	9.10% वार्षिक 9.10% pa	9.90% वार्षिक 9.90% pa	10.25% वार्षिक 10.25% pa	10.35% वार्षिक 10.35% pa	8.95% वार्षिक 8.95% pa	8.65% वार्षिक 8.65% pa	9.45% वार्षिक 9.45% pa	9.20% वार्षिक 9.20% pa	8.74% वार्षिक 8.74% pa	9.00% वार्षिक 9.00% pa
19	लाभांश स्टॉपर की उपस्थिती Existence of a dividend stopper	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No
50	पूर्णतः विवेकाधीन /अंशतः विवेकाधीन अथवा अनिवाद्य Fully discretionary, par-tially discre- tionary or mandatory	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अनिवार्य Mandatory	अनिवार्य Mandatory	अनिवार्य Mandatory	अनिवार्य Mandatory
21	उन्मूचन हेतु कोटिउम्बयन अथवा अन्य प्रोत्साहन की उपलब्धता Existence of step up or other incentive to redeem	No 귀	Ri Yes	Ri Yes	त्रः Yes	त्राः Yes	K 왜.	Ri Yes	त्राः Yes	Ri Yes	No 귀	नहीं No	नहीं No	기 함

		पीएनसीपीएस PNCPS	आईपीडी३	आईपीडीआई IPDI					टीयर 2 बाण्ड	टीयर 2 बाण्ड Tier II Bonds				
_	जारीकर्ता Issuer	बँक ऑफ	बँक ऑफ	क्रेंक ऑफ	बँक ऑफ	बैंक ऑफ	बैंक ऑफ	क्रैंक ऑफ	बँक ऑफ	बँक ऑफ	बँक ऑफ	बँक ऑफ	बँक ऑफ	बैंक ऑफ
		महाराष्ट्र Bank of	महाराष्ट्र Bank of	महाराष्ट्र Bank of	महाराष्ट्र Bank of	महाराष्ट्र Bank of	महाराष्ट्र Bank of	महाराष्ट्र Bank of	महाराष्ट्र Bank of	महाराष्ट्र Bank of	महाराष्ट्र Bank of	महाराष्ट्र Bank of	महाराष्ट्र Bank of	महाराष्ट्र Bank of
	\dashv	Maharashtra	Maharashtra	Maharashtra	Maharashtra	Maharashtra								
22		असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी								
	Non-cumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative								
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	* परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय							
		* Convertible	Non	Non	Non	Non	Non							
	\dashv		Convertible	Convertible	Convertible	Convertible	Convertible							
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन उत्प्रेरक If convertible conversion tringer (s)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA								
25	+	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं	लागू नहीं NA	लागू नहीं	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
	If convertible, fully or partially													
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर If convertible, conversion rate	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA								
27		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं								
	વિદ્યાપ્य પાયલતન If convertible, mandatory or optional	Ž	¥.	Ž	Ž	₹	≨	₹ Ž	¥.	Ž	¥.	Ž	Ž.	Ž
	\rightarrow													
78	यदि परिवर्तनीय तो यह स्वरूप जिसमें लिखत परिवर्तित हुआ If convertible, specify instrument type convertible into	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
29	-	जारा नहीं	जारा नहीं	लाग नहीं	जारा नहीं	लाग नहीं	लाग नहीं	लाग नहीं	जारा नहीं	लाग नहीं	जारा नहीं	जारा नहीं	लाग नहीं	लाग नहीं
	हुआ, के जारीकर्ता का उत्लेख If convertible, specify issuer of instrument if converts into	S & Z	S S S S	S V	S & Z	; 6¥ ;	ξ «¥		S S S S	S S S	S S S S	S & Z	S V	
30	+	नुष्टे	नुष्ट	नहीं	नुष्टे	नहीं	नुष्टु	नहीं	नुष्टु	नुष्टे	नुष्टु	नुष्टे	नहीं	नहीं
	Write-down feature	N _o	No	No	N _o	No	N _o	No	No	No	No	No	No	No
34	-	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA								
	\dashv	i		i	i	i	i	i	i		i	i		i
32	-	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA								
	\dashv	i	1	i	i	i		i	i		i	i		i
83		लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA								
3	+	č	č	č	č	č	à	č	č	5	č	č	5	č
¥		लागू नही NA	लागू नही NA	लागू नही NA	लागू नही NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नही NA	लागू नही NA	लागू नही NA	लागू नही NA	लागू नही NA	लागू नहीं NA
	It temporary write-down, description of write-up mechanism													

		पीएनसीपीएस PNCPS	आईपीडीआई IPDI	गई IPDI					टीयर 2 बाण्ड Tier II Bonds	Tier II Bonds				
	जारीकर्ता Issuer	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of	बँक ऑफ महाराष्ट्र Bank of	बैक ऑफ महाराष्ट्र Bank of	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of	बैक ऑफ महाराष्ट्र Bank of	बँक ऑफ महाराष्ट्र Bank of	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of	बैक ऑफ महाराष्ट्र Bank of	बैक ऑफ महाराष्ट्र Bank of	बँक ऑफ महाराष्ट्र Bank of	बँक ऑफ महाराष्ट्र Bank of	बँक ऑफ महाराष्ट्र Bank of	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of
35	परिसमापन में गौण विशिष्टता की स्थिति (तत्कात विसिद्धि कर्प विसिद्धि करो Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	बँक के अन्य सभी जमाकती, लेनदार और बॉण्डधारक All other Depositors, Creditors of the Bank	बँक के अन्य सभी जमाकर्ता, लेनदार और बॉण्डधारक All other Depositors and Tier Il Bond holders of	बँक के अन्य सभी जमाकती, लेनदार और बॉण्डधारक All other Depositors, Creditors and Tier Il Bond	बँक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बँक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बँक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बँक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बँक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank
98		ह्यः Yes	the Bank हों Yes	the Bank Ri Yes	Yes	्रामः Yes	ह्यः Yes	ह्म. Yes	्राः Yes	्राः Yes	ह्यः Yes	ह्यः Yes	ह्यं Yes	ह्यः Yes
37	अगर हा तो गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें If yes, specify non-compliant features	हानि वहनीय विशेषता Loss- absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss- absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss- absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss- absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss- absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss- absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss- absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss- absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss- absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss- absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss- absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss- absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss- absorption feature

डीएफ - 14:- नियामक पूँजी लिखतों की पूर्ण शर्तें

DF - 14:- Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

डीएफ - 14 बैंक के वेबसाइट www.bankofmaharashtra.co.in पर "बेसल III प्रकटन" के अंतर्गत लिंक में उपलब्ध है.

DF - 14 is available on the Bank's website: www.bankofmaharashtra.co.in under the link "Basel III Disclosure."

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014

(₹ हजार में) (₹ in Thousands)

ब्योरे Particulars		को समाप्त वर्ष d 31-03-2014		को समाप्त वर्ष d 31-03-2013
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :				
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:				
आय Income				
वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि से प्राप्त ब्याज				
Interest received during the year from advances, Investments etc.	11956,65,68	40050 04 07	9613,43,21	40505 40 00
अन्य आय Other Income घटाएं: व्यय व प्रावधान Less: Expenditure & Provisions	894,18,99	12850,84,67	912,00,07	10525,43,28
वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज				
Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings	8447,72,52		6580,08,48	
परिचालन व्यय Operating Expenses	2396,74,88		1796,64,28	
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	1620,40,46	12464,87,86	1389,18,56	9765,91,32
कुल व्यय के उपर कुल आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि				
Net Increase in Cash due to Increase of Income over Expenses		385,96,81		759,51,96
जोड़े : गैर नकदी मद एवं अलग विचारित मदें				
Add : Non Cash Items & Items Considered Separately प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	1620,40,46		1389,18,56	
अचल संपत्तियों पर मूल्यहास Depreciation on Fixed Assets	99,98,87		73,92,99	
अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि Profit/Loss on sale of Fixed Assets	20,80		11,10	
आय कर मांग पर ब्याज Interest on Income Tax demand	_		·_	
बाँड्स, पीसीपीएस व आईपीडीआईपर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	289,51,58	2010,11,71	248,10,85	1711,33,50
		2396,08,52		2470,85,46
टाएं: प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल) Less: Direct Taxes Paid (Net)		510,09,41		230,00,00
रिचालन से अर्जित नकद लाभ (I) Cash Profit Generated From Operations (I)		1885,99,11		2240,85,46
रिचालनगत देयताओं की वृद्धि/कमी : Increase/(Decrease) of Operating Liabilities:				
माराशियां Deposits	22466,15,73		17808,28,10	
गरियां Borrowings न्य देयताएं व प्रावधान Other Liabilities & Provision	-4551,01,47		5932,73,78	
	-1063,11,82		-1646,36,21	
रिचालनगत देयताओं में कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Liabilities टाएं : परिचालन आस्तियों की वृद्धि/कमी	16852,02,44		22094,65,67	
ess : Increase/(Decrease) of Operating Assets				
निवेश Investments	5819,26,99		5394,29,57	
अग्रिम Advances	13449,62,11		19411,01,35	
अन्य आस्तियां Other Assets	-357,72,39		-481,95,94	
कुल परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Assets	18911,16,71		24323,34,98	
रेचालनगत आस्तियों पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि (II)				
et Increase of Operating Liabilities Over Operating Assets (II)		-2059,14,27		-2228,69,31
रेचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (A) = (I+II)				
ASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A) = (I+II) 1. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		-173,15,16		12,16,15
ा. निवेश गतिविधियो से नकदी प्रवाह . CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES				
अचल संपत्तियों का विक्रय Sale of Fixed Assets	7,13,53		5,73,76	
अचल संपत्तियों का क्रय Purchase of Fixed Assets	-178,54,62		-126,86,67	
सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश Investment made in Associates	· · · · —		-4,66,00	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)				
Net Cash Flow Form Investing Activities (B)		-171,41,09		-125,78,91
. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:				
i) गौण बांडो को जारी /(मोचन) करना				
Issue/(Redemption) of Subordinated Bonds	_		600,00,00	
ii) ईक्विटी एवं पीएनसीपीएस पर लाभांश Dividend on Equity & PNCPS	-202,11,95		-185,57,03	
iii) लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax	-34,35,02		-30,10,41	
iv) बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-289,51,58		-248,10,85	
v) शेयर प्रीमियम सहित ईक्विटी शेअर्स को जारी करना				
Issue of Equity Shares including share premium	799,99,98		405,99,99	
तत्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग) Cash Flow From Financing Activities (C)		274,01,43		542,21,70
ार्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क+ख+ग) Total Cash Flow During The Year (A+B+C)		-70,54,82		428,58,94

नोटः पिछले वर्ष के आंकडों को आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित व पुनःवर्गीकृत किया गया. Note: Previous year figures have been regrouped and reclassified whenever necessary.

(₹ **ह**जार में) (₹ in Thousands)

ब्योरे Particulars	31-03-2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014	31-03-2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2013
द्वारा प्रतिनिधित्व - REPRESENTED BY -		
वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी समकक्ष		
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balance with RBI	5265,29,08	4535,47,72
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस प्राप्त धन		
Balances with Banks & Money at Call & Short notice	907,55,45	1208,77,87
	6172,84,53	5744,25,59
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समकक्ष		
Cash and Cash equivalents at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balances with RBI	5991,38,72	5265,29,08
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस प्राप्त धन		
Balance with banks & money at call & Short notice	110,90,99	907,55,45
	6102,29,71	6172,84,53
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR	-70,54,82	428,58,94

अतुल भाटिया	आर. के. गुप्ता	आर. आत्माराम	सुशील मुहनोत
A. P. BHATIA	R. K. GUPTA	R. ATHMARAM	SUSHIL MUHNOT
महाप्रबंधक, विप्र व लेखा	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
General Manager, FM&A	Executive Director	Executive Director	Chairman & Managing Director

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार $\,$ AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

कृते कीर्तने एंड पंडित	कृते जे सी भल्ला एंड कंपनी	कृते जी. बसु एंड कंपनी	कृते सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी
For Kirtane & Pandit	For J C Bhalla & Co.	For G Basu & Co.	For Singh Ray Mishra & Co.
एफआरएन 105215डब्ल्यू	एफआरएन 001111एन	एफआरएन 301174ई	एफआरएन 318121ई
FRN 105215W	FRN 001111N	FRN 301174E	FRN 318121E
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
सीए शरद भागवत	सीए राजेश सेठी	सीए एस. लाहिड़ी	सीए जीतेन के. मिश्रा
CA Sharad Bhagwat	CA Rajesh Sethi	CA S. Lahiri	CA Jiten K. Mishra
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
Partner	Partner	Partner	Partner
सदस्यता क्र. : 08072	सदस्यता क्र. : 085669	सदस्यता क्र. : 051717	सदस्यता क्र. : 052796
Membership No. : 08072	Membership No. : 085669	Membership No. : 051717	Membership No. : 052796

स्थान : नई दिल्ली Place : New Delhi दिनांक : 13 मई, 2014 Date : May 13, 2014 कीर्तने एंड पंडित

सनदी लेखाकार संगती, भक्ति मार्ग, लॉ कॉलेज रोड के पास, पुणे - 411 004

Kirtane & Pandit

Chartered Accountants, Sangati, Bhakti Mar, Off Law College Road, Pune- 411 004.

जे सी भल्ला एंड कं.

सनदी लेखाकार बी/5, सेक्टर 6, नोयडा 3. प्र. - 201 301

J.C.Bhalla & Co Chartered Accountants,

B/5, Sector 6, Noida. U.P.-201301.

जी बसु एंड कं.

सनदी लेखाकार 3, चौरंगी एप्रोच बसु हाउस कोलकाता - 700 072

G.Basu & Co

Chartered Accountants, 3, Chowringhee Approach, Basu House, Kolkata-700 072

सिंह रे मिश्रा एंड कं.

सनदी लेखाकार एस आर ३१, अशोका मार्केट स्टेशन स्क्वेअर भुवनेश्वर - 751 001

Singh Ray Mishra & Co Chartered Accountants, S R 31, Ashoka Market, Station Square,

Bhubaneshwar-751001.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के दिनांक 31 मार्च, 2014 के संलग्न वित्तीय विवरण जिसमें 31.03.2014 का तूलन पत्र लाभ और हानि खाता तथा उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकदों प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी सूचनाएं शामिल हैं, की हमने लेखा परीक्षा की है. इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा टी.आई.बी.डी. सहित लेखा परीक्षित 21 शाखाओं की विवरणियां तथा अन्य शाखा के लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरिक्षित 823 शाखाओं की विवरणियां और लांग फार्म आडिट रिपोर्ट के अंतर्गत रिपोर्ट करने के लिए संगामी लेखा परीक्षा के तहत 51 शाखाएँ शामिल हैं. जैसा हमें बताया गया है, हमारे द्वारा लेखा परीक्षित व अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया है. साथ ही तूलन पत्र और लाभ व हानि के विवरण में 994 शाखाएँ जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं हैं, की विवरणियां भी शामिल हैं. इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिमों में 8.67 प्रतिशत, जमाराशियों में 19.73 प्रतिशत, ब्याज आय में 5.67 प्रतिशत और ब्याज खर्च में 15.38 प्रतिशत हिस्सा है.

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन समेकित वित्तीय विवरणों को समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, के अनुसार तैय्यार करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है. वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित इस जिम्मेदारी में आंतरिक नियंत्रण को तैयार करना उसका कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है ये वित्तीय विवरण जालसाजी या किसी अन्य गलती के कारण से किया भी गलत कथन से मुक्त है.

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

- हमारी जिम्मेदारी समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के आधार पर अभिमत व्यक्त करना है. हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर लेखा परीक्षा करते हैं. इन लेखा मानकों के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होता है और लेखा परीक्षा की योजना तैयार कर लेखा परीक्षा करनी होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वित्तीय विवरण किसी भौतिक गलत कथन से मुक्त हैं.
- वित्तीय विवरणों में प्रकटन और रकम से संबंधित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित कार्यविधि निष्पादित करना लेखा परीक्षा में शामिल होता है. जालसाजी या गलती के कारण वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत कथन का मूल्यांकन करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय के आधार पर चुनी गई कार्यविधि आधारित होती है. ये जोखिम मूल्यांकन करने के लिए कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों और परिस्थिति विशेष में उचित लेखा परीक्षा कार्यविधि तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुति हेतु लेखा परीक्षकों ने विचार किया है किंतु इस उद्देश्य के लिए नहीं कि संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अपनी राय दें. उपयोग में लाई गई नीति की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों का औचित्य तथा उसी प्रकार वित्तीय विवरणों की समग्र तैयारी का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में शामिल होता है.
- हम विश्वास करते है कि प्राप्त साक्ष्य हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं.

हमारी राय में, बैंक की खाता-बहियों में दर्शाए गये अनुसार तथा हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

AUDITORS' REPORT

The President of India, Report on Financial Statements

We have audited the accompanying Financial Statements of Bank of Maharashtra as at 31st March 2014 which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2014, Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 21 branches, including Treasury & International Banking Branch, audited by us and 823 branches audited by branch auditors and 51 branches under concurrent audit for reporting under Long Form Audit Report (LFAR). The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are the returns from 994 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 8.67 per cent of advances, 19.73 per cent of deposits, 5.67 per cent of interest income and 15.38 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements:

Management is responsible for the preparation of these Financial Statements in accordance with the Banking Regulation Act 1949, complying with Reserve Bank of India Guidelines issued from time to time. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility:

- Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
- An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statement, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion in the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
- 5. We believe that the audit evidence, we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our Audit opinion.

Opinion:

In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanation given to us,

- (क) समेकित तुलन पत्र, उसमें दी गई टिप्पणियों सहित परिपूर्ण और समुचित तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक ब्यौरों का समावेश है और वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार इस ढंग से बनाया गया है कि उससे बैंक के 31 मार्च, 2014 के व्यवहारों का सही चित्र सामने आ सके.
- (ख) समेकित लाभ हानि लेखा और उस पर की गयी टिप्पणियां विवरण लाभ का सही शेष दर्शाती है जो खाते द्वारा कवर किए गए वर्ष के लिए भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप है और
- (ग) समेकित नकदी प्रवाह विवरण उस दिनांक को समाप्त वर्ष में हुए नकदी प्रवाह का सही व उचित चित्र प्रस्तुत करता है.

मामलों का महत्व

7. सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प दुबारा रिपोर्ट करने तथा उपदान सीमाओं में वृद्धि- विवेकी विनियामक उपचार पर फरवरी 2011 का भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्रं. डीबीओडी.बीपी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 के अनुसार बैंकों को लेखा मानक 15-(संशोधित) कर्मचारी लाभ से संबंधित छूट देने के परिणामस्वरूप मूल कंपनी के समेकित लेखों के साथ संलग्न अनुसूची 18 की टिप्पणी क्रं. 10.4 डी जिसमें बैंक की कुल आस्थगित पेंशन और उपदान देयताओं को कुल ₹ 102.48 करोड़ बताया गया है.

यदि ये परिपत्र जारी नहीं हुआ होता तो बैंक का कर पूर्व लाभ लेखा मानक 15 लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 102.48 करोड़ से कम होता. इसका परिणामी प्रभाव वित्तीय विवरणों के अन्य संबंधित घटकों पर निष्चित नहीं किया गया है.

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- समेकित तुलन पत्र और लाभ व हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तीसरे खंड के क्रमशः फॉर्म अ तथा ब के अनुसार तैयार किया गया है.
- उपर्युक्त परिच्छेद 1 व 5 में इंगित लेखा परीक्षा की सीमाओं के आधार पर तथा बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण व अर्जन) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन निम्नलिखित के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि
 - हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह हमने प्राप्त कीं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया.
 - ख. बैंक के संव्यवहार जो मे / हमारे ध्यान में आए हैं, वह बैंक के अधिकारों के भीतर हैं.
 - बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पायी गईं.
- 10. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ हानि लेखा व नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

- (a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2014 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
- (b) Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit/loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account: and
- (c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter:

7. We draw attention to the note 10.4D in Schedule 18 which describes deferment of pension and gratuity liability of the bank to the extent of ₹ 102.48 Crore pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the Public Sector Banks from application of the Accounting Standard 15 (Revised) – Employees Benefit vide its circular DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 of February 2011 on reopening of pension option to employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity limits – Prudential Regulatory Treatment.

Had the said circular not been issued, the "Profit before Tax" of the bank would have been lower by ₹ 102.48 Crore pursuant to the application of the requirements of AS 15 (Revised), the consequential effect of which has not been ascertained on the other related components of the financial statements.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

- The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein we report that:
 - a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit and have found them to be satisfactory.
 - b. The transactions of the bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank.
 - c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
- In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

कृते कीर्तने एंड पंडित For Kirtane & Pandit

एफआरएन 105215डब्ल्यू FRN 105215W सनदी लेखाकार Chartered Accountants

सीए शरद भागवत CA Sharad Bhagwat भागीदार

Partner सदस्यता क्र. : 08072 Membership No. : 08072

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 13 मई, 2014

सीए राजेश सेठी CA Rajesh Sethi भागीदार Partner

कते जे सी भल्ला एंड कंपनी

For J C Bhalla & Co.

एफआरएन ००११११एन

FRN 001111N

सनदी लेखाकार

Chartered Accountants

सदस्यता क्र. : 085669 Membership No. : 085669

Place : New Delhi
Date : May 13, 2014

कृते जी. बसु एंड कंपनी For G Basu & Co.

एफआरएन 301174ई FRN 301174E सनदी लेखाकार Chartered Accountants

> सीए एस. लाहिड़ी CA S. Lahiri भागीदार Partner

सदस्यता क्र. : 051717 Membership No. : 051717

कृते सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी For Singh Ray Mishra & Co.

एफआरएन 318121ई FRN 318121E सनदी लेखाकार Chartered Accountants

सीए जीतेन के मिश्रा CA Jiten K. Mishra

भागीदार Partner

सदस्यता क्र. : 052796 Membership No. : 052796

समोकिता वित्तीय विवरण Consolidated Financial Statements

31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2014

(₹ हजारों में) (₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2014 (Current Year)	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2013 (Previous Year)
पूंजी एवं देयताएं CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	1427,09,58	1249,47,59
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	5982,59,07	5176,36,78
जमाराशियां Deposits	3	116793,60,22	94330,21,04
उधारियां Borrowings	4	8326,47,35	12877,48,82
अन्य देयताएं तथा प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	3830,65,05	3347,16,81
जोड़ TOTAL		136360,41,27	116980,71,04
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	5991,38,82	5265,29,20
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks, Money at call & short notice	7	110,97,94	907,55,48
निवेश Investments	8	37289,71,23	31458,01,13
अग्रिम Advances	9	88920,39,90	75470,77,79
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	1446,03,97	1429,48,94
अन्य आस्तियां Other Assets	11	2601,89,41	2449,58,50
जोड़ TOTAL		136360,41,27	116980,71,04
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	25119,84,41	24361,75,56
वसूली हेतु बिल Bills for Collection		3067,31,11	2548,99,73
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां Significant accounting policies	17		
खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलनपत्र का अभिन्न अंग है.

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

आर.के. गुप्ता आर. आत्माराम
R.K. GUPTA R. ATHMARAM
निदेशक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR EXECUTIVE DIRECTOR

सुशील मुहनोत SUSHIL MUHNOT अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

संजीव जैन आर.एल. सायदीवाल रमेश चंद्र अग्रवाल डॉ. एस. राजगोपाल SANJEEV JAIN R.L. SAYDIWAL R.C. AGRAWAL Dr. S. RAJAGOPAL निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक DIRECTOR DIRECTOR **DIRECTOR DIRECTOR**

> वी.पी. श्रीवास्तव V.P. SRIVASTAVA सहा. महाप्रबंधक, विप्र व लेखा

सहा. महाप्रबंधक, विप्र व लखा Asst. Gen. Manager, FM&A

स्थान : नई दिल्ली Place : New Delhi दिनांक : 13 मई, 2014 Date : 13th May, 2014 अनुमत्य अनुपस्थिति के कारण श्री अतीश सिंह ने तुलनपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए.

"Shri Ateesh Singh did not sign the Balance Sheet, since he was granted leave of absence."

अतुल भाटिया ATUL BHATIA महाप्रबंधक, विप्र व लेखा General Manager, FM&A

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 13 मई, 2014

Place : New Delhi

Date : May 13, 2014

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि लेखा CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2014

(₹ हजारों में) (₹ in thousands)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March, 2014 (Current Year)	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March, 2013 (Previous Year)
Ī.	आय INCOME			
	अर्जित ब्याज Interest earned	13	11956,67,74	9613,44,36
	सहयोगी संस्थाओं में आय/हानि का हिस्सा Share of earnings/loss in Associates		12,43,11	9,43,96
	अन्य आय Other Income	14	894,92,80	912,90,61
	जोड़ TOTAL		12864,03,65	10535,78,93
II.	व्यय EXPENDITURE			
	व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	8447,19,38	6579,58,61
	परिचालन व्यय Operating Expenses	16	2397,73,25	1797,87,59
	प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & contingencies		1620,50,28	1389,24,20
	जोड़ TOTAL		12465,42,91	9766,70,40
	लाभ / हानि PROFIT/LOSS वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ Consolidated Net Profit for the year जोड़ें: आगे लाया गया लाभ Add: Profit brought forward जोड़ TOTAL विनियोग APPROPRIATIONS सांविधिक आरक्षिति को अंतरण Transfer to Statutory Reserve पूंजी आरक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve प्रजात आरक्षिति को अंतरण Transfer to Revenue Reserve विशेष आरक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve निवेश आरक्षिति को अंतरण Transfer to Investment Reserve प्रस्तावित लाभांश (पीएनसीपीएस) Proposed dividend (PNCPS) प्रस्तावित लाभांश (ईक्विटी) Proposed dividend (Equity) लाभांश पर कर Tax on Dividend अंतरिम लाभांश और अंतरिम लाभांश पर कर		398,60,74 — 398,60,74 103,63,85 12,86,42 — 75,00,00 11,38,62 52,92,00 — 8,99,38 98,17,00	769,08,53 454,97,54 1224,06,07 191,79,78 20,62,54 445,35,38 150,00,00 16,11,47 49,98,00 152,13,95 34,35,02
	Interim Dividend & Tax on Interim Dividend शेष को तुलनपत्र में आगे ले जाया गया		35,63,47	163,69,93
	Balance carried over to Balance Sheet		,	. ,
	जोड TOTAL		398,60,74	1224,06,07
	प्रति शेयर अर्जन (मूल व कम की हुई) (₹) Earning per share (Basic & Diluted) (₹)		4.73	12.04

उपयुक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ व हानि खाते का अभिन्न अंग. The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account. हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार. As per our report of even date attached.

कृते कीर्तने एंड पंडित	कृते जे सी भल्ला एंड कंपनी	कृते जी. बसु एंड कंपनी	कृते सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी
For Kirtane & Pandit	For J C Bhalla & Co.	For G Basu & Co.	For Singh Ray Mishra & Co.
एफआरएन १०५२१५डब्ल्यू	एफआरएन ००११११एन	एफआरएन ३०११७४ई	एफआरएन ३१८१२१ई
FRN 105215W	FRN 001111N	FRN 301174E	FRN 318121E
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
सीए शरद भागवत	सीए राजेश सेठी	सीए एस. लाहिड़ी	सीए जीतेन के मिश्रा
CA Sharad Bhagwat	CA Rajesh Sethi	CA S. Lahiri	CA Jiten K. Mishra
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
Partner	Partner	Partner	Partner
सदस्यता क्र. : 08072	सदस्यता क्र. : 085669	सदस्यता क्र. : 051717	सदस्यता क्र. : 052796
Membership No.: 08072	Membership No.: 085669	Membership No.: 051717	Membership No.: 052796

अनुसूची - 1 : पूंजी SCHEDULE – 1 : CAPITAL

(₹ हजार में) (₹ in thousands)

839,09,58	589,59,21 71,88,38	
839,09,58	, ,	661,47,59
839,09,58	, ,	661,47,59
839,09,58	, ,	661,47,59
839,09,58	, ,	661,47,59
839,09,58	, ,	661,47,59
839,09,58	71,88,38	661,47,59
	537,39,03	
	124,08,56	
839,09,58		661,47,59
839,09,58		661,47,59
588,00,00	588,00,00	588,00,00
		1249,47,59
		588,00,00 588,00,00

अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष SCHEDULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजार में)

	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (चार As on 31st March, 2014 (Current		। स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 1, 2013 (Previous Year)
I. सांविधिक आरक्षिति STATUTORY RESERVE i) प्रारंभिक शेष Opening Balance ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	1022,87,35 103,63,85 1126,5	831,07,57 1,20 191,79,78	1022,87,35
II.पूंजीगत आरक्षिति CAPITAL RESERVEi)प्रारंभिक शेष Opening Balanceii)वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the yeariii)वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	139,80,54 12,86,42 — 152,6	119,18,00 20,62,54	139,80,54
III. शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM i) प्रारंभिक शेष Opening Balance ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	1262,14,02 622,38,01 1884,5	928,02,41 2,03 334,11,61	1262,14,02
 IV. राजस्व व अन्य आरिक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES क a) राजस्व आरिक्षिति REVENUE RESERVE i) प्रारंभिक शेष Opening Balance ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year 	1208,47,76 163,69,93 — 1372,1	763,12,38 445,35,38 7.69	1208,47,76
ख b) विशेष आरक्षिति SPECIAL RESERVE i) प्रारंभिक शेष Opening Balance ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	243,00,00 75,00,00 318,0	93,00,00	243,00,00
ग c) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति REVALUATION RESERVE i) प्रारंभिक शेष Opening Balance ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	1120,25,71 — 54,68,08 1065,5	375,02,74 1181,27,53 7,63 436,04,56	1120,25,71
घ d) निवेश आरक्षिति खाता INVESTMENT RESERVE ACCOUNT i) प्रारंभिक शेष Opening Balance ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	16,11,47 11,38,62 — 27,5	16,11,47 — 0,09	16,11,47
V. लाभ व हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT जोड़ TOTAL (I, II, III, IV व V)	35,6 5982,5	 _	163,69,93 5176,36,78

अनुसूची - 3 : जमाराशियां SCHEDULE - 3 : DEPOSITS

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

		31 मार्च 2013 की स्थि As on 31st March, 2	यति के अनुसार (गत वर्ष) 013 (Previous Year)
159,28,23 10513,46,80	10672,75,03	394,17,67 10789,88,80	11184,06,47
	31245,77,89		27289,49,70
460,33,19 74414,74,11	74875,07,30	180,44,44 55676,20,43	55856,64,87
	116793,60,22		94330,21,04
Ť	-		_
	_		_
	116793,60,22		94330,21,04
	116793,60,22		94330,21,04
	116793,60,22 —		94330,21,04
	446702.00.00		04000 04 04
	116793,60,22		94330,21,04
	_		_
	_		
	116793,60,22		94330,21,04
ì	As on 31st March, 159,28,23 10513,46,80 460,33,19	10513,46,80	As on 31st March, 2014 (Current Year) 159,28,23 10513,46,80 10672,75,03 31245,77,89 460,33,19 74414,74,11 74875,07,30 116793,60,22 116793,60,22 116793,60,22 116793,60,22

अनुसूची - 4 : उधारियां SCHEDULE - 4 : BORROWINGS

(₹ हजार में)

		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (चालू व As on 31st March, 2014 (Current Yea	
I.	भारत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA i) भारतीय रिज़र्व बैंक से Reserve Bank of India ii) अन्य बैंकों से Other Banks	2664,00,00 —	600,00,00 3563,00,00
	iii) अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से Other Institutions and Agencies iv) डिबेंचर्स Debentures v) अन्य उधारियां Other Borrowings क a) नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई)	2441,13,28 —	4939,17,07 —
	Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) ख b) बांड के रूप में जारी संमिश्र कर्ज पूंजी लिखतें Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	295,00,00 1250,00,00	295,00,00 1250,00,00
	ग c) गौण ऋण बांड Subordinated Debt Bonds	1555,00,00 8205,13,2	* *
II.	भारत के बाहर उधारियां BORROWINGS OUTSIDE INDIA	121,34,0	7 675,31,75
	जोड़ (l व ll) TOTAL (l & ll)	8326,47,3	12877,48,82
III.	उपर्युक्त । व ॥ में जमानती उधारियों सहित SECURED BORROWINGS INCLUDED IN I & II ABOVE	-	

अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2014 (Current Year)	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2013 (Previous Year)
I. II.	देय बिल Bills Payable अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)	431,13,16	415,27,14
	क. a. मूल कंपनी Parent ख. b. सहायक कंपनी Subsidiary	133,68,80 —	66,82,54 —
III.	अंतर समूह समायोजन (निवल) Inter group adjustment (net)	_	_
IV. V.	उपचित ब्याज Interest Accrued अन्य (प्रावधानों सहित): Others (including provisions):	441,31,36	340,55,28
٧.	क) मानक आस्तियों पर प्रावधान a) Provision against standard assets ख) अन्य देयताएं (प्रावधानों सहित)	574,03,54	416,21,89
	b) Other liabilities (including provisions)	2250,48,19 2824,51,73	2108,29,96 2524,51,85
	जोड़ (I, II, III, IV व V) TOTAL (I, II, III, IV & V)	3830,65,05	3347,16,81

अनुसूची - 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

		31 मार्च 2014 की स्थिति के As on 31st March, 2014		31 मार्च 2013 की स्थि As on 31st March, 2	ाति के अनुसार (गत वर्ष) 013 (Previous Year)
I.	हाथ में नकद (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित है) Cash in hand (including foreign currency notes) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अधिशेष Balances with Reserve Bank of India		608,45,44		514,55,37
	i) चालू खाते में In Current Accounts	5382,93,38		4750,73,83	
	ii) अन्य खातों में In other Accounts	_	5382,93,38	_	4750,73,83
	जोड़ (l a l l) TOTAL (I & II)		5991,38,82		5265,29,20

अनुसूची - 7 : बैंकों में अधिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(₹ हजार में)

		31 मार्च 2014 की स्थिति As on 31st March, 2		31 मार्च 2013 की स्थि As on 31st March, 20	
I.	भारत में In India				
	i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
	(क) (a)) चालू खातों में Current Accounts	33,17,90		61,42,68	
	(ख) (b) अन्य जमा खातों में Other Deposit Accounts	15,18,56	48,36,46	815,18,55	876,61,23
	ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन				
	Money at call and short notice				
	(क) (a) बैंकों के पास With Banks	_		_	
	(ख) (b) अन्य संस्थाओं के पास With Other Institutions	_	_	_	_
	जोड़ (i व ii) TOTAL (i & ii)		48,36,46		876,61,23
II.	भारत के बाहर Outside India				
	बैंकों के पास अधिशेष Balances with Banks in				
	(क) (a) चालू खातों में Current Accounts	_		_	
	(ख) (b) अन्य जमा खातों में Other Deposit Accounts	62,61,48		30,94,25	
	(ग) (c) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at Call & Short Notice	_	62,61,48	_	30,94,25
	जोड़ TOTAL		62,61,48		30,94,25
	कुल जोड़ (l व ll) GRAND TOTAL (I & II)		110,97,94		907,55,48

अनुसूची - 8 : निवेश SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS

(₹ हजार में)

				ति के अनुसार (चालू वर्ष)		गति के अनुसार (गत वर्ष)
-			As on 31st March,	2014 (Current Year)	As on 31st March, 2	013 (Previous Year)
I.	निम्नि	ाखित में भारत में निवेश Investments in India in				
	क)	सरकारी प्रतिभूतियां				
	۵)	(खजाना बिल व शून्य कूपन बांडों सहित)				
	a)	Government Securities (inclusive of treasury bills & zero coupon bonds)		30414,08,56		25373,53,88
	ਹਰ\ h\	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other approved securities				20070,00,00
		शेयर्स Shares		179,26,98		175 46 46
	. ,	डिवेंचर्स और बांड Debentures and Bonds				175,46,46
	घ) d)			1572,11,30		1171,46,99
	ਚ)	सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश (₹ 23,18,22 की ख्याति सहित, गत वर्ष ₹ 23,18,22)				
	e)	Investment in Associates		113,30,76		100,87,65
	٥,	(Including Goodwill of ₹ 23,18,22, previous year ₹ 23,18,22)				,,
	छ) f)	अन्य Others				
	, ,	i) यूटीआई/म्युचुअल फंडों के यूनिट Units of UTI / Mutual funds	71,56,96		28,32,06	
		ii) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	622,79,52		872,33,81	
		iii) वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	32,38,15		9,72,60	
		iv) पीटीसी PTCs	1,29,86		5,50,88	
		,		E040 02 62		4636 66 1E
		v) आरआईडीएफ व अन्य RIDF & Others	4282,89,14	5010,93,63	3720,76,80	4636,66,15
	जोड़	TOTAL		37289,71,23		31458,01,13
II.	भारत	से बाहर निवेश Investments outside India				
	i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)				
	i)	Government Securities (including local authorities)		_		_
	ii)	सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश				
	ii)	Investment in Associates		_		_
	iii)	अन्य निवेश (स्पष्ट करें)				
	iii)	Other Investments (to be specified)		_		_
	जोड़ T	OTAL				
	कुल ज	ोइ (l व ll) GRAND TOTAL (I & II)		37289,71,23		31458,01,13
III.	भारतः	में निवेश Investments in India				
	i)	निवेशों का सकल मूल्य Gross Value of Investments	37355,99,77		31525,42,43	
	ii)	मूल्यहास हेतु प्रावधानों का जोड़	,30,11		3.323,12,10	
	ii)	Aggregate of Provisions for Depreciation	66,28,54		67,41,30	
	iii)	निवल निवेश (i-ii) Net Investment (i-ii)		37289,71,23		31458,01,13
	,	वरण : Details of Investments:				
I-de		वरणः Details of Investments: ग्री प्रतिष्ठानों में निवेश Investment in Associates		440.00.70		400.07.05
I.				113,30,76		100,87,65
II.	अन्य न	नेवेश Other Investments		37176,40,47		31357,13,48
	जोड़ (l	व॥) TOTAL (I & II)		37289,71,23		31458,01,13

अनुसूची - 9 : अग्रिम SCHEDULE - 9 : ADVANCES

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

				ति के अनुसार (चालू वर्ष) 2014 (Current Year)	31 मार्च 2013 की स्थि As on 31st March, 2	गित के अनुसार (गत वर्ष) 013 (Previous Year)
क.	i)	बट्टाकृत व खरीदे गए बिल				
A.	i)	Bills purchased and discounted	1672,07,77		1948,69,08	
	ii)	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण				
		Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	31085,67,38		27857,77,03	
	iii)	मीयादी ऋण Term Loans	56162,64,75	00000 00 00	45664,31,68	75 470 77 70
				88920,39,90		75470,77,79
	जोड़	TOTAL		88920,39,90		75470,77,79
ख.	i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमों सहित)				
B.	i)	Secured by tangible assets				
		(includes advances against Book Debts)	77981,82,28		64456,05,85	
	ii)	बैंक / सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित				
		Covered by Bank/Government Guarantees	,33,45		58,56,10	
	iii)	असंरक्षित Unsecured	10938,24,17	88920,39,90	10956,15,84	75470,77,79
	जोड़	TOTAL		88920,39,90		75470,77,79
ग.	I.	भारत में अग्रिम				
C.	I.	Advances in India				
		i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	31722,21,06		24339,55,60	
		ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	12668,95,59		12787,04,06	
		iii) बैंक Banks	216,36,71		271,52,71	
		iv) अन्य Others	44312,86,54	88920,39,90	38072,65,42	75470,77,79
	II.	भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India				
		i) बैंकों से देय Due from banks	_		_	
		ii) अन्यों से देय Due from others	_		_	
		क) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल				
		a) Bills purchased and discounted	_		_	
		ख b) संघीय ऋण Syndicated Loans	_		_	
		ग c) अन्य Others				
		जोड़ (ग एवं ग) TOTAL (C.I & C.II)		88920,39,90		75470,77,79

अनुसूची - 10 : स्थिर आस्तियां SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में)

00	, I ILL	OLL - 10 . TIXED AGGETG		(\tag{\tau} iii tilousailus)
			31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2014 (Current Year)	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2013 (Previous Year)
I.	परि	सर Premises *		
	1.	गत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (गत वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्य में हुई वृद्धि सहित) At cost as on 31st March of the preceding year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)	1322,03,60	592,12,41
	2.	अवधि के दौरान वृद्धि Addition during the Period	3,55,13	35,54,79
	3.	वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation during the year	_	1181,27,53
			1325,58,73	1808,94,73
	4.	वर्ष के दौरान कमी Deductions during the year	_	486,91,13
			1325,58,73	1322,03,60
	5.	अद्यतन मूल्यङ्कास Depreciation to date	165,97,40 1159,61,33	107,79,23 1214,24,37

अनुसूची - 10 : स्थिर आस्तियां *(जारी)* SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS *(CONTD.)*

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

			31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2014 (Current Year)	
II.		र स्थिर आस्तियां (इसमें फर्नीचर व फिक्सचर शामिल है) ner Fixed Assets (including furniture and fixtures) गत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार		
	1.	At cost as on 31st March of the preceding year	842,46,00	730,85,31
	2.	अवधि के दौरान वृद्धि Addition during the Period	175,01,45	129,72,98
			1017,47,45	860,58,29
	3.	अवधि के दौरान कमी Deduction during the Period	25,85,73	18,12,29
			991,61,72	842,46,00
	4.	अद्यतन मूल्यस Depreciation to date	705,19,08 286,42,64	627,21,43 215,24,57
		जोड़ (l व ll) TOTAL (l & ll)	1446,03,97	1429,48,94

^{*} पूंजी में शामिल "कार्य प्रगति पर" ₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य). Includes Capital "Work in Progress" ₹ Nil (Previous Year ₹ Nil)

अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2014 (Current Year)	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2013 (Previous Year)
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)		
	क a. मूल Parent	_	_
	ख b. सहायक प्रतिष्ठान Subsidiaries	_	_
II.	उपचित ब्याज Interest accrued	910,04,51	754,33,54
III.	अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर		
	Tax paid in advance / tax deducted at source	835,31,77	724,32,73
IV.	लेखन सामग्री और स्टांप Stationery and Stamps	5,06,00	5,01,97
V.	दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां		
	Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	_	_
VI.	अन्य Others	851,47,13	965,90,26
	जोइ TOTAL (I, II, III, IV, V एवं VI) (I, II, III, IV, V & VI)	2601,89,41	2449,58,50

अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएँ SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में)

		31 मार्च 2014 की स्थिति As on 31st March, 20		31 मार्च 2013 की स्थि As on 31st March, 2	गति के अनुसार (गत वर्ष) 013 (Previous Year)
I.	बैंक के विरुध्द दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है.				
	Claims against the Bank not acknowledged as debts		1221,82,25		1181,54,34
II.	आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए दायित्व				
	Liability for partly paid investments		_		_
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता*				
	Liability on account of outstanding forward exchange contracts*		13559,63,81		13628,90,10
IV.	संघटकों की ओर से दी गयी प्रतिभूतियां				
	Guarantees given on behalf of constituents				
	(क)(a) भारत में In India	6138,60,38		5656,57,00	
	(ख)(b) भारत के बाहर Outside India	1615,16,23	7753,76,61	1177,15,86	6833,72,86
V.	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं				
	Acceptances, endorsements and obligations		2584,61,74		2717,58,26
VI.	अन्य मदें जिनके लिये बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है				
	Other items for which Bank is contingently liable		_		_
	जोइ TOTAL (I, II, III, IV, V एवं VI) (I, II, III, IV, V & VI)		25119,84,41		24361,75,56

^{*} वायदा विनिमय संविदाओं के आकस्मिक देयता में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं. Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts.

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED

(₹ हजार में) (₹ in thousands)

			माप्त अवधि (चालू वर्ष) 31st March, 2014 (Current Year)		समाप्त अवधि (गत वर्ष) 31st March, 2013 (Previous Year)
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills		9187,15,19		7298,49,90
II.	निवेशों पर ब्याज Interest on Investments	2591,28,40		2263,29,10	
	घटाएं : निवेशों का परिशोधन Less - Amortisation of Investments	48,23,05	2543,05,35	32,00,27	2231,28,83
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India &				
	other inter bank funds		150,62,78		81,70,38
IV.	अन्य Others		75,84,42		1,95,25
	जोड़ TOTAL (I, II, III एवं IV) (I, II, III & IV)		11956,67,74		9613,44,36

अनुसूची - 14 : अन्य आय SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में)

3011	EDULE - 14 : OTHER INCOME				(₹ in thousands)
		31 मार्च, 2014 को सम Year ended	ाप्त अवधि (चालू वर्ष) 31st March, 2014		समाप्त अवधि (गत वर्ष) । 31st March, 2013
		rear criaca	(Current Year)	rear endec	(Previous Year)
. a	कमीशन, विनिमय और दलाली				
C	Commission, exchange, and brokerage		544,81,73		491,33,75
ı. f	नेवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments	121,32,50		154,79,81	
3	ग्टाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि				
L	Less : Loss on sale of Investments	18,38,03	102,94,47	10,84,68	143,95,13
II. F	नेवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ				
F	Profit on revaluation of Investments	_		_	
3	ग्रटाएंः निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि				
L	Less: Loss on revaluation of Investments		_		_
V. 9	मूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ				
F	Profit on sale of land, buildings and other assets	58,72		64,16	
3	ग्रटाएं : भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि				
L	Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	79,52	-20,80	75,26	-11,10
/. f	वेनिमय संव्यवहारों पर लाभ				
F	Profit on Exchange Transactions	73,48,41		60,41,78	
3	ग्रटाएंः विनिमय संव्यवहारों पर हानि				
L	Less: Loss on Exchange Transactions	21	73,48,20	5	60,41,73
/I. ¥	भारत / विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यमों / सहायक कंपनियों इत्यादि से				
<u>c</u>	नाभांशों के रूप में अर्जित आय				
	ncome earned by way of dividends etc. from subsidiaries /		3,20,43		4,99,08
С	companies and/or Joint Ventures abroad / in India				
/II. f	वेविध आय Miscellaneous Income		170,68,77		212,32,02
ਰ	जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V, VI एवं VII) (I, II, III, IV, V, VI & VII)		894,92,80		912,90,61

अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में) (₹ in thousands)

		31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि (चालू वर्ष) Year ended 31st March, 2014 (Current Year)	31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि (गत वर्ष) Year ended 31st March, 2013 (Previous Year)
I.	जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	7696,51,23	5878,75,41
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	107,92,56	312,27,28
III.	अन्य Others	642,75,59	388,55,92
	जोड़ TOTAL (I,II एवं III) (I, II & III)	8447,19,38	6579,58,61

अनुसूची - 16 : परिचालन व्यय SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में)

	31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि (चालू वर्ष) Year ended 31st March, 2014 (Current Year)	31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि (गत वर्ष) Year ended 31st March, 2013 (Previous Year)
 कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिये प्रावधान Payments to and provisions for employees 	1596,63,39	1188,90,61
II. भाड़ा, कर और बिजली Rent, taxes and lighting	162,18,31	132,75,15
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	23,08,00	18,66,66
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	15,15,39	16,22,20
V. बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यह्राम्र Depreciation on Bank's property	99,99,14	73,93,33
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	1,05,31	,75,30
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं) Auditors' fees and expenses (incl. branch auditors' fees and expenses)	18,00,24	13,20,73
VIII. विधि प्रभार Law Charges	9,64,47	9,89,24
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	34,31,82	29,73,56
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	68,98,55	39,89,23
XI. बीमा Insurance	105,30,27	77,47,73
XII. अन्य व्यय Other expenditure	263,38,36	196,43,85
जोड़ (I,II,III,IV,V,VI, VII,VIII,IX,X,XI एवं XII) TOTAL (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI & XII)	2397,73,25	1797,87,59

अनुसूची 17 लेखा नीतियां और खातों पर टिप्पणियाँ

(31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित लेखों के साथ संलग्न और उसका भाग)

1. लेखा प्रथाएं

- 1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो संलग्न समेकित वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और यह सामान्यतः अनुमोदित लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों/दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है.
- 1.2 वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अविध हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आिस्त और देयताएं (समािश्रत दायित्व सिहत) की रिपोर्ट की गई राशि में प्राक्कलन और धारणाओं पर विचार किया जाए. प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत है.
- 1.3 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण" और लेखा मानक 23 "समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन" के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं.
- 1.4 ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख नीचे परिच्छेद 7.1 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबध्द किया गया है.
- 1.5 बैंकिंग व्यवसाय के संदर्भ में राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं.
- 1.6 समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक और सहयोगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण 31 मार्च 2014 के अनुसार बनाये गये हैं.

2. समेकन के सिद्धांत

क) मूल इकाई :

वित्तीय विवरण बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मूल इकाई और इसके सहायक प्रतिष्ठान सहित इसके अनुषंगियों को शामिल कर निम्नानुसार समेकित किए गए हैं.

ख) संबद्ध इकाईः

लेखा मानक २१ - "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान को समेकन में शामिल किया गया है.

कंपनी का नाम	देश / आवास	संबंध	स्वामित्व हित
दि महाराष्ट्र एक्ज़िक्यूटर्स एण्ड ट्रस्टी कं. प्रा. लि. (आगे "मेटको" के रूप में संदर्भित)	भारत	संपूर्ण स्वामित्व का सहायक प्रतिष्ठान	100%

लेखा मानक 23 - "समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन" के अनुसार इक्विटी पध्दिति से निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान का लेखांकन किया गया है.

कंपनी का नाम	देश / आवास	संबंध	स्वामित्व हित
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित)	भारत	सहयोगी प्रतिष्ठान	35%

SCHEDULE-17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Accounting Conventions:

- 1.1 The accompanying consolidated financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India, the regulatory/Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, Accounting Standards/guidance notes issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- 1.2 The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the period under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable.
- 1.3 The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23 – "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
- 1.4 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 7.1 below.
- 1.5 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances in relation to Banking Business are in conformity with the prudential norms issued by the Reserve Bank of India from time to time.
- 1.6 The financial statements of the Subsidiary and Associate considered in preparation of Consolidated Financial Statement are drawn up to 31st March 2014.

2. Principles of Consolidation:

A) Parent Entity:

The Financial Statements are consolidated for Bank of Maharashtra, the parent entity and its subsidiary along with associated enterprise as follows.

B) Related Entity:

The following subsidiary has been consolidated as per Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statement".

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Ltd. (hereafter referred as "METCO")	India	Wholly Owned Subsidiary	100%

The following Associate Company has been accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard 23 – "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements".

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
Maharashtra Gramin Bank (sponsored by Bank of Maharashtra)	India	Associate Enterprise	35%

ग) समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार और उसका प्रभाव

बैंक और उसके सहायक प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों को अंतरा-समूह अतिशेषों / संव्यवहारों को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए, आस्तियों, दायित्वों, आय और खर्चें इत्यादि जैसी मदों के बही मूल्य को लाइन-दर-लाइन आधार पर जोड़ कर समेकित किया गया है. मूल में निवेश की लागत के आधिक्य को निवेश के दिनांक को सहायक प्रतिष्ठान की ईक्विटी में आनुपातिक हिस्से को ख्याति के रूप में माना गया है जबिक ईक्विटी में सहायक प्रतिष्ठान हिस्से के आधिक्य को आरक्षित पूंजी में जमा किया गया है.

बैंक और उसके सहायक प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों को ईक्विटी पध्दित आधार पर एकत्र किया गया है. सहायक प्रतिष्ठान में रखाव लागत के आधिक्य को वित्तीय विवरणों में ख्याति माना गया है.

जहां कहीं आवश्यक है वहां, सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को मूल बैंक के साथ पुनःसमूहबध्द किया गया है.

सहायक प्रतिष्ठान ने कितपय मामलों में समान परिस्थितियां और समान व्यवहारों के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई पध्दित से अलग पध्दित को अपनाया है. समेकित वित्तीय विवरण बनाते समय जब इनका उपयोग किया गया तब सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है. तथापि समेकित वित्तीय विवरणों की मद के वे भाग, जहां सहायक प्रतिष्ठान द्वारा अलग लेखांकन नीतियों का उपयोग किया गया है, मामूली हैं.

3. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

- 3.1 विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा पिछले सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अंतिम दरों पर निर्धारित किया गया है. तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यन विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों पर किया गया है, और परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ / हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है.
- 3.2 बकाया वायदा एक्सचेंज संविदाओं को संविदात्मक दरों पर दर्शाया गया है और विशिष्ट परिपक्वता अविधयों के लिए फेडाई द्वारा प्रकाशित विनिमय दरों पर तुलन पत्र की दिनांक पर पुनमूल्यांकित किया गया है. परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ / हानि को लाभ हानि खाते में भारतीय रिजर्व बैंक / फेडाई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है.
- 3.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों और साख पत्रों के कारण उत्पन्न समाश्रित दायित्वों को फेडाई द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर तुलनपत्र में दर्शाया गया है.

4. निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यन निम्नानुसार किया गया है :

- i. निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं.
 - क. परिपक्वता तक धारित
 - ख. बिक्री के लिए उपलब्ध
 - ग. व्यापार के लिए धारित
- ii. सभी प्रतिभूतियां निम्नांकित छह भागों में वर्गीकृत की गई हैं:
 - क. सरकारी प्रतिभूतियां
 - ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
 - ग. शेयर्स
 - घ. डिबेंचर तथा बांड
 - ङ. सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
 - च. अन्य (वाणिज्यिक प्रपत्र, म्यूच्युअल फंड यूनिट, आरआईडीएफ इत्यादि)
- iii. बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी का निर्धारण करता है और तदनुसार उनका वर्गीकरण करता है. अंतरण की दिनांक पर अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य / बाजार मूल्य तीनों में से जो मूल्य कम हो उस पर निवेशों का

C) Basis of Preparation of Consolidated Financial Statement & its impact

The Consolidated financial statements of the Bank & its subsidiary have been combined on a line-by-line basis by adding together the like items of assets, liabilities, income & expenses, after fully eliminating intra-group balances/ transactions. The excess of the cost of investment to the parent over and above its proportionate share in equity of the subsidiary as on date of investment is recognized as Goodwill. While excess of share in equity of the subsidiary over the cost of investment is credited to Capital Reserve.

The Consolidated financial statements of the Bank & its associate have been combined on Equity Method basis. The excess of carrying cost of Bank's investment in Associate is recognized in the financial statements as goodwill.

The financial statement of the Subsidiary has been regrouped with that of the parent Bank, wherever necessary.

The subsidiary has used accounting policies other than those adopted by the Bank in certain cases for like transactions & events in similar circumstances. No adjustments have been made to the financial statements of the subsidiary, when they are used in preparing the consolidated financial statements. However, the proportion of the items in the consolidated financial statements to which the different accounting policies are applied by the subsidiary is insignificant.

3. Foreign Exchange Transactions:

- 3.1 The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/loss is accounted for in the Profit & Loss Account.
- 3.2 Outstanding Forward Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued as on Balance Sheet date at the exchange rates published by FEDAI for specified maturities. The resulting profit/loss is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI Guidelines.
- 3.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI.

4. Investments:

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

- i. Investments are classified in following categories:
 - a. Held to maturity
 - b. Available for sale
 - c. Held for trading
- ii. All the securities are classified in the following six baskets::
 - a. Government Securities
 - b. Other approved securities
 - c. Shares
 - d. Debentures and bonds
 - e. Subsidiaries and Joint Ventures
 - Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units, Rural Infrastructure Development Fund etc).
- iii. Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another is done once in a year with the approval of Board of Directors at the least of

अंतरण एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में किया जाता है. ऐसे अंतरण के कारण यदि कोई मूल्यहास पैदा होता है तो उसका प्रावधान किया जाता है और प्रतिभूतियों का बही मूल्य बदल दिया जाता है.

iv. रेपो / रिवर्स रेपो :

बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी निर्धारित करता है और उसे तदनुसार वर्गीकृत करता है. वर्ष में एक बार, निदेशक मंडल के अनुमोदन से प्रतिभूतियों का अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से जो भी सबसे कम हो, के अनुसार एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण किया जाता है. इस अंतरण के समय मूल्यहास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाता है और प्रतिभूति का बही मूल्य तदनुसार परिवर्तित किया जाता है. प्रतिभूतियों का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों अथवा उसकी मंजूरी के अनुसार किया जाता है.

V. निवेशों का मूल्यन :

क. परिपक्वता तक धारित :

- परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन लागत पर किया गया है. जहां कहीं लागत, अंकित मूल्य से अधिक है वहां प्रिमियम अतिरिक्त अधिग्रहण लागत, यदि कोई हो, का परिशोधन परिपक्वता की शेष अविध में किया गया है.
- ii. "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत अन्य निवेशों के मामले में जहां लागत मूल्य, अंकित मूल्य से कम है, अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है. सहायक प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मामले में मूल्यों में आई स्थायी कमी को अभिनिर्धारित तथा प्रावधान किया गया है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्योंकित किया गया है.
- iii. इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) लाभ पहले लाभ हानि लेखे में लेखाबध्द किया गया और उसके बाद उसे कर और सांविधिक आरक्षिति से निवल करके आरक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया गया तथा (ख) निवल हानि को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

ख. बिक्री हेतू उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मार्क-टू-मार्केट किया गया है. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन नियत आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघ (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार मूल्यों पर किया गया है. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाए गए पध्दित से किया गया है. उद्धृत शेयरों का मूल्यन बाजार दर से किया गया है. अनुद्भृत शेयरों का मूल्यन नवीनतम उपलब्ध तुलनपत्र से प्राप्त बही मूल्य से किया गया है तथा यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो शेयर का मूल्यन रुपया 1 प्रति कंपनी किया गया है

खजाना बिल, जमाराशि प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पेपर्स जैसे बट्टागत लिखतों में निवेशों खजाना बिलों और वाणिज्यिक प्रपत्रों का मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है. पारस्परिक निधियों की लिखतों का मूल्यन क्रमशः बाजार मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है.

"बिक्री हेतु उपलब्ध" के अंतर्गत प्रत्येक उप-श्रेणी के उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर :

- (i) यदि आंकड़ों का परिणाम अधिमूल्यन है तो इसे उपेक्षित किया गया है.
- (ii) यदि आंकड़ों का परिणाम मूल्यह्नास है तो उसे लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है.
- (iii) जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है
- (iv) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में लेखाबध्द किया गया है.

acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is changed accordingly.

iv. REPO / Reverse REPO

Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is changed accordingly. The transfer of securities from one category to another is made as per permission from or guidelines of Reserve Bank of India.

v. Valuation of investments

a. Held to Maturity:

- i Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at average cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity.
- ii In case of other investments under "Held to Maturity" category, where the cost price is less than the face value, the difference is ignored. In case of investments in subsidiaries and joint ventures permanent diminution in value is recognized and provided for. Investment in RRBs is valued at carrying cost.
- iii On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter net of applicable taxes and statutory reserve is appropriated to the 'Capital Reserve account' and (b) the net loss is charged to the profit and loss account.

b. Available for Sale:

The individual securities under this category are marked to market. Central Government securities are valued at market rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA]. State Government securities, other approved securities, Debentures and Bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at book value ascertained from the latest available Balance Sheet and in case the latest Balance Sheet is not available, the same is valued at ₹ 1/- per company.

Investments in discounted instruments, viz. Treasury bills, Certificate of deposits and commercial papers are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in Security Receipts /PTCs issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.

Based on the above valuation under each of six-sub classifications under `Available for Sale':

- (i) If it results in appreciation, the same is ignored.
- (ii) If it results in net depreciation, the same is charged to Profit & Loss account and credited to Provision for Depreciation on Investments (AFS) in the liability side.
- (iii) The book value of securities is not changed in respect of marked to market (MTM) except as required by the RBI guidelines.
- (iv) Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.

ग. व्यापार हेतु धारित :

- i. इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक स्क्रिप को मूल लागत पर धारित किया गया है. इनका मूल्यन मासिक अंतर से बाजार दरों पर अथवा फिमडा द्वारा घोषित कीमतों के अनुसार किया गया है. इस श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक वर्गीकरण के संबंध में निवल मूल्यहास, यिद कोई हो, को राजस्व पर प्रभारित किया गया है और निवल अधिमूल्यन, यिद कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया गया है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार जहां आवश्यक था उसे छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद प्रतिभूति का बही मूल्य नहीं बदला गया है.
- ii. इस श्रेणी में निवेश विक्रय पर लाभ या हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबध्द किया गया है.
- **घ.** अनर्जक निवेशों को अभिनिर्धारित किया गया और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यहास / प्रावधान किया गया है.
- इ. प्रतिभूतियों के अर्जन के समय (इक्विटी / अधिमान शेयरों को छोड़कर, जहां इन्हें अधिग्रहण की लागत माना गया है) उपचित लागतों यथा दलाली, फीस इत्यादि को व्यय माना गया है.

च. ब्याज दर स्वैप :

(i) मूल्यन :

- (क) हेजिंग स्वैप : हेजिंग आस्तियों और देयताओं के लिए ब्याज दर स्वैप मार्क द मार्केट नहीं है.
- (ख) ट्रेडिंग स्वैप : ट्रेडिंग उद्देश्य से ब्याज दर स्वैप मार्क ट्र मार्केट है.

(ii) डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकनः

- (क) हेजिंग स्वैप : वसूली के आधार पर आय का लेखांकन किया गया. व्यय यदि कोई है, को उपचय आधार पर, यदि निश्चेय है, लेखाबद्ध किया गया.
- (ख) ट्रेडिंग स्वैप : आय या व्यय को निपटान के दिनांक पर वसूली के आधार पर लेखाबध्द किया गया है.

(iii) स्वैप निरसन पर आय या लाभ का लेखा

- (क) हेजिंग स्वैप : निरस्त हुए स्वैप पर किसी भी लाभ या हानि को (क)स्वैप की शेष बची संविदात्मक अविध या (ख)आस्ति / देयता की शेष अविध में से जो अविध कम हो, के लिए अभिनिर्धारित किया गया है.
- (ख) ट्रेडिंग स्वैप : स्वैप निरसन पर किसी भी लाभ या हानि को निरसन के वर्ष में ही हानि या लाभ के रूप में स्वीकार किया गया.

अग्रिम :

- 5.1 तुलनपत्र में दर्शाए गए अग्रिम बट्टे खाते लिखे, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधानों, ऋण गारंटी संस्थानों के साथ निपटाए गए दावों और पुनर्भांजन से
- 5.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भा.रि.बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया गया है,
- 5.3 अर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान को "अन्य देयताएं व प्रावधान" शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है.
- 5.4 पुनर्निर्धारित/पुनर्संरचित खातों के संबंध में पुनर्संरचित अग्रिमों के उचित मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान मूल आधार पर किया गया है
- 5.5 वित्तीय पिरसंपत्तियों की पिरसंपित पुनिर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/प्रितिभूतिकरण कंपनी (एससी) की बिक्री के मामले में, यदि बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य पर हुई है, तो इस कमी को लाभ और हानि खाते में नामे डाला गया है. यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है तो अधिशेष प्रावधान को प्रत्यावर्तित नहीं किया गया, बल्कि इसे अन्य वित्तीय पिरसंपत्तियों की बिक्री पर घाटे/हानि की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाएगा.

6. स्थिर आस्तियां एवं मूल्यहासः

6.1 परिसरों एवं अन्य स्थिर आस्तियों को लागत पर लेखाबध्द किया गया है, कतिपय परिसरों को छोड़कर जिनका पुनर्मूल्यन किया गया है तथा पुनर्मूल्यांकित राशि पर उल्लेख किया गया है.

c. Held for Trading:

- i. The individual scrip under this category are held at original cost. The same is valued at monthly intervals at market rates or as per the prices declared by FIMMDA and in respect of each classification under this category, net depreciation if any, is charged to profit and loss account and net appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.
- Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and Loss account.
- d. The non-performing investments are identified and depreciation/provision is made as per RBI guidelines.
- e. Costs such as brokerage, fees etc. incurred at the time of acquisition of securities (except equity / preference shares, where it is treated as cost of acquisition) are recognized as expenses.

f. Interest Rate Swaps:

(i) Valuation:

- (a) Hedging Swaps: Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.
- (b) Trading Swaps: Interest Rate Swap for trading purpose is marked to market.

(ii) Accounting of income on derivative deals:

- (a) Hedging Swaps: Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.
- (b) Trading Swaps: Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.

(iii) Accounting of gain or loss on termination of swaps:

- (a) Hedging Swaps: Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability
- (b) Trading Swaps: Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenses in the year of termination.

Advances:

- 5.1 Advances shown are net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions and rediscounts.
- 5.2 Classification of advances and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI from time to time.
- 5.3 Provision for performing assets is shown under the head "Other liabilities and provisions".
- 5.4 In respect of Rescheduled/ Restructured accounts, provision for diminution in fair value of restructured advances is made in present value basis as per RBI guidelines.
- 5.5 In case of financial assets sold to Assets Reconstruction Company (ARC)/ Securitization company(SC), if the sale is at price lower than the net book value, the short fall is debited to profit and loss account. If the sale value is higher than the net book value, the surplus provision is not reversed but will be utilized to meet the deficit/ loss on account of sale of other financial assets.

6. Fixed Assets and Depreciation:

6.1 Premises and other Fixed Assets are accounted for at cost except certain premises, which are revalued and stated at revalued amount.

- 6.2 पुनर्मूल्यांकित परिसंपितयों के मामलों को छोड़कर स्थिर आस्तियों (निम्न उप परिच्छेद क, ख, ग में संदर्भित के अलावा) पर मूल्यह्रास का प्रावधान, ह्रासमान शेष पध्दित से कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में अनुबद्ध दरों पर लिया गया है, जिनके संबंध में इन पुनर्मूल्यांकित परिसंपितयों के आकलित स्थायित्व के आधार पर उच्च मुल्यह्रास किया गया है.
 - क. कंप्यूटरों पर मूल्यह्रास सरल रेखा पध्दित से 33.33% की दर पर किया गया है तािक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति का मूल्यह्रासित मूल्य तीन वर्षों में 1 रुपया रह जाए. कम्प्यूटरों में साफ्टवेअर, यूपीएस और एटीएम भी शािमल हैं.
 - ख. ₹ 5,000/- या कम की मूल लागत वाली स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास खरीदी वर्ष के दौरान 100 प्रतिशत करने के स्थान पर लागू दरों पर किया गया.
 - ग. वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास पूरे वर्ष के लिए किया गया. वर्ष के दौरान नष्ट हुई / बेची गई संपत्तियों पर मूल्यह्रास नहीं किया गया है.
- 6.3 पुनर्मूल्यन से संबंधित मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया.
- 6.4 पूर्णतः मूल्यङ्गासित संपत्ति पर पुनर्मुल्यन आरक्षिति को अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा प्रमाणित इसकी शेष अवधि के आधार पर ऋण परिशोधित किया गया है.
- 6.5 पट्टेवाली भूमि का परिशोधन सरल रेखा पध्दित से पट्टा अविध में किया जाता है.

सहायक प्रतिष्ठान के मामले में :

6.6 मेटको के मामले में, स्थिर आस्तियों का मूल्यन लागत में से मूल्यह्रास कम कर के किया गया है. स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों के आधार पर ह्रासमान शेष पध्दित से लगाया गया है.

7. राजस्व अभिनिर्धारण :

- 7.1 निम्नांकित मदों को छोड़कर, जिन्हें नकदी आधार पर लेखाबध्द किया गया है, समस्त राजस्व तथा लागतों को उपचय आधार पर लेखाबध्द किया गया है:
 - क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज.
 - ख. कमीशन अर्थात गारंटियों, साख पत्रों, सरकारी व्यवसाय, बैंक एश्योरेंस, लॉकर किराया, म्युच्युअल फंड व्यवसाय से आय.
 - ग. खरीदे गए तथा भांजित बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज.
 - घ बीमा दावे.
 - ङ. डिबेंचर न्यासी व्यवसाय पर पारिश्रमिक.
 - च. प्रसंस्करण फीस.
 - छ. व्यापारी बैंकिंग परिचालनों तथा हामीदारी कमीशन से आय.
- 7.2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अतिदेय मीयादी जमाराशियों पर देय ब्याज का प्रावधान उपचित आधार पर बचत खाता ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 22.08.2008 के परिपन्न के दिनांक से और शेष का नवीकरण के समय किया गया है.

8. कर्मचारी अनुलाभ :

परिभाषित अंशदान योजना ः परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए / अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है.

परिभाषित अनुलाभ योजना : परिभाषित अनुलाभ योजनाओं हेतु बैंक की देयताओं का निर्धारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपचित मूल्यांकन आधार पर किया गया है. अनुमानित इकाई जमा पद्धित के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यन तुलनपत्र के दिनांक को किया गया है. बीमांकिक लाभ और हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है.

- 6.2 Depreciation on fixed assets (other than those referred in sub para a, b, c below) is provided for on the diminishing balance method at the rates specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 on fixed assets except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets:
 - a. On computers, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method so as to write down the asset value in three years to Rupee one as per Reserve Bank of India guidelines. Computers include software, ATM and UPS also.
 - b. On Fixed Assets having original cost below ₹ 5,000/-, depreciation is provided for at applicable rates instead of providing 100% depreciation in the year of purchase.
 - c. Depreciation is provided for full year in respect of assets purchased during the year. No depreciation is provided on assets sold/discarded during the year.
- 6.3 Depreciation relating to revalued amount over and above the cost of the revalued assets, is provided on diminishing balance method over the residual life of the fixed assets as stated in para 6.2 and adjusted against the Revaluation Reserve. Revaluation reserve on fully depreciated properties is amortized on the basis of their residual life as certified by approved valuers.
- 6.4 Leasehold land is amortized over the period of lease on Straight Line Method (SLM).

In case of the subsidiary:

6.5 In the case of METCO, the fixed assets are valued at cost less depreciation. The depreciation on fixed assets has been charged on WDV basis at the rates prescribed under Schedule XIV of the Companies Act, 1956.

7. Revenue Recognition

- 7.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-
- Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms issued by Reserve Bank of India, from time to time.
- Income from commission viz on Guarantees, Letter of Credit, Government business, Bancassuarance, Mutual Fund business and Locker Rent.
- Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.
- d. Insurance claims.
- e. Remuneration on Debenture Trustee Business.
- f. Processing Fees.
- g. Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.
- 7.2 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at Saving Bank rate effective from date of RBI circular dated 22.08.2008, and the balance at the time of renewal.

8. Employees' Benefits:

Defined Contribution Plan: The contribution paid / payable under defined contribution benefit schemes are charged to profit and loss account.

Defined Benefit Plan: Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined on the basis of an actuarial valuation made at the end of financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

9. आस्तियों का अनर्जक होना

पुनर्मूल्यन आस्तियों सहित अचल संपत्तियों के अनर्जक होने के कारण हुई हानि को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28- आस्तियों का अनर्जक होना, के अनुसार अभिनिर्धारित कर लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

10. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक मानक 29-प्रावधान, आकिस्मक देयताएं व आकिस्मक आस्तियां के अनुसार बैंक केवल किसी पिछली घटना के कारण पैदा हुई वर्तमान प्रतिबध्दताओं के लिए प्रावधान करता है.यह संभव है कि जब प्रतिबध्दता का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता हो तब प्रतिबध्दताओं का निपटारा करने हेतु आर्थिक लाभ सहित किसी संसाधन के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता पड़े.

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया गया है चूंकि इससे ऐसी आय का अभिनिर्धारण हो सकता है जो कभी वसूली न जा सके.

11. शृध्द लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

घोषित शुध्द लाभ, आकस्मिकताओं व प्रावधानों के उपरांत है जिनमें निवेशों के मूल्य का समायोजन, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना, कराधान के लिए प्रावधान (आस्थिगित कराधान, अनुषंगी लाभ कर सहित), अग्रिमों के लिए प्रावधान तथा आकस्मिकताएं / अन्य शामिल हैं.

12. आयकर :

वर्ष के दौरान किये गये कर प्रावधानों में चालू आयकर, संपत्ति कर और आस्थिगित कर के प्रति देयताएं शामिल हैं. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार करयोग्य आय तथा लेखा योग्य आय के समय अन्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थिगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है. आस्थिगित कर आस्तियों ख्याज दर में परिवर्तन का प्रभार परिवर्तन की प्रयोज्यता की अविध में लाभ और हानि खाते में अभिनिधारित किया गया है

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय उस वर्ष में लिया गया है जब संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया.

दूसरी अपील में (आईटीएटी द्वारा) मांग का समर्थन करने पर आयकर प्राधिकारियों द्वारा मांग की गई राशि का ब्याज सहित प्रावधान किया गया.

समेकित वित्तीय विवरणो में दर्शाए कर व्यय मूल व सहायक कंपनी के अलग-अलग वित्तीय विवरण में उल्लेखित कर व्ययों की राशि का जोड़ है.

13. प्रति शेयर अर्जन :

प्रति ईक्विटी शेयर मूल और शिथिल अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एएस-20) "प्रति शेयर अर्जन" के अनुरूप की गई है. प्रति शेयर मूल अर्जन संबंधित अविध हेतु बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा निवल लाभ को विभाजित कर निकाली गई है. संबंधित अविध के दौरान बकाया शिथिल संभावित ईक्विटी शेयर और भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या का उपयोग कर प्रति ईक्विटी शेयर शिथिल अर्जन की गणना की गई है.

9. Impairment of Assets

Impairment losses if any, on fixed assets including Revalued Assets, are recognized in accordance with Accounting Standard 28- "Impairment of Assets" issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and charged to profit and loss account.

10. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the Accounting Standard 29-"Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent assets are not recognized in the financial statements, since this may result in the recognition of the income that may never be realized.

11. Net Profit, Provisions and Contingencies:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred taxation), provision for advances and contingencies/others.

12. Income tax:

The provision for tax for the year comprises liability towards Current Income Tax, Wealth Tax and Deferred Tax. The deferred tax asset/liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard - 22 issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account in the period of applicability of the change.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Income Tax authorities including the interest thereon is provided for when the demand is upheld in the second appeal (i.e. by ITAT)

The tax expenses shown in the Consolidated Financial Statements is the aggregate of the amounts of tax expenses appearing in the separate financial statements of the parent & subsidiary.

13. Earnings Per Share

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with the Accounting Standard (AS-20) "Earnings Per Share" issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

अनुसूची 18 खातों पर टिप्पणियां

(कोष्ठक में दिए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)

 चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने सीबीएस कार्यान्वयन परियोजना लागत के अपने हिस्से के लिए टीयर II पूँजी के रूप में बेमीयादी बांडों में अंशदान के द्वारा वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ) के अंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) को ₹ 8.28 करोड़ की राशि जारी की.

2. निवेशः

बैंक ने निवेश संविभाग को तीन श्रेणियों क्रमशः "परिपक्वता धारित", "बिक्री हेतु उपलब्ध" और "विपणन हेतु धारित" में वर्गीकृत किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मुल्यांकन किया है.

- बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों का लागू सीमा तक निम्नानुसार पालन किया है:
- 3.1 लेखा मानक 5 अविध के लिए निवल लाभ या हानि, गताविध मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन

चूंकि आय/व्यय की गतावधि मदें वास्तविक नहीं हैं इसलिए उन्हें संबंधित लेखा शीर्ष में प्रभारित/लेखाबध्द किया गया है.

3.2 लेखा मानक ९ - राजस्व निर्धारण

उक्त दी गई महत्वपूर्ण लेखा नीति 7(i) के अनुसार सांविधिक आवश्यकताओं या वास्तिवकता के कारण आय की कितपय मदों का निर्धारण वसूली के आधार पर किया गया है.

4. अचल संपत्ति

- 4.1 पुनर्मूल्यित संपत्ति पर वर्तमान वर्ष के ₹ 54.68 करोड़ (₹ 61.02 करोड़) राशि के मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यन आरक्षिति खाते में समायोजित किया गया.
- 4.2 4(4) के संबंध में पुनर्मूल्यित संपत्तियों/पिरिसरों के स्वत्व विलेख जिनकी लागत ₹ 6.54 करोइ (₹ 6.54 करोइ) है, काफी समय से लंबित विधि विवादों/ औपचारिकताओं के कारण बैंक के पक्ष में अभी तक निष्पादित/पंजीकृत नहीं किए गए हैं.
- 5. लेखा मानक (एएस) 15 (संशोधित 2005) ''कर्मचारी अनुलाभ'' (मूल बैंक)

क. परिभाषित अंशदान योजना :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
क.	भविष्य निधि	0.28	0.32
ख.	कर्मचारी कल्याण में अंशदान - आकस्मिकता कल्याण निधि	0.00	0.00

ख. परिभाषित अनुलाभ योजना ः

- क. **पेंशन योजना -** यह सेवा पश्चात अनुलाभ है, जो कि अधिकतम 33 वर्षों की पेंशन योग्य सेवा हेतु अंतिम वेतन के 50% है. यह निधिगत योजना है.
- ख. **उपदान योजना** यह सेवा पश्चात अनुलाभ है तथा यह कंपनी के नियमों व यथा संशोधित उपदान अधिनियम 1972 के अंतर्गत उपदान में से जो अधिक है, संदेय है. यह निधिगत योजना है.
- ग. **छुट्टी नकदीकरण / क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थित -** यह सेवा पश्चात अनुलाभ है तथा अंतिम वेतन पर आधारित 240 दिनों की संचयी छुट्टियों की अधिकतम सीमा के प्रति संदेय है. यह अनिधिगत योजना है.

SCHEDULE-18 NOTES ON ACCOUNTS

(Note: Figures in bracket relate to previous year)

During the current financial year, the bank has released ₹ 8.28 crore to Maharashtra Gramin Bank (MGB) under Financial Inclusion Technology Fund (FITF) by way of subscription in Perpetual bond as Tier II capital towards its share of CBS implementation project cost.

2. Investments:

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. "Held to Maturity", "Available for Sale" and "Held for Trading" and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India guidelines.

- 3. The Bank has complied with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:
- 3.1 Accounting Standard 5 Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.

As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts.

3.2 Accounting Standard 9 - Revenue Recognition

As per Accounting Policy No. 7(i), certain items of income are recognized on realization basis on account of statutory requirements or materiality.

4. Fixed Assets

- 4.1 Depreciation for the current year amounting to ₹ 54.68 crore (₹ 61.02 crore) on revalued assets has been adjusted to Revaluation reserve account.
- 4.2 The title deeds in respect of 4 (4) revalued properties / premises having cost of ₹ 6.54 crore (₹ 6.54 crore) were not yet executed / registered in favour of the Bank due to certain long pending legal disputes / formalities.
- Accounting Standard (AS) 15 (Revised 2005)- "Employee Benefits" (Parent Bank)

A. Defined Contribution Plans:

(₹ in Crore)

	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
a.	Provident Fund	0.28	0.32
b.	Contribution to Staff Welfare – Welfare Fund Contingency	0.00	0.00

B. <u>Defined Benefit Plans:</u>

- a) Pension Plan This is a post employment benefit, which is 50% of final pay for a maximum of 33 years of pensionable service. This is a funded scheme.
- b) Gratuity Plan This is a post employment benefit and is payable as higher of Gratuity as per Company's Rules and Gratuity under Payment of Gratuity Act 1972 as amended. This is a funded scheme.
- c) Leave Encashment / Compensated Absences This is a post employment benefit and is payable for a maximum limit of 240 days of accumulated leave based on final pay. This is an unfunded scheme.

परिभाषित अनुलाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

Change in the Present value of Defined Benefit Obligations:

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crores)

क्र. सं.	विवरण	पेंशन योजना Pension Plans		उपदान योजनाएं Gratuity Plans		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment	
Sr. No.	Particulars	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13
1	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का आरंभिक वर्तमान मूल्य Opening Present Value of Defined Benefit Obligation	2772.84	2431.55	483.29	450.16	208.92	207.82
2	ब्याज लागत Interest Cost	226.87	188.46	37.74	33.59	16.79	15.98
3	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	457.90	423.78	27.56	22.17	32.36	27.14
4	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	भुगतान किए अनुलाभ Benefits Paid	(207.40)	(151.58)	(78.57)	(60.56)	(22.66)	(16.18)
6	वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	(33.94)	(119.37)	36.03	37.93	(0.17)	(25.84)
7	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का अंतिम वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit Obligation	3216.27	2772.84	506.05	483.29	235.24	208.92

योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन :

Change in the Fair Value of Plan Assets:

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crores)

क्र. सं.	विवरण	पेंशन र Pension		उपदान योजना Gratuity Plans		
Sr. No.	Particulars	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13	
1	योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening fair value of plan assets	2541.49	2085.35	383.56	373.16	
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan as-sets	232.29	177.25	34.52	31.72	
3	दिया गया अंशदान Contributions made	534.60	417.00	119.88	33.00	
4	भुगतान किया गया अनुलाभ Benefits paid	(207.40)	(151.58)	(78.57)	(60.56)	
5	बीमांकिक लाभ / हानि Actuarial gains/losses	14.92	13.47	(5.71)	6.24	
6	योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य Closing fair value of plan assets	3115.90	2541.49	453.68	383.56	

॥. तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि ः

Amount recognized in the Balance Sheet:

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crores)

क्र. सं.	विवरण	निधिगत परिभाषित अनुलाभ के दायित्व Funded Defined Benefit Obligations						गैर निधिगत अनुलाभ र Unfunded Benefit O	के दायित्व d Defined
Sr. No.	Particulars		पेंशन योजना उपदान योजना कुल Pension Plans Gratuity Plans Total				छुट्टी का न Leave En	नकदीकरण cashment	
		31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13
1	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present Value of Defined Benefit Obligations	3216.27	2772.84	506.05	483.29	3722.32	3256.13	235.24	208.92
2	योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets	(3115.90)	(2541.49)	(453.68)	(383.56)	(3569.58)	(2925.05)	(0.00)	(0.00)
3	मान्यता हेतु निवल देयता Net liability to be recognized	100.37	231.35	52.37	99.73	152.74	331.08	235.24	208.92
4	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त अन्य राशि Other amount recognized in the Balance Sheet	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00	37.87	0.00	0.00
5	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता Net liability rec-ognized in the Balance Sheet	100.37	269.22	52.37	99.73	152.74	368.95	235.24	208.92

लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशि : Amount recognized in the Profit & Loss Account:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्र. सं.	विवरण	पेंशन योजना Pension Plans		उपदान Gratuit	योजना y Plans	छुट्टी का र Leave En	नकदीकरण cashment
Sr. No.	Particulars	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13
1	चालू सेवा लागत Current Service Cost	457.90	423.78	27.56	22.17	32.36	27.14
2	ब्याज लागत Interest Cost	226.87	188.46	37.74	33.59	16.79	15.98
3	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected Return on Plan Assets	(232.29)	(177.25)	(34.52)	(31.72)	0.00	0.00
4	वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	(48.86)	(132.84)	41.74	31.69	(0.17)	(25.84)
5	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	मान्यता हेतु व्यय Expense to be recognized	403.62	302.15	72.52	55.73	48.98	17.27
7	पेंशन योजना के पुनःआरंभ होने तथा 2010-11 में अधिसूचना क्र. बीओडी.क्र. बीसी 80/21.04.018/2010-11 द्वारा उपदान सीमा में वृद्धि के कारण बढे हुए दायित्व अग्नेषित Carry forward of enhanced obligations due to reopening of Pension Plan & increase in Gratuity Limit vide. Notification No. BOD.No. BC. 80 / 21.04.018 / 2010-11 in 2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	दूसरा विकल्प देने वालों द्वारा पेंशन निधि में निधि सीधे वापस Fund refunded by 2nd Optee directly to Pension Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	वर्ष के दौरान किया गया अतिरिक्त प्रावधान/(पुनर्लिखित) Additional provision made / (write back) during the year	(37.87)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त तथा स्टाफ लागत में शामिल निवल व्यय Net expense recognized in Profit & Loss Ac-count and included in Staff Cost	365.75	302.15	72.52	55.73	48.98	17.27

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता में समाधान Reconciliation in the Net Liability recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crores)

क्र. सं.	विवरण	पेंशन योजना Pension Plans		उपदान योजना Gratuity Plans		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	
Sr. No.	Particulars	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13
1	आरंभिक निवल देयता Opening Net Liability	269.22	384.07	99.73	77.00	208.92	208.28
2	मान्यता प्राप्त व्यय Expense recognized	365.75	302.15	72.52	55.73	48.98	17.27
3	अंशदान/अनुलाभ का भुगतान Contributions/Benefits paid	(534.60)	(417.00)	(119.88)	(33.00)	(22.66)	(16.63)
4	अंतिम निवल देयता Closing Net Liability	100.37	269.22	52.37	99.73	235.24	208.92

योजना आस्तियों पर वास्तविक आय **Actual Return on Plan Assets**

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्र. सं.	विवरण	पेंशन र Pension		उपदान योजना Gratuity Plans	
Sr. No.	Particulars	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13
1	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	232.29	177.25	34.52	31.72
2	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि) Acturial gain (loss) on plan assets	14.92	13.47	(41.74)	6.24
3	योजना आस्तियों पर वास्तविक आय Actual return on plan assets	247.21	190.72	(7.22)	37.96

VII. मूल बीमांकिक मान्यताएं (भारित औसत के रूप में व्यक्त) Principal Actuarial Assumptions (expressed as weighted averages)

क्र. सं.	विवरण	पेंशन योजना Pension Plans		उपदान योजना Gratuity Plans		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	
Sr. No.	Particulars	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13
1	बट्टा दर Discount rate	8.50%	8.00%	8.50%	8.00%	8.50%	8.00%
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	9.14%	8.50%	9.00%	8.50%	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
3	वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर Expected rate of salary increases	6.00%	5.50%	6.00%	5.50%	6.00%	5.50%

ग. अन्य दीर्घावधि अनुलाभः

(₹ करोड में)

31.	विवरण	लाभ व हानि र प्रा	
क्र.		31.03.14	31.03.13
1	पुनर्वास भत्ता	0.01	0.06
2	छुट्टी किराया रियायत	21.82	11.00
3	रजत जयंती अवार्ड	0.17	(2.13)
	कुल	22.00	8.93

घ. अपरिशोधित पेंशन व उपदान देयता

भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 9 फ़रवरी 2011 की अधिसूचना संख्या डीबीओडी.क्र.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11, द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु उपदान की सीमा में वृद्धि और विद्यमान कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प फिर से देने से संबंधित रुपये ₹ 102.48 करोड़ का प्रावधान किया गया है (वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान कुल अपरिशोधित दायित्व ₹ 512.38 करोड़ की राशि के 1/5 अर्थात ₹ 102.48 करोड़ परिशोधित राशि लाभ व हानि खाते को प्रभारित की गई दर्शाती है).

31.03.2014 को विद्यमान कर्मचारियों हेतु उपदान सीमा में वृद्धि व पेंशन विकल्प फिर से देने से संबंधित अपरिशोधित देयता निम्नानुसार है :

(₹ करोड में)

पेंशन र	योजना	उपदान योजना वृ		ल	
31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13
75.05	150.09	27.43	54.85	102.48	204.94

C. Other Long Term Benefits:

(₹ in Crores)

Sr. No.	Particulars	Recognized in Profit & Loss Account		
NO.		31.03.14 31.03.13		
1	Resettlement Allowance	0.01	0.06	
2	Leave Fare Concessation	21.82	11.00	
3	Silver Jubilee Award	0.17	(2.13)	
	Total	22.00	8.93	

D. Unamortized Pension and Gratuity Liability

In accordance with guidelines issued by RBI vide Notification No. DBOD. No. BP. BC. 80 / 21. 04. 018 / 2010-11 dated February 9, 2011, provision for ₹ 102.48 crore has been made for the year ended 31.03.2014 towards the amortization relating to enhancement in Gratuity limit and re-opening of pension option for existing employees (representing 1/5th of the total unamortized liability amounting to ₹ 512.38 i.e ₹ 102.48 crore being the amount of amortized balance to be charged to the profit & loss account during the financial year 2013-14).

The unamortized liability relating to enhancement in Gratuity limit and re-opening of pension option for existing employees as on 31.03.2014 is as under:

(₹ in Crores)

Pensio	Pension Plans		Gratuity Plans		tal
31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13
75.05	150.09	27.43	54.85	102.48	204.94

6. समेकित खंड रिपोर्टिंग (लेखा मानक 17) Consolidated Segment Reporting (AS-17):

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

व्यवसाय खंड Business Segments ->	खਤ Trea		Corporate/	निगमित / संपूर्ण बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग etail Banking अन्य बैंकिंग परिचालन Other banking operations		कु To	ल tal	
विवरण Particulars	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
राजस्व Revenue	2994.00	2566.72	6257.72	5549.09	3514.05	2310.17	98.27	109.81	12864.04	10535.79
परिणाम Result	15.88	105.77	241.80	845.36	450.09	321.43	53.32	79.26	761.09	1351.82
गैर-आबंटित खर्च Unallocated expenses						0.00	0.00			
परिचालनगत लाभ Operating profit									761.09	1351.82
आस्थगित कर सहित कर Taxes including deferred taxes									362.48	582.73
असाधारण लाभ / हानि Extraordinary profit / loss	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
निवल लाभ Net profit									398.61	769.09
खंड आस्तियां Segment assets	38012.50	33059.01	55967.61	49144.12	35137.12	28171.06	6494.35	5841.23	135611.58	116215.42
गैर-आबंटित आस्तियां Unallocated assets									748.83	765.29
कुल आस्तियां Total assets									136360.41	116980.71
खंड देयताएं Segment liabilities	37327.38	32133.33	52427.65	45624.68	32715.88	26168.25	6479.81	6392.13	128950.72	110318.39
गैर-आबंटित देयताएं Unallocated liabilities									0.00	236.47
यूंजी और अन्य आरक्षितियां Capital & Other Reserves						7409.69	6425.85			
कुल देयताएं Total liabilities	ताएं Total liabilities				136360.41	116980.71				

- क) खजाना खंड में निवेश, भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष, भारत के बाहर स्थित बैंकों में अधिशेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे संबंधित आय इत्यादि को शामिल किया गया है
- ख) निगमित और थोक बैंकिंग खंड में न्यासों, भागीदारी फर्मों, कंपनियों और सांविधिक निकायों को दिए गए सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें फुटकर बैंकिंग खंड में शामिल नहीं किया गया है.
- ग) फुटकर बैंकिंग में वैयक्तिक व्यक्ति / व्यक्तियों अथवा ऐसे लधु व्यवसायों को शामिल किया गया है, जहां
 - i. कुल वार्षिक औसत आवर्त ₹ 50.00 करोड़ से कम है, और
 - ii. किसी भी एक प्रतिरूप को दी गई सकल उधारियां बैंक के समग्र रिटेल संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है, और
 - iii. एक प्रतिरूप को प्रदान किया गया अधिकतम सकल फुटकर उधार ₹ 5.00 करोड़ तक है.
- घ) ऊपर विनिर्दिष्ठ खंडों के अधीन शामिल नहीं किए गए अन्य सभी बैंकिंग संव्यवहारों को अन्य बैंकिंग प्रचालन खंड में शामिल किया गया है.
- अनुषंगी कंपनी के व्यावसायिक परिचालनों को भौतिकता स्वरूप अन्य बैंकिंग परिचालन में शामिल किया गया है.

भौगोलिक खंड

चूंकि बैंक का प्रचालन केवल भारत की सीमा के अंदर है अतः कोई भौगोलिक खंड लागू नहीं है.

7. लेखा मानक १८- संबद्ध पक्ष प्रकटनः

इससे संबंधी ब्योरे निम्नानुसार हैं:

(क) सम्बंधित पक्षों का नाम और उनके सम्बंधः

- क. बैंक की अनुषंगी कंपनी दी महाराष्ट्र एक्सक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.
- ख. बैंक की सहायक संस्था महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
- ग. महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मी -
 - 1) श्री सुशील मुहनोत, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (09.11.2013 से)
 - श्री नरेंन्द्र सिंह, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (17.01.2012 से 30.09.2013 तक)
 - 3) श्री आर. आत्माराम, कार्यपालक निदेशक (07.08.2013 से)
 - 4) श्री आर.के. गृप्ता, कार्यपालक निदेशक (31.12.2013 से)
 - 5) श्री सी.वीआर. राजेन्द्रन, कार्यपालक निदेशक (01.03.2012 से 13.12.2013 तक)

(ख) सम्बंधित पक्षों से संव्यवहार

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.14	31.03.13
वेतन व भत्ते (अनुलाभ सहित)	61.39	42.94

एएस 18 संबंधित पक्षों के प्रकटन की दृष्टि से बैंक की अनुषंगी कंपनी और सहायक संस्थाओं के साथ संव्यवहार का प्रकटन नहीं किया गया है जो कि राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यमों को अन्य राज्य नियंत्रित संबंधित पक्षों के साथ उनके संव्यवहारों से संबंधित प्रकटन के संबंध में छूट देता है.

8. लेखा मानक २० - प्रति शेयर आय

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
मूल / डायलुटेड प्रति शेयर आय	₹ 4.73	₹ 12.04
मूल / डायलुटेड प्रति शेयर आय की गणना		
क) अधिमान शेयरों पर लाभांश तथा कर के बाद निवल लाभ (₹ लाख में)	₹ 33669.36	₹ 71061.12
ख) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में)	7111.12	5899.85
ग) प्रति शेयर मूल आय (ख) द्वारा विभाजित (क)	₹ 4.73	₹ 12.04
घ) प्रति शेयर नाममात्र मूल्य	₹ 10.00	₹ 10.00

- Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on Investments and related income there from.
- Corporate/ Wholesale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies and statutory bodies which are not included in Retail Banking Segments.
- Retail Banking Segments include exposure to the individual person/ persons or to a small business where
 - i. total average annual turnover is less than ₹ 50.00 crore and
 - ii. no aggregate exposure to one counter part exceeds 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and
 - iii. The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to ₹ 5.00 crore.
- d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.
- Business operations of subsidiary company is included in other banking operation on account of materiality.

Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

7. Accounting Standard 18 - Related party disclosures

The details in this regard are as under:

(A) Name of the Related Parties and their relationship:

- (a) Subsidiary of the Bank The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited
- (b) Associate of the Bank Maharashtra Gramin Bank
- (c) Key Management Personnel -
 - Shri Sushil Muhnot, Chairman & Managing Director (from 09.11.2013 to till date)
 - Shri Narendra Singh, Chairman & Managing Director (from 17.01.2012 to 30.09.2013)
 - 3) Shri R Athmaram, Executive Director (from 07.08.2013 to till date)
 - Shri R K Gupta, Executive Director (from 31.12.2013 to till date)
 - 5) Shri C.VR. Rajendran, Executive Director (from 01.03.2012 to 13.12.2013)

(B) Transactions with Related parties

(₹ in lakhs)

Particulars	31.03.14	31.03.13
Salary & Allowances (including perquisites)	61.39	42.94

The transactions with the subsidiary and associate of the bank have not been disclosed in view of para 9 of the AS- 18 Related Parties Disclosures, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other state controlled related parties.

8. Accounting Standard 20- Earning per Share

	•	
Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Basic / Diluted E.P.S.	₹ 4.73	₹ 12.04
Calculation of Basic / Diluted EPS.		
a) Net Profit after Tax and dividend on preference shares (₹ in lakhs)	₹ 33669.36	₹ 71061.12
b) Weighted Average number of Equity Shares (Nos. in Lakhs)	7111.12	5899.85
c) Basic Earnings per share (a) divided by (b)	₹ 4.73	₹ 12.04
d) Nominal Value per Share	₹ 10.00	₹ 10.00

9. लेखा मानक २२ - आय पर करों का लेखा

लेखा मानक 22 के अनुसार मूल बैंक ने आयकर का लेखांकन किया है. तदनुसार आस्थिगित कर आस्तियों और आस्थिगित कर दायित्वों का अभिनिर्धारण किया गया है. आस्थिगित कर आस्तियों और आस्थिगित कर दायित्वों के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

		(* 47(15,1)
विवरण	31.03.2014	31.03.2013
आस्थगित कर आस्तियां		
कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधान की रकम के कारण	80.41	67.95
2) अन्य प्रावधान - जहां डीटीए बनाया गया है	144.68	74.22
कुल	225.09	142.17
आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षितियों के कारण	103.44	29.28
2) निवेश में ड्रास के कारण	195.64	68.45
3) अचल संपत्तियों के मूल्य-इ्रास के कारण	11.87	2.97
कुल	310.95	100.70
निवल आस्थगित कर आस्तियां	(-)85.86	41.47

10. लेखा मानक २६ - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन

(1) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - आंतरिक रूप से निर्मित के अतिरिक्तः

उपयोगी अवधि - 3 वर्ष परिशोधन दर - 33.33%

परिशोधन पद्धति - लागत पर सीधी रेखा पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	3.72	2.92
वर्ष के दौरान लिए गये सॉफ्टवेयर	21.92	4.13
वर्ष के दौरान परिशोधन	9.65	3.33
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	15.99	3.72

11. आस्तियों का अनर्जक होना (लेखा मानक-28):

बैंक ने अभिनिर्धारित किया है कि आस्तियों में कोई भौतिक क्षति नहीं हुई है इसलिए लेखा मानक 28 के अनुसार कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है.

12. प्रावधान, आकिस्मक देयताएं और आकिस्मक आस्तियां (लेखा मानक - 29) प्रबंधन के मतानुसार अनुसूची 12 में संदर्भित आकिस्मक देयताओं के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं है.

13. अंतर शाखा व्यवहारों, अन्य बैंकों/संस्थाओं के साथ संव्यवहारों, नाममात्र खातों, अन्य आस्तियों और अन्य देयताओं के अंतर्गत पुरानी प्रविष्टियों, साधारण खाता बही से सहायक लेजरों में कितपय जमा खातों, समाशोधन खातों, अन्य आस्तियों/देयताओं के समायोजन/समाशोधन/हटाने और विभिन्न स्थिर आस्तियों के अंतर्शाखा अंतरण तथा स्थिर आस्तियों पर द्वास के प्रभार का कार्य अब भी प्रगति पर है. इनका राजस्व पर प्रभाव, परवर्ती प्रभाव सहित, का पता नहीं लगाया जा सका है. प्रबंधन के विचार से इसके परिणामस्वरूप राजस्व पर प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है.

14. खातों पर अन्य विशिष्ट टिप्पणियां

इनका उल्लेख "खातों पर टिप्पणियां" के अधीन बैंक और इसके सहायक प्रतिष्ठानों तथा सहयोगियों के सोलो वित्तीय विवरणों में दी गई है.

15. जहां कहीं आवश्यक हुआ हो वहां गत वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहबद्ध/पुनःवर्गीकृत किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाया जा सके.

9. Accounting for Taxes on Income (AS-22):

The parent bank has accounted for Income Tax in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are recognized. Major Components of Deferred Tax Assets & Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013				
Deferred Tax Assets						
On account of provisions for Employees benefits	80.41	67.95				
2) Other Provisions where DTA is created	144.68	74.22				
Total	225.09	142.17				
Deferred Tax Liability	Deferred Tax Liability					
1) On account of Special Reserve u/s 36(1) (viii)	103.44	29.28				
2) On account of Depreciation on Investment	195.64	68.45				
3) On account of Depreciation on Fixed Assets	11.87	2.97				
Total	310.95	100.70				
Net Deferred Tax Asset	(-)85.86	41.47				

10. Accounting Standard 26 — Accounting for Intangible Assets.

Computer Software - other than internally generated:

Useful life - 3 years. Amortization Rate - 33.33 %

Amortization Method - Straight line at cost

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Software at the beginning of the year	3.72	2.92
Software acquired during the year	21.92	4.13
Amortization during the year	9.65	3.33
Net carrying amount at the end of the year	15.99	3.72

11. Impairment of Assets (AS-28):

Bank has identified that there is no impairment of fixed assets and as such no provision is required as per AS-28.

12. Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets (AS-29):

In the opinion of the management, no provision is required against contingent liabilities referred in Schedule 12.

13. Work is in progress for adjustment/ reconciliation/elimination of inter-branch transactions, transactions with other banks/ institutions, nominal accounts and old entries under other assets and liabilities. Further reconciliation between balances in subsidiary and general ledger in respect of certain deposit accounts, clearing accounts, other assets & liabilities and interbranch transfer of fixed assets is still under progress. The effect of these including the consequential impact thereof on the revenue is not ascertainable. In the opinion of the management consequential impact there off on revenue is not material.

14. Other significant Notes on Accounts.

These are set out under "Notes on Accounts" as given in the Stand alone Financial Statements of Bank, its subsidiary and the associate.

15. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figures.

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण STATEMENT OF CONSOLIDATED CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2014

_						₹ in thousand)
ब्योरे Particulars			31-03-2014 ਰ Year Ended		31-03-2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2013	
क.	परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :					
A.	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:					
	आय Income वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि से प्राप्त ब्याज		11956,67,74		9613,44,36	
	Interest received during the year from advances, Investments etc. अन्य आय Other Income		907,35,91	12864,03,65	922,34,57	10535,78,93
	घटाएं: व्यय व प्रावधान Less: Expenditure & Provisions वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज		8447,19,38		6579,58,61	
	Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings परिचालन व्यय Operating Expenses प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies		2397,73,25 1620,50,28	12465,42,91	1797,87,59 1389,24,20	9766,70,40
	कुल व्यय के उपर कुल आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि		10-0,00,00	398,60,74	,,	769,08,53
	Net Increase in Cash due to Increase of Income over Expenses			030,00,14		700,00,00
	जोडे : गैर नकदी मद एवं अलग विचारित मदें					
	Add : Non Cash Items & Items Considered Separately					
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies		1620,50,28		1389,24,20	
	अचल संपत्तियों हेतु मूल्यङ्कास Depreciation on Fixed Assets		99,99,14		73,93,33	
	अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि Profit/Loss on sale of Fixed Assets		,20,80		-9,43,96	
	आय कर मांग पर ब्याज Interest on Income Tax demand		_	0040 04 00	,11,10	1704 05 50
	बाँडस्, पीसीपीएस व आईपीडीआईपर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI		289,51,58	2010,21,80	248,10,85	1701,95,52 2471,04,05
	घटाएं : प्रत्यक्ष कर भुगतान (निवल) Less: Direct Taxes Paid (Net)			510,10,41		230,02,50
	परिचालन से अर्जित नकद लाभ Cash Profit Generated From Operations	(I)	-	1898,72,13	_	2241,01,55
	परिचालनगत देयताओं की वृद्धि/कमी : Increase/(Decrease) of Operating Liabilities:					
	जमाराशियां Deposits		22463,39,18		17808,24,74	
	उधारियां Borrowings		-4551,01,47		5932,73,78	
	अन्य देयताएं व प्रावधान Other Liabilities & Provision		-1060,63,43		-1637,04,03	
	परिचालनगत देयताओं में कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Liabilities घटाए ं: परिचालन आस्तियों की वृद्धि/कमी		16851,74,28		22103,94,49	
	Less : Increase/(Decrease) of Operating Assets				5400 70 50	
	निवेश Investments अग्रिम Advances		5831,70,10 13449,62,11		5403,73,56 19411,01,35	
	अन्य आस्तियां Other Assets		-357,79,50		-481,95,17	
	कुल परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Assets		18923,52,71		24332,79,74	
	परिचालनगत आस्तियों पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि Net Increase of Operating Liabilities Over Operating Assets	(II)		2071,78,43		-2228,85,25
		(A) = (I+II)		-173,06,30	_	12,16,30
ख.	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
В.	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES					
	अचल संपत्तियों का विक्रय Sale of Fixed Assets		7,13,53		5,73,76	
	अचल संपत्तियों का क्रय Purchase of Fixed Assets		-178,56,58		-126,86,77 -4,66,00	
	सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश Investment made in Associates निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख) Net Cash Flow Form Investing Activities	(B)	_	-171,43,05	-4,00,00	-125,79,01
ग.	वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह	()	-	, ,,,,,,	_	
٠١. C.	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:					
٥.	i) गौण बाँड को जारी /(मोचन) करना		_		600,00,00	
	Issue/(Redemption) of Subordinated Bonds					
	ii) ईक्विटी एवं पीएनसीपीएस पर लाभांश Dividend on Equity & PNCPS		-202,11,95		-185,57,03	
	iii) लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax		-34,35,02		-30,10,41	
	iv) बाँड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI v) ईक्विटी शेअर्स को जारी करना Issue of Equity Shares		-289,51,58 799,99,98		-248,10,85 405,99,99	
वित्तप	गोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग) Cash Flow From Financing Activities	(C)		274,01,43		542,21,70
	के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क+ख+ग) Total Cash Flow During The Year	(A+B+C)		-70,47,92		428,58,99
	पिछले वर्ष के आंकडों को आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित व पुनःवर्गीकृत किया गया. e: Previous year figures have been regrouped and reclassified whenever necessary.					

(₹ हजार में)	(₹	in	thousand)
--------------	----	----	-----------

		(- / (
ब्योरे Particulars	31-03-2014 को समाप्त वर्ष	31-03-2013 को समाप्त वर्ष	
	Year Ended 31-03-2014	Year Ended 31-03-2013	
द्वारा प्रतिनिधित्व - REPRESENTED BY -			
वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी समकक्ष			
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balance with RBI	5265,29,20	4535,47,79	
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस प्राप्त धन	907,55,48	1208,77,90	
Balances with Banks & Money at Call & Short notice			
	6172,84,68	5744,25,69	
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समकक्ष			
Cash and Cash equivalents at the end of the year			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balances with RBI	5991,38,82	5265,29,20	
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस प्राप्य धन	110,97,94	907,55,48	
Balance with banks & money at call & Short notice	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , , ,	
	6102,36,76	6172,84,68	
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR	-70,47,92	428,58,99	

अतुल भाटिया	आर. के. गुप्ता	आर. आत्माराम	सुशील मुहनोत
A P BHATIA	R.K. GUPTA	R. ATHMARAM	SUSHIL MUHNOT
महाप्रबंधक, विप्र व लेखा	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
General Manager, FM&A	Executive Director	Executive Director	Chairman & Managing Director

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार $\,$ AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

कृते कीर्तने एंड पंडित	कृते जे सी भल्ला एंड कंपनी	कृते जी. बसु एंड कंपनी	कृते सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी
For Kirtane & Pandit	For J C Bhalla & Co.	For G Basu & Co.	For Singh Ray Mishra & Co.
एफआरएन १०५२१५डब्ल्यू	एफआरएन ००१।११एन	एफआरएन ३०११७४ई	एफआरएन ३१८१२१ई
FRN 105215W	FRN 001111N	FRN 301174E	FRN 318121E
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
सीए शरद भागवत	सीए राजेश सेठी	सीए एस. लाहिड़ी	सीए जीतेन के मिश्रा
CA Sharad Bhagwat	CA Rajesh Sethi	CA S. Lahari	CA Jiten K Mishra
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
Partner	Partner	Partner	Partner
सदस्यता क्र. : 08072	सदस्यता क्र. : 085669	सदस्यता क्र. : 051717	सदस्यता क्र. : 052796
Membership No. : 08072	Membership No.: 085669	Membership No.: 051717	Membership No.: 052796

स्थान : नई दिल्ली Place : New Delhi दिनांक : 13 मई, 2014 Date : May 13, 2014 कीर्तने एंड पंडित सनदी लेखाकार संगती, भक्ति मार्ग, लॉ कॉलेज रोड के पास, पूणे - 411 004

Kirtane & Pandit Chartered Accountants, Sangati, Bhakti Marg, Off Law College Road, Pune - 411 004.

जे सी भल्ला एंड कं. सनदी लेखाकार बी/5, सेक्टर 6,

नोयडा उ. प्र. - 201 301

J.C.Bhalla & Co Chartered Accountants, B/5, Sector 6, Noida, U.P. - 201 301.

जी बसु एंड कं.

सनदी लेखाकार 3, चौरंगी एप्रोच बसु हाउस

कोलकाता - 700 072

G.Basu & Co

Chartered Accountants, 3, Chowringhee Approach, Basu House, Kolkata - 700 072.

सिंह रे मिश्रा एंड कं.

सनदी लेखाकार एस आर 31, अशोका मार्केट स्टेशन स्क्वेअर भुवनेश्वर - 751 001

Singh Ray Mishra & Co Chartered Accountants,

Chartered Accountants, S R 31, Ashoka Market, Station Square, Bhubaneshwar - 751 001.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निदेशक मंडल वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

- 1. बैंक ऑफ महाराष्ट्र उसकी सहायक कंपनी तथा एक सहयोगी संस्था (समूह) के दिनांक 31 मार्च, 2014 के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण जिसमें 31.03.2014 का समेकित तुलन पत्र समेकित लाभ और हानि खाता तथा उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य सपष्टीकरण संबंधी सूचनाएं शामिल हैं, की हमने लेखा परीक्षा की है.
- 2. हमारे द्वारा लेखा परीक्षित मूल बैंक (अर्थात बैंक ऑफ महाराष्ट्र) के वितीय विवरण में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 21 शाखाओं की विवरणियां अन्य शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 823 शाखाओं और लांग फार्म आडिट रिपोर्ट के अंतर्गत रिपोर्ट करने के लिए संगामी लेखा परीक्षा के तहत 51 शाखाएँ शामिल हैं. हमारे द्वारा लेखा परीक्षित व अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया है. साथ ही मूल बैंक के तुलन पत्र और लाभ व हानि के विवरण में 994 शाखाओं, जो प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं लेकिन लेखा परीक्षा के अधीन नहीं हैं, की विवरणियां भी शामिल हैं. इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिमों में 8.67% जमाराशियों में 19.73%, ब्याज आय में 5.67% और ब्याज खर्च में 15.38% हिस्सा है.
- 3. हमने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय विवरण में दिनांक 31.3.2014 को ₹ 1057.86 लाख की कुल आस्तियां तथा उसी दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु ₹ 20.82 लाख का निवल लाभ दर्शाया गया है. साथ ही सहायक प्रतिष्ठानों की भी लेखा परीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय विवरण में उस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में दिया गया है, समूह के लाभ के हिस्से को ₹ 1243.11 लाख बताया गया है. इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई. इस सहायक कंपनी से संबंधित राशियों के मामले में हमारा मत केवल अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर आधारित है.
- 4. हम सूचित करते हैं कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक ने समेकित वित्तीय विवरण और सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश लेखा मानक 23 के अनुसार बैंक इसकी सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षा किए गए वित्तीय विवरणों पर तैयार किए गए हैं.ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत किये गये हैं.

AUDITORS' REPORT

To.

The Board of Directors of Bank of Maharashtra Report on Financial Statements

- 1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Bank of Maharashtra, its one subsidiary and one associate (the Group) as at 31st March 2014, which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2014, and the Consolidated Profit & Loss Account and the Consolidated Cash Flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.
- The Financial Statements of parent (i.e. Bank of Maharashtra) audited by us and incorporated in these statements incorporated the returns of 21 branches, including Treasury & International Banking Branch, audited by us and 823 branches audited by branch auditors and 51 branches under concurrent audit for reporting under Long Form Audit Report (LFAR). The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are the returns from 994 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 8.67 per cent of advances, 19.73 per cent of deposits, 5.67 per cent of interest income and 15.38 per cent of interest expenses.
- 3. We did not audit the financial statements of subsidiary whose financial statement reflect total asset of ₹ 1057.86 lacs as on 31st March 2014, and net profit of ₹ 20.82 lacs for the year ended on that date, and associate whose financial statements reflect the Group share of profit of ₹ 1243.11 lacs for the year ended on that date as considered in consolidated financial statements. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us and our opinion is so far as it relates to the amounts included in respect of the subsidiary and the associate is based solely on the reports of the other auditors.
- 4. We report that the Consolidated Financial Statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirements of the 'Accounting Standard (AS) 21-Consolidated Financial Statements' and 'AS-23 Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements. These Consolidated Financial Statements have been drawn up in the form prescribed by the Reserve Bank of India.

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है. ये वित्तीय विवरण समय समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन, बैंककारी विनियम अधिनियम 1949, के अनुसार हैं. वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित इस जिम्मेदारी में आंतरिक नियंत्रण को तैयार करना उसका कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो जालसाजी या किसी अन्य चूक से हुई गलती से मुक्त है.

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

- हमारी जिम्मेदारी समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के आधार पर अभिमत व्यक्त करना है. हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर लेखा परीक्षा करते हैं. इन लेखा मानकों के अनुसार हमें नैतिक आवश्यक्ताओं का पालन करना होता है और लेखा परीक्षा की योजना तैयार कर लेखा परीक्षा करनी होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वित्तीय विवरण किसी भौतिक गलत कथन से मृक्त हैं.
- 7. वित्तीय विवरणों में प्रकटन और रकम से संबंधित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित कार्यविधि निष्पादित करना लेखा परीक्षा में शामिल होता है. जालसाजी या गलती के कारण वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत कथन का मूल्यांकन करने सिंहत लेखा परीक्षक के निर्णय के आधार पर चुनी गई कार्यविधि आधारित होती है. ये जोखिम मूल्यांकन करने के लिए कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों और परिस्थिति विशेष में उचित लेखा परीक्षा कार्यविधि तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुति हेतु लेखा परीक्षकों ने विचार किया है किंतु इस उद्देश्य के लिए नहीं कि संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अपनी राय दें. उपयोग में लाई गई नीति की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों का औचित्य तथा उसी प्रकार वित्तीय विवरणों की समग्र तैयारी का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में शामिल होता है.
- 8. हम विश्वास करते है कि हमें प्राप्त साक्ष्य हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं.

अभिपाय

हमारी राय में हमारी अधिकतम जानकारी और हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों व बैंक की बहियों में दर्शाए गये अनुसारः

- (क) तुलन पत्र, उसमें दी गई टिप्पिणयों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण सहित परिपूर्ण और समुचित तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक ब्यौरों का समावेश है और वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार इस ढंग से बनाया गया है कि उससे बैंक के 31 मार्च, 2014 के व्यवहारों का सही चित्र सामने आ सके
- (ख) लाभ हानि लेखा और उस पर की गयी टिप्पणियां, लाभ के सही शेष को दर्शाते है जो समाप्त वर्ष हेतु भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप है और
- (ग) नकदी प्रवाह विवरण उस दिनांक को समाप्त वर्ष में हुए नकदी प्रवाह का सही व उचित चित्र प्रस्तुत करता है.

Management's Responsibility for the Financial Statements:

5. Management is responsible for the preparation of these Financial Statements in accordance with the Banking Regulation Act 1949, complying with Reserve Bank of India Guidelines issued from time to time. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility:

- 6. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
- An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statement, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
- We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our Audit opinion.

Opinion:

In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanation given to us,

- (a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2014 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
- (b) Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit/loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
- (c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

मामलों का महत्व

हमारे अभिमत की अर्हता के बिना हम ध्यान आकर्षित करते हैं कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प दुबारा खोलने तथा उपदान सीमाओं में वृद्धि- विवेकी विनियामक उपचार पर दिनांक 09 फरवरी 2011 का भा.रि.बैंक का परिपत्र क्रं. डीबीओडी.बीपी. बीसी/80/21.04.018/2010-11 के अनुसार बैंकों को लेखा मानक 15-(संशोधित) कर्मचारी लाभ से संबंधित छूट देने के परिणामस्वरूप मूल कंपनी के समेकित लेखों के साथ संलग्न अनुसूची 18 की टिप्पणी क्रं. 5 डी जिसमें बैंक की कुल आस्थिगत पेंशन और उपदान देयताओं को कुल ₹ 102.48 करोड बताया गया है.

यदि ये परिपत्र जारी नहीं हुआ होता तो बैंक का कर पूर्व लाभ लेखा मानक 15 (संशोधित) लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 102.48 करोड़ से कम होता. इसका परिणामी प्रभाव वित्तीय विवरणों के अन्य संबंधित घटकों पर निश्चित नहीं किया गया है.

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- तुलन पत्र और लाभ व हानि खाता बैंकिंग विनियामक अधिनियम 1949 के तीसरे खंड के क्रमशः फॉर्म क तथा ख के अनुसार तैयार किया गया है.
- 10. उपर्युक्त परिच्छेद 1 व 8 में इंगित लेखा परीक्षा की सीमाओं के आधार पर तथा बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण व अर्जन) अधिनियम, 1970/1980 के अनुसार अपेक्षित तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि
 - हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह हमने प्राप्त कीं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया.
 - ख. बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पायी गईं.
 - ग. हमारी राय में समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ हानि लेखा व समेकित नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

Emphasis of Matter:

Without qualifying our opinion, we draw attention to the note 5 D in Schedule 18 which describes deferment of pension and gratuity liability of the bank to the extent of ₹ 102.48 Crore pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the Public Sector Banks from application of the Accounting Standard 15 (Revised) – Employees Benefit vide its circular DBOD. BP.BC/80/21.04.018/2010-11 of February 2011 on reopening of pension option to employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity limits – Prudential Regulatory Treatment.

Had the said circular not been issued, the"Profit before Tax" of the bank would have been lower by ₹ 102.48 Crore pursuant to the application of the requirements of AS 15 (Revised), the consequential effect of which has not been ascertained on the other related components of the financial statements.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

- The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- 10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein we report that:
 - a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit and have found them to be satisfactory.
 - b. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
 - In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

कृते कीर्तने एंड पंडित For Kirtane & Pandit

एफआरएन 105215डब्ल्यू FRN 105215W सनदी लेखाकार Chartered Accountants

सीए शरद भागवत CA Sharad Bhagwat भागीदार

Partner सदस्यता क्र. : 08072 Membership No. : 08072

कृते जे सी भल्ला एंड कंपनी For J C Bhalla & Co.

एफआरएन 001111एन FRN 001111N सनदी लेखाकार Chartered Accountants

सीए राजेश सेठी CA Rajesh Sethi भागीदार

Partner सदस्यता क्र. : 085669 Membership No. : 085669

कृते जी. बसु एंड कंपनी For G Basu & Co.

एफआरएन 301174ई FRN 301174E सनदी लेखाकार Chartered Accountants

सीए एस. लाहिड़ी CA S. Lahari भागीदार Partner

सदस्यता क्र. : 051717 Membership No. : 051717

कृते सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी For Singh Ray Mishra & Co.

एफआरएन 318121ई FRN 318121E सनदी लेखाकार Chartered Accountants

सीए जीतेन के मिश्रा CA Jiten K Mishra भागीदार

Partner सदस्यता क्र. : 052796 Membership No. : 052796

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 13 मई, 2014

Place: New Delhi
Date: May 13, 2014

टिप्पणियां Notes	
	_
	_
	_
	_
	_
	_

वैक और महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालय

लोकमंगल, १५०१, शिवाजीनगर, पुणे-५



BANK OF MAHARASHTRA

Head Office

LOKMANGAL, 1501. SHIVAJINAGAR, PUNE-5

टेलीफोन/TELE : 020- 2553 6029 फैक्स/FAX : 020-2551 3809 ई-मेल/e-mall :

compsec@mahabank.co.in

FORM A

Name of the Company:	Bank of Maharashtra
Annual financial statements for the ye	ar 31.03.2014
ended	
Type of Audit observation	1-Unqualified 2-Matter of Emphasis: Statutory Central Auditors (SCAs) in their Audit Report, have drawn attention to the note 10.4D to Schedule 18 to Balance Sheet, which describes deferment of pension and gratuity liability of the Bank to the extent of Rs 102.48 crore pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the Accounting Standards 15 (Revised)-Employees Benefit vide its circular DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 of February 2011 on reopening of pension option to employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity limits-Prudential Regulatory Treatment. The SCAs have further stated that had the said circular not been issued, the "Profit before Tax" of the Bank would have been lower by Rs.102.48 Crore pursuant to the application of the requirements of AS-15 (Revised), the consequential effect of which has not been ascertained on the other related components of the financial statements.



Management's reply -In terms of RBI guidelines vide circular DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 February 11, RBI has permitted the Banks for option of amortizing the liability amounting to Rs 512.40 Crore on account of reopening the pension option and enhancement in Gratuity limit over a period of five years beginning from the financial year ended March 31.2011 on straight line basis. Accordingly, provision of Rs102.48 Crore i.e 1/5th of unamortized liability on account of reopening the the pension option and enhancement in gratuity limit has been made starting from FY2010-11. For the FY 2013-14, the Bank has debited Profit and Loss account by Rs 102.48 Crore representing 1/5of unamortized liability. The balance amount of unamortized liability i.e.102.48 Crore will be amortized in FY 2014-15. Frequency of observation Repetitive for last four years. Signed by Chief Financial Officer (Aful Bhatlar) Chairman and Managing Director (S.Murmot) Statutory Central Auditor For Kirtane & Pandit